

# संस्कृतिका

समय-समाज के संदर्भों की शोध-पत्रिका

संपादक

डा. वृज कुमार पाण्डेय

डा. दीपक कुमार राय

अलका पब्लिकेशन्स

448, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेज-I

दिल्ली-110091

वर्ष : 5 अंक : 15 □ अप्रैल-जून 2012

## सैद्धांतिकी

सैद्धांतिकी भारत में समाचार पत्रों के निबंधक (आर.एन.आई.) द्वारा अनुमोदित है।

संरक्षक:	डा. नवल किशोर डा. पी. एन. सिंह डा. एस. त्रिपाठी
परामर्श:	डा. गिरीश मिश्र डा. आर. एन. कुमार डा. जी. पी. ओझा
संपादक मंडल:	डा. शशिकांत राय डा. कृष्ण कुमार सिंह डा. अनिल कुमार सिंह डा. अमर कान्त सिंह
प्रबंध संपादक:	डॉ. विद्यापति गौतम
साज-सज्जा :	पंकज कुमार झा

### संपादकीय सम्पर्क:

448, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेज-1,  
दिल्ली-110091  
फोन : 011-47541851, 64683387  
e-mail : editorialindia@gmail.com

मूल्य : रूपये 500.00

मुद्रक एवं प्रकाशक शैलेन्द्र सेंगर द्वारा 448, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091 से प्रकाशित तथा शिव शक्ति प्रिंटर्स, नवीन शाहदरा दिल्ली-32 से मुद्रित

---

### नोट :

पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के विचार अपने हैं। उसके लिए पत्रिका/संपादक/संपादक मंडल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पत्रिका से सम्बंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

## Editorial

India has around 14.6 m students enrolled in higher education, making it the country with the third highest number of students behind USA and China. India also has 550 universities and around 31,000 colleges, making it one of the largest in terms of capacity. Although annual enrolments in higher education have grown steadily at 6.3 per cent over the last decade, the GER (Gross Enrollment Ratio) of 12.4 percent is way below the global average of 26%. The Indian government has set a target of achieving a GER of 30% by 2020. However, even if GER touches the global average of 26%, it would mean doubling of the number of students in higher education and concomitantly, doubling of capacity. In other words, India will need at least 500 more universities and 30,000 more colleges in the next 8 years. Where will all this capacity addition come from? Government is unable to invest such large sums of money and it will be up to the private sector to bridge this gap. India spends around 3.85 per cent of its GDP on education. Developed countries spend upwards of 10 per cent of their GDP on education. It may not be fair to compare India to developed countries. However, it is interesting to see how India fares against developing countries. Ethiopia spends 4.6 per cent of its GDP on education; Bhutan spends 4.6 per cent and Ghana 5.3 per cent. By this yardstick, India needs to spend much more. The annual spend of around USD 47 billion by the Indian government on education may seem like a big figure. But it is far too low for the huge need and large population of India. Let's hope that the absolute amount and percentage grows rapidly every year.

A recent survey done by NSSO reveals some interesting facts. Between 1999 and 2009, expenditure on food increased by 70 % among rural families and 78% among urban families. However, spending on education increased by 378% in rural areas and 345% in urban areas. In terms of percentage of families spending on education, it has jumped to 63% in rural areas and 73% in urban areas. Indian families realise that education is the stepping stone for a good quality of life to children. Every parent wants their children to improve their standard of living and enjoy a better lifestyle than what they have lived. In this process, they are willing to spend a disproportionate amount of money on education of children. It is not uncommon for parents to spend their lifetime savings and also borrow money to fund education. This will continue till a proper financing ecosystem is evolved in India where a student borrows money to fund his education and pays from his future earnings. There were only 20 universities and 500 colleges in the Indian subcontinent (including Bangladesh and Pakistan) in 1947, the year of Indian independence. Now there are about 376 universities and 17,700 colleges in India only, many with world class physical infrastructure. Many private research institutes are also coming up on a regular basis. The only Nobel prize for India (Indian citizen at the time of the award) in science for C. V. Raman (1930, University of Calcutta) also came in that era. We also had many world class scientists during that time (e.g Satyen Bose, J. C. Bose, Homi Bhaba etc). Now India is the second fastest growing in the world and third largest economy in Asia with huge budget in so-called education and research. But we do not have any world class scientist (who has a slightest chance to get Nobel Prize in science) in India, as per a survey published in a reputed Bengali magazine, "Desh", sometime ago.

—Editor

## इस अंक में

### इतिहास

बौद्धकालीन शिक्षण पद्धति का स्वरूप: एक विश्लेषण—कुमोद पासवान	7
1934 का भूकम्प, चम्पारण और राजनीतिक सरोकार—गौरव कुमार	11
राष्ट्र के मुख्यधारा में अल्पसंख्यकों की सहभागिता एवं ऐतिहासिक विकास—तरनुम परवीन	13
भारत छोड़ो आन्दोलन के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्ष का विश्लेषणात्मक अध्ययन—शेख नसीरुद्दीन	17
भारतीय संस्कृति में ईश्वरीय-विचारधारा ऐतिहासिक विश्लेषण—मोहम्मद रफी	21
आधुनिक बिहार का सृजन: एक तार्किक विश्लेषण—नरेन्द्र किशोर पाण्डेय	25
प्राचीनकालीन मिथिला समाज में दास व्यवस्था—सुमित प्रकाश	28

### समाजशास्त्र

बिहार में वेश्याओं के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण—डा. आषुतोश झा	32
भारतीय समाज की जनसंख्या वृद्धि समस्या एवं समाधान: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन—मो. शकील अंजुम	37
मानवाधिकार और दलित—संजीव कुमार सिंह	42

### शिक्षाशास्त्र

होशंगाबाद ब्लाक के शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में अध्ययनरत बालकों एवं बालिकाओं के नैराश्य का अध्ययन—मेना त्राडा	46
विशिष्ट बालक और उनकी शिक्षा—प्रा. नेहा नरोडिया	48
माध्यमिक स्तर पर शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन—प्रा. पटोलिया चेतन जे.	51
अथर्ववेदकी महत्ता और उनकी समसामयिकता—डॉ० दुछात्रा जरिमान आर.	53

### दर्शनशास्त्र

बौद्धमत में चित्त परिशोधन के उपकरण के रूप में 'ब्रह्मविहार' की अवधारणा—डॉ० अजीत कुमार वर्णवाल	57
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानन्द के सार्वभौम धर्म की प्रासंगिकता—डा. जनार्दन प्रसाद	61
अरविंद अतिमानस: अरविंद के दर्शन में अतिमानस की अवधारणा—डॉ. रश्मि कुमारी सिंह	68

### हिन्दी साहित्य

भीष्म साहनी के 'बसन्ती' उपन्यास में नारी-जीवन के संघर्ष के विविध आयाम—रमण कुमार	70
'राम की शक्ति-पूजा' की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि—डॉ० सच्चिदानंद प्रसाद सिंह	73
हिन्दी भाषा के विकास में डॉ. रामविलास शर्मा का योगदान—वंदना भारती	76
मुक्ति आंदोलन एवं दलित नारी चिंतन—डॉ० ब्रजबिहारी पाण्डेय	80
रामचरितमानस में सत्संग महिमा—कुमार चंदन	88

## राजनीति विज्ञान

भारत के प्राचीनकालीन विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था: एक समीक्षात्मक अध्ययन—डॉ० मुन्ना कुमार राम	90
भारत में आरक्षण नीति एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण—डॉ० राजीव नयन	94
वैश्वीकरण तथा उदारीकरण का महिलाओं पर प्रभाव—संजय कुमार चौधरी	97

## मनोविज्ञान

सामान्य किशोरों तथा किशोर अपराधियों में नैतिक मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन—डॉ० मनीषा बासल	101
जनजातीय महिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी अज्ञानताएँ—डॉ० अनीता अरोड़ा	103
बच्चों की 'जिज्ञासा' के कुछ मनो-सामाजिक संघटक—डॉ० भारती राय	106

## संस्कृत साहित्य

लोपः शाकल्यस्य (पा. 8.3.19)—डॉ० जयप्रकाश साहु	110
वैदिकवाङ्मये औषधिचिन्तनम्—डॉ० राणा प्रताप सिंह	113

## दृश्य कला

कलाओं में सृजनात्मक चिन्तन का अनुशीलन—डॉ० अजय कुमार जैतली	116
-----------------------------------------------------------	-----

## भूगोल

हरित क्रांति के कारण उत्पन्न समस्या—एक विश्लेषणात्मक अध्ययन—जफ़ीर अहमद अंसारी	120
-------------------------------------------------------------------------------	-----

## अर्थशास्त्र

पर्यावरणः भारत के सन्दर्भ में एक विश्लेषण—डा० गोखुला प्रसाद सिंह	123
------------------------------------------------------------------	-----

## ललित कला

नवीन चित्रण शैली "काशी शैली"—गीता विश्वकर्मा	126
----------------------------------------------	-----

## गृह विज्ञान

संचार क्रांति के युग में गृहविज्ञान—डॉ० कुमारी पुष्पा	128
-------------------------------------------------------	-----

## History

Arbiters for Social Justice in India—Dr. Ritesh Kumar	130
Changing Role of Museums—Nazmeen A.H. Anam	132
A Discussion of Professor Lord Colin Renfrew's Lectures held on the Occasion of Archaeological Survey of India's 150th Anniversary Celebrations—Ajay Pratap	134
The Relevance of Gandhi's Educational Philosophy For the 21st Centaury—Ranvijay Kumar	139
East India Company and its Approach Towards Natives Cultural & Religious Beliefs—Dr. Birju Kumar Singh	144

<b>Political Science</b>	146
Reappraisal of Centre-State Relations—Ritesh Bhardwaj	147
<b>Psychology</b>	154
A Study of Attitude of Hindi School Students in Some Psycho-social Problems—Sandhya Kumari	154
Concept of Prejudice and Caste Prejudice—Sabita Kumari & Dr. Kamta Prasad Yadav	158
A Study of Working Pattern and Socio-economic Status of Female Workers” (with special reference to Sitamarhi District)—Jayati	161
Attitudes of Adolescents and Adults Towards Contemporary Issues—Dr. Shashi Kala Singh	164
Impact of Socio-psychological Factors on Religious Participation Among Hindu and Muslim Students—Kanchan Kumar	170
A Comparative Study on Depression of Male and Female Adolescents—Smritikana Mitra Ghosh	174
<b>English Literature</b>	
Indian Society in the Novels of Manohar Malgonkar—Dr. Ganga Sagar Prasad Singh	178
<b>Geography</b>	
Value of Forest : Tribals and Dwellers—Dr. Anamika Kumari	182
<b>Economics</b>	184
Entitle-Poverty, Vulnerability and Women Workers—Dr. Suresh Kumar	185
New System of Fertiliser Subsidy—Sandip kumar	190
A Study of FDI in Retail Market in Indian Economy—Dr. Gagandeo Pd. Yadava	196
Inequality and the Imperative for Inclusive Growth in Asia—Nishant Bhaskar and Raman Kumar Jha	205
<b>Philosophy</b>	210
The Lord Krishna: A Study of the Supreme Personality—Sumitra Kumari	210
<b>Home Science</b>	
Child Development: Theoretical and Conceptual Issues—Dr. Shobha Kumari	214

# बौद्धकालीन शिक्षण पद्धति का स्वरूप: एक विश्लेषण

कुमोद पासवान

प्राचीन काल से ही भारत में ज्ञानार्जन के विभिन्न पद्धतियाँ प्रचलित रही हैं। कलांतर में स्थान और काल की आवश्यकतानुसार शिक्षण पद्धति में नई तकनीकों का प्रयोग शुरू हुआ। यह उल्लेखनीय है कि ब्राह्मण-व्यवस्था के समानान्तर बौद्ध शिक्षा व्यवस्था का उदय हुआ और यह स्वभाविक ही था कि बौद्ध शिक्षा व्यवस्था भी उन लोकप्रिय शिक्षण पद्धतियों को अपनाये, जो ब्राह्मण शिक्षा व्यवस्था में कंठाग्रीकरण, वाद-विवाद, अन्तर्मुखी-चिन्तन और शंका समाधान विधि पहले से प्रचलित था। बौद्ध शिक्षा पद्धति में इन विधियों का समायोजन इस प्रकार किया गया था कि शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से ईश्वर भक्ति, गैर धार्मिकता, व्यक्तित्व का विकास नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार बुद्धयुगीन शिक्षा के द्वारा किया जा सके।

प्राचीनकाल से शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रही है। महावीर और गौतम बुद्ध ने भी शिक्षा का माध्यम क्रमशः प्राकृत और पालि को बनाया। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से बुद्धवचन को सक्काय निरूति अर्थात् मगधी भाषा में ग्रहण करने की अनुमति प्रदान किये थे। आधुनिक बुनियादी शिक्षा में महात्मा गाँधी ने भी शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा में शिक्षा देने की प्रेरणा दी। जिस प्रकार शिशु के शारीरिक विकास के लिए मातृभाषा का माध्यम सहज, सुबोध, बुद्धिगम्य और ग्राह्य होता है।<sup>1</sup> गौतम बुद्ध ने शिक्षा के प्रचार माध्यम में भाषा के महत्व को परखते हुए प्रचलित बोलचाल की भाषा मगधी को अपनाया। गुप्तकाल में जब संयुक्त भाषा की लोकप्रियता बढ़ी तो समानुकूल बौद्ध धर्मावलम्बियों ने संस्कृत भाषा को बौद्ध धर्म में प्रतिष्ठित किया। बुद्ध काल से लेकर सम्राट

कनिष्क के शासन काल तक मगध और कौसल प्रदेश की बोलचाल की भाषा पालि ही बौद्ध शिक्षा का माध्यम बनी रही।

स्रोतों से पता चलता है कि शिक्षालयों में मूल रूप से मौखिक शिक्षा देने की प्रचलन था परन्तु लिपि के आविष्कार होने पर शिक्षालयों में वर्णमाला के माध्यम से नवसिखुआ भिक्षुओं को शिक्षा दी जाने लगी। निश्चित रूप से लिपि के विकास ने शिक्षा पद्धति को प्रभावित किया होगा।

## मौखिक शिक्षा पद्धति

ब्राह्मण शिक्षा पद्धति की भाँति बौद्ध शिक्षण व्यवस्था में मौखिक शिक्षण पद्धति को महत्त्व दिया गया है। ब्राह्मण शिक्षा व्यवस्था में वेदों को सुनकर स्मरण रखने की परम्परा थी। जहाँ ब्राह्मण शिक्षा व्यवस्था में वेद, वेदांग शिक्षा, कल्प व्याकरण, निरूक्त आदि पाठ्य विषय थे वहीं शिक्षा व्यवस्था के प्रारम्भ में केवल बुद्ध वचन ही पाठ्य विषय थे। इन बुद्ध वचनों का संकलन और सम्पादन 'त्रिपिटक' के रूप में अशोक के काल तक लगभग पूरा हो चुका था। अशोक ने अपने शासनादेश सम्बंधी अभिलेखों में त्रिपिटक के कुछ ग्रंथों का आलेख किया है जो भाब्रु लेख में मिलता है।<sup>2</sup> कालांतर में अन्य बौद्ध ग्रंथ भी बौद्ध शिक्षा के लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्रियों में सम्मिलित हो गये। अभी भी ब्राह्मण धर्मानुयायियों के वेद की तरह त्रिपिटक भी अध्ययन और बौद्ध धर्म के प्रचार के दृष्टिकोण से सर्वोपरी थे। महावग्ग से ज्ञात होता है कि कोई भिक्षु जो पतिमोक्ख का नियम नहीं जानता था उसे नजदीक के भिक्षु से जानने की अनुशंसा थी। उसी तरह जो उपासक महत्वपूर्ण सुत्र जानना चाहता था वह जानकारी भिक्षु को आमंत्रित कर उसे सुनता था तथा याद करता था।<sup>3</sup> इससे प्रतीत होता है कि मौखिक शिक्षा का प्रचलन था। मौखिक शिक्षण पद्धति अनेक रूपों में प्रचलित थे। जिनमें कंठाग्रीकरण, प्रश्नोत्तर पद्धति, शंका समाधान, वाद-विवाद, व्याख्यान पद्धति आदि प्रमुख हैं।

## कंठाग्रीकरण पद्धति

कंठाग्रीकरण पद्धति के प्रमाण ब्राह्मण शिक्षा व्यवस्था में पहले से ही मिलते हैं। यह विधि कम उम्र के ब्रह्मचारियों में

शोधार्थी ( इतिहास ), बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

लोकप्रिय थी। ऋषि-मुनियों और आचार्यों ने वेदों को छन्दों सहित कंठस्थ करनेवाले विद्वान 'क्षेत्रिय' कहलाते थे।<sup>4</sup> बौद्ध शिक्षा पद्धति ने भी कंठाग्रीकरण पद्धति का अनुसरण किया और सदियों तक बौद्ध धर्मावलम्बियों ने प्रभावशाली ढंग से 'त्रिपिटक' को अपने जिह्वा पर जीवित रखा। बौद्ध स्रोतों से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम सिंहल शासक बहगामनी के शासनकाल में 'बुद्ध वचन' को लिपिबद्ध किया गया, तब तक कंठाग्रीकरण पद्धति ही शिक्षा के मूल पद्धति बने रहे। कंठाग्रीकरण का अभ्यास बौद्ध विहारों में विनयधर, सोत्रांतिक आदि किया करते थे। बौद्ध विहारों में आर्य चतुष्टय; अष्टांगिक मार्ग, दस कुशल, दस अकुशल कर्म आदि बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत का वाचन एवं स्मरण नियमित रूप से प्रब्रजित और उपसम्पन्न भिक्षु किया करते थे और पतिभोक्ख का पाठ पाक्षिक होता था। इसी कारण भिक्षुओं को लगभग ये सब कंठस्थ रहते थे। भिक्षुओं के अध्ययनशीलता तथा कंठाग्रीकरण के सम्बंध में मझिज्म पंचसूदनी में वर्णन मिलता है मझिज्म भाणक रेवात्थेर ने बीस वर्ष के पश्चात् भी बिना अशुद्धि के पूरा मझिज्मनिकाय मौखिक सुना दिया था।<sup>5</sup> पंचसूदनी के अनुसार ऐसे उपदेश रात भर होते थे जिसे श्रवक बड़े चाव से सुनते थे इसके लिए गाँवों एवं नगरों में संस्थागार होते थे।<sup>6</sup> बौद्ध भिक्षुओं ने पवित्र धर्माग्रन्थों की सुरक्षा बौद्ध शिक्षाओं से अपने को अनुशासित करने तथा अपने ज्ञान गरिमा की वृद्धि के लिए कंठाग्रीकरण की पद्धति को प्रमुखता से अपनाए रखा। जब तक लिपि की लोकप्रियता ने आंशिक रूप से अपदस्थ न कर दिया।

## प्रश्नोत्तर पद्धति

ब्राह्मण शिक्षा व्यवस्था तथा बौद्ध शिक्षा व्यवस्था दोनों में प्रश्नोत्तर पद्धति के प्रमाण उपलब्ध है। बौद्ध शिक्षा व्यवस्था में भिक्षु-भिक्षुणी, उपासक-उपासिका बुद्ध से प्रश्न करते थे तथा बुद्ध उनका उत्तर देकर उनको संतुष्ट करने का प्रयास करते थे। ऐसे अनेक प्रश्न एवं उत्तर जीवन एवं धर्म से सम्बंधित त्रिपिटक में उद्धृत हैं। उल्लेखनीय है कि धर्म साधकों ने त्रिपिटक एवं अन्य पवित्र ग्रंथों को सुरक्षित रखने के लिए प्रश्नोत्तर जैसे लोकप्रिय पद्धति का उपयोग किया। भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुशीलन से पता चलता है कि वेद, वेदांग, उपनिषद, महाभारत और गीता जैसे ग्रंथों में प्रश्नोत्तर के द्वारा अनेक गुढ़ प्रश्नों का समाधान किया गया है।

उपनिषद में प्रश्नोत्तर की लम्बी परम्परा दृष्टिगोचर होती है। खासकर प्रश्नोपनिषद में तो जीवन और जगत के सम्बन्ध में गुढ़ प्रश्नों की बाहुलता है। बौद्ध धर्मग्रन्थों में भी प्रश्नोत्तर विधि के साक्ष्य मिलते हैं बुद्ध के समय गुढ़ प्रश्नों को रखा जाता था और वे उसका उचित उत्तर देने का प्रयास करते थे। आलवक सूत्र में आलवक यज्ञ बुद्ध से प्रश्न करता है-मनुष्य ओध को कैसे तैरता है, संसार रूपी समुद्र कैसे पार करता है, वह दुख का अतिक्रमण कैसे करता है और वह परिशुद्ध कैसे होता है? बुद्ध उसका उत्तर देते हुए कहते हैं-श्रद्धा से ओध को तैरता है, संसाररूपी समुद्र को अप्रमाद पार करता है, वीर्य दुख का अतिक्रमण करता है, प्रज्ञा से परिशुद्ध होता है।<sup>7</sup> जातक में भी बुद्ध ने वर्तमान एवं अतीत से सम्बंधित जीवन

कथाओं का वर्णन प्रश्नोत्तर पद्धति से किया है। इन कथाओं के माध्यम से नैतिक शिक्षण को रोचक बनाकर बौद्ध धर्मावलम्बियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था।<sup>8</sup> थेर-थेरी गाथाओं में भी प्रश्नोत्तर पद्धति के संकेत मिलते हैं जिसमें अनेक थेर एवं थेरी के अतीत और वर्तमान जीवन से सम्बंधित कथाएँ हैं। रोहिणी और उसके पिता के संवाद बौद्ध संघ से सम्बंधित प्रश्नोत्तर रूप में है। रोहिणी से जब उसके पिता पूछते हैं कि श्रवण जन तुझे इतने प्रिय क्यों है? तो वह कहती है- वे श्रमणशील हैं श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, प्रिय हैं।<sup>9</sup>

इस तरह विभिन्न स्रोतों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रश्नोत्तर पद्धति के द्वारा विषय-वस्तु को समझने में सुविधा होती थी इसलिए बौद्ध शिक्षा का माध्यम, इस विधि को भी बनाया गया इसके माध्यम से त्रिपिटक से लेकर परवर्ती बौद्ध साहित्य को सुरक्षित रखा गया।

## वाद-विवाद पद्धति

इस पद्धति को शास्त्रार्थ पद्धति भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में ब्राह्मण शिक्षा पद्धति की तरह वाद-विवाद विधि काफी लोकप्रिय थी। इसके तर्कशैली को महत्व दिया जाता था। बुद्ध का अधिकांश समय शास्त्रार्थ में बीता था। उन्होंने अलारकलाम पुरणकस्सप, मक्खलिगोसाल, निगण्ठनाथ आदि अनेक आचार्यों से वाद-विवाद किया था जिसका उल्लेख सुत्तनिपात में है।<sup>10</sup> वाद-विवाद के क्रम में दुसरे सम्प्रदाय के विचारों की बड़ी तीव्रता के साथ खण्डन कर अपने विचारों की उच्चता स्थापित कर अपने अनुयायियों की संख्या में वृद्धि करते थे। हलाँकि बुद्ध ने अनुयायियों

को इस प्रकार के व्यर्थ विखण्डावाद के व्यूह में फँसने का निरोध करते हुए चेतावनी दी है। बुद्ध की शास्त्रार्थ को सत्य की तलाश का माध्यम मानते थे न कि आपसी कटूता या कलह का।<sup>11</sup>

वाद-विवाद की शिक्षा-शिक्षालयों में विद्यार्थी के वक्तृत्व-शक्ति के विकास के लिए दी जाती थी। धार्मिक वाद-विवादों के लिए बौद्ध साहित्य में 'संस्थागार' 'कुटागार शाला' का उल्लेख है। वाद-विवाद पद्धति पर मैत्रेय द्वारा रचित सप्तदश भूमिशास्त्र योगाचार्य से इस पर काफी प्रकाश पड़ता है जिसका 44 ई. में चीनी भाषा में अनुवाद हुआ जो पंद्रह खण्डों में विभक्त है।<sup>12</sup> इस शास्त्रार्थ पद्धति के द्वारा धर्म का प्रचार तो होता ही था साथ ही वाद-विवाद भिक्षु-भिक्षुणियों में सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति का भी विकास होता था। सत्य का अन्वेषण वस्तुतः बौद्ध धर्म का मूलाधार है।

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषणोपरांत ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ काल से आलोच्य काल तक वाद विवाद पद्धति बौद्ध शिक्षण व्यवस्था का मूलाधार था। क्योंकि शास्त्रार्थ के द्वारा न केवल पाठ्य विषय को प्रस्तुत करने की सुविधा थी बल्कि विषय का खुलासा भी होता था और भिक्षु-भिक्षुणियों को सम्बंधित विषय में आत्मविश्वास भी पैदा होता था।

### शंका समाधान पद्धति

धर्मयात्रा के क्रम में गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों द्वारा प्रस्तुत शंकाओं का समाधान करते हुए जीवन और जगत के सम्बंध में अनेक उपयोगी तथ्यों का सोदाहरण समाधान किया जिससे भिक्षु-भिक्षुणियों का काफी ज्ञानाजन हुआ। शंका समाधान के माध्यम से नीवन

तथ्यों की जानकारी होती थी। शिक्षण के क्षेत्र में शंका समाधान सत्यानुवेषी प्रवृत्ति का पुष्टपोषक रहा है। सुत्तनिपात में गौतम के शिष्यों द्वारा अनेक शंकायें प्रस्तुत की गई हैं और उन्होंने इसका बड़ी ही शालीनतापूर्वक समाधान किया है। समियसुत्त<sup>13</sup> में शंका समाधान किया गया है। सुत्तपिटक के दीर्घ, मज्झिम और अंगुतर निकाय में महापदान सुत्त जो बुद्ध और आनन्द के मध्य, नाम, रूप, वेदना, संज्ञा और संस्कार के सम्बंध में शंका और समाधान के माध्यम से बौद्ध दर्शन के गहन सिद्धांतों का अन्वेषण है।<sup>14</sup> सेलसुत्त<sup>15</sup>, राहुलोवाद सुत्त<sup>16</sup> सदृश अनेक सुत्तों में बुद्ध के शिष्यों अतिरिक्त उपासक-उपासिकाओं द्वारा भी शंकाएँ उपस्थित की गई हैं और उनका बुद्ध ने समाधान किया है। वस्तुतः शंका समाधान पद्धति प्रश्नोत्तर पद्धति ही है अन्तर सिर्फ इतना है कि इसमें नये चीजों को उपस्थित किया गया है।

### परीक्षा पद्धति

ब्राह्मण शिक्षा व्यवस्था की भाँति बौद्ध शिक्षा व्यवस्था में भी परीक्षा पद्धति थी परन्तु परीक्षा आज की तरह लिखित नहीं होती थी। प्रव्रजित भिक्षु की अनेक तरह से परीक्षा ली जाती थी। उसके आचार व्यवहार की परख विनयपिटक में उल्लिखित नियमों के आधार पर होती थी। अतः परीक्षा पद्धति मुख्य रूप से मौखिक ही होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था थी जो काफी कठिन था। प्रतियोगियों में दस में से मात्र दो या तीन छात्र ही नामांकन योग्य समझे जाते थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध भिक्षु-भिक्षुणी का जीवन प्रव्रज्या से

उपसम्पदा तक एक लम्बी परीक्षा की अवधि थी। भिक्षु-भिक्षुणियों के बौद्धिक विकास तथा चारित्रिक उपलब्धि की परीक्षा होती होगी। बहुत से विषयों में ब्राह्मण शिक्षा व्यवस्था की तरह प्रायोगिक परीक्षा भी ली जाती थी। विनय पिटक में उल्लेख है कि जीवक कुमार भृत्य औषधि विज्ञान, बाल्य चिकित्सा और रोग निदान के छात्र थे। आचार्य ने उन्हें ऐसे पौधे को ढूँढ लाने का आदेश दिया जो औषधि की दृष्टि से अनुपयोगी हो।<sup>18</sup> इस तरह परीक्षा पद्धति के द्वारा शिष्यों के मानसिक स्तर और बौद्धिक ज्ञान की परीक्षा ली जाती थी और उसे संघ व्यवस्था में उचित स्थान दिया जाता था।

### वरीय शिष्यों द्वारा कनीय शिष्यों को शिक्षण दिये जाने की पद्धति

बौद्ध शिक्षा व्यवस्था में वरीय प्रतिभाशाली भिक्षु द्वारा कनीय भिक्षु को शिक्षा देने की भी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के तहत वरीय भिक्षु आचार्य या उपाध्याय की अनुपस्थिति में या उनके आदेश से कनीय भिक्षुओं को कक्षाओं में अध्यापन कार्य सम्पादित करते थे। इस व्यवस्था से वरीय भिक्षुओं को समझदारी एवं प्रतिभा विकसित होती थी और साथ ही शास्त्रार्थ के लिए उनमें आत्मविश्वास तथा वक्तृत्व शक्ति का विकास भी होता था। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा व्यवस्था में वरीय शिक्षार्थियों को विषयगत वेदुष्य का प्रशिक्षण इसी पद्धति से सहज भाव से दिया जाता था।<sup>19</sup>

वरीय छात्र द्वारा कनीय छात्र को पढ़ाने की प्रथा का उल्लेख ब्राह्मण एवं बौद्ध दोनों शिक्षण पद्धतियों में मिलते हैं। यह व्यवस्था भावी शिक्षक तैयार

करने का समुचित प्रयास था। शिक्षा के दृष्टिकोण से इसका काफी महत्व था। इस तरह की व्यवस्था सभी विहारों एवं महाविहारों में रही होगी और इससे अनुशासनिक व्यवस्था में भी सहयोग मिलता था। अनेक विधि-विधानों एवं परम्पराओं के निर्माण के पीछे नैतिक जीवन का उत्थान और बौद्धिक ज्ञान का अभिवर्द्धन था।

इस प्रकार हम पाते हैं कि बुद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण के माध्यम के रूप में बुद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण के माध्यम के रूप में अनेक पद्धतियों को अपनाया गया जिसमें मौखिक शिक्षण पद्धति, कंठाग्रीकरण पद्धति, प्रश्नोत्तर पद्धति, वाद-विवाद

पद्धति, शंका समाधान पद्धति, परीक्षा पद्धति और परीय छात्रों द्वारा कनीय छात्रों को शिक्षा देने की पद्धति प्रमुख है। इसके अलावे बौद्ध शिक्षण को सुगम एवं प्रभावी बनाने के लिए पालि के स्थान पर संस्कृत को महत्व दिया गया। बौद्ध शिक्षा व्यवस्था के शिक्षण पद्धति की इन विशेषताओं ने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

### संदर्भ सूची

- 1) कपाडिया; एच०आर०; जैव सिस्टम ऑफ एजुकेशन पृ० 227
- 2) भाब्रु शिलालेख
- 3) महावग्ग II-17.5.6
- 4) पाणिनी-अष्टाध्यायी-5.2.84

- 5) पंचसूदनी, भाग-2-पृ०-91
- 6) पंचसूदनी, भाग-2, पृ० 294
- 7) सुत्तनिपात, आलवक सुत्त- पृ. 3-4
- 8) जातकट्ट कथा-भाग-1 पृ०-1
- 9) थोरी गाथाएँ, गाथा-67 पृ० संख्या-272-275
- 10) सुत्तनिपात, समियसुत्त-32
- 11) वही, सारिपुत्रसुत्त-32
- 12) वाटर्स, युआनच्चांग जिल्द-1 पृ० 355-56
- 13) सुत्तनिपात, समियसुत्त-513-517
- 14) महापदान सुत्त, दीर्घनिकाय
- 15) मज्झिम निकाय-2.5.3
- 16) वही 2.1.2, राहुलोवाद सुत्त -पंच धातुओं के सम्बंध में राहुल और बुद्ध के बीच शंका समाधान।
- 17) वाटर्स- हवेन्सांग 11-पृ. 165
- 18) विनयपिटक पृ.-266-74
- 19) रीज डेविड्स; बुद्धिस्ट-पृ. 199



# 1934 का भूकम्प, चम्पारण और राजनीतिक सरोकार

गौरव कुमार

बिहार के इतिहास में 1934 का भूकम्प एक बड़े ही त्रासद अध्याय का सृजन करता है। 15 जनवरी को अपराह्न 2 बज कर 15 मिनट पर आये इस भूकम्प<sup>1</sup> ने 30 हजार वर्ग किलोमीटर भूमि को उजाड़ बना दिया जान माल की भारी क्षति हुई इस समय थोड़ी मानवता का परिचय देते हुए सरकार ने श्री राजेन्द्र प्रसाद को जेल से मुक्त कर दिया एवम् उन्होने 17 जनवरी को अन्य सहयोगियों से मिलकर एक अनाधिकार 'बिहार सेन्ट्रल रिलिफ कमेटी' की स्थापना की तथा बिहार में भूकम्पजन्य परिस्थितियों की सूचना महात्मा गाँधी को 21 जनवरी को तार से दी<sup>2</sup>।

महात्मा गाँधी 11 मार्च की शाम पटना पहुँचे। बिहार में भूकम्प से आयी त्रासदी एवम् अनाधिकारिक राहत कार्य का जायजा लेते हुए 14 मार्च को मोतिहारी पहुँचे। उनकी इस यात्रा से चम्पारण की संतप्त जनता में नव-उत्साह का संचार हुआ। जनता को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में एक 'सेन्ट्रल रिलिफ फंड' की स्थापना की गई।

उल्लेखनीय होगा की 'इलाहाबाद अर्थ क्वेक रिलिफ कमेटी' के आग्रह पर इसके पूर्व 12 फरवरी को ही पंडित जवाहर लाल नेहरू चम्पारण आ चूके थे।<sup>4</sup> देश भर में बड़ी संख्या में कांग्रेसी स्वयं सेवक जिनमें कुछ प्रमुख नेता भी शामिल थे चम्पारण पहुँच चुके थे। 'बिहार सेन्ट्रल रिलिफ कमेटी' का 'सेन्ट्रल रिलिफ कमेटी' के रूप में पूर्णगठन किया गया जिसके साथ अनुसंगी संगठनों के रूप में कई राहत संस्थाएँ जुट गईं। 'सेन्ट्रल रिलिफ कमेटी' की शाखाएँ प्रायः सभी भूकम्प ग्रस्त जिलों में खोली गई।

गाँधी जी के साथ सुश्री म्यूरियेल लेस्टर, सुश्री हाँग, मीरा बहन, श्री राजेन्द्र प्रसाद तथा श्री कृष्ण वल्लभ सहाय भी

बरास्ता लालगंज हाजीपुर एवं केसरिया रात्रि के आठ बजे मोतिहारी पहुँचे।<sup>6</sup> 15 मार्च के प्रातः काल गाँधी जी ने श्री विपिन बिहारी सिन्हा तथा पंडित प्रजापति मिश्र के साथ सदल-बल सदर मोतिहारी तथा ढाका थाना क्षेत्रों की स्थिति का मुआयना किया। 'बिहार सेन्ट्रल रिलिफ कमेटी' की पकड़ीदयाल तथा फेनहरा का निरीक्षण किया। दोपहर में उन्होंने मोतिहारी में घूम कर भूकम्प से आयी तबाही देखी<sup>7</sup>।

इस अवसर पर गाँधी जी ने जिलेवासियों को संदेश दिया था कि यह अवसर बाते करने का नहीं तथा फिर भी वे दो बातें कहना चाहते थे। पहली बात यह थी कि 'रिलिफ कमेटी' के पास पैसा था एवम् उसे या तो भिखारी ले जाते अथवा मेहनतकश मजदूर। गाँधी जी चाहते थे कि चम्पारण की जनता भिखारी नहीं बने। वह राहते कार्यों में श्रम करें और रिलिफ कमेटी से पारिश्रमिक लें। दूसरी बात उन्होंने कही की अब वह समय आ गया है, जब अस्पृश्यता का भाव छोड़ कर राहत कार्यों में सभी जातियों के लोग एक जुट होकर कार्य करें।<sup>8</sup>

सांध्य प्रार्थना के पश्चात् गाँधी जी ने विभिन्न राहत संगठनों के प्रतिनिधियों से, जिनमें सरकारी पदाधिकारी भी शामिल थे, राहत कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं से आग्रह किया कि वे राहत-कार्यों में सरकारी संस्थाओं के साथ सहयोग करें। अगली सुबह गाँधी जी अपने सहयोगियों समेत मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गये।<sup>9</sup>

चम्पारण की जनता ने पंडित जवाहर लाल नेहरू को अपने बीच एक स्वयं सेवक के रूप में देखा उनकी प्रेरणा से सुगौली कांग्रेस कमेटी ने भूकम्प राहत का कार्य अपने हाथों में लिया। पंडित राजा जी झा इस राहत समिति के अध्यक्ष बनाये गये।<sup>10</sup> इस समिति ने राहत कार्यों में अपूर्व संलग्नता दर्शायी। इस समिति से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण लोग थे- पंडित सुखम मिश्र, पंडित नीलकण्ठ झा, पंडित गोकुल ठाकुर एवम् पंडित रामजी झा इत्यादि। इस समिति ने प्रभावित जनता के बीच वस्त्र, अन्न तथा पैसों का वितरण किया।

इन सब का परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस संगठन अब अपने कार्यों के द्वारा जनता के निकट आया एवम् बड़ी संख्या

शोध छात्र बी.आर.ए.बी.यू. मुजफ्फरपुर, बिहार

में आम जनता कांग्रेस से जुड़ी। चम्पारण में एक लोक गीत बड़ा प्रचलित हुआ, जिसका मुखड़ा था-

गाँधी बाबा जोगिया,  
जवाहर बैरगिया,  
राजेन्द्र बाबू ना,  
भईले साधू रे फकीरवा।

‘बिहार सेन्ट्रल रिलिफ कमेटी’ के चम्पारण में 41 केन्द्र थे, जिनमें से 34 मोतिहारी तथा 07 बेतिया अनुमंडल में थे।<sup>11</sup> जिले के 20 थानों में 13 को भुकम्पग्रस्त घोषित किया गया था। पंडित प्रजापति मिश्र चम्पारण में राहत कार्यों का संचालन कर रहे थे। सभी 41 केन्द्रों पर स्थानीय कार्यकर्ता राहत कार्यों का संचालन करते थे। कुछ स्वयं सेवक गुजरात, बम्बई, मद्रास एवं अन्य प्रान्तों से भी आये थे।<sup>12</sup> कार्यकर्ताओं में अधिसंख्यक कांग्रेस से थे। राहत कार्यों पर इस रिलिफ कमेटी ने चम्पारण में कोई दो लाख रुपये व्यय किये।

मोतिहारी की हिन्दु सभा ने मई 1934 के मध्य से सामान्य राहत कार्य से अपने को खींच लिया तथा अब वह भुकम्प में क्षतिग्रस्त हुए हिन्दु धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण कराने लगी।<sup>13</sup> इसी बीच श्री विपिन बिहारी वर्मा ने मित्रों के दबाव के आगे उत्तरी तिरहुत के गैर मुस्लिम सीट से चुनाव लड़ना स्वीकार कर लिया। वे लंदन से बार एट लाँ थे, उन्हें संसदीय पद्धति का ज्ञान था। वे एक बार बेतिया नगर पालिका तथा छः बार चम्पारण जिला परिषद् के अध्यक्ष रह चुके थे एवं 1922 से ही अखिल

भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। उनकी उम्मीदवारी का सर्म्थन मुजफ्फरपुर के कांग्रेस जनो ने भी किया।<sup>14</sup>

वायसराय के राहत-कोश से भुकम्प में क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए रूपया 05 से रु. 20 की सहायता राशि स्थानीय पटवारियों एवम् तहसीलदारों का सिफारिश पर दी जा रही थी। किन्तु इसमें पटवारियों एवं तहसीलदारों द्वारा पक्षपात किये जाने की बात सामने आयी थी।<sup>15</sup>

हिन्दु सभा, मोतिहारी ने महासभा के सहयोग से कोई पचास भुकम्प पीड़ित परिवारों को बंगाल प्रान्त से पुर्नवासित कराया। हिन्दु सभा हिन्दु युवकों को सिलाई सहित कई अन्य सिल्कों का प्रशिक्षण अपने खर्च पर दिलाया।

मरवाड़ी रिलिफ सोसाईटी ने 23 जनवरी 1934 को चम्पारण में राहत कार्य प्रारम्भ किया। इस संगठन में पंडित परमानन्द पाण्डेय के निर्देशन में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिलवाया। इस समिति ने दलितों के लिए एक अध्ययन की बस्ती ‘हरिजनपुरी’ का मोतिहारी में निर्माण किया जिसका उद्घाटन सेठ जमना लाल बजाज ने एक भव्य समारोह में 11 जुलाई 1934 को प्रातः 08:00 बजे किया।<sup>16</sup> हरिजन पाठशाला भी खोली गई।<sup>17</sup>

इस अवसर पर प्रसन्नचित्त श्री राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि महात्मा जी के शिक्षाओं के फलस्वरूप प्रेम से अस्पृश्यता निवारण का यह प्रयास विह्वलकारी एवं प्रेरणादायक है।<sup>18</sup>

यह आलेख इतना तो अवश्य स्पष्ट करता है कि चम्पारण में 1934 के भुकम्प के बहाने से राष्ट्रीय चेतना का विकास और तेजी से हुआ। इस प्रकार राष्ट्रीय नवनिर्माण में चम्पारण ने और प्रकारांतर से बिहार ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।

## संदर्भ

1. दत्ता, के. के., गाँधी जी इन बिहार पृष्ठ 135
2. वहीं, पृष्ठ 136
3. वहीं, पृष्ठ 136
4. नेहरू, जवाहर लाल, आँटोवायेग्राफी, पृष्ठ संख्या 487
5. चौधरी, पी. सी. राय, चम्पारण बिहार डिस्ट्रीक गजेटीयर, पृष्ठ 94
6. प्रसाद, राजेन्द्र, डिबास्टेड बिहार, द प्रॉब्लम ऑफ रिकन्स्ट्रक्सन
7. दत्ता, के. के. गाँधी जी इन बिहार, पृष्ठ 141
8. वहीं
9. तेन्दुलकर, डी. जी., गाँधी इन चम्पारण, पृष्ठ 112
10. दत्ता, के. के. गाँधी जी इन बिहार, पृष्ठ 142
11. झा, आर. सी. स्वाधीनता समर में सूगौली, पृष्ठ 52-53
12. वहीं
13. वहीं
14. द इण्डियन नेशन 31 मई 1934
15. वहीं
16. द इण्डियन नेशन, 03 जून 1934
17. द इण्डियन नेशन, 15 जून 1934
18. द इण्डियन नेशन, 15 जुलाई 1934



## राष्ट्र के मुख्यधारा में अल्पसंख्यकों की सहभागिता एवं ऐतिहासिक विकास

तरनुम परवीन

### परिचय

नेशनल माइनोंरिटी शब्द की उत्पत्ति यूरोप से मानी गई है। भारत में अल्पसंख्यक शब्द के इतिहास पर नजर डालें तो व्यवस्था अंग्रेजी शासनकाल से चली आ रही है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात् अंग्रेजों ने विधिवत अल्पसंख्यकों की कल्पना को जन्म देना प्रारम्भ किया था। हमारे संविधान में आजादी और न्याय के मूल्यों, कानून के सामने सभी नागरिकों को एक समान मानने तथा अल्पसंख्यकों और दलितों के अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान बनाने और चलाने का अधिकार दिया गया है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय देश की आबादी का लगभग 18.42 प्रतिशत हैं। हालांकि अल्पसंख्यक देश की आबादी का लगभग 5वां हिस्सा है। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक काफी पिछड़े हुए हैं। अल्पसंख्यक से सम्बन्धित मामलों पर केन्द्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने और अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए समग्र नीति तैयार करने, योजना समन्वय, नियमित ढाँचे और विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन और समीक्षा करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की 29 जनवरी 2006 को स्थापना की गई। यह मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदाय को राष्ट्र निर्माण कार्यक्रमों में सहयोगी बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम चला रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाना है।

शोधार्थी इतिहास विभाग, जय प्रकाश वि. वि., छपरा

### उद्देश्य

प्रस्तुत शोध-पत्र का प्रमुख उद्देश्य यह है कि किस प्रकार सामाजिक विकास में अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा में लाया जाए तथा उनके सभी समस्याओं को दूर किस प्रकार किया जाय। साथ ही यह भी प्रकाश डाला गया है कि इनके विकास में सरकारी एवं गैर सरकारी-तौर पर क्या-क्या प्रयास किए गए हैं। दूसरी ओर यह भी बताया गया है कि इनके विकास से सामाजिक विकास से महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

### विश्लेषण

अल्पसंख्यक किसे कहा जाए? इसके लिए कोई मान्य कसौटी अथवा परिभाषा नहीं है। इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज, मेकमिलन एण्ड फ्री प्रेस में प्रकाशित माइनोंरिटी की परिभाषा कहा गया है “अल्पसंख्यक वह समूह है, जो उसी समाज में रहने वाले दूसरे समूह से प्रजाति, राष्ट्रीयता, धर्म और भाषा की दृष्टि से भिन्न है तथा दोनों समूह परस्पर एक-दूसरे को नकारात्मक दृष्टि रखते हुए अलग समझते हैं। इसके अतिरिक्त सत्ता की दृष्टि से दोनों की स्थितियाँ अलग-अलग हैं और वह समूह जो दूसरे के अधीन है, उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है।”

नेशनल माइनोंरिटी शब्द की उत्पत्ति यूरोप में मानी गई है। भारत में अल्पसंख्यक शब्द के इतिहास पर नजर डालें तो यह व्यवस्था अंग्रेजी शासनकाल से चली आ रही है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात् अंग्रेजों ने विधिवत् अल्पसंख्यकों की कल्पना को जन्म देना प्रारम्भ किया था। नस्ल और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों में ईसाइयत का प्रचार कर अंग्रेजों ने अपने राज्य के प्रति सहानुभूति और निष्ठा की योजना बनाई, तो दूसरी ओर भारतीयों को धर्म के नाम पर विभक्त करने का प्रयत्न किया।

हमारे संविधान में आजादी और न्याय के मूल्यों, कानून के सामने सभी नागरिकों को एक समान मानने तथा अल्पसंख्यकों और दलितों के अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान बनाने और चलाने का अधिकार दिया

गया है। लेकिन अनुच्छेद 29(2) में सरकार की सहायता से चलने वाले किसी भी संस्थान में किसी भी नागरिक से जाति, धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय देश की आबादी का लगभग 18.42 प्रतिशत है। हालांकि अल्पसंख्यक देश की आबादी का लगभग 5वाँ हिस्सा है। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक काफी पिछड़े हुए हैं। भारत में कुछ अल्पसंख्यक समुदायों ने अन्य समुदायों की तुलना में अधिक प्रगति भी की है। उदाहरण के लिए जैन और सिख समुदाय ने सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अच्छी-खासी उन्नति की है। परन्तु अन्य अल्पसंख्यकों के समुदायों, खासकर देश के कुछ हिस्सों के मुस्लिम समुदाय को विकास के लाभ पूरे नहीं मिल सके हैं। इस बात की पुष्टि मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर अध्ययन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति (सच्चर समिति) ने भी की है।

अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित मामलों पर केन्द्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने और अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए समग्र नीति तैयार करने, योजना, समन्वय, निगमित ढाँचे एवं विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन और समीक्षा करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 29 जनवरी 2006 को स्थापना की गई थी। यह मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदाय को राष्ट्र-निर्माण कार्यक्रमों में सहयोगी बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम चला रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाना है।

## राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए वर्ष 1978 में एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। इसका उद्देश्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में दिए गए संरक्षण उपायों पर ध्यान देना और उनके कारगर ढंग से पालन के लिए सिफारिश करना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अधिनियम से एक संवैधानिक निकाय बन गया और इसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नाम से पुनर्निर्माण किया गया है। तथा 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना एक स्थायी इकाई के रूप में की गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक सदस्य कार्य भार ग्रहण करने की तारीख को 3 वर्ष की अवधि के लिए सदस्य होगा। 23 अक्टूबर 1993 की अधिसूचना के अनुसार और इस अधिनियम 1992 की धारा 2(ग) के अन्तर्गत पाँच धार्मिक समुदायों अर्थात् मुसलमानों, इसाइयों, सिखों, बौद्धों तथा पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप से लागू करने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

आयोग के अधिनियम के अनुच्छेद 9 के अन्तर्गत उल्लिखित कुछ मामलों में दस्तावेजों की माँग करने और अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए दवाब डालने जैसे दीवानी न्यायालय के कुछ सीमित अधिकार हैं। इस आयोग के अन्य कार्यों में शामिल हैं :-

- केन्द्र और राज्यों के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति की समीक्षा करना।
- संसद और विधान सभाओं द्वारा लागू कानूनों में और संविधान

द्वारा प्रदत्त सुरक्षा निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी करना।

- अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सिफारिश करना।
- विशेष शिकायतों और अधिकारों से वंचित किए जाने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे मामलों की जाँच पड़ताल करना।
- भेदभाव के कारण अल्पसंख्यकों को होने वाली समस्याओं और सामाजिक-आर्थिक स्थिति से जुड़े मामलों तथा इनके शैक्षणिक विकास की समस्याओं के लिए कारण पता करना एवं उनका अध्ययन करना।
- केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा किसी भी अल्पसंख्यक के संदर्भ में उचित उपाय और अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित विशेषकर उनके द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों के सम्बन्ध में किसी भी मामले पर केन्द्र सरकार को समय-समय पर अथवा विशेष रिपोर्ट देना।
- आयोग अल्पसंख्यकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक उपयोगी मंच उपलब्ध करता है।
- आयोग अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक उन्नति के अतिरिक्त उनमें यह आत्मविश्वास पैदा करने का भी कार्य कर रहा है कि वे इस देश का ही एक अंग हैं और राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया में वे भी महत्वपूर्ण भागीदार हैं।

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखण्ड, कर्नाटक,

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन किया है। मणिपुर और उत्तराखण्ड की सरकारों ने असांविधिक आयोग का गठन किया है। मंत्रालय द्वारा शेष राज्य सरकारों को ऐसे आयोगों का गठन करने का अनुरोध भी किया है।

### **केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली**

इस्लाम को मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा मुस्लिम कानून में पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ माने गए किसी प्रयोजन के लिए किसी चल या अचल सम्पत्ति का स्थायी रूप से किया गया समर्पण वक्फ है। वक्फ अधिनियम 1955 को 1 जनवरी 1996 को अधिनियमित किया गया था। इसे जम्मू-कश्मीर के अलावे पूरे देश के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया था। केन्द्रीय वक्फ परिषद् एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 08 के अधीन दिसम्बर 1964 में हुई थी। अल्पसंख्यक समुदाय को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के अलावा विशेषकर मुद्दे जो धार्मिक मामलों तथा मस्जिदों, दरगाहों प्रशासन और सम्पत्तियों के उचित प्रबंधन से सम्बन्धित है। केन्द्रीय वक्फ परिषद् और उसकी समितियाँ उन पर विचार करती है। केन्द्रीय वक्फ परिषद् द्वारा चलाई जाने वाली स्कीमें इस प्रकार है।

1. शहरी वक्फ सम्पत्तियों के विकास सम्बन्धी स्कीम
2. वक्फ सम्पत्तियों के विकास के लिए परिक्रमी निधि से ऋण
3. शैक्षिक विकास कार्यक्रम
4. सहयोगी कार्यक्रम आदि।

### **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम**

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना, अधिसूचित अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों में आर्थिक गतिविधियों के संवर्धन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 30 सितम्बर 1994 में की गई थी। यह निगम दोगुनी गरीबी रेखा के नीचे की पारिवारिक आय वाले अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बन्धित पात्र लाभग्राहियों को स्वरोजगार क्रियाकलापों के लिए रियायती वित्त प्रदान करता है। अल्पसंख्यक मामले से सम्बन्धित मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान अल्पसंख्यकों के लिए अनेक योजनाएं बनाई है। जैसे-मैट्रिक पूर्व तथा उपरांत छात्रवृत्ति योजना, बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और अल्पसंख्यक विकास निगम के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कार्यक्रमों में संलग्न स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज को अनुदान सहायता के रूप में देने का प्रावधान किया है। 10 करोड़ रूपय की अनुदान सहायता राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के ढाँचा, श्रम-शक्ति और संसाधनों को मजबूत बनाने वाले कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाली स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज को दी जाएगी।

### **मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान**

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाओं को तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विशेष तौर पर शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लाभ यथा सामान्य रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक स्कीमों और योजनाओं को तैयार करने और योजनाओं

उन्हें लागू करना। बालिकाओं को विशेष रूप से आधुनिक शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से उनके लिए आवासी स्कूलों की स्थापना करना तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना और शैक्षिक तौर पर पिछड़े अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए अन्य प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षा और आर्थिक विकास में अत्यंत पिछड़े है। इन समुदायों से सम्बन्धित अधिकांश छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल, आई.ए.एस., बी.पी.एस. में उचित कोचिंग और सम्बद्ध सहायता योजना के माध्यम से कोचिंग दिलाकर अल्पसंख्यक समुदाय की सहायता की जाती है। वर्ष 2007-08 के लिए 1.80 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक बहुल चुनिंदा जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत चिह्नित जिलों में विकास सम्बन्धी कमियों को दूर करने के लिए 120 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

### **प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम**

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम को मई 1983 में अपनाया गया था। 28 अगस्त 1985 को सभी मुख्यमंत्रियों को लिखे गए अपने पत्र में तात्कालिन प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी ने भी इन विन्दुओं का उल्लेख किया था। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा जून 2006 में की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार जैसे मुद्दों पर ध्यान देना और कुछ विशेष स्कीमों के लिए अलग से धन की व्यवस्था करना है। ये 15 सूत्र निम्न प्रकार है :-

- सम्बन्धित बाल स्कीम सेवाओं की समान रूप से उपलब्धता
- स्कूली शिक्षा सर्व सुलभ कराना
- उर्दू सिखाने के लिए और ज्यादा संसाधन जुटाना
- मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण
- अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली छात्रों एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति
- मौलाना आजाद फाउन्डेशन के माध्यम से शिक्षा-सम्बन्धी बुनियादी सुविधाओं में सुधार
- गरीबों के लिए स्वरोजगार और वैतनिक रोजगार
- तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल को बढ़ावा
- आर्थिक गतिविधियों के लिए और अधिक ऋण सहायता
- राज्य और केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती
- ग्रामीण आवासीय योजना में समान भागीदारी
- अल्पसंख्यक समुदाय की मलिन वस्तियों की हालत में सुधार

- साम्प्रदायिक घटनाओं की रोकथाम
- साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित लोगों का पुर्नवास

इस नए कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के लाभान्वित वर्गों तथा पद्धतियों तक पहुँचाना एवं सुनिश्चित करना है। इसमें यह भी प्रावधान है कि जहाँ तक सम्भव हो विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लक्ष्यों और परिव्ययों का 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

### **निष्कर्ष**

उपर्युक्त समस्त तथ्यों के अवलोकनोपरांत कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है। फिर भी कार्यक्रमों को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना अपेक्षित है कि ऐसे कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए जिनसे विकास की प्रक्रिया को कोई नुकसान पहुँचाए बिना तथा व्यक्तिगत उद्यम और श्रृजनशीलता के लिए प्रोत्साहन को कम किए बिना

सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम किया जा सके। इसके साथ ही लोगों की सोच बदलने की आवश्यकता है। इसके लिए हमारे समाज में व्याप्त सभी प्रकार के भेदभावों और अन्याय के खिलाफ एक व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। इस प्रकार उपर्युक्त कार्यक्रमों के माध्यम से अल्पसंख्यकों को न केवल मुख्यधारा में शामिल होने में सहायता मिलेगी बल्कि राष्ट्रीय विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी सुनिश्चित होगी।

### **संदर्भ ग्रंथ सूची**

1. भारतीय समाज की संरचना-एन.सी.ई. आर.टी.।
2. समकालीन भारतीय समाज-नदीम हसनैन।
3. इस्लाम और भारत-प्रो. इम्तियाज अहमद।
4. सामाजिक समस्याएँ-राम अहूजा।
5. जनसत्ता, राष्ट्रीय सहारा, नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान दैनिक।
6. कुरुक्षेत्र, योजना।
7. भारत-2008।
8. प्रतियोगिता दर्पण।
9. सच्चर आयोग की रिपोर्ट एवं रंगनाथन आयोग की रिपोर्ट।



# भारत छोड़ो आन्दोलन के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्ष का विश्लेषणात्मक अध्ययन

शेख नसीरुद्दीन

## सार

क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता और क्रिप्स का एकाएक भारत छोड़ जाना बड़े नाटकीय ढंग से हुआ। इससे भारतीयों को निराशा और हतोत्साह की लहर फैल गई। देश में निष्क्रियता आ गई। अतः महात्मा गाँधी ने जनता की निष्क्रियता की भावना को विद्रोह की भावना में बदल देना उचित समझा अन्यथा जनता ने दासतत्व की भावना फैल जाती और भारतीयों का अद्यःपतन होने लगता। इसलिए उन्होंने 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' का नारा दिया। गाँधी जी ब्रिटिश साम्राज्य का रक्तहीन अन्त कर नये युग की आकांक्षा करते थे। 9 जून 1942 को लुई फिशर से महात्मा गाँधी ने कहा था, भारत छोड़ने और नहीं छोड़ने के बीच दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार गाँधी जी ने 'भारत छोड़ो आन्दोलन' का शंखनाद किया।

प्रस्तुत शोध-पत्र के माध्यम से इस आन्दोलन के सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जायेगा। दूसरी ओर यह भी जानने का प्रयास किया जायेगा कि इस आन्दोलन के प्रमुख कारण क्या थे? एवं इस आन्दोलन के सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों पर क्या प्रभाव पड़े।

शोधार्थी, ( इतिहास विभाग ),  
वीर कुंअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।

## परिचय

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में 1942 ई. की अगस्त क्रांति एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस क्रांति ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव हिला दी और यह सिद्ध कर दिया कि स्वाधीनता के चमकीले प्रकाश के लिए भारतवासी मर-मिटने को तैयार है। संघर्ष अपरिहार्य इसलिए भी होता जा रहा था कि युद्ध के कारण बढ़ती कीमतों और जरूरी वस्तुओं के अभाव से जन-साधारण बेहद असंतोष की स्थिति से गुजर रही थी। सिंचाई की नहरों का कहीं जापानी जल-परिवहन के लिए इस्तेमाल न कर ले, यह सोच कर नहरों का पानी बहा दिया गया। जिससे खेती सूखने लगी। मकानों और मोटर-गाड़ियों पर भी सेना ने कब्जा कर लिया था। नतीजतन जनता को संघर्ष के लिए मजबूर होना पड़ा।

## उद्देश्य

प्रस्तुत शोध-पत्र का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित इस प्रकार है—

1. शोध-पत्र द्वारा यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि इस आन्दोलन हेतु सामाजिक-आर्थिक कारक किस प्रकार जिम्मेवार थे।
2. इस शोध-पत्र के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि किस प्रकार नेतृत्वविहीन जनता ने आन्दोलन को सफल बनाया।
3. इस आन्दोलन के पीछे विदेशों के पड़ने वाले प्रभावों की भी समीक्षा की गयी है।
4. द्वितीय विश्वयुद्ध के नाम पर सरकार देश में साम्राज्यवाद की स्थापना करना चाह रही थी। देश में भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी का बाजार गर्म था। इन सभी बिन्दुओं पर भी प्रकाश डाला गया है।
5. इस शोध-पत्र में यह खोजने का प्रयत्न किया गया है कि 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े आदि।

## विश्लेषण

क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्वयुद्ध से उत्पन्न गंभीर संकट को देखते हुए कांग्रेस ने अब फैसला किया कि अंग्रेजों से भारतीय स्वाधीनता की माँग मनवाने के लिए सक्रिय उपाय किए जाएं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी द्वारा 8 अगस्त 1942 को 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पारित किए जाने के साथ ही इसकी तैयारी पूरी हो गई। 8 अगस्त की रात में कांग्रेसी प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए गाँधी जी ने कहा "अगर हो सके तो तत्काल, इसी रात प्रभात से पहले स्वाधीनता चाहता हूँ .....मैं पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी चीज से सन्तुष्ट होने वाला नहीं हूँ। हम या तो भारत को स्वतंत्र करायेंगे या इस प्रयास में मारे जायेंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे।"

लेकिन 9 अगस्त को सुबह ही गाँधी जी और कार्यसमिति के अन्य सदस्यों को डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बंदी बना लिया गया और कांग्रेस को फिर एक बार गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। अपने गिरफ्तारी के समय गाँधी जी ने राष्ट्र के नाम एक संदेश प्रसारित कर लोगों से अपील की थी कि "लोग अपने को आजाद समझे, पूर्ण हड़ताल तथा अन्य अहिंसात्मक तरीकों से सरकारी प्रशासन को ठप कर दे तथा मर कर भी राष्ट्र को जिंदा रखें।" 1942 की इस अनूठी जनक्रांति के लिए उत्तरदायी शक्तियाँ 1934 के बाद के घटना क्रम में देखी जा सकती हैं। 1935 में ब्रिटिश सांसद ने संघवाद एवं स्वायत्तता के सिद्धान्त पर आधारित कानून पारित किया। वायसराय

लिनलिथगो के अनुसार इसके तीन मुख्य उद्देश्य थे—

1. भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व को बनाये रखना।
2. उदारपंथियों को संतुष्ट करना।
3. कांग्रेस के अन्दर मतभेद एवं कलह पैदा करना।

इसका प्रभाव 1937 के चुनाव में दिखायी दिया। जब चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाने एवं न बनाने के प्रश्न पर कांग्रेस के वामपंथ एवं दक्षिण पंथ आमने-सामने आ गये। प्रान्तीय गवर्नरों को अत्यधिक शक्तियों से सुशोभित करना, केन्द्र में द्वैध शासन लागू करना, साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति को कायम रखना, दोषपूर्ण संघ व्यवस्था एवं मूल अधिकारों का अभाव आदि इस अधिनियम के प्रमुख दोष थे। जिन्होंने भारतीय जन-मानस को उद्वेलित कर दिया।

1940 के मध्य युद्ध में इंग्लैंड की स्थिति संकटापन्न हो गयी। परन्तु गाँधी जी व कांग्रेस हाईकमान ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष परेशानियाँ पैदा न करके कोई समझौता करने का प्रयास किया, जिसकी न्यूनतम दो शर्तें थी—

1. युद्ध के पश्चात् भारत को स्वतंत्र करने का वचन।
2. तात्कालिक तौर पर केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना।

कांग्रेस के इतना झुक जाने के बावजूद चर्चिल की सरकार टस से मस नहीं हुई। सरकार छोटी-मोटी रियायतें देने के लिए तैयार थी, परन्तु शासन की स्वाधीन सत्ता भारतीयों को सौंपने के लिए तैयार नहीं थी। भारतीय जनमानस में असंतोष की लहर फैल गयी। इसके बावजूद गाँधी जी सरकार से समझौता के पक्षधर

थे, क्योंकि गाँधी जी का कहना था कि "मैं ब्रिटेन की बर्बादी पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहता हूँ।" परन्तु सरकार अपनी शर्तों पर समझौता चाहती थी जो लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 के रूप में सामने आयी। अगस्त प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य नहीं था, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज का वचन नहीं था, तथा बहुसंख्यकों के हितों को अल्पसंख्यकों के इच्छा पर छोड़ दिया गया था। फलतः इसे अस्वीकार कर दिया गया एवं सरकार पर दबाव बनाने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह का मार्ग अपनाया गया जिसके दो मुख्य उद्देश्य थे—

1. भारतीय जनता की उग्र राजनीतिक चेतना को व्यक्त करना।
2. भारतीयों की मांग मानने के लिए सरकार को एक और अवसर देना।

मार्च 1942 में संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, जो 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुँचा। मिशन योजना एक मजबूरी थी, जबकि प्रधानमंत्री चर्चिल, विदेश मंत्री एमरी, वायसराय लिनलिथगो, कमांडर-इन-चीफ वेबेल आदि भारतीयों से किसी समझौते के पक्ष में नहीं थे। इसलिए मिशन के माध्यम से ऐसे प्रस्ताव रखे गए जो भारतीय नेतृत्व को स्वीकार नहीं थे।

कांग्रेस अंग्रेजों से देश की समस्या का हल चाहती थी और हल था देश की आजादी, परन्तु ब्रिटिश सरकार भारत को तत्काल स्वतंत्र करने के पक्ष में नहीं थी। दूसरी ओर भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापान को आक्रमण के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। इसीलिए

गाँधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि “भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, वरन् उसे भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ।”

उपर्युक्त कारणों से अतिरिक्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कुछ अन्य कारण भी उत्तरदायी थे जैसे—

1. पूर्वी बंगाल के बिना मुआवजा दिए लोगों को उनकी जमीनों से बेदखल करना।
2. वर्मा पर जापानी अधिकार के बाद वहाँ से भारत आने के लिए अंग्रेजों एवं भारतीयों के लिए अलग-अलग रास्ते निर्धारित करना।
3. देश में आर्थिक असंतोष तथा कीमतों में बेतहाशा वृद्धि।
4. विश्वयुद्ध में ब्रिटेन की लगातार हार एवं
5. भारत की स्वतंत्रता के प्रति रूजवेल्ट, च्यांगकाई शेक एवं लेबर पार्टी की सहानुभूति।

इन्हीं सब कारणों से 05 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में बैठक हुई और कांग्रेस कार्यसमिति ने 14 जुलाई 1942 गाँधी जी के “भारत छोड़ो” प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा के पूर्व 01 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस के अवसर पर पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा “हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर भी पड़ सकती है।” सरदार पटेल ने बम्बई से वक्तव्य दिया कि “इस बार का आन्दोलन थोड़े दिनों का किन्तु भयानक होगा।” इस प्रकार कांग्रेस ने जनता को एक भीषण आन्दोलन

के लिए तैयार रहने का संकेत दिया।

7 अगस्त 1942 को मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस महासमिति का बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अधिवेशन हुआ, जिस पर समस्त विश्व की आँखें लगी हुई थी। 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित होते हुए ही 9 अगस्त को तड़के गाँधी जी एवं कांग्रेस के कार्यसमिति के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। गाँधी जी एवं सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खॉ पैलेश में, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को पटना के बाँकीपुर तथा जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। शेष नेता अहमदनगर जेल में रखे गये। जयप्रकाश नारायण 9 नवम्बर 1942 को जेल से भाग कर केन्द्रीय एक्शन कमिटी का गठन कर नेपाल को अपना अड्डा बनाया एवं आजाद दस्तों का गठन किया।

नेताओं की गिरफ्तारी के औचित्य को सिद्ध करने के लिए सरकार ने कांग्रेस के तथाकथित कार्यों को समाचार पत्रों में छपवाया जिसमें संचार माध्यमों को ध्वस्त करना, ब्रिटिश संस्थाओं पर हमला एवं हिंसक गतिविधियों को कांग्रेस के ‘भारत छोड़ो आन्दोलन’ का अंग बताया गया था। नेतृत्व विहीन जनता ने इसे ही कांग्रेस का कार्यक्रम समझा एवं स्वतःस्फूर्त आन्दोलन प्रारंभ कर दिया, कुछ स्थानों पर इसका नेतृत्व समाजवादियों द्वारा किया गया। जिसमें — जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया आदि प्रमुख थे।

प्रारंभ में यह आन्दोलन शहरों तक ही सीमित रहा परन्तु जैसे ही यह ग्रामीण क्षेत्रों में फैला तो ऐसा जन-विस्फोट हुआ कि उसे देखकर ब्रिटिश सरकार चकित रह गयी एवं यह नहीं समझ

सकी कि किसानों ने क्यों विद्रोह कर दिया। आन्दोलन के दौरान ही तमलुक (मिदनापुर, बिहार), तलचर (उड़ीसा), सतारा (महाराष्ट्र) एवं बलिया (संयुक्त प्रांत) में समानता सरकार का गठन किया गया। जिनमें तमलुक की सरकार सतीस सावंत के नेतृत्व में सर्वाधिक समय तक कार्य करती रही। यह आन्दोलन उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रांत एवं महाराष्ट्र में चरम सीमा पर रहा। यह आन्दोलन इतना विकराल था कि इसे दबाने के लिए पहली बार सेना का प्रयोग किया गया।

जिस अहिंसा के पुजारी ने 1922 में चौरी-चौरा कांड की थोड़ी-सी हिंसा के कारण अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचे असहयोग आन्दोलन को स्थगित कर दिया था, उसी अहिंसा के पुजारी ने 1942 के आन्दोलन में हुई व्यापक हिंसा को नजरअंदाज कर दिया। एक अहिंसक विचारधारा द्वारा हिंसक विचारधारा को दिए गए इस मूक समर्थन से इस बात का सहज अंदाजा लगाया जा सकता था कि भारतीयों का धैर्य एवं असंतोष किस सीमा तक पहुँच गया था।

### परिणाम

1. 1857 के बाद यह सबसे बड़ी बगावत थी, जिसने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जन असंतोष की व्यापकता को स्पष्ट कर दिया।
2. इस आन्दोलन के बाद पूर्ण स्वतंत्रता पहली मांग बन गयी अब इसके पीछे नहीं लौटा जा सकता था।
3. भारतीय स्वतंत्रता के मुद्दे के अन्तर्राष्ट्रीयकरण एवं मित्र राष्ट्रों के नैतिक समर्थन ने स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी।

4. इस आन्दोलन के बाद सरकार को यह स्पष्ट हो गया था कि भारत को अब अधिक दिनों तक गुलाम नहीं रखा जा सकता है।
5. 1942 के बाद अंग्रेजी साम्राज्य का दुर्भेध किला टूटता दिखायी देने लगा।
6. जनता को अपनी शक्ति का अहसास हो गया और वे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग अंत तक मांगते रहे आदि।

### निष्कर्ष

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकनोपरांत हम कह सकते हैं कि 1757 में पलासी के युद्ध के साथ ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की आधारशिला रखी गई। 100 वर्षों तक अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के साथ-साथ भारतीय जनता का असंतोष

भी सामानान्तर क्रम में बंटता गया जिसकी परिणति 1857 के विद्रोह के रूप में सामने आयी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय आन्दोलन को एक दिशा एवं दशा प्राप्त हुई जिसका चरमोत्कर्ष 1942 के 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के रूप में दिखायी दिया। इस आन्दोलन के पीछे सामाजिक-आर्थिक तत्व भी मौजूद थे।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत का स्वतंत्रता संघर्ष – विपिन चन्द्र, नई दिल्ली – 2003, P.N. : 366-370.
2. वही – पृष्ठ संख्या – 372 – 376.
3. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा राष्ट्रीय आन्दोलन – बी. एल. ग्रोवर, एस. चाँद एण्ड कम्पनी लि., नई दिल्ली – 2001.
4. आधुनिक भारत (1885. 1947) – सुमित सरकार राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली– 1999ए पृष्ठ सं. – 408-414.
5. वही – पृष्ठ संख्या – 417. 419.

6. वही – पृष्ठ संख्या – 426. 428.
7. काँग्रेस रिबेलियन इन आजमगढ़, इलाहाबाद एच. आर. निबलेट, – 1957 – पृष्ठ संख्या – 29 – 51.
8. वही – पृष्ठ संख्या ख 24ए 26ए 40
9. The Quit India Movement, 1942 in A centenary History of India national Congress.
10. Spontaneous Revolution - The Quit India Movement, New Delhi, 1973 - Francis Hutchins.
11. Fight for freedom : Autobiography, Delhi - 1968 - N.G Ranga.
12. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा संवैधानिक विकास – ग्रोवर एवं यशपाल – पृष्ठ संख्या – 283. 287
13. वही – पृष्ठ संख्या – 291 . 293.
14. क्विट इंडिया मूवमेंट – दिल्ली, 1979 – वाई. बी. माथुर।
15. क्विट इंडिया मूवमेंट : ब्रिटिश सेक्रेट रिपोर्ट्स (फरीदाबाद – 1976)



# भारतीय संस्कृति में ईश्वरीय-विचारधारा ऐतिहासिक विश्लेषण

मोहम्मद रफी

ईश्वर का भारतीय संस्कृति में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसका कारण यह है कि भारतीय दर्शन पर धर्म की अमित छाप है। ईश्वर में विश्वास को ही साधारणतया धर्म कहा जाता है। धर्म से प्रभावित रहने के कारण भारतीय संस्कृति में ईश्वर के संबंध में अत्यधिक चर्चा है। ईश्वर सम्बन्धी विभिन्न मत भारतीय विचारधारा में व्याप्त है। ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए अनेक युक्तियों का भारतीय संस्कृति में समावेश हुआ है। अब भारतीय दर्शन में वर्णित ईश्वर सम्बन्धी विचार की व्याख्या अपेक्षित है।

भारतीय संस्कृति का प्रारम्भ बिन्दु वेद है। इसलिये ईश्वर सम्बन्धी विचार की व्याख्या के लिये सर्वप्रथम हमें वेद-दर्शन पर दृष्टिपात करना होगा।

वेद-दर्शन में अनेक देवताओं के विचार निहित है। वैदिक काल के ऋषियों ने अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, उषा, पृथ्वी, मरुत, वायु, वरुण, इन्द्र, सोम आदि देवताओं को आराधना का विषया माना। इन देवताओं की उपासना के लिए गीतों की रचना हुई है। वेदिक देवगणों का कोई स्पष्ट व्यक्तित्व नहीं है। अनेकेश्वरवाद के समान वैदिक देवगण अपनी-अपनी पृथक् सत्ता नहीं रखते। इस प्रकार वेद में अनेकेश्वरवाद के उदाहरण मिलते हैं। अनेकेश्वरवाद का अर्थ अनेक ईश्वरों में विश्वास है। अनेकेश्वरवाद वेद का स्थायी धर्म नहीं रह पाता है। अनेकेश्वरवाद से वैदिक धर्म का मात्र प्रारम्भ होता है।

देवताओं की संख्या अनेक रहने के फलस्वरूप वैदिक काल के लोगों के सम्मुख यह प्रश्न उठता है कि देवताओं में किसको श्रेष्ठ मानकर आराधना की जाय? अनेकेश्वरवाद धार्मिक चेतना की माँग को पूरा करने में असमर्थ है। धार्मिक चेतना हमें एक ही देवता को श्रेष्ठ तथा उपास्य मानने के लिए

बाध्य करती है। वैदिक काल में उपासना के समय अनेक देवताओं में कोई एक ही जो उपास्य बनता है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जब इन्द्र की पूजा होती है तब उसे ही महान् तथा शक्तिशाली समझा जाता है। प्रो० मैक्समूलर ने वैदिक धर्म को हीनोथीज्म (Henotheism) कहा है। इसे 'अवसरवादी एकेश्वरवाद' भी कहा गया है। इसके अनुसार उपासना के समय एक देवता को सबसे बड़ा देवता माना जाता है। हीनोथीज्म का रूपान्तर एकेश्वरवाद (Monotheism) में हो जाता है। इसके अनुसार विभिन्न देवता एक ही ईश्वर के अलग-अलग नाम हैं। अतः वेद में अनेकेश्वरवाद, हीनोथीज्म तथा एकेश्वरवाद के उदाहरण मिलते हैं।

वेद के पश्चात् उपनिषद् दर्शन में ईश्वर का स्थान गौण प्रतीत होता है। उपनिषद् में ब्रह्म को चरम तत्व के रूप में स्वीकारा गया है। वेद के विभिन्न देवतागण पृष्ठभूमि में विलीन हो जाते हैं तथा ब्रह्म एवं आत्मा उपनिषद्-दर्शन में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करते हैं। देवताओं को यहाँ ब्रह्म का प्रकाशित रूप माना गया है। देवतागण अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर निर्भर करते हैं। ईश्वर का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अनेक देवताओं को उपनिषद्-दर्शन में द्वारपाल के रूप में चित्रित किया गया है। इससे देवताओं की तुच्छता प्रमाणित होती है।

उपनिषद्-दर्शन में ईश्वर के वस्तुनिष्ठ विचार का, जिसमें उपासक तथा उपास्य के बीच भेद वर्तमान रहता है, खंडन हुआ है। वृहदारण्यक उपनिषद् में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना यह सोचकर करता है कि वह तथा ईश्वर भिन्न है, ज्ञान से शून्य है। यद्यपि ईश्वरवाद उपनिषद् की विचारधारा से संगति नहीं रखता है फिर भी श्वेताश्वेतर तथा कठ उपनिषदों में ईश्वर की भक्ति को मोक्ष-प्राप्ति का मूल साधन माना गया है।

उपनिषदों में ब्रह्म के दो रूपों का वर्णन मिलता है—(1) पर ब्रह्म (2) अपर ब्रह्म। पर ब्रह्म को ब्रह्म तथा अपर ब्रह्म को ईश्वर कहा गया है। पर-ब्रह्म असीम, निर्गुण, निष्प्रपञ्च है। अपर-ब्रह्म, इसके विपरीत, सीमित, सगुण तथा सप्रञ्च है। ईश्वर को उपनिषदों में सबको प्रकाश देने वाला तथा कर्मों का अधीष्ठाता माना गया है। वह स्वयंभू तथा जगत् का

नेट यू.जी.सी. एवं शोधार्थी, ( इतिहास विभाग ),  
वीर कुँअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

कारण है। माया उसकी शक्ति है। उपनिषदों में ईश्वर विचार को जान लेने के बाद भगवद्गीता के ईश्वर विचार की जानकारी आवश्यक है। भगवद्गीता में, ईश्वरवाद तथा सर्वेश्वरवाद का संयोजन पाते हैं। गीता में ईश्वरवाद तथा सर्वेश्वरवाद में वस्तुतः कोई विरोध नहीं दीखता है। गीता में विशेष रूप से 'विश्व रूप दर्शन' नामक अध्याय में सर्वेश्वरवाद का चित्र मिलता है। ईश्वर को, अक्षर, परम ज्ञानी, जगत का परम निधान तथा सनातन पुरुष कहा गया है। ईश्वर विश्व में पूर्णतः व्याप्त है। जिस प्रकार दूध में उज्ज्वलता व्याप्त है, उसी प्रकार ईश्वर विश्व में निहित है। यद्यपि गीता में सर्वेश्वरवाद मिलता है फिर भी गीता की मुख्य प्रवृत्ति ईश्वरवाद है। ईश्वरवाद को गीता का केन्द्र बिन्दु माना गया है।

गीता में ईश्वर को 'पुरुषोत्तम' कहा गया है। वह परम-ब्रह्म है। ईश्वर को प्रकृति और पुरुष से परे माना गया है। परम-ब्रह्म के दो स्वरूपों-व्यक्त और अव्यक्त का गीता में वर्णन किया गया है। परमात्मा के व्यक्त स्वरूप का वर्णन निम्नलिखित उद्धरणों में दीखता है। "प्रकृति मेरा स्वरूप है।" (9/18) 'जीवात्मा मेरा ही सनातन अंग है।' (14/7) गीता में परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप का वर्णन निम्नलिखित उद्धरण में दीखता है। "यह परमात्मा अनादि, निर्गुण और अव्यक्त है, इसलिए शरीर में स्थित रहकर भी न तो कुछ करता है और न लिपायमान होता है।" (गीता 13/39)

यद्यपि गीता में परमात्मा के दोनों स्वरूपों का वर्णन मिलता है। फिर भी गीता में व्यक्त स्वरूप की अपेक्षा अव्यक्त स्वरूप को महत्वपूर्ण माना गया है। गीता के भगवान ने स्पष्ट रूप में कहा है कि मेरा व्यक्त स्वरूप मायिक है

तथा अव्यक्त रूप जो इन्द्रियों को अगोचर है, वही मेरा सच्चा स्वरूप है। महाभारत जिसका गीता अंश है में भी अव्यक्त ब्रह्मा को व्यक्त ब्रह्म की अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है। "मेरा सच्चा स्वरूप सर्वव्यापी, अव्यक्त और नितय है। उसे सिद्ध पुरुष पहचानते हैं।" (शा० 339,44/48)

गीता के पश्चात् भारतीय दर्शन की रूपरेखा में परिवर्तन होता है। दर्शन-सम्प्रदाय का विभाजन आस्तिक तथा नास्तिक वर्गों में होता है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदान्त आस्तिक दर्शन तथा चार्वाक, जैन, बौद्ध नास्तिक दर्शन के वर्गों में रखे गये हैं। आस्तिक-दर्शनों के ईश्वर विचार जानने के पूर्व नास्तिक-दर्शनों का ईश्वर सम्बन्धी विचार जानना आवश्यक होगा।

चार्वाक-दर्शन में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। वह ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है क्योंकि ईश्वर का कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। ईश्वर प्रत्यक्ष से परे होने के कारण असत् है क्योंकि प्रत्यक्ष ही ज्ञान का एकमात्र साधन है। चार्वाक ईश्वर के प्रति निर्मम शब्दों का प्रयोग करता है। जब ईश्वर नहीं है तब हर बात के पीछे ईश्वर को घसीट लाना अमान्य है। ईश्वर से प्रेम करना एक काल्पनिक वस्तु से प्रेम करना है। ईश्वर से डरना भ्रम है। अतः चार्वाक अनीश्वरवाद का जोरदार समर्थन करता है।

बौद्ध-दर्शन और जैन-दर्शन में सैद्धान्तिक रूप से अनीश्वरवाद को अपनाया गया है। दोनों दर्शनों में ईश्वर के अस्तित्व का निषेध हुआ है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को ईश्वर के सम्बन्ध में जानने से अनुत्साहित किया है। ईश्वर से प्रेम करना एक ऐसी रमणी से प्रेम करने के तुल्य है जिसका अस्तित्व ही

नहीं है। ईश्वर को विश्व का कारण मानना भ्रामक है। संसार प्रतीत्यसमुत्पाद के नियम से संचालित होता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ईश्वर पर नहीं निर्भर रहने का आदेश दिया। उन्होंने 'आत्मदीपो भव' का उपदेश देकर शिष्यों को आत्म-निर्भर रहने को प्रोत्साहित किया।

बौद्ध-दर्शन की तरह जैन-दर्शन में भी अनीश्वरवाद पर बल दिया गया है। ईश्वरवादियों के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए अनेक युक्तियों का आश्रय लिया गया है। जैन उन युक्तियों की त्रुटियों की ओर संकेत करता हुआ ईश्वर के अस्तित्व को अप्रमाणित करता है। जैन-दर्शन के अनुसार ईश्वर को विश्व का स्रष्टा मानना भ्रान्तिमूलक है। ईश्वर को स्रष्टा मान लेने से सृष्टि के प्रयोजनों की व्याख्या नहीं हो पाती है। साधारणतः चेतन प्राणी जो कुछ भी करता है वह स्वार्थ से प्रेरित होकर करता है या दूसरों पर करुणा के लिए करता है। अतः ईश्वर को भी स्वार्थ से प्रेरित होकर करता है या दूसरों पर करुणा के लिए करता है। अतः ईश्वर को भी स्वार्थ या करुणा से प्रेरित होना चाहिए। ईश्वर स्वार्थ से प्रेरित होकर सृष्टि नहीं कर सकता क्योंकि वह पूर्ण है। इसके विपरीत वह करुणा से प्रभावित होकर संसार का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि सृष्टि के पूर्व करुणा का भाव उदय ही नहीं हो सकता। अतः ईश्वर विश्व का निर्माता नहीं है।

यद्यपि सैद्धान्तिक रूप से बौद्ध-दर्शन में ईश्वर का खंडन हुआ है फिर भी व्यावहारिक रूप में ईश्वर का विचार किया गया है। महायान धर्म में बुद्ध को ईश्वर के रूप में माना गया है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् उन्हें ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित पाते हैं। हीनयान धर्म

अनिश्वरवादी धर्म होने के कारण लोकप्रिय नहीं हो सका। महायान धर्म ने ईश्वर को प्रस्तुत कर लोकप्रिय धर्म होने का गौरव प्राप्त किया है।

जैन-दर्शन में भी प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का निषेध हुआ है फिर भी परोक्ष रूप में ईश्वर का विचार किया गया है। जैन-दर्शन में ईश्वर के स्थान पर तीर्थङ्करों को माना गया है। ये मुक्त होते हैं। जैन-दर्शन में पंच परमेष्ठि को माना गया है। अर्हत्, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु जैनों के पंचपरमेष्ठि है। जहाँ तक ईश्वर विचार का सम्बन्ध है बौद्ध और जैन दर्शनों को एक ही धरातल पर रखा जाता है। दोनों दर्शनों में अनीश्वरवाद को मीमांसा पाते हैं।

न्याय-दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व पर बल दिया गया है। न्याय ईश्वरवादी है। ईश्वरवाद न्याय-दर्शन की अनुपम देन है। ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिये नैयायिकों ने अनेक प्रमाणों का आश्रय लिया है। पाश्चात्य दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिये जिन-जिन युक्तियों का प्रयोग हुआ है, उन सभी युक्तियों का समावेश प्रायः न्याय के ईश्वर सम्बन्धी युक्तियों में है।

ईश्वर के स्वरूप के सम्बन्ध में न्याय-दर्शन में अत्यधिक चर्चा पाते हैं। ईश्वर विश्व का स्रष्टा है। वह शून्य से संसार की सृष्टि नहीं करता है। वह विश्व की सृष्टि नित्य परमाणुओं दिक् काल, आत्मा, मन के द्वारा करता है। यद्यपि ईश्वर विश्व का निर्माण अनेक द्रव्यों के साथ ईश्वर का वही सम्बन्ध है जो संबंध शरीर का आत्मा के साथ है। ईश्वर संसार का पोषक है। संसार उसकी इच्छानुसार कायम रहता है। वह संसार का संहारक भी है। जब-जब ईश्वर विश्व में नैतिक और धार्मिक

पतन पाता है तब-तब वह विध्वंसक शक्तियों के द्वारा विश्व का विनाश करता है। वह विश्व का संहारक नैतिक और धार्मिक अनुशासन के लिये करता है। ईश्वर मानव का कर्म-फल दाता है। मानव के शुभ अथवा अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर सुख अथवा दुःख प्रदान करता है। कर्मों का फल प्रदान कर ईश्वर जीवात्माओं को कर्म करने के लिये प्रेरित करता है। न्याय का ईश्वर व्यक्तिपूर्ण है। ईश्वर में ज्ञान सत्ता और आनन्द निहित है। ईश्वर दयालु है। ईश्वर की कृपा से मानव मोक्ष को अपनाने में सफल होता है तत्त्व-ज्ञान के आधार पर ही मानव मोक्ष की कामना करता है। न्याय ईश्वर को अनन्त मानता है। वह अनन्त गुणों से युक्त है।

न्याय की तरह वैशेषिक भी ईश्वरवाद का समर्थक है। वैशेषिक ने ईश्वर को एक आत्मा कहा है जो चैतन्य से युक्त है वैशेषिक के मतानुसार आत्मा दो प्रकार की होती है—(1) जीवात्मा (2) परमात्मा। परमात्मा को ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है। वह विश्व का स्रष्टा, पालक एवं संहारक है।

सांख्य के समर्थकों में ईश्वर को लेकर कुछ वाद-विवाद है। सांख्य दर्शन के कुछ टीकाकार ईश्वरवादी हैं। इनमें विज्ञान भिक्षु मुख्य हैं। उनके मत से सांख्य अनीश्वरवादी नहीं है। सांख्य ने केवल इतना ही कहा है कि ईश्वर के अस्तित्व के लिये कोई प्रमाण नहीं है। ईश्वर असिद्ध है। इससे यह निष्कर्ष निकालना कि सांख्य अनीश्वरवादी है, अमान्य जँचता है। इसके विपरीत सांख्य ईश्वरवादी है। विज्ञान भिक्षु का कहना है कि यद्यपि प्रकृति से समस्त वस्तुएँ विकसित होती हैं तथापि अचेतन प्रकृति को गतिशील करने के लिये ईश्वर के सान्निध्य की आवश्यकता होती है। उनके

अनुसार युक्ति तथा शास्त्र दोनों से ही ऐसे ईश्वर की सिद्धि होती है। परन्तु सांख्य की यह ईश्वरवादी व्याख्या अधिक मान्य नहीं है। अधिकांश टीकाकारों ने सांख्य को निरीश्वरवादी (Atheistic) ही माना है। ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध सांख्य ने अनेक युक्तियाँ दी हैं जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं -

- (1) संसार कार्य-शृंखला है। अतः इसका कारण भी अवश्य होना चाहिए। परन्तु ईश्वर को विश्व का कारण नहीं माना जा सकता क्योंकि वह नित्य और अपरिवर्तनशील है। विश्व का कारण वही हो सकता है जो परिवर्तनशील एवं नित्य है। प्रकृति विश्व का कारण है क्योंकि वह नित्य होकर भी परिवर्तनशील है।
- (2) यदि ईश्वर की सत्ता को माना जाय तो जीवों की स्वतंत्रता तथा अमरता खंडित हो जाती है। जीवों को ईश्वर का अंश नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनमें ईश्वरीय शक्ति का अभाव है। यदि उन्हें ईश्वर के द्वारा उत्पन्न माना जाय तो फिर उनका नश्वर होना सिद्ध होता है।

योग-दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिये विभिन्न युक्तियों का प्रयोग हुआ है। इस स्थल पर योग-दर्शन न्याय से अत्यधिक मिलता है। योग-दर्शन के ईश्वर के अस्तित्व सम्बन्धी प्रमाणों में निम्नलिखित उल्लेखनीय है -

- (1) अविच्छिन्नता का नियम (Law of continuity) ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करता है। ज्ञान के प्रसंग में छोटी-बड़ी मात्रा का भेद निहित है। ईश्वर के अन्दर

ज्ञान की सबसे बड़ी मात्रा निहित है। ईश्वर में सर्वज्ञाता ही पराकाष्ठा है। अतः ईश्वर अस्तित्ववान है।

- (2) वेद प्रमाण है। चूँकि वेद ईश्वर का वर्णन करते हैं इसलिए ईश्वर का अस्तित्व है। इस प्रकार शब्द प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सत्ता प्रमाणित होती है।
- (3) ईश्वर प्रकृति में गति प्रदान करता है जिसके फलस्वरूप प्रकृति की साम्यावस्था भंग होती है तथा विकास का प्रारम्भ होता है। प्रकृति जगत् का उपादान कारण है जबकि ईश्वर जगत् का निष्क्रिय निमित्त कारण है। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर का अस्तित्व है। ईश्वर के अस्तित्व पर बल देने के फलस्वरूप योग-दर्शन को सेश्वर (theistic) सांख्य कहा गया है। ईश्वर एक विशेष प्रकार का पुरुष है जो स्वभावतः पूर्ण तथा अनन्त है। वह सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है। वह त्रिगुणातीत है। योग-दर्शन में ईश्वर का व्यावहारिक महत्व है। चित्त वृत्तियों का 'निरोध' योग-दर्शन का मुख्य लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति ईश्वर प्रणिधान से संभव है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर की भक्ति। इसलिये योग-दर्शन में ईश्वर को ध्यान का सर्वश्रेष्ठ विषय माना गया है।

मीमांसा-दर्शन में ईश्वर को अत्यन्त ही तुच्छ स्थान प्रदान किया गया है। संसार की सृष्टि के लिये धर्म और अधर्म का पुरस्कार तथा दण्ड देने के

लिए ईश्वर को मानना भ्रामक है। मीमांसा देवताओं को बलि प्रदान के लिये ही कल्पना करती है। उनकी उपयोगिता सिर्फ इसलिये है कि उनके नाम पर ही होम किया जाता है। देवताओं का अस्तित्व केवल वैदिक मंत्रों में ही माना गया है। मीमांसा के देवताओं को महाकाव्य के अमर पात्रों की तरह माना गया है। अतः मीमांसा निरीश्वरवादी (Atheistic) है। शंकर के अद्वैत वेदान्त में ईश्वर को व्यावहारिक दृष्टि से सत्य माना गया है। वह पारमार्थिक दृष्टि से सत्य नहीं है। शंकर एक मात्र ब्रह्म को ही पारमार्थिक दृष्टि से सत्य मानता है। शंकर ने ईश्वर को जगत् की तरह व्यावहारिक सत्ता के अन्दर रखा है।

ईश्वर को सिद्ध करने के लिए जितने परम्परागत तर्क दिये गये हैं शंकर उन तर्कों की आलोचना करता हुआ प्रमाणित करता है कि ईश्वर को तर्क के द्वारा सिद्ध करना असंभव है। शंकर ईश्वर के अस्तित्व को श्रुति के द्वारा प्रमाणित करता है। अब प्रश्न उठता है कि शंकर के दर्शन में ईश्वर का क्या विचार है। ब्रह्म, निर्गुण और निराकार है। ब्रह्म का प्रतिबिम्ब जब माया में पड़ता है तब वह ईश्वर हो जाता है। ईश्वर इस प्रकार 'मायोपहित ब्रह्म' है। ईश्वर माया के द्वारा विश्व की सृष्टि करता है। माया ईश्वर की शक्ति है। ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है। वह उपासना का विषय है। वह कर्म नियम का अध्यक्ष है। जीवात्मा को कर्मों के अनुसार वह पुरस्कार तथा दंड प्रदान करता है। शंकर ने ईश्वर को विश्व में व्याप्त तथा विश्व से परे माना है। वह विश्वव्यापी तथा विश्वातीत है। शंकर के दर्शन में ईश्वर का महत्व है। ईश्वर ही सबसे बड़ा सत्ता है जिसका ज्ञान हमें हो पाता है।

रामानुज के विशिष्टाद्वैत वेदान्त में ईश्वर और ब्रह्म को अभिन्न माना गया है। ब्रह्म ही ईश्वर है। ब्रह्म ईश्वर होने के कारण सगुण है। वह पूर्ण है। वह जीवों को उनके शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार सुख, दुःख प्रदान करता है। वह कर्म फलदाता है। वह उपासना का विषय है। वह भक्तों के प्रति दयावान रहता है। ईश्वर की कृपा से ही मोक्ष प्राप्य है। शंकर ब्रह्म तथा ईश्वर में भेद करते हैं परन्तु रामानुज ब्रह्म को ही ईश्वर मानते हैं। शंकर ब्रह्म को निर्गुण मानते हैं परन्तु रामानुज ब्रह्म को सगुण मानते हैं।

प्राचीन भारतीय दर्शन की तरह समसामयिक भारतीय दर्शन में भी ईश्वर-विचार पर अधिक प्रकाश डाला गया है। विवेकानन्द, अरविन्द, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, राधाकृष्णन्, महात्मा गाँधी आदि विचारकों ने ईश्वर को अपने दर्शन का केन्द्र बिन्दु माना है। ईश्वरवादी परम्परा की झलक इनके दर्शनों में निहित है।

### संदर्भ ग्रंथ

1. भारतीय दर्शन की रूपरेखा-प्रो० हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, मोतीलाल बनारसीदास, 1993
2. प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक विचार एवं संस्थान, डॉ० जी०पी० नेभा, डॉ० हरिश्चन्द्र शर्मा, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
3. हिन्दू राजतंत्र, खण्ड-1, रामचन्द्र वर्मा, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
4. प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास-रति भानुसिंह नाहर, मानक पब्लिकेशंस प्राईवेट लिमिटेड, दिल्ली, 2001
5. उत्तर वैदिक समाज व संस्कृति- विजय बहादुर राव, प्राच्य प्रकाशन, पटना, 1999
6. वैदिक साहित्य- बलदेव उपाध्याय, जानकी प्रकाशन, पटना, 1991

# आधुनिक बिहार का सृजन: एक तार्किक विश्लेषण

नरेन्द्र किशोर पाण्डेय

शताब्दियों से भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बिहार की अपनी अलग पहचान रही है। बिहार अति प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनर्जागरण के प्रम्फुटन का पावन स्थान रहा है। यहाँ नालंदा, विक्रमशीला एवं उदंतपुरी में स्थापित विश्वविद्यालयों में कभी दूर-दूर से विद्यार्थी एवं विद्वान ज्ञान की तलाश में आते थे। बुद्ध और महावीर के तपबल से दमकती यह भूमि चाणक्य-चन्द्रगुप्त से लेकर महात्मा गाँधी, राजेन्द्र प्रसाद तथा जय प्रकाश नारायण तक के राजनीतिक आन्दोलन की भूमि भी रही।

स्थापना के 100 साल में प्रवेश कर चुका बिहार, समर्थ एवं समृद्ध बिहार तथा ऐतिहासिक पौराणिक आख्यानों में वर्णित पूज्य बिहार के अभ्युदय की कहानी शौर्य-स्वाभिमान एवं त्याग-बलिदान की कहानी है। बिहारियों के लंबे संघर्ष, शिक्षाविदों की तार्किक मुहिम, पत्रकारिता के तेवर तथा सांस्कृतिक एकजुटता के बूते चले लम्बे संघर्ष का परिणाम है- “आधुनिक बिहार का सृजन”।

12वीं शताब्दी के अन्त में तुर्कों ने ओदंतपुरी को जीतकर इसे अपना केन्द्र बनाया। इस क्षेत्र में “बौद्ध विहारों” की बहुलता के कारण इसे विहारों का प्रवेश कहा गया तथा इस क्षेत्र को बिहार शरीफ नाम दिया गया। कालान्तर में इसी नाम पर सम्पूर्ण क्षेत्र का नाम “बिहार” पड़ा।<sup>2</sup>

मध्यकाल में शेरशाह सूरी के नेतृत्व में सूर वंश के उत्थान ने भारतीय राजनीति एवं इतिहास में बिहार की एक खास पहचान बनाई। अबुल फतेह जलालुद्दीन महम्मद अकबर ने अपने समय में बिहार की एक सूबे का दर्जा दिया तथा इस

सूबे का सूबेदार मानसिंह को बनाया गया। तिरहुत, मगध तथा अंग इसके अर्न्तगत शामिल किए गये।<sup>3</sup>

1621 में जहांगीर ने राज कुमार प्रवेज की बिहार का प्रान्तपति नियुक्त किया। औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र अजीम को 1702 ई. में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। उसने पटना को अजीमाबाद का नया नाम दिया तथा नगर के सौन्दर्यकरण पर एक करोड़ रुपये खर्च किये।

बक्सर के युद्ध कम्पनी के शासन की बेड़ियों को बंगाल पर जकड़ दिया। 1765 में शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी लगान वसूली का अधिकार ईष्ट इन्डिया कम्पनी को प्रदान किया। अब कम्पनी को बिहार में लगान वसूली का विधिवत अधिकार प्राप्त हो गया। एक अलग संधि के माध्यम से कम्पनी ने बिहार प्रशासन चलाने के लिए एक नायब नाजिम अथवा उप-प्रान्तपति का पद विकसित किया। बिहार के प्रमुख उप-प्रान्तपतियाँ में राजा राम नारायण और राजा सिताब राय प्रमुख थे।

बिहार अब बंगाल का सह प्रान्त बन गया। एक अंग्रेज रेजीडेन्ट की नियुक्ति पटना में हुई। 1769 में बिहार का प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त हुए। 1770 ई. में एक बिहार परिषद का गठन हुआ। 1773 में रेगुलेटींग एक्ट पारित होने के बाद सुपरभाइजर जो अब कलक्टर कहे जाते थे और बिहार परिषद दोनों को समाप्त कर बिहार के लिए एक प्रान्तीय सभा गठित हुई।<sup>4</sup>

19वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में एक आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, जिसका उद्देश्य था- बिहार को बंगाल से पृथक करना। निंसदेह आधुनिक बिहार के सृजन के संघर्ष का इतिहास भारतीय राष्ट्रवाद को रोचकता प्रदान करता है। बिहार की जनता के हृदय में अंग्रेजों के प्रति जो क्षोभ तथा अंसतोष था, वह सन, 1855 में संथालों के विद्रोह, बिहार के मुसलमानों का वहाबी आन्दोलन 1853-68 तथा 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष जैसे आन्दोलनों के माध्यम से प्रदर्शित हो रहा था। 1857 के पश्चात् अंग्रेजों ने जहाँ एक ओर बंगालियों के प्रति उदार नीति अपनाई तो दूसरी ओर वे बिहारियों की उपेक्षा

शोध अध्येता, इतिहास विभाग,  
बि. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

करने लगे। सर्वप्रथम मुर्ग-ई-सुलेमान नामक अखबार ने “बिहार बिहारियों के लिए “का नारा बुलन्द किया तथा यह मांग की कि बंगालियों की जगह पढ़े-लिखे बिहारियों को सरकारी सेवा में विशेषकर शिक्षा विभाग में लिया जाय। साथ ही अखबार ने यह भी कहा कि सरकार को बिहारियों के विरुद्ध किसी दूसरे के प्रति अनुग्रह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए।<sup>5</sup>

“नादिर उल अखबार” नामक उर्दू अखबार ने सरकार की इस नीति का जो बिहारी अखबारों के विरुद्ध विभेद करती थी, का विरोध किया। “अनीश” नामक अखबार ने लिखा कि बंगाली तथा मुसलमान किरानी के अलावा दूसरी जाति के लोग क्यों नहीं बहाल होते।<sup>6</sup>

संक्षेप में, बिहार को बंगाल से पृथक करने के आन्दोलन के प्रथम चरण में संघर्ष का न तो कोई संगठित रूप प्राप्त हो सका और न कोई योग्य नेता ही।

बिहार में सृजन के अगले चरण में दो प्रभावशाली नेता उभरे जिनके नेतृत्व में आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। श्री सच्चिदानन्द सिन्हा जिनकी गणना आधुनिक बिहार के निर्माताओं में है तथा महेश नारायण जैसे विद्वान और समाजसेवी। महेश नारायण एक विख्यात कवि के साथ कुशल पत्रकार भी थे। इनके नेतृत्व में 1893 में अंग्रेजी साप्ताहिक “बिहार टाइम्स” का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। महेश नारायण के नेतृत्व में बिहार की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थितियों में अग्र लिखे जाने के साथ ही इन लेखनों के माध्यम से अब बिहार से बंगाल के पृथककरण के आन्दोलन का भी प्रचार किया जाने लगा। पायोनियर नामक अखबार ने बिहार से बंगाल को अलग

करने के आन्दोलन की मांग को तथ्यपूर्ण बताया।<sup>7</sup>

बिहार से बंगाल के पृथकरण के आन्दोलन का सबसे निर्णायक एवं अंतिम चरण 1905 से 1912 माना जाता है। 1906 में सच्चिदानन्द सिन्हा और महेश नारायण ने “द पार्टिशन आफ बंगाल और द सेपरेशन ऑफ बिहार” नामक पुस्तक में प्रमाणित किया कि बंगाल और बिहार ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषायी जीवन-शैली, खान-पान, रीति-रिवाज आदि दृष्टिकोणों से एक दूसरे से अलग हैं। इस तर्क के साथ डा. सिन्हा से बंगाल विभाजन की वैकल्पिक व्यवस्था सुझायी। इसी अवधि में पृथक बिहार आन्दोलन और शक्तिशाली हुआ।<sup>8</sup>

1906 ई. में डा. राजेन्द्र प्रसाद जो कलकत्ता के बिहारी क्लब के मंत्री थे, डा. सिन्हा, श्री महेश नारायण तथा अन्य नेताओं से विचार विमर्श के पश्चात् पटना में एक विशाल बिहारी छात्र सम्मेलन करवाया। इस सम्मेलन में छात्रों की स्थायी समिति बनाई गई।

1907 में महेश नारायण की मृत्यु से कुछ समय के लिए आन्दोलन समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ा किन्तु ब्रह्मदेव नारायण आन्दोलन में शामिल हो गए तथा बिहार के प्रसिद्ध मुसलमान अली इमाम तथा हसन इमाम के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर लोग इसमें शामिल हुए तथा आन्दोलन में जान आ गई। 1908 में बिहार प्रान्तीय सम्मेलन की पहली बैठक में, जिसका सभापतित्व अली इमाम कर रहे थे, फखरुद्दीन का प्रस्ताव अनुमोदित हुआ कि बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया जाय। 1908 में कलकत्ता हाई कोर्ट में अली इमाम

भारत सरकार के स्थायी परामर्शदाता नियुक्त हुए तथा डा. सच्चिदानन्द सिन्हा इम्पिरियल लेजिसलेटिव कौंसिल में बंगाल के लेजिसलेटिव कौंसिल के प्रतिनिधित्व के लिए चुने गए। 1910 में अली इमाम गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद् में विधि सदस्य नियुक्त किए गए। ये नियुक्ति बिहारियों को पहले-पहल नसीब हुई थी, जो बंगाल के विभाजन का अप्रत्यक्ष परिणाम था।<sup>9</sup>

इसी बीच 11 अगस्त 1908 की बंगाल के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर फ्रेजर के बांकीपुर तागमन के अवसर पर 6000 लोगों के हस्ताक्षर वाला मेनिफेस्टो उन्हें दिया गया जिसमें बंगाल विभाजन से उत्पन्न अव्यवस्था के दौर में बिहार वासियों की शांति एवं न्यायपूर्ण शासन में विश्वास की अभिव्यक्ति थी।<sup>10</sup>

14 अगस्त 1908 को पुनः तीन संघों-“द बिहार लैंड होल्डर्स एसोसियेशन”, द बिहार प्रोविन्सियल एसोसिएशन” और “द बिहार प्रोविन्सियल मुस्लिम लीग” की ओर से बंगाल के ले. गवर्नर फ्रेजर को एक स्मार पत्र दिया गया जिसमें बिहारियों के आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया। स्मार पत्र ने असर दिखाया। अन्ततः भारत सरकार ने अक्टूबर 1908 को बिहारियों के स्मार पत्र तथा उस पर ले. गवर्नर की प्रतिक्रिया को संलग्न करते हुए लंदन स्थित भारत के राज्य सचिव को अग्रसारित कर दिया।

अंग्रेजी सरकार को यह बात समझ में आ गई कि यदि बिहार को स्वतंत्र प्रान्त का रूप नहीं दिया गया तो क्षोभ की लहर विद्रोह तथा राष्ट्रीय आन्दोलन की चिंगारी में परिणत हो जाएगी। इधर

सरकार “द बिहारी” के सम्पादक महेश्वर प्रसाद से भी तंग थी क्योंकि सरकारी सेवा में बिहारियों के बहाली के संबंध में उन्होंने सराहनीय प्रयास किया।<sup>11</sup>

1911 में भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से ब्रिटिश सरकार को बंगाल विभाजन रद्द करने, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जाने ले. जनरल इन काउंसिल के अधीन बिहार को छोटा नागपुर तथा उड़ीसा सहित एक अलग प्रान्त बनाने संबंधित प्रस्ताव भेजे, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया। इसकी घोषणा सम्राट जार्ज पंचम ने 12 दिसम्बर 1911 में दिल्ली दरबार में की। 22 मार्च 1912 को इसकी अधिसूचना भी निकाल दी गई तथा अप्रैल 1912 को विधिवत बिहार का अस्तीत्व नये प्रदेश के रूप में कायम हो गया।<sup>12</sup> सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली बिहार एवं उड़ीसा के प्रथम लेफ्टिनेन्ट गर्वनर नियुक्त हुए।<sup>13</sup>

संक्षेप में, आधुनिक बिहार के सृजक के संघर्ष का इतिहास कई चरणों से

गुजरा तथा इसका निर्णायक एवं अंतिम चरण 1905 से 1912 रहा। डा. सच्चिदानन्द सिन्हा, महेश नारायण, नन्द किशोर लाल, श्री कृष्ण सहाय, ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, हसन इमाम, सफुद्दीन, फखरुद्दीन, डा. राजेन्द्र प्रसाद जैसे कई नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हुए बिहार के प्रथकरण के मशाल को जलाए रखा। कलम तथा एकजुटता ने गढ़ी नई पहचान तथा शिक्षाविदों की तार्किक मुहित पत्रकारिता के तेवर, सांस्कृतिक एकता तथा बिहारियों के असीम उत्साह तथा साहस ने भारत के मानचित्र पर बिहार नामक एक पृथक प्रान्त का बीजारोपण किया, जिसपर किसी को गर्व हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इतिहास लेखन के क्षेत्र में आधुनिक समय में इस पर इतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए। अपने राष्ट्रवादी तेवर को जारी रखते हुए स्वतंत्रता संग्राम में बिहार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ा।

## संदर्भ सूची

1. अभ्युदय, प्रथम संकलन 2010 दैनिक जागरण, पृष्ठ 3-9
2. विजय कुमार राय, बिहार एक अवलोकन, पृष्ठ-5.
3. क्रॉनिकल इयर बुक, 2005, पृष्ठ 393.
4. इमत्याज अहमद, बिहार एक परिचय, पृष्ठ 17-21
5. मुर्ग-ई-सुलेमान उर्दू अखबार 7 फरवरी 1974
6. अनीश समाचार पत्र, 18 जून 1888
7. डा. विजय कुमार, आधुनिक बिहार के सृजन का शताब्दी वर्ष, बिहार राज्य अभिलेखगार, पटना, पृष्ठ 4-7.
8. प्रो. एन. पी. वर्मा, आधुनिक बिहार का सृजन अभ्युदय, दैनिक जागरण पृष्ठ-9.
9. डा. विजय कुमार, पूर्व चर्चित, पृष्ठ 9-10
10. संचिका संख्या एम. /49 ऑफ 1408, राजनीतिक विभाग, बंगाल सरकार।
11. संचिका संख्या 41/1912- नियुक्ति विभाग, बिहार एवं उड़ीसा सरकार।
12. सरकारी गजट, बिहार एवं उड़ीसा, संख्या 1/1912, बिहार राज्य अभिलेखगार, पटना।
13. मुख्य सचिव, बिहार एवं उड़ीसा सरकार की अधिसूचना संख्या- 2सी./40 1912, बिहार अभिलेखगार, पटना।
14. डा. द सेपरेशन ऑफ बिहार।



## प्राचीनकालीन मिथिला समाज में दास व्यवस्था

सुमित प्रकाश

दास प्रथा मानव जाति के इतिहास में प्राचीनतम संस्थाओं में से एक है। पुराकालीन सभी देशों और तथाकथित उन्नत एवं सभ्य राष्ट्रों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में दास प्रथा एक स्थायी प्रथा के रूप में प्रचलित थी। बेबीलोन मिश्र, यूनान, रोम आदि राष्ट्रों की तरह मिथिला में भी दास प्रथा विद्यमान थी। संभवतः दासता का उदय इतिहास के बर्बर युग में हुआ और तब से सबल पगों से वह निरंतर चली आ रही है। बर्बरकाल से ही मानव समाज में शोषक और शोषित दो वर्ग रहे हैं। और शोषण के रूप में ही दास-प्रथा का विकास हुआ। डा. उपाध्याय ने ठीक ही लिखा है कि शोषित प्राचीन जगत में दास प्रथा के रूप में जन्मा, मध्यकाल में वह सामंतों के भूदासों के रूप में शोषित हुआ, वही वर्तमान युग में श्रमजीवियों के रूप में जीवित है। सभ्यता के तीन युगों में दासता के तीन कलेवर बदले। रूप बदलते गये, परंतु नग्न अथवा ढकी दासता इन अनविच्छिन्न त्रैकालिक शोषण का आधार बनी रही।

दास प्रथा मिथिला के सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी अति प्राचीन काल से ही एक मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में विद्यमान रही है। मिथिला में भी दासत्व की उत्पत्ति सामाजिक और आर्थिक लाभ के लिए एक जाति के लोगों के द्वारा दूसरी जाति के लोगों को युद्ध में बंदी बनाये जाने से हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि जब पशुपालन, खेती, घरेलु हस्तकारी सभी शाखाओं में उत्पादन का विकास हुआ तो मानव श्रम शक्ति को कायम रखने में जितना खर्च

होता था, उससे अधिक वह पैदा करने लगा। अब पहले की अपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति के कार्य भी बढ़ गये, जिसे पूरा करने के लिए अतिरिक्त श्रम शक्ति की आवश्यकता हुई और इसके लिए युद्ध में बंदी बनाये गये लोगों को दास बनाया जाने लगा! इस तरह मानव की पूँजीवादी प्रवृत्ति ने श्रम की उत्पादन शक्ति को बढ़ाकर आर्थात् श्रम में वृद्धि करके उत्पादन के वेग का विस्तार करके लाजिमी तौर पर समाज में दास-प्रथा को ले आया!

मिथिला के जन-जीवन में दासता का इतिहास हम जनक युग से ही पाते हैं! बृहदारण्यक उपनिषद् में उल्लिखित है कि याज्ञवल्क्य से बह्यज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् राजा जनक ने उनसे कहा, "मैं श्रीमान को विदेह देश देता हूँ! साथ ही, आपकी दासता के लिए अपने को समर्पित करता हूँ"<sup>12</sup> वैदिक काल में दास प्रथा इतनी मजबूत थी कि ब्राह्मण ऋषि भी इसके लाभ में पीछे नहीं थे। याज्ञवल्क्य के समकालीन और गुरु उद्दालक आरुणि ने पांचालों की परिषद् में स्पष्ट कहा कि श्मेरे पास स्वर्ण, गौ, अश्व, दासी, परिवार और वस्त्रों की कमी नहीं है।<sup>13</sup> ऐसा प्रतीत होता है कि भारत आने पर आर्यों और अनार्यों के संघर्ष हुए जिनमें अनार्यों की पराजय हुई तथा पराजित और बंदी आर्य तत्कालीन समाज में दास के रूप में स्वीकृत किये गये! किंतु ऋग्वेद में दास और दस्यु दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। और दोनों शब्द षत्रु के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। ऋग्वेद में एक मंत्र से विदित होता है कि आर्यों और अनार्यों का भीषण संघर्ष हुआ था, जिसमें आर्यों ने इंद्र की स्तुति की थी— "हमें सब ओर से दस्यु घेरे हुए हैं। वे यज्ञ कर्म नहीं करते, न वे किसी वस्तु को मानते हैं, उनके व्रत हमसे भिन्न हैं, वे मनुष्यों जैसा व्यवहार नहीं करते! हे षत्रुनाशक, तू उनका वध कर और दासों का विनाश कर।" इंद्र के बारे में यह भी कहा गया है कि उसने दस्युओं को सभी अच्छे गुणों से वंचित रखा है और दासों को अपने वध में किया।<sup>14</sup> इससे पता चलता है कि दास और दस्यु पर्यायवाची नहीं थे और आर्य दस्यु का विनाश निर्ममतापूर्वक करते थे पर दासों के प्रति उनकी नीति नरम थी। डॉ. पर्मा

शोधार्थी, इतिहास विभाग,  
बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

का विचार है कि दास संभवतः उन मिश्रित भारतीय आर्यों के अग्रिम दस्ते थे जो इन आर्यों से कुछ समय पूर्व भारत आए। शायद इसी कारण आर्यों ने दासों के प्रति मेल-मिलाप की नीति अपनायी और दिवोदास, वलवुथ और तरुक्ष जैसे उनके सरदार आर्यों के दल में आसानी से आत्मसात किये जा सके। अंतर्जातीय संघर्षों में अधिकतर आर्यों के सहायक के रूप में दास शब्द का प्रयोग भारत के आर्योत्तर निवासियों के बीच नहीं बल्कि भारतीय आर्यों से सम्बद्ध लोगों के बीच प्रचलित था। ऋग्वेद के उत्तरवर्तीकाल में दास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होने लगा जिससे न केवल मूल भारोपीयों दासों के वंशजों बल्कि दस्यु और राक्षस जैसे आर्य पूर्व लोगों और आर्य समुदाय के उन सदस्यों का भी, जो अपने आंतरिक संघर्षों के कारण अकिंचनता या गुलामी की स्थिति में पहुँच गये थे, बोध होता है।<sup>9</sup> दास शब्द चाहे आर्यों के अग्रिम पराजित दस्ते के लिए प्रयुक्त हुए हो अथवा पराजित आर्यों के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि जिन पराजित लोगों ने आर्यों की अधिनता स्वीकार कर ली थी, वे दास के रूप में आर्यों की सेवा में रत हो गये थे। के० दामोदरन का विचार है कि दास शब्द मूलतः जिसका अर्थ षत्रु है, नौकर के अथवा गुलाम के अर्थ में उस समय इस्तेमाल होना शुरू हुआ, जब आर्यों ने अपने पूर्व निवासियों को पराजित कर अपना दास बना लिया।<sup>10</sup> डॉ. वाषम का विचार है कि दास शब्द का मूल अर्थ भारत में आर्यों के प्रथम आक्रमणों के फलस्वरूप विजित जातियों के एक सदस्य से था। कुछ समय पश्चात

निःसंदेह इसका गौण आषय यह निकला कि युद्ध भूमि में बंदी बनाये हुए अनेक दासों को सेवक बना लिया जाता था तथा यहीं पर हम संभवतः भारतीय दासता का मूल पाते हैं।<sup>7</sup>

इस तरह स्पष्ट है कि युद्ध में पराजित लोगों को आर्य विजेताओं ने अपना दास बना लिया और बाद में क्रमशः उन्होंने समझा होगा कि पुरानी संस्कृति के किसानों से श्रमिकों का काम लिया जा सकता है और उनसे कृषि कार्य कराया जा सकता है। साथ ही कालांतर में उन्होंने अपनी अषक्य और संपत्तिहीन जनजातियों से भी श्रमिकों का काम लेना शुरू किया होगा और इसी आधार पर संपूर्ण प्राचीन भारत और मिथिला समाज में दास प्रथा का प्रादुर्भाव और विकास हुआ।

प्राचीन ग्रंथों में कई प्रकार के दास बताये गये हैं। कौटिल्य, मनु और नारद आदि के उल्लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन समाज में ६ वजाहृत दास,; (जो युद्ध में बंदी होने के कारण दासता स्वीकार करते थे) पैत्रिक दास ; (परंपरागत दास) आत्मविक्रयी दास ; (जो परिस्थितिवश अपने को बेचकर दासता स्वीकार करते थे) उदर दास; (जो अपना पेट पालने के लिए अपने को बेच देते थे) प्रेक्षपानुरूप दास; (जो अपने आप को बंधक रखकर धन लेते थे) दंड दास; (दंड या ऋण आदि न चुका सकने के कारण) गृहज दास; (दासी पुत्र), स्वयं दासता ग्रहण करने वाला, एक निश्चित समय के लिए अपने आप को दास बनाने वाला, दासी के प्रेम-पास में फँसकर अपने को दास बनाने वाला

आदि दासों का अस्तित्व था।<sup>8</sup> दासों के ये प्रकार मिथिला के प्राचीन समाज में अवश्य रहे होंगे! किंतु दासों का आधार भी वर्णगत था। याज्ञवल्क्य और नारद ने स्पष्ट कहा है कि वर्ण के आधार पर और उसके अनुसार ही व्यक्ति अपने स्वामी का दास बन सकता था। ब्राह्मण के क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दास हो सकते थे, क्षत्रिय के वैश्य और शूद्र और वैश्य के केवल शूद्र। किंतु ब्राह्मण अपने से निम्न तीनों वर्णों का दास नहीं हो सकता था और न वैश्य अपने से निम्न वर्ग का।<sup>9</sup> कात्यायन का कथन है कि ब्राह्मण किसी ब्राह्मण का दास नहीं हो सकता अगर वह किसी ब्राह्मण का दास बनना ही चाहता है तो वह वैदिक अध्ययन जैसे स्वच्छ कर्म को ही अपनाये, अस्वच्छ कर्म को नहीं।<sup>10</sup> इन विधि-विधानों से ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि विशेष परिस्थिति में द्विज भी दास हो सकते थे। किंतु किसी भी हालत में ऐसे लोगों की संख्या अधिक नहीं रही होगी! अधिकांश दास शूद्र वर्ण के होते थे। ऋण क्रय अपनी स्वयं की इच्छा और भय से उत्पन्न दासता की उम्मीद उच्च वर्णों की अपेक्षा निम्न वर्णों से ही अधिक की जा सकती है।<sup>11</sup>

मिथिला के प्राचीन समाज में भी जनक युग से ही दासों का प्रधान कर्म था उच्च वर्णों की सेवा करना। वे विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य से अपने स्वामी को प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे। प्रायः दासों से कृषि श्रुपालन और घरेलू काम लिया जाता था। जातकों से पता चलता है कि वे खेत,

कर्मषाला या दूकान में काम करते थे, कुएं, जलाशय आदि से पानी लाने का काम करते थे, बर्तन धोने तथा धान सुखाने का भी काम करते थे! नारद के अनुसार, दासों को गृह के द्वार, मार्ग और पहाड़ी आदि को साफ करने में, शरीर के गुह्यांगों की सफाई करने में, मूत्रादि फेंकने में लगाना चाहिए। स्वामी अगर चाहे तो अपने शरीर की सेवा में भी उसे संलग्न कर सकता है।<sup>12</sup> सब्जी काटना, फर्ष सफाई, झाड़ू लगाना, गाय, बैल और बकरी चराना, घास काटना, अनाज निकालना आदि अनेक प्रकार की पारिवारिक सेवाएं दास किया करते थे।

आज भी मिथिला के उच्चवर्गीय परिवारों में नौकर, ख्वास, चरवाहा, हरवाहा आदि के रूप में दासत्व को देखा जा सकता है।<sup>13</sup> दासों के प्रति किया जाने वाला व्यवहार प्रायः उनके स्वामियों के स्वभाव पर निर्भर करता था। भारतीय साहित्य में दासों के प्रति होने वाले अच्छे एवं बुरे अनेक प्रकार के व्यवहारों के दृष्टान्त हैं, जिनसे उनके जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेस्सन्तर जातक के अनुसार, एक ब्राह्मण स्वामी अपने दास और दासियों को अतिषय कष्ट दिया करता था।<sup>14</sup> अंगुत्तर निकाय के एक संदर्भ से विहित है कि हृदयहीन और क्रूर स्वामी के दण्ड से दास-दासिया सर्वदा डरा करती थी और वे अश्रुपूरित नेत्रों से रोया करती थी।<sup>15</sup> मनु जैसे स्मृतिकारों ने भी दासों के अपराध करने पर रस्सी अथवा बाँस की छड़ी से पीटने की बात कही है।<sup>16</sup> इसके विपरित जातक कथाओं से ऐसे भी दृष्टान्त मिलते हैं कि अपने दासों के लिए

गृहस्वामी भोजन और वस्त्र उचित प्रबंध करते थे। घरेलू दास प्रायः अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ अपने स्वामी के घर में ही रहते थे। कटाहक नामक दास की एक कथा एक जातक में दी गई है, जो अपने स्वामी के पुत्र के साथ ही पला, बड़ा हुआ और उसी के साथ शिक्षा प्राप्त की। वह दो या तीन शिल्पों में भी पारंगत हुआ। बाद में वह उस श्रेष्ठि के घर में भण्डागारिक बना दिया गया।<sup>17</sup> उद्दालक जातक से ज्ञात होता है कि एक ब्राह्मण राजपुरोहित का प्रेम संबंध एक दासी से हो गया और उससे उत्पन्न पुत्र उद्दालक अत्यन्त ज्ञानी और तपस्वी हुआ।<sup>18</sup> सुंदर दासियों से कभी-कभी स्वामी विवाह भी कर लेते थे।

वस्तु स्थिति जो भी हो, इतना तो मानना पड़ेगा कि प्राचीन भारत के अन्य प्रदेशों की तरह मिथिला में भी दासों की स्थिति पाश्चात्य दासों की तुलना में अत्यन्त उच्च एवं मानवीय थी। यही कारण है कि मेगास्थनीज जैसे विदेशी लोगों को भी भारत में दासत्व का अनुभव नहीं हुआ।<sup>19</sup> भारत के साथ-साथ मिथिला में दासों के साथ मानवीय और सहृदयतापूर्वक व्यवहार किया जाता था। प्राचीन व्यवस्थाकारों ने भी दासों के प्रति अन्मुक्त मस्तिष्क और निर्मल हृदय के साथ विचार किया है। कौटिल्य ने लिखा है कि यदि कोई आर्य जाति का व्यक्ति आत्म विक्रय करके अपने आप को दास बना ले, फिर भी उसकी संतान आर्य कहलाएगी। वह आत्मविक्रयी आर्यस्वामी के कार्य की हानि न करके यदि स्वयं कुछ धन उपार्जित कर ले तो वह धन तथा

पैत्रिक संपत्ति प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार दासता का मूल्य चुकाकर वह फिर से आर्य बन जायेगा जो धनिक व्यक्ति उचित निश्क्रय मूल्य पाकर भी दास को आर्यत्व न प्राप्त करने दे, उसे बारह पण दण्ड दिया जाय। यदि वह बिना कारण दास को न छोड़े तो उसे कारावास दण्ड दिया जाय।<sup>20</sup> दिघनिकाय के अनुसार, दास तीन स्थितियों में मुक्त हो सकता है—या तो वह सन्यास ग्रहण करले, या स्वामी द्वारा मुक्त कर दिया जाय या पुल्क अदा कर दे।<sup>21</sup> जातकों में ऐसा भी उल्लेख है कि स्वामी द्वारा प्रब्रज्या ग्रहण कर लेने पर उसके समस्त दास मुक्त कर दिये जाते थे।<sup>22</sup> नारद के अनुसार अगर स्वामी किसी भयंकर खतरे से दास द्वारा बचा लिया जाता था तो वह दास मुक्ति प्राप्त कर लेने का अधिकारी होता था।<sup>23</sup> याज्ञवल्क्य ने यह व्यवस्था दी है कि जो स्वयं दासत्व स्वीकार करता है या युद्ध भूमि में बंदी बनाया जाता था, वह अपने स्वामी को धन प्रदान करके मोक्ष प्राप्त कर सकता था। पुरानी व्यवस्थाओं को मिथिला के महान विद्वान वाचस्पति मिश्र ने भी स्वीकार किया है और दासों के मोक्ष के प्रति अपनी कोमल भावनाओं को प्रकट किया है।<sup>24</sup>

उपयुक्त पंक्तियों से इतना तो स्पष्ट है कि प्राचीन काल में दासत्व वैधानिक कर्म समझा जाता था और एक श्रम प्रणाली के रूप में दास प्रथा की वैधता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया गया था। वे खरीदे और बेचे जा सकते थे, उन्हें उपहार में दिया जा सकता था और उन्हें बंधक रखा जा सकता था। मिथिला में दास प्रथा इस रूप में

जड़ जमा चुकी थी कि न तो किसी प्राचीन सरकार ने और न किसी धार्मिक संस्था ने इसे समाप्त करने की दिशा में पहल की। यहाँ तक कि कई शताब्दियों तक प्राचीन भारतीय समाज को अपने मानववादी विचार से प्रभावित करने वाले बौद्ध एवं जैन धर्म ने भी इस प्रथा को भंग करने के संबंध में कोई शब्द न कहे। अहिंसाके समर्थक और बौद्ध धर्म को मानने वाले सम्राट अशोक ने भी लोगों से दासों और भक्ष्यों के साथ मात्र उचित व्यवहार करने की बात कही।<sup>25</sup>

### संदर्भ सूची

1. भ.ष. उपाध्याय—भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण, प०—219—20
2. वृहद उप.—4/4/23
3. वृहद उप.—6/4/7
4. ऋग्वेद — 10/22/8; 4/28/4
5. षर्मा—शूद्रों का प्रारंभिक इतिहास, प०—18—19
6. के० दामोदरन—भारतीय चिंतन परंपरा प०—19
7. ए० एल० वाषम—अदभुद भारत, प०—125
8. अर्थ०—2/3; मनु—8/4/15
9. याज्ञ०—2/1/83; नारद—5/38—39
10. कात्या०—5/722
11. षर्मा—शूद्रों का प्रारंभिक इतिहास, प०—88
12. नारद—6/7
13. मो० अकीक—इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ मिथिला प०—104—05
14. अंगुत्तर निकाय—2, प०—207—08
15. मनु—2/299
16. जातक—1, प०—451
17. डा० जयशंकर मिश्र—प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, प०—191
18. ए० एल० वाषम—अदभुद भारत, प०—125
19. अर्थ०—3/13
20. दीधनिकाय—1/60—61
21. जातक स०—532
22. नारद—5/31—34
23. याज्ञ०—10/32
24. विवादचिन्तामणि—6, प०—293—96
25. मो० अकीक—इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ मिथिला प०—106



# बिहार में वेश्याओं के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डा. आषुतोश झा

## Abstract

'वेश्यावृत्ति' शब्द का व्यवहार भले ही आधुनिक काल में हुआ हो परन्तु एक वृत्ति के रूप में इसे मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरण से ही अपना लिया गया था। विद्वानों का मानना है कि यह विश्व का सबसे पुराना व्यवसाय है। अलग-अलग समय में इसका नाम और इसके स्वरूप भले ही भिन्न रहे हों परन्तु इसके मौलिक तत्व हमेशा एक ही रहे हैं। भारत में वेश्यावृत्ति का इतिहास बहुत प्राचीन है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस वृत्ति का उल्लेख विभिन्न नामों से हुआ है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों में वेश्याओं को कई नामों जैसे-गणिका, रूपाजीवा, भोग्य आदि से संबोधित किया गया है। भारत में स्वतंत्रता के बाद भी वेश्यावृत्ति का व्यवसाय बंद नहीं हुआ बल्कि शहरों की बढ़ोत्तरी एवं भौतिकवाद के प्रति बढ़ते आकर्षण ने वेश्यावृत्ति को और अधिक बढ़ावा दिया। सरकार ने इसके नियंत्रण के लिए समय-समय पर कई कानून बनाये पर उन्हें अधिक सफलता नहीं मिला। आज भी वेश्यावृत्ति देश में कई हिस्सों में अलग-अलग रूपों में व्याप्त है। बिहार में भी वेश्यावृत्ति का इतिहास बहुत पुराना है। खास कर मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर, भागलपुर, भोजपुर आदि जगहों में आज भी वेश्यावृत्ति गुप्त रूप से ही सही व्यवसाय का रूप धारण कर रहा है। प्रस्तुत शोध-पत्र का मैं यह दर्शाया गया है कि वेश्यावृत्ति का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तथा इसके निदान के

सरकारी एवं गैर-सरकारी स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इस पर भी प्रकाश डाला गया है।

## परिचय

वेश्यावृत्ति एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। विवाह एवं परिवार में जब से काम भावना को सीमित किया गया तब से एक व्यवसाय के रूप में वेश्यावृत्ति का उदय हुआ। वेश्यावृत्ति को यौन तृप्ति का एक विकृत एवं घृणित साधन माना गया है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति का शारीरिक एवं नैतिक पतन होता है तथा आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इसके कारण परिवार एवं विवाह जैसी सामाजिक संस्थाएँ प्रभावित होती हैं। यही कारण है कि भारत में न तो इसे सामाजिक मान्यता प्राप्त है न ही कानूनी, तो दूसरी ओर विधि विशेषज्ञों एवं समाजशास्त्रीयों का मानना है कि वेश्यावृत्ति को भारत में कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। वेश्यावृत्ति को कानून द्वारा मान्यता नहीं मिलने के कारण ही समाज में वेश्याओं के प्रति एक 'स्टिग्मा' फैला हुआ है, जिसके फलस्वरूप ही वेश्याओं और उनसे संबंधित समस्याओं पर खुल कर विचार नहीं हो पाता है। विश्व के सभी समाजों में वेश्यावृत्ति को हेय दृष्टि से देखा जाता है। यद्यपि विश्व के कई देशों में इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है, फिर भी वेश्यावृत्ति नैतिक मान्यताओं एवं आदर्शों पर भयंकर कुठाराघात माना जाता है। महान समाजशास्त्री ईमाइल दुर्खीम के शब्दों में यदि कहा जाए तो वेश्यावृत्ति एक सामाजिक तथ्य है। चूँकि वेश्यावृत्ति एक सामाजिक तथ्य है, अतः इसकी जड़ समाज में ही निहित है एवं समाजिक परिवेश में ही इसके कारण एवं इसके निदान को ढुढ़ना है।

## अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन बिहार में वेश्याओं के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण को चुनने का महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित है -

- प्रस्तुत अध्ययन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि यह एक ऐसे विषय से संबंधित है जो भारतीय समाजशास्त्रीय साहित्य में शायद ही कोई समाजशास्त्रीय अध्ययन वेश्याओं के संतानों से सम्बन्धित है। यह उम्मीद किया जा सकता है कि प्रस्तुत अध्ययन समाजशास्त्रीय साहित्य के कमी को बहुत हद तक दूर करेगा।
- इस अध्ययन का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यद्यपि बिहार एक कल्याणकारी राज्य है फिर भी

पी.एच.डी., समाजशास्त्र विभाग, पटना वि. वि., पटना

हमारे समाज में वेश्याओं के संतानों को शिक्षा एवं उससे जुड़े हुए अन्य सुविधाओं से वंचित रखा गया है। इस प्रकार यह अध्ययन मानवाधिकार के मुद्दे से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।

- iii) इस अध्ययन का तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य यह जानना है कि वेश्याओं के संतानों की समाजीकरण की प्रक्रिया कैसी है और यह प्रक्रिया वृहत्तर समाज में पाये जाने वाले समाजीकरण की प्रक्रिया से किस अर्थ में भिन्न है।
- iv) प्रस्तुत शोध-पत्र का प्रमुख उद्देश्य यह भी जानना है कि वेश्यावृत्ति का बिहार के सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पर रहा है। एवं उनके बच्चों का लालन -पालन के आधार क्या है?
- v) प्रस्तुत शोध-पत्र का एक अन्य उद्देश्य यह जानना है कि वेश्यावृत्ति को कैसे रोका जाए जिससे उनके बच्चों का लालन -पालन, शिक्षा-दीक्षा ठीक ढंग से हो सके।
- vi) दूसरी ओर यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्था ने वेश्यावृत्ति को समाप्त करने के क्या-क्या प्रयास कर रहे हैं और कहाँ तक वे सफल हुए हैं।

## शोध की उपकल्पनाएँ

किसी भी अनुसंधान और सर्वेक्षण की समस्या के चुनाव के बाद अनुसंधानकर्ता समस्या के बारे में कार्य करण संबंधो का पूर्वानुमान लगा लेता है। यह पूर्वानुमान ही उपकल्पना कहलाती है। एक अच्छी उपकल्पना अध्ययन को

दिशा निर्देशित करती है। अतः प्रस्तुत शोध-पत्र की उपकल्पनाएँ निम्नलिखित इस प्रकार है -

- i) वेश्याओं के बच्चों में प्राथमिक समाजीकरण व्याधिकीय होता है।
- ii) बिहार में वेश्यावृत्ति आज एक उद्योग का रूप ले लिया है। अतः बच्चे भी इससे अछूते नहीं है।
- iii) मौलिक आवश्यकताओं के साधनों एवं शिक्षा के अभाव में उनका समाजीकरण सही ढंग से नहीं हो पाता है।
- iv) बिहार या अन्य जगहों में वेश्याओं के बच्चों में पिता के निर्धारण की समस्या पायी जाती है।
- v) वेश्याओं के बच्चों में प्रायः विवाह, परिवार एवं नातेदारी जैसे संस्थाओं से जुड़े हुए संकट पाये जाते है।
- vi) जिन बच्चों के माँ वेश्या व पिता दलाल होते हैं, उनके बच्चे भी प्रायः यही पेशा अपनाते है।
- vii) सरकार द्वारा चलाये जा रहे कल्याण कार्यक्रमों के सही कार्यान्वयन के अभाव में वेश्याओं के बच्चों में सही समाजीकरण नहीं हो पाता है।

## अध्ययन समीक्षा

प्रस्तुत शोध-पत्र के अन्तर्गत वेश्याओं और उनके बच्चों से सम्बन्धित कुछ अध्ययनों की समीक्षा की गई है। ऐसा उम्मीद किया जा रही है कि ये अध्ययन कार्य को दिशा निर्देश करेगा।

नीना श्रीवास्तव ने अपने अध्ययन हबिहार के स्त्रियों में वेश्यावृत्ति का नृजातीय अध्ययन (2002) में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के चतुर्भूज स्थान के 55 वेश्याओं के साक्षात्कार के आधार पर उपर्युक्त विषय का अध्ययन किया

है। इस अध्ययन में वेश्याओं के साथ जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है उस पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए राज्य को उनकी मानवाधिकार की रक्षा करने की बात की गई है तथा गैर-सरकारी संगठन, नागरिक समाज एवं परिवार की पूरक भूमिकाओं को भी इस संदर्भ में देखा गया है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (1996) द्वारा भारत के महानगरों में वेश्यावृत्ति का अध्ययन के. के. मुखर्जी एवं दीपा दास के नेतृत्व में किया गया। यह अध्ययन में 2906 वेश्याओं का अध्ययन किया गया है और पाया गया है कि ज्यादातर वेश्याएँ कम उम्र की है तथा उसमें 40 प्रतिशत अशिक्षित है और एक तिहाई वेश्याएँ प्राथमिक शिक्षा ली हुई है। अध्ययन में उनके विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों को अधूरा बताया गया है साथ ही सामाजिक विकास रोजगार के अवसरों का सृजन, शिक्षा तथा नये पीढ़ियों में जागरूकता लाने की बात की गई है।

“प्रेरणा” जो एक गैर-सरकारी संगठन है, ने 1995 में अपने अध्ययन "Girl children prostitution in Mumbai" में पाया कि अधिकांश बालिका वेश्याएँ 18 वर्ष से कम उम्र की है और इनका औसत उम्र 16 वर्ष है। इनके वेश्यावृत्ति में आने का कारण बेरोजगारी एवं विवाह न करने की इच्छा रही है। मधुर भंडारकर सामाजिक सारोकार से जुड़े फिल्मों को बनाने वाले प्रमुख फिल्म निर्माता है। उनकी प्रसिद्ध फिल्म “चाँदनीबार” जो 2002 में प्रसारित हुए जिसमें उन्होंने वेश्या और उसके बच्चों से संबंधित कहानी को व्यक्त किया है। इस फिल्म में वेश्या चाहती है कि वह जो धंधा कर रही है, वह उनके बच्चों न करें। परन्तु कठिन प्रयासों के बावजूद बेटा अपराधी बनकर जेल चला जाता है।

अतः इन साहित्यों के अध्ययनों से बिहार में वेश्याओं के बच्चों की समाजीकरण को जानने में महत्वपूर्ण सहायता मिलता है।

### अध्ययन पद्धति

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन में द्वितीयक श्रोतों के तहत पुस्तकालय में उपलब्ध अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, इन्टरनेट, पेपर कटिंग आदि का उपयोग किया गया है।
2. प्रस्तुत शोध अध्ययन में यथा संभव प्राथमिक श्रोतों का भी प्रयोग किया गया है। बिहार के निकटवर्ती क्षेत्रों जैसे-मुजफ्फरपुर, पटना के गंदी बस्तियों, भोजपुर के कुछ क्षेत्रों, भागलपुर के कुछ क्षेत्रों पर जाकर अनुसूचि के माध्यम से सूचनाओं को एकत्रित किया गया है।

### विश्लेषण

भारत में वेश्यावृत्ति का इतिहास काफी प्राचीन रहा है। वेश्यावृत्ति का संगठित रूप हमें 600 ईसा पूर्व से देखने को मिलती है जब भारत में 16 महाजनपदों का उदय होता है। ये महाजनपद वर्तमान शहर के रूप में ही थे, फिर भी इस समय वेश्यावृत्ति समाजिक समस्या का रूप नहीं ले सका था। इस काल की वेश्याओं को नगर-वधू कहा जाता था। मौर्य काल में वेश्यावृत्ति केवल राजा महाराजा एवं कुलीनों तक ही सीमित थी। परन्तु मौर्योत्तर काल के बाद जो विदेशी आक्रमण भारत पर हुए उससे वेश्यावृत्ति का प्रसार बढ़ता गया। ये आक्रमणकारी बिजित देश की महिलाओं से ही अपने काम वासना की तृप्ति करते थे, जिन्हें समाज बाद में स्वीकृत नहीं करता था और वे वेश्या बन जाती

थी। इस संदर्भ में दूसरा प्रमुख कारण हमें गुप्तकाल में देखने को मिलता है जिस काल में स्त्रियों में गिरावट आयी और वेश्यावृत्ति में वृद्धि हुई। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों के द्वारा वेश्यावृत्ति को बढ़ावा मिला और यह आम प्रचलन में आया एवं समाज के लिए एक समस्या का रूप ले लिया। आधुनिक समय में वेश्यावृत्ति के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है और वेश्यावृत्ति से नृत्य, गायन, वादन, की प्रथा समाप्त होकर आज यह केवल यौन-तृप्ति एवं शारीरिक सुख प्राप्ति का माध्यम बन कर रह गया है।

वेश्यावृत्ति के कारण समाज को अनेको प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हिंसा एवं अपराध में वृद्धि हो जाती है, पारिवारिक विध्वंस वृद्धि जाता है। मधुपान की समस्या जोर पकड़ने लगती है तथा समाजिक मूल्यों एवं प्रतिमानों का ह्यास होने लगता है। साथ ही लूट, हत्या डकैती एवं बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हो जाती है। वेश्यावृत्ति के कारण पैदा होने वाले अवैध बच्चे समाज के लिए एक समस्या बन जाते हैं। जिनका न कोई सामाजिक पहचान होती है और न ही नातेदार। इसके फलस्वरूप प्रायः वे बाल अपराधी बन जाते हैं। इस प्रक्रिया में उनका कोई योगदान नहीं होता है क्योंकि जिस संस्कृति के अन्तर्गत वे पलते और बढ़ते हैं उसका ही वे प्रतिनिधित्व करते हैं। कहा भी जाता है कि संस्कृति व्यक्तित्व को निर्धारित करती है।

### राष्ट्रीय महिला आयोग का खुलासा

राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के 612 जिलों में से आधे से अधिक जिलों में महिलाओं और बच्चों से यौनचार के लिए तस्करी की जा रही है। रिपोर्ट

कहती है कि 378 जिलों में 1,794 ऐसे चिन्हित स्थान हैं जो देह व्यापार जैसे अनैतिक कार्य के केन्द्र हैं और 1,016 ऐसे स्थान हैं जहाँ पेशेवर देह व्यापार हो रहा है। केरल, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लगभग सभी जिलों अनैतिक कार्यों के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी की समस्या से ग्रस्त है।

तमिलनाडु में 93.33 प्रतिशत जिले, उड़ीसा में 86.66 प्रतिशत जिले और बिहार में 86.48 प्रतिशत जिले इस समस्या से प्रभावित हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में 15 साल से 35 साल की उम्र की महिलाओं की कुल आवादी में से 2.4 प्रतिशत महिलाएं वेश्यावृत्ति से जुड़ी हैं। इसमें कहा गया है कि भारत में पेशेवर यौनकर्मियों की संख्या करीब 28 लाख है। इनमें से 43 प्रतिशत से अधिक महिलाएं उस समय अवयस्क थीं जब वे देह व्यापार से जुड़ी थीं। आयोग का कहना है कि वेश्यावृत्ति के 50 प्रतिशत से अधिक मामलों का सबसे बड़ा कारण रोजगार के नाम पर झांसा देना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देह व्यापार से जुड़ी और इसकी खातिर तस्करी की शिकार 22 प्रतिशत से अधिक महिलाएं ऐसी हैं, जिन्हें उनके परिवार के सदस्यों ने ही इस धंधे में जाने के लिए बाध्य किया।

आयोग की रिपोर्ट आगे कहती है कि करीब 08 प्रतिशत महिलाओं को देह व्यापार के लिए उनके पतियों या ससुराल वालों ने बाध्य किया और 18 प्रतिशत महिलाओं को मित्रों या पड़ोसियों ने लालच देकर इस धंधे में धकेला। पेशेवर देह व्यापार में लिप्त 51 प्रतिशत से अधिक महिलाएं ऐसी हैं, जिन्हें उनके परिवार वालों या ससुराल वालों ने इस धंधे में जाने के लिए मजबूर किया।

## बिहार में देह-व्यापार एवं बच्चों में समाजीकरण

मुजफ्फरपुर शहर के ठिक केन्द्र में स्थित चतुर्भूज स्थान 'रेड लाइट एरिया' की गणना प्रायः अन्तराष्ट्रीय स्तर के रेड लाइट एरिया के रूप में किया जाता है। मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में ही बौद्धकाल में विश्व प्रसिद्ध सुन्दरी एवं नृत्यांगना आम्रपाली रहा करती थी। ऐसी मान्यता है कि आम्रपाली की परंपरा किसी न किसी रूप में आज तक चतुर्भूज स्थान में मौजूद है। आज बूढ़ी गंडक, लीची एवं चतुर्भूज स्थान का नाम लेते ही हमें बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की याद तरो-ताजा हो जाती है, जिनसे किसी न किसी रूप में इस जिले को अन्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। चतुर्भूज स्थान में लगभग 3500 वेश्याएँ अपने कुनवे के साथ रोजमरो के संघर्ष एवं आजीविका की तलाश करती हैं और अपने परिवार का भरण-पोषण करती हैं।

देहज-प्रथा के कारण युवतियों का विवाह न होना, परित्यक्ताओं का पुनर्विवाह न होना, अविवाहित माँ को समाजिक कलंक मानना, बलातकृत महिला को कलंकित मानना आदि सामाजिक कुरीतियाँ बिहार में सबसे अधिक प्रचलित हैं। पारम्परिक एवं धार्मिक कुप्रथाएं यथा देवी-देवताओं की पूजा। सेवा के नाम पर देवदासी प्रथा या नेपाल में ब्रह्मकुमारी प्रथा, कुछ जनजातियों में बहुपति-विवाह या देह-व्यापार की धार्मिक मान्यता उत्तर-बिहार में नट जाति। बिहार के चार पूर्वी जिलों तथा कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में बाढ़ की वजह से इस क्षेत्र के पुरुष दूसरे राज्यों में काम की तलाश में चले गये हैं और उनकी पत्नियाँ एवं बच्चों अपने घरों में असहाय हैं, जिससे 2500 महिलाएं वेश्याएं बन गई हैं। इसके अलावा वहाँ नेपाल, बंगलादेश, पं. बंगाल से युवतियों को काम देने के बहाने या रूपयें देकर लाया जाता है। यद्यपि पहले वहाँ 'नट' जाति की युवतियाँ पारम्परिक रूप से वेश्यावृत्ति करती थी, जिनमें जमींदारों का समर्थन एवं संरक्षण मिलता था। और वे गुलाबबाग तथा फारबिसगंज के साप्ताहिक हाटों में अपना धंधा करती थी। बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णियाँ अररिया आदि लड़कियों की खरीद-बिक्री की बड़ी मंडिया है, जहाँ से वे मुम्बई तक भेजी जाती हैं। बिहार में शिक्षा एवं बेरोजगारी की कमी तथा बच्चों का अच्छा समाजीकरण न होना इस कारोबार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प. चम्पारण तथा पूर्वी चम्पारण के तराई क्षेत्रों में कुछ धुसपैठों के कारण अपराधिक समाजीकरण

अधिक देखने को मिलता है। फलतः यहाँ वेश्यावृत्ति का कारोबार भी हो रहा है।


### बिहार में अनैतिक व्यापार से जुड़े अपराध वर्ष 2008-2009 में

1 दर्ज किए गए मामले	47 प्रतिशत
2 संचालन से जुड़े गैर सरकारी संगठन	90 प्रतिशत
3 वचाए गए नाबालिग लड़कियाँ	108
4 गिरफ्तार किए गए ग्राहक	352
5 पीड़ितों का बचाव	716
6 अनैतिक व्यापार में शामिल लोग	1020

### बिहार में वेश्याओं का वितरण

क्षेत्र	प्रतिशत	क्षेत्र	प्रतिशत
मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार। नेपाल से आई।	86 2.6	गरीबी के कारण। बेरोजगारी व मजबूरी के कारण।	86 74
अन्य राज्यों से आई। एस.सी./एस.टी. एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाएँ।	1.86 60	घरवालों को ज्ञात है। यह काम अन्य कामों के अतिरिक्त करती है।	40 73
यौन सेविकाएँ निरक्षर हैं।	89	पति द्वारा त्याग के बाद शुरू की।	50
परिवार के ही यौन उत्पीड़न के बाद आई।	50	अनेक बीमारियों की चपेट में है।	82

वेश्यावृत्ति स्त्रियों एवं लड़कियों को नैतिक एवं सामाजिक पतन की ओर ले जाती है। सामान्यतः समाज में प्रत्यक्ष रूप से इस तरह के व्यवसायों में लिप्त महिलाओं को जीवन भर कलंक, तिरस्कार, अपमान एवं घृणा से भरा जीवन बिताना पड़ता है। समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता तथा सामाजिक मेल-जोल प्रायः शून्य होता है। जो इस व्यवसाय से जुड़ी होती हैं उन स्त्रियों को तो पोल खुल जाने पर और अधिक लज्जा एवं अपमान का सामना करना पड़ता है। जब तक वेश्याओं का शारीरिक आकर्षण बना रहता है, तब तक उनका यह व्यवसाय आर्थिक रूप से अत्यंत लाभप्रद होता है, परन्तु उम्र के साथ-साथ जैसे-जैसे उनका रूप ढलता जाता है वैसे-वैसे उनका व्यवसाय भी ढप होता जाता है और प्रायः सभी वेश्याओं का अन्तिम समय निर्धनता एवं अभाव में ही बीतता है। वेश्यावृत्ति के प्रभावों को अगर उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाय तो उसके केवल दुष्परिणाम ही नजर आयेंगे। नियमित शारीरिक शोषण, नींद की कमी, नशीले पदार्थों के सेवन से कम उम्र में ही उन्हें कई तरह के यौन अथवा अन्य रोगों का शिकार होना पड़ता है।



### सुझाव एवं निष्कर्ष

पिछले लगभग डेढ़ वर्षों से यौन कर्मियों के संगठनों का कोलकाता से केरल तक अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 में प्रस्तावित संशोधनों का विरोध जारी रहा है। यौन कर्मियों को ऐसा लग रहा है कि इन संशोधनों से उनकी दशा वद से बदतर हो जाएगी। संसद में इन संशोधनों को पेश करने से पहले ही 08 मार्च 2006 को कम से कम 4000 यौन कर्मियों ने दिल्ली की सड़कों पर रैली निकालकर राजनीतिक तौर पर और सार्वजनिक तौर पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की उनका तर्क था कि इस संशोधन के कारण वे बची-खुची जीविका से भी वंचित हो जाएगी। अतः सरकार को चाहिए कि उनके सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर ही कोई नवीन कानून पारित करें क्योंकि अब उनका ही नहीं उनके बच्चों का भी सवाल है। सरकार को चाहिए कि उनके पूर्णावास की व्यवस्था करे। उनके बच्चों को शिक्षा दे तथा उनके परिवार के किसी एक सदस्य को रोजगार मोहैया करावे। हलाँकि बिहार सरकार ने इन स्थानों पर जागरूकता लाने का सफल प्रयास किया परंतु फिर भी आशातीत सफलता नहीं मिल पा रही है। अनेकों गैर-सरकारी संगठनों ने भी सराहनीय प्रयास किए हैं। अतः उम्मीद की जाती है कि वेश्यावृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है तथा उन्हें भी समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। जिससे उनके बच्चों में अच्छा समाजीकरण हो सके तथा वे आगे चल कर पढ़ लिख कर एक संस्कारवान नागरिक बन सकें।

### संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Cooper, D. (1972) - "The Deth of Family" (Penguin, 1972)
2. Doshi, L.S. (2008) - "Post Modern Perspective on Indian Society." (Rawat Publication, New Delhi).

3. Goardar, B. (1984) - "Prostitution" (Historical Prospective), (Inter India Publication, New Delhi).
4. Goardar, B. (1984) - "Prostitution," (Inter India Publication, New Delhi)
5. Modan, G.R. (1973) - "India Social Problem" (Allied Publishers Pvt.Ltd. (New Delhi).
6. Rampal, N.S. (1978) - "India Women&Sex", (Printex, New Delhi).
- 7- Saeed, Fouzia (2001) - Taboo: "The hidden culture of A Red Light Area."(Oxford University Press, Pakistan).
- 8- The 30th Report of the Committee on Social and Moral Hygine, 1958.
9. राम आहूजा, (2005) - 'सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान', (रावत पब्लिकेशन) नई दिल्ली।
10. भारत में स्त्री असमानता एक विमर्श-डॉ. गोपा जोशी, हिन्दी माध्यम कार्यन्वयन निदेशालय नई दिल्ली।
11. भारत की महिलाएँ: दशा एवं दिशा-सुभाष शर्मा, शताब्दी प्रकाशन, पटना।
12. ट्रॉफिकींग ऑफ चिल्ड्रेन फॉर प्रास्टीच्यूशन-सिंचुएशन रिपोर्ट, इंडियन, न्यू कन्सेप्ट, नई दिल्ली।
13. नगरीय समाजशास्त्र-डॉ. डी. एस. वघेल, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
14. नगरीय समाजशास्त्र-डॉ. हरिशचन्द्र उप्रेती एवं डॉ. रामेश्वर लाल सैनी राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
15. विवेचनात्मक अपराधशास्त्र-राम अहूजा एवं मुकेश अहूजा, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
16. क्राइम इन इंडिया, 2005, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, 2005।
17. जुवेलाइन डेलीन्क्वेन्सी इन मोडर्न सोसाइटी, एच. एम. न्यूमेयर, न्यूयॉर्क-1997।
18. जुवेलाइन डेलीन्क्वेन्सी इन अरबन एरियाज, शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस : शिकागो क्लिफोर्ड एण्ड हैनरी।
19. अरबन सोशियोलोजी इन इंडिया-एम. एस. ए. राव, ओरियंट लॉगमैन, नईदिल्ली, 1974।
20. सूचना एवं जनसम्पर्क, विभाग बिहार, बिहार समाचार की मासिक पत्रिकाएं।
21. कुरुक्षेत्र-दिसम्बर-2000 तथा दिसम्बर -2007।
22. समाज कल्याण-जनवरी 2005 'समस्याएँ यौन उत्पीडन की' मासिक पत्रिका, केन्द्रीय कल्याण भवन।
23. योजना 'अनैतिक व्यापार' फरवरी-2008 प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
24. विभिन्न पत्र-पत्रिकाएँ, दैनिक समाचार पत्र (दैनिक हिन्दुस्तान, द हिन्दू, राष्ट्रीय सहारा आदि)
25. <http://www.prostitutioninbihar.nic.in>

# भारतीय समाज की जनसंख्या वृद्धि समस्या एवं समाधानः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

मो. शकील अंजुम

## ABSTRACT

यदि हम मानव इतिहास का प्रारम्भ में अध्ययन करें तो पता चलता है कि सर्वाधिक रूचि जनसंख्यात्मक अध्ययन में राज्य की रही है। इसके प्रमुख कारण थे- कर के रूप में राज्य की आय का साधन ढुँढ़ना तथा राज्य की सुरक्षा। इन्हीं दो कारणों से राज्य की रूचि प्रारम्भ से ही जनसंख्यात्मक आँकड़ों में रही है। आधुनिक युग में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक समस्याएँ हैं परन्तु सबसे बढ़कर आज अन्तरराष्ट्रीय समस्या है 'जनसंख्या विस्फोट' जिससे निपटने के लिए 1962 से संयुक्त राष्ट्र ने अपने-आपको संलग्न कर लिया है। विकसित एवं कम विकसित सभी देशों के नियोजक आज जनसंख्या नियंत्रण को नियोजन का आवश्यक अंग मानते हैं। विकसित देश अब कम विकसित देशों के भूखे लोगों को अनाज देते रहने की असमर्थता व्यक्त करते हैं और वे परिवार नियोजन के लिए सहायता देना अधिक पसंद करते हैं। भारतीय समाज की जनसंख्या वृद्धि के कारण कई प्रकार के समस्याएँ उत्पन्न हो रहीं।

## परिचय

भारत जनसंख्या वृद्धि की इस प्रतियोगिता में काफी आगे है, भारत का भौगोलिक क्षेत्र विश्व का लगभग 2.4 प्रतिशत

है। किन्तु यहाँ विश्व की 16 प्रतिशत जनसंख्या पायी जाती है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में चीन के बाद दूसरा है, भारत में सन -1872 में प्रथम बार जनगणना किया गया था, किन्तु जनसंख्या का क्रमवार आकलन सन-1881 से किया जा रहा है, सन-1881 में भारत की कुल जनसंख्या 23.7 करोड़ थी, जो 1 मार्च सन-1991 को 84.63 करोड़ हो गयी। ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि 1997 में भारत की जनसंख्या 95 करोड़ से अधिक हो गया था। वर्तमान समय में ऐसा माना जाता है कि 2051 तक भारत की जनसंख्या लगभग दो गुणा हो जाएगा।

## अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध-पत्र का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. भारतीय समाज में जनसंख्या वृद्धि का बढ़ते प्रभाव का अध्ययन करना।
2. इसके अन्तर्गत जनसंख्या वृद्धि के कारणों को जानना।
3. जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों को खोजना।
4. जनसंख्या वृद्धि का समाजिक परिवर्तन में भूमिका को जानना।
5. इस शोध-कार्य के द्वारा यह पता लगाना कि जनसंख्या वृद्धि ने भारतीय समाज को कहाँ तक प्रभावित किया है।
6. इस शोध-पत्र द्वारा यह जानना है कि इसे किस प्रकार सीमित किया जाए।
7. भारतीय समाज के बदलते परिवेश में जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव शोध को दूर करना आदि।

## उपकल्पनाएं:-

1. जनसंख्या वृद्धि के कारण भारतीय समाज में खाधानों की कमी हो रही है।
2. इसके कारण भारतीय समाज का प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुआ है।
3. जनसंख्या वृद्धि ने भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की कई समस्याओं को जन्म दिया है।

व्याख्यता समाज शास्त्र विभाग, सोगरा कॉलेज बिहारशरीफ,  
नालंदा मगध वि. वि. बोधगया

4. जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी, भूखमरी तथा शुद्ध वातावरण को बढ़ावा मिला है।
5. आज भारतीय समाज में जनसंख्या वृद्धि ने विकास के मार्ग को रोकने का काम किया है।
6. जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए समाज के लोगों में जागरूकता लाने की आवश्यकता है।
7. इसे रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विचार करने की आवश्यकता है।

## अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। क्योंकि जिन विषय पर मेरा शोध है। उसकें लिए क्षेत्र अध्ययन महत्वपूर्ण नहीं प्रतीत होता है। अध्ययन का क्षेत्र सम्पूर्ण भारत होन के कारण केवल सांख्यिकीय आँकड़ों के विश्लेषणों द्वारा निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है। श्रोतों के रूप में विभिन्न पुस्तकालयों, पत्र-पत्रिकाओं, शोध-पत्र, उचित पुस्तकों का अध्ययन किया गया है।

## विश्लेषण

जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के लिए अमूल्य पूँजी होती है, जो वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करती है, वितरण करती है और उपभोग भी करती है और इस तरह देश के आर्थिक विकास का संवर्धन करती है। इसलिए तो जनसंख्या को देश के लिए साधन भी और साध्य भी माना गया है। लेकिन हर किसी चीज की एक सीमा होती है और उसका उल्लंघन सर्वथा घातक है, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के सम्बन्ध में यह कहना निहायत ही गलत नहीं होगा। जिस देश के साधन संसाधन वहाँ की

आबादी के सापेक्ष होते हैं उसे एक अनुकूल या आदर्श जनसंख्या कह सकते हैं। पर विपरित स्थिति में जन उपलब्ध संसाधन देश की जनसंख्या को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होते, तो इसे जनाधिक्य की संज्ञा दी जाती है। जनाधिक्य की समस्या से कई राष्ट्र संक्रमित हैं, पर अगर भारत की बात की जाए तो जनाधिक्य के लहजों में इसे जनाधिक्य की श्रेणी से दो कदम आगे कहा जा सकता है।

आँकड़े गवाह हैं कि भारत की आबादी बेलगाम, बेतहासा बढ़ती जा रही है। आजादी के समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी। 21 वीं शदी की शुरुआत क्या हुई भारत ने जनसंख्या के मामले में अरबपति होने का दर्जा हासिल कर लिया। यह बात अलग है कि यह दृष्टि भारत के लिए संकट का कारण बन सकती है। भारत में जनसंख्या 2001 का कार्य अपने आप में एक दुगुणाकारी एवं ऐतिहासिक घटना है। क्योंकि यह 21वीं शताब्दी तथा तीसरी सहस्राब्दी में होने वाली पहली जनगणना है। 28 फरवरी से 9 मार्च 2001 के दौरान जनगणना किया गया। 01 मार्च 2001 को भारत की जनसंख्या 01 अरब 2 करोड़ 80 लाख थी। भारत के पास विश्व के कुल भू-भाग का 2.4 प्रतिशत भू-भाग मात्रा है। फिर भी विश्व की 16.7 प्रतिशत आबादी का भार उसे वहन करना पड़ रहा है। अगर वैश्विक स्तर पर नजर डाली जाए तो भारत और चीन ही अभी तक जनसंख्या में अरबपति हो पाए हैं और किसी भी देश को यह गौरव नहीं प्राप्त हुआ है। भारत का स्थान चीन के बाद में दूसरा आता है। आने वाले समय में उम्मीद यही है कि भारत चीन को रौंदते हुए आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि वर्तमान में देश की

वृद्धि दर 1.93 वार्षिक है। जो विश्व के अन्य देशों के मुकाबले कई कोस आगे है। यहाँ तक कि विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले देश चीन की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1 प्रतिशत है। यदि भारत की वृद्धि दर कम होकर अपने अधिस्तर पर भी आ जाए तब भी आने वाले कुछ वर्षों में देश का पहला स्थान होगा।

भारत की 1891 से 2001 तक जनसंख्या की प्रकृति—

1891-1921-अवरूद्ध जनसंख्या

1921-1951-मर्यादित वृद्धि

1951-1981-तीव्र उच्च वृद्धि दर (जनसंख्या विस्फोट)

1981-2001-उच्च वृद्धि के साथ मन्द होने के स्पष्ट संकेत।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस सदी के शुरू में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में प्रति मिनट 150 बच्चे जन्म लेते हैं जिनमें 45 का योगदान अकेले भारत ही करता है। भारत के इसी योगदान को देखते हुए रूस की मशहूर महिलावादी लेखिका मारिया आवारोबा ने सरकार को अपने देश रूस की आबादी में बढ़ोत्तरी के लिए भारतीय पुरुषों की सेवाएं लेने तक का सुझाव दे डाला। अपने देश रूस में आबादी की कमी से निपटने के लिए उन्होंने अपनी पुस्तक “कास्टिंग इण्डिया” में लिखा है कि सरकार को जन्म दर में वृद्धि के मकसद से रूसी लड़कियों के लिए दूल्हे के रूप में भारतीय पुरुषों की व्यवस्था करनी चाहिए।

## जनसंख्या वृद्धि के कारण

भारत में रूढ़िवादिता आदि सामाजिक दायरों में फँसे लोग जनसंख्या वृद्धि के

लिए उत्तरदायी ठहाए जा सकते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ जन्म दर की निरन्तर होती वृद्धि की तरफ ही जाता है। लेकिन इसके पर्याप्त कारणों में मृत्यु दर की कमी को भी शुमार किया जा सकता है। देश में किसी भी कार्यक्रम का पूर्णरूपेण क्रियान्वन न हो पाना, अशिक्षा और गरीबी भी इसके कारण है। भारत के साथ एक त्रासदी यह भी है कि यहाँ अवाञ्छित तरीके से भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। इसके तहत घुसपैठ जनित आबादी को गिना जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक 1 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं। वाकायदा इन्होंने राशन कार्ड भी बनवा लिया है और मतदाता सूची में भी संसूचित है माना जाता है कि इन घुसपैठियों को राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है। असुरक्षा भाव भी जनसंख्या वृद्धि का कारण बनता है। अपनी जमात के विलुप्त न विरल हो जाने के बेटुके अदेशो के बीच लोग सोंचते हैं कि हमारी संख्या जितनी अधिक होगी, हम उतने ही मजबूत होंगे। समाज में फैली बेश्यावृत्ति के कारण भी अवाञ्छित बच्चे बढ़ रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं:-

- सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास के बावजूद कम उम्र में विवाह करना।
- धार्मिक विचार कि बच्चे भगवान की देन हैं। इसलिए स्वयं प्रयास नहीं करते हैं।
- सामाजिक मान्यता को मानकर कि भारतीय समाज में पुत्र का विशेष महत्व है। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए निरन्त बच्चों को जन्म देना।
- जनसंख्या वृद्धि में अज्ञानता और अशिक्षा को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होना।
- उच्च जन्म दर का प्रमुख कारण देश की गर्म जलवायु का होना।
- वैज्ञानिक प्रगति के कारण मृत्यु दर में कमी आई है।
- अप्रवास की समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है।
- रूढिवादिता और अंधविश्वास के घेरे में आकार शिक्षित नवदम्पति भी संदेह के कारण दो संतानों में अन्तर नहीं रख पाते हैं।
- गरीबी जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण है। इसके साथ अंधविश्वास जुड़े रहते हैं कि अधिक बच्चे होंगे तो कमाने वाले अधिक होंगे।
- प्रजनन आयु वर्ग का कुल जनसंख्या के साथ अनुपात अधिक होना।
- देश में गर्भ-निरोधक साधनों का अभाव होना।
- शिशु मृत्युदर अधिक होने के कारण अधिक बच्चे पैदा करना।
- समाज में विवाह की अनिवार्यता जन वृद्धि में सहायक।
- जीवन प्रत्याशा का लगातार बढ़ना आदि।

### जनसंख्या वृद्धि और समस्याएँ

आज भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनसंख्या स्थिरिकरण की है। जनसंख्या की समस्या ने आज देश की सरकार तथा प्रशासन के समक्ष गम्भीर चुनौती प्रस्तुत कर दी है। यह चुनौती इस विशाल जनसंख्या के लिए भोजन, पानी, मकान, रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा आदि उपलब्ध कराने की है। जनसंख्या

वृद्धि ने सरकार की अनेक विकास योजनाओं को अप्रासंगिक बना दिया है। यदि कोई योजना वर्तमान में प्रस्तुत की जाती है, तो उसे पूरे होने तक जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी होती है कि सम्बन्धित योजना की प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। वर्तमान में सड़क, अस्पताल, विद्यालय, शुद्ध पेयजल, विधुत आपूर्ति आदि जैसी बुनियादी सुविधाएँ जनसंख्या के दबाव के सामने स्वयं को असहाय महसूस कर रही हैं। जनसंख्या विस्फोट से रोजगार की स्थिति पर बेहद गम्भीर दबाव डाला है। इस जनसंख्या विस्फोट ने देश के आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला है तथा वर्तमान में करोड़ों व्यक्ति रोजगार की तलाश में हैं। किसी छोटे से छोटे पद के लिए बड़े से बड़े डिग्री धारक लाइन में लग रहे हैं। इस जनसंख्या विस्फोट में देश के आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों तथा जनसंख्या के बीच असंतुलन ने अनेक सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को जन्म दिया है।

बढ़ती जनसंख्या आर्थिक विकास सरकारी योजना, सामाजिक संवर्द्धन व पर्यावरण संतुलन में अरंगा डालती है। विपुल जनसंख्या के आगे कोई भी सरकारी विकास योजना “ऊँट के मुँह में जीरा” साबित हो रही है। इतनी बड़ी आबादी के समक्ष कई विकास की योजनाएँ अव्यवहारिक व अप्रासंगिक हो जाती हैं। यही कारण है कि अब तक हर गाँव में बिजली नहीं पहुँचायी जा सकती है। पीने का पानी तक सर्वसुलभ नहीं हो पाया है। सड़क, अस्पताल, स्कूल से कई गाँव अछूते हैं। अपने देश में स्थिति यह है कि हजारों की आबादी पर बेमुश्किल एक चिकित्सक व सशस्त्र सिपाही तक नहीं हैं। यह विस्फोटक आबादी का सूचक

ही है कि प्रति वर्ष रेल बजट में जितनी भी नई ट्रेनों की घोषणा की जाये, बोगियों तो दूँसी ही रहती है। कहीं-कहीं तो ट्रेनों के ऊपर भी लोग यात्रा करते दिखते हैं। इतना ही नहीं आवास की ऐसी भीषण समस्या आन खड़ी हो गयी है कि नाली के किनारे, रेल पटरियों के किनारों, सड़क आदि के किनारे झोपड़ी बनाकर निवास करते हैं।

अनेक मलिन बस्तियों में नगर पालिका के डोंगरों के भय तलों रह जाते हैं। फुटपाथों, प्लेटफार्मों पर भी भारत का एक हिस्सा आज भी जीवन-यापन करता आ रहा है।

यह स्वीकार करना होगा कि जनसंख्या वृद्धि से उपजी बेरोजगारी की त्रासदी ने अपराधों को बढ़ावा दिया है। देखने वाली बात यह है कि जहाँ ज्यादा आबादी है और बेरोजगारी दर उच्च है वहाँ अपराध का ग्राफ भी उफान पर रहता है। इस क्रम में बिहार, उ.प्र. को हम विशेष रूप से संदर्भित कर सकते हैं। रोजगार के अभाव में युवा वर्ग गलत मार्ग पर चल रहे हैं और आतंकवाद, उग्रवाद जैसे राष्ट्रद्रोही व विखंडात्मक प्रवृत्ति में ही लीन होते जा रहे हैं। आज हालत यह है कि अपराध भी रोजगार का रूप लेता जा रहा है और अपहरण तो उधोग ही बन गया है। यों कहें कि बढ़ती आबादी से उपजी बेरोजगारी की विभीषता अपराध का दामन थामकर सामाजिक समरसत्ता को क्षीण-क्षीण कर रही है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

जनसंख्या की अतिशय वृद्धि ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। प्राकृतिक संसाधनों, जल, वायु, भूमि वन की स्थिति बिगड़ी है। जलावन के लिए हरियाली चौपट की जा रही है। स्थिति यह है कि 33 प्रतिशत के आदर्श वनाच्छादित भेद की बजाय देश में

बमुश्किल 11 प्रतिशत भू-भाग में ही जंगल बचा है। यह तो भारत की एक छोटी सी तस्वीर भर है। आज भारत अनेकानेक समस्याओं से जकड़ा है।

## जनसंख्या वृद्धि और समाधान

यूँ तो बढ़ती जनसंख्या पर खूब बात होती है; इसके दुष्परिणामों पर भी बात बेवात चिंता जताई जाती है और बात जनसंख्या नियंत्रण की भी गाहे-बगाहे की जाती है। बावजूद इसके “बातें हैं बातों का क्या” वाली बात हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि को न तो अचानक ब्रेक लगाकर रोका जा सकता है और न ही इसे बैक गियर में डाला जा सकता है, पर न्यूट्रल किया ही जाना चाहिए। आज भारत को सख्त जरूरत है कि जनसंख्या में वृद्धि दर को कम किया जाए और साथ ही आर्थिक विकास की गति में रफ्तार बढ़ाई जाए। इसमें सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। जनसंख्या वृद्धि पर निमंत्रण के लिए कुछ निम्नलिखित उपाय हैं—

- शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय समस्या को शामिल किया जाना चाहिए तथा प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए।
- विवाह निर्धारण अधिनियम को कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
- बड़े स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
- देश में क्षेत्रीय जनसंख्या नीति लागू की जानी चाहिए।
- जनता में सामाजिक सुरक्षा की भावना आनी चाहिए, ताकि वे ये न सोचें कि अधिक बच्चा पैदा करना सामाजिक सुरक्षा है।

- आर्थिक रूप से पिछड़े, किन्तु जनसंख्ये की दृष्टि से अगड़े राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।
- आर्थिक विकास के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होनी चाहिए।
- जनसंख्या के नियंत्रण के लिए गैर सकारणी संगठनों व स्वयं सेवी संगठनों का सहयोग लिया जाना चाहिए।
- दो बच्चे पैदा करने वाले दम्पति दम्पति को पुरस्कार दिया जाए।
- जनसंख्या वृद्धि के दुष्परभावों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
- सम्बन्धित कार्यक्रमों को राजनैतिक और धार्मिक प्रभावों से बचाना चाहिए।
- साक्षरता अभियान में परिवार नियोजन की शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए।
- महिलाओं को व्यापक स्तर पर शिक्षित किया जाना चाहिए।
- जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रचार-प्रसार माध्यमों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाना चाहिए, आदि।

## जनसंख्या वृद्धि को रोकने के सरकारी प्रयास

जनसंख्या वृद्धि जिस गति से अपनी रफ्तार पकड़े हुए है यह किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है बल्कि सरकार के साथ-साथ जन साधारण की भी समस्या है। भारत 1952 से परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला पहला देश है। सरकार के प्रयास दिशा में सराहनीय हैं। अगर कमी है तो मात्र क्रियान्वयन की। जनसंख्या नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने

स्वामीनाथन समिति के रिपोर्ट पर 15 फरवरी 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की। जिसका मुख्य उद्देश्य दो बच्चों के मानक को प्रोत्साहित करना था। नीति के तीन और उद्देश्य निर्धारित किये गये। इसका तात्कालिक उद्देश्य आपूर्ति क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में गर्भ निरोधक स्वास्थ्य सुरक्षा की आपूर्ति करना है, जबकि मध्यकालीन उद्देश्य 2010 तक सकल प्रजनन दर को 2.1 के स्तर पर लाना तथा दीर्घकालीन उद्देश्य 2045 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नई जनसंख्या नीति के महत्वपूर्ण लक्ष्य निम्नलिखित हैं।

- सकल प्रजनन दर को 2.1 पर लाना।
- दो बच्चों के मापदंड को अपनाना।
- जन्म, मृत्यु, विवाह और गर्भ धारण का पंजीकरण कराना।
- शिशु मृत्यु दर 30 प्रति हजार जन्म तक ले आना।
- टीकाकरण द्वारा रोगों का निवारण।
- मातृत्व मृत्यु दर को 100 प्रति 1 लाख जीवित जन्म से नीचे लाना।
- 80 प्रतिशत प्रसव प्रशिक्षित कर्मचारी की उपस्थिति में हो।
- जन्म पूर्व लिंग निर्धारण तकनीक पर रोक लगाना।

- लड़कियों को देर से विवाह के लिए प्रोत्साहित करना।
- जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग नियुक्त करना।
- राज्य स्तर पर भी एक आयोग का गठन करना आदि।

इस नीति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह नीति सरकार की जनसंख्या सम्बन्धी चिन्ताओं की स्पष्ट प्रमाण है। सरकार यह आशा कर रही है कि 2045 तक जनसंख्या के स्थिरीकरण के लिए यह नीति उपयुक्त है। लेकिन कुछ आलोचकों ने आरोप लगाया है कि इस नीति में परिवार नियोजन का सारा भार महिलाओं पर थोप दिया गया है।

जनसंख्या नियंत्रण में एक बात विशेष तौर पर उल्लेखनीय है कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता बहुत हद तक महिलाओं की भूमिका पर निर्भर करती है। इसके लिए आवश्यक है कि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से सशक्त बनाया जाए। जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो उनकी सोच का स्तर व्यापक होगा और महिलाएँ इस दिशा में कुछ करने में सक्षम हो सकेंगी। जहाँ शिक्षित महिलाओं

का स्तर ज्यादा है वहाँ जनसंख्या में कमी देखने को मिलती है। महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण से भी इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता इस बात की है कि जल्द से जल्द इस दिशा में जारी सरकारी सामाजिक स्तर से प्रयासों को तीव्र किया जाये। वरना जनसंख्या वृद्धि देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में बाधा बन सकती है। मानव अस्तित्व बचाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को लागू किया जाना जरूरी है। मानव अस्तित्व बचाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को जोर-शोर से लागू किया जाना चाहिए।

## संदर्भ ग्रंथ

1. जनांकिकी-आर.सी. चान्दना
2. भारत लोक और अर्थव्यवस्था -N.C.E.R.T.
3. जनांकिकी - डॉ. जीवन चन्द्रपंत
4. नेशनल पोपुलेशन पॉलिसी-2000 (प्लानिंग कमिशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली)
5. जनगणना रिपोर्ट-2001 (भारत सरकार)
6. योजना- अप्रैल 2002 व जुलाई-2003
7. कुरुक्षेत्र-जुलाई-2007
8. दैनिक हिन्दुस्तान, जनसत्ता, राष्ट्रीय संहारा, दृष्टिकोण मंथन।



# मानवाधिकार और दलित

संजीव कुमार सिंह

आधुनिक समय में 'दलित' शब्द का तात्पर्य दबा, पिछड़ा एवं कुचला से है। यह वर्ग सदियों से पीड़ित, शोषित, वंचित एवम् उपेक्षित रहा है। विभिन्न कालों में इन्हें विभिन्न नामों से पुकारा गया है। जैसे प्राचीन काल में इन्हें अछूत, अस्पृश्य एवम् मलेच्छ कहा गया है। आज के समय में इसे पिछड़ा वर्ग, अतिपिछड़ा वर्ग, दलित एवं महादलित विभिन्न नामों से पुकारा जा रहा है। आज के समय में दलित के उद्भव एवं इसके कार्य को लेकर काफी विवाद है कि इसका उद्भव वर्ण-व्यवस्था में कब और कैसे हुआ तथा इनका कार्य क्षेत्र क्या है? चातुर्ण्य वर्ण-व्यवस्था से ज्ञात होता है कि इस वर्ग का जन्म तीनों वर्णों के बाद हुआ है। किन्तु इनके कार्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने पर यह स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाता है कि इसका उद्भव वर्ण-व्यवस्था के प्रारम्भिक चरण में ही हुआ है जैसे मनुष्य (बच्चा) के जन्म के समय 'चमईन' तथा मृत्यु के समय 'डोम' की भूमिका अहम हो जाती है क्योंकि ये दोनों संस्कार दलित वर्ग के द्वारा ही संपादित होते हैं। अतः इस विवाद को समाप्त करने में इनके कार्य अहम् भूमिका आज भी निभा रही है। केवल इनके कार्यों को पारदर्शी, मनोवैज्ञानिक, दूरदर्शी, परोपकारी, जन-कल्याणकारी, सारभौमिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है।

किसी भी सामाजिक आंदोलन की कुछ न कुछ विचारधारा अवश्य होती है, जिसमें समाज के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं। विचारधारा के बिना किसी सामाजिक, राजनीतिक आंदोलन की कल्पना नहीं की जा सकती है। दलित एक ऐसा वर्ग है जो शोषण की अन्य संरचनाओं को झेलते हुए अमानवीय छुआछूत का शिकार भी रहा है और अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करता रहा है। जिसके संघर्ष एवं चिन्तन ने मुख्यधारा के चिन्तन दर्शन एवं मूल्यों को चुनौती दी है। वर्तमान में दलितों

के आकार एवं राजनीतिक जागरूकता के कारण दलित आंदोलन चर्चा का विषय बना हुआ है। दलित कोई एकरूप समाज नहीं है और न ही दलित आंदोलन की एक निश्चित विचारधारा है। उसके कई रूप हैं जो कुछ वास्तविक तौर पर दलित आंदोलन की परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं और मानवीय गरिमा पाने एवं शोषण से मुक्ति प्राप्त करने के संघर्ष की सही दिशा में है। दलित आंदोलन की भक्ति एवं संभावना पर तथा दशा एवं दिशा पर विचार करने के लिए दलित मुक्ति के लिए कार्यरत विभिन्न धाराओं को आधार बनाकर विचार किया जा सकता है। इसी पर विचार करते हुए दलित आंदोलन के भक्ति स्वरूप एवं दिशा का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। दलित चिन्तन या आंदोलन का मतलब दलितों द्वारा किया गया चिन्तन है या दलितों के बारे में चिन्तन है। इस बहस में न जाकर यदि दलित नजरिये की बात की जाय तो वह ज्यादा सार्थक होगा।

प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक तथा लेखक जीन जैक्स रूसो ने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व लिखा था, "मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, पर हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है।" अपनी इस सूक्ति में रूसो ने शोषण तथा असमानता के बंधनों में जकड़े हुए जनसाधारण की स्वतंत्र होने की और स्वाधीनता, आजादी तथा समानता का बेहतर जीवन प्राप्त करने की आकांक्षा को व्यक्त किया था। वास्तव में अनेक सामाजिक विचारक तथा राजनैतिक आंदोलन बहुत समय से मनुष्य को उन जंजीरों से मुक्त कराने का, जिनमें वह जकड़ा हुआ रहा है, जिन्हें उन अधिकारों का उपयोग करते हुए देखने का प्रयत्न करते रहे हैं। जिन्हें रूसो स्वाभाविक, अभिन्न तथा अविभाज्य समझते थे।

अधिकार सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, राज्य के द्वारा व्यक्ति को कतिपय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इन बाहरी सुविधाओं का नाम ही अधिकार है। अमरीकी तथा फ्रांसीसी क्रान्तियों के पश्चात् मानव अधिकारों की जो घोषणा हुई उसके द्वारा मानव

शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

अतिथि व्याख्याता, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग,  
मौलाना मजहूरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना

के महत्वपूर्ण अधिकारों को स्वीकार किया गया। 1941 ई० में अमरीकी कांग्रेस को दिए गए सन्देश में अमरीका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने चार स्वतंत्रताओं पर बल दिया था - भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म तथा विश्वास की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता तथा भय से स्वतंत्रता ये सभी अधिकार विश्व में हर स्थान पर सभी को प्राप्त होने चाहिए।

द्वितीय विश्वयुद्ध के भयानक रक्तपात, धन-जन की हानि तथा सर्वनाश ने विश्व को यह सोचने पर विवश कर दिया कि मानवता के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए सुदृढ़ विधि अवश्य होनी चाहिए। विश्व के प्रमुख नेता नहीं चाहते थे कि किसी भी राष्ट्र के प्रति अन्याय किया जाए या किसी भी राष्ट्र के अधिकारों का हनन किया जाये। इस विचारधारा को अटलांटिक चार्टर-1941 तथा संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा-1942 से बल मिला। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मूलभूत मानवीय अधिकारों में मानव के गौरव तथा मूल्यों में, स्त्री तथा पुरुषों के समान अधिकारों में इन मानव अधिकारों को पुनः स्वीकार किया गया। इस प्रकार मानव अधिकार राष्ट्रीय विधि की विषय-वस्तु न रहकर अन्तर्राष्ट्रीय विधि की विषय-वस्तु हो गया।

आधुनिक युग संविधानवाद और प्रजातंत्र का युग है तथा प्रत्येक प्रगतिशील और सभ्य राज्य अपने नागरिकों को कुछ-न-कुछ अधिकार अवश्य प्रदान करता है। जिसका उपभोग वे वैधानिक द्वारा प्रदत्त सुअवसरों के अभाव में उत्तम जीवन संभव नहीं है। अधिकार और कर्तव्य परस्पर जुड़े हुए हैं, दोनों में चोली-दामन का संबंध है। अधिकारों का महत्व उनके पूर्ण उपभोग से है।

आधुनिक युग में मानवाधिकारों के संबंध में दो प्रमुख परिप्रेक्ष्य प्रचलित हैं-एक उदारवादी परिप्रेक्ष्य और दूसरा मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। उदारवादी धारण के अनुरूप मानव अधिकारों के प्रतिनिधि राष्ट्र हैं, इंग्लैंड, स्विटजरलैंड, भारत एवं इसी श्रेणी के अन्य लोकतंत्रीय देश। मार्क्सवादी धारणा के अनुरूप मानव अधिकारों के प्रतिनिधि राष्ट्र है, उत्तरी कोरिया, चीन एवं क्यूबा। मानव अधिकारों के उपरोक्त परिप्रेक्ष्य के अतिरिक्त भारत में गाँधीवादी और दलितवादी परिप्रेक्ष्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है।

अगर दलितवादी परिप्रेक्ष्य पर दृष्टिपात किया जाय तो भारतीय समाज में दलित वर्ग शताब्दियों से शोषण एवं उत्पीड़न का शिकार रहा है। दलितों के उद्धार के लिए प्राचीन काल से ही समाज में सुधार के लिए आवाज उठती रही है। वर्तमान काल में भी राजा राममोहन राय, स्वामी दशनंद सरस्वती, जस्टिस एम. जी. राणा डे, स्वामी विवेकानंद, श्री नारायण गुरु स्वामी, ज्योति बा फुले, महात्मा गाँधी एवं डॉ० भीम राव अम्बेडकर आदि समाज सुधारकों ने आवाज उठाई है।

महाराष्ट्र में ज्योति बा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसके माध्यम से उन्होंने समाज में जातीय भेदभाव और ब्राह्मण प्रभुता को खुली चुनौती दी।

ज्योति बा फुले जाति प्रथा और अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे। वे एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते थे जिसमें उस समाज के सभी लोगों को मानवीय अधिकार प्राप्त हों। वे मानवाधिकार के प्रबल समर्थक थे। वे दलितों को ऐसी शिक्षा देना चाहते थे जिससे दलित लोग समान अधिकारों

एवं अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष कर सकें।

डॉ० भीम राव अम्बेडकर भी वास्तव में दलितों के सच्चे मसीहा थे। वे एक क्रांतिकारी विद्रोही थे। दलितवाद और भारत के दलित आंदोलन में उन्हें वेदों और स्मृतियों में प्रतिपादित वर्ग व्यवस्था और सामाजिक असमानता के विरुद्ध विद्रोह का दर्शन हुआ। कबीर के प्रभाव से वे सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति पूजा, धार्मिक अंधविश्वासों और कर्म काण्डों का घोर विरोध किया तथा सामाजिक समानता के पक्षधर बने।

डॉ० अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था की कठोर शब्दों में आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि वैदिक संहिताओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्गों के लोगों द्वारा किये जाने वाले अन्याय एवं अत्याचारों के विरुद्ध शूद्रों के संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वरन् इसके विपरीत शास्त्रों में शूद्रों के प्रति किये जाने वाले दुर्व्यवहारों का समर्थन किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सवर्णों ने शूद्र वर्ग के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने एवं शस्त्र रखने के अधिकार से इसलिए वंचित कर दिया जिससे वे अपने ऊपर होने वाले अन्याय का प्रतिकार करने में सदैव अक्षम बने रहें। इसके लिए उन्होंने अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया, जागरूक बनाया और सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय पर विशेष बल दिया।

डॉ० अम्बेडकर अस्पृश्यता को अनैतिक मानने के साथ-साथ उसे हिन्दू समाज के लिए कलंक और अभिशाप मानते थे। उनके अनुसार अस्पृश्यता की जड़ें वर्ण-व्यवस्था और जाति-प्रथा में निहित हैं। उनके विचार से हिन्दू समाज में अस्पृश्यता के लिए मुख्य रूप से ब्राह्मणों का प्रभुत्व जिम्मेवार है। वे

अस्पृश्यता को अनैतिक एवं अन्यायप्रद व्यवस्था मानते थे। उन्होंने दलितों के उत्थान के दिशा में निम्नलिखित उपायों का वर्णन किया : -

- **हिन्दू समाज के परम्परागत विधान में क्रांतिकारी परिवर्तन** - डॉ० अम्बेडकर की धारणा थी कि अस्पृश्यों की समस्याएँ किन्हीं छोटे-छोटे उपायों से हल नहीं हो सकती हैं, उनके लिए तो हिन्दू समाज की मूल मान्यताओं अथवा उनके परम्परागत विधान में क्रांतिकारी परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। अतः उन्होंने सुझाव दिया कि मंदिरों में पुजारी का पद वंशानुक्रम के अनुसार न होकर परीक्षाओं द्वारा नियुक्त हो। पुजारियों को राज्य कर्मचारी माना जाए और राज्य की आवश्यकतानुसार पुजारियों की पद सृजित किया जाए।
- **जाति प्रथा के स्वरूप में परिवर्तन** - डॉ० अम्बेडकर समाज में जाति प्रथा के उन्मूलन ऊँच-नीच के विचार तथा अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों के निवारण के लिए परिवार प्रणाली में सुधार किये जाने की आवश्यकता है। हिन्दू धर्म को सामाजिक समता का धर्म बनाने के लिए यह आवश्यक है कि अस्पृश्यता को लोगों के मन से बाहर निकालकर फेंक दिया जाए। उन्होंने कहा कि “प्रत्येक स्त्री-पुरुष को शास्त्रों की दास्ता से मुक्त कर दो, उनके मस्तिष्क को विनाशकारी धारणाओं से मुक्त कर दो तो वे तुम्हारे कहे

बिना ही साथ-साथ भोजन करने लगेंगे और अर्न्तजातीय विवाह करने लगेंगे।

- **दलित वर्गों को संगठित एवं शिक्षित करने पर बल**- वे मानते थे कि दलित वर्गों के उत्थान के लिए उनका संगठित, शिक्षित एवं जागरूक होना अत्यन्त आवश्यक है। वे चाहते थे कि दलित वर्ग के लोग अपनी बुरी आदतों और हीनता की भावना का त्याग कर सम्मानपूर्ण जीवन की ओर प्रवृत्त हों इसके लिए दलितों को मांगना छोड़ देना चाहिए था। अपने रहन-सहन और आदतों में सुधार लाना चाहिए।
- **दलितों के लिए विधानमंडलों में अलग प्रतिनिधित्व** - डॉ० अम्बेडकर ने इस बात पर विशेष बल दिया कि मुसलमानों, ईसाइयों तथा सिखों के समान दलित वर्गों को भी विधानमंडलों में अलग प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए जिसका तात्पर्य था कि दलितों के प्रतिनिधि केवल दलित वर्गों द्वारा ही चुने जाने चाहिए।
- **आरक्षण पर बल** - डॉ० अम्बेडकर ने यह भी आग्रह किया कि दलित वर्गों के शिक्षित लोगों को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि उनके लिए सरकारी सेवाओं में स्थान आरक्षित किया जाये। इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
- **दलित वर्गों के विशेष सुविधाएँ** - डॉ० अम्बेडकर ने इस बात

पर भी जोर दिया कि दलित वर्गों के सदस्यों के विकास के लिए उन्हें विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। 1930 में ‘स्टारटे समिति’ के एक सदस्य के रूप में उन्होंने यह सुझाव दिए कि - 1. दलित वर्गों के छात्रों को राज्य द्वारा पर्याप्त संख्या में एवं समुचित राशि की छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाये। 2. उनके रहने के लिए छात्रावासों की व्यवस्था की जाये। 3. तकनीकी शिक्षा के लिए देश और विदेशों में अध्ययन करने एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उन्हें उपयुक्त सुविधाएं और वित्तीय सहायता प्रदान की जाये। 4. दलित वर्गों के हितों के लिए चलाये जाने वाले कार्यक्रमों की देखभाल के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाये।

भारत के संविधान में अनु-338 व 340 जोड़े जाने में डॉ० अम्बेडकर का ही प्रमुख योगदान रहा है। अनु-338 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए बनाये जाने वाले कार्यक्रमों की देखरेख करने हेतु एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। अनु-340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं में सुधार के लिए विशेष सुझाव देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है।

इस प्रकार डॉ० अम्बेडकर अत्यन्त प्रभावशाली एवं उच्च कोटि के विद्वान थे, उन्होंने भारतीय वर्ण-व्यवस्था, जाति-प्रथा भारत में प्रचलित अस्पृश्यता एवं हिन्दू धर्म की अन्यायपूर्ण मान्यताओं की कठोर शब्दों में निंदा की। उन्होंने

समाज में से अन्याय, दमन और शोषण के उन्मूलन को भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता से भी अधिक बल प्रदान किया। अपने जीवन में पग-पग पर उन्हें जो घोर अपमान एवं अमानवीय व्यवहार सहना पड़ा था, उसके कारण उन्होंने दलितों के उत्थान को ही अपने जीवन का प्रमुख ध्येय बना लिया था। वे व्यक्ति के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि वर्तमान सरकार को यह चाहिए कि दलितों के हित में जो भी नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्माण किया गया है, उनका प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन किया जाये ताकि भारत जैसे विकासशील राष्ट्र का बहुमुखी विकास हो पाएगा, और दलित,

कुचले, पिछड़े का सम्पूर्ण विकास सहित पूरे मानवता की रक्षा हो पाएगी।

भारत एक लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त से लोकप्रिय ही नहीं बल्कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्वीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक अवधारणायें हैं। वैसे तो राज्य सामाजिक न्याय की दार्शनिक अवधारणा के साथ जुड़ी हुई है। राज्य और समाज की व्यवस्था करने का अवसर भारत को अपनी इच्छा के अनुसार औपनिवेशिक और राजतंत्रात्मक शासन के बाद ही मिला। स्वतंत्र भारत में संविधान राज्य और शासन की रूपरेखा के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन करने पर भी जोर दिया। सामाजिक न्याय के घोषणा

पत्र को संविधान में प्रदान करते हैं। समाज परिवर्तन करने में संविधान का माध्यम बनाकर अग्रणी नेता अम्बेदकर ने मानवाधिकार के क्षेत्र में एक नया आयाम प्रस्तुत किया।

### संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ॰ पूरणमल : दलित संघर्ष और सामाजिक न्याय।
2. अन्तर्राष्ट्रीय कानून : डॉ॰ एस० सी० सिंहल।
3. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति (सिद्धान्त एवं व्यवहार) : यू. एल. घई।
4. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति : बी. एल. फारिया।
5. Theory of The Dalit movement : A historical overview
6. The times of India, The Hisdustan times



# होशंगाबाद ब्लॉक के शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में अध्ययनरत् बालकों एवं बालिकाओं के नैराश्य का अध्ययन

मेना त्राडा

## प्रस्तावना

मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने तथा जीवन को सफल बनाने के लिए वह अपने चारों ओर का भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह समायोजन की प्रक्रिया में सफलता प्राप्त करे ही। कभी-कभी ऐसा होता है कि वह वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाता तब उसके मस्तिष्क में सहर्ष उत्पन्न होता है वह प्रयत्न करने के बावजूद भी समायोजन नहीं कर पाता तब वह निराश हो जाता है और इस अवस्था में वह कुण्ठित हो जाता है।

## अर्थ

रोजेनविंग (1941) के अनुसार “जब जीव की जीवन संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि में कुछ या अधिकतर बाधाएं उत्पन्न होती हैं तब उसमें कुण्ठा उत्पन्न होती है।”

## शोध का महत्व

मानव में उत्पन्न होने वाली कुण्ठा को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम उनकी कुण्ठा का कारण

नहीं जानते तब तक हम उनको दूर नहीं कर सकते। नैराश्य मानव के जीवन के विकास में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। जब मनुष्य का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है अथवा उनको पूर्ण करने में जो बाधाएं आती हैं उनके कारणों से भी कुण्ठा उत्पन्न होती है। जैसे—

“यदि कोई नौजवान डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन मानसिक सीमाओं के कारण डॉक्टर नहीं बन पाता है।”

“कई विद्यार्थियों के प्रति शिक्षकों का व्यवहार नेगेटिव (नकारात्मक) होता है तब वह बालक निराश हो जाता है।”

अतः अपनी आकांक्षा पूर्ण न होने पर, सम्मान न मिलने पर, अपनी बात का अस्वीकार होने के कारण, दूसरों से सहयोग न मिलने के कारण नैराश्य उत्पन्न होता है।

बालक ज्यादा कुण्ठित रहता है तो उनकी नैराश्य कारण जान के उनको दूर करना अधिक आवश्यक है क्योंकि यदि बालक की निराशा ज्यादा है तो वह ठीक तरह से पढ़ाई नहीं कर पायेगा। तो उसका असर उसके परिणाम पर भी देखने को मिलता है। अतः बालकों की कुण्ठा दूर करने का विद्यालय में प्रयास करना चाहिए।

बालक हमारे देश के भावी नागरिक हैं अतः हमें उनका सामाजिक विकास को आगे बढ़ाना है कुण्ठित बालक का सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और समायोजन भी नहीं कर पाता है। वह समाज से दूर रहने का प्रयास करेगा वह समाज से दूर रहकर अपने ध्येय तक नहीं पहुंचेगा और असामाजिक प्रवृत्ति की ओर प्रायः बालकों की कुण्ठा जानना और उनको दूर करना समाज एवं विद्यालय के लिए आवश्यक बन जाता है।

## उद्देश्य

1. शहरी बालकों एवं बालिकाओं के नैराश्य का मापन करना।
2. ग्रामीण बालकों एवं बालिकाओं के नैराश्य का मापन करना।

## परिकल्पनाएं

1. शहरी बालकों तथा बालिकाओं के नैराश्य में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

- ग्रामीण बालकों तथा बालिकाओं के नैराश्य में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

### परिसीमांकन

- होशंगाबाद शहर और उसके समीप ग्रामीण क्षेत्रों को ही इस अध्ययन हेतु सम्मिलित किया गया है।
- होशंगाबाद ब्लॉक के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों को इस शोध हेतु चयनित किया गया है।
- प्रस्तुत शोध में कक्षा 8 से 11 कक्षा के बालक बालिकाओं को सम्मिलित किया गया है।

### सर्वेक्षण विधि

वर्तमान समय में किसी तथ्य को ज्ञात करने के लिए सभी विज्ञानों तथा वर्गों के लोग सर्वेक्षण की सहायता लेते हैं, जैसे-चुनावपूर्ण सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण तथा अपराधिक सर्वेक्षण इत्यादि ये सर्वेक्षण वर्तमान समस्या के प्रारूप के समाधान के लिए विस्तृत समंक प्रदान करते हैं जिनके आधार पर ही समस्या के समाधान का मार्ग विचारा जाता है। शोधार्थी ने अध्ययन हेतु सर्वेक्षण विधि के उपयोग किया है।

### न्यादर्श

इस शोध में 100 बालक बालिकाओं का चयन इस प्रकार किया गया।

शहरी		ग्रामीण	
बालक	बालिका	बालक	बालिका
25	25	25	25

### परिकल्पनाओं का पुष्टिकरण

	Mean	SD	CR
शहरी बालक	24.8	7.33	.574
शहरी बालिका	29	7.48	
	Mean	SD	CR
ग्रामीण बालक	2.7	5.65	.649
ग्रामीण बालिका	5.65	26.2	

### निष्कर्ष

- शहरी बालक एवं बालिकाओं में नैराश्य स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- ग्रामीण बालक एवं बालिकाओं में नैराश्य स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

### शोध हेतु सुझाव

- परामर्श बालक बालिकाओं को दिया जाना चाहिए।
- नैराश्य दूर करने हेतु बालकों को निरंतर विद्यालय में संपर्क आवश्यक है।
- नैराश्य मापन के कारण जानने हेतु विद्यालय में विद्यार्थियों का साक्षात्कार आवश्यक है।
- नैराश्य दूर करने हेतु बालकों के लिए संगोष्ठियों का आयोजन करना चाहिए।

### संदर्भ ग्रंथ सूची

- चौबे सरयू प्रसाद- भारतीय शिक्षा का इतिहास
- कपित एस.के.- अनुसंधान विधियां
- सुरेश भटनागर- शिक्षा मनोविज्ञान
- माथुर एस.एस.- शिक्षा के दार्शनिक तथा सामाजिक आधार।



## विशिष्ट बालक और उनकी शिक्षा

प्रा. नेहा नरोडिया

एम.ए., एम. एड्.

### प्रस्तावना

सृष्टि के अभ्युदय से आजतक यह विशिष्टता ही है कि कोई दो प्राणी एक से नहीं होते वह तो एकसा व्यवहार करते हैं न ही जैसी उनकी शिक्षा होती है। बाल विकास के अनुसार बालक को दो प्रकार का माना गया - सामान्य बालक व विशिष्ट बालक और इस विशिष्टता के क्रम से प्रखर बुद्धिवाले बालकों से लेकर मानसिकरूप से अक्षम बालकों तक को रखा गया है।

व्यक्तिगत भिन्नता के मनोविज्ञान के विकास से पूर्व समस्त बालकों को सामान्य बालकों की श्रेणी में रखा जाता था, अर्थात् समस्त बालकों को सामान्य मानकर चलाया था। मनोविज्ञानिकों ने देखा की दो बालक कभी सामान्य नहीं होते हैं। यहां तक कि जुड़वाँ बच्चों भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला गया कि अधिकतर विद्यार्थी समूह औसत से भिन्न होते हैं।

### विशिष्ट बालक का अर्थ

विशिष्ट बालक वह है जो उन बालकों से जो कि शारीरिक, मानसिक संवेगात्मक या सामाजिक गुणों में औसत है, भिन्न है।

### विशिष्ट बालकों के प्रकार

प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामान्य बालक आते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे बालक भी आते हैं जिनकी अपनी कुछ शारीरिक और मानसिक विशेषताएँ होती हैं। इनमें कुछ प्रतिभाशाली, कुछ मन्दबुद्धि पिछड़े और कुछ

शारीरिक दोषोंवाले होते हैं। इनको विशिष्ट बालक या अपवादात्मक बालक या असामान्य बालक की संज्ञा दी जाती है। ये श्रेणियाँ और समूह निम्नलिखित हैं।

#### I. बौद्धिकरूप में भिन्न

- मानसिकरूप से पिछड़ा
- शैक्षिकरूप में पिछड़ा
- प्रतिभावान
- सर्जनात्मक

#### II. शारीरिकरूप से भिन्न

- विकलांगीक अक्षम
- चिरकालिन बिमार एवं क्षतिपूर्ण स्वास्थ्य
- श्रवण क्षतियुक्त
- बहुल विकलांग

#### III. मौखिक संचार से भिन्न

- वाक् क्षतियुक्त
- भाषा विकलांग

#### IV. मनोसामाजिकरूप से भिन्न

- संवेगात्मकरूप से अशांत
- सामाजिकरूप से कुसमायोजित
- समस्यात्मक बालक
- अपराधी बालक

#### V. सांस्कृतिकरूप से भिन्न

- अधिगम असुविधायुक्त
- सांस्कृतिकरूप से अल्पसंख्यक

#### VI. वंचन के आधार पर भिन्न

**I. बौद्धिकरूप से भिन्न:** ऐसे समस्त बालक जो मानसिकरूप से पिछड़े हैं, सीखने में अयोग्य हैं। अथवा शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, प्रतिभावन हैं या सर्जनात्मक हैं, बौद्धिकरूप से भिन्न कहलाते हैं।

केवल मानसिकरूप से पिछड़े को छोड़कर इस श्रेणी में आनेवाले समस्त बालक सामान्य बालक के समान ही दीखते

हैं। परन्तु उनका व्यवहार सामान्य बालकों से सर्वथा भिन्न होता है।

इस प्रकार के बालकों की पहचान बुद्धि परीक्षणों के आधार पर की जाती है। 90 से 110 आई क्युं वाले बालकों को सामान्य मानकर अन्य बालकों को बौद्धिकरूप से भिन्न विशिष्ट माना जाता है।

**II. शारीरिकरूप से भिन्न:** चिरकालिन बीमारी, क्षतिपूर्ण स्वास्थ्य, श्रवणक्षति, नेत्र क्षति, बहुविकलांगता आदी शरीर से सम्बन्धित दशाएं बालक को सामान्य बालक से भिन्न बनाती है।

- जन्मपूर्व क्षति
- जन्म क्षति
- जन्मोपरान्त चोट
- आनुवांशीक कारक

**III. मौखिक संचार से भिन्न:** मौखिक संचार में भिन्न बालक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं।

प्रथम वाक क्षतियुक्त बालक है। इस प्रकार के बालकों में किसी न किसी प्रकार का में दोष होता है। जैसे हकलाना, स्वरदोष। द्वितीय भाषा विकलांग बालक है। ये वे बालक हैं जो भाषा को नहीं जानते जो कि उनके वातावरण यथा-स्कूल, बाजार में बोली जा रही है। साथ ही भाषा विकलांग बालकों के अन्तर्गत वे बालक भी आते हैं। जो मातृभाषा भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं।

**IV. मनोसामाजिकरूप से भिन्न:** इस श्रेणी के अन्तर्गत संवेगात्मक रूप से परेशान सामाजिकरूप से कुसमायोजित बालक आते हैं। एक संवेगात्मक रूप से परेशान बालक को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन में कठिनाई अनुभव होती है।

ऐसे बालक भावनाओं को सही रूप से प्रबन्धित नहीं कर पाते। अतः संवेगात्मक असन्तुलन का प्रदर्शन करते हैं। प्रायः यह देखने में आता है कि संवेगात्मक रूप से परेशान बालक अन्य लोगों से परेशान रहते हैं। उन्हें समाज और इसके नियम परेशान करते हैं।

अतः मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक एक ऐसा विषिष्ट बालक है विशेष ध्यान ही नहीं जिसके लिए विशेष शिक्षा की भी आवश्यकता है।

**V. सांस्कृतिकरूप से भिन्न:** सांस्कृतिकरूप से भिन्न बालकों में मुख्यतः अधिगम असुविधायुक्त तथा सांस्कृतिकरूप से अल्पसंख्यक तथा वंचित बालक आते हैं। अधिगम असुविधायुक्त बालकों का वे सुविधायें नहीं प्राप्त होती हैं। जो प्रायः सामान्य बालकों को प्राप्त हो जाती है। अतः इनका अधिगम स्तर गिर जाता है। इससे इनकी शैक्षिक उपलब्धि नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। अतः सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक भी विशेष शिक्षा का अधिकारी है। क्योंकि वह अन्य बालकों से भिन्न है इस कारण विशिष्ट है।

**VI. वंचित के आधार पर भिन्न बालक:** वंचित के आधार पर भिन्न बालक तीन प्रकार से वंचित होता है (1) सामाजिक (2) आर्थिक (3) शैक्षिक। ये बालक अपनी वंचना के आधार पर ही समाज से भिन्न माना जाता है। ऐसे बालक समस्त सामाजिक व आर्थिक सुविधाओं से वंचित रहने के कारण शिक्षा के अधिकार से भी वंचित रहते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा व धन के अभाव में पढ़ नहीं पाते

बल्कि कोई भी कार्य नहीं कर पाते व बालक अपराधी बनने की श्रेणी में चले जाते हैं। ऐसे बालक वंचित कहलाते हैं।

## विशेष शिक्षा

सामान्य बालकों को दी जाने वाली शिक्षा से विलक्षण बालक लाभान्वित नहीं होते हैं, विद्यालय में इस के लिए काफी संख्याएं नहीं हैं, नहीं छोटी-छोटी कक्षाएं हैं और नहीं योग्य प्रशिक्षित अध्यापक है। अतः हम यदि चाहते हैं की विशिष्ट बालक को अपनी क्षमताओं के विकास का पूर्ण अवसर मिले तो विशेष शिक्षा अनिवार्य है। एक बालक जिनकी आंख खराब है, उसे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल भिन्न है उन बालक से जिनकी आंखें सामान्य हैं। यह स्थिति विशेष शिक्षा के महत्त्व की ओर इंक्रीत करता है।

## विशेष शिक्षा से तात्पर्य

विशिष्ट बालको को पूर्ण पृथक्करण पर विद्वानों में बहुत वाद-विवाद हुआ है। अतः विशेष शिक्षा के आयोजन पर बल दिया है। विशेष शिक्षा का तात्पर्य अनेक परिस्थितियों से है।

- सामान्य कक्षा के बालकों के साथ शिक्षित करना, समय-समय पर विशेषज्ञ निरीक्षक करके बालकों की सहायता करता है।
- सामान्य कक्षा के उपरान्त अन्य समय विशिष्ट बालकों को देना।
- विशिष्ट बालक अधिक समय विशेष अध्यापक के साथ व्यतीत करे और कुछ समय सामान्य छात्रों के साथ।
- बालक का पूर्णतः विशेष कक्षा में रहना।

यह विभिन्न प्रकार की विशेष शिक्षा की रुचि के अनुसार दी जानी चाहिए। यदि बालक सामान्य कक्षा से ही लाभान्वित हो सकता है तो उसे नहीं रखना चाहिए। अर्थात् बालक को वहीं रखना चाहिए जहाँ पर उसकी अधिकतम उन्नति हो सके।

### विशेष शिक्षा के उद्देश्य

शिक्षा के उद्देश्य सामान्य विशिष्ट बालकों के लिए है। क्योंकि उनकी

शिक्षा विशेष है। अध्यापक विशेष है तथा पाठ्य-सामग्री व सहायक-सामग्री भी विशेष है। अतः विशेष शिक्षा के लिए विशेष दर्शन, विशेष विधि तथा विशेष अभ्यास की आवश्यकता है। इसकी शिक्षा में विस्तृत तथा नयी विचारधारा को रखना चाहिए।

### संदर्भ ग्रंथ सूची:

Bhatt, C.C.: Gifted Children: A Psychological, Sociological and Educational study, United Publishers, Allahabad, 1973.

Fleming, J.W., Care and Management of Exception Children. N.Y. Appleton century crofts, 1973.

Dunn, L.M., Exceptional Children in the school, N.Y. Holt, Rinehart & Winston, 1973.

डॉ० महेन्द्रकुमार मिश्रा, शिक्षा विश्वकोश, अर्जुन पब्लिशिंग 4831/24, प्रहलाद गली अंसारी रोड, दरियागंज: नई दिल्ली-110002



## माध्यमिक स्तर पर शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन

प्रा. पटोलिया चेतन जे.  
एम.ए., एम. एड.

### प्रस्तावना

बच्चों के अधिकारों की घोषणा सर्वव्यापी है, यह किसी विशेष क्षेत्र के लिए ना होकर समस्त संसार के लिए है। मानव अधिकार की घोषणा न केवल विश्व के लिये है। बल्कि इसका महत्त्व इस बात में है कि ये अधिकार सभी मनुष्यों के लिए समानरूप से है।

मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनको किसी व्यवस्थापिका द्वारा छिना नहीं जा सकता है। बालक यदि राष्ट्रीय धरोहर हैं तो राज्य का कर्तव्य है कि वह उसके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रभावित कदम उठाए, उनका शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास हमारा दायित्व है। न्यायमूर्ति श्री पी. एन. भगवती तथा न्यायमूर्ति श्री आर.एस. पाठक ने शिला वर्ष बनाम चिन्ह एण्ड सोसायटी के मामले अभिव्यक्त किये है। उनका कहना है कि आज के बालक कल के नागरिक है, उनके कन्धों पर कल के भारत का भार है। वे ही आने वाले समय के नेता हैं। शिक्षा ही ऐसा

व्याख्याता, श्री सरस्वती विश्वविद्यालय ( बी.एड्. कॉलेज )  
भूतवड ( धोराजी ), धोराजी, गुजरात

साधन है जिसके द्वारा संस्कृति का प्रसार करके एक सीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचा जा सकता है।

जिस राष्ट्र ये बालकों के मानव अधिकारों की शिक्षा जितनी अच्छी होगी वह राष्ट्र उतना ही सम्पन्न एवं विकासशील होगा।

### मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता

संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा घोषित बालकों के अधिकारों संबंधी बिन्दु

- प्रत्येक बालक को जन्म लेने से ही राष्ट्रीयता का अधिकार प्राप्त है।
- 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को उनके द्वारा अपराध करने पर आर्थिक दण्ड या कारावास की सजा नहीं दी जायेगी।
- प्रत्येक राज्य को बालकों के जीवन की रक्षा, उनके विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना चाहिए।

### संविधान में मौलिक अधिकारों का अध्ययन

- समानता का अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार

### समस्या की आवश्यकता का महत्त्व

इस की आवश्यकता यह है कि बच्चों को अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता चलना चाहिए। व्यक्ति को समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आदि अलग-अलग अधिकार है। मौलिक अधिकार से बच्चों में स्वतंत्रता का विकास होता है। बच्चों को अपना अधिकार क्या-क्या होता है, वह पता चलता है और उनको कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती है, वह पता चलता है।

## समस्या का सीमांकन

- इस शोधकार्य में केवल जबलपुर शहर की शासकीय-अशासकीय स्कूलों को लिया गया है।
- प्रस्तुत शोधकार्य में केवल शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को ही लिया गया है।

## उद्देश्य

- शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के छात्रों में मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन।
- शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों की छात्राओं में मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन।

## परिकल्पना

- शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के छात्रों में मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों की छात्राओं में मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

## न्यादर्श का चयन

प्रस्तुत शोधकार्य हेतु न्यादर्श में सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग करके जबलपुर नगर के दो विद्यालय लिये हैं, और एक शासकीय विद्यालय लिया है। उनमें गाँव की शासकीय विद्यालय के 150 विद्यार्थी और जबलपुर की अशासकीय विद्यालय के 150 विद्यार्थी लिये हैं।

सर्वेक्षण अनुसंधान सामाजिक वैज्ञानिक अन्वेषण की वह शाखा है, जिसके अंतर्गत व्यापक तथा कम आकारवाली जनसंख्या आती है। इनका अध्ययन उनमें से चयनित प्रतिदर्श के आधार पर इस आशय से किया जाता है, ताकि उनमें व्याप्त सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक चरों की घटनाओं के विवरण तथा पारस्परिक अंतः सम्बंधों का ज्ञान हो सके।

सर्वेक्षण तीन प्रकार की सूचना का संकलन करता है।

- वर्तमान स्थिति क्या है।

- हम क्या चाहते हैं।
- उन्हें कैसे पा सकते हैं।

## निष्कर्ष

1. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के छात्रों में मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

विद्यालय	विद्यार्थी	विद्यार्थी	माध्यमान	मानक
प्रमाणिक	क्रांतिक	की संख्या		विचलन
नुटि	अनुपात			
शासकीय छात्र		75	18.7	6.0
1.10	0.49			
अशासकीय छात्र		75	18.5	7.5

2. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के छात्राओं में मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

विद्यालय	विद्यार्थी	विद्यार्थी	माध्यमान	मानक
प्रमाणिक	क्रांतिक	की संख्या		विचलन
नुटि	अनुपात			
शासकीय छात्राओं		75	19.75	6.3
1.10	1.15			
अशासकीय छात्राओं		75	17.6	7.0

## संदर्भ ग्रंथ सूची

- मानव अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि, लेखक - डॉ० एस. के. कपूर प्रकाशक-सेन्ट्रल लो एजेन्सी, 2004.
- प्राथमिक शिक्षक, लेखक-इन्दु कुमार, रमेश कुमार प्रकाशक-गीता ओफसेट प्रिन्टर्स, 2006. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लेखक- डॉ० बसन्तीलाल बाबेल, प्रकाशक -सुविधा लो हाउस प्रा. लि. 2005
- नवभारत न्युज पेपर, जबलपुर, 10.12.2007
- शिक्षा अनुसंधान, लेखक- डॉ० आर. ए. शर्मा, प्रकाशक-सुर्या पब्लिकेशन, 2005.

# अथर्ववेदकी महत्ता और उनकी समसामयिकता

डॉ० दुछात्रा जरिमन आर.

मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंकी ऋतम्भराप्रज्ञा एवं श्रुतिपरम्पराके द्वारा मुनियोंकी तपःपूत भूमि में संचित तथा सुरक्षित मन्त्रब्राह्मणात्मक ज्ञानराशिका नाम वेद है। आपस्वश्रौतसूत्रमें वेदका लक्षण बताते हुए कहा गया है कि—

चिन्तन-पद्धतिके वैविध्य, ज्ञानमयी भौगोलिकताके विस्तार असंख्य आश्रम-व्यवस्था, उपभाषाओंकी बहुविधता एवं होना स्वाभाविक था। कहा जाता है कि भगवान् वेदव्यासने वेदको चार भागों में विभक्त कर दिया था, जिसके कारण उनका नाम 'वेदव्यास' पड़ा और वेदने ऋक्, यजुः, साम एवं अथर्वके रूपमें चार स्वरूप धारण किया। ऋग्वेदामें स्तुति, यजुर्वेदमें यज्ञ, सामवेदमें संगीत तथा अथर्ववेदामें आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय संगठन तथा देशप्रेम के वाङ्मयने ही संसार के सभी लोगों को शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता एवं मानवता का सर्वप्रथम पाठ पढ़ाया था। मनुस्मृतिकार कहते हैं कि—

*एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः।*

*स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः॥*

(मनु० 2120)

वैदिक महर्षियोंकी दृष्टि मूलतः आध्यात्मिक है। स्तुति, यज्ञ तथा संगीत हो अथवा जीवसेवार्थ लोकहित-हेतु विभिन्न साधनाएँ, सबका लक्ष्य मात्र अध्यात्म-साधना, मोक्षप्राप्ति एवं इश्वर-साक्षात्कार है। यह साहित्य समानरूपसे सभी लोगों को स्वस्थ, सुखी, कल्याणमय, निर्भय, प्रसन्न, संतुष्ट तथा समृद्ध बनने-बनाने की कामना से आपूरित पवित्र संकल्पों का समुच्चयात्मक ज्ञाननिधि है। कहना न होगा कि इसके किसी भी संविभाग-अङ्गपर चार क्यों न करें, सबका लक्ष्य समान ही दिखायी देगा, क्योंकि उनका मूल स्वरूप एक हैं कि सामान्य रूप से इसमें समाज किंवा लोकजीवन की व्यवस्था

से सम्बद्ध वर्ण्यसामग्री अधिक है अपेक्षाकृत अन्योके, किन्तु लोकहित-साधना की यह परम्परा कोरी लौकिक नहीं है, प्रत्युत इसकी लोकोन्मुखता अध्यात्म-चिन्तन की पृष्ठभूमि है। इसी चिन्तानात्मक अभ्यास-सोपान के सहारे चिन्तक पारलौकिकता के चरम बिन्दु को प्राप्त कर सकेगा। यही कारण है कि अथर्ववेदकी इसी विचार-पद्धतिने इस कालजयी साहित्य को परम लोकप्रिय, उपयोगी एवं मान-जीवन का अभिन्न अङ्ग बना दिया। जिससे यह सामान्यतिसामान्य व्यक्ति के लिये भी अध्ययन, अवबोध, उपयोग तथा शिक्षाका स्रोत बन गया। इसीलिये आज भी संसार का कोई भी चिन्तक अथर्ववेद की सार्वजनीन, सार्वकालिक एवं सार्वत्रिक प्रासंगिकता को अस्वीकार नहीं कर सकता। उसमें कहीं लोगों को बुद्धिमान् विद्वान् ज्ञानी और जीवन-दर्शन में निष्णात होने का उपदेश दिया गया है तो कहीं पारस्परिक एकता, सौमनस्य, संगठन बलिष्ठता, उन्नति, संवैश्य राष्ट्र, एकराट् सुधार विजय, सेवा शास्त्र-निर्माण स्वराज्य-शासन, आर्थिक प्रगति तथा मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम रखने का निर्देश भी दिखायी देता है। वनस्पतियों की रक्षा, पर्यावरण-सुरक्षा, ओषधि-निर्माण, वर्षा, अचौर्य, क्षमाभाव, पवित्रता, विद्यार्जन, शान्तिस्थापन तथा पशु-पालन आदि इस वेद के ऐसे वर्ण्यविषय हैं, जो-‘काले वर्षत् पर्जन्यः सर्वे सन्तु निर्भयाः’ एवं ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्’ के आदर्श को मूर्त स्वरूप प्रदान करते हैं। मानव-जीवन के आचार एवं मातृभूमिकी उन्नति के परस्पर सम्बन्ध देखें—

*सत्यं बृहदृतमुगं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति।*

*सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्युरुं लोकं पृथिवी नः कृणातु॥*

(अथर्व० 12.1.1)

अर्थात् सत्यपालन, हृदय की विशालता सरल आचरण, वीरता, कार्यदक्षता ठंडी-गर्मी आदि द्वन्दों की सहिष्णुता, ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्नता, विद्वानों का सत्कार- ये गुण मातृभूमिकी रक्षा करते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्यत् में हमारा पालन करने वाली हमारी मातृभूमि हम सभी के लिये अपने लोक को विस्तार दे अर्थात् अपनी सीमा बढ़ाये, जिससे हमारा कार्यक्षेत्र बढ़े। इसका तात्पर्य यह है कि असत्य-भाषण, हृदय

श्री. एस. पी. के. एम. महिला बी. ए. ड. कॉलेज, जोधपुर

की संकीर्णता, असदाचारण, कायरता, अकर्मण्यता, असहिष्णुता, अज्ञानता, विद्वदपमान एवं आपसी असहयोग से राष्ट्र की शक्ति क्षीण हो जाती है, राष्ट्र कमजोर हो जाता है। और बादमें उस पर शत्रु अपना आधिपत्य जमा लेते हैं।

मनुजीने कहा है कि उन लोगों के आयु, विद्या, यश और बल सतत वृद्धिको प्राप्त करते हैं, जो अपने बड़ों का अभिवादन एवं सम्मान करते हैं-‘अभिवादनशीलस्य स्मृतिका यह वाक्य-सिद्धान्त श्रुति माना जाता है, क्योंकि स्मृति श्रुत्यनुगामिनी होती है। कालिदासने भी रघुवंश में उपमान के तौर पर इस अर्थवत्ताको स्वीकार करते हुए कहा है-

*श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्॥*

कहने का तात्पर्य यह है कि जिस देश के नागरिक अपने पूर्वजों या सम्माननीयों का सम्मान नहीं करते, वहाँ के लोगों की आयु, सम्पत्ति, कीर्ति, शक्ति और विद्या क्षीणता को प्राप्त हो जाती है। मनुके इस चिन्तन के आशय को अथर्ववेदमें इस प्रकार देखें-जहाँ पूर्वजों के प्रति असीम आदर देने को कहा गया है-

*यस्यां पूर्वं पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन्॥*

*गवामश्वानां वयसश्च विष्टा भंगं वर्चः पृथिवी ने दधातु॥*

(अथर्व० 12.1.5)

जिस मातृभूमि में हमारे पूर्वजोंने अपूर्व पराक्रम किये, उन्होंने सदाचार, तप और राष्ट्र की रक्षा की। जहाँ देवोंने असुरोको पराजित किया, जो गौ, अश्व एवं पक्षियों का आश्रयस्थान है, वह मातृभूमि हमें ऐश्वर्य एवं वर्चस्व प्रदान करे।

इस राष्ट्र की रक्षा वही कर सकता है। जो अपने इतिहास तथा अपनी परम्परापर गर्व करता हो, निमें ऐसा भाव नहीं है, उनमें मातृभूमिकी प्रतिष्ठाकी रक्षा भला कैसे सम्भव है: अश्वादि अन्योद्वारा छीन लिये जायेंगे, फलतः उनकी आयु ज्ञान तथा बल कैसे सुरक्षित रह सकेंगे। इसलिए हम सबमें ऐसा भाव होना चाहिये कि हम सभी एक ही मातृभूमि के पुत्र हैं। इसकी रक्षा हम सभी का दायित्व है-

*त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं*

*विभर्षि पृथिवि पञ्च मानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं*

*मर्त्येभ्य उद्यन्तसूर्यो रश्मिभिरातनोति॥*

(अथर्व० 12.1.15)

अथर्ववेद में राष्ट्रीय देवी, राजा के कर्तव्य, राजा की स्थिरता, राष्ट्रिय समृद्धि राज्याभिषेक, राजा का चयन, राजा द्वारा राज्य का पुनः स्थापन, क्षात्र-धर्म, प्रजा-पालन, राष्ट्र-संवर्धन, शत्रु-नाश, पापी-संहार, आनन्द-प्राप्ति तथा युद्धोपकरण-सम्बन्धी लगभग 112 सूक्तों का विधान है। ऋषि कहते हैं कि-

‘विजयी होकर, युद्ध में न मरकर और चोटरहित को मैं अपनी मातृभूमिका अध्यक्ष बनकर अच्छे कार्य करूँगा।

(उनकी इच्छा है कि) जो मुझसे ईर्ष्या करता है, जो सेना भेजकर मेरे साथ युद्ध करता है और जो मनसे हमें अपना दास बनाना चाहता है, उन सभी का नाश हो जाय।’

726 सूक्तों तथा 5,977 मन्त्रों वाला यह अथर्ववेद, जिसमें लगभग 20 सूक्त ऋग्वेद के ही हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्वान्दिरस् एवं अङ्गिरस् आदि नामों से भी जाना जाता रहा है। इसीलिये

इसके ज्ञाता को या ऋषियों का मानना है कि राष्ट्र की प्रोन्नति प्रतिभा के बिना असम्भव है अर्थात् यदि देश की प्रतिभाएँ अपने देश को छोड़कर अन्यत्र जाने लगेंगी तो भारतवर्ष सदा-सदाके लिए विद्युत्के अभाव में बल्ब-जैसा खोखला निरर्थक, अनुपयोगी एवं निष्फल हो जायगा।

*मेधामहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीं ब्रह्मजूतामृषिष्टुताम्॥*

*प्रतीतां ब्रह्मचरिभिर्देवानामवसे हुवे॥*

(अथर्व० 6.108.2)

अर्थात् श्रेष्ठतायुक्त, ज्ञानियोंसे सेवित, ऋषियों से प्रशंसित और ब्रह्मचारियों द्वारा स्वीकृत मेधा को अपनी रक्षा के लिये बुलाता हूँ, क्योंकि बुद्धि शरीररूपी समूची सृष्टि का मुख्यतम केन्द्र है। इसके बिना अन्य सब व्यर्थ है। इसकी वृद्धि के लिये मनकी शक्ति परमावश्यक है।

इसके साथ-साथ ऋषियों का यह भी कहना है कि परम्परा संगठित होकर रहने का काम भी बुद्धिमान् व्यक्ति ही कर सकता है। और तभी मानव इस संसार में स्वतन्त्रतापूर्वक अपने अस्तित्वकी रक्षा कर सकता है। ‘नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः० सिद्धान्तको ये महापुरुष ही अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए वे देवताओं से सहायता-हेतु प्रार्थना भी करते हैं-कभी सोम-सवितासे तो कभी आदित्यादि देवोंसे। समूचे अथर्ववेदमें सामूहिक जीवन के विकास की व्यवस्था है। यहाँ किसी स्वार्थपूर्ण व्यक्तिगत उन्नति को बहुत स्थान नहीं है। एक-दूसरे से मिल-जुलकर आपसी सौहार्द एवं सहयोग से कार्य करने की सलाह देते हुए तत्त्वद्रष्टा ऋषि कहते हैं-

*अहं गृष्णामि मनसा मनांसि॥*

*मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि॥*

(अथर्व० 6.98.2)

इसी प्रकार संवेश्य राष्ट्र की अवध रणा को सुस्पष्ट करते हुए मन्त्रद्रष्टाने कहा है कि-

*अस्मभ्यं बृहद्राष्ट्रं संवेश्यं दधातु॥*

(अथर्व० 3.8.1)

‘संघे शक्तिः युगे युगे’ सदृश सिद्धान्त को गतार्थता प्रदान करने-हेतु अथर्ववेद में अनेक ऐसे शब्द-समुच्चयका उपयोग किया गया दीखता है, जिन्हें पारिभाषिक तथा व्याख्येय कहने में भी कोई संकोच नहीं होता। यथा-‘**ज्यायस्वन्तः**’ (वृद्धोंका सम्मान), ‘**मा वियौष्ट**’ (परस्पर लड़ना नहीं), ‘**सधुराचरन्तः**’ (एक धुरा अर्थात् एक नेता के नेतृत्व में कार्य करना), ‘**सध्रीचीनाः**’ (मिलकर कार्य करना) और ‘**संधारयन्तः**’ (सिद्धिहेतु सभी मिलकर प्रयत्न करें) इत्यादि। इस प्रकार प्रेम, शान्ति, संतोष और सेवाभावसे बलपूर्वक जनहित के कार्य करने चाहिये। इसीलिये यहाँ ब्रह्मयोग, जिष्णुयोग तथा क्षात्रयोग प्रभृतिका विधान किया गया है (अथर्ववेदकी भूमिका भाग 5, पृष्ठ 7)।

स्वतन्त्रता के बिना परतन्त्र व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अतः यदि स्वतन्त्रता के लिये युद्ध करना पड़े और एतदर्थ शस्त्र-निर्माण भी करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिये इस ग्रन्थके मन्त्रों में सात प्रकार के स्फोटक अस्त्रों की भी चर्चा परिलक्षित होती है, जिनके द्वारा शत्रुराष्ट्र की जमीन एवं उनके पानी पर आक्रमण किया जा सकता है। हाथ से और आकाश में भी प्रहार किया जा सकता है। इसी प्रकार यहाँ एक ऐसी भी आक्रमण-विधि वर्णित है, जिससे नदी, तालाब अथवा पेय जलके सभी स्रोत समाप्त किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त त्रिषन्धि नामक वज्र तथा अयोमुख, सूचीमुख, विकंकतीमुख,

शितिपदी और चतुष्पदी इत्यादि अनेकविध बाणों की भी चर्चा प्राप्त होती है। तमसास्त्र और सम्मोहनास्त्रों द्वारा शत्रुसेना में अन्धकार फैलाने तथा सभी को चेतनाशून्य कर देने की व्यवस्था भी प्राप्त होती है।

अथर्ववेद (3.24.2)- में सभी के विकास तथा समृद्धिका वर्णन करते हुए कहा गया है-

*पयस्वतीनामा भरेऽहं सहस्त्रशः॥*

*वेदाहं पयस्वन्तं चकार धान्यं बहु।*

अर्थात् मैं रसयुक्त ओषधियोंको हजारों प्रकार से पोषण देना जानता हूँ। अधिकाधिक धान्य कैसे उत्पन्न हो, इसकी विधि भी जनता हूँ। इसी प्रकार यज्ञ करने वालों के घर में निवास करने वाले देवों की हम सभी उपासना करते हैं, यथा-संभृत्वा नाम यो देवस्तं वयं हवामहे यो यो अयज्वनो गृहे।

(अथर्व० 3.24.2)

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं निषाद-इन पाँचों वर्गों के लोगों को मिलकर उपासना करने का विधान, मधुर भाषण (पयस्वान् मामकं वचः), अच्छी खेती, आत्मशुद्धि और दुष्कालके लिये धान्य-संग्रह, प्रजाकी रक्षा तथा दान-ये अथर्ववेदके प्रधान उद्देश्य हैं। इसीलिए ऋषि कहते हैं-

*शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त सं किर।*

(अथर्व० 3.24.5)

अथर्ववेदीय मन्त्रों में पुत्रों की माँ को स्मरण करते हुए बताया गया है कि वस्तुतः शूर पुत्रों की माँ ही धन्यवाद और प्रशांसाकी पात्र है, क्योंकि उसी का पुत्र आदर्श देश का निर्माण कर सकता है और वही भूमिको अर्थसम्पन्न,

गौरवपूर्ण, सुसंस्कृत एवं सर्वतोभावेन स्वस्थ बना सकता है-

*हुवे देवीमदितिं शूरपुत्रां०*

(अथर्व 3.8.2)

ऐसी देवी के पुत्र देवों को भी वशमें कर लेते हैं तथा राष्ट्रिय भावना से भावित होते हैं। वे न स्वयं दीन होते हैं और न राष्ट्र को दीन देते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है-

*कुलं पवित्रं जननी कृतार्था।*

अथर्ववेदमें जहाँ ऋषियोंने समूचे त्रैलोक्यके प्राणियों के लिये जलकी कामना की है, वहीं वाणिज्य, धनप्राप्ति, चन्द्रमा एवं पृथ्वी की गति का भी उल्लेख किया है, क्योंकि जनहित-हेतु अर्थ की चिन्ता उन्हें सतत बनी रहती है। उनका मानना है कि व्यापारसे धन होता है। इसीलिये उन्होंने इन्द्रको वणिक् कहा है-

*इन्द्रमहं वणिजं चोदयामि स न एतु पुरएता नो अस्तु।*

*नुदत्ररातिं परिपन्थिनं मृगं स ईशानो धनदा अस्तु मह्यम्॥*

(अथर्व० 3.15.1)

अर्थात् मैं वणिक् इन्द्रको प्रेरित करता हूँ। वे हमारी ओर आयें। वेद-विरुद्ध मार्गपर चलकर लूट-मारवाले-पाशवी आचरण करने वाले शत्रुको नष्ट करें और वे मेरे लिये धन देने वाले बनें।

इसके अतिरिक्त परस्पर मैत्री-स्थापना बन्धन से मुक्ति, अग्रिकी ऊर्ध्वगति, ब्राह्मण धर्म का आदेश, शापका प्रभाव-विनाश, हृदय और पाण्डुरोग की चिकित्सा, वानस्पतिक ओषधि (8.7), कुष्ठौषधि (5.4-5.6.95) ओषधि (4.17-19,7.65), पृथ्वीपर्णी (2.25), लाक्षा (5.5), शमी (6.30), सूर्यकिरणचिकित्सा

(6.52.7.107), मणिबन्धन (10.6), शंमणि (4.10), प्रतिसरमणि (8.5), शरीर-रचना (11.8), अंजन (8.9), ब्रह्मचर्य (12.2), अमावस्या, पूर्णिमा, विराट् अन्न, प्रथम वस्त्र-परिधान कालयज्ञ, संगठन-महायज्ञ, मधुविद्या, युद्ध-नीति, युद्ध-रीति, युद्धकी तैयारी, मातृभूमि के गीत, विराट्-ब्रह्मज्ञान, राजा का चयन (3.4), राजा बनाने वाले, राजा के कर्तव्य, उन्नति के छः केन्द्र, अभ्युदयकी प्राप्ति, कर्म और विजय (7.40), विजयी स्त्रीका पराक्रम, पापमोचन, द्यावापृथिवी, दुष्टों के लक्षण, दण्ड-विधान, आदर्श राजा, संरक्षक, कर, राजा के गुण एवं राजा के शिक्षक आदि का विवेचन तथा जीवनोपयोगी असंख्य सूक्तियों का प्रयोग अथर्ववेदकी वे

विशेषताएँ हैं, जो न केवल इसकी महत्ता का प्रतिपादन करती हैं, प्रत्युत इसकी प्रासंगिकता को दिनानुदिन बढ़ाती भी जा रही हैं। काल का अखण्ड प्रवाह ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जा रहा है, जिसमें रोगों की असाध्यता, पर्यावरण का संकट, राष्ट्रिय अस्थिरता, आपराधिक बाहुल्य, आपसी वैमनस्य, आदर्श आचरण का अभाव तथा ढेर सारी वैयक्तिक, सामाजिक, सांस्कृतिक किंवा राष्ट्रिय समस्याएँ मानवता को अपने विकराल तथा क्रूर पंजेसे अपने जबड़ों में दबोचती जा रही हैं उत्तरोत्तर प्रतिदिन भय, अविश्वास, धोखा, अधर्म एवं अनैतिकताका वातावरण विश्व को प्रदूषित करता जा रहा है, त्यों-त्यों इस अन्ध कारमय परिवेश को सर्वविध प्रकाश

प्रदान करने के लिये प्रदीप-रूप अथर्ववेद की उपयोगिता बढ़ती जा रहा है, क्योंकि इतिहास की अविचल धारा में जब जब ऐसी समस्याएँ आयी हैं, तब-तब सनातन परम्परा के अक्षुण्ण निधिभूत अनादि वेदमन्त्र सतत उनका समाधान करते रहे हैं तथा करते भी रहेंगे। वेदभगवान् सनातन सत्य हैं तथा सूर्य-चन्द्र की भाँति वे स्वयं के लिये भी प्रमाण हैं। इसलिये इनकी प्राणिकता और प्रासंगिकता शाश्वत है। आइये पुनः-पुनः ऋषियों की वाणी का स्मरण करते हुए विश्व-कल्याण की कामना करें-

*तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय।  
मृत्योर्माऽमृतं गमय।*

॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥



# बौद्धमत में चित्त परिशोधन के उपकरण के रूप में 'ब्रह्मविहार' की अवधारणा

डॉ० अजीत कुमार वर्णवाल

बौद्ध दर्शन में चार 'ब्रह्मविहार' चार नैतिक सदगुण हैं। इन्हें चार अपरिमित भी कहते हैं। बौद्ध नीतिशास्त्र में चित्त परिशोधन के उपकरण के रूप में चार ब्रह्मविहारों-मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, को केन्द्रिय स्थान प्राप्त है। ये सिद्धांत मनुष्य को आनन्द और शांति की प्राप्ति के लिए नैतिक आधार प्रस्तुत करते हैं।

ब्रह्मविहार का विस्तृत विवरण हमें दीघनिकाय में मिलता है। यह दो शब्दों 'ब्रह्म' और 'विहार' से मिलकर बना है। ब्रह्म का अर्थ है 'परमतत्व' या 'ईश्वर' और 'विहार' का अर्थ है 'निवास'। अतः 'ब्रह्मविहार' का शाब्दिक अर्थ हुआ 'ब्रह्म की तरह रहना'। मेत्तासुत्त में शाक्यमुनि ने कहा है कि उपरोक्त चार ब्रह्मविहारों अथवा अपरिमितों का पालन करने से साधक का पुनर्जन्म ब्रह्मलोक में होता है। ब्रह्म सर्वोच्च, शुद्ध एवं सर्वोत्तम तत्व है। चार ब्रह्मविहारों का उल्लेख पतंजलिकृत योगसूत्र में भी मिलता है। चार ब्रह्मविहारों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है-

## मैत्री

प्रथम ब्रह्मविहार 'मैत्री' है। 'मैत्री' की प्रवृत्ति को परहिताय माना गया है। जीवों के सुखी होने पर अपने को प्रफुल्लित पाना एवं उनके हित को बढ़ाना मैत्री है। जीवों से द्वेष न करना तथा उनके प्रति राग का न होना मैत्री के अंतर्गत माना

जाता है। विसुद्धिमग्न के अनुसार मैत्री की भावना करने के अभिलाषी, पलिबोधों को नष्ट कर चुके एवं कर्मस्थान को ग्रहण कर चुके आदिकर्मिक योगी को भोजन समाप्त कर तथा भोजनजनित आलस्य को दूर कर, एकान्त स्थान में अच्छी तरह बिछाये आसन पर सुखपूर्वक बैठकर, सर्वप्रथम द्वेष या वैर के दोष एवं क्षान्ति अर्थात् क्षमा और सहनशीलता के गुण पर विचार करना चाहिए।<sup>1</sup> मैत्री की भावना के लिए द्वेष का नाश एवं शांति की प्राप्ति आवश्यक है नहीं तो किसी अदृष्ट्य दोष का प्रहाण तथा अविदित गुण की प्राप्ति संभव नहीं है। अंगुत्तरनिकाय में भी कहा गया है-"द्वेष के वशीभूत, उपहत चित्त वाला द्वेषी जीवहिंसा भी करता है।"<sup>2</sup> अतः द्वेष में दोष देखना चाहिए। "बुद्धगण क्षान्ति अर्थात् तितिक्षा को परम तप, एवं निर्वाण को परमपद बतलाते हैं"<sup>3</sup> धम्मपद में यह भी कहा गया है-क्षातिबल जिसका सैन्यबल है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।<sup>4</sup> संयुक्तनिकाय में कहा गया है-क्षाति से बढ़कर कुछ नहीं है।<sup>5</sup>

जिसका दोष देख लिया गया, उस द्वेष से चित्त को पृथक् करने के लिए एवं जिसका गुण ज्ञात हो गया हो ऐसी क्षांति से चित्त को जोड़ने के लिए मैत्री भावना का आरंभ करना चाहिए। प्रारंभ में मैत्री की भावना का प्रयोग इन व्यक्तियों के प्रति नहीं करना चाहिए-अप्रिय व्यक्ति, घनिष्ठ मित्र, मध्यस्थ अर्थात् न प्रिय, न अप्रिय और वैरी पुरुष। असमान लिंग के किसी व्यक्तिविशेष के प्रति भी मैत्री की भावना नहीं करनी चाहिए।<sup>6</sup> ऐसा इसलिए कि विचार के स्तर पर अप्रिय को प्रिय अर्थात् मैत्री के आलंबन के स्थान पर रखने से साधक मानसिक तनाव के कारण क्लान्त हो जाता है। घनिष्ठ मित्र को मध्यस्थ के स्थान पर रखने से भी वह क्लान्त हो जाता है अर्थात् मानसिक थकान का अनुभव करता है। उसे थोड़ा भी दुःख होने पर योगी क्लान्त-सा हो उठता है। वैसे ही मध्यस्थ को सम्मानित एवं प्रिय स्थान पर रखने से वह क्लान्त हो जाता है। वैरी का अनुस्मरण करने से क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए प्रारंभ में इनके प्रति मैत्री की भावना नहीं करनी चाहिए।<sup>7</sup> असमान लिंग के व्यक्तिविशेष से मैत्री भावना करने से राग उत्पन्न होता है। जब किसी अमात्यपुत्र ने कुलपूग स्थविर से

सहायक प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र विभाग, सिन्दरी महाविद्यालय,  
सिन्दरी, विनोबा भावे वि०वि०, हजारीबाग

पूछा कि “मैत्री की भावना किसमें करनी चाहिए?” तो स्थविर का जवाब था “प्रिय व्यक्ति में।” उसे अपनी पत्नी प्रिय थी, इसलिए उसमें मैत्री की भावना करते हुए सारी रात भित्तियुद्ध करता रहा। इसलिए असमान लिंग के व्यक्ति के प्रति यह भावना नहीं करनी चाहिए।<sup>8</sup>

मृतक के प्रति भी मैत्री की भावना नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे न तो अर्पणा और न उपचार ही प्राप्त होता है।<sup>9</sup>

सर्वप्रथम “मैं सुखी होऊँ, दुःखरहित होऊँ” या “मैं विरहित, हानिरहित, अशांतिरहित, सुखी होकर जीऊँ” ऐसी ही बार-बार स्वयं के प्रति भावना करनी चाहिए।<sup>10</sup> अभिधम्मपिटक में कहा गया है—जिस प्रकार कोई व्यक्ति प्रिय, मनोहारी विषय देखकर मैत्री करता है, वैसे ही सभी व्यक्तियों के प्रति मैत्री का विस्तार होता है।<sup>11</sup> पटिसंभिदामगग में कहा गया है—सभी सत्त्व अर्थात् सभी प्राणी, सभी भूत, सभी पुद्गल, सभी व्यक्ति वैररहित, अशांतिरहित, हानिरहित हों, सुखपूर्वक जियें।<sup>12</sup>

बुद्ध ने भी सभी दिशाओं में चित्त से विचार कर, स्वयं से बढ़कर प्रिय किसी को नहीं पाया। इसी प्रकार पृथक्-पृथक् दूसरों को भी अपनी-अपनी आत्मा प्रिय है। अतः स्वार्थ के लिए दूसरे की हिंसा न करें।<sup>13</sup> इस प्रकार यह बतलाया गया है—कि पहले स्वयं को उदाहरण बनाकर मैत्री का विस्तार करे, उसके बाद भावना में सुविधा की दृष्टि से, जो उसके प्रिय, अभीष्ट, गौरव के पात्र, भावना करने योग्य आचार्य या आचार्य के समान, उपाध्याय या उपाध्याय के समान हों, उनके द्वारा दिए गए दान, प्रियवचन आदि का जो कि प्रिय एवं अभीष्ट है (तथा शील, श्रुत आदि का, जो कि

गौरव के पात्र बनाने वाले हैं, अनुस्मरण करते हुए—‘ये सत्पुरुष सुखी हों, दुःखरहित हों’—आदि प्रकार से मैत्री भावना करनी चाहिए।<sup>14</sup>

बौद्धदर्शन में मैत्री का बहुत महत्व है। बिना भेदभाव और बिना स्वार्थ के परहित की भावना ही मैत्री है। मैत्री के अभ्यास से बौद्धभिक्षु क्रोध, घृणा, द्वेष आदि पर विजय पाता है। मेत्तासुत्त के अनुसार बौद्ध साधक को अपने चित्त में सभी प्राणियों के प्रति वैसा ही प्रेम विकसित करना चाहिए जैसा एक माँ अपने बच्चे के प्रति करती है।<sup>15</sup> यह एक ऐसा प्रेम है जिसमें ‘मैं’ और ‘आप’ का भेद समाप्त हो जाता है।

मैत्री के विकास की दो विधियाँ हैं:

1. कुशल कर्म का एक अंग के रूप में या मन, वचन एवं शरीर से बिना फल की इच्छा के इसकी पूर्णता या संपादन। यदि फल की इच्छा करते हुए हम कोई कर्म करते हैं तो हमें दुःख मिलता है और मैत्री की भावना नष्ट हो जाती है।
2. दूसरी विधि है—मैत्री पर चित्त को लगाना अर्थात् यह ध्यान की विधि है।<sup>16</sup>

## करुणा

‘करुणा’ का अर्थ है ‘दया’ अर्थात् ‘दूसरों के दुःख दूर करने की हृदय में भावना।’ दूसरे व्यक्तियों के दुःख को दूर कर उन्हें आनन्द या सुख उपलब्ध कराने हेतु स्वयं दुःख भी सहना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए।<sup>17</sup> करुणा एक माँ का ऐसा गुण है कि उसका हर विचार, वचन और कर्म अपने बच्चे को हर तरह के दुःख से मुक्ति के लिए ही होता है। इसका उद्देश्य जनता के दुःख,

उसके प्रति निर्दयता और हिंसा की समाप्ति है। महात्मा बुद्ध को ‘महाकारुणिक’ कहा गया है क्योंकि उन्होंने सभी प्राणियों के प्रति महाकरुणा प्रकट की और कभी भी शत्रुता, हिंसा, विवाद को प्रोत्साहन नहीं दिया। अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा है—‘मैं जगत् से झगड़ा नहीं करता, बल्कि जगत् ही मुझसे झगड़ा करता है। धम्म का गुरु संसार में किसी से झगड़ा नहीं करता।’

बोधि की प्राप्ति के बाद बोधिसत्त्व जितनी भी पारमिताओं को विकसित करता है, उनका आरंभ करुणा से होता है। यह बौद्ध नीतिशास्त्र की रीढ़ है। करुणा की अवधारणा का बौद्धधर्म में अपरिमित महत्व है। इसका संबंध तुच्छ प्राणी से लेकर बौद्धिक मानव से है। यह मनुष्य, कीट, पशु या मनुष्य और मनुष्य, ऊँच और नीच, अमीर और गरीब, सबल और निर्बल, बुद्धिमान और मूर्ख, गोरा और काला, ईसाई, हिंदु, मुस्लिम के बीच कोई भेद नहीं करता। करुणा इन विशिष्टताओं से परे सभी पर अपरिमित रूप से लागू होती है।

महात्मा बुद्ध द्वारा दी गई करुणा और प्रेम की शिक्षा की वजह से ही सम्राट अशोक ने शस्त्रयुद्ध को त्याग दिया और युद्धविजय के स्थान पर धम्मविजय का उद्घोष किया। कलिंगयुद्ध में हुई हिंसा के परिणाम से वह भावविह्वल हो उठा और उसके हृदय में महान करुणा उमड़ पड़ी। फिर उसने कभी भी साम्राज्य विजय हेतु युद्ध न करने की शपथ ली और धम्मविजय की घोषणा की। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में है। उसने प्रेम और अहिंसा के संदेश का प्रसार किया।<sup>18</sup> इसीलिए करुणा के विषय में कहा गया है—‘करुणा

सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति की भावना है। आदर्शतम रूप में यह प्रज्ञा से संबद्ध है। महायान बौद्धमत के अनुसार करुणा की मूल भावना 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की भावना है।<sup>19</sup>

करुणा की भावना के अभिलाषी को करुणारहित होने के दोष एवं करुणा के गुण का प्रत्यवेक्षण करते हुए करुणाभावना का आरंभ करना चाहिए, किंतु उसे भी इसका अभ्यास प्रिय व्यक्तियों आदि से प्रारंभ नहीं करना चाहिए (क्योंकि प्रिय तो प्रिय ही होता है, अतिप्रिय मित्र अतिप्रिय मित्र ही, मध्यस्थ मध्यस्थ ही और वैरी वैरी ही होता है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मविहार में परिवर्तन से उस प्रिय आदि के प्रियत्व आदि में परिवर्तन नहीं होता। साथ ही लिंग का विपरीत होना, मृत होना तो आलंबन बनाये जाने के अयोग्य ही है।<sup>20</sup> जिस प्रकार एक दुर्गतिग्रस्त, दुरावस्था प्राप्त व्यक्ति को देखकर भिक्षु करुणा करता है, उसी प्रकार वह सब सत्त्वों को करुणा का आलंबन बनाता है।<sup>21</sup>

पहले वैरी व्यक्ति पर करुणा करनी चाहिए। उसके प्रति चित्त को मृदु बनाकर, फिर दुर्गतिग्रस्त, फिर प्रिय व्यक्ति, फिर स्वयं के प्रति करुणा भावना करनी चाहिए।<sup>22</sup>

## मुदिता

मुदिता वह भावना है जिसमें दूसरों को संपन्न और सुखी देखकर हर्ष होता है। इसमें अन्य व्यक्तियों की संपत्ति, पुण्य तथा गुणों की वृद्धि देखकर ईर्ष्या, द्वेष या जलन न होकर हर्षभाव होता है।<sup>23</sup> जब हम दूसरे के सुख से हर्षित होते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध होता है। भूखे व्यक्ति को देखकर करुणावश उसे हम भोजन देते हैं। जब उसकी भूख

मिटती है तो वह प्रसन्न होता है और उसे प्रसन्न देखकर हमें भी प्रसन्नता होती है। इस प्रकार का निःस्वार्थ कर्म करने से शुद्ध आनन्द या मुदिता की प्राप्ति होती है।

पहले प्रिय व्यक्ति के प्रति मुदिता उत्पन्न करने के बाद, मध्यस्थ के प्रति, फिर वैरी के प्रति मुदिता भावना उत्पन्न करनी चाहिए।<sup>24</sup> बौद्ध साहित्य में मुदिता की चर्चा उतनी नहीं मिलती है जितनी मैत्री और करुणा की। किंतु कुछ भिक्षु मुदिता को मैत्री और करुणा के विकास के लिए पूर्व शर्त मानते हैं।

## उपेक्षा

उपेक्षा चित्त की वह अवस्था है जिसमें सभी जीवों के प्रति समभाव उत्पन्न हो जाता है। प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख, अनुकूल-प्रतिकूल सभी परिस्थितियों में वासनाहीन होकर भिक्षु उदासीन एवं तटस्थ रहता है। सूक्ष्मतम उपेक्षाभाव अंतिम समाधि का परिपाक कहा जा सकता है।<sup>25</sup> 'उपेक्षा' का अर्थ है 'चित्त की संतुलित दशा' जो दो अन्तों 'आसक्ति' और 'उदासीनता' के मध्य की स्थिति है। चारों ब्रह्मविहार एक-दूसरे से परस्पर-संबद्ध और परस्पराश्रित हैं। परंतु उपेक्षा अन्य तीन को नियंत्रित करती है। उपेक्षा सबसे अनिवार्य गुण है, इसका पालन सबसे कठिन है। इन गुणों के विकास के लिए मनुष्य में बहुत धैर्य, शक्ति और दृढसंकल्प की आवश्यकता होती है। उपेक्षा ध्यान को सुरक्षा प्रदान करती है। इससे आत्मसाक्षात्कार होता है।<sup>26</sup>

'उपेक्षा' अनुरोध और विरोध का निषेध कर मध्यमार्ग को अपनाती है। साधक न तो सुख में अति उत्तेजित होता है और न दुःख से विचलित ही

होता है। गीता में इसी को 'समत्वयोग' या 'समबुद्धियोग' कहा गया है। गीता के छठे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है- "हे अर्जुन! जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुःख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है।"<sup>27</sup>

उपेक्षाभावना के अभिलाषी को, जो मैत्री आदि का भली भाँति अभ्यास करने के बाद उससे उठकर "सुखी हों" आदि के रूप में सत्त्वों के भोग विलास के प्रति मनस्कारयुक्त होने से, प्रतिष एवं अनुनय के समीपवर्ती होने से, सौमनस्य के योग के कारण स्थूल होने से, पूर्व की भावना में दोष देखते हुए जो व्यक्ति इस भिक्षु के लिए प्रकृति से ही मध्यस्थ हो; उसके लिए उपेक्षा करते हुए उपेक्षा करनी चाहिए तत्पश्चात् प्रिय व्यक्ति आदि के प्रति। जैसे भिक्षु उपेक्षायुक्त चित्त से एक दिशा को आलंबन बनाकर विहार करता है तथा किसी ऐसे व्यक्ति को जो न तो प्रिय है और न अप्रिय, को देखकर उपेक्षा होती है, वैसे ही वह सभी सत्त्वों के प्रति उपेक्षा के साथ साधना करता है।<sup>28</sup>

मैत्री सभी प्राणियों के प्रति प्रेम है, करुणा दुःखी प्राणियों के प्रति प्रेम, मुदिता संपन्न लोगों के प्रति प्रेम तथा उपेक्षा अच्छा और बुरा, प्रिय और अप्रिय, सुन्दर और कुरूप, सुखी और दुःखी सभी प्राणियों के प्रति भेदभावरहित प्रेम भावना है। इन गुणों के द्वारा वर्तमान समाज को विनाश से बचाया जा सकता है। अतः चार ब्रह्मविहारों के पालन से विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है और यही तो चिन्तनशील मनुष्य के जीवन एवं सभ्य समाज का चरम लक्ष्य है।

## संदर्भ एवं टिप्पणी

1. विसुद्धिमग्गो, दुतियोभागो, हिन्दी अनुवादसहितो, प्रधानसंपादक, स्वामी द्वारिकादासशास्त्री, बौद्धभारती, वाराणसी, 2002, पृ. 147.
2. अंगुतरनिकाय, भाग 1, पृ. 284.
3. धम्मपद, पृ. 184.
4. विसुद्धिमग्गो, दुतियोभागो, हिन्दी अनुवादसहितो, प्रधानसंपादक, स्वामी द्वारिकादासशास्त्री, बौद्धभारती, वाराणसी, 2002, पृ. 147.
5. संयुक्तनिकाय, भाग 1, पृ. 356.
6. विसुद्धिमग्गो, दुतियोभागो, हिन्दी अनुवादसहितो, प्रधानसंपादक, स्वामी द्वारिकादासशास्त्री, बौद्धभारती, वाराणसी, 2002, पृ. 148.
7. वहीं.
8. विसुद्धिमग्गो, दुतियोभागो, हिन्दी अनुवादसहितो, प्रधानसंपादक, स्वामी द्वारिकादासशास्त्री, बौद्धभारती, वाराणसी, 2002, पृ. 148-149.
9. वही, पृ. 149.
10. वहीं.
11. अभिधम्मपिटक, भाग 2, पृ. 327.
12. खुद्दकनिकाय, भाग 5, पृ. 379.
13. संयुक्तनिकाय, भाग 1, पृ. 126.
14. विसुद्धिमग्गो, दुतियोभागो, हिन्दी अनुवादसहितो, प्रधानसंपादक, स्वामी द्वारिकादासशास्त्री, बौद्धभारती, वाराणसी, 2002, पृ. 150-151.
15. Dhammapada, K. Sir, What Buddhists Believe, Taiwan, 1993, pg. 168.
16. Pandita Sayadaw. U., On The Path of Freedom, Malayasia, 1995, pg. 261-262.
17. Ibid, pg. 281- 282.
18. Piyadasi Thera, The Spectrum of Buddhism, Taiwan, 1991, pg. 243-245.
19. "Karuna is active sympathy extended to all sentient beings. Ideally, it is combined with Prajna (Wisdon), which in Mahayana Buddhism means the realisation that all sentient beings exists in each other and take identity from each other."....Brahmavihara Wikipedia, Brahmavihara Practice in The Vishuddhimagga, About.com Guide, Barbara O'Brien.
20. विसुद्धिमग्गो, दुतियोभागो, हिन्दी अनुवादसहितो, प्रधानसंपादक, स्वामी द्वारिकादासशास्त्री, बौद्धभारती, वाराणसी, 2002, पृ. 175-176.
21. अभिधम्मपिटक, भाग 2, पृ. 328.
22. विसुद्धिमग्गो, दुतियोभागो, हिन्दी अनुवादसहितो, प्रधानसंपादक, स्वामी द्वारिकादासशास्त्री, बौद्धभारती, वाराणसी, 2002, पृ. 177-178.
23. या मसीह, तुलनात्मक धर्मदर्शन, 1997, पृ. 108.
24. विसुद्धिमग्गो, दुतियोभागो, हिन्दी अनुवादसहितो, प्रधानसंपादक, स्वामी द्वारिकादासशास्त्री, बौद्धभारती, वाराणसी, 2002, पृ. 179.
25. या मसीह, तुलनात्मक धर्मदर्शन, 1997, पृ. 108.
26. Adhikari, A (ed.), Sambhasha, Sri Lanka, 1991, pg. 112.
27. "आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योश्चर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥32॥" — श्रीमद्भगवद्गीता, तत्त्वविवेचनी हिन्दी-टीका, टीकाकार, जयदयाल गोयन्दका, गीताप्रेस, गोरखपुर, सं० 2067, पृ. 329.
28. अभिधम्मपिटक, 2-231.



# वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानन्द के सार्वभौम धर्म की प्रासंगिकता

डा. जनार्दन प्रसाद

एम.ए. (स्वर्गपदक प्राप्त), पी.एच.डी. (आर.यू.)

## सारांश

स्वामी विवेकानन्द ने मानव-जीवन से सम्बन्धित अनेक मूल्यों पर अपना विचार दिया जिसमें सार्वभौम धर्म का विचार महत्वपूर्ण है। इस विश्व में अनेक धर्म पाये जाते हैं उन सभी धर्मों का उद्देश्य सत्य का अन्वेषण करना है। धर्म को लेकर मानव के बीच सर्वाधिक रक्तपात हुआ। इसका मूल कारण उसका नैतिक-पतन तथा धार्मिक रूढ़िवादिता है। इससे निजात पाने में स्वामी विवेकानन्द का सार्वभौम धर्म का विचार सहायक होगा।

विवेकानन्द के अनुसार यदि एक धर्म सत्य है, तो अन्य सभी धर्म को भी अवश्य सत्य होना चाहिए। सभी धर्म यह स्वीकार करता है कि आरम्भ में मनुष्य पूर्ण था। लेकिन अपने गलत कार्यों के कारण उसने अपनी प्रकृति को दूषित कर लिया। मानव का धर्म है- ईश्वर के अनुशासन के अनुसार जीवन व्यतीत कर अपने दिव्य एवं मौलिक रूप को प्राप्त करना। प्रत्येक आत्मा प्रच्छन्न रूप से ईश्वरीय है। धर्म का उद्देश्य आत्मा की संभावित दिव्यता को व्यक्त करना है। विभिन्न धार्मिक सिद्धान्त एवं कर्मकाण्ड इस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जाने वाले सोपान हैं। सभी धर्मों का लक्ष्य आत्मा में ईश्वर का साक्षात्कार करना है। धर्म में अन्तर का कारण एक ही सत्य को विभिन्न दृष्टिकोण से देखने का प्रयास है विवेकानन्द का विश्वास है कि सार्वभौम धर्म का अस्तित्व है।

सहायक प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, पी.सी. विज्ञान कॉलेज,  
जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा (बिहार)

संसार के सभी धर्म ईश्वर की विभिन्न शक्तियों की अभिव्यक्तियाँ हैं, जो मानव जाति के कल्याण के लिए क्रियाशील हैं। विवेकानन्द के अनुसार धर्म एक दूसरे का विरोधी नहीं है, वे सम्पूरक हैं। ईश्वर का विचार सभी धर्मों का आधार है जो विश्व के एकत्व का कारण है। सार्वभौम धर्म वह होगा जो सभी प्रकार के प्रकृति के लोगों को सन्तुष्ट करने में, उन्हें दिशा प्रदान करने में सक्षम होगा। धर्म की सार्वभौमिकता के लिए यह आवश्यक है कि उसका द्वार प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला रहे तथा हर व्यक्ति को बौद्धिक एवं भावनात्मक रूप से सन्तुष्ट करें।

## संकेत शब्द

- I ससीम-असीम
- II आध्यात्मिक
- III अन्तर्दृष्टि
- IV अहम्
- V समागम

## वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानन्द के सार्वभौम धर्म की प्रासंगिकता

### भूमिका

स्वामी विवेकानन्द का जन्म कोलकता के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। विवेकानन्द के दार्शनिक विचारों पर वेदान्त, गीता तथा बौद्धधर्म का तो प्रभाव है ही, लेकिन उनके जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस का है। उन्होंने मानव जीवन से संबंधित अनेकों मूल्यों पर विचार किया जिनमें सार्वभौम धर्म का विचार महत्वपूर्ण है।

धर्म परम सत्ता के प्रति सम्पूर्ण मानव व्यक्तित्व की प्रतिक्रिया है। हम अपनी समग्र क्षमता एवं शक्ति से परम सत्ता का अन्वेषण करते हैं। सम्पूर्ण मानव व्यक्तित्व की इस अभिवृत्ति को ही आध्यात्मिक जीवन कहा जाता है। इस विश्व में अनेकों धर्म पाये जाते हैं। उन सभी धर्मों का उद्देश्य सत्य का अन्वेषण करना है। अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों

में सभी धर्म परम सत्य के साक्षात्कार का साधन प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न धर्म मानव प्रकृति की भिन्नता के कारण एक दूसरे से भिन्न हैं। एक विशिष्ट धर्म में भी मनुष्यों के बीच सूक्ष्म भिन्नता के कारण अनेक उपसम्प्रदायों का आविर्भाव होता रहा है।

धर्म को लेकर मानव समाज में सर्वाधिक रक्तपात हुआ। इसका मूल कारण मानव का नैतिक-पतन एवं धार्मिक कट्टरता है। अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु एक मानव दूसरे मानव की हिंसा करने में थोड़ा भी संकोच नहीं करता है। धर्म के अन्दर व्याप्त रूढ़िवादी विचार-धारा एवं धार्मिक कट्टरता के कारण आज एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के माननेवालों का खून तो बहाते ही हैं, एक ही धर्म के विभिन्न पंथों के लोग भी आपस में लड़ते-झगड़ते रहते हैं। विवेकानन्द के सार्वभौम धर्म की अवधारणा इस भयावह स्थिति से मुक्ति दिलाने में पूर्णतः सक्षम है क्योंकि आध्यात्मिक मूल्यों में आस्था एवं उनके अनुरूप जीवन-शैली मानवता के लिए सुख-शान्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। विवेकानन्द के सार्वभौम धर्म की अवधारणा आध्यात्मिक मानवतावाद की पुनर्स्थापना का एक प्रयास है।

### **स्वामी विवेकानन्द का सार्वभौम धर्म**

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार यदि एक धर्म सत्य है तो अन्य सभी धर्मों को भी अवश्य सत्य होना चाहिए। विभिन्न धर्मों के बीच सिर्फ आवश्यक एवं वाह्य रूपों में अन्तर है किन्तु तत्त्वतः वे एक ही हैं।

संसार के विविध धर्मों से यह ज्ञात होता है कि आत्मा और ईश्वर के बीच

संबंध के विषय में तीन प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हैं। प्रथमतः सभी धर्म इस बात को स्वीकार करते हैं कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मानवीय सत्ता का एक ऐसा पक्ष है जिसका अस्तित्व बना रहता है। मानव जीवन के आरम्भ का तात्पर्य सिर्फ जन्म और मृत्यु के चक्र का आरम्भ है, वस्तुतः शरीर से पृथक मानवीय अस्तित्व का एक ऐसा पक्ष है जो शाश्वत है, नष्ट नहीं होता है।

आत्मा की पूर्णता के संबंध में एक दूसरा दृष्टिकोण भी है जिसके अनुसार आत्मा अपने आप में पूर्ण है। बाइबिल के नूतन सुसमाचार में भी यह स्वीकार किया गया है कि आरम्भ में मनुष्य पूर्ण था। अपने गलत कार्यों के कारण उसने अपनी प्रकृति को दूषित कर लिया। किन्तु ईश्वर का साक्षात्कार कर, उसके आदेशों के अनुसार जीवन व्यतीत कर वह पुनः अपने दिव्य एवं मौलिक स्वरूप को प्राप्त कर सकता है।

हम पाते हैं कि सभी धर्म आत्मा की नित्यता में विश्वास करते हैं किन्तु साथ ही यह भी मानते हैं कि अपनी गलतियों के कारण आत्मा की वह दिव्य आभा धुमिल हो जाती है तथा इस आरम्भिक शुद्धता की प्राप्ति के लिए ईश्वर में पूर्ण आस्था एवं उसका ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है।

जहाँ तक विभिन्न धर्मों में ईश्वर की धारणा का प्रश्न है, ईश्वर का आरम्भिक विचार अत्यन्त अस्पष्ट है। सर्वाधिक प्राचीन देशों में सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, जल आदि विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों की देवी-देवताओं के रूप में पूजा की जाती थी। प्राचीन यहूदी धर्म में यह माना जाता था कि इन देवी देवताओं में भयंकर युद्ध हुआ करता

था। बाद में वेबीलोनियन एवं यहूदी इलोहिम की पूजा करने लगे। उसके बाद अनेक देवताओं में किसी एक को सर्वोच्च मान लिया गया। किन्तु अलग-अलग काबीले इस संबंध में पृथक-पृथक विचार रखते थे। उनमें से प्रत्येक यह मानता था कि उन्हीं का ईश्वर महानतम है तथा इसे सिद्ध करने के लिए वे परस्पर युद्ध करते थे। जो सबसे अधिक शक्तिशाली होता था, उसी का ईश्वर महानतम माना जाता था। ये शक्तियां न्यूनाधिक असभ्य थी। किन्तु धीरे-धीरे स्थिति में परिवर्तन आया और एकेश्वरवादी विचारधारा विकसित हुई। इसके अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञ माना गया। बाइबिल के नूतन सुसमाचार में दो परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली शक्तियां पायी जाती हैं, “मेरे पिता जो स्वर्ग में हैं” तथा “मैं और मेरे पिता एक हैं।” वस्तुतः ये दोनों कथन परस्पर विरोधी नहीं हैं। जब ईसामसीह ने कहा कि “मेरे पिता स्वर्ग में हैं” तो उनका अभिप्राय धार्मिक सत्य से अपरिचित, अज्ञानी व्यक्तियों को ईश्वर विषयक उपदेश देना था। जनसाधारण को बोधगम्य बनाने के लिए इस कथन के द्वारा ईश्वर का एक मूर्त विचार प्रस्तुत किया गया है। उच्च आध्यात्मिक स्थिति में पहुँचे बिना यह अनुभव करना संभव नहीं है कि ईश्वर और आत्मा एक हैं।

प्रत्येक आत्मा प्रच्छन्न रूप में ईश्वरीय है। धर्म का उद्देश्य आत्मा की संभावित दिव्यता को बाह्य एवं आन्तरिक प्रकृति के नियंत्रण के द्वारा व्यक्त करना है। धर्म का अन्तिम लक्ष्य यही है। विभिन्न धार्मिक सिद्धान्त, कर्मकाण्ड, धर्मग्रन्थ, उपासना स्थल इस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ले जाने वाले सोपान हैं। सभी धर्मों

का लक्ष्य आत्मा में ईश्वर का साक्षात्कार करना है। यही सार्वभौम धर्म है।

आत्मा के विकास की विभिन्न अवस्थाएँ होती हैं तथा धर्म के विकास कि विभिन्न अवस्थाएँ आत्मिक विकास की द्योतक होती हैं। प्रत्येक धर्म में कुछ व्याघातकता एवं विलगता पायी जाती है जो विकास की विभिन्न अवस्थाओं की ओर संकेत करती है। किसी धर्म में जिन आकारों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, वे आत्मिक विकास की एक अवस्था विशेष में आवश्यक होती हैं। अतः किसी भी धर्म में प्रचलित परम्पराओं को इसी परिप्रश्य में देखना चाहिए तथा असत्य प्रतीत होने वाले क्रिया-कलापों एवं विश्वासों के लिए उस पर दोषारापण नहीं किया जाना चाहिए।

विवेकानन्द के अनुसार धर्म सिद्धान्तों या रूढ़ियों में निहित नहीं है। पंथ और सम्प्रदाय का धार्मिक विकास की आरम्भिक अवस्था में ही महत्व होता है। उनकी अनेकता का कारण विभिन्न राष्ट्रों की भौगोलिक एवं अन्य परिस्थितियों की भिन्नता है किन्तु एक धार्मिक व्यक्ति को पंथों एवं सम्प्रदायों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। विवेकानन्द के अनुसार "It is good to be born in a church, but it is bad to die there.... Churches, ceremonies and symbols are good for children, but when the child is grown, he must burst the church himself. We must not remain children forever." <sup>1</sup>

धार्मिक ग्रन्थ से धर्म नहीं बनते हैं, धर्म ही धार्मिक ग्रन्थ का आधार है। धर्म आत्म-ज्ञान में निहित है। बाइबिल में कहा गया है कि "Blessed are the pure in spirit for they shall see god."

आत्म-ज्ञान की प्राप्ति ही धर्म का लक्ष्य है। सभी धर्मों का लक्ष्य आत्मा में ईश्वर का साक्षात्कार है। यही सार्वभौम धर्म है। ईश्वर के अनुशासन को जीवन में अपनाना, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना ही धर्म है। ईसामसीह का यह कथन है " पिता मेरी इच्छा नहीं तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो।" इसी सत्य की ओर संकेत करता है।

विवेकानन्द के अनुसार यदि सभी धर्मों में कोई सार्वभौम सत्य है तो वह ईश्वर की अनुभूति ही है। यह वह केन्द्र बिन्दु है, जिसकी ओर सभी धर्म अग्रसर हो रहे हैं। अन्य आदर्श एवं उनकी प्राप्ति के मार्ग अलग हो सकते हैं। किन्तु वे एक ही केन्द्र की ओर उन्मुख हैं। ईश्वर का साक्षात्कार ही सभी धर्म ग्रन्थों, सभी पंथों, सभी मिथ्या अहंकार के परे है। सार्वभौम धर्म है अपने अन्दर ईश्वर का दर्शन करना, उसे अनुभव करना उस परम सत्ता का साक्षात्कार अपनी आत्मा के अन्दर करना। विवेकानन्द कहते हैं "The end of all religious is the realization of God is the soul. That is the one universal religion." <sup>2</sup>

धर्मों के समान लक्ष्य एवं समान महत्व को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए विवेकानन्द कहते हैं कि जिस प्रकार यदि अलग-2 पात्रों में पानी भरा जाये, तो पात्रों के आकार की भिन्नता के बावजूद उनमें स्थित जल समान ही माना जायगा, उसी प्रकार हमारा मन जल पात्र की तरह है। जिसमें हम ईश्वर रूपी जल को भरने का प्रयास करते हैं। अतः व्यक्ति और उसके सम्प्रदाय अनेक हो सकते हैं किन्तु वे एक ही सत्य को ग्रहण करने वाला पात्र मात्र है। उनमें अन्तर का कारण एक ही है सत्य को

विभिन्न दृष्टिकोण से देखने का प्रयास।

विश्व धर्म एक वैज्ञानिक धर्म होगा। सत्य का साक्षात्कार ही धर्म है और जिसे सत्य की अनुभूति हो चुकी है, वही वास्तव में धार्मिक व्यक्ति है। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ धर्म, ग्रन्थों का अध्ययन यात्रा करता है, कर्मकाण्डों का अनुसरण करता है किन्तु उसे उनमें निहित सत्य की अनुभूति नहीं होती है तो इसका अर्थ है कि उसने धर्म का सही ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। जिस प्रकार प्रत्येक विज्ञान के अध्ययन की कुछ विधियाँ होती हैं उसी प्रकार धार्मिक सत्य का ज्ञान भी एक निश्चित मार्ग के अनुसरण से ही प्राप्त किया जा सकता है और प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही उसके लिए प्रयास कर उसे प्राप्त करना है। यही धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप है। इस कार्य में धर्मग्रन्थ हमारी सहायता अवश्य कर सकते हैं किन्तु उनके द्वारा वर्णित सत्य एवं स्वयं अनुभूत सत्य में वही अन्तर है जो पृथ्वी के किसी भू-भाग के नक्शे और उस भू-भाग के प्रत्यक्ष ज्ञान में है।

सभी धर्म का लक्ष्य मनुष्य की भावना और विचार को परिवर्तित करते हुए उमें देवत्व के अवतरण के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना है। सभी धर्म आन्तरिक रूप से इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, सिर्फ उनके बाह्य कलेवर में अन्तर पाया जाता है। कुछ धर्म यह मानते हैं कि आध्यात्मिक सत्य का दर्शन इस जगत में संभव नहीं है। मनुष्य जिस धार्मिक सत्य में विश्वास करता है, उन्ही का वह मृत्यु के पश्चात् एक दूसरे जगत में प्रत्यक्ष दर्शन करेगा किन्तु प्रश्न उठता है कि तब यह कैसे ज्ञात होगा कि आध्यात्मिक सत्य का अस्तित्व है और तब उन्हे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ ऐसे व्यक्ति अवश्य हैं

जिन्हें उनका दर्शन इस जीवन में अवश्य हुआ है। किन्तु इसमें भी एक कठिनाई है कि यदि सिर्फ कुछ लोगों को ही आध्यात्मिक अनुभूति हो सकती है तो अन्य लोग उसमें विश्वास क्यों करेंगे? इसका तात्पर्य यह है कि यदि आध्यात्मिकता एक सच्चाई है तो इस मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस सत्य का साक्षात्कार अवश्य होना चाहिए। विवेकानन्द का ऐसा विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक सत्य को सही दिशा में प्रयास करके अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। इसे ही धर्म का सार्वभौम रूप कहा जायेगा। इसी रूप में धर्म वैज्ञानिक कहलायेगा।

विवेकानन्द का विश्वास है कि सार्वभौम धर्म का अस्तित्व है संसार के सभी धर्म ईश्वर की विभिन्न शक्तियों की अभिव्यक्ति है जो मानव जाति के कल्याण के लिए क्रियाशील है। युगों से मनुष्य मानव नियति की खोज में संलग्न है, इसे हम ईश्वर की खोज भी कह सकते हैं। जिस तरह विभिन्न राष्ट्रों में सामाजिक संघर्ष का प्रतिनिधित्व विभिन्न सामाजिक संस्थाएँ करती हैं, उसी तरह मनुष्य के आध्यात्मिक संघर्ष का प्रतिनिधित्व विभिन्न धर्मों द्वारा होता है। इन आध्यात्मिक संगठनों के बीच बराबर संघर्ष होता रहता है, किन्तु संसार के विचारकों, दार्शनिकों एवं तुलनात्मक धर्म के अध्येता इन परस्पर संघर्षशील सम्प्रदायों के बीच सामाजिक स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं।

संसार के सभी महान धर्मों में अत्यधिक जीवन-शक्ति है जिसके कारण विपरीत परिस्थितियों में भी उनका अस्तित्व कायम है तथा वे निरन्तर संबंधित भी हो रहे हैं। प्रत्येक धर्म एक दूसरे से भिन्न है किन्तु प्रश्न उठता है क्या वे

परस्पर विरोधी हैं या एक दूसरे के पूरक हैं? विवेकानन्द के अनुसार धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। वे सम्पूरक हैं। प्रत्येक धर्म महान शाश्वत सत्य के एक अंश को ग्रहण करता है और उसे मूर्त रूप प्रदान करने में अपनी सारी शक्ति लगा देता है। वे एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति सूर्य की यात्रा कर रहा है, इस क्रम में वह विभिन्न कोणों से सूर्य की तस्वीर लेता है। जब हम उन तस्वीरों को देखते हैं, तो पाते हैं कि उनमें से प्रत्येक तस्वीर दूसरों से भिन्न है। किन्तु कोई इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता है कि प्रत्येक तस्वीर एक ही है। यही बात विभिन्न धर्मों के संदर्भ में भी कही जा सकती है। हम सत्य को अपनी शिक्षा और वातावरण की पृष्ठभूमि में देखते हैं। इसे हम अपनी भावना के रंग में रंग डालते हैं, अपनी बुद्धि की सीमा में ही इसपर विचार करते हैं। हम सत्य को उसी सीमा तक जान सकते हैं जितना ग्रहण करने की हमारी सामर्थ्य है। विभिन्न धर्मों के बीच अन्तर का कारण यही है, यद्यपि सभी एक ही महान सार्वभौम, सत्य के विभिन्न अंशों की अभिव्यक्तियाँ हैं। यदि कोई धर्म ईश्वर के अनन्त सत्य को उसकी समग्रता में जानने का दावा करता है, तो यह उसका मिथ्या अहंकार ही माना जायेगा।

अनेकता में एकता इस विश्व की विशिष्टता है। ईश्वर सभी धर्मों का केन्द्र बिन्दु है और विभिन्न धर्म अनेक त्रिज्याओं की तरह हैं। त्रिज्याएँ उस एक केन्द्र में जाकर मिल जाती हैं। धर्म के तीन प्रधान अंग हैं, दर्शन, पौराणिक कथाएँ तथा कर्मकाण्ड। सभी धर्म के ये तीन पक्ष एक दूसरे से भिन्न हैं, किन्तु ईश्वर का विचार इन सभी धर्मों

की आधारशिला है। यह एक धागे की तरह विभिन्न धर्मों को एक सूत्र में जोड़े हुए हैं। ईश्वर ही वह सार्वभौम सत्ता है जो विश्व के एकत्व का कारण है। उस सर्वोच्च एकत्व में हम सभी एक हैं किन्तु अभिव्यक्ति में अन्तर होने के कारण अनेकता परिलक्षित होती है।

सार्वभौम धर्म के आदर्श स्वरूप के विषय में विवेकानन्द कहते हैं कि यह कोई ऐसा सार्वभौम दर्शन, पौराणिक कथा समूह या सार्वभौम कर्मकाण्ड नहीं है, जिसे सभी के द्वारा समान रूप से ग्रहण किया जाए। संसार में विभिन्न प्रकृति के लोग रहते हैं। कुछ लोग बुद्धिवादी हैं जो सत्य को तर्क बुद्धि की कसौटी पर ग्रहण करना चाहते हैं। कुछ लोग गत्यात्मक प्रकृति के होते हैं जो कर्म में विश्वास करते हैं उनका लक्ष्य कर्म के माध्यम से सत्य की प्राप्ति करना है। संवेगात्मक स्वभाव के व्यक्ति प्रेम एवं सौंदर्य में ही ईश्वर के दर्शन करते हैं। उनका लक्ष्य मन की एकाग्रचित्तता के द्वारा आन्तरिक शक्तियों को जाग्रत कर सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है। अतः विश्व धर्म वह होगा जो इन सभी प्रकार की प्रकृति के लोगों को संतुष्ट करने में, उन्हें दिशा प्रदान करने में सक्षम होगा। जो धर्म ऐसा करने में समर्थ नहीं है उसे एकपक्षीय ही समझा जाएगा विवेकानन्द के अनुसार-"What we want to propagate is a religion that will be equally acceptable to all minds it must be equally philosophic, equally emotional, equally mystic and equally conducive to action. And this combination will be the ideal the nearest approach to a universal religion." <sup>3</sup>

इस धर्म की प्राप्ति एकत्व द्वारा हो सकती है, जिसे हम योग भी कहते हैं। एक कर्मठ व्यक्ति के लिए यह मनुष्यों तथा सम्पूर्ण मानवता के बीच एकात्मकता है। एक रहस्यवादी के लिए उसके निम्नतर तथा उच्चतर आत्मा के बीच तादात्म्य है, एक दार्शनिक के लिए सम्पूर्ण अस्तित्ववान वस्तुओं के बीच एकता है। इन्हें क्रमशः कर्मयोगी, राजयोगी, भक्तियोगी एवं ज्ञानयोगी कहते हैं।

इस प्रकार के व्यापक धर्म की प्राप्ति के लिए हमें धर्मों के उद्गम की ओर जाकर उन सभी को लेकर चलना होगा। विवेकानन्द के अनुसार सभी धर्मों के बीच इस प्रकार समन्वय किया जाना चाहिए कि धर्म में किसी व्यक्ति की वैयक्तिकता नष्ट नहीं हो और साथ ही उसे चिन्तन के एक ऐसे बिन्दु की ओर उन्मुख किया जा सके जहां वह अन्य दूसरे धर्मों के साथ एकत्व का भी दर्शन कर सके। धर्मों के बीच एकता स्थापित करने के अनेक प्रयास की विफलता का कारण यह है कि उनमें सभी धर्मों को कुछ सामान्य सिद्धान्तों के अन्तर्गत बाँधने की कोशिश की गई है किन्तु इससे कुछ नये सम्प्रदायों का आविर्भाव ही संभव हो सका जो सदैव परस्पर झगड़ते रहते हैं। सार्वभौम धर्म की अभिव्यक्ति के लिए (क्योंकि विवेकानन्द के अनुसार यह सदैव अस्तित्वान है) दो शर्तें आवश्यक हैं, प्रथमतः किसी भी धार्मिक विचारधारा को नष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरे दृष्टिकोण को स्वीकार करने वाले की सहायता की जानी चाहिए। यदि सहायता करना संभव नहीं हो तो उन्हें अपनी आस्था के अनुसार आचरण करने देना चाहिए। द्वितीयतः अपने आध्यात्मिक विकास के

क्रम में मनुष्य जहां तक पहुंचता है उसी रूप में उसे स्वीकार करते हुए उसकी उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि यदि सभी धर्मों का लक्ष्य उस एक ईश्वर तक पहुँचना है तो निश्चित ही उस केन्द्र बिन्दु पर सभी त्रिज्याएं अवश्य जा मिलेगी और तब सभी अन्तर तिरोहित हो जायेंगे। विवेकानन्द कहते हैं:- "Our watchword then will be acceptance not exclusion. I accept all religions that were in part and worship with them all. I worship God with everyone of them in whatever form they worship Him." 4

### विवेकानन्द के सार्वभौम धर्म का महत्व

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि धर्म एवं सम्प्रदाय के नाम पर मानव समाज संकेत देता है कि धर्मों का यह संघर्ष वस्तुतः ऊपरी संघर्ष है। वे धर्मों के अन्तर को, उसके मूल को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि यदि धर्मों का अन्तर प्रभावित हुआ होता तो उसमें शिथिलता आती। विवेकानन्द कहते हैं कि एक दृष्टि से संघर्ष, वैचारिक मतभेद एवं विवाद आदि तो प्रकृति के अनिवार्य सोपान हैं। यदि मतभेद हो ही नहीं, हरेक व्यक्ति एक ही तरह सोचे, तो चिन्तन की प्रक्रिया शीघ्र अवरूद्ध हो जायेगी। वे कहते हैं:- "It is the clash of thought, the differentiation of thought that awakes thought..... Whirls and eddies occur only in a rushing leving stream. There are no whirlpools in stagnant dead water." 5

धर्म के नाम पर मानव के बीच जो संघर्ष होता आ रहा है उसका मात्र एक

ही कारण है कि प्रत्येक धर्मानुयायी यह सिद्ध करना चाहता है कि केवल हमारा धार्मिक विचार ही सत्य है। यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि एक ही धर्म सत्य है तो अन्य सभी धार्मिक विचार किस प्रकार एक साथ सत्य हो सकते हैं? इस प्रश्न के प्रत्युत्तर के क्रम में विवेकानन्द के सार्वभौम धर्म की महत्ता उभरती है। उनके अनुसार धर्म की सार्वभौमिकता के लिए दो तथ्य अनिवार्य हैं। पहला, धर्म सार्वभौम तभी हो सकता है जब इसका द्वार सबों के लिए खुला रहे। धर्म को यह बात देखनी है कि नवजात शिशु अबोध तथा निर्दोष है, वह किसी धर्म के साथ पैदा नहीं होता। यह तो बाद में उसकी अभिरुचि एवं मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि वह किस धर्म को स्वीकार कर ले। हम इस बात को भी मानते हैं कि सामान्यतः एक हिन्दु माँ-बाप का बच्चा इस्लाम धर्म को स्वीकारता है। लेकिन इसका कारण उसकी शिक्षा-दीक्षा तथा सामाजिक परिवेश ही है। धर्म का चयन व्यक्ति स्वयं अपने उन्मुक्त निर्णय से करता है। अतः धर्मों की सार्वभौमिकता की एक पहचान यह है कि उसके द्वार प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुले रहे।

दूसरा विवेकानन्द धर्म की सार्वभौमिकता के लिए कहते हैं कि सार्वभौम धर्म में यह शक्ति होनी चाहिए कि वह विभिन्न संस्थाओं को संतुष्ट एवं तृप्त कर सके। मानव समाज में विभिन्न संस्थाएँ रहेगी तथा उनमें आपस में मतभेद एवं विवाद भी रहेगा। लेकिन सार्वभौम धर्म को इन मतभेदों एवं विवादों से ऊपर उठना है। इसके लिए उसे सभी धार्मिक संस्थाओं को साथ लेकर चलना है।

प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे सार्वभौम धर्म की संभावना है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपना द्वार खुला रखे तथा हर धार्मिक संस्था को बौद्धिक एवं भावनात्मक रूप से सन्तुष्ट करें।

विवेकानन्द कहते हैं कि सार्वभौम धर्म है। मनुष्य धर्म सम्बन्धी विवादों तथा अपने धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के प्रयास में इस तरह खोया हुआ है कि उसे सार्वभौम धर्म के होने पर ही संदेह हो रहा है। सार्वभौम धर्म है और उसकी चेतना की अनुभूति के लिए मनुष्य को अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा, उसे धार्मिक विवादों से उपर उठना होगा। हमें यह समझना चाहिए कि विश्व के विभिन्न मौलिक धर्मों में कोई विरोध नहीं है, कोई किसी दूसरे का खण्डन नहीं करता है बल्कि प्रत्येक धर्म में दूसरों धर्मों के विचारों की पुष्टि होती है। धर्म के केन्द्र में जो सत्य है, वह इतना व्यापक है कि किसी के लिए भी उस सत्य के सभी पक्षों पर विचार करना संभव नहीं है। प्रत्येक धर्म उस सत्य के किसी एक पहलू पर ध्यान देता है और समझ बैठता है कि सत्य में बस वही एक पहलू है और धार्मिक उन्माद का मूल कारण यही है।

विवेकानन्द कहते हैं कि सार्वभौम धर्म की संभावना पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सार्वभौम धर्म तो है ही जिस प्रकार विश्व-बंधुत्व की वास्तविकता में विश्वास किया जाता है उसीप्रकार सार्वभौम धर्म की वास्तविकता भी असंदिग्ध है।

## विवेकानन्द के सार्वभौम धर्म का परिणाम

सार्वभौम धर्म के विषय में विवेकानन्द के विचार का अध्ययन करने के पश्चात

हम उन विकल्पों पर विचार करेंगे जिनके द्वारा सार्वभौम धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सकें।

कुछ धर्म के अनुयायियों की यह मान्यता है कि उनका धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है तथा उसे सार्वभौम धर्म के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यह संभव प्रतीत नहीं होता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसे अपने धर्म में दृढ़ आस्था है अपने धर्म का परित्याग कर किसी अन्य धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता है।

कभी-कभी कुछ उदारवेता लोगों के द्वारा सभी महत्वपूर्ण प्रचलित धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा उनके सामान्य एवं मूल विश्वासों एवं सिद्धान्तों को संकलित कर एक सामान्य धर्म की स्थापना का प्रयास भी किया गया है, जैसे अकबर के द्वारा 'दीन-ए इलाही' का प्रतिपादन तथा राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म-समाज की स्थापना। किन्तु यह प्रयास भी असफल रहा है क्योंकि धर्म मूलतः तर्कबुद्धि के द्वारा नहीं अपितु आस्था पर आधारित रहता है। इस विधि के द्वारा धर्म में निहित कुछ मूल बातों का सामान्यीकरण तो किया जा सकता है किन्तु प्रत्येक धर्म की कुछ विशिष्टताएँ होती हैं जो उस धर्म के अनुयायियों के हृदय में स्पन्दन उत्पन्न करती हैं जिनका परित्याग करने से धार्मिक भावना पर गहरा आघात पहुंचता है, अतः उनका निराकरण करना संभव नहीं है। अतः कृत्रिम रूप से निर्मित सार्वभौम धर्म अपने अनुयायी को वास्तविक शान्ति एवं संतोष प्रदान नहीं कर सकता है। उसके साथ वे गहरा मानसिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता है।

इस विषय में तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि एक नये विश्वव्यापी

धर्म की स्थापना की जाए जिसे सभी व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार कर लें। किन्तु व्यवहारिक दृष्टि से संसार के समस्त मनुष्यों द्वारा किसी एक ही धर्म को स्वीकार करना वर्तमान परिस्थितियों में संभव प्रतीत नहीं होता है।

कुछ लोगों के अनुसार हमें सार्वभौम धर्म की अवधारण का मोह त्याग कर सर्व धर्म समभाव तथा धार्मिक सहिष्णुता को अपनाना चाहिए या फिर मानव जाति के लिए धर्म को निरर्थक मानते हुए मानवतावादी दृष्टिकोण का अनुसरण करना चाहिए। किसी समस्या का समाधान न कर पाने की स्थिति में हम उसकी ओर से विमुख होकर उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। धर्म मानवीय संरचना का एक आवश्यक अंग है। धर्म की महत्ता को अस्वीकार करने का तात्पर्य मनुष्य को एक मनोदैहिक प्राणी मात्र मानना है। मनुष्य सिर्फ शरीर, मन और तर्कबुद्धि से युक्त सत्य नहीं है। वह एक आध्यात्मिक प्राणी भी है। मानवीय संरचना में अव्यक्त रूप में अनन्त संभावनाएँ विद्यमान हैं। धर्म का क्रमिक विकास वस्तुतः उन संभावनाओं की अभिव्यक्ति का द्योतक है और निश्चय ही मनुष्य की चेतना अपनी अभिव्यक्ति की चरम अवस्था तक नहीं पहुँच पायी है। विभिन्न धर्मों का लक्ष्य मनुष्य के अन्तःकरण में विद्यमान कुसंस्कारों को हटाकर सुसंस्कारों की प्रतिष्ठापन करना है। इसके लिए विभिन्न धर्मों में अलग-अलग नियम विधान, नियंत्रण एवं अनुशासन बनाए जाते हैं। समय एवं स्थान के अन्तर के कारण इनमें विविधता हो सकती है किन्तु उनका उद्देश्य एक ही है। धर्म में तत्त्वदर्शन एवं नैतिक नियमों की व्यवस्था इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निमित्त की जाती है। वस्तुतः धर्म एक ही

है-मानव-धर्म। इसका लक्ष्य मानवता का विस्तार है। यह तभी संभव है जब व्यावहारिक जीवन में उन सिद्धान्तों का समावेश किया जाय जिनसे व्यक्तित्व श्रेष्ठ तथा परिष्कृत होता है। धर्मों में परस्पर मतभेद दिखायी पड़ने का कारण धर्म के तत्वदर्शन एवं उसके मूल-में कार्य कर रहे सिद्धान्तों को भूल जाना है सामान्य व्यक्ति बाह्य चिन्हों, पूजा उपचारों को ही धर्म मान लेने की भूल कर बैठता है। मतभेदों को समाप्त करने तथा व्यावहारिक जीवन में उसकी उपयोगिता को हृदयंगम कराने की दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि धर्म के स्वस्थ एवं परिष्कृत स्वरूप को जन सामान्य के समक्ष रखा जाए। सर्वकालीन एवं सर्वमान्य उन धार्मिक तत्वों को अपनाने की प्रेरणा दी जाए जिसका समर्थन सभी धर्म करते हैं। इस तरह धर्म की सार्वभौमिकता में उत्पन्न विश्वास ही क्रमशः सार्वभौम धर्म की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

### निष्कर्ष

आज का युग आस्था संकट का युग है। मनुष्य अपनी आर्थिक-समृद्धि एवं ऐन्द्रिक सुख के कारण नैतिकता

का परित्याग कर पतनोन्मुख हो चुका है। धार्मिक कट्टरता एवं रूढ़िवादी विचारधारा के कारण वह दानव का रूप धारण कर लेता है। यह आवश्यक है, कि सबसे पहले वह इन कुविचारों का त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप को समझे। मनुष्य के लिए यह अनिवार्य है कि वह वास्तविक धर्म और साम्प्रदायिक धर्म के बीच के अन्तर को स्पष्ट रूप में सदैव ध्यान में रखे क्योंकि धर्म के विरुद्ध जो भी आपत्तियाँ उठायी गयी हैं वे वस्तुतः धार्मिक समुदायों के विरुद्ध उठायी गयी हैं, वास्तविक धर्म के विरुद्ध नहीं। संस्था तथा सम्प्रदाय धर्म को अनावश्यक ढंग से सीमित कर देता है तथा उसे शाखाओं में विभाजित कर उसकी मौलिकता को खण्डित करता है। इसी प्रवृत्ति में धार्मिक द्वेष तथा आपसी संघर्ष के बीज मौजूद हैं। विवेकानन्द का कहना है कि वास्तविक धर्म संस्था एवं सम्प्रदाय में नहीं है, वह तो वास्तविक अर्थ में सार्वभौम है। धर्म की सार्वभौमिकता ही धर्म का सार है। विवेकानन्द कहते हैं:- “When we come to the real, spiritual, universal concept, then and then alone, religion will become real

and living it will come into our very nature, live in our every moment, penetrate every pore of our society and be infinitely more a power of good than it has ever been before” 6

भ्रमवश हम अनेकों गलत धारणों को सत्य समझ लेते हैं। धर्म अनुभूति की वस्तु है वह मतवाद और कल्पना-मात्र नहीं है। आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता को जानना, तद्रूप होना तथा उसका साक्षात्कार करना यही धर्म है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Swami Vivekanand - What Religion is?  
John Yale Int by C.  
Isheswood, Advaila Ashram  
Page-7
2. Swami Vivekanand - What Religion is? Page-6
3. Swami Vivekanand - What Religion is? Page-23
4. Swami Vivekanand - What Religion is? Page-16-17
5. Swami Vivekanand - Jnana yoga Advaila  
Ashram, Mayavati,  
Almora 1930. Page-379
6. Swami Vivekanand - Jnana yoga. Page-379.



# अरविंद अतिमानसः अरविंद के दर्शन में अतिमानस की अवधारणा

डॉ. रश्मि कुमारी सिंह

समकालीन भारतीय दर्शन के पुनरूत्थान का कोटा जिन दर्शनियों को है उनमें से अरविंद का नाम कई कारणों से विशेष महत्व रखता है। उन्होंने वेदान्त दर्शन को स्वीकार किया ही है पर व्यवहारिक स्तर पर भी उन्होंने व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय चेतना को उसके अनुरूप सक्रिय करने की चेष्टा की है। श्री अरविंद इस प्रकार के सात स्तरों की बात करते हैं। वे हैं शुद्ध सत्, चित्शक्ति, आनंद, अति-मानस, गन प्राण तथा जड़त्व यदि सत् को एक पूर्ण ईकाई की उपमा में समझने की चेष्टा हो, तो इन आठों स्तरों में प्रथम-चार उच्चतर गोलाद्ध के अंतर्गत आयेंगे और अंतिम चार निम्नतर गोलाद्ध के अन्तर्गत आयेंगे। निम्नतर स्तर में वे ही चार स्तर आते हैं जो विकास प्रक्रिया के क्रम में व्यक्त हो चुके हैं। उच्चतर गोलाद्ध में उन्हीं स्तरों का उल्लेख है जिसमें विकास प्रक्रिया को अभी प्रवेश करना बाकी है। मन या सुक्ष्म शरीर आनंद का ही रूप है। प्राण शक्ति में सत् का शक्ति रूप उसकी चित् शक्ति ही निम्नतर स्तर में व्यक्त है, तथा जड़ तत्व भी अस्तित्व का सृष्टि में व्यक्त रूप है।

इन दोनों गोलाद्ध के बीच की गांठ का बिन्दु वही है जहाँ मानस तथा अतिमानस के बीच रेखा खींची हुई है। श्री अरविंद कहते हैं कि इस बिन्दु पर अभी एक पर्दा पड़ा हुआ है। उसी के कारण मानस को उस उच्चतर सत् की झांकी नहीं मिल पाती।

इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है परम सत् जिस निम्नतर गोलाद्ध भी अपने ढंग से प्रतिबिम्बित करने की चेष्टा

करता है। वस्तुतः एक त्रयात्मक सत् है, सच्चिदानन्द रूपों का विचार होता है। अतिमानस इन तीनों से सर्वथा पृथक् स्तर नहीं है। क्योंकि उसे तो सत् चेतना कहा गया है, वह सच्चिदानन्द की सतत् चेतना है। इसी कारण श्री अरविंद सत् का विवरण सच्चिदानन्द ही कर पाते हैं। यह इसी त्रयात्मक भाव का एक नाम है।

श्री अरविंद के दर्शन में सत् के क्षेत्र को दो गोलाद्ध में बांटा गया है उच्चतर तथा निम्नतर। सच्चिदानन्द रूपी विविध सत् उच्चतर गोलाद्ध के है तथा जड़ तत्व प्राणतत्व मन तथा मानस निम्नतर गोलाद्ध की सन्ताएँ हैं। इसमें एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि जो प्रक्रिया निम्नतर गोलाद्ध की प्रक्रिया है वह एकाएक गोलाद्ध में कैसे प्रवेश कर सकती इन दोनों क्षेत्रों के मध्य में एक ऐसा माध्यम हो जो इन दोनों क्षेत्रों को सम्बन्धित कर पाये।

श्री अरविंद के अनुसार इसी प्रकार का माध्यम अतिमानस है। अतिमानस भी श्रेष्ठतर गोलाद्ध का ही सत् है उसके साथ यह वह चरम लक्ष्य भी है जिसे प्राप्त करने में ही मानस की परिणति है। श्री अरविंद क्यों अतिमानस को चरम सत्य चेतना कहते हैं। ब्रह्मांड चित् शक्ति सत्य चेतना कहते हैं। ब्रह्मांड भी चेतना का ही रूप है, और यही चेतना अनेक रूपों में व्यक्त होते हुए भी मूलतः एक रूप ही है। इसी कारण सृष्टि में अनेकता का भेद स्पष्ट होता रहता है, किन्तु इससे वह मूल सत्य खण्डित नहीं होता कि सत् मूलतः एक रूप है। इसी रूप में सर्वांगी चेतना होने के कारण अनेकता तथा एकात्म दोनों की चेतना होने के कारण यह चेतना 'चरम सत्य चेतना' है। इसे श्री अरविंद 'चरम सत्य चेतना' इस कारण भी कहते हैं।

अतिमानस को श्रेष्ठा या सर्जनात्मक भाव' तथा कभी कभी सत्भाव कहा गया है। श्री अरविंद समझते हैं कि सर्जनात्मक आधार चरम सत् से भिन्न नहीं हो सकता यदि सृष्टि का आधार ढूँढ़ना है, तो उसे सत् में ही ढूँढ़ना है, उससे पृथक् नहीं। इसी माँग के अनुरूप की अरविंद 'अतिमानस' की अवधारणा को स्थापित करते हैं। सच्चिदानन्द शुद्ध सत् चित् एवं आनंद का रूप है, वह स्थान तथा काल के परे है। यह स्पष्ट हो जाता है कि सृष्टि प्रक्रिया तब आरम्भ होती है जब सत् में निहित तीनों रूपों के एकात्म का अतिमानस विभेदन प्रस्तुत करता है। अतिमानस मानस का चरम लक्ष्य है उसकी अंतिम परिणति उसके पश्चात् वे यह दिखते हैं कि एक अर्थ में मानस भी अतिमानस में सर्वथा विपरित नहीं

बल्कि उसमें निहित शक्तियों अतिमानस की शक्तियों के ही निम्नतर रूप है। तथा अपने इस चरम लक्ष्य की ओर उठने के लिए सतत तत्पर है।

श्री अरविंद के अनुसार मानस तथा अतिमानस का भेद 'सत्' के ग्रहण करने के ढंगों का भेद है। अतिमानस अनिवार्यतः सत् को पूर्ण अद्वैत एवं एकात्मरूप में ग्रहण करती है। किन्तु मानस अपने स्वरूपतः पूर्णता को खण्डित कर देती है। उसे उसके अंशों में विभाजित कर देता है। किन्तु मानस तथा अतिमानस को इस भेद में ही इस बात का संकेत मिलता है कि मानस में उपर उठने की तत्परता है। इससे प्राप्त ज्ञान आंशिक तथा धरातली है, किन्तु उनमें भी 'एकत्व' प्राप्त करने की उत्सुकता है, ईकाईयां स्थापित करने की प्रवृत्ति है। मानस में भी अपूर्णरूप में अतिमानस की शक्ति कार्यरत है।

श्री अरविंद ने 'अतिमानस' की विशद चर्चा की है, क्योंकि सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियों से इस परिपूर्ण चेतना का विशेष महत्व है। मध्यस्थ कड़ी होने के बाबजूद सच्चिदानन्द के जिस रूप को यह चेतना प्रस्तुत करती है वह हमारे बोध-एवं संकल्प के लिए अभिगम्य है, इससे ये दोनों अनुचणित हैं, इसी की अभिव्यंजना के लिए सतत् प्रयत्नशील है और यही उनका अंतिम पड़ाव भी है।

इस विशुद्ध परमसत् का सर्जना वृत्ति से युक्तरूप 'अतिमानस' है। वह एक तथा अनेक के बीच एक महत्वपूर्ण

कड़ी है, और हमारे व्यक्तिगत एवं सामुहिक विकास की दृष्टि से एक ऐसी ऊँचाई प्रस्तुत करता है जिसे प्राप्त करना हमारे लिए संभव है और वही अन्ततः हमारे जीवन का परमलक्ष्य है।

अतिमानस की त्रिपादीय अभिव्यंजना की चर्चा करते हुए श्री अरविंद कहते हैं कि वैविध्य में वितरित होने के बाबजूद तीनों में से किसी भी अभिव्यक्ति में एकता के बोध का विलय नहीं होता। प्रथम में विश्व एक संभावना के रूप में अस्तित्ववान रहता है। द्वितीय में एकता इस प्रकार परिवर्तित हो चुकती है कि वह वैविध्य के अग्रसर को पुष्ट करने वाली हो जाती है। यानि वैविध्य में वितरित होते हुए भी एकत्व अपने पृथक् अस्तित्व के बोध का समर्पण नहीं करता पर तृतीय में एकत्व सम्पूर्ण रूप अनेकत्व में वैविध्य में अपने को वितरित कर देता है। इस वितरण की भी अपनी विशेषता है क्योंकि अभी अपने सार में सर्वत्र मौजूद है केवल बाह्य रूप में विभिन्न है। किसी वास्तविक विभेद का अभी अविर्भाव नहीं हुआ है केवल आनंद के लिए, लीला के लिए, दिव्य ने व्यवहारिक स्तर पर विभेद को स्वीकार लिया है।

कृष्ण गोपियों की रासलीला में इसी तथ्य की बड़ी भावपूर्ण व्यंजना मिलती है। व्यक्तिगत चेतना परम से अपनी एकता का एहसास रखते हुए व्यवहारिक स्तर पर अपने पर्थक्य को बनाये रखती है।

ये तीनों अभिव्यंजनाएं एक ही सत् की त्रिपादीय अभिव्यंजनाएं हैं, और इस स्तर पर भ्रम के अविर्भाव की कोई गुंजाइस नहीं है। इसके पश्चात् अतिमानसिकीय चेतना अपनी द्वितीय सर्जना-शक्ति से जिस प्रकार के वैविध्य का आविर्भाव करती है उसमें पार्थक्य का बोध मूल हो जाता है और एकत्व बोधक्षीण ही नहीं बल्कि लुप्तप्राय हो जाता है। इसी द्वितीय सर्जनाशक्ति को अरविंद ने निम्नमाया कहा है, और इसी माया का अतिक्रमण करके तथा प्रथम में अवस्थित होकर जीव को अपने सहज रूप को प्राप्त करना है। यह एकात्म की ओर उन्मुखता अध्यात्मिकता की पहचान है। किसी न किसी रूप में मानस में भी अतिमानसिक शक्ति विद्यमान है भले ही वह सर्वथा आंशिक या अपूर्णरूप में विद्यमान हो।

श्री अरविंद कहते हैं कि मानस जो उच्चतर प्रेरणाओं की ओर उठ पाता है या अध्यात्मिक क्रियाओं की ओर अग्रसर हो पाता है। वह मात्र इसी कारण है कि अतिमानस इसमें अवतरित है। अतिमानस का यह अवतरण तो सृष्टिके लिए अनिवार्य है क्योंकि यह आत्म का निम्नतर गोलाद्ध में अवतरण है। इस अवतरण के बिना उत्थान या विकास की भी प्रक्रिया नहीं चल सकती। यदि अतिमानस किसी न किसी रूप में किसी आवरण में मानस अवतरित न हो तो मानस में अतिमानस की और उठने की प्रवृत्ति ही नहीं जाग सकती।



# भीष्म साहनी के 'बसन्ती' उपन्यास में नारी-जीवन के संघर्ष के विविध आयाम

रमण कुमार

प्रगतिशील चेतना के सिद्धहस्त कथाकार, उच्च कोटि के रंगकर्मी स्व. भीष्म साहनी लिखित 'बसन्ती' एक ऐसा उपन्यास है जिसमें नारी-जीवन के संघर्ष के विविध आयाम देखे जा सकते हैं। इस उपन्यास के अन्तर्गत दिल्ली के रमेश नगर के पास एक वीरान टीले पर स्थित मजदूरों की बस्ती का वातावरण प्रस्तुत किया गया है जहाँ के लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगर ये एक दिन काम न करें तो घर में चूल्हा तक न जलेगा। इनकी स्त्रियाँ भी पहले मजदूरी करती थीं, मगर अब वे बड़े-बाबुओं के घर चौका-बर्तन का काम करती हैं। फिर यहाँ के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बुरी ही रहती है। 'कहीं नये मकान की नींव खोदी जाने लगती तो आसपास के राज-मजदूरों की छोटी-छोटी अनगिनत झोपड़ियाँ खड़ी हो जातीं। लोहा-सीमेंट, ईट-पत्थर के ढेरों के बीच इन झोपड़ियों में मोटी-मोटी रोटियाँ सेंकी जाने लगती, बच्चे रेत-मिट्टी के ढेरों पर खेलने-सोने लगते और मजदूरी के काम से निबट कर स्त्रियों की टोलियाँ गाती हुई अपनी-अपनी झोपड़ियों में लौटने लगती। गारे-मिट्टी की अधाकचरी झोपड़ियों में भी स्निग्धाता आ जाती। पर ज्योंही पक्के मकानों का मुहल्ला बनकर तैयार हो जाता, तो झोपड़े वहाँ से उठ जाते, राज-मजदूर हट जाते, जहाँ उनकी झोपड़ियाँ थीं वहाँ सड़क की पटरियाँ बिछ जातीं, आँगनों की दीवारें खिंच जातीं और पता भी नहीं चल पाता कि कभी वहाँ झोपड़ियों की पाँतें भी रही होंगी।'<sup>1</sup>

शोध-छात्र, बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

समाज के दम्पतियों का भी बड़ा ही यथार्थ चित्र भीष्म साहनी ने अंकित किया है। सामन्ती समाज में नारियों की स्थिति दयनीय तो है ही, निम्नवर्गीय समाज में भी उनकी स्थिति ठीक नहीं है। उनमें भी सामन्ती प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं। लेकिन, यह प्रवृत्ति मध्यवर्गीय समाज में नहीं देखी जाती। 'बसन्ती' उपन्यास में सामाजिक चेतना का बड़ा ही यथार्थ चित्र उकेरा है भीष्म साहनी ने।

प्रायः ऐसा भी देखा जाता है कि आर्थिक अभाव के कारण गरीब परिवार में सतत् तनाव बना रहता है और बात-बात में झगड़ा हो जाया करता है और कभी-कभी तो मार-पीट भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में पास-पड़ोस के लोग उस परिवार को हेय दृष्टि से देखने लगते हैं।

अर्थ-विहीन परिवार के सदस्यों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसके पास इतने पैसे नहीं हो पाते कि वे अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। 'निरन्तर गतिशीलता और मानसिक तनाव की स्थिति मनुष्य की जिन्दगी को आकर्षण-विहीन बना देती है।'<sup>2</sup>

जिस परिवार की आर्थिक स्थिति बुरी होती है उसे विवशतावश अनैतिक कार्य भी करने पड़ जाते हैं। तभी तो नाई का काम करने वाला अहीर चौधरी नौवा एक बेटी को तो 800 रुपये में बेच ही चुका होता है, अपनी दूसरी बेटी बसन्ती को, जिसकी उम्र मात्र 14 साल की है, 60 वर्ष के लँगड़े दर्जी बुलाकीराम के हाथों 1200 रुपये में बेच देने के लिए कुछ अग्रिम राशि भी ले लेता है। जब बसन्ती को इस बात का पता चल जाता है तो वह एक सरदार लड़के के वेष में साइकिल पर सवार होकर दीनू नामक के युवक के साथ भाग जाती है। गरीबी की मारी बसन्ती के जीवन की इस त्रासदी को उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी कहा जा सकता है। उपन्यासकार ने यहाँ नैरेटर के रूप में अपनी टिप्पणी दी है- 'बसन्ती जैसे नाटक खेल रही थी। और, वह स्वयं नाटक की एकमात्र दर्शक भी थी और अभिनेत्री भी। जो कुछ घट रहा था, वह सच भी था और उसमें नाटक देखने और खेलने की उत्तेजना भी थी। ..... फिल्म की अभिनेत्री और बसन्ती में अन्तर यही था कि फिल्मों की अभिनेत्री का साहस झूठा होता है, उसका जोखिम झूठा होता है, जबकि अपने को अभिनेत्री मानकर व्यवहार करनेवाली

बसन्ती का साहस सच्चा था और उसका जोखिम भी सच्चा था जिसके पीछे अनेक खतरे मँडरा रहे थे।<sup>13</sup>

दीनू पूर्व से ही विवाहित युवक था। अतः उसने बसन्ती को अपनी पत्नी कभी समझा ही नहीं। वह बसन्ती से कहता है- 'मैंने दूसरी शादी नहीं की है। तू मेरे साथ भाग आई है, मैंने मना नहीं किया।'<sup>14</sup> लेकिन बसन्ती ने उसके साथ विवाह किया था, भले ही दीनू या समाज उसे मान्यता न दे। वास्तव में बसन्ती जिस भविष्य की कल्पना करने लगी थी, उसमें दीनू का स्थान उसने ठीक ढंग से नहीं आँका था। जिस बुलाकीराम के हाथ बेचे जाने के भय से वह दीनू के साथ भाग चली थी, उसी दीनू ने उसे अपने एक दोस्त बरडू के हाथ तीन सौ रुपये में बेच दिया और अपनी ब्याहता पत्नी के साथ गाँव में जाकर रहने लगा। तत्पश्चात् गर्भवती होने पर वह बूढ़े बुलाकीराम के साथ ब्याह दी जाती है। इन सारी घटनाओं के पीछे बसन्ती के पिता की दयनीय, पारिवारिक और आर्थिक स्थिति है। ऐसे व्यक्ति और परिवार को समाज घृणा की दृष्टि से देखता है।

एंगेल्स ने अपनी पुस्तक 'परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति और राजसत्ता की उत्पत्ति' में बताया है कि निर्धन या मजबूर परिवार में आर्थिक कष्टों से ऊबकर पत्नी अपने पति का त्याग कर देती है और बेटे भी घर छोड़कर जीविका की तलाश में भागने को विवश हो जाते हैं। इससे परिवार बिखर जाता है।<sup>15</sup>

बसन्ती को ऐसा लगता है कि जबतक वह स्वयं अर्थोपार्जन नहीं करेगी, तबतक न तो वह सुख-शान्ति से ही रह सकती है और न समाज में उसे प्रतिष्ठा ही मिल सकती है। 'अब वह दूसरों पर

आश्रित नहीं, बल्कि घरों में चौका-बर्तन करके स्वयं दूसरों को पालनेवाली औरत है, सारे सामंती पूँजीवादी मूल्यों और संस्कारों पर बेरहमी और साहस के साथ प्रहार करती है। मर्द और औरत के रिश्तों और परिवार तथा सामुदायिक जीवन के शोषण और तमाम दमनकारी शक्तियों को बसन्ती जैसी दृढ़ता के साथ चुनौती देती है, वह हिन्दुस्तान में एक सर्वथा नयी औरत की उभरती हुई शक्ति है-सारे पतनशील सामाजिक सम्बन्धों और आर्थिक दासता के बन्धनों को तोड़ती हुई बराबरी के दावेदार के रूप में।<sup>16</sup> वह इस बात को अच्छी तरह जानती है कि ऐसा किये बिना उसे सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती। इसीलिए वह परिस्थितियों से संघर्ष करती हुई अपना निर्माण स्वयं ही करती है।

भीष्म साहनी ने बसन्ती के जीवन के संघर्ष को कई रूपों में दर्शाया है। 'गरीब और बेसहारा औरत के सामने बहुत लम्बे-चौड़े रास्ते नहीं होते, जो दिखाई देते हैं वे सब अँधेरे में जाकर विलीन हो जाते हैं। बसन्ती इन अँधेरे रास्तों से कई बार हिम्मत के साथ निकली थी, लेकिन हमेशा उसे निराशा ही हाथ लगी।' बसन्ती यद्यपि निर्दोष थी, तथापि उसकी दीनता के चलते समाज उसे हेय दृष्टि से देख रहा था।

'बसन्ती' उपन्यास में समाज की अन्तर्धाराओं में टकराहट देखी जा सकती है। बुर्जुआ वर्ग और श्रमिक वर्ग की अलग-अलग विचारधारा होती है। बुर्जुआ वर्ग श्रमिकों से बड़ी चालाकी से अपना काम निकाल लेता है और बाद में उसकी उपेक्षा कर देता है। रमेश नगर के बस जाने पर श्रमिक-वर्ग के साथ ऐसा ही अन्याय हुआ।

श्रमिक वर्ग को बुर्जुआ वर्ग के लोगों ने कानूनी दाँव-पेंच में फँसा दिया। जब हीरा, राम प्रकाश आदि ने मजदूर-वर्ग की व्यथा-कथा हाकिम से सुनाई तो हाकिम ने कड़क कर कहा- 'सरकार को जो फैसला करना था, कर दिया। अब बहस करने की कोई जरूरत नहीं।'<sup>18</sup> हाकिम के इस फैसले को लेकर श्रमिकों के मन में तो आक्रोश है ही, महिला श्रमिकों में भी विद्रोह की भावना है। तभी तो चाय बेचनेवाली गोविन्दी अपनी दूकान पर खड़े मर्द श्रमिकों को फटकारती है- 'तुम मर्द लोग डरते-काँपते ही रहोगे। अबकी बार अफसर से मिलने जाओ तो मुझे साथ में ले चलना। अफसर को ऐसी फटकार सुनाऊँगी कि नानी याद करा दूँगी।'<sup>19</sup> जब गोविन्दी से कहा जाता है कि वह वहाँ क्या कहेगी, तो वह कह उठती है- 'मैं कहूँगी, जिस जमीन पर हमारी कोठरियाँ खड़ी हैं, वे हमारे नाम कर दो। और हमसे जमीन के पैसे ले लो। कोठरियाँ तो हमने अपने पैसे से बनाई हैं। इन्हें कोई क्यों तोड़े? हमारा नुकसान भी करे और हमें बेघर भी करे।'<sup>20</sup>

कानूनी-संघर्ष में बुर्जुआ वर्ग की जीत होती है और गरीब राजमिस्त्रियों तथा मजदूरों के घर उजाड़ दिये जाते हैं। उस दृश्य का एक वीभत्स और कारुणिक दृश्य इन पंक्तियों में देखा जा सकता है- 'ढलान अब लोगों से खचाखच भरी थी। सभी लोग मर्द और औरतें अपने-अपने टीन और कनस्तर उठाये, मूसलाधार बारिश में, एक-दूसरे से टकराते, उलझते नीचे उतर रहे थे। अब ऊपर की ओर भी शोर बढ़ गया था। कोठरियों से बाहर बहुत-सा सामान रखा रह गया था और अब ढलान पर भी लोगों का सामान छूटने लगा था। कहीं

पर कोई खाट गिरी पड़ी थी तो कहीं पर कोई घड़ा या छोटे-छोटे डिब्बे। एक बार हाथ से छूट जाने पर भीड़ में से दुबारा उठा पाना असंभव था। डिब्बा एक बार गिरकर खुल गया तो उसे समेटने और उठाने का सवाल ही नहीं उठता था। शामो की माँ, गंगों की चाची गोद में बच्चे को उठाये, सिर पर टंकी रखे ढलान से नीचे उतर रही थी, जब पीछे से लोगों का धक्का पड़ा और गंगो चाची औंधे मुँह गिरते-गिरते बची और टंकी नीचे गिरते ही खुल गयी और कपड़े-लत्ते लोगों के कीचड़ भरे जूतों के नीचे मसले जाने लगे।<sup>11</sup> इन लोगों ने उन धनी वर्ग के सामने हाथ जोड़कर काफी आरजू-मिन्नत की, मगर उन धनी वर्ग के लोगों ने उन सबकी एक न सुनी। बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यहाँ वर्गीय अत्याचार का खमियाजा गरीब मजदूरों और श्रमिकों

को ही भुगतना पड़ रहा था। 'इस भागम-भाग में किसी का कुछ छूटा जा रहा है तो किसी का कुछ। किसी की बीबी छूट रही है तो किसी का बच्चा। भागते हुए मोची की दशा तो और देखते बनती है। उसका बक्सा सर से गिरकर खुल गया। चमड़े के बारंग, छोटे-बड़े टुकड़े, थिंगलियाँ, धगे, टायर के टुकड़े, सभी औजार और छोटे-छोटे कील सड़क पर बिखर गये। बूढ़ा मोची इतना घबड़ाया हुआ था कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उठाये और क्या नहीं उठाये। एक व्यवस्थित जिन्दगी इतनी अव्यवस्थित कर दी जाती है कि जिसके रेशे-रेशे उघार कर रख दिये जाते हैं।'<sup>12</sup>

इस प्रकार उपरिलिखित तथ्यों से स्पष्ट है कि भीष्म साहनी लिखित 'बसन्ती' उपन्यास में नारी-जीवन के संघर्ष के विविध आयाम देखे जा सकते हैं।

## संदर्भानुक्रम

1. भीष्म साहनी- बसन्ती, चौथी आवृत्ति 2004, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पृ. सं. 12
2. डॉ. दुर्गा प्र. झाला- प्रगतिशील हिन्दी कविता, प्र. सं., पृ.सं. 147
3. भीष्म साहनी- बसन्ती, पृ.सं. 79-80
4. उपरिवत्, पृ.सं. 136
5. एंगेल्स- परिवार, व्यक्तिगत संपत्ति और राजसत्ता की उत्पत्ति, प्र.सं., पृ.सं. 102
6. राजेश्वर सक्सेना, प्रताप ठाकुर- भीष्म साहनी ( व्यक्तित्व और संरचना, प्र. सं, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, दिल्ली, पृ.सं. 150
7. सं. नामवर सिंह- आलोचना, त्रैमासिक, अप्रैल-सितम्बर 2004, पृ.सं. 136
8. भीष्म साहनी- बसन्ती, पृ.सं. 9
9. उपरिवत्, पृ.सं. 11
10. उपरिवत्, पृ.सं. 11
11. भीष्म साहनी-बसन्ती, पृ. सं. 44
12. विवेक द्विवेदी- भीष्म साहनी : उपन्यास-साहित्य, द्वि. सं., वाणी प्रकाशन, दिल्ली, पृ. सं. 250



# ‘राम की शक्ति-पूजा’ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

डॉ० सच्चिदानंद प्रसाद सिंह

निराला की प्रसिद्ध कविता ‘राम की शक्ति-पूजा’ की पृष्ठभूमि, भारतीय संस्कृति में शक्ति की दार्शनिक परिकल्पना का संस्पर्श करती है। शक्ति की प्रतीक-योजना में जिस सूक्ष्म चेतना-शक्ति को स्थूल रूपाकृति प्रदान की गई है उसमें अत्यन्त सूक्ष्म गुरुतर अर्थ निहित है। ‘राम की शक्ति-पूजा’ में शक्ति के उसी गूढ़ प्रतीकात्मक अर्थ की कलात्मक अभिव्यक्ति की गई है। ‘राम की शक्ति-पूजा’ में शक्ति-प्रतीक की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ‘शक्ति’ में निहित सूक्ष्म अर्थ-सत्य भारतीय संस्कृति की दार्शनिक परिकल्पना के आलोक में ही स्पष्ट होगा। इस अर्थ-विवृति की कोशिश भारतीय शाक्त चिंतन एवं आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन के आनुषंगिक आलोक में हुई है। कविता के साहित्यिक विवेचन में भारतीय दार्शनिक परिकल्पना के साथ वैज्ञानिक चिंतन का संश्लेषण इस कारण आवश्यक है क्योंकि कविता का अर्थ-दर्शन निरपेक्ष रूप से शाश्वत मूल्य की प्राण-प्रतिष्ठा करता है।

भारतीय तत्व-चिंतकों ने चेतना की एक उदात्त परिकल्पना की है, इस चेतना के विस्तार को चिदाकाश; उसमें निहित शक्ति को आदिशक्ति कहा गया है। इसी आदिशक्ति के विभिन्न रूपों की परिकल्पना ‘दुर्गा-सप्तशती’ में की गई है। इसकी रूपाकृति की उत्पत्ति के विषय में एक रोचक कथा नियोजित है। इसके अनुसार पूर्वकाल में देवताओं और असुरों में पूरे सौ वर्षों तक घोर संग्राम हुआ जिसमें असुरों के स्वामी महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वयं इन्द्र बन बैठा। देवतागण भगवान शिव और विष्णु की शरण में गये और उन्हें अपनी कथा सुनाई। क्रोध से भरे विष्णु के मुख से तेज निकला, ठीक ऐसा ही तेज अन्य देवताओं से भी निकला जिसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गईं। आदिशक्ति

दुर्गा का रूप उन्हीं ज्वालाओं का पुंजीभूत रूप है। अपने तेजःपुंज रूप से देवी ने अपने कई प्रतिरूप उत्पन्न किये। राक्षसों के भी बहुत-से रूप निकले और सभी अन्ततः देवी में विलीन हो गये। देवी के विभिन्न रूपों का विस्तृत वर्णन ‘मूर्तिरहस्यम्’ प्रकरण में है; इनकी प्रधानता का प्रतिपादन ‘प्राधानिक रहस्यम्’ में किया गया है। महालक्ष्मी को मूल मानकर, महासरस्वती और महाकाली के उत्पन्न रूप और उनके नवों रूपों का उल्लेख हुआ है। इनकी प्रत्यक्ष विभिन्नता से आदिशक्ति के मूल रूप के बारे में भ्रम होता है। वस्तुतः आदिशक्ति में पुरुष-तत्त्व और स्त्री-तत्त्व का अभिन्न समाहार है। परब्रह्म की परिकल्पना पुरुष तत्त्व-रूप में शिव, ब्रह्मा एवं विष्णु को की जाती है। उसी तरह दुर्गा में स्त्री-तत्त्व की स्थापना हुई है। लेकिन भारतीय दर्शन में शक्ति की कोई रूप-सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है। देवी अपने सारे रूपों को एक ही बार नहीं प्रकट करतीं इसलिए उनके एक ही आदिशक्ति से उत्पन्न विभिन्न प्रतिरूपों में से किसी एक में ही शक्ति-तत्त्व का संपूर्ण समाहार मान लिया जाता है। प्रत्यक्ष विभिन्नता में अंतःस्पंदित एकता के सूत्र इसी आधार पर निरूपित किये गये हैं। इसी आधार पर दुर्गा, सरस्वती, काली, लक्ष्मी आदि अन्य रूपों को आदिशक्ति का ही एक रूप माना जाता है।

*महालक्ष्मीः समाख्याता साहं सर्वांगसुन्दरी।*

*महाश्रीः सा महालक्ष्मीश्चण्डा चण्डी च चण्डिका॥*

*भद्रकाली तथा भेदाः काली दुर्गा महेश्वरी।*

*त्रिगुणा भगवत्पत्नी तथा भगवती परा॥*

मूल आदिशक्ति को इन रूपों से परे माना गया है। उनकी कोई निश्चित जाति या उनका लिंग निर्धारित नहीं- वे सबसे परे आदिशक्ति हैं।

*न त्वमम्ब पुरुषों न चांगना*

*चित्स्वरूपिणी न षष्टतापि ते।*

*नापि भर्तुरपि ले त्रिलिंगता*

*त्वां विना न तदपि स्फुरेदयम्॥*

दुर्गा को ‘पराशक्ति’ माना जाता है। ‘पराशक्ति’ के रूप में दुर्गा ज्ञान में चेतना से आगे और शून्यों में शून्य की साक्षिणी हैं।

एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, बी.डी. कॉलेज, मीठापुर, पटना

‘मन्त्राणां मातृका देवी शब्दाना  
ज्ञानरूपिणी।

ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां  
शून्यसाक्षिणी।।’

इस ‘शून्य’ स्थिति पर निरालाजी ने विचार किया है। ‘शून्य’ की स्थिति से उत्पन्न सृष्टि से अस्तित्व की परिकल्पना में वे शक्ति को ही मूल मानते हैं।

‘शून्य या बिंदु सब शास्त्रों में, सब तरफ, सब समय, स्वयं सिद्ध है। उद्भव, स्थिति और प्रलय का शून्य ही मूल-रहस्य है। केवल शक्ति संसार को शून्य से अलग किये हुए है।’<sup>4</sup>

‘पराशक्ति’ सूक्ष्म रूप में प्राण-वायु के रूप में स्थित है; इसके सूक्ष्म-स्वरूप को कुण्डलाकार माना गया है।

‘या सा देवी पराशक्तिः प्राणवाहा  
व्यवस्थिता।।

विश्वान्तः कुण्डलाकारा सा  
साक्षादत्रवर्तिता।

तत्त्वानि तत्त्वदंश्यच  
विश्वमहिमन्प्रतिष्ठितम्।।<sup>5</sup>

इसीलिए दुर्गा की स्तुति में उन्हें विश्व का पालन, सृजन और संहार करने वाली कहा गया है। सत्-असत् की मूलशक्ति भी वे ही हैं।

‘विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा  
च पालने, तथा संहृतिरूपान्ते जगतो स्य  
जगन्मये।।

प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी।।

यच्च किञ्चित्कवचिद्वस्तु  
सहसद्वाखिलात्मिके।

तस्य सर्वस्य याशक्तिः सात्वां किं  
स्तुयसे तदा।।<sup>6</sup>

‘राम की शक्ति-पूजा’ में प्रयुक्त प्रतीकार्थ की पुष्टि शक्ति की इस परिकल्पना के आलोक में होती है।

भारतीय संस्कृति की दार्शनिक परिकल्पना में सीता की भी उसी आदिशक्ति का प्रतिरूप माना गया है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने सीता को ‘उद्भवस्थितिसंहार कारिणी’ कहा है। ‘अध्यात्म रामायण’ में श्रीनारद ने राम की स्तुति में सीता-राम की तात्त्विक अभेदता का उल्लेख करते हुए सीता को आदिशक्ति भगवती का प्रतिरूप कहा है। अन्यत्र भी सीता भगवती सीता कही जाती हैं।

‘कलातीता भगवती स्वयं सीतेति  
संज्ञिता।

तत्परः परमात्मा च श्रीरामः  
पुरुषोत्तम।।<sup>7</sup>

प्रतीकात्मक अर्थ-नियोजन में राम शिव-रूप और सीता काली-रूप में भी निरूपित हैं।

‘काली राघव रूपेण जातो दशरथालये।

काली सीता मिथा नेन जाता  
जनकनन्दिनी।।<sup>8</sup>

काली-रूप में सीता का प्रतीकार्थ ‘काली’ के शाब्दिक अर्थोद्घाटन में स्पष्ट है। ‘काल’ को धारण करनेवाली शक्ति को ‘काली’ कहा गया है। यह भी आदिशक्ति का ही एक रूप है। काल को एक सनातन गत्यात्मक शक्ति के रूप में मूल-शक्ति कहा गया है।

‘कालमूलमिदं सर्वं भवाभावौ  
सुखासुखे।’<sup>9</sup>

काल एक निरंतर गतिशील शक्ति है जो स्वयं गतिशील रहता है और सबको गतिमान बनाये रहता है। संकोच और विकास, ह्रास और वृद्धि, जन्म और मरण सृष्टि में शाश्वत रूप से परिलक्षित है। काल इनके माध्यम से संवेद्य है। यह नाम-रूपात्मक जगत् में सबसे शक्तिशाली है। यह सबमें व्याप्त है और सब कुछ जो है या ‘नहीं है’-

जैसा लगता है, इसी में है। किसी के चाहने पर भी यह उसे स्थिर नहीं रहने देता। तत्त्व के भीतर काम करनेवाले काल से यह काल भिन्न है। यह काल क्रियाशक्ति है। यह क्रियाशक्ति सभी तत्त्वों को शरीर और विश्व को रूप प्रदान करनेवाली है।

‘एष काली हि देवस्य  
विश्वाभासनकारिणी।

क्रियाशक्तिः समस्तानां तत्त्वानां च  
परं वषुः।।<sup>10</sup>

काल और समय शब्दों का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ भी यही है। काल ‘कल’ धातु से बनता है जिसका अर्थ है ‘जो गतियुक्त होकर सबको गतिमान किये रहता है।’ किसी को स्थिर न रहने दे, उसे काल कहते हैं। समय (सम् + इ + अच् = सम्यक एतीति = समयः) में ‘इ’ का अर्थ गति ही है, जो वस्तुओं को उत्पन्न करनेवाली, उनमें परिवर्तन करनेवाली और उन्हें अपने में समेट लेनेवाली होती है। ‘काल’ को धारण करनेवाली ‘काली’ के ये गुण, तत्त्वतः ‘उद्भवस्थितिसंहारकारिणी’ सीता के संपूर्ण प्रतीकार्थ की तर्कसंगति में है। इस काल की गति को सतत् रूप से संचालित माना गया है। यह गति अवरोधक दिक् के तनाव में सृष्टि के रूप में चक्कर काटती है। दिक् भी शक्ति का ही एक रूप है, जो वस्तुओं को अपने सापेक्ष शून्य में विशेष रूप से स्थिर रखता है। विज्ञान में इस स्थिति को ग्रहों के परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वीकार किया गया है। मार्क्स भी मानते हैं कि ‘कोई वस्तु पूर्ण शाश्वत नहीं है, केवल गति ही पूर्ण और शाश्वत है’।<sup>11</sup>

एंगेल्स कहते हैं कि ‘दिक्’ और ‘काल’ तत्त्व पूर्ण और परम हैं, सब कुछ इनके भीतर स्थिर है, इनसे बाहर

कुछ भी नहीं, किसी का अस्तित्व नहीं। संपूर्ण प्रकृति सत्ता शाश्वत, अनादि और अनंत हैं ग ग जो कुछ भी है, वह दिक् तथा काल-तत्त्व के भीतर है।<sup>12</sup>

दिक् और काल के तनाव में सृष्टि के अस्तित्व का आधार वह उदात्त संतुलन है जिसका प्रतीकात्मक भावन 'राम की शक्ति-पूजा' में किया गया है। दरअसल इस संतुलन के विपर्यय की पीड़ा ही राम की पीड़ा थी। खगोलशास्त्रियों ने सार्वभौम की विराटता की जो कल्पना की है वह एक अर्थ में आदिशक्ति की ही वैज्ञानिक व्याख्या है। प्रख्यात वैज्ञानिक आइन्स्टाइन ने भी अपने जीवन के अंतिम समय में यह महसूस किया था कि सृष्टि की मूल चेता-शक्ति को वैज्ञानिक पद्धति से नहीं समझा जा सकता क्योंकि जिसे हम सत्य मानते हैं वह अगले क्षण असत्य भी साबित हो जाता है। बट्टैंड रसेल ने भी विज्ञान की अक्षमता को महसूस करते हुए लिखा है :

'जिस विज्ञान का प्रारंभ सत्य की खोज के रूप में हुआ था उसकी संगति अब सत्यता के साथ नहीं बैठती, क्योंकि पूर्ण सत्य अधिकाधिक रूप में वैज्ञानिक संशयवाद की ओर प्रेरित करता है।'<sup>13</sup>

भारतीय दार्शनिकों ने इस सूक्ष्म चेता-शक्ति को उसकी विराटता में समझा था। 'आदिशक्ति' की परिकल्पना इसी गहन और उदात्त चिंतन-परंपरा का प्रतिफलन है। पहले हम देख चुके हैं कि शक्ति प्राण-वायु का स्वरूप कुण्डलाकार है। निरालाजी भी अलग से इस पर लिखते हुए वैचारिक रूप से शक्ति का तत्त्व-रूप मन के भीतर ही मानते हैं।

'शक्ति का नियामक कौन है, आप द्रष्टा की तरह बिलकुल अलग रहकर

जिसका बाहर से ही उत्तर निकाल लेना चाहते हैं, इसके लिए हम कहेंगे, जिस तरह यंत्र का आविष्कार बाहर से पहले भीतर होता है, उसी तरह यह नियामक भी भीतर ही प्राप्त होगा।'<sup>14</sup>

इस कविता में राम की शक्ति-आराधना वस्तुतः मानसिक है। राम की साधना-प्रक्रिया पराभव की संशयात्मकता से मुक्ति पाने की है, इस मुक्ति के लिए उनकी संपूर्ण शक्ति-आराधना आध्यात्मिक स्तर पर घटित होती है।

'मूलाधार में आदिशक्ति का निवास है, जिसे योगियों ने अपनी परिभाषा में कुण्डलिनी शक्ति कहा है और जिसे जाग्रत कर सप्तम भूमि सहस्रार में ले जाना ही योगियों की साधना है।'<sup>15</sup>

निराला की मान्यता भी है:

'कार्यकारी शक्ति किसी असंपूर्ण को पूर्ण करने के लिए होती है।'<sup>16</sup>

राम की अपूर्णता सीता-शक्ति के अलगाव में है जो उनमें शक्ति के लीन होते ही पूर्ण हो जाती है। जो शक्ति राम में समाहित होती है-वह उनकी तत्त्वतः स्थित शक्ति है।

'उमड़ता नहीं मन, स्तब्ध सुधी हैं ध्यान धार,

पूजोपरान्त जपते दुर्गा, दशभुजा नाम,  
मन करते हुए मनन नामों के गुणक्राम्'<sup>17</sup>

'श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्' में भगवान शिव ने पार्वती से दुर्गा के एक सौ आठ नामों का उल्लेख किया है। उल्लेख के अंत में भगवान शिव ने कहा है कि इन नामों के जप से तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता।

'य इद्र प्रपठेन्नित्यं दुर्गानामशताष्टकम्।  
नासाध्यं विद्यते देवि त्रिषु लोकेषु पार्वति।'<sup>18</sup>

आज्ञा-चक्र पर समाहित मन ध्यान-युक्त हो ज्यों ही उर्ध्वगमित होता है राम 'ब्रह्मा-हरि-शंकर' के स्तर का 'अतिक्रमण' कर जाते हैं। आज्ञा-चक्र के भीतर ही सूक्ष्मरूप में स्थित मनःशक्ति की परिकल्पना की गई है।

'एतत्पद्मान्तराले निवसति च मनः सूक्ष्मरूपं प्रसिद्धं।'<sup>19</sup>

राम ब्रह्मांड को पूर्णरूप से विजित कर लेते हैं। लेकिन सहस्रार दुर्गा पार नहीं होता। बिना सहस्रार को पार किये आदिशक्ति को वे आत्मसात नहीं कर पाते और बिना उसे प्राप्त किये वे पूर्ण नहीं हो पाते। राम के बदन में शक्ति का लीन होना विशेष रूप से ध्यातव्य है। क्योंकि यहीं समस्त संक्रमणकालीन प्रक्रिया की परिणति संपूर्ण सृष्टि के पुनर्स्थापित होने में दिखती है।

## संदर्भ ग्रंथ

1. भारतीय प्रतीकविद्या : (पृ. 185)
2. भारतीय प्रतीक-विद्या : (पृ. 170)
3. भारतीय प्रतीक-विद्या : (पृ. 171)
4. प्रबन्ध-पद्मः (पृ. 15)
5. भारतीय प्रतीक-विद्या: (पृ. 245)
6. दुर्गासप्तशती: (पृ. 71-72)
7. भारतीय प्रतीक-विद्या: (पृ. 128)
8. भारतीय प्रतीक-विद्या: (पृ. 128)
9. भारतीय प्रतीक-विद्या: (पृ. 12)
10. भारतीय प्रतीक-विद्या: (पृ. 184)
11. मार्क्सवादी साहित्य चिंतन: (पृ. 32)
12. मार्क्सवादी साहित्य चिंतन: (पृ. 38-39)
13. वैज्ञानिक परिदृष्टि: (पृ. 206)
14. प्रबन्ध पद्मः (पृ. 17)
15. प्रबन्ध प्रतिमा: (पृ. 215)
16. प्रबन्ध पद्मः (पृ. 18)
17. अनामिका: (पृ. 166)
18. दुर्गासप्तशती: (पृ. 11)
19. भारतीय प्रतीक-विद्या: (पृ. 111)



## हिन्दी भाषा के विकास में डॉ. रामविलास शर्मा का योगदान

वंदना भारती

भाषा हमारे व्यक्तित्व का आईना है। यह हर किसी के लिए सुलभ है, व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व में हवा-पानी की तरह गहराई तक बसी हुई है, इसलिए इसके सहारे शिक्षित और अशिक्षित, स्त्री और पुरुष, उच्च की और निम्न वर्ग आदि समाज के सभी तबके के व्यक्तियों को छेड़ा और उकसाया जाना संभव है। 'छेड़ना' और 'उकसाने' की झलक 'हिंदी-उर्दू' विवाद के संदर्भ में, हमें इस लेख में भी मिलते हैं। रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव के शब्दों में, "भाषा अगर दो दिलों को जोड़ने का काम करती है तो वह दो दिलों को तोड़ने का साधन भी बनती है। अगर भाषा के सहारे हम 'सच' को पकड़ने की क्षमता रखते हैं तो उसी के सहारे हम 'झूठ' को भी सच साबित करने का सामर्थ्य रखते हैं।" [भाषाई अस्मिता और हिंदी, पृष्ठ-19] इस लेख में रामविलास शर्मा ने, हिन्दी भाषा की विकास प्रक्रिया को भारतेन्दु युग के तहत दिखाया है। पूरा लेख 21 खण्डों में है, जिसमें शर्माजी शुरूआत के 10 खण्डों में विशाल हिन्दी-भाषा जाति, हिन्दी की साहित्यिक विरासत और उसका भाषायी परिवेश, लल्लूजी लाल और उनके पहले के लेखकों की रचनाओं में 'भये', 'सुनाय' का प्रयोग, आवै- 'जावै की जगह आये', 'जाये की प्रतिष्ठा, पूर्वकालिक क्रियारूपों में कर और करके का प्रयोग, पंजाबी और राजस्थानी का प्रभाव, हिन्दी-उर्दू के विकास में ब्रजभाषा की भूमिका, पुरानी हिन्दी में 'ने' का प्रयोग और लल्लूजी लाल और मीर अम्मन के गद्य की सामान्य विशेषताएँ और भेद बतलायी गई हैं।

हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास और प्रसार की राह में जो कठिनाइयाँ थीं, उन्हें दूर करने के लिए भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 1873 ई. में 'हरिश्चन्द्र मैगज़ीन' नाम की पत्रिका निकाली। इस पत्रिका का गहरा असर हिन्दी भाषा के निखार और साहित्य के विकास पर पड़ा। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि, जातीयता की दृष्टि से आज हिन्दी बोलने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। आधुनिक हिन्दी भाषा और साहित्य की प्रगति के सौ वर्ष पूरे हुए हैं और इन सौ वर्षों में हमने अपना एक अलग मुकाम बनाया है, जो हमारे लिए जातीय और राष्ट्रीय महत्व की घटना है। हम देखते हैं कि, जिस तरह हिन्दी का सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश है उसी तरह उसका एक भाषागत परिवेश भी है, जिसकी अपनी कुछ विशेषताएँ भी हैं:-

- (1) 'हिन्दी के भाषागत परिवेश की पहली विशेषता यह है कि हिन्दी प्रदेश की बोलियों में सामान्य तत्वों के अलावा उनके व्याकरण और शब्द भण्डार की अपनी विशेषताएँ हैं। यह अन्तर्जनपदीय परिवेश हिन्दी भाषा को प्रभावित करता है और स्वयं भी उससे प्रभावित होता है।' [हिन्दी भाषा की विकास-परम्परा और भारतेन्दु युग-पृष्ठ-141]
- (2) 'हिन्दी-उर्दू का सह-अस्तित्व और परम्परा प्रभाव हिन्दी के भाषायी परिवेश की दूसरी विशेषता है।' [वही, पृष्ठ-142] यह भी तब जबकि विशिष्ट शब्द-भण्डार के विचार से (हिन्दी-उर्दू) दोनों में उतना फासला है जितना अंग्रेजी और लैटिन में नहीं है। यह और बात है कि संरचना और शब्द-भण्डार की दृष्टि से दोनों के रूप मिलते-जुलते हैं।
- (3) 'हिन्दी के भाषागत परिवेश की तीसरी विशेषता इसके सब-स्टैण्डर्ड रूप है, जो जनपदीय बोलियों के प्रभाव से बनते हैं। [वही, पृष्ठ, 143] जैसे महंगी आदि से प्रभावित पटना की हिन्दी, भोजपुरी से प्रभावित बनारसी और खड़ी बोली की राजधानी दिल्ली पर पंजाबी का असर।
- (4) रामविलास शर्मा अरबी-फारसी के महत्व को दरकिनार करते हुए लिखते हैं कि "किसी भारतीय भाषा के लिए अरबी या फारसी का वह महत्व नहीं हो सकता

जो उसके लिए संस्कृत हमारे देश की ही नहीं हमारे प्रदेश की भी भाषा रह चुकी है। वे कहते हैं कि अगर उर्दू की शब्द उधार लेने की हैं तो वह तुर्की से ले क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर तुर्क बैठे थे। 'तुर्की' भाषा से शब्द उधार लेने का है रामविलास शर्मा का यह कोण गले से नीचे नहीं उतरती।

लोकतांत्रिक परंपरा में भाषाओं के जायज हक को कुचला नहीं जा सकता है। यह किसी वर्ग विशेष पर अपना राय थोपने जैसा है। रामविलास शर्मा सारे विवाद की जड़ उर्दू में कोई बुनियादी फर्क देना चाहते हैं। उनका कहना है कि हिंदी उर्दू में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। जबकि यह सैद्धांतिक रूप से माना भी जा सकता है किन्तु व्यवहारिक रूप से इसे हम नहीं मान सकते हैं। यह सही है कि 'दोनों ही खड़ी बोली को दो साहित्यिक शैलियां हैं।' यह उदारता पूर्वक दिया गया बयान है। भाषा में उठे इन्हीं सब विवादों को देखकर प्रेमचंद ने कहा "वह शब्द सरल है जो व्यवहार में आ रहा है। इसमें कोई बहस नहीं क्यों इतना सौतियाडाह है, मेरी समझ में नहीं आता। अगर एक समुदाय के लोगों को उर्दू नाम प्रिय है तो उन्हें इस्तेमाल करने दीजिए। जिसे हिंदी नाम से प्रेम है, वह हिंदी ही कहे। इसमें लड़ाई काहे की है।-[प्रेमचंद-'साहित्य का उद्देश्य, (पृष्ठ-106)]

इस तरह हम देखते हैं कि रामविलास शर्मा ने अरबी-फारसी

हिंदी-उर्दू के संबंध में जिसे चौथी भाषाई विशेषता के रूप में इंगित किया है, उनका वह दृष्टिकोण एकांगी है।

- (5) पाँचवी और अन्तिम विशेषता के रूप में वे हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं पर अंग्रेजी का प्रभाव मानते हैं।

पुरानी चाल की हिन्दी के बाद भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने उसे नयी चाल में कैसे ढाला इस पर शुक्ल जी अपनी टिप्पणी इस प्रकार करते हैं:- "मुंशी सदासुख की भाषा साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए भी-लल्लूजी लाल में ब्रजभाषापन और सदसि मिश्र में पूरबीपन था। राजा शिवप्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक सीमित न था, वाक्य विन्यास तक में घुस गया था। राजा लक्ष्मण सिंट की भाषा विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी, पर आगरे की बोलचाल का पुट उसमें कम न था। भाषा का निखरा हुआ शिष्ट और सामान्य रूप भारतेन्दु की कला के साथ ही प्रकट हुआ।" [हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ-246] स्पष्ट है राजा शिवप्रसाद की तरफ से बिल्कुल आँख-मूँदकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को आचार्य शुक्ल ने प्रतिष्ठित कर दिया। "1873 ई. में भारतेन्दु से हिंदी चाल में ढली" इस एक वाक्य में पर हिन्दी साहित्य में बहुत विवाद उत्पन्न हुए हैं। इस लेख में भी राम विलास शर्मा की ज्यादा कोशिश यही दिखाने में है कि हरिश्चन्द्र के द्वारा ही हिन्दी नए चाल में ढली। अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच हिन्दी 1873 ई. में चाल में ढली या इसके पीछे इसकी एक सुदृढ़ लंबी विरासत है? हलाँकि वो निष्कर्ष के रूप में स्वीकार करते हैं कि "1873 ई. में हिन्दी नयी चाल में नहीं ढली, यह कार्य इससे बहुत पहले सम्पन्न हो

चुका था। 1857 ई. के आस-पास राजा शिवप्रसाद जैसी हिन्दी लिख रहे थे, उसी को भारतेन्दु ने अपनाया था। [हिन्दी भाषा की विकास परम्परा, -पृष्ठ-227]।

1. अमृत राय, आधुनिक भावबोध की संज्ञा। पृष्ठ-154

इस पर डॉ. तलवार अपनी पुस्तक रस्साकशी में लिखते हैं कि "डॉ. शर्मा का बयान आधा सच है। उन्होंने अपने कथन का अधार 1857 ई. में छपे भूगोलहस्तामलक के दूसरे संस्करण को बनाया। भूगोल-हस्तामलक की भाषा शिवप्रसाद ने बैतालपच्चीसी की चाल पर रखी थी जो अरबी-फारसी के सरल और प्रचलित शब्दों से मिश्रित हिन्दी थी। यह हिन्दी भारतेन्दु की पहचान नहीं है। भारतेन्दु ने शिवप्रसाद की धार्मिक विषयों से संबंधित किताबों (मानव धर्म सार वगैरह) की हिन्दी को अपनाया था जिनमें संस्कृत के सरल और प्रचलित शब्दों से मिश्रित हिन्दी लिखी गई थी। वास्तव में शिव-प्रसाद की संस्कृतनिष्ठ हिन्दी भी भारतेन्दु के मुकाबले ज्यादा सरल साफ-सुथरी और प्रभावपूर्ण है। भारतेन्दु की संस्कृतनिष्ठ हिन्दी बेढंगी और उबड़-खाबड़ है। [रस्साकशी, पृष्ठ-84]।

इन दोनों (राजा शिवप्रसाद सिंह और भारतेन्दु) की हिंदी के साथ-साथ लल्लूजी लाल और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की हिन्दी में भी अंतर खोजा जा रहा था। रामविलास जी के अनुसार, लल्लूजी लाल और भारतेन्दु की हिन्दी में 'भये' का प्रयोग होता था, पुरानी चाल की हिन्दी में भी 'भये' का प्रयोग होता था। 'भया' रूप तो जनपदीय बोलियों में अब भी प्रयुक्त होता है। किन्तु उसे पंडिताऊ या गँवारू समझकर हिन्दी की टकसाल से निकाल दिया गया है। वस्तुतः 'भये' का बहिष्कार आधुनिक हिन्दी-उर्दू

की विशेषता है। “जनपदीय खड़ी बोली का रूप हिन्दी-उर्दू रूप आगरे की देन है। व्यापार की बहुत बड़ी मंडी होने से यहाँ अनेक बोलियों को इकट्ठे होने और एक-दूसरे को प्रभावित करने का अवसर मिला। आगरे के कुछ खास शब्द-रूप पुरानी हिन्दी-उर्दू में प्रचलित थे, वे पुराने व्याकरणों, शब्द-कोशों और पाठ्यपुस्तकों में मिलते हैं। [रामविलास शर्मा, भारतेन्दु और हिन्दी भाषा की विकास-परम्परा, पृष्ठ-277]। खड़ी बोली ब्रजभाषा से भी प्रभावित रही है। आगरा ब्रज जनपद का नगर है, यही कारण है कि यहाँ जिस खड़ी बोली का विकास हुआ वह ब्रजभाषा से प्रभावित थी। पुरानी उर्दू अथवा मुसलमान लेखकों की हिन्दी पर जितना प्रभाव फारसी का है, उससे कहीं ज्यादा ब्रजभाषा का है। इस तथ्य को ठीक से नहीं समझ पाने के कारण ही यह भ्रम पैदा हो गया कि मुगलों के लश्कर में उर्दू का जन्म हुआ। ब्रजभाषा का यह प्रभाव दिल्ली-आगरे के साथ-साथ बीजापुर और हैदराबाद की हिन्दी पर भी है। हिन्दी-उर्दू एकता कायम में नजीर अकबराबादी का बहुत बड़ा योगदान है। वे कम्पोजीट कल्चर के हिमायती थे। ब्रजभाषा के ‘य’ रूप का दर्शन इनके यहाँ मिलते हैं। जैसे- महादेव जी का ब्याह कविता में:-

*पहले नाँव गणेश का, लीजे सीस नवाय।*

*जासे कारण सिद्ध हों, सदा मुहूरत लाय।।*

लेकिन क्रियारूपों के ‘य’ और ‘व’ वर्णों का प्रयोग अब सिर्फ जनपदीय बोलियों में ही रह गये हैं। इन वर्णों को हटाकर हिन्दी-उर्दू ने अपनी रचना-शक्ति में कुछ कमी कर ली है। ‘व’ के स्थान पर ‘य’ और ‘ए’ के स्थान पर ‘ए’ की प्रतिष्ठा कर हिन्दी-उर्दू टकसाली बन

गई है। जैसे- गालिब के इस शेर में ‘य’ वाले रूपों का प्रयोग किया गया है:-

*“कभी नेकी भी-उसके जी में गर आ जाय है मुझ से।*

*जफायें करके अपनी याद शरमा जाय है मुझसे।।”*

इसी तरह ‘कर’ के प्रयोग में भारतेन्दु सतर्क रहते हैं। वे लिखते हैं- “यह प्रतिज्ञा करके बड़े क्रोध से राजभवन से चला गया” (मुदाराक्षस)। इनसे पहले राजा लक्ष्मणसिंह भी अपने गद्य में ऐसी ही सतर्कता बरतते हैं, “शकुन्तला सूरज निकलते ही शिरस्नान करके बैठे हैं” (शकुन्तला नाटक)। हिन्दी में ऐसे अनेक क्रियारूप हैं जिनका प्रयोग पुरानी हिन्दी में होता था किन्तु आधुनिक हिन्दी में वे प्रयोग नहीं होते। ‘आन’ और ‘पहिरना’ ऐसे ही क्रिया रूप हैं गालिब ने भी आन का प्रयोग किया है। काम वह आन पड़ा है कि बनाये न बने,। पहिरना का आधुनिक रूप पहनना हो गया है। इसी तरह ‘कारे’ ‘जहाँ’ के साथ वहाँ का प्रयोग ‘उस’ की जगह ‘विस’ का प्रयोग आगरे की खड़ी बोली की विशेषता है। हिन्दी-उर्दू सीखने में एक कठिनाई ‘ने’ का प्रयोग है। राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने एक बार प्रस्ताव किया था कि हिन्दी से ‘ने’ का व्यवहार उठा दिया जाये।

इस तरह हम देखते हैं कि पुरानी हिन्दी-उर्दू के बहुत से रूप, बहुत से प्रयोग आपस में टकरा रहे हैं और भाषा की भागीदारी में बहते-टकराते अपना रूप संवार रहे हैं। [भारतेन्दु युग पृष्ठ-180]

भारतेन्दु-युग की हिन्दी में भदेस पन के कारण बड़ी शक्ति है। आधुनिक हिन्दी ने भाषा की एक प्रबल शक्ति (भदेसपन) की उपेक्षा कर अपने को परिनिष्ठित किया है। जिससे दोनों जहाँ

पहले एक धरातल पर थे, वहीं अब एक ने अपना मुख संस्कृत की तरफ और दूसरे ने अपना मुख अरबी-फारसी की तरफ ली है। अलगाव का यह सिलसिला कोर्टविलियम कॉलेज के हिन्दुस्तानी विभाग के अध्यक्ष गिलक्राइस्ट से शुरू होता है। इससे पहले मीर, गालिब, नजीर, आदि ने साझी-संस्कृति के विकास में अपनी अहम भूमिका निभायी थी। मीर ने अपनी भाषा को हिन्दी कहा था। उनकी हिंदी, हिंदी-उर्दू का बेइंतहा खूबसूरत रूप है। ‘सिरहाने मीर के अहिस्ता बोली अभी टुक रोते-रोते सो गया है।’ इस तरह हम देखते हैं कि ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली-तीनों में मुसलमान कवियों ने रचनाएं की हैं। इससे इस धारणा को खारिज किया जा सकता है कि उन्होंने केवल खड़ी बोली के उस रूप को अपनाया था, जिसे उर्दू कहते हैं। गिलक्राइस्ट ही वह शख्स था, जिसने हिन्दु-मुसलमानों के भाषाओं को जातीय आधार पर अलग करने की कोशिश की, और एक ही भाषा के दो रूप करने में सफलता प्राप्त की। उसने अपने यहाँ उर्दू और माखा के मुशियों से कहा था कि जब हिंदी लिखें, तब उसमें अरबी-फारसी के शब्द न आने दो, और जब उर्दू लिखो तो उसमें संस्कृत के शब्द न आने दो। किन्तु उसके आदेश की अवहेलना कर वे लोग दोनों शैलियों को मिला देते थे।

राजा शिवप्रसाद को अंग्रेजपरस्त समझा जाता रहा है। जबकि उनके प्रति ऐसी धारणा रखना उनपर अन्याय करना है। वस्तुतः वे ऐसे भाषा पर जोर देते थे जो ज्यादा शाइस्ता न हो। लेकिन उसमें रोजमर्रा की जिंदगी का भोंडापन भी न हों, हिंदु या मुसलमान उसकी तारीफ न करें तो उससे बिदके भी नहीं। आम जनता के बीच दोनों भाषाओं में दरार नहीं थी, दरार थी उच्चवर्गों का यह

दृष्टिकोण भाषा के परिष्कार के नाम पर उसे जनपदीय बोलियों से शहरी बोलचाल से, दूर ढकेल रहा था और यह सिलसिला अंग्रेजी राज खत्म होने के पच्चीस साल बाद भी जारी रही है। “भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का यह युगान्तकारी महत्व है कि वह जो भाषा लिखते थे वह जनपदीय बोलियों तथा शहरी बोलचाल के बहुत पास थी। [..... हरिश्चन्द्र युग, पृष्ठ-203]

1873 और 1973 तक पिछले सौ वर्षों में विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली कि, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान बनाने वालों को यह सोचकर दुख हुआ कि हमारा राष्ट्र तो स्वाधीन हो गया किन्तु राष्ट्रभाषा अकिसित रह गयी है। इसलिए हिंदी पर दया करके उसे विकसित करने के लिए 15 वर्षों का समय दिया गया। शायद संसार के किसी भी भाषा के लिए उसी के देश में यह नहीं कहा गया होगा कि, यह भाषा अविकसित है और विकसित होने के लिए 15 वर्ष का समय दिया जाता है। तब-तक अंग्रेजी में इसके समकक्ष राजभाषा का कार्य होगा। फिर शुरू हुआ, कोश बनाने का सिलसिला। उसमें हजारों शब्द वही थे जो उन्नीसवीं सदी में प्रचलित थे। कुछ शब्द जॉन ‘शेक्सपियर’ की पुस्तक से, कुछ फैलन के कोश (1873 ई.) से और कुछ शब्द लल्लूजी लाल की शब्दसूची से लिये गये हैं। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि “शब्द पुराने हैं, पुरानी पुस्तकों में मौजूद हैं किन्तु हवा यह बाँधी गयी कि हिन्दी निदेशालय हजारों नये शब्द गढ़ने में लगा है। शब्द गढ़ना और बात

है, शब्द संग्रह करना और बात।” [हिन्दी. ....भारतेन्दु युग पृष्ठ-209]

उन्नीसवीं सदी में लल्लू जी लाल ने साढ़े तीन हजार से ऊपर हिन्दी की सूची बनायी थी और उनके फारसी और अंग्रेजी प्रतिरूप दिये थे। फैलन का शब्दकोश 1879 ई. में प्रकाशित हुआ। फैलन ने अपना कोश हिन्दी उर्दू के साधारण जानकारों के लिए बनाया था। जो पारिभाषिक शब्द उन्होंने दिये हैं, वे चालू हिन्दुस्तानी या हिन्दी के हैं। फैलन ने अपने शब्दकोश में पहली बार और बहुत ही स्पष्ट रूप से जातीय भाषा हिन्दी और जनपदीय बोलियों के संबंध की सही व्याख्या की। उनका शब्दकोश 19वीं सदी की भाषायी स्थिति का दर्पण है। जो पारिभाषिक शब्द उन्होंने दिये हैं वे चालू हिन्दुस्तानी या हिन्दी के हैं। ये गणित, भौतिक, विद्युत, ज्योतिष और वनस्पति शास्त्रों के हैं। फैलन के सामने तीन तरह के पारिभाषिक शब्द थे- अरबी, संस्कृत और हिन्दुस्तानी। फैलन ने पहली बार अपने कोश में आम जनता की बोलचाल और ग्रामीण माहभाषा को महत्व दिया। यहाँ तक कि “अभी विद्यालयों में गँवारी बोली के लिए प्रोफेसर पद नहीं है लेकिन एक दिन आयेगा जब जनता की भाषा के लिए ऐसे पद होंगे। ” [वही, पृष्ठ-257]

फैलन का शब्दकोश उन्नीसवीं सदी की भाषायी स्थिति का वह दर्पण है जिससे हमें पता चलता है कि हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों की कमी का रोना भ्रामक था, जिसे गढ़ने का काम केन्द्रीय निदेशालय ने किया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उनके सहयोगियों ने हिन्दी भाषा की प्रकृति पहचानकर उसे साहित्यिक ब्रजभाषा और तत्कालीन जनपदीय बोलियों की भाषा संपदा से वंचित न होने दिया। उनकी नयी चाल की हिन्दी पुरानी चाल की हिन्दी के बहुत निकट है किन्तु आधुनिक हिन्दी उनकी भाषा से दूर जा रही है। इस पर अंग्रेजी का प्रभाव व्यापक रूप से पड़ रहा है। हिन्दी में अंग्रेजी मुहावरों, शब्दों और वाक्यांशों का अनुवाद करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। जिससे हिन्दी का अपना रूप विकृत हुआ है और उसकी आन्तरिक क्षमता में भी कमी आयी है। भारतेन्दु युगीन हिन्दी, राजा शिवप्रसाद एवं फैलन के उत्कृष्ट योगदान को ध्यान में रखते हुए हमें हिन्दी को अंग्रेजी के प्रभाव से मुक्त कराने की जरूरत है। क्योंकि अपनी समस्याओं को जितनी अच्छी तरह से हम अपनी भाषा में समझ सकते हैं। उतनी अच्छी तरह से हम विदेशी चश्मों से नहीं समझ सकते हैं।

## संदर्भ ग्रंथ

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास [नागरी प्रचारिणी समा, वाराणसी], - रामचंद्र शुक्ल।
2. ‘साहित्य का उद्देश्य’ - प्रेमचंद।
3. भारत की भाषा समस्या - डा. रामविलास शर्मा।
4. आधुनिक भावबोध की संज्ञा - अमृत राय।
5. ‘हिन्दी भाषा का समाजशास्त्र’ - रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव।
6. भारतेन्दु युग और हिन्दी भाषा की विकास परम्परा [राजकमल प्रकाशन, पटना], 1975- रामविलास शर्मा।
7. रस्साकशी [सारांश प्रकाशन, दिल्ली, हैदराबाद], 2002-डा. वीरभारत तलवार।



## मुक्ति आंदोलन एवं दलित नारी चिंतन

डॉ० ब्रजबिहारी पाण्डेय

दलित साहित्य में स्त्री एक विवादस्पद विषय है। इसकी खासियत यह है कि तमाम बोलडनेस के बावजूद मुख्यधारा के साहित्य में नारी का वैसा कोई विरोध नहीं किया गया, जिससे पुरुषों को स्त्री-विरोधी कहा जा सके। इस्मत चुगताई, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान आदि के लेखन को लेकर कुछ विवाद अवश्य उठे; पर जल्द ही सतह पर आ गये। बाद में तो पुरुषों ने ही आगे बढ़कर नारीवादी साहित्य लिखे। लेकिन दलित साहित्य में नारी पर सवालियों की झड़ी लग गयी। जाहिरन इसके दो खेमे बने—एक स्त्रियों के, दूसरे पुरुषों के। फिर स्त्रियों में भी दो-दो दल दिखायी देने लगे—एक नारीवादी, दूसरे उदारवादी। उसी प्रकार पुरुषों में भी दो परस्पर विरोधी खेमे हुए। ऐसे तमाम विवाद और विमर्श डॉ. धर्मवीर के 'जारसत्ता' सम्बन्धी विमर्शों को लेकर पैदा हुए और नारीवादी लेखिकाओं द्वारा डॉ. धर्मवीर और उनके समर्थकों को स्त्री-विरोधी करार दिया गया।

बात शुरू होती है डॉ. धर्मवीर की 'मातृसत्ता, पितृसत्ता और जारसत्ता' शृंखला में रचित 'प्रेमचन्द : सामन्त का मुंशी' पुस्तक के लोकार्पण से। स्त्रियों के व्यापक विरोध के कारण नामवर जी उक्त पुस्तक का लोकार्पण नहीं कर पाते हैं, फिर धर्मवीर की 'कामसूत्र की संतानें' और 'तीन हिन्दू स्त्रीलिंगों का चिन्तन' जैसी पुस्तकों पर विवाद छिड़ता है। और प्रतिक्रिया में 'मेरी पत्नी और भेड़िया' और 'प्रेमचन्द की नीली आँखें' जैसी किताबें आती हैं। इस प्रकार दलित साहित्य में स्त्री पर एक नया सवाल उठता है।

हिन्दी की मौलिक दलित आत्मकथाओं में स्त्री विमर्श के संदर्भों की बात करें तो कौसल्या बैसंत्री और सूरजपाल चौहान ने अपने अपने आत्मकथनों में अपने घर-परिवार की आमतौर पर गोपनीय रखी जाने वाली निजता को बड़े जीवट से

सरेआम करने का हौसला दिखाया है। इन आत्मकथाकारों की आत्मबयानी इस हद तक अंतस् को खोलने वाला है कि पाठक इनकी करुण भावनाओं के साथ एकदम से एकाकार हो जाने को मानो विवश हो जाता है। इन दोनों आत्मकथाओं में स्वजनों-प्रियजनों के प्रति दिखलाई गई नाराजगी व शिकवे-शिकायतों में भी एक निरीहता और निश्छलता जैसी दिखती है। वैसे, मेरे इस कथन को किसी पक्षधरता का संकेतक न मान लिया जाए। इन आत्मकथाकारों के परिजनों का पक्ष जाने बिना आत्मकथाकार के बयानों, परिवादों, उलाहना-उत्तापों को सही करार देना एकपक्षीय कार्रवाई होगी।

### दलित चेतना और नारी

दलित साहित्य में नारी के अध्ययन को हम दो भागों बाँटकर देख सकते हैं—एक दलित नारियों की स्थिति पर खुद नारियों और दलित लेखकों के दृष्टिकोण और दूसरा दलित रचनाओं में चित्रित नारी। बात स्त्रियों से ही शुरू करते हैं। दृष्टिकोण का सही पता आत्मवृत्तों से ही चलता है। किन्तु भारतीय साहित्य में स्त्रियों द्वारा लिखित आत्मवृत्त का घोर अभाव है। यद्यपि 'सीमान्तिनी उपदेश' जैसी कुछ रचनाएँ मिल जाती हैं, किन्तु ऐसी गुमनाम लेखिकाओं का पता लगा पाना कठिन काम है। सावित्री बाई के स्त्री स्कूल से शिक्षित होकर उनके साथ काम करनेवाली महिलाओं में फातिमा शेख और मुक्ताबाई का नाम लिया जाता है। किन्तु उनकी रचनाएँ उपलब्ध नहीं होती। महात्मा फूले के 'सत्यशोधक समाज' आंदोलन से आनेवाली ताराबाई शिन्दे को प्रथम नारीवादी विचारक कहा जाता है; किन्तु उनकी भी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। 1814 में जन्मी मुक्ताबाई ने नवजागरण के उस आरम्भिक काल में भारतीय समाज की दुर्दशा पर अपने लेख लिखे, जब वह मात्र 14 साल की बच्ची थी। 1855 में लिखा यह आलेख महाराष्ट्र के 'ज्ञानोदय' अखबार में छपा था। उसने ब्राह्मणों को फटकार लगाते हुए कहा था, "ऐ पढ़े-लिखे पंडितो, अपने खोखले ज्ञान को तोतारटन्त शैली में दोहराना छोड़ दो और सुनो, जो मैं कहना चाहती हूँ। ..... अपने उपर्युक्त पत्र में मुक्ताबाई ने पेशवाओं के शासन में दलितों (मांग और महार जाति के लोगों) पर ढाये जाते जुल्म का वर्णन किया था। किस तरह पेशवाओं के जमाने में दलितों को लाल सीसा/सिन्दूर पिला दिया जाता था और किस तरह उनको हवेलियों की

बुनियाद में गाड़ दिया जाता था तथा किस तरह उनकी छाया से भी घृणा की जाती थी। उसने यह भी जोड़ा था कि आज भी दलित छात्र शिकायत नहीं कर सकते भले ही ब्राह्मण बच्चे उन्हें पत्थर से मारे और उन्हें घायल कर दें। वे चुपचाप सब बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें फिर ब्राह्मणों के दरवाजे पर ही बचा-खुचा अन्न माँगने जाना पड़ेगा।”

बाबा साहब के आंदोलन में स्त्रियों ने खुलकर हिस्सा लिया था। 1924 में स्थापित उनकी ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभा’ में दलित महिलाएँ बढ़-चढ़कर भाग लेती थी। इसमें वेणुबाई भटकर और रंगूबाई शुभकर के नाम विशेष रूप से लिये जा सकते हैं। ये दोनों महिलाएँ मंचों से भाषण दिया करती थीं। 1928 में बंबई में महिला मंडल की स्थापना हुई थी, जिसकी अध्यक्ष स्वयं डॉ. अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई थीं। 1930 के नागपुर सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था। 1942 के ‘अखिल भारतीय दलित महिला सम्मेलन, नागपुर’ में भी हजारों महिलाओं ने सिरकत कीं। इनमें सुलोचना डोगरे, कीर्ति पटेल, इंदिरा पाटिल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता से लेकर विभिन्न दायित्वों को सम्भाला। बाबा साहब के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभानेवाली प्रमुख महिलाओं में जायबाई चौधरी, तुलसीबाई बनसोडे (‘चोखामेला’ पत्र के सम्पादन में पति की सहयोगिनी), मुक्ता सर्वगौड़ (‘मिटमेली कवाड़े’ आत्मकथा की लेखिका), राजश्री सर्वगौड़े (मुक्ता सर्वगौड़ की बेटी), शांताबाई दाणी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।<sup>2</sup> इन तमाम दलित नारियों ने प्राथमिक तौर पर सवर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनकी शिकायत पुरुषवादी

वर्चस्व से उतनी अधिक नहीं थी, जितनी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से। दलित स्त्रियों की आरम्भिक मराठी रचनाओं में दलित पुरुषों के खिलाफ कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती।

नारी विमर्श और दलित साहित्य पर सहस्राधिक आज चर्चाएँ हो रही हैं अतः प्रथमतः यह जानें कि दलित साहित्य है क्या इसे जानने के लिए संक्षिप्त-रूप में यह चुभता, सत्य स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए कि भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही दुर्भाग्यवशात् ‘दलित’ नामधारी समाज को योजनाबद्ध तरीके से बहिष्कृत समूह में डाल दिया गया है। शायद तब से जब मानव सभ्यता विकसित हुई और तथाकथित सभ्यों ने अपनी निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए देश के एक बड़े वर्ग के नैसर्गिक हक को छल बल से छीन लिया है। ऐसी सकारात्मक सोचबद्ध मूल किये बगैर दलित साहित्य की वैचारिकी पर विमर्श, बीमार मानसिकता का द्योतक होगा। डा० चमनलाल ने ‘दलित साहित्य’ को परिभाषित करते हुए कहा” दलित साहित्य वह साहित्य है, जो दलितों के जीवन, उनके सुख-दुख, उनकी सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों, उनकी संस्कृति, उनकी आस्थाओं-अनास्थाओं, उनके शोषण उत्पीड़न तथा इस उत्पीड़न-शोषण का दलितों द्वारा प्रतिरोधा की परिस्थितियों को व्यापकता तथा गहराई के साथ, कलात्मकता से प्रस्तुत करता।

यह कैसी विडम्बना है कि संस्कृत और हिन्दी उभय साहित्यों के आदि कवि वाल्मीकि दलित जगत से आते हैं किन्तु सम्पूर्ण संस्कृत वाड.मय में दलित दयनीय-दशा का निदर्शन कराने वाली किसी ख्यात कवि कि कोई कृति दूढ़े नहीं मिलती। हाँ पाली साहित्य अवश्य दलितों के साथ न्याय करता दिखता है

क्योंकि बौद्ध प्रभाव होने के कारण वहाँ करूणा विद्यमान है। जब जहाँ ‘करूणा’ शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसी संदर्भ में जान लें कि दलित कौन हैं? आचार्य किशोर कुणाल के दस सूत्र वाक्य यहाँ उद्धृत करना समाचीन होगा।

## दलित नारियों का दोहरा अभिशाप

किन्तु आज की मध्यम वर्गीय स्त्रियों के तेवर दूसरे हैं। आज की अधिकांश स्त्रीवादी लेखिकाओं ने बोल्ड लेखन ही किया है, जिसमें स्त्री को लेकर पुरुषवादी मूल्य-मान्ताओं का प्रतिकार हुआ है और यौन-नैतिकता प्रश्नांकित हुई है। कुछ दलित स्त्रियों ने भी पुरुषवादी मानसिकता के विरुद्ध स्त्री सवालों को उठाया है, जो दलित पुरुषों के विरुद्ध भी जाता है। इस दिशा में मराठी स्त्रियों ने प्रसंशनीय प्रयास किया है। जैसे तो मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा और रमणिका गुप्ता के नाम लिये जा सकते हैं, जिनकी आत्मकथाएँ आयी हैं। किन्तु दलित आलोचक उन्हें दलित रचनाकार नहीं मानते। इसलिए बात दलित स्त्री से ही करनी पड़ेगी। इस क्षेत्र में अभी तक एक ही दलित स्त्री कौसल्या वैसंत्री की आत्मकथा ‘दोहरा अभिशाप’ का नाम लिया जा रहा है। ‘दोहरा अभिशाप’ किसी दलित स्त्री की पहली आत्मकथा है, जो हिन्दी में आयी। सुशीला टाकभौरे, रजनी तिलक, रजत रानी मीनू, सुमित्रा मेहरोल आदि कुछ अन्य दलित स्त्रियों की आत्मकथाएँ भी आ रही हैं। फिलहाल ‘दोहरा अभिशाप’

पर.....। दोहरा अभिशाप किसका? जाहिर है एक कामकाजी स्त्री का दायित्व-बोध पुरुष से अधिक हो जाता है—एक घर का, दूसरा बाहर का। उसी के अनुपात में उसका दुख और संघर्ष भी बढ़ जाता

है। किन्तु स्त्री जब दलित हो, तो उसका संघर्ष पुरुष से कई गुणा अधिक हो जाता है। सामाजिक दृष्टि से उसे दो-दो मोर्चों पर लड़ना पड़ता है—एक पुरुषवादी वर्चस्व से, दूसरा जातिवादी व्यवस्था से। कौशल्या बैसंत्री का यह 'दोहरा अभिशाप' किसी एक स्त्री का अभिशाप नहीं है, बल्कि पूरी दलित स्त्री का अभिशाप है। भारतीय सन्दर्भ में स्त्रियाँ पुरुषों द्वारा सतायी जाती हैं। उनका शोषण पुरुषवादी मानसिकता का परिणाम है। किन्तु दलित स्त्रियाँ इस मानसिकता से अपने पुरुषों द्वारा तो शोषित होती ही हैं, उन्हें सम्पूर्ण समाज द्वारा दलित होने का दंश भी झेलना पड़ता है। एक स्त्री के दलित-बोध की पीड़ा स्त्री होने की पीड़ा के साथ मिलकर और बड़ी हो जाती है। स्त्रियों के मामले में सवर्ण पुरुषों की सोच और दलित पुरुषों की सोच में कोई अन्तर नहीं। "कौशल्या बैसंत्री का जीवन इस बात का प्रमाण है कि उनके व्यक्तित्व निर्माण में सर्वाधिक बाधाएँ उनकी बिरादरी के पुरुषों ने ही खड़ी कीं। उन्होंने बेबाक शब्दों में कह दिया कि बाबा साहेब के निकट सहयोगियों ने भी उसके साथ जबरन यौनाचार करना चाहा। उनकी बस्ती के लोगों ने ही उसका जीना मुश्किल कर दिया। इसलिए उसकी पहली मुठभेड़ सवर्ण पुरुष सत्ता से नहीं, दलित पुरुष सत्ता से है।" कथानायिका के लिए न तो दलित पुरुष अपने हैं और न सवर्ण स्त्री। उसे भरोसा है, तो केवल अपने आप पर। वह अपना सहारा खुद बनना चाहती है। इसलिए वह कहती है, "आज के अनुभव से हमने सीख लिया है कि हम स्वाभिमान से अपनी उन्नति करना चाहते हैं, अब हमें अपने पाँव पर खड़ा होकर अपने पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना होगा।" 4

'दोहरा अभिशाप' की नारी पात्र जीवन की चक्की के दोहरे पाटों के बीच पिस रही हैं। एक ओर उन्हें अपने परिवार और समाज से लड़ना पड़ता है, तो दूसरी ओर अपनी अस्मिता, मान-स्वाभिमान और जीवन की अन्य जरूरीआतों के लिए सवर्ण समाज से लोहा लेना पड़ता है। अपने स्कूली जीवन का अनुभव सुनाती हुई लेखिका कहती हैं, "मेरी कक्षा में हमारे समाज की एक लड़की पढ़ती थी। वह बहुत दूर से स्कूल आती थी। कभी-कभी वह कक्षा में सो जाती थी। शिक्षक उसको बहुत डाँटते थे। कक्षा की सभी लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाती थीं। वह रोती थी। एक दिन उसने मुझे बताया कि वह सवेरे चार बजे उठकर बर्तन, झाड़ू, खाना बनाना वगैरह-घर का सारा काम करके आती थी। उसकी दीदी पागल-सी थी। उसके पिता दर्जी का काम करते थे। शाम को घर का काम करके वह कभी-कभी पिताजी को शर्ट-ब्लाऊजों में बटन लगाने में भी मदद करती थी। सोने में बहुत देर हो जाती थी। उसके बहन-भाई भी स्कूल में पढ़ने जाते थे। घर के काम का सारा बोझ उसी पर रहता था।" 5 इस दलित छात्रा के साथ भी दोहरा अभिशाप लगा हुआ है।

कथा-नायिका अपने पति का वर्णन करती हुई कहती हैं, "यह विद्यार्थी उस वक्त एम.ए., एल.एल.बी. करके डी. लिट् कर रहा था। यह कानपुर से निकलने वाले हिन्दी अखबार 'सावधान' और मद्रास से निकलने वाले एक अंग्रेजी दैनिक में लेख लिखता था। मैंने उसके लेख पढ़े थे.... वह 'यू.पी. शेड्यूलड कास्ट फेडरेशन' का अध्यक्ष भी था।" 6 इस प्रकार पति एक लेखक है, और ताम्रपत्र-प्राप्त स्वतन्त्रता सेनानी है। वह उच्च पद पर नौकरी करता है और रिटायर्ड होने तक

पत्नी का भरण-पोषण और पालन करता है। इधर पत्नी तमाम जिन्दगी घर में ही बैठी अम्बेडकर के नाम पर सम्मान की जिन्दगी जीने की आकांक्षी बनी रहती है। बीच में पति से मनमुटाव होता है और वह आम भारतीय औरतों की तरह पति की तमाम प्रताड़नाओं के बावजूद पत्नी बनकर घर में ही रहती है।

इस बीच उसका एक बच्चा भी मर जाता है और पांचवें बच्चे के जन्म के समय अपार मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। उपन्यास में लेखिका ने गिन-गिनकर पति की गलतियों को बताया है और कहा है, 'क्या ऐसे पति से श्रद्धा और प्यार हो सकता है। इतना ही नहीं, पति द्वारा छोड़े जाने पर वह अदालत में मुकद्दमा दायर करके उससे भरण-पोषण का खर्च वसूल लेती है। उसे पति से एक नियमित गुजारा भत्ता मिलता है। इस प्रसंग की चर्चा करती हुई लेखिका लिखती हैं, "बहुत अत्याचार होने पर मैंने कोर्ट में देवेन्द्र कुमार पर केस दायर किया। आज दस वर्षों से कोर्ट में केस अटका पड़ा है। मुझे हर माह 500 रुपये मेंटेनेंस में मिलते हैं। देवेन्द्र कुमार इसे देने में भी देर लगाता है, चार-चार महीने नहीं भेजता। अपने छोटे लड़के के पास रह रही हूँ।" 7

यह है दलित औरतों का दोहरा अभिशाप! सवर्ण समाज और दलित पुरुषों को लेकर अधिकांश दलित स्त्रियों के पाठ ऐसे ही हैं।

## दलित पुरुषों के तर्क

किन्तु एक दलित स्त्री के इस आत्मकथात्मक उपन्यास के बारे में खुद दलित लेखकों की दृष्टि क्या है? इसके लिए हम डॉ. धर्मवीर की इन पंक्तियों को देख सकते हैं— "भारत में मनुष्य

का चिन्तन अभी तक 'दोहरे अभिशाप' तक गया है। ....दोहरा अभिशाप' का शीर्षक इसलिए अधूरा है, क्योंकि कौसल्या बैसंत्री की माँ के साथ अपने पति को लेकर ऐसा कोई अभिशाप नहीं था। उनकी माँ ने ऐसा कोई अभिशाप जीवन नहीं जीया। उस समय पिता को इस बात से शिकायत नहीं रही कि वे पति से आगे रही हैं। लेखिका के माँ-बाप दोनों एक-दूसरे के होकर रहे हैं। माँ ने घर में निर्णय लिए हैं। कौसल्या बैसंत्री की नानी ने भी अपने जीवन के बारे में स्वतन्त्र और निजी निर्णय लिये हैं और उनके सामने मेरा सिर झुकता है। मेरा विश्लेषण है कि कौसल्या बैसंत्री दलित नारी की तरह से अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पायी। केवल एक विवाह का निर्णय उनका था और वही सफल नहीं हो पाया।'<sup>8</sup>

डॉ. धर्मवीर का साफ मानना है कि दलित औरतें सवर्ण औरतों की तरह परावलम्बी नहीं होतीं। वे कुल-मर्यादा के नाम पर घूँघट काढ़कर घर में नहीं बैठतीं। वे भी पुरुषों के साथ या अकेली घर और बाहर का काम करती हैं। उनके नौकर नहीं होते और होते भी हैं, तो वे नौकर नहीं उनके सहायक होते हैं, जिन्हें घर के अन्य सदस्यों की तरह उचित मान-सम्मान मिलना चाहिए। वे अपना निर्णय लेने में खुद सक्षम होती हैं और पुरुष के नालायक होने या उनसे बनाव नहीं होने पर वे अपने जीवन का निर्णय खुद ही ले सकती हैं। मगर कौसल्या बैसंत्री में ये बातें नहीं हैं। वह पढ़ी-लिखी थीं। पति से नहीं बनने पर नौकरी कर सकती थीं या दूसरा कोई काम करके एक उदाहरण पेश करतीं। केवल पति की कमाई पर आम हिन्दू औरतों की तरह आराम से अधिकार

जताना और उसको भला-बुरा कहके उससे अच्छे व्यवहार की आशा करना दलित औरतों का काम नहीं है। इस प्रकार डॉ. धर्मवीर ने सामाजिक-सांस्कृतिक तर्कों द्वारा विषय का रुख ही बदल दिया है।

डॉ. धर्मवीर के अनुसार, "यह दलित परम्परा की बात बिल्कुल नहीं है कि अपने अनचाहे पति से पाँच सौ रुपये महीने की भिखारिन बनी पड़ी है! वह ब्रिटिश भारत के कालिजों में पढ़ी है, उसके खाते-कमाते बच्चे हैं। दलित पत्नी ऐसे पैसों को फेंककर मारती है। यदि दस वर्ष से केस कोट में अटका पड़ा है तो कानून बदलो, संसद से कहो। गाँव या शहर की किस दलित पंचायत ने आज तक दस वर्ष तक वैवाहिक मामलों के फ़ैसले रोके रखे हैं? दलित नारी होने के बावजूद, पीछे माँ और नानी की महान परम्परा होने के बावजूद लेखिका द्विज नारी बनकर क्यों बैठ गयी हैं? वास्तव में पति से भरण-पोषण माँग कर कौसल्या बैसंत्री ने दलित नारी के सम्मान और उसकी स्वतन्त्रता की नाक काटकर रख दी है।"<sup>9</sup>

### समन्वय के विन्दु

डॉ. धर्मवीर के तर्क दलित औरतों के लिए आदर्श संहिता कहे जा सकते हैं, आम तौर से दलित सर्वहारा औरतें बहुत हद तक आत्मनिर्भर होती हैं; किन्तु यौन-सम्बन्धों को लेकर उन्हें कहीं-न-कहीं मजबूरी में अपने मालिकों से भी समझौता करना पड़ता है। इसलिए ऐसा सोचना एकतरफा और पुरुषवादी ही कहा जायेगा। "दलित महिलाओं के भी सपने होते हैं और ये सपने किसी सवर्ण महिला के सपनों से अलग नहीं होते। दलित विचारक माने या न माने-दलित आन्दोलन का एक उद्देश्य उन्हें

समाज की मुख्यधारा में लाना भी रहा है। जब तक दलितों द्वारा कोई पुष्ट धारा नहीं बन जाती, सवर्ण समाज की धारा ही मुख्यधारा है। अर्थात् बेहतर जीवन शैली में आज वे ही बातें आती हैं, जिनकी कौसल्या बैसंत्री को अपेक्षा है। इसलिए एक दलित पत्नी भी पति से वे ही सारी अपेक्षाएँ रखती हैं, जो कोई सवर्ण पत्नी रखतीं। ऐसे में धर्मवीर का तर्क एकांगी कहा जाएगा। कौसल्या ने एक आम भारतीय नारी का पक्ष रखा है, चाहे वह दलित हो या सवर्ण। थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाये कि कौसल्या बैसंत्री को दलित महिलाओं की तरह स्वावलम्बी बनने का प्रयास करना चाहिए, तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली तो यह कि इस स्थिति तक आते-आते बहुत देर हो चुकी होगी। दूसरी यह कि कौसल्या बैसंत्री जिस सामाजिक स्तर पर जी रही थीं, वह दलितों से काफी ऊँचा समर्थ सवर्ण का जीवन स्तर था। ....यहाँ पति से अपेक्षा या अधिकारों की माँग उसी सम्भ्रान्तता के तहत ही की जा रही है।"<sup>10</sup> इसीलिए डॉ. धर्मवीर के तर्क का रमणिका गुप्ता सहित अधिकांश दलित औरतों ने विरोध किया है।

### दलित साहित्य में चित्रित नारी

दलित साहित्य में नारियों के चित्रण को दो भागों में बाँटा जा सकता है-एक दलित साहित्यकारों द्वारा चित्रित नारी, दूसरी गैर-दलित साहित्यकार और विचारकों द्वारा चित्रित नारी। दलित साहित्यकारों में जारसत्ता को लेकर डॉ. धर्मवीर के तर्क को देखा जा चुका है। कुछ अन्य दलित साहित्यकारों की रचनाओं पर हम आगे विचार करेंगे। इस बीच गैर-दलित साहित्य में चित्रित नारी के स्वरूप को देखें। दलित नारियाँ

प्रेमचन्द के साहित्य में सर्वाधिक चित्रित हुई हैं। उनके कुछ चर्चित नारी चरित्रों में गांगी (ठाकुर का कुंआ), बुधिया (कफन) और सिलिया (गोदान) हैं। गांगी में जो भय और धर्मभीरुता है, वह समाज द्वारा सदियों के शोषण और भेदभाव के कारण उत्पन्न हुआ है। इसलिए वह साहस करके भी अपने बीमार पति के लिए ठाकुर के कुँएँ से पानी नहीं भर पाती। बुधिया की प्रसव-पीड़ा और उसके प्रति पति और ससुर की संवेदनहीनता को प्रेमचन्द ने भूख की मारक त्रासदी में घटित किया है। इसलिए दलित साहित्यकारों ने कफन को दलित विरोधी कहानी माना है। किन्तु सिलिया के माध्यम से सवर्णों द्वारा दलित नारियों से जारकर्म के विरुद्ध एक समाजशासीय विमर्श उभरकर आया है। मातादीन ब्राह्मण के मुँह में सरेआम हड्डी घुसेड़कर उसे चमार बनाने की कोशिश में चमारों के संघर्ष देखने लायक है। किन्तु दलित साहित्यकारों ने प्रेमचन्द तमाम दलित चिन्तन को सिरों से खारिज कर दिया है। डॉ. धर्मवीर ने प्रेमचन्द के खुद के चरित्र और उनके साहित्य में आये जारकर्म को लेकर उन्हें सामंत का मुंशी तक कह दिया है। डॉ. धर्मवीर लिखते हैं कि “दलित की समस्याओं का वर्णन करने से दलित साहित्य का सृजन नहीं हो जाता। दलित की भूख, पीड़ा और त्रासदी के बखान में उसकी इतिश्री नहीं होती। दलित साहित्य का असली सृजन तब होता है, जब उसमें दलित का चिन्तन आता है। सारे गैर-दलित लेखक उसके इसी चिन्तन से घबराते हैं। एक प्रेमचन्द की अलग से क्या कही जाये, कोई भी अन्य गैर-दलित लेखक इसका अपवाद नहीं हो सकता। दलित साहित्य उसे ही कहा जाएगा, जिसमें पारिवारिक जीवन में

तलाक की अनुमति हो, स्त्री के लिए भरण-पोषण पर रोक लगे तथा जारकर्मों को जारकर्म की जिम्मेदारी से नवाजा जाये। प्रेमचन्द समेत कौन-सा गैर-दलित हिन्दू लेखक है, जो इन बातों को सपने में भी सोच सकता है? बचाव में आकर वह कभी वेद में डुबकी लगाएगा तो कभी महाभारत में कूदना चाहेगा, लेकिन जारकर्म से बचने के लिए उसे कहीं ठौर नहीं है।”<sup>11</sup>

### जारकर्म पर छिड़ी बहस

प्रेमचन्द के दलित साहित्य को लेकर हिन्दी साहित्य की पूरी समाजशास्त्रीय चेतना ही प्रश्नों के घेरों में आ गयी है। और दलित स्त्रियों की सबसे बड़ी त्रासदी बलात्कार और रखैल बनने की मजबूरी पर तमाम विवाद हुए हैं। ‘जनसत्ता’ के सम्पादकीय आलेख ‘दलित स्त्रियाँ किसकी सम्पत्ति हैं?’ में राजकिशोर ने धर्मवीर पर प्रश्न खड़ा करते हुए उन्हें स्त्रियों के प्रति अनुदारवादी और दलित अलगाववादी भी करार दिया है। और अन्ततः प्रेमचन्द की काट में वे कहते हैं कि “एक ही समय में दो स्त्रियों से सम्बन्ध बनाना जारकर्म नहीं है, अगर इनमें से कोई भी किसी अन्य पुरुष की पत्नी नहीं है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि तब तक ‘हिन्दू विवाह कानून’ (हिन्दूकोड बिल) नहीं बना था और बहुविवाह या बहुगमन सामाजिक रूप से अमान्य नहीं था।...कामसूत्र तो और पहले की रचना है।”<sup>12</sup> मोहनदास नैमिशराय कहते हैं कि तो राजकिशोर जी के अनुसार हम मान लें कि तब महिलाओं के खिलाफ जारकर्म या व्यभिचार करना हिन्दू धर्म तथा नियमावली के तहत ठीक था।”<sup>13</sup>

राजेन्द्र यादव लिखते हैं कि “दरअसल ‘जार’ धर्मवीर का अब्सेशन

है। वे हर चीज में जारसत्ता ढूँढ लेते हैं। मैनेजर पांडे ने धर्मवीर को पैदाइशी स्त्री विरोधी बतलाया है।”<sup>14</sup> “अगर कोई स्त्री किसी पुरुष से मैत्री कर लेती है या दोनों साथ-साथ रहने लगते हैं, तो वहाँ ‘रखैल’ शब्द क्या अर्थ रखता है?”<sup>15</sup> प्रेमचन्द के इस ‘पुनःपाठ’ में दलित साहित्यकार भी आमने-सामने खड़े दिखायी पड़ते हैं। कंवल भारती और सूरजपाल चौहान जैसे दलित लेखक और विचारक जहाँ प्रेमचन्द के पक्ष में खड़े हैं, वहीं श्यौराज सिंह ‘बेचैन’ और मोहनदास नैमिशराय आदि डॉ. धर्मवीर के प्रेमचन्द-विरोधी स्वरों के साथ हैं। ओमप्रकाश वाल्मीकि और जयप्रकाश कर्दम जैसे लोग बीच-बचाव की मुद्रा में तटस्थ-से हैं।

अपने लेख ‘धर्मपत्नियाँ-कर्मपत्नियाँ’ में अनामिका लिखती हैं कि “ब्राह्मणी आदेशों से अपेक्षाकृत स्वतन्त्र और आनुष्ठानिक शुचिता-अशुचिता के प्रतिमानों से मुक्त जार समाज में पुरुष दलित स्त्रियों से सम्बन्ध स्थापित कर जो बच्चे पैदा करते हैं, वे भी उनके ही होते हैं। दक्षिण में कहीं-कहीं तो दलित स्त्रियों से बच्चे पैदा करनेवाले द्विज जनेऊ बदलकर ‘पवित्र स्नान’ कर लेते हैं और पा जाते हैं छुट्टी। ...स्त्री मिट्टी का घड़ा है, मर्द पीतल का बटुवा। घड़ा भीतर से अशुद्ध होता है, पीतल का बटुवा धो-खंगालकर फिर से हाजिर।”<sup>17</sup>

डॉ. धर्मवीर की समाजशास्त्रीय चिन्ता अधिक वैधानिक और पारिवारिक है। वे प्रेमचन्द के सन्दर्भ में कहते हैं कि तीसरी औरत किसी की पत्नी भी होती है। ऐसे में मामला ज्यादा संगीन बन जाता है। उस घर के सारे सुख-चैन लूट जाते हैं। यह भारतीय परिवार व्यवस्था में एक भारी विक्षोभ और विसंगति है। हिन्दी साहित्य का पूरा का पूरा रीतिकाल

और कृष्णकथा इसी परकीया-प्रेम पर आधारित है। ऐसे में “बच्चों का पिता कौन होगा?—चमार घीसू का बेटा माधव चमार? पर इसे ही घीसू और माधव मानने को तैयार नहीं है—चाहे बुधिया मरे और चाहे बुधिया के पेट का बच्चा मरे। बुधिया की और बुधिया के बच्चे की फिक्र प्रेमचन्द को होनी चाहिए। ‘कफन’ कहानी लिखकर उन्होंने यह फिक्र भी की है कि घीसू और माधव को साहित्य के संसार में बदनाम करके रख दिया है। उधर, माधव भी प्रसव-शैय्या-अर्थात् मृत्यु शैय्या पर पड़ी हुई बुधिया के बारे में अपने बाप से चिढ़कर बोलता है—‘मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करूँ?’<sup>18</sup> यहाँ घीसू, माधव और बुधिया की नियति पर धर्मवीर का मानना है कि बुधिया के पेट का बच्चा माधव का बच्चा हो ही नहीं सकता। वह जमींदार के बेटे या अन्य किसी सम्पन्न व्यक्ति का बच्चा होगा, जिसे माधव जानता होगा। इसलिए उसके प्रति उसकी यह निर्दयता है। यदि प्रेमचन्द ने कहानी में यह लिख दिया होता कि बुधिया के पेट का बच्चा जमींदार के बेटे से था, तो कहानी दलित कहानी बन जाती और तब इसकी धार दूसरी होती। मगर ऐसा नहीं हुआ है। सामान्य परिस्थिति में भूखे-से-भूखे और पतित से पतित व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता, जो घीसू और माधव ने बुधिया के साथ किया है। मानवीय संवेदना आज भी इतनी मरी नहीं है।

जारकर्म सामन्ती सोच और प्रवृत्ति का परिचायक है। किसी भी समाज में ऐसे सम्बन्ध निन्दनीय है। फिर भी ऐसे सम्बन्ध हैं। जहाँ तक गैर-दलित पुरुषों का दलित स्त्रियों के प्रति आकर्षण और सुलभता की बात है, तो ऐसा दलित

पुरुषों का गैर-दलित स्त्रियों के साथ भी होता रहा है। सच तो यह है कि मानवीय प्रवृत्ति के अनुरूप स्त्री या पुरुष यौन-सम्बन्धों में जाति या धर्म नहीं देखते। ये बन्धनों केवल शादी-विवाह जैसे सामाजिक सम्बन्धों में ही देखी जाती हैं। स्त्री-पुरुष सम्बन्धों का जीवविज्ञान प्रायः पुरुष सम्बन्धों के समाज विज्ञान से अधिक उदार और मानवीय होता है। इसलिए इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है।

### दलित उपन्यासों में चित्रित नारी

दलित स्त्रियों के यौन-शोषण और बलात्कार मुख्य समस्या है। मालिकों द्वारा दलित औरतों के यौन-शोषण और सामूहिक बलात्कार आम घटनाएँ हैं। दलित उपन्यास और कहानियों में इसकी जमकर चर्चा हुई है। जयप्रकाश कर्दम के उपन्यास ‘छप्पर’ की कमला भी एक ऐसी ही दलित स्त्री है, जिसके साथ ईंट भट्टे के मालिक और उसके साथियों द्वारा सामूहिक बलात्कार होता है। मालिकों के रोब और आतंक के कारण कोई आवाज नहीं उठाता। उसका बाप जब पुलिस में इसकी रपट लिखवाता है, तो उसे मारकर अधमरा कर दिया जाता है। पैसे और ताकत के सामने उसकी आवाज तो दब जाती है, किन्तु उसके मन का अपमान और प्रतिरोध भाव नहीं दबता। वह अपनी बेटी की जिन्दगी बर्बाद करनेवाले दरिन्दे से प्रतिशोध लेने की ठान लेता है। वह ‘गँडासा’ उठाता है और मालिक की खोज में चल पड़ता है। और जब एक जगह मालिक अकेला मिल जाता है, तो उपन्यासकार के शब्दों में, ‘उसने आव देखा न ताव और गँडासा उठाकर (मालिक) के सिर पर दे मारा।’ दलित चेतना की जोरदार अभिव्यक्ति इस उपन्यास की विशेषता है।

प्रेम कपाडिया का चर्चित उपन्यास ‘मिट्टी की सौगन्ध’ भी बलात्कार के समाजशास्त्र पर आधारित है। उपन्यास की मुख्य नायिका शीला दसवीं पास है। किन्तु एक तो सुन्दर, दूसरी जवान और तीसरी दलित और गरीब औरत—समाज के दरिन्दों से वह कब तक बच सकती है? अन्ततः उसकी इज्जत लूट ली जाती है। गाँव के ठाकुर मदन सिंह को शीला की हेठी देखकर ताज्जुब और मलाल होता है—“वह आज तक हमारी सेज पर क्यों न सजी?” और वह अपनी सेज सजवाने पर तुल जाता है। शीला के प्रतिवाद करने पर वह परम्परा और प्रचलन का हवाला देकर उसकी सामाजिक औकात बता देता है, “साली चमारिन होकर इतने नखरे दिखा रही है!”<sup>19</sup> यह है दलितों के प्रति सवर्णों का समाजशास्त्र।

हृद तो तब हो जाती है, जब मदनसिंह द्वारा बलात्कारित शीला से उसका (मदन सिंह का) प्रगतिशील बेटा विजेन्द्र शादी करना चाहता है, तो उसकी दादी अपने सामन्ती चरित्र का गुणगान करने लगती है, “हमारा खानदान जमींदारों का है.. ..हमारे खानदान के लड़के ऐय्यासी तो बड़े शौक से करते हैं, लेकिन ऐय्यासी के लिए चुनी गयी लड़की या औरत जमींदार घराने की बहू नहीं बनाई जा सकती है। ....वे हमारे लिए अच्छूत हैं। ....और एक अच्छूत हमारा रिश्तेदार कैसे बन सकता है?”<sup>20</sup> किन्तु एक पढ़ी-लिखी लड़की, चाहे वह दलित ही क्यों न हो, इसे कब तक बर्दास्त कर सकती है? शीला प्रतिशोध की ज्वाला में जल उठती है। शीला को उसकी जीवटवाली मौसी से ताकत मिलती है। वह उसे प्रेरित और प्रोत्साहित करती हुई कहती है, “किसी से बदला लेने के लिए अपने अन्दर ताकत इकट्ठी करनी पड़ती है.. ..पहले उठ, तब मैं तुझे बताऊँगी।”<sup>21</sup>

ठाकुर मदन सिंह ने इसी तरह रधिया की भी इज्जत लूटी थी, जिसने कुएँ में छलाँग लगा ली। अन्त में दलितों में इन दलित स्त्रियों के साथ बारी-बारी से हो रहे अत्याचार के खिलाफ बदला लेने की सामूहिक चेतना जगती है और वे सौगन्ध खाकर ठाकुरों से बदला लेते हैं।

‘जस तस भई सवेर’ दलित जीवन की विवशता और प्रतिरोध के द्वन्द्व की मार्मिक कथा है। इसमें दलित जीवन में बलात्कार जैसी स्त्री-त्रासदी का समाजशास्त्रीय विवेचन हुआ है। यहाँ इस जघन्य अपराध के विरुद्ध दलित प्रतिरोध और संघर्ष का शंखनादी विद्रोह भी है। उपन्यास की कथा रामरती, धुसिया और सन्नो की विवशता और प्रतिरोध के बीच घूमती है। तीनों गाँव के जमींदार चौधरी देवीपाल से बारी-बारी से बलात्कारित होती हैं। आरम्भ में अपने आर्थिक-सामाजिक प्रभाव से जमींदार उसके प्रतिरोध को कुंद कर पाने में सफल हो जाता है। विवश होकर ये स्त्रियाँ समाज के सामने मूक बनी रह जाती हैं। किन्तु जब शोषण और अत्याचार चरम सीमा पर पहुँच जाता है, तो विद्रोह का लावा फूट पड़ता है। तीनों रणचंडी बन जाती हैं। पहले जब धुसिया का बलात्कार होता है, तो सन्नो उसका प्रतिरोध करती है और रामरति से कहती है, “अभी हम तीनों मिलकर उस पापी को सबक सिखा सकती हैं। पुलिस में भी रपट करा सकती हैं।”<sup>22</sup>

किन्तु रामरति पुलिस की हकीकत जानती है। वह चुप रह जाती है। फिर सन्नो का भी बलात्कार हो जाता है। और अन्ततः चौधरी रामरति को भी बलात्कार का शिकार बनाकर उसे बार-बार इस कृत्य के लिए विवश करता है। पहले तो वह अपने पुत्र और पति की रक्षा के लिए विवश होकर ऐसा

करती रहती है। किन्तु एक दिन जब उसके साथ बलात्कार होते हुए उसका सात वर्षीय बेटा देख लेता है, तो चौधरी का सफेद चेहरा स्याह हो जाता है। वह इस छोटे बच्चे से भी भयभीत हो जाता है। कहीं उसकी कलाई खुल न जाये, इसलिए वह रामरति के उस छोटे बच्चे को कुएँ में फेंककर मार डालता है। इस जघन्य अन्याय से वह रणचंडी बन जाती है। वह गरज उठती है, “आज मैं सारे गाँव के सामने तुम भलेमानुषों की कलाई खोलकर रख दूँगी। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊँगी। देवीपाल, अब धुसियावाली बात नहीं रही। निकल बाहर, लुच्चे, लम्पट ...”<sup>23</sup> हृद तो तब हो जाती है जब रामरति का पति पुलिस के पास रपट लिखवाने पहुँचता है। पुलिस की सामन्तवादी मानसिकता दारोगा के शब्दों में यहाँ व्यक्त हुई है, “साले, मादरचोद, हरामी की औलाद, तुमलोग इज्जतदार और शरीफ लोगों के खिलाफ झूठे मामले बनाते रहते हो! तुमलोगों को इज्जतदार लोगों की इज्जत से खेलते हुए शर्म नहीं आती। ‘हरिजन एक्ट’ का दुरुपयोग करते हो! अरे, नालायक के बीज, तेरी इज्जत ही क्या है, जो बिगड़ जाएगी।”<sup>24</sup>

दलित रचनाओं में दलित नारियों के बलात्कार, वेश्या बनने, भूख, गरीबी आदि का ही चित्रण के साथ-साथ उनके बहादुरीपूर्ण कारनामों का भी व्यापक वर्णन मिलता है। उक्त उपन्यासों के अलावा जयप्रकाश कर्दम के उपन्यास ‘छप्पर’, मोहनदास नैमिशराय के ‘वीरांगना झलकारी बाई’, ‘आज बाजार बंद है’, ‘क्या मुझे खरीदोगे’, भगवान दास मोरवाल के ‘काला पहाड़’, ‘बाबूल तेरे देश में’ और ‘रेत’ उपन्यास आदि में दलित नारी की समस्याओं को प्रमुखता के साथ उठाया गया है। आज बाजार बंद है और क्या मुझे खरीदोगे’ में वेश्या जीवन

की त्रासदी, और ‘रेत’ उपन्यास में कंजर (नट) जाति के स्त्री जीवन प्रमुखता के साथ चित्रित है।

## दलित कविता और कहानियों में चित्रित नारी

दलित लेखक-लेखिकाओं की आत्मकथा और उपन्यासों में दलित नारियों की त्रासदी का वर्णन तो हुआ ही है; उनकी कविता और कहानियों में भी दलित नारियों का विशद चित्रण है। मोहनदास नैमिशराय की कविता और कहानियाँ, ओमप्रकाश वाल्मीकि की कविता संग्रह ‘सदियों का सन्ताप’, ‘बस्स बहुत हो चुका’ की अनेक कविताएँ और ‘जंगल की रानी’ जैसी कहानियाँ, जयप्रकाश कर्दम की कविता संग्रह ‘गूँगा नहीं था मैं, तिनका-तिनका आग’ की कविताएँ, सूरजपाल चौहान, दयानन्द बटोही, सुदेश तनवर, कसुम वियोगी, श्यौराज सिंह ‘बेचैन’, मुसाफिर बैठा, अनिल चमड़िया, मुकेश मानस आदि दलित लेखकों की कविता और अनेक कहानियों में दलित स्त्रियों का जीवन शिद्ध के साथ चित्रित हुआ है। प्रह्लाद चन्द्र दास की कहानियाँ ‘नचनी काकी’ इस दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण है। ‘नचनी काकी’ में डोम जाति की एक नाचनेवाली लड़की के जीवन की त्रासदियों का चित्रण है। लेखिकाओं में मैत्रेयी पुष्पा, रजनी तिलक, रमणिका गुप्ता, सुशीला टांकभौर, रजत रानी ‘मीनू’, अनिता भारती, कावेरी, सुशीला टांकभौरों की कविता संग्रह ‘स्वातिबूँद और खारे मोती’ तथा ‘यह तुम भी जानो’ की कविताएँ तथा कई कहानियाँ इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। उनकी ‘सिलिया’ कहानी में दलित चरित्र सिलिया के माध्यम से एक दलित बालिका की शिक्षा और सामाजिक संघर्ष का यथार्थपूर्ण

अंकन हुआ है। एक बड़े सवर्ण घराने के नेतानुमा लड़के के विवाह प्रस्ताव को सिलिया द्वारा ढुकराये जाने की घटना का चित्रण कर लेखिका ने दलितों के प्रति सवर्णों द्वारा किये जानेवाले दिखावे और ढोंग का पर्दाफाश किया है। रमणिका गुप्ता की कहानी 'बहु जुलाई' दलित स्त्रियों के यथार्थ पर एक मारक कहानी है। स्त्रियों की ओर से लिखी गयी तमाम कहानी और कविताओं में दलित स्त्री की प्रमुख समस्याओं को बारीकी से उकेरा गया है।

इस प्रकार दलित साहित्य में दलित नारी का विषद वर्णन मिलता है, जिसमें आज के जीवन का यथार्थ भी है आनेवाले कल का संकेत भी।

### संदर्भ सूची:-

1. सुभाष गाताडे का आलेख, 1857: निरंतरता और परिवर्तन, उद्भावना, अंक-75, सं-प्रदीप सक्सेना, पृ.-284
2. दोनों गालों पर थप्पड़ : मोहनदास नैमिशराय, आधुनिकता के आईने में दलित, सं.- अभय कुमार दुबे, वाणी प्रकाशन, पृष्ठ-231-32 के आधार पर
3. बजरंग बिहारी तिवारी का आलेख, 'हंस', जुलाई, 2000
4. दोहरा अभिशाप, लेखिका-कौसल्या बैसन्त्री, पृ-17
5. वही, पृ.-102
6. वही
7. वही
8. 'हंस', दलित विशेषांक, अगस्त-2004
9. वही
10. दलित साहित्य का समाजशास्त्र, ले. -हरिनारायण ठाकुर, भारतीय ज्ञानपीठ, नयी दिल्ली, पृष्ठ-497
11. प्रेमचन्द : सामन्त का मुंशी, पृष्ठ-63
12. दलित स्त्रियाँ किसकी सम्पत्ति है? : 'जनसत्ता', 3 अक्टूबर 2005
13. दलित कथाकारों में बँटवारे की राजनीति, 'दलित साहित्य वार्षिकी-2005, पृष्ठ-43.
14. पल-प्रतिपल, जून-सित. 2005
15. हंस, नव. 2005, सम्पादकीय
16. गोदान, पृष्ठ-208-09
17. दलित कथाकारों में बँटवारे की राजनीति, 'दलित साहित्य वार्षिकी-2005, पृष्ठ-44
18. प्रेमचन्द : सामन्त का मुंशी
19. मिट्टी की सौगंध, ले.-प्रेम कपाड़िया
20. वही
21. वही
22. जस तस भयी सवेर, लं.-सत्य प्रकाश
23. वही, पृ.-51
24. वही ।



## रामचरितमानस में सत्संग महिमा

कुमार चंदन

रामचरितमानस में सत्संग महिमा का वर्णन विस्तारपूर्वक किया गया है। तुलसी का जिस काल में जन्म हुआ था, उस समय उन्होंने जिस समाज को देखा था, वह बहुत ऊँचे आदर्शों पर नहीं चल रहा था। डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार - “उच्च स्तर के लोग विलासिता के पंक्त में डूबे हुए थे और निचले स्तर के स्त्री-पुरुष दरिद्र, रोगी और अशिक्षित थे।” उस समय नाथ पंथी रमते जोगियों के प्रभाव से जनता भ्रमित होकर तरह-तरह की करामातों को चिन्ह मानने लगी थी। भक्ति की सच्ची भावना दब गई थी। इसी कारण उन्होंने लोक को सच्चे धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हुए कहा कि सत्संग आनन्द और कल्याण की जड़ है। दुष्ट भी सत्संग पाकर सुधार जाते हैं। संतों के संग की महिमा और प्रभाव का वर्णन करते हुए वे कहते हैं -

जलचर थलचर नभचर नाना।

जे जड़ चेतन जीव जहाना।।

मति कीरति गति मूर्तिमलाई।

जब जेहि जतन जहाँ जेहिपाई।।

सो जानब सतसंग प्रभाऊ।

लेकहुँ बेद न आन उपाऊ।।

बिनु सतसंग बिबेक न होई।

राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।।

सत संगत मुद मंगल मूला।

सोइ फल सिधि सब साधन फूला।।

सठ सुधारहिं सतसंगति पाई।

पारस परस कृधात सुहाई।।

राम के चरणों में अनन्य प्रेम मोह के रहते संभव नहीं है। मोह विनाश के लिए सत्संग आवश्यक है -

बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग।

मोह गएँ बिनु राम पद होइ न खढ़ अनुराग।।

भारतीय चिन्तन परम्परा के अनुसार समस्त साधानों का है परमात्मा की भक्ति। लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक हमें संत की कृपा नहीं प्राप्त हो जाती। संतों का संग करने से राम की भक्ति सुलभ हो जाती है -

सब कर फल हरि भगति सुहाई।

सो बिनु संत न काहुँ पाई।।

अस बिचारि जोइ कर सतसंग।

राम भगति तेहि सुलभ बिहंगा।।

तुलसी से क्षण भर के सत्संग से प्राप्त सुख को स्वर्ग और मोक्ष के सुखों से बढ़कर बतलाया है -

तात स्वर्ग अपबर्ग सुख धरिअ तुला एक अंग।

तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग।।

वास्तव में संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। पर हरि कृपा बिना संभव नहीं है। ऐसी बात वेद और पुराण भी कहते हैं -

गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन।

बिनु हरि कृपा न होइ सो गावहिं बेद पुरान।।

तुलसीदास ने भक्ति को स्वतंत्र साधन और सब सुखों की खान माना है। परन्तु सत्संग के बिना प्राणि इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही जन्म-मरण के चक्र का अन्त करता है -

भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी।

बिनु सत्संग न पावहिं त्रनी।।

पुन्य पुंज बिनु मिलहिं न संता।

सतसंगति संसति कर अंता।।

भक्ति को स्वतंत्र साधन कहकर तुलसी ने अंधी भेड़ बनी हुई तत्कालीन जनता को जगाने का काम किया। तुलसी के समय की धार्मिक स्थिति का वर्णन करते हुए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल लिखते हैं - “जो हृदय सबके पास होती है वही अपनी स्वाभाविक वृत्तियों द्वारा भगवान की ओर लगाया जा सकता है, इस बात पर पर्दा डाल दिया गया था। इससे हृदय रहते भी भक्ति का सच्चा स्वाभाविक मार्ग लोग नहीं देख पाते थे।”<sup>8</sup>

तुलसी ने जनता को सहज मार्ग बताते हुए सत्संग की महिमा को उजागर किया।

सत्संग के संबंध में जयदयाल गोचन्द का विचार ध्यान देने योग्य है। उनके मतानुसार- “सत् जो भगवन है, उनके प्रति प्रेम और उनका मिलन ही वास्तविक एवं मुख्य सत्संग है। भगवत् प्राप्त भक्तों या जीवन मुक्त ज्ञानी महात्माओं का संग दूसरी श्रेणी का सत्संग है। भागवत् प्रेमी उच्च कोटि के साधकों का संग तीसरी श्रेणी का सत्संग है। चौथी श्रेणी में सत्-शस्त्रों का अनुशीलन भी सत्संग है।”<sup>9</sup> आवश्यकता इस बात की है कि लक्षणों के आधार पर संत की पहचान कर उनकी संगति की जाय। रामचरितमानस में संतों के लक्षण बतलाते हुए तुलसी लिखते हैं कि संत विषयों में लिप्त नहीं होते। उन्हें पराया दुःख देखकर दुःख और सुख देखकर सुख होता है। वे सम दृष्टि रखते हैं। संत घमंड से शून्य कोमल चित्त के होते हैं। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से राम की भक्ति करते हैं -

विषय अल्पट सील गुनाकर।  
पर दुःख दुःख सुख सुख देखे पर॥  
सम अभूतरिपु बिमद बिरागी।  
लोभमरण हरष भय त्यागी॥  
कोमल चित दीनन्ह पर दाया।  
मन बच कर्म मम भगति अमाया॥<sup>10</sup>

गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसे ही संतों के संग की महिमा का बारम्बार वर्णन किया है। रामचरितमानस में संत और कामी की संगति में अन्तर बतलाते हुए व लिखते हैं -

संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ।

कहहिं संत कवि कोविद श्रुति पुरान  
सदग्रंथ॥<sup>11</sup>

संत का संग मोक्ष (भव-बन्धन से टूटने) का और कामी का संग जन्म-मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत, ज्ञानी और पंडित तथा वेद-पुराण आदि सभी सदग्रन्थ ऐसी बात कहते हैं। अतः मनुष्य को दुष्ट पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। दुष्ट पुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हुए तुलसी कहते हैं कि उनका संग उसी प्रकार दुःखी देने वाला होता है, जैसे हरहाई (बुरे स्वभाव की) गाय कपिला (अच्छे स्वभाव वाली सीधी और दुधारू) गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। दुष्टों का हृदय संताप ग्रस्त रहता है और परायी संपत्ति देखकर उन्हें जलन होती है। दूसरे की निन्दा सुनकर हर्षित होती है। वे काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण तथा अकारण वैर करने वाले होते हैं -

सुनहु असंतन्ह करे सुभाऊ।  
भूलेहुँ संगति करिअ न काऊ॥  
तिन्ह कर संग सदा दुखदाई।  
जिमि कपिलहि घालइ हरहाई॥  
खलन्ह हृदयँ अति ताप बिसेषी।  
जरहिं सदा पर संपति देखी॥  
जहँ कहुँ निंदा सुनहि पराई।  
हरषहिं मनहुँ परी निधि पाई॥  
काम क्रोध मद लोभ परायन।  
निर्दय कपटी कुटिल मलायन॥<sup>12</sup>

तुलसी ने असत् प्रवृत्तियों की भर्त्सना की और सत् प्रवृत्तियों की महिमा गाई। उन्होंने मनुष्यों को स्पष्ट दर्श दिया कि असत् प्रवृत्तियों का प्रतीक रावण जीवन

भर त्रास और भय का प्रवर्तक एवं नियंता रहकर सुख लाभ नहीं कर सका, वहीं राम ने अपना स्वर्ग सुख त्याग कर दुष्टों एवं दुष्प्रवृत्तियों का विनाश किया। भ्रमित जनता को जगाने के लिए और भविष्य में सावधान रहने के लिए ही उन्होंने असंतों के लक्षण का भी वर्णन किया।

अंत में कहा जा सकता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में सत्संग की महिमा का वर्णन कर जन मानस को कल्याण का सुगम और सुलभ मार्ग बतलाया। वस्तुतः वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे “लखै कोई बिरलै।” उन्होंने सत्संग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बतलाकर भक्ति की सच्ची भावना जगाने का स्तुत्य कार्य किया।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची:

1. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य उद्भव और विकास, पृष्ठ-125.
2. रामचरितमानस, बाल काण्ड - 212-5
3. रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड - 61
4. रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड - 119/9-10
5. रामचरितमानस, सुन्दरकाण्ड - 4
6. रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड - 125(ख)
7. रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड - 44/3
8. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ-97
9. जयदयाल गोचन्द का प्रत्यक्ष भगवद् दर्शन के उपाय, पृष्ठ-67
10. रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड - 37/1-2
11. रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड - 33
12. रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड - 38/1-3

# भारत के प्राचीनकालीन विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था: एक समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ० मुन्ना कुमार राम

शिक्षा वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति के लिए ही नहीं अपितु सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए भी अपरिहार्य है। हमारे पूर्वजों ने शिक्षा की इस महत्ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हीं सुदूर अतीत में शिक्षा की सुन्दर व्यवस्था की थी। आधुनिक विश्वविद्यालयों की तरह प्राचीन भारत में भी अनेक ऐसे विश्वविद्यालय थे, जो न केवल देश में, बल्कि विदेशों में भी काफी प्रसिद्धि पा चुके थे। इन विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि यहाँ विदेशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। सम्बन्धित आलेख ऐसे ही प्रसिद्धि पा चुके प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था पर आधारित है।

## तक्षशिला विश्वविद्यालय

प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्र तक्षशिला, वर्तमान समय में पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है जो रावलपिण्डी से लगभग 32 कि०मी० की दूरी पर उत्तर-पश्चिम में स्थित है। तक्षशिला गांधार राज्य की राजधानी थी। जनश्रुति है कि राम-अनुज भारत के कनिष्ठ पुत्र 'तक्ष' ने तक्षशिला नगर बसाया था। यद्यपि रामायण और महाभारत के युग में यह शिक्षा का प्रमुख केन्द्र नहीं था, तथापि ईसवी सन् की प्रारंभिक सदियों में यह स्थान इतना प्रसिद्ध था कि यहाँ

देश-विदेश से विद्यार्थी वेद, अर्थशास्त्र, राजनीति, आयुर्वेद तथा अन्य विधाओं के अध्ययनार्थ आते थे। व्याकरण के धुरन्धर पाणिनी, अर्थशास्त्र तथा राजनीति के महापंडित विष्णु गुप्त (कौटिल्य) और भृत्य कुमार जीवक जैसे प्रख्यात शल्य चिकित्सक (सर्जन) ने तक्षशिला में ही शिक्षा प्राप्त की थी।

तक्षशिला का विस्तृत विवरण बौद्ध जातक कथाओं में मिलता है। जातक कथाओं में प्राप्त विवरण के अनुसार उन दिनों भारत के भिन्न-भिन्न भागों से, जैसे-उत्तरापक्ष स्थित कुरु राज्य शिवि, पूर्व में स्थित मिथिला एवं राजगृह, दक्षिण भारत में स्थित उज्जयिनी से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे।

तक्षशिला में आजकल के समान विश्वविद्यालय, महाविद्यालय सुव्यवस्थित विद्यापीठ या वेतनभोगी शिक्षक नहीं थे, न कोई निर्दिष्ट पाठ्यक्रम व शिक्षा अवधि ही थी और न कोई परीक्षा, प्रमाण-पत्र या उपाधियाँ ही थीं, अपितु यह तो शिक्षा का ऐसा प्रसिद्ध केन्द्र था जहाँ विविध विधाओं और कलाओं के धुरन्धर पंडित और विद्वान रहते थे। यहाँ की शिक्षण संस्थाओं में चाण्डालों को छोड़कर सभी जाति के विद्यार्थी प्रवेश कर सकते थे। विद्यार्थी या तो अध्यापकों के साथ रहते थे या दिवा छात्र के रूप में कक्षाओं में आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इन दिवा छात्रों में विवाहित छात्र भी होते थे। विद्यार्थियों से शिक्षा शुल्क अग्रिम ले लिया जाता था अथवा शुल्क के बदले विद्यार्थी गुरुओं की सेवा किया करते थे। उच्च शिक्षा प्रारंभ करने की आयु सोलह वर्ष की थी और प्रायः छः से आठ वर्ष तक अध्ययन चलता था। प्रत्येक आचार्य अपना पाठ्यक्रम और शिक्षाकाल निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र था। अनुशासन का कड़ाई से पालन किया जाता था और शिक्षक विद्यार्थियों पर कड़ा अनुशासन रखते थे। साहित्यिक, धार्मिक और लौकिक सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी जिनमें तीनों वेद और अठारह शिल्प विद्याएँ मुख्य थी। व्याकरण, धनुर्विधा, हस्तविद्या, मंत्रविद्या, शल्य विद्या और चिकित्सा की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। गौतम बुद्ध के चिकित्सक जीवन ने आयुर्वेद की उच्च शिक्षा तक्षशिला से ही प्राप्त की थीं और इसके लिए उन्हें 7 वर्षों तक कठिन शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी। उन्होंने काय चिकित्सा के साथ ही साथ शल्य-चिकित्सा की भी विशेष व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त की थी। बनारस के राजकुमार भी यही

तदर्थ व्याख्याता, बिहार नेशनल कॉलेज, राजनीति विज्ञान विभाग,  
पटना विश्वविद्यालय, पटना

शिक्षा ग्रहण करने आते थे। कौशलराज प्रसेनजित, पाणिनी एवं चाणक्य भी तक्षशिला के ही छात्र थे।

## नालन्दा विश्वविद्यालय

प्राचीन काल में समस्त एशिया की शिक्षण संस्थाओं का सिरमौर नालन्दा विश्वविद्यालय आधुनिक पटना के दक्षिण-पश्चिम में 40 मील दूर स्थित बड़गाँव में विद्यमान था। नालन्दा की स्थाना कुमार गुप्त प्रथम (414-454) द्वारा एक विहार के रूप में किया गया था। नालन्दा विश्वविद्यालय की पूर्ण जानकारी चीनी यात्री ह्वेनसांग एवं इत्सिंग के यात्रा विवरणों से मिलता है। परवर्ती गुप्त शासकों के उदार दानों से इसका बहुत विकास हुआ।

ह्वेनसांग के अनुसार नालन्दा में विद्यार्थियों एवं आचार्यों के संख्या मिलाकर 10,000 से भी अधिक थी। ह्वेनसांग के अनुसार यहाँ प्रवेश के समय विद्यार्थियों से बड़े कठिन प्रश्न पूछे जाते थे तथा उनका समुचित उत्तर देने पर ही प्रवेश संभव था, बहुधा दस में से दो-तीन ही सफल होते थे। यहाँ वाद-विवाद तथा व्याख्यान द्वारा शिक्षा दी जाती थी और नित्य प्रति एक सहस्र व्याख्यान होते थे। ह्वेनसांग ने लिखा है- “गंभीर प्रश्नों के पूछने और उत्तर देने के लिए पूरा दिन भी पर्याप्त नहीं पड़ता।, प्रातः काल से रात्रि तक लोग शास्त्रार्थ में लगे रहते हैं तथा बूढ़े और जवान एक दूसरे की सहायता करते हैं।”

ह्वेनसांग के अनुसार 1,000 विद्वान ऐसे थे, जो समूचे बौद्ध बाङ्गमय की व्याख्या करने में सक्षम थे। उस दौरान नालन्दा इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि मध्य एशिया, चीन, तिब्बत एवं कोरिया तथा जापान आदि से सैकड़ों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे।

नालन्दा में की गयी खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में उत्तम किस्म के मठ एवं मंदिर बने थे। खुदाई में बड़ी-बड़ी भट्टियाँ भी प्राप्त हुई हैं। कमरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इन कमरों में सोने के लिए पत्थर के बने हुए चबूतरे एवं दीपक तथा पुस्तक रखने हेतु ताक बने हैं। यहाँ कई विशाल पुस्तकालय जिसमें ‘धर्मगज’ प्रमुख था, कुल आठ बड़े-बड़े हॉल और तीन सौ छोटे कमरे थे। विश्वविद्यालय में तीन प्रमुख भव्य भवन थे- रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इनमें रत्नोदधि नौ-मंजिला था जिसमें धार्मिक और तांत्रिक ग्रंथ रखे जाते थे। ह्वेनसांग के वर्णनानुसार ‘नालन्दा की सबसे ऊपरी मंजिल बादलों से भी ऊँची थी।’

धर्मपाल, चन्द्रपाल, गुणपति, स्थिरमति, प्रभाकरमित्र, जनमित्र, भद्रसेन, जिनचन्द्र, शांतिरश्रित, शीलभद्र आदि सुप्रसिद्ध आचार्य थे। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था काफी व्यवस्थित थी। प्रातःकाल से लेकर सूर्यास्त तक बड़े-बड़े एवं छोटे दोनों तरह के समूहों या कक्षाओं में व्याख्यान दिए जाते थे। उस समय ज्ञान के जितने भी विषय एवं क्षेत्र थे, सबकी शिक्षा नालन्दा में दी जाती थी। विषय दोनों प्रकार के थे-ब्राह्मणवादी एवं बौद्ध धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष, दार्शनिक एवं व्यावहारिक, विज्ञान एवं कला आदि। किन्तु नालन्दा में खासतौर से 18 पंथों, वेदों एवं अन्य ग्रंथों, हेतु विद्या एवं शब्दविद्या, चिकित्सा-विद्या, अथर्ववेद, सांख्य और संस्कृत व्याकरण पर विशेष जोर दिया जाता था।

विदेशों से न केवल ह्वेनसांग एवं इत्सिंग नालन्दा में शिक्षा प्राप्त करने आए बल्कि अन्य विद्वान भी आए थे। कोरिया का भिक्षु आर्यवर्मन कई वर्षों

तक नालन्दा में शिक्षा प्राप्त करता रहा। बाद में वहीं उसकी मृत्यु हो गई। ह्वेनसांग व चेहांग नामक दो चीनी विद्वान सातवीं सदी में कुछ समयों के अन्तर पर आए थे। ह्वेनसांग 3 वर्षों तक एवं चेहांग 8 वर्षों तक नालन्दा में शिक्षा प्राप्त करता रहा। तिब्बत के राजा ने अपने देश में बौद्ध धर्म को विधिवत् स्थापित करने हेतु 8वीं सदी के प्रारम्भ में नालन्दा के प्रसिद्ध आचार्य ‘शांतिरक्षित’ को अपने यहाँ आमंत्रित किया था।

इस प्रकार पता चलता है कि नालन्दा, मगध और भारत का ही ज्ञान भंडार नहीं था, अपितु विश्व में ज्ञान-विज्ञान का पथ-प्रदर्शक भी था और 8वीं शताब्दी तक उसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हो चुका था। बाद में ईसवी सन् 1196-1203 के मध्य बख्तियार खिलजी ने ऐसे समृद्ध विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया, जिसके खण्डहर आज भी मौजूद हैं और अपनी विशालता एवं समृद्धता की गौरव गाथा को बयाँ करते हैं।

## ओदंतपुरी विश्वविद्यालय

ओदंतपुरी विश्वविद्यालय मगध राज्य में स्थित था। इसकी स्थापना मगध के पालवंशीय शासकों के शासन स्थापित होने के पहले ही हो चुकी थी लेकिन आगे चलकर इन शासकों ने इस विश्वविद्यालय के विकास में अपना पुरा योगदान दिया। यहाँ लगभग 1,000 भिक्षु तथा विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे। यहाँ धार्मिक तथा बौद्धिक दोनों प्रकार के विषयों की उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। बौद्ध धर्म के प्रचार में इस विश्वविद्यालय ने विशेष योगदान दिया। ओदंतपुरी के विचारों के अनुरूप ही तिब्बत का प्रथम बुद्ध मठ सन् 788 ई० में बनवाया गया था।

## वल्लभी विश्वविद्यालय

सौराष्ट्र स्थित वल्लभी नामक विश्वविद्यालय सातवीं शताब्दी में नालन्दा के समान ही ख्याति प्राप्त था। अनेक 'विधापिपासु' अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण करने के लिए वल्लभी में निवास करते थे। समकालीन शासकों के प्रचुर दान एवं पूर्ण सहायोग से इस विश्वविद्यालय ने आशातीत उन्नति की थी। यदा-कदा समूचे भारतवर्ष के महान विद्वान विवादास्पद तथा संभव और असंभव सिद्धांतों पर वाद-विवाद और विचार-विनियम करने के लिए वल्लभी में एकत्रित होते थे। इस महाविहार में शिक्षा पर विशेष ध्यान बौद्ध के हीनयान मत से संबंधित तथ्यों पर ही दिया जाता था, किन्तु इसके साथ-साथ विविध विषयों एवं विविध प्रकार की भी शिक्षा दी जाती थी। इस विद्यापीठ में भी एक समृद्ध पुस्तकालय था, जिसे 'पुस्तक भण्डार' कहा जाता था। यहाँ के आचार्यगण अपनी विद्वता और पाण्डित्य के लिए समस्त देशों में प्रख्यात थे और इसीलिए सुदूर प्रदेशों से विद्यार्थी अपनी ज्ञान पिपासा की शांति हेतु यहाँ आते थे।

## विक्रमशीला विश्वविद्यालय

विक्रमशीला भी एक विशाल एवं शिक्षा के लिए प्रख्यात विद्यापीठ था, जिसकी स्थापना 8वीं सदी में पालवंशीय राजा धर्मपाल द्वारा किया गया था। यह विद्यापीठ भागलपुर से चौबीस मील दूर 'पत्थर घाटा' नामक स्थान पर स्थित था। इस विश्वविद्यालय के चतुर्दिक चार प्रवेश द्वार थे और प्रत्येक पर प्रवेशार्थियों की परीक्षा हेतु एक विद्वान पण्डित रहता था। विक्रमशीला विश्वविद्यालय में खासतौर से वैदिक साहित्य एवं बौद्ध साहित्य की शिक्षा प्रदान की जाती थी।

इसके अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, दर्शन एवं अन्य विषयों की भी विशेष शिक्षा दी जाती थी।

यहाँ भारतीय छात्रों के अतिरिक्त विदेशी छात्र भी अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करते थे। तिब्बत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण यहाँ तिब्बती विद्यार्थियों के लिए धर्मशाला की विशेष व्यवस्था थी। यही नहीं यहाँ के शिक्षक भी समय-समय पर तिब्बत जाकर वहाँ से तिब्बती पुस्तकों का अनुवाद कर स्वदेश वापस आ जाते थे। 'दीपंकर श्रीज्ञान' नामक विद्वान 11वीं शती में यहाँ से तिब्बत गया था, जबकि 'अतिशा' नामक विद्वान को तिब्बत में बौद्ध धर्म की पुनः स्थापना हेतु आमंत्रित किया गया था। इस विश्वविद्यालय में रत्नवज्र, कृष्ण समर वज्र, लीलावज्र, तथागत रक्षित, दीपंकर श्रीज्ञान, बोधिभद्र, कमल रश्मित और नरेन्द्र श्रीज्ञान जैसे प्रकाण्ड आचार्य थे। शिक्षा पूर्ण हो जाने पर पालनरेशों द्वारा उपाधियाँ और पदवियाँ प्रदान की जाती थी। विजयोन्मत मुहम्मद बिन-बख्तियार खिलजी ने 1203 ई० में इस विश्वविद्यालय को दुर्ग समझ आक्रमण किया और बर्बरता एवं अमानवीय प्रहारों से इसका विध्वंस कर दिया।

## काँच विश्वविद्यालय

काँची विद्यापीठ भी प्राचीन शैक्षिक संस्थानों में काफी प्रसिद्धि पा चुका था। यहाँ ब्राह्मणवादी शिक्षा पर विशेष बल प्रदान किया जाता था, किन्तु अन्य विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। इस शिक्षा संस्थान में भी एक विशाल पुस्तकालय था, जहाँ वैदिक एवं ब्राह्मण ग्रंथों की अधिकता थी। पुस्तकालय के मध्य भाग में हाथ में पुस्तक ग्रहण किए हुए सरस्वती की मूर्ति थी। दुर्लभ ग्रंथों को रखने की

विशेष व्यवस्था की गई थी। इसके संचालन हेतु राजाओं द्वारा गांव एवं भूमि दान में दिए गए थे, जिनके प्राप्त आय से इस शिक्षण संस्थान की देख-रेख की जाती थी। यह शिक्षण संस्थान दक्षिण भारत में कृष्णा एवं गोदावरी के उपत्यका में बसी कांची नगरी में था।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा व्यवस्था काफी समृद्ध थी। शिक्षा के प्रमुख स्थलों में बौद्ध विहारों, मंदिरों के अतिरिक्त मठों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बौद्ध विहारों में शिक्षा का ध्यान बौद्ध धर्म के अध्ययन पर केन्द्रित होता था, जबकि मंदिरों में ब्राह्मणवादी शिक्षा पर विशेष बल प्रदान किया जाता था। इस प्रकार समाज की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक संरचना से प्रभावित होकर ही शिक्षा केन्द्रों का विकास एवं विस्तार होता था एवं तदनुसार ही उनमें शिक्षा-व्यवस्था भी लागू होती थी, जिसमें समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते थे।

प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने अत्यन्त विशाल साहित्य और उत्तम चरित्र के व्यक्ति पैदा किए थे। इन शिक्षा संस्थाओं से किस ढंग के नागरिक निकलते थे, इसका वर्णन ह्वेनसांग के शब्दों में अच्छी तरह किया जा सकता है- "जब वे अपनी शिक्षा पूर्ण कर 30 वर्ष की अवस्था के हो जाते हैं तब वे पूर्ण सदाचारी और पक्व ज्ञान के हो जाते हैं। इनमें कुछ अपने को शिक्षा में ही विलीन कर लेते हैं, वे सांसारिक प्रपंचों से अलग रहते हैं और उन्हें सांसारिक नेकनामी और बदनामी की कुछ भी परवाह नहीं होती। सम्राट उनकी प्रतिभा का सम्मान करता है, जनता उनकी कीर्ति फैलाती है और उन्हें सार्वजनिक सम्मान प्रदान करती है। ऐसे लोगों का

परिवार भले ही सम्पन्न हो तब भी वे निर्धन रहना पसन्द करते हैं और रास्ते चलते भीख माँगकर अपनी उदरपूर्ति करते हैं। उनके लिए सत्य का ज्ञान ही सम्मान है, निर्धन होना कोई अपमान नहीं है।”

### संदर्भ सूची

1. Ghosh, D.K, University system in India, Rahul Publication, Jabalpur (M.P.) 1983.
2. Keay, F.E, Indian Education, Ancient and Later Times, Humphrey Mifford, Oxford University Press, London, 1942.
3. Mukejee, R.K, Ancient Indian Education, Motilal Banarasi Das Publication, Delhi, 1974.
4. Rawat, P.C., His;tory of Indian Education, Ram Prasad&Sons, Agra, 1976.
5. Mazumdar, Nagendra Nath, Great Books on Indian Education, Casmoo Publication, New Delhi, 1992.
6. तरुण, डॉ॰ हरिवंश, भारतीय शिक्षा, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, 2000.
7. अग्रवाल, जे॰ सी॰, भारत में शिक्षा व्यवस्था का इतिहास, शिप्रा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007.
8. श्रीवास्तव, के॰ सी॰, प्राचीन भारत का इतिहास.
9. प्राचीन भारत : प्रकाशन विभाग, सूचना और जनसम्पर्क विभाग, भारत सरकार.
10. कुरुक्षेत्र सितम्बर, 2005.
11. प्रतियागिता दर्पण, सितम्बर 2001, पृ॰ 295-296, जुलाई, 2004, पृ॰-2254 -2256



# भारत में आरक्षण नीति एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ. राजीव नयन

भारतीय समाज में प्रारम्भ से ही दो वर्ग रहे हैं, प्रथम वर्ग को उच्च या सबल वर्ग कहा जाता है तथा दूसरे वर्ग को दलित या शोषित, निम्न, वंचित वर्ग के नाम से जाना जाता है। निम्न एवं वंचित वर्ग शुरू से ही उच्च या सबल वर्ग के शोषण का शिकार रहा है तथा उसे समाज में तिरस्कार तथा हेय दृष्टि से देखा जाता है उच्च तथा निम्न के इस भेद को मिटाने तथा देश में समानता की स्थापना हेतु स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं द्वारा इस हेतु सामाजिक न्याय की स्थापना की गई, ताकि वंचित वर्ग को समाज की मुख्य-धारा में लाया जा सके वंचित वर्ग को उच्च वर्ग के समान लाने हेतु संविधान में शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमता मौजूद हैं। अतः सामाजिक न्याय को आरक्षण नीति के माध्यम से दलित-आदिवासी शोषित समाज तक ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए ताकि समाज का यह वर्ग राष्ट्र की मुख्य-धारा में शामिल हो सके और समाज का यह कमजोर वर्ग अपने अधिकारों एवं उपलब्धियों तथा वर्तमान स्थिति के परिदृश्य से परिचित हो तथा उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक चेतना आ सके।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि-भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति की भूमिका प्राचीनकाल से ही निर्णायक रही है और आज भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और उसका स्थान काफी हद तक जाति पर निर्भर करता है। प्राचीन जातीय सामाजिक व्यवस्था की ही तरह आधुनिक युग में भी कुछ जातियों को प्रतिष्ठा एवं विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जबकि कुछ जातियों को तिरस्कार की

दृष्टि से देखा जाता है, आज जो सामाजिक व्यवस्था हमारे सामने है मूलतः वह वर्ण-व्यवस्था का ही विकृत स्वरूप है, प्रारम्भिक वैदिक काल में वर्ण-व्यवस्था पर आधारित समाज में मुख्य रूप से चार वर्ण-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। इनके अपने-अपने व्यवसाय थे, वैदिक काल में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जन्म-निर्धारित नहीं था जन्म पर आधारित जाति प्रथा का प्रारम्भ वैदिकोत्तर काल में माना जाता है। धीरे-धीरे समाज में यह विश्वास गहरा होता गया कि जाति प्रथा ईश्वरीय देन है बाद में वर्ण-व्यवस्था के ही परिणामस्वरूप भारतीय समाज हजारों जातियों और उपजातियों में बँट गया।

जाति की कठोरता और जटिलता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई दूसरों को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाली भारतीय सभ्यता स्वयं अपनी सामाजिक रूग्णता के कारण विकृत होने लगी समाज में निम्न जातियों को अछूत कहा जाने लगा और उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाने लगा। परिणामस्वरूप अनेक व्यवसायों में उनका प्रवेश लगभग असम्भव हो गया। उन्हें अपनी आजीविका के लिए समाज की उच्च जातियों की दया-दृष्टि पर निर्भर रहना पड़ा। इन सबके कारण वे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ गए उनकी दशा अत्यन्त दयनीय बन गई उनकी यह दरिद्रावस्था स्वतन्त्रोत्तर काल में भी सुधार नहीं सकी स्वतन्त्रता के बाद भी निम्न और पिछड़ी जातियों के लोग नारकीय जीवन व्यतीत करने पर विवश रहे हैं।

जब भारत सरकार ने 1957 में अनुसूचित जातियों की प्रथम सरकारी सूची जारी की तो उसमें ऐसी 1100 जातियों का उल्लेख था बाद में पिछड़ी जातियों पर नियुक्त मण्डल आयोग ने 3743 जातियों को पिछड़ी जातियों में आकलित किया।

सामाजिक न्याय की अवधारणा-स्वतन्त्रता सामाजिक न्याय का यद्यपि एक आवश्यक व महत्वपूर्ण तत्व है। तथापि अधिक निश्चित अर्थ में सामाजिक न्याय से आशय आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में समानता की स्थापना है। स्वतन्त्रता कतिपय बुनियादी अधिकारों की कल्पना करती है जो व्यक्ति के नैसर्गिक विकास के लिए जरूरी है, किन्तु अधिकारों का शायद ही कोई अर्थ है यदि समाज की रचना असमानता के

पी.एच.डी., राजनीति विज्ञान विभाग,  
पटना विश्वविद्यालय, पटना

सिद्धान्त पर हुई हो। एक न्यायपूर्ण व्यवस्था वह है जो जितनी अधिक विषमता होती है अन्याय व शोषण की सम्भावना भी उतनी ही अधिक होती है।

संविधान एवं सामाजिक न्याय-भारतीय संविधान के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सामाजिक न्याय उसकी आत्मा है, संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय को मूल उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान का उद्देश्य अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता का विकास करना है। भारत में आरक्षण नीति की अवधारणा-आरक्षण नागरिक भेदभाव की नीति का एक अंग है, इसका उद्देश्य नियोग्यता, वंचित एवं पीड़ित लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना है। इसमें सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों को सार्वजनिक महत्व क कतिपय क्षेत्रों में सामान्य प्रतिस्पर्धा से पृथक् कुछ स्थान आरक्षित किया जाता है। साथ ही उनके लिए सफलता के अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा के नियमों में कुछ शिथिलता भी बरती जाती है।

सम्प्रभु भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में जहाँ इसका प्रावधान है। यह कमोवेश विवाद का विषय बना हुआ है, सामान्य नागरिकों से लेकर राजनेता और बुद्धिजीवी वर्गों तक के लोग इस प्रश्न पर दो खेमों में बँटे हुए हैं, एक आरक्षण समर्थक है और दूसरा

आरक्षण विरोधी हैं। एक आरक्षण के पक्ष में तकरीर करता है। जबकि दूसरा उसकी खिलाफत करता है। वस्तुतः दोनों पक्षों में मतान्तर और विवाद सामाजिक न्याय के प्रश्न पर नहीं है, अपितु सामाजिक न्याय के सन्दर्भ में आरक्षण के औचित्य को लेकर है, सच पूछा जाए तो विवाद आरक्षण के औचित्य के प्रश्न पर भी उतना नहीं है जितना कि आरक्षण की पात्रता सीमा और अवधि को लेकर है।

इतिहास बताता है कि जैसे भी आरक्षण कमजोर वर्गों को अनायास नहीं मिला करते। मनुष्य के विकास क्रम में समर्थों के हक में समाज की सारी सम्पदा, सारे अवसर और सारी सम्भावनाएं आरक्षित हुआ करती थीं। शेष सभी वंचित होते ज्यों-ज्यों बदलते सामाजिक -आर्थिक -राजनीतिक परिवेश में किसी अन्य वर्ग का दखल अनिवार्य होता गया उसे भी आरक्षणों में कुछ-न-कुछ मुनासिब टुकड़ा मिल गया स्वतन्त्रता के बाद दलित वर्गों को सरकारी नौकरियों तथा विधानमण्डलों में मिला आरक्षण यही रेखांकित करता है, इन आरक्षणों ने बराबरी के समाज के लिए एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है पर अब वह जैसे विकास के उत्प्रेरक के रूप में एक डेड एण्ड पर पहुँचने जा रहा है दरअसल इन आरक्षणों से फायदा उठाने वालों की अपनी स्वतन्त्रता वर्ग दृष्टि भी बनी है।

भारत में स्वतन्त्रता के बाद पिछड़े वर्गों (अ. जा./अ. ज. जा./अ. पि. व.) के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए आरक्षण सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान तथा सेवा सुरक्षा की व्यवस्था-भारत के संविधान द्वारा सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय और प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता दी गई है।

राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत, अनुच्छेद-46 में, यह व्यवस्था की गई है कि-“राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के विशेष रूप से, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी में अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।”

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संविधान में उपेक्षित, कमजोर व असुरक्षित वर्गों का सम्पूर्ण विकास सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सेवा सम्बन्धी सुरक्षा तथा चुनींदा संरक्षणात्मक उपायों की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में समाज के अन्य वर्गों के बराबर लाया जा सके।

आरक्षण से राष्ट्र दुर्बल होने के बजाय मजबूत ही होगा-प्रतिभा दो तरह की होती हैं-एक नैसर्गिक, और दूसरी स्वप्रयास से विकसित पहली श्रेणी की प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त होती है जो सवर्ण और पिछड़ा दोनों में से किसी के भी पास हो सकती है। लेकिन स्वप्रयास से विकसित प्रतिभा अवसर मिलने पर ही विकसित होती है। अवसर पर किसी खास वर्ग का एकाधिकार होना भी देश और समाज की सेहत के लिए ठीक नहीं है। जैसे भी दलित, कमजोर और पिछड़ा वर्ग के लोग भारतीय वर्ण व्यवस्था के तहत सदियों से शोषित रहे हैं अतः उनको आरक्षण देकर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है तो कोई अन्याय नहीं होगा और देश कमजोर होने के बजाय मजबूत ही होगा।

आरक्षण के प्रावधान को आगे बढ़ाने के लिए जोर देती रहती है जबकि अन्य

जातियों आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए जोर देती रहती हैं भारत में जातिगत दबाव समूह अपने स्वार्थों तथा हितों की पूर्ति के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करते रहते हैं। उदाहरण- तमिलनाडु में नडार जाति संघ, गुजरात में क्षेत्रिय महासंघ, बिहार में कायस्थ सभा आदि सामान्य रूप से भारत में

पंचायत विधान मण्डल, संसद सभी चुनावों में जाति गत समीकरण अहम भूमिका निभाता है।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- (1) रोज ऑफ कॉन्फिडेंस एमांग द वर्किंग वुमेन - पुष्पा सिन्हा।
- (2) द चेंजिंग पोजीशन ऑफ इंडियन वुमेन - एम. एन. श्रीनिवास।

- (3) रिजर्वेशन एज ए स्ट्रेडजी फोर पॉलिटिक्स एम्पावरमेंट - रचना सुचिनमयी।
- (4) वीमेन वेलफेयर एण्ड डेवलपमेंट - डी. चौधरी।
- (5) रोल ऑफ वुमेन इन पंचायती राज दि एडमिनिस्ट्रेटर, Vol XLII।
- (6) सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग - जून - 2008 तथा मई -2008।
- (7) कुरुक्षेत्र मई, 2007 व अगस्त 2008।



# वैश्वीकरण तथा उदारीकरण का महिलाओं पर प्रभाव

संजय कुमार चौधरी

नारीवादी सिंथिया एनलो वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के समर्थकों से पूछा कि तुम्हारी व्यवस्था (वैश्वीकरण) में “औरतें कहाँ हैं?” वैश्विक वित्तीय पूँजी के समर्थकों ने इस छोटे से सवाल का लंबा उत्तर दिया। नयी विश्व अर्थव्यवस्था ने उन्हें सबसे ज्यादा रोजगार दिया है, साथ ही वे फिल्मों में, मॉडलिंग में, टी वी सीरियलों में, पॉप संगीत में, विज्ञापनों में और सौंदर्य प्रतियोगिताओं में छापी हुई हैं। वे धीरे-धीरे शासन में ऊँचे पदों पर पहुँचती जा रही हैं और बहुराष्ट्रीय निगमों के बीच उनकी प्रबंधन क्षमता का इस्तेमाल करने की होड़ मची हुई है। इस जबाब का अर्थ यह है कि वैश्वीकरण तथा उदासीकरण ने औरत को पावर वूमन (power women) बना दिया है। यह सब करने के लिए उसे किसी नारीवादी गोलबंदी अथवा सिद्धांतशास्त्र की जरूरत भी नहीं पड़ी। केवल बाजार, पूँजी और संचार-क्रांति की ताकत के दम पर औरत की दुनिया बदल गयी है। वैश्वीकरण ने दावा किया कि अब पहले से कहीं ज्यादा औरतें अपने लैंगिक हित को ध्यान में रखकर वोट डालती हैं और राजनीति में सीधी भागीदारी करती हैं। अब पहले से कहीं ज्यादा औरतों के पास अपनी निजी आमदनी का स्रोत है और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं। सौंदर्य-उद्योग और पॉप संस्कृति के जरिये उन्होंने अपनी यौनिकता का दोतरफा इस्तेमाल किया है, अर्थात् ख्याति और धन कमाने के साथ-साथ उन्होंने पुरुष को चमत्कृत कर दिया है। वास्तव में वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ “समस्पीकरण (Homogenisation) तथा विभेदीकरण (Differentiation) की परस्पर विरोधी प्रक्रियाएँ साथ-साथ चलती हैं अर्थात् स्थानीयतावाद (Localism) तथा भूमंडलवाद (Globalism) में एक जटिल

अंतःक्रिया होती है किन्तु अन्ततः समस्पीकरण का वर्चस्व स्थापित होता है। इससे विविधता को धक्का लगता है क्योंकि भूमंडलीकरण एक प्रकार का “भूमंडीकरण (World Marketisation) है जहाँ विभिन्न क्षमताओं और अक्षमताओं वाले देशों को प्रतिस्पर्धा के मैदान में खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है। बड़े औद्योगिक/विकसित पूँजीवादी देश अपनी पूँजी, प्रौद्योगिकी तथा कृटिल व्यापारिक नीतियों के कारण छोटे देशों की आशाओं और आकांक्षाओं को रौंद देते हैं ठीक उसी तरह जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। विकसित देश खुद अपने देश के किसानों को भारी मात्रा/अनुपात में अनुदान (Subsidy) देते हैं किन्तु विकासशील देशों को अनुदान समाप्त करने अथवा अधिक से अधिक घटाने के लिए दबाव देते हैं। वे दूसरों से बहुत सारे उत्पाद एंडी-डम्पिंग कानून लागू करके नहीं लेते जबकि अपने उत्पाद दूसरे देशों में निर्यात करने के लिए दबाव डालते हैं। भूमंडलीकरण की दो जुड़वा बहनें उदारीकरण और निजीकरण हैं। उदारीकरण की मान्यता है कि राज्य एक सुविधादाता (Facilitator) की भूमिका निभाए और कोई आर्थिक योजना नहीं बनाये बल्कि बाजार की शक्तियों के भरोसे नागरिकों को छोड़ दे, 24 जुलाई, 1991 के बाद भारत करीब-करीब नागरिकों को बाजार के भावियों के भरोसे ही छोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप मंहगाई-भ्रष्टाचार-गरीबी जैसे समस्याओं के विविध आयाम उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा निजीकरण की मान्यता है कि राज्य सार्वजनिक क्षेत्र (public sector) इकाइयाँ स्वयं नहीं चलाये, उन्हें निजी निगमों/पूँजीपतियों को सौंप दें और उन पर व्यापारिक विनियमन आदि लागू न करे जिससे स्वतंत्र रूप से उनका विकास होता रहे। वैश्वीकरण, उदारीकरण, तथा निजीकरण जैसी विकास नीतियों का महिलाओं पर कुप्रभाव अधिक पड़ा। वैश्वीकरण के महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने वाली जान जिंजी पेटमेन का निष्कर्ष है-

(क) बाजारवाद और उपभोक्तावाद का कुप्रभाव स्त्री की देह अस्मिता और व्यक्तित्व पर भी काफी पड़ा। स्त्री की देह को खुला और बिकाऊ बनाया गया। मुक्त बाजार में बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने स्त्रियों के सौन्दर्य एवं श्रृंगार के बहुतेरे साधनों

शोधार्थी, गाँधी विचार विभाग, राजनीतिशास्त्र विभाग,  
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

के उत्पादन एवं खपत का नया उप-बाजार तैयार किया। इसके लिए पत्र-पत्रिकाओं, इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों आदि के माध्यम से आक्रामक विज्ञापन दिया गया जिसने स्त्रियों में सौंदर्य की ललक एवं भूख पैदा की, पुरुषों में स्त्री देह का उपयोग करने की चाह पैदा की तथा स्थानीय से लेकर विश्व स्तर पर सौंदर्य प्रतियोगिताओं, फैशन प्रतियोगिताओं आदि का जाल बिछा दिया गया जिससे अधिकतर लोग चमत्कृत एवं वशीभूत हो गये। जिसके परिणामस्वरूप आज मुहल्ले-टोले, ब्लॉक, जिला, कमिश्नरी, प्रान्तीय, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। लड़कियों के कई विद्यालय / महाविद्यालय शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्यों में सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित करना भी मानने लगे हैं। लड़कियों की इसमें भागीदारी काफी होने से वे प्रत्येक विषय/संकाय/स्तर के लिए 'मिस' चुन रही हैं जैसे-मिस हिस्ट्री, मिस साइन्स, मिस एम. ए., मिस बी. ए. आदि। इसलिए प्रत्येक शहर की गली / नुक्कड़ पर नये-नये 'ब्यूटी पार्लर' खुल रहे हैं, यहाँ तक कि छोटे-छोटे कस्बों, चौक-चौराहों पर भी 'ब्यूटी पार्लर' खुल गये हैं जिनमें लड़कियों और विशेषकर विवाह रचानेवाली महिलाओं को सजाया, सँवारा और सुन्दर बनाया जाता है। इसलिए कई महिला महाविद्यालय ने ब्यूटीशियन का कोर्स खोल दिया है और अनेकों लड़कियाँ कुछ महीनों में सौंदर्य विशेषज्ञ बन जा रही हैं। मगर बाजार की जीभ हमेशा धनरूपी रक्त पीने के लिए लपलपाती रहती है, इसलिए कुछ रसायन, पाउडर, काजल आदि लगाने से भी जिन लड़कियों को संतोष नहीं होता (अथवा जिन भावी पतियों और उनके

परिवारों की माँग पर ऐसा करना जरूरी होता है), वे दो कदम आगे बढ़कर 'कास्मेटिक सर्जरी' (सौंदर्य चीड़फाड़) करवाती हैं जिससे नाक, गाल, मुँह, होंठ, टुडडी आदि सुडौल एवं आकर्षक बन जाएँ। जिन लड़कियों के दाँत कुछ बड़े होते हैं, या टेढ़े-मेढ़े होते हैं, उन्हें दन्त सर्जन से क्लिप आदि के सहारे ठीक करा लिया जाता है।

(ख) इतना ही नहीं, आर्थिक तंगी के कारण महिलाओं के बीच देह-व्यापार एवं वेश्यावृत्ति की प्रवृत्ति बढ़ी है। देह को हथियार बनाकर पैसा कमाना नया उद्योग है और यौन-उद्योग प्रायः सभी देशों में अबोध गति से फल-फूल रहा है। दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों-थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपाइन्स, इन्डोनेशिया आदि में 'यौन पर्यटन' (Sex tourism) सबसे ज्यादा लाभप्रद उद्योग है जहाँ मालिश करने के लिए लड़कियाँ उपलब्ध होती हैं और वे निर्धारित शुल्क अदा किये जाने पर यौन-सुख के लिए सहर्ष उपलब्ध होती हैं, कुछ देश कर्ज के बोझ से दबे होने के कारण अपने यहाँ की महिलाओं को यौन उद्योग के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अमेरिका तथा अन्य विकसित देशों के बहुत सारे पर्यटक, विशेषकर सेना के जवान / अधिकारी अपनी यौन-भूख को शान्त करने जाते हैं। यह तो कुछ हद तक स्त्रियों की सहमति (या आर्थिक तंगी के कारण विवशता) से किया जाने वाला कार्य माना जाता है मगर दूसरी ओर विभिन्न अपराधी गिरोहों द्वारा स्त्रियों का व्यापार भी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के अनुसार, 1998 में चालीस लाख स्त्रियों का निर्यात हुआ जिसमें अपराधी गिरोहों ने सात अरब डॉलर कमाया। जापान जैसे औद्योगिक देश में

भी यौन-उद्योग से 4.2 अरब ऐन (जापानी मुद्रा) की कमाई प्रतिवर्ष होती है। पोलैंड पुलिस मानती है कि एक पोलिश स्त्री के निर्यात पर सात सौ डॉलर का लाभ होता है। नेपाल से प्रतिवर्ष हजारों स्त्रियों का निर्यात अन्य देशों में होता है। एक अनुमान के अनुसार दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया में करीब दस-लाख लड़कियाँ (जिनकी उम्र 16 वर्ष से कम है) विभिन्न वेश्यालयों में काम करती हैं। बहुत सारी लड़कियाँ (जो प्रायः मध्यम या उच्च वर्ग की होती हैं) काल गर्ल (Call girl) के रूप में काम करती हैं जिनके ग्राहक अमीर लोग होते हैं, जिनके मिलन-स्थल बड़े-बड़े होटल/वार/रिसोर्ट आदि होते हैं और जिनका शुल्क प्रति मिलन हजारों रुपये/डॉलर होता है। ये भले आर्थिक विवशता की शिकार न हों, मगर सौंदर्य प्रतियोगिताओं, फैशन प्रतियोगिताओं, विभिन्न प्रकार के नग्न/अर्धनग्न विज्ञापनों तथा फिल्मों आदि के प्रभाव से स्वच्छन्द यौन की हिमायती होती हैं तथा उपभोक्तावादी असीमित महत्वाकांक्षा, लालसा एवं खर्च करने की शक्ति बढ़ाने की सोच के कारण ऐसा करती हैं। ऐसा पाया गया है कि बंगलादेश, नेपाल, चीन, कम्बोडिया, भारत, लाओ, म्याँमार (बर्मा), पाकिस्तान, श्रीलंका आदि से बड़ी संख्या में महिलाओं को भगाकर कम्बोडिया, थाईलैंड, इन्डोनेशिया, फिलीपाइन्स, वियतनाम, उत्तरी अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जापान आदि ले जाया जाता है। यह भूमंडलीकरण और उदारिकरण का ही प्रभाव है कि जिन्हें पहले समाज 'वेश्या' कहकर सामाजिक प्रतिबन्ध लगाता था, आज उन्हें 'यौन कर्मी' (Sex worker) कहकर 'सामाजिक स्वीकृति' देता है-यह कितनी बड़ी त्रासदी है।

(ग) भूमंडलीकरण / उदारीकरण एवं निजीकरण के प्रभाव के कारण विभिन्न देशों के सरकारी अस्पतालों में न्यूनतम शुल्क बढ़ा दिया गया, निःशुल्क दवाएँ वितरित करना बन्द कर दिया गया, विशिष्टता वाली जाँचें बन्द कर दी गईं, प्रसव आदि की सुविधाएँ घटा दी गईं जिसका कुप्रभाव निम्न वर्ग की महिलाओं पर पड़ा क्योंकि वे निजी अस्पतालों/क्लीनिकों का ज्यादा शुल्क वहन करने में असमर्थ रहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप उनका तथा उनके परिवार का स्वास्थ्य 'उपयोग शुल्क' (User fee) के कारण प्रभावित हुआ। पहले से ही ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं, शुल्क बढ़ा देने से कोढ़ में खाज हो गया। फलतः प्रशिक्षित दाईयों के हाथ प्रसव कराने की विवशता बढ़ गई जिसमें जच्चा-बच्चा दोनों की जान को खतरा होता है। विकासशील देशों की महिलाएँ इससे प्रभावित हुईं क्योंकि एलोपैथिक चिकित्सा तक पहुँच नहीं होने से स्त्री की घरेलू चिकित्सा का जुगाड़ करती है।

(घ) इसी प्रकार सरकारी शिक्षण संस्थाओं में भी शुल्क बढ़ा दिये गये जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। पहले से ही बालिकाओं की शिक्षा अपेक्षाकृत कम रही है, आर्थिक बोझ के बढ़ने से उसकी सबसे पहली शिकार बालिका होती है जिसकी पढ़ाई छुड़ा दी जाती है। किन्तु यह प्रक्रिया अत्यन्त जटिल है, भूमंडलीकरण की प्रमुख पैरवीकार वैश्विक संस्था विश्व बैंक यह भी चाहती है कि उसके दामन पर दाग भी न लगे, बालिका की शिक्षा प्रभावित होने से उसकी बदनामी न हो, इसलिए वह वैकल्पिक शिक्षा

(Alternative education), बहुकक्षीय शिक्षण (Multigrade teaching), शिक्षा मित्र (Para teachers) आदि की हिमायत करता है। इसमें गुणवत्ता पर जोर नहीं होकर अधिक से अधिक बच्चों के नाम लिखाने पर जोर होता है, जहाँ प्रशिक्षित शिक्षक के स्थान पर अप्रशिक्षित, ठेके पर अनियमित शिक्षक मित्र नियुक्त किये जाते हैं। जहाँ प्रत्येक कक्षा के लिए अलग-अलग शिक्षक के बजाय एक ही शिक्षक सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को भेड़ की तरह बैठाए रखता है-अर्थात् जहाँ सीखने-सिखाने की स्थान पर खानापूर्ति की जाती है। इस प्रकार, गरीब परिवारों की बालिकाएँ शिक्षा से वंचित हो गई हैं क्योंकि सरकारी और निजी विद्यालय उनकी पहुँच के बाहर हैं, अर्थात् ऐसे विद्यालयों के अनेकों लड़के-लड़कियों को शिक्षा की दूनिया से बाहर खदेड़ दिया है। वास्तव में अवसर, पहुँच तथा परिस्थितिजन्य विवशता की शिकार सबसे ज्यादा बालिकाएँ होती हैं।

(ङ) यह भी पाया जाता है कि भूमंडलीकरण के प्रभाव के कारण जैसे-जैसे राजसत्ता अपने कल्याणकारी दायित्वों से मुक्त हो रही है, वैसे-वैसे बाजार ज्यादा निर्मम एवं क्रूर हो रहा है। महँगाई के कारण घर चलाना कठिन होने के कारण महिलाओं (और पुरुषों को भी) अनेकों को अतिरिक्त कार्य अंशकालिक रूप में करना पड़ता है जिसमें अधिक श्रम एवं समय देने के कारण उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। ऐसा भी पाया जाता है कि घर से बाहर काम करने वाली महिलाएँ दैनिक उपयोग की सामग्रियाँ (कच्ची सब्जी आदि) अपने काम के बाद बाजार से खरीदकर रेल/बस यात्रा के दौरान

उन्हें काटती हैं, साफ करती हैं (अथवा स्वेटर आदि बुनती हैं) जिससे घर देर से पहुँचने पर भोजन बनाने का काम तुरंत किया जा सके। फिर भी दैनिक आवश्यकताएँ बाजार के क्रूर नियमों (माँग/पूर्ति) के कारण पूरी नहीं हो पाती- विशेषकर जिन परिवारों में कमाने वाले कम होते हैं, अथवा कमाने वाले पुरुषों की जगह स्त्री ही परिवार की मुखिया होती है, जहाँ भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, जलापूर्ति, बिजली आदि की जरूरतें कल्पना तक ही सीमित रह जाती हैं। जिस प्रकार असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अत्यधिक होने के कारण 'श्रम का स्त्रीकरण' होता है, वैसे ही गरीबों में स्त्रियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होने से 'गरीबी का स्त्रीकरण' (Feminisation of poverty) की प्रक्रिया भी कायम रहती है। पुरुष और स्त्री किसान अनेकों साधनों को महँगाई के कारण नहीं खरीद पाते, स्त्री मजदूरों को पुरुषों से कम मजदूरी मिलती है और कृषि उत्पादों का सही मूल्य उत्पादकों को नहीं मिल पाने से वे हानि उठाते हैं।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भूमंडलीकरण और उदारीकरण के कारण स्त्रियों की स्थिति बदतर हुई है। वैसे इतना स्वीकार किया जा सकता है कि अब जन संचार माध्यमों के प्रचार-प्रसार, शिक्षा के फैलाव तथा खुलेपन के कारण कुछ स्त्री विरोधी कुप्रथाएँ कम हुई हैं मगर भूमंडलीकरण का प्रधानकर्ता बाजार ने मनुष्य जाति को कर्म या वस्तुएँ बना दिया है, ऐसे में पहले से ही हीन दशा वाली स्त्री को सामाजिक सोपानक्रम में और नीचे के पायदान पर ढकेल दिया गया है। अतः उनका सशक्तीकरण एक कोरा नारा मात्र ही रह गया है।

यह भी पाया गया है कि उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण जैसी विकास नीतियों से विकासशील देशों की महिलाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि में नाना प्रकार के नुकसान उठाती हैं और दूसरी ओर मुख्य बाजार तथा उपभोक्तावाद के बढ़ते प्रभाव के कारण वे अपनी देह प्रदर्शित करने और अन्ततः उसे बेचने से भी नहीं चूकतीं जिनमें आर्थिक कारण के साथ-साथ स्वच्छंदता की असीमित विचारधारा भी काफी हद तक जिम्मेवार होती है क्योंकि विभिन्न प्रचार माध्यमों

से उनको मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाता है कि ये देह उनकी है, उस पर किसी सीमा तक जाकर मनोरंजन, प्रदर्शन तथा यौनसुख प्राप्त किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप महिलाओं का सशक्तीकरण एवं स्वच्छंदीकरण हो गया। यदि राष्ट्र-राज्य को मूल दायित्वों मानव कल्याण के लिए वैश्विक संस्थाओं की ओर से पर्याप्त धन, प्रौद्योगिकी, नीति-रणनीति एवं समझदारी का पैकेज दिया गया हो, तो बाजार की क्रूरता कम होती और सारी मानव जाति, विशेषकर

महिलाएँ एवं बच्चे, उससे नाना प्रकार से लाभान्वित होते।

### संदर्भ सूची

1. भारतीय महिलाएँ: दशा एवं दिशा-सुभाष शर्मा
2. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी-गोर्डोन मार्शल
3. रीडिंग्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट-सकीको फुकुदा-पार्ट एवं ए. के. शिव कुमार
4. रोलस एण्ड रिचुअल्स फॉर हिन्दू वीमेन-लूलिमा लेस्ली



# सामान्य किशोरों तथा किशोर अपराधियों में नैतिक मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. मनीषा बासल

प्रस्तुत शोध कार्य का उद्देश्य सामान्य किशोरों तथा किशोर अपराधियों में नैतिक मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन करना है, इस हेतु यह परिकल्पना निर्मित की गई है, कि सामान्य किशोरों तथा किशोर अपराधियों के नैतिक मूल्यों में सार्थक अंतर पाया जायेगा। परिकल्पना के परीक्षण हेतु 50 सामान्य किशोरों तथा किशोर अपराधियों का चयन अप्रसम्भाव्यता प्रतिचयन के अंतर्गत यथांश प्रतिचयन द्वारा किया है। जिनकी आयु (12-18) वर्ष तक की है। चयनित प्रतिदर्श पर नैतिक मूल्य मापनी विद्या भारती प्रकाशन प्रयुक्त की गई है। समूहों के मध्य सार्थकता की जांच के लिए 'टी' परीक्षण के प्रयोग से ज्ञात हुआ है, कि सामान्य किशोरों में किशोर अपराधियों की अपेक्षा नैतिक मूल्य ज्यादा पाये जाते हैं।

## प्रस्तावना

बालक अपने जीवन काल में जिस परिवार, पाठशाला एवं समाज का सदस्य बनता है उस समाज के अपने कुछ विशेष सामाजिक व नैतिक मूल्य एवं आदर्श होते हैं। यदि बालक इन मानकों के अनुरूप अपने आपको न ढाल सका तो उसका व्यवहार विलक्षण होगा और अन्ततोगत्वा वह अपने समाज का एक अनुपयुक्त अंग समझा जाने लगेगा।

नैतिकता से तात्पर्य बालक के चारित्रिक विकास से होता है, जो आयु वृद्धि के साथ एक व्यक्ति प्राप्त करता है तथा अपने नैतिक अधिकारों व कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन पथ पर अग्रसर होता है। हमारे आचरण के सत्व तथा मान्यता को ही नैतिक मूल्य कहना चाहिए। भली-भांति

विकसित नैतिक धारणाओं के द्वारा बालक के भीतर उच्चादर्शों के कारण यह क्षमता विकसित हो जाती है कि वह उचित व अनुचित व्यवहारों का अंतर कर सके। मनुष्य के नैतिक मूल्य उसकी पारिवारिक शिक्षा, सांस्कृतिक पीठिका और जीवनदर्शन के प्रतिफल होते हैं।

थामसन (1965) "बालक के भीतर नैतिक मूल्यों का विकास होने के कारण उसकी समझ में प्रखरता और विश्वास में दृढ़ता आती है।"

हरलॉक (1974) "सामाजिक समूह के नैतिक कोड के अनुरूप व्यवहार है।"

(1) केनेश बी.स्टीन, थियोडोर आर.सारबिन, चू चैन लिन और जेम्स ए कुल्क (1967) ने 100 किशोर अपराधियों तथा गैर अपराधी किशोरों में नैतिक मूल्य विभेदित संरचना तथा अपराधी आचरण एक पूर्वालोकन में पाया कि किशोर अपराधी जरूरी सामाजिक मूल्यों से अनभिज्ञ नहीं हैं, परंतु वे विचलित उपसंस्कृति के मूल्यों के साथ सहसंबंधित हैं।

(2) सेटर फील्ड जा., होजी सी.एम.एस., स्किल ए. एम. (1982) ने 110 किशोरों जो बचपन में (ADDH) ध्यान विकार विकृति से पीड़ित तथा 88 सामान्य किशोरों पर अध्ययन कर पाया कि बाल्यावस्था (ADDH) ध्यान विकार विकृति बाद के अपराधी व्यवहार से धनिष्ठ सहसंबंधित है।

(3) शाने एस.पी. (1984) ने 210 सामान्य किशोरों तथा किशोर अपराधियों पर व्यक्तिगत समायोजन तथा नैतिक मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा दोनों के नैतिक मूल्यों में सार्थक अंतर पाया।

## उद्देश्य

- (1) सामान्य किशोरों तथा किशोर अपराधियों के नैतिक मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- (2) सामान्य किशोरों तथा किशोर अपराधियों के मध्य नैतिक मूल्यों में अंतर का अध्ययन करना।

## परिकल्पना

सामान्य किशोरों तथा किशोर अपराधियों में नैतिक मूल्यों के मध्य सार्थक अंतर पाया जायेगा।

विभागाध्यक्ष ( मनोविज्ञान ),  
हवाबाग महिला महाविद्यालय, जबलपुर ( म.प्र. )

## न्यादर्श

### तालिका क्रमांक- 01

आयु समूह	सामान्य किशोर	किशोर अपराधी	कुल
12-18	25	25	50

### प्रयुक्त परीक्षण

नैतिक मूल्य मापनी - बी.भारती प्रकाशन

### विधि

न्यादर्श में चयनित सामान्य किशोरों तथा किशोर अपराधियों पर नैतिक मूल्य मापनी का प्रशासन व्यक्तिगत रूप से किया गया है। ग्लॉकन के उपरांत 'टी' परीक्षण के माध्यम से सामान्य किशोरों तथा किशोर अपराधियों के नैतिक मूल्यों के मध्य सांख्यिकीय दृष्टिकोण से अंतर की सार्थकता ज्ञात की गई है।

### तालिका क्रमांक - 02

सामान्य किशोरों तथा किशोर अपराधियों में नैतिक मूल्य के परिणाम

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	'टी' मान	सार्थकता
सामान्य किशोर	25	43.76	5.37	6.60	0.01 स्तर पर सार्थक अंतर है।
किशोर अपराधी	25	29.84	8.95		
स्वतंत्रता के अंश - 48		0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु मान			- 2.01
		0.01 स्तर पर सार्थकता हेतु मान			-2.68

### विश्लेषण

प्राप्त परिणामों से स्पष्ट है, कि सामान्य किशोरों तथा किशोर अपराधियों में नैतिक मूल्यों के मध्य सार्थक अंतर पाया गया अतः यहाँ प्रायोगिक परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। सामान्य किशोरों में किशोर अपराधियों की तुलना में

नैतिक मूल्य ज्यादा पाये गये। यह परिणाम शाने एस.पी. (1984) सामान्य किशोरों तथा किशोर अपराधियों के नैतिक मूल्यों में सार्थक अंतर पाया जाता है तथा जोरकोविक ग्रेगरी जे, प्रेंटिस नोर्मन एस. (1974) सामान्य किशोरों तथा किशोर अपराधियों की माताओं के बीच नैतिक चर्चा में महत्वपूर्ण अंतर होता है के अनुरूप पाये गये।

### निष्कर्ष

सामान्य किशोरों तथा किशोर अपराधियों में नैतिक मूल्यों के मध्य सार्थक अंतर है।

### संदर्भ ग्रंथ

1. गुप्ता, एम.एल. यूनीफाइड समाजशास्त्र. साहित्य भवन पब्लिकेशन: आगरा. 1997.
2. हलॉक, बी. एल.जाबेथ. विकास मनोविज्ञान. हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय. दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित: दिल्ली. 1990.
3. जीत, योगेन्द्र. बाल मनोविज्ञान. विनोद पुस्तक मंदिर: आगरा. 1998.
4. वर्मा, डा. प्रीति एवं डा.डी.एन. श्रीवास्तव. बाल मनोविज्ञान. विनोद पुस्तक मंदिर: आगरा. 1999.
5. विष्ट, आमारानी. विशिष्ट बालक. राजकमल प्रकाशन: दिल्ली. 1982.
6. Kenneth B. stein, Theodore R. Sorbine, chen lin chu and James A. kulik. "Adolescent Morality : Its Differentiated Structure And Relation To Delinquent Conduct." Multivariate Behavioral Research. Vol . 2. Issue 1967.
7. Jurkovic Gregory J., Prentice. Norman M. "Dimensions of Moral Interaction And Moral Judgement in Delinquent And Non Delinquent Families." Journal of Counselling And Clinical Psychology. Vol. 42 (2). 1974 Apr.
8. Satterfield JH, Hoppe C.M, Schell A.M. "A Prospective Study of Delinquency in 110 Adolescent Boys with Attention Deficit Disorder And 88 Normal Adolescent Boys." Am J. Psychiatry. 139 (6). 1982 Jun.
9. Forth Survey of Research in Education. Vol (I). 1983-88.



# जनजातीय महिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी अज्ञानताएँ

डॉ. अनीता अरोड़ा

स्वास्थ्य मानव की सबसे बहुमूल्य सम्पत्ति है, जो उसके समस्त व्यवहारों एवं क्रिया-कलापों को प्रभावित करती है और उसके भाग्य की रूपरेखा निर्धारित करती है। यह एक ऐसा सबल आधार है, जिस पर उसकी सारी खुशियाँ निर्भर करती हैं। (पार्क 1974) स्वास्थ्य मानव जीवन को अधिक से अधिक प्रसन्नता, शांति तथा संतुष्टि प्रदान करता है। इसलिए स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन कहा गया है। साधारण अर्थ में स्वास्थ्य का अर्थ बीमारी की अनुपस्थिति माना जाता है पर आधुनिक विचारधारा के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ एक स्वस्थ मन का, एक अच्छे शरीर में, एक भले परिवार में और एक अच्छे परिवेश में रहना है (पार्क 1974). विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार दी है- स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हित की एक स्थिति है, मात्र रोग या दुर्बलता न रहने की नहीं।” इस तरह स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य से भी है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध मस्तिष्क से होता है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करता है। व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव उसके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, वे प्रायः मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। शारीरिक स्वस्थता के कारण व्यक्ति में शारीरिक ऊर्जा पर्याप्त होती है और उनमें कार्य संतोष भी अधिक रहता है। फलस्वरूप उस का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहता है। पौष्टिक भोजन मानव के जीवन की नींव है तथा वह मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक बल का वर्द्धक है। हमारे देश में महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति निम्न है। जहाँ तक जनजातीय महिलाओं की स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति का प्रश्न है, तो उनकी स्थिति सर्वाधिक शोचनीय

है। जनजाति का पर्यायवाची शब्द आदिवासी, वनवासी, वन्यजाति, आदिम जाति है। मजुमदार ने जनजाति को परिभाषित करते हुए कहा है कि आदिवासी परिवारों का एक ऐसा समूह है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, एक सामान्य भाषा बोलते हैं तथा विवाह और व्यवसाय के विषय में कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं। गिलिन और गिलिन के अनुसार जनजाति उन विभिन्न समूहों से बनने वाला एक बड़ा समुदाय है, जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता है, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करता है तथा जिसकी एक सामान्य संस्कृति होती है। इस तरह जनजाति की प्रमुख विशेषताओं में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, विशिष्ट भाषा, संस्कृति, सामाजिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता, विशेष प्रकार की पद्धति, विश्वास इत्यादि सम्मिलित है। जनजातीय महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में गिरावट का कारण उनमें स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी अज्ञानताएँ हैं। अर्थात् सही तथा वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव है।

## प्रतिदर्श

जनजातीय महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी अज्ञानताओं को जानने के लिए प्रतिदर्श के रूप में संधालपरगना के 200 जनजातीय महिलाओं को चार आयु वर्गों से लिया गया। वे आयु वर्ग 15-24, 25-34, 35-44 तथा 45-54 वर्ष हैं। प्रत्येक आयु वर्ग से 50 महिलाएँ ली गयीं। इस तरह प्रतिदर्श के रूप में कुल 200 महिलाएँ ली गयीं।

## उपकरण

स्वास्थ्य तथा पोषण मापनी का व्यवहार प्रतिदर्श पर किया गया। इस मापनी में तीन विभाएँ ली गयी, जो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य तथा आहार एवं पोषण थी। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रकरण में रोग के कारणों, चिकित्सा एवं रोकथाम की वैज्ञानिक जानकारी, मानसिक स्वास्थ्य के प्रकरण में स्वास्थ्य संबंधी मिथ्या धारणाएँ तथा आहार एवं पोषण के प्रकरण में सही आहार एवं पोषण का महत्व, आहार एवं पोषण संबंधी मिथ्या धारणाएँ, खाद्य पदार्थों के पोषक महत्व, भोजन/जल की स्वच्छता, अतिभोजन, कुपोषण, नशा सेवन आदि लिए गए।

स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची

## विश्लेषण एवं परिणाम

प्राप्त प्रदत्तों का प्रतिशत में गणना कर निम्नांकित परिणाम प्राप्त किए गए। शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर जनजातीय महिलाओं को सही जानकारी तथा अनुकूल मनोवृत्ति नहीं है। प्रतिदर्श की 99 प्रतिशत महिलाओं को बीमारी के दौरान दिए जाने वाले आहारों के बारे में अज्ञानता थी। उनमें यह मिथ्या धारणा थी कि रोग के दौरान रोगी को या तो उपवास करना चाहिए या बहुत कम भोजन करना चाहिए। वास्तव में ऐसी धारणा अक्सर या तो रोगी को और अधिक रोगी बना दे सकती है या उसके मृत्यु का कारण बन सकती है। 94 प्रतिशत महिलाओं को यह गलत धारणा थी कि कैंसर रोग छुआछूत से फैलता है। 88 प्रतिशत महिलाओं की यह प्रतिकूल मनोवृत्ति थी कि जीना मरना भगवान के हाथ है, इसलिए मेडिकल चिकित्सा कुछ नहीं कर सकता है। 81 प्रतिशत महिलाओं का विचार है कि जब तक मजबूरी न हो आदमी को अस्पताल से दूर रहना चाहिए। संभवतः यही कारण है कि अधिकांश जनजातीय ग्रामीण महिलाएँ चिकित्सीय सेवा उपलब्ध होने पर भी लाभान्वित नहीं हो पाती। प्रतिदर्श का एक बड़ा अंश (80 प्रतिशत) पूजा-पाठ से ग्रहों की शांति कर देने से बीमारी के ठीक हो जाने पर विश्वास करता है स्पष्ट है कि शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी गलत मनोवृत्तियाँ महिलाओं के स्वस्थ व्यवहार को प्रभावित करती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी मिथ्या धारणाओं को तालिका-1 में दर्शाया गया है।

**तालिका-1: शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी मिथ्या धारणाएँ**

क्र.सं. मिथ्या धारणाएँ	मिथ्या धारणाओं वाले व्यक्तियों का प्रतिशत
1. बीमारी में रोगी को उपवास करना चाहिए, या बहुत कम (हल्का) भोजन करना चाहिए, क्योंकि रोगी को पचाने की 'शक्ति' नहीं रहती।	99%
2. कैंसर रोग छुआछूत से फैलता है।	94%
3. डाक्टरों इलाज कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मरना-जीना भगवान के हाथ है।	88%
4. जब-तक बहुत जरूरी/मजबूरी नहीं हो तब तक आदमी को अस्पताल से दूर रहना चाहिए।	81%
5. पूजा-पाठ से ग्रहों की शांति कर देने से बीमारी टल जाती है।	80%

- |                                                                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6. पहुँचे हुए साधु/महात्मा ऐसी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं, जिनका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते।                                                             | 70% |
| 7. आदमी के सेहत का अच्छा या खराब होना उसके शरीर की बनावट पर निर्भर करता है। यदि बनावट ठीक हो तो उसकी सेहत ठीक रहेगी, चाहे वह सेहत का ख्याल रखे या न रखे। | 66% |

मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक ज्ञान का नितांत अभाव है। तथा अंधविश्वास व्याप्त है। लगभग सभी 94 प्रतिशत महिलाओं का विश्वास है कि पागलपन का कारण वीर्य का नाश है। 93 प्रतिशत महिलाओं की धारणा है कि साधुफकीर तथा जादू-टोना की मदद से पागलपन ठीक किया जा सकता है। 87 प्रतिशत प्रतिदर्श की धारणा है कि भूत-प्रेत से ग्रस्त होना पागलपन है। 84 प्रतिशत महिलाओं की यह गलत मनोवृत्ति है कि औरतों में मासिक धर्म की गड़बड़ी के कारण पागलपन होता है। प्रतिदर्श की 63 प्रतिशत महिलाओं की धारणा है कि पागलों को पवित्र तीर्थस्थानों में ले जाने से उनका पागलपन ठीक हो सकता है। मानसिक रोगों के संबंध में सही जानकारी के अभाव के फलस्वरूप 66 प्रतिशत महिलाएँ मानती हैं कि एक बार जो पागल हो जाय, उसे कभी जिम्मेदारी का कार्य नहीं सौंपा जाना चाहिए। तथा पागल व्यक्ति कभी सामान्य नहीं बन सकता (65 प्रतिशत) ये सभी भ्रामक धारणाएँ हैं जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मिथ्या धारणाओं को तालिका-2 में दिया गया है।

**तालिका-2: मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मिथ्या धारणाएँ**

क्र.सं. मिथ्या धारणाएँ	मिथ्या धारणाओं वाले व्यक्तियों का प्रतिशत
1. धातु/वीर्य का नाश पागलपन का कारण है।	94%
2. साधुफकीर और जादू टोना की मदद से पागलपन ठीक किया जा सकता है।	93%
3. भूत-प्रेत लगने से पागलपन होता है।	87%
4. औरतों के मासिक धर्म में गड़बड़ी के कारण पागलपन होता है।	84%
5. पागलपन के कारण आदमी अपराध (चोरी/बदमाशी) करने लगता है।	74%
6. एक बार जो पागल हो गए हैं, उन्हें कभी जिम्मेदारी का काम नहीं मिलना चाहिए।	66%

7. एक बार जो पागल हो जाता है, वह फिर कभी भी पूरी तरह साधारण आदमी नहीं हो सकता। 65%
8. पागलों को पवित्र तीर्थ स्थानों में ले जाने से उनका रोग दूर हो सकता है। 63%

आहार एवं पोषण के विषय में भी व्यापक अज्ञानताएँ हैं। कई जनजातीय महिलाओं को आहार के पोषक तत्वों, संतुलित भोजन, बाल्यावस्था आहार इत्यादि के विषय में वैज्ञानिक जानकारी का अभाव है। लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं का विश्वास है कि सब्जियाँ छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर पकानी चाहिए, ताकि वह अच्छी तरह पक जाय, जबकि वैज्ञानिक विचार के अनुसार सब्जियों को बड़े टुकड़े में काटने पर उनके पोषक तत्व नष्ट होने से बच जाते हैं। 94 प्रतिशत महिलाओं को हरी सब्जियों तथा दालों के पौष्टिक महत्व की जानकारी नहीं है। उनका मानना है कि भोजन में पेट भरने की दृष्टि से दाल और सब्जी की अपेक्षा भात की मात्र पर्याप्त होनी चाहिए। 92 प्रतिशत महिलाओं को आयु के अनुसार आहार की सही जानकारी नहीं है। उनका मानना है कि भोजन की मात्र आयु के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए और इस तरह एक तीन चार साल के बच्चे को पच्चीस-तीस साल के आयु के व्यक्ति से कम भोजन मिलना चाहिए जबकि आधुनिक विचार के अनुसार बच्चों को खाने की पूरी छूट होनी चाहिए। शराब पीने के मामले में जनजातीय महिलाओं की मनोवृत्ति अनुकूल है। 85 प्रतिशत महिलाएँ मानती हैं कि लोगों के सामने शराब पीना उचित नहीं, किन्तु घर पर शराब पी जा सकती है। इसी तरह 60 प्रतिशत महिलाओं की धरणा है कि व्यक्ति के खाने-पीने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए क्योंकि पेट भरने के लिए व्यक्ति को जीवन में परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। ऐसे लोग खाने-पीने के लिए जीने को सर्वोपरि मानते हैं। आहार एवं पोषण संबंधी गलत धारणाओं को तालिका-3 में दर्शाया गया है।

### तालिका-3: आहार एवं पोषण संबंधी मिथ्या धारणाएँ

क्र.सं. मिथ्या धारणाएँ	मिथ्या धारणाओं वाले व्यक्तियों का प्रतिशत
1. सब्जी/तरकारी को बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में काटना चाहिए जिससे वह ठीक से सीझ/पक जाए।	97%

2. रोज-रोज के भोजन में साग-सब्जी और दाल से भात की मात्र अधिक होना बिल्कुल ठीक है क्योंकि इससे पेट भी भरता है और शरीर भी तन्दुरुस्त रहता है। 94%
3. उम्र के अनुसार खाने की मात्र होनी चाहिए, इसलिए एक तीन चार साल के बच्चे को एक पच्चीस-तीस साल के आदमी की तुलना में कम भोजन मिलना चाहिए। 92%
4. लोगों के सामने शराब पीना अच्छा नहीं लगता, अगर कोई चाहे अपने घर पर शराब पी सकता है। 85%
5. पेट के लिए ही तो जिन्दगी में इतनी परेशानी है, इसलिए खाने-पीने में कोई रोकथाम नहीं होनी चाहिए। 60%

उपर्युक्त परिणामों से स्पष्ट है कि जनजातीय महिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी अनभिज्ञता तथा अज्ञानता विस्तृत रूप में व्याप्त है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी सही वैज्ञानिक जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य शिक्षण देने की समुचित योजना बनायी जाए ताकि लोग अपने-अपने परिवार तथा अपने समुदाय के स्वास्थ्य की खुद देखभाल कर सकने में सक्षम हो सकें। साथ ही सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों से उन्हें अवगत कराकर उनमें स्वस्थ रहने के प्रति जागरूकता पैदा की जाए ताकि उनका स्वास्थ्य स्तर ऊँचा उठ सके। तथा स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के अपने अधिकार को वो प्राप्त कर सकें। यही एकमात्र साधन है-सबों को स्वस्थ कर देने के विश्वव्यापी अभियान में कुछ सार्थक योगदान देकर लक्ष्य प्राप्त करने का।

### संदर्भ सूचि

- गिलिन एण्ड गिलिन कलचरल सोसियोलोजी, पृ. 282. एडिटेड इन जी.के. अग्रवाल (2001) भारतीय सामाजिक संस्थाएँ. साहित्य भवन।
- पार्क, जे.इ. एवं पार्क, के. (1974). टेक्स्टबुल ऑफ प्रीवेन्टीव एण्ड सोशल मेडिसीन. जबलपुर. बनारसीदास भानोट।
- मजुमदार, डी.एन. रेसेस इन कलचर ऑफ इंडिया, पृ. 356.



# बच्चों की 'जिज्ञासा' के कुछ मनो-सामाजिक संघटक

डॉ. भारती राय

## परिचय

जिज्ञासा एक प्रवृत्ति है- कुछ नया करने की, किसी चीज को जानने और परखने की तथा नई या अनजानी हर चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने की। यह शैक्षणिक उपलब्धि में ही सिर्फ अपना योगदान नहीं देती, बल्कि मानसिक विकास और पिछड़ेपन के बारे में सचेत भी करती है। इसे महत्वपूर्ण मानवीय चरित्र या शीलगुण के रूप में पहचाना जाता है जो शिक्षण, समस्या समाधान और रचनात्मक चिंतन में अपना योगदान देती है।

फाउलर (1965) ने जिज्ञासा को 'व्यवहार' के अर्थ में परिभाषित करने का प्रयास किया है, जो जैविक वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। लेकिन वे खुद इससे संतुष्ट नहीं थे। बर्लिन (1963) जिज्ञासा के क्षेत्र के मुख्य जानकार थे। उन्होंने इस पर विस्तृत अध्ययन किया और अपने शोध में आंतरिक और वाह्य कारकों के बीच विभेद पर प्रकाश डाला है। बर्लिन जिज्ञासा को एक ऐसी उत्सुकता की प्रवृत्ति मानते थे, जो व्यक्ति के व्यवहार को समन्वेषी बनाती है।

'जिज्ञासा' का अर्थ होता है- जानने की इच्छा। वह कोई भी चीज, जिसके बारे में व्यक्ति अनभिज्ञ है जानना चाहता है। उसकी यह इच्छा जब बहुत तीव्र हो जाती है और वह उसे जानने हेतु 'प्रयास' करता है तो उसकी यह प्रवृत्ति 'जिज्ञासा' कही जाएगी।

दुनिया के महत्वपूर्ण खोज एवं आविष्कार 'जिज्ञासा' के आधार पर ही किए गए हैं। विद्यालय के बच्चों में जिज्ञासा का यह स्तर बहुत ही ऊँचा पाया जाता है। विद्यालयी बच्चों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के स्तरों से उनकी 'जिज्ञासा' का पता चलता है। भारत में 'जिज्ञासा' पर कुछेक अध्ययन जरूर हुए हैं लेकिन इस पर बहुत कम शोध हुए हैं। शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए व्यक्ति नवीन उत्तेजनाओं के बारे में सर्वदा जिज्ञासु रहता है तथा यह उसमें एक अन्वेषी प्रणोदन उत्पन्न करता रहता है। इस प्रकार 'जिज्ञासा' व्यक्ति में प्रेरणा एवं खोजी व्यवहार उत्पन्न करती है। मॉंटोगोमरी तथा हाल्लो (1953) ने भी इसे प्रमाणित किया है। बर्लिन 1950-53 ने खोजी प्रणोदन के लिए वाचन को प्राथमिकता दिया है। उन्होंने आंतरिक जिज्ञासा और प्रत्यक्ष जिज्ञासा के बीच भी अंतर पाया है। आंतरिक जिज्ञासा व्यस्त वातावरण में चीजों के प्रति अवधान के विस्तार से संबंधित है।

'जिज्ञासा' विद्यालयों में शैक्षिक उपलब्धि से सम्बन्ध रखती है। यह प्रत्यक्ष जिज्ञासा से अधिक आंतरिक जिज्ञासा से जुड़ा हुआ है। 'जिज्ञासा' से जुड़े अनेक शोधों को देखने से पता चलता है कि "आविष्कार या खोज", "सुधार या संशोधन", "परिणाम", "रुचि" और "अवधान या ध्यान" इससे जुड़े हुए शब्द हैं। देश में चल रहे शिक्षा में सुधार के लिए 'सर्व शिक्षा अभियान' जैसे कार्यक्रम 'जिज्ञासा' के अध्ययन के द्वारा बच्चों में 'जिज्ञासा' का स्तर बढ़ा कर काफी हद तक सफल हो सकता है।

शहरों में कम्प्यूटरीकरण एवं उन्नत तकनीक आदि के प्रभाव से बच्चों में नई-नई चीजों को जानने के बारे में इच्छा जागृत होती है। तथा वे इसके लिए प्रयास भी करते हैं। इस तरह 'जिज्ञासा' एवं 'उपलब्धि' एक दूसरे से जुड़े हुए तथा एक दूसरे पर निर्भरशील तत्व हैं।

विश्व में तेजी से बदलती हुई जीवनशैली में गांवों के पिछड़े बच्चों तथा विकास से अछूते लोगों को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है कि उनमें 'जिज्ञासा' की प्रवृत्ति उत्पन्न की जाए। इसके लिए उपयुक्त वातावरण व सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। तभी जाकर विकसित भारत का हमारा सपना साकार हो सकेगा।

पेनी तथा मैक कैन (1964), मिनुचिन (1968) तथा किंग (1968) ने मां तथा मां (1964) द्वारा दी गई 'जिज्ञासा' की परिभाषा से अपनी सहमति जताई है। मां तथा मा (1964) के अनुसार 'जिज्ञासा' को प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के द्वारा पहचाना जा सकता है, जब वे अपने चारों ओर की नई घटनाओं व अनुभवों की नकल करते हैं तथा उनके बारे में अधिक से अधिक जानने की इच्छा रखते हैं।

वातावरण में गतिशील तत्वों या उनके सुधार तथा नई उत्तेजनाओं के प्रति धनात्मक प्रतिक्रिया करता है। वेसविक (1965) ने 'जिज्ञासा' की परिभाषा-अलाभकारी अनुभव के प्रति खुलापन, नवीन अनुभवों को समझने की प्रबल अभिलाषा तथा दुनिया को एक नक्शे में ढालने की क्षमता के रूप में दी है।

Livson (1967) के अनुसार-"Curiosity is a tendency or motive to acquire or transform information under circumstances that offer no immediate adaptive value for such activity". लिवसन की उपर्युक्त परिभाषा 'जिज्ञासा' की एक बहुत ही अच्छी परिभाषा है।

## शोध-साहित्य

'जिज्ञासा' से संबंधित शोध-अध्ययन भारत में बहुत ही कम हुए हैं। थोड़े अध्ययन विदेशों में हुए हैं। मां तथा मां (1964) ने 'जिज्ञासा' को मापने के लिए काफी संख्या में तकनीकों की खोज की। उनके अनुसार 'जिज्ञासा' को प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के द्वारा चार आधार पर पहचाना जा सकता है।

पेनी तथा मैक कैन (1964), मिनुचिन (1968) तथा किंग (1968) ने कुछ मामूली संशोधन के द्वारा मां तथा मां के उपर्युक्त मापनी का प्रयोग किया है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में श्री राजीव कुमार (1989) ने बच्चों की 'जिज्ञासाओं' पर अध्ययन किया और यह पाया कि 'जिज्ञासा' के साथ बुद्धि और विद्यालयी उपलब्धि का घनात्मक सह-संबंध होता है। इन्होंने 'जिज्ञासा' का पता लगाने हेतु एक मापनी का विकास भी किया है।

राम (1988) ने भी 'जिज्ञासा' से संबंधित शोध किया और एक जिज्ञासा प्रश्नावली का निर्माण भी किया। इन्होंने अपने शोध में जिज्ञासा और शैक्षिक उपलब्धि में परस्पर धनात्मक सह-संबंध पाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने उम्र, लिंग तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी 'जिज्ञासा' के साथ धनात्मक सह-संबंध पाया। राय, घोष एवं मित्र (2010) तथा कुमारी (2012) ने अपने अध्ययन में जिज्ञासा तथा शैक्षिक उपलब्धता, लिंग, पारिवारिक वातावरण का धनात्मक सह-संबंध पाया।

## शोध का उद्देश्य

यह अध्ययन करना कि बच्चों की जिज्ञासा उनके बुद्धि स्तर, यौन तथा प्रजाति से निर्धारित होती है या नहीं।

## शोध अध्ययन का महत्व

प्रस्तुत शोध अध्ययन निम्नांकित रूप से महत्वपूर्ण है-

बच्चों में 'जिज्ञासा' के अध्ययन द्वारा विद्यालय में स्थगन एवं छीजन की समस्या का समाधान किया जा सकता है। ऐसे अध्ययनों द्वारा शैक्षणिक उपलब्धि

के स्तर को ठीक करने में मदद मिल सकती है, परीक्षा परिणाम के प्रतिशत में वृद्धि हेतु सहयोग प्राप्त किया जा सकता है तथा शिक्षा देने के उचित तरीकों की खोज की जा सकती है।

## पूर्वकल्पना-

### (A) सामान्य प्राक्कल्पना:

- (क) जिज्ञासा का बुद्धि के साथ धनात्मक सह-संबंध होता है। उच्च जिज्ञासा के बच्चों में निम्न जिज्ञासा के बच्चों की अपेक्षा बुद्धि अधिक होती है।
- (ख) जिज्ञासा का लिंग के साथ धनात्मक सह-संबंध होता है। लिंग के अनुसार बच्चों की जिज्ञासा में अंतर होता है।

### (B) विशिष्ट प्राक्कल्पना:

- (क) उच्च और निम्न जिज्ञासा समूह के बच्चों के बुद्धि स्तर में सार्थक अंतर होता है।
- (ख) लड़कों और लड़कियों की जिज्ञासा में अंतर होता है।
- (ग) आदिवासी और गैर-आदिवासी बच्चों की जिज्ञासा में अंतर होता है।

## विधि-

**प्रतिदर्श-** प्रस्तुत शोध हेतु झारखण्ड राज्य के रांची जिले से 400 विद्यालयी छात्रों का चयन कर उन पर अध्ययन किया गया ये बच्चे 10-12 वर्ष के थे।

## शोध उपकरण-

- (क) व्यक्तिगत सूचना प्रश्नावली
- (ख) चिल्डेन क्यूरियोसिटी स्केल (सी. सी.एस.) हिन्दी रूपान्तरण- डॉ. राजीव कुमार (अलीगढ़) द्वारा निर्मित

(ग) समूह बुद्धि परीक्षण (आर.के.टंडन द्वारा निर्मित)

प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त सांख्यिकी प्रविधियां अपनाई गईं जिनमें प्राप्तांकों का माध्य और मानक विचलन निकालना, टी-परीक्षण करना आदि सम्मिलित है।

### विश्लेषण

चार सौ आदिवासी एवं गैर आदिवासी छात्रों पर चिल्ड्रेन क्यूरियोसिटी स्केल को प्रयुक्त किया गया। प्रतिदर्श के प्राप्तांकों के आधार पर तृतीय चतुर्थांश से ऊपर (उच्चतम पच्चीस प्रतिशत) तथा प्रथम चतुर्थांश से नीचे (निम्नतम पच्चीस प्रतिशत) के समूह को क्रमशः उच्च जिज्ञासा समूह एवं निम्न जिज्ञासा समूह की संज्ञा दी गई। इन दोनों ही समूहों में सांख्यिकीय गणना के आधार पर प्रयोज्यों की संख्या 40 तथा 160 निर्धारित हुई।

इन दोनों समूहों पर समूह बुद्धि परीक्षण का व्यवहार किया गया। दोनों समूहों के प्राप्तांकों का वितरण के मध्यमान प्रमाणिक विचलन का तुलनात्मक अध्ययन एवं टी-अनुपात नीचे सारिणी संख्या-1 में वर्णित है।

#### सारिणी संख्या-1:

#### उच्च जिज्ञासा एवं निम्न जिज्ञासा समूह के समूह बुद्धि परीक्षण पर प्राप्तांकों का तुलनात्मक अध्ययन

समूह	संख्या	मध्यमान	प्र.वि.	मध्यमानों टी-अनुपात	सार्थकता का अन्तर
उच्च जिज्ञासा	40	162.26	28.15	59.76	12.90 .01
निम्न जिज्ञासा	160	102.50	16.29		

उपर वर्णित सारिणी-1 में दोनों ही समूहों के बुद्धि परीक्षण प्राप्तांकों के तुलनात्मक विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि उच्च जिज्ञासा समूह के बुद्धिपरीक्षण प्राप्तांकों का मध्यमान 162.28 तथा निम्न जिज्ञासा समूह का मध्यमान 102.5 प्राप्त हुआ है। टी-अनुपात (12.90) .01 स्तर पर सांख्यिकीय रूप से विश्वसनीय है। अतः यह प्राक्कल्पना की उच्च और निम्न जिज्ञासा समूहों के बच्चों के बुद्धि स्तर में विश्वसनीय अन्तर होता है सत्य प्रमाणित हुई।

यह प्राक्कल्पना स्थापित की गयी थी कि लड़कों और लड़कियों की जिज्ञासा में अन्तर होता है। चिल्ड्रेन क्यूरियोसिटी

स्केल, 100 लड़की एवं 100 लड़कों पर व्यवहृत किया गया। इन दोनों समूह के पृथक-पृथक 'जिज्ञासा' प्रश्नावली प्राप्तांकों का मध्यमान, प्रमाणिक विचलन तथा टी अनुपात का तुलनात्मक अध्ययन किया गया जिसे सारिणी-2 पर देखा जा सकता है।

#### सारिणी संख्या-2:

#### लिंग तथा जिज्ञासा प्रश्नावली प्राप्तांकों का तुलनात्मक अध्ययन

समूह	संख्या	मध्यमान	प्र.वि.	मध्यमानों टी-अनुपात	सार्थकता का अन्तर
आदिवासी लड़के	50	112.82	20.67	1.97	0.83 NS
आदिवासी लड़कियाँ	50	110.85	20.22		
गैर-आदिवासी लड़के	50	166.28	28.85	3.73	1.17 NS
गैर-आदिवासी लड़कियाँ	50	162.55	26.24		

NS= Not Significant

यह पाया गया कि आदिवासी लड़कों एवं लड़कियों के मध्यमान के बीच 1.97 एवं गैर-आदिवासी लड़कों तथा लड़कियों के मध्यमान के बीच अन्तर केवल 3.73 है तथा टी अनुपात 0.83 एवं 1.17 है, जो विश्वसनीयता के किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं है।

#### सारिणी संख्या-3रू

#### आदिवासी एवं गैर-आदिवासी समूह का मध्यमान, प्रमाणिक विचलन एवं टी अनुपात

समूह	संख्या	मध्यमान	प्र.वि.	टी-अनुपात	सार्थकता
आदिवासी	100	139.55	23.89	0.86	NS
गैर आदिवासी	100	136.70	23.21		

NS= Not Significant

सारणी संख्या-3 के तुलनात्मक विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि आदिवासी समूह का जिज्ञासा प्राप्तांक 139.55 तथा गैर आदिवासी का 136.79 है। इसका टी अनुपात मात्र .86 है जो विश्वसनीयता के किसी भी स्तर पर सार्थक प्रमाणित नहीं होता है।

## शोध परिणाम

1. बुद्धि का स्तर उच्च जिज्ञासा समूह में निम्न जिज्ञासा समूह की तुलना में श्रेष्ठ हैं।
2. लड़के एवं लड़कियों के बीच जिज्ञासा स्तर में कोई विश्वसनीय अन्तर नहीं है।
3. आदिवासी एवं गैर-आदिवासी समूह में भी जिज्ञासा स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

## References

- Berlyne, D.E. (1950). Novelty and curiosity as determinants of exploratory behaviour, *British Journal of Psychology*, 41,79.
- Berlyne, D.E. (1963). Motivational problems raised by exploratory and epistemic behaviour, In S. Koch(Ed.), McGraw-Hill, 288-364.
- Beswick, D. (1965). Theory and measurement of human curiosity. Unpublished doctoral dissertation,

Harvard University, Cambridge, Mass, 1965.

Fawler, H. (1965). Curiosity and exploratory behaviour, New York, McMilan.

Harlow, H.F. (1953). Motivation as a factor in the acquisitive of new responses. In current theory and research in motivation. Lincoln University of Nebraska Press, PP.24-29.

King, J.B. (1968). Curiosity in young children, unpublished doctoral dissertation. University of Colorado.

Kumar Rajiv, (1989). Children's curiosity, intelligence and scholastic achievement, Ph.D. Thesis (Ed.) Agra University, Agra.

Maw Wallace H. And Maw, E. W. (1964). An exploratory study into the measurement of curiosity in elementary school children. U.S. office of education, Project No.801, University of Delaware, New York.

Minuchine, P. (1968). Processes of curiosity and exploration in pre school disadvantaged children,

Bank State College of Education, New York.

Montgomery, K.C. (1953). Exploratory behaviour as a function of 'similarity' of stimulus situation, *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 46, PP.129-133.

Penny, P.K. and McCann, B. (1964). The children reactive curiosity scale, *Psychological Report*, 15, PP.323-324.

Roy, I.K. (1988). Academic achievement as a function of curiosity. Unpublished Ph.D. Thesis. L.N. Mithila University, Darbhanga.

Kumari, G. (2012). Curiosity among tribal and non-tribal school students. Paper presented in 99<sup>th</sup> Indian Science Congress.

Roy, Ghosh and Mitra, (2010). Children's curiosity in relation to gender place of residence and scholastic achievement. *Journal of Social Development*, 2(2), ISDR.



## लोपः शाकल्यस्य ( पा. 8.3.19 )

डॉ. जयप्रकाश साहु

लोपः शाकल्यस्य (पा. 8.3.19)

अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोर्यवयोर्लोपो वाऽशि परे । इति सूत्रवृत्तिः ।<sup>1</sup>

श्रीनागेशभट्टेन लघुशब्देन्दुशेखरेऽस्य सूत्रस्य व्याख्यानं कुर्वता प्रतिपादितमित्थम् “भोभगो-अघो-अपूर्वस्येत्यशीति चानुवर्तते, तत्रौ कारान्तेष्वोतो गार्ग्यस्येति बाधकमित्याशयेनाह अवर्णपूर्वयोरिति । व्योरित्यनुवृत्तावपि वर्णसमाम्नाये यकारस्य प्राक् पाठात्तत्क्रमेणाह-यवयोरिति । स तस्मा आचष्टे’ इत्यादिभाष्यप्रयोगादत्र रोरित्यस्यासम्बन्धः । इदं सूत्रं लघुप्रत्यनेन न । शाकटायनमते तयोर्विधानेन शाकल्यमते तदभावात् । अवर्णोति किम् ? गौर्यत्र । पदान्तयोः किम् ? हरये” इति<sup>2</sup> ।

**व्याख्यानस्यायं भावः** सूत्रेऽस्मिन् ‘भो भगो अघो अपूर्वस्य योऽशि’ इति सूत्राद् अशीत्यनुवर्तते । ओकारान्तानां ‘ओतो गार्ग्यस्य’ इत्यनेन बाधनात् अवर्ण एव परिशिष्यते । ‘तस्मा आचष्टे’ इति भाष्यप्रयोगे ऐकारस्यायादेशे यकारस्य अनेन लोपस्य कृतत्वात् ‘रोरि’त्यास्यासम्बन्धः प्रतीयते । ‘व्योर्लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य’<sup>3</sup> इति सूत्रेण बोधितयोर्यकारवकारयोस्तु लोपोऽनेन न भवति, शाकटायनमतेन लघुप्रयत्नतरयोस्तयोः शाकल्यमतेन असत्वात् । सूत्रार्थस्तावदेवं भवति तदन्तविधौ अवर्णपूर्वो यो यकारो वकारश्च तदन्तं यत्पदं तदन्त्यस्य लोपोऽशि परे शाकल्यमते भवति । शाकल्यमते लोप इति कथनेन अन्यस्य मते लोपो नेति विकल्पः फलति ।

**निष्कर्षतः** व्याख्यानस्यायायं भावो यद् ‘लोपः शाकल्यस्य’ इति सूत्रे ‘भोभगो अघो अपूर्वस्य’ तथा ‘अशि’ इत्यस्यानुवृत्तिर्भवति । यद्यपि ‘भोभगो अघो.’ एतेषु ओकारांशेषु ‘ओतो गार्ग्यस्य’ इति सूत्रेण बाधत्वादेव श्रीभट्टोजिदीक्षितेन अस्य सूत्रस्य वृत्तौ केवलम् ‘अवर्णपूर्वस्य इति कथितं किन्तु अनुवृत्तिस्तु सम्पूर्णस्य ‘भोभगो’ सूत्रस्यैव भवति । यद्यत्र कथ्यते यदा ‘अपूर्वस्य’ इत्यंशस्यैवात्रावश्यकता न तु सम्पूर्णसूत्रानुवृत्तेः । ‘भो भगो अघो अपूर्वस्य’ इत्यंशस्यानुवृत्तिः ‘हलि सर्वेषाम्’<sup>4</sup> इति सूत्रेऽपेक्षिता अस्ति । अत एव भो भगो इति सूत्राद् अत्र भोभगो अघो अपूर्वस्य तथा ‘अशि’ इत्यंशस्यानुवृत्तिः

क्रियते । यदि एतन्मात्रस्यानुवृत्तिर्नैव गृह्यते तर्हि ‘हलि सर्वेषाम्’ इति सूत्रे ‘भोभगोअघो.’ इत्यस्य मण्डूकानुवृत्तिः सेत्स्यति । अत एव ‘भोभगो.’ सूत्रात् ‘यः’ इत्यंशं परित्यज्य सम्पूर्णसूत्रस्यात्रानुवृत्तिर्भवति । अन्यच्च ‘व्योर्लघुप्रयत्नतरः’<sup>5</sup> सूत्राद् ‘व्यो.’ इति पदस्याप्यत्रानुवृत्तिर्भवति ।

‘व्योः’ इति पदे प्रथमं वकारः तदनन्तरं यकारः प्रोक्तः किन्तु कथं श्रीदीक्षितेन वकारयकारयोः स्थाने यकारवकारयोरिति वृत्तौ लिखितम् ? अस्य प्रश्नस्य समाधानं कर्तुमेव श्रीनागेशभट्टेन लिखितं ‘व्योरित्यनुवृत्तावपि वर्णसमाम्नाये यकारस्य प्राक् पाठात् क्रमेणाह यवयोरिति ।’ अर्थात् वर्णसमाम्नायस्य क्रमानुरोधेनैव श्रीदीक्षितेन यवयोरिति वृत्तौ लिखितम् ।

भोभगो अघो. इति सूत्रे ‘रोः सुपि’<sup>6</sup> इति सूत्रात् ‘रोः’ इति पदस्यानुवृत्तिर्भवति । अत एव तत् सूत्रं भो-आदिशब्दसम्बन्धिनो रोर्वादेशं विदधाति । इत्थं सुस्पष्टतामेति यदस्मिन् सूत्रे ‘अपूर्वस्य’ इत्यंशस्य सम्बन्धः ‘रु’ शब्देनास्ति । अतः सूत्रार्थो भवेत् ‘अवर्णपूर्वको यः ‘रुः’ अस्ति तस्य स्थाने यो यकारः तस्य यकारस्य लोपः स्यात् । नेदं वक्तुं शक्यते यतो हि महाभाष्यकारेण ‘स तस्मा आचष्टे’ इति प्रयोगः कृतः । अत्र ‘तस्मै’ पदघटकैकारस्य ‘आय्’ आदेशं विधाय तस्य ‘य’ कारस्य प्रस्तुतसूत्रेण लोपः क्रियते ।

यदि रुकारस्थानिकस्य यकारस्य लोपः अनेन सूत्रेण भवेत्तर्हि भाष्यप्रयोगासंगतिः स्यात् । अन्यच्च अनेन सूत्रेण वकारलोपोऽपि विधीयते किन्तु वकारस्तु कदापि ‘रु’ इत्यस्य स्थाने नैव भवति । अत एवात्र ‘रोः’ पदस्य सम्बन्धो न भवति ।

सूत्रमिदं लघुप्रयत्ने न प्रवर्तते । यतः शाकटायनमते यवयोर्लघुप्रयत्नतरत्वम् ‘व्योर्लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य’ सूत्रेऽस्मिन् यदि ‘अपूर्वस्य’ ग्रहणं न क्रियते तदा गौरी अत्र = गौर्यत्र इति प्रयोगे पदान्तयकारस्य लोपः प्रसज्येत । इत्थमेव ‘पदान्तयोः’ इति पदाभावे ‘हरये’ विष्णवे इत्याद्युहारणेषु अवर्णपूर्वकानाम् अपदान्तयकारवकाराणां लोपापत्तिः स्यादत एवात्र ‘अपूर्वस्य’ ‘पदान्तयोः’ इत्युपपदग्रहणं सार्थकम् ।

प्रस्तुतसूत्रेऽशि इति सप्तम्यन्तपदस्य फलं प्रदर्शयन्नाह **शेखरकारः** वृक्षव+करोति इति प्रयोगे वकारलोपाभाव एव ‘अश्’ ग्रहणस्य फलमस्ति । करोतेः ककारोऽश् प्रत्याहारे नायाति । अतोऽत्र वकारलोपो न भवति । वृक्षवी पदसाधुत्वं तु यथा वृक्षं वृक्षं वेति वाति वा’ इति विग्रहे वृक्षो पदे वी धातोर्वा धातोर्वा कर्तरि क्विप् प्रत्ययः क्रियते । क्विपः सर्वापहारं लोपं विधाय ‘वृक्षवी’ तथा ‘वृक्षवा’ शब्दो निष्पद्यते । उभाभ्यां शब्दाभ्यां ‘तमाचष्ट’ इत्यर्थे ‘प्रातिपदिकाद् धात्वर्थे’ इति वार्तिकेन णिच् प्रत्ययो भवति तथा इण्टवद्भावं विधाय टिलोपो

भवति, येन उभयत्र 'वृक्षवि' इति रूपं निष्पद्यते। 'वृक्षवि' इति धातुरूपं गृह्णाति। अस्माद् धातोः पुनः कर्त्रर्थे विच् प्रत्ययः क्रियते तथा तत् परे सति णिलोपोऽपि क्रियते। विचः सर्वापहारो भवति। इत्थं 'वृक्षव्' इति रूपं निष्पद्यते। 'वृक्षव्' इत्यस्य 'करोति' इत्यनेन योगे कृते वृक्षव्+करोति इति स्थितौ वकारस्य लोपाभाव एवात्र सूत्रे 'अशि' ग्रहणस्य फलम्। 'अशि' पदाभावे तु अत्र वकारलोपः प्रतिपद्येत। अतोऽशि पदस्यानुवृत्तिरत्र सार्थकतां भजते।

अत्र 'वृक्षवि' इति ण्यन्ताद् धातोर्यो विच् प्रत्ययो विहितः तत्स्थाने क्विप् प्रत्ययः कथञ्चैव क्रियते इति शंकायाः समाधानार्थं श्रीनागेशः कथयति यदत्र यदि क्विप् प्रत्ययः करिष्यते चेत् णिलोपान्तरं 'वृक्षव्' इतिपदस्थस्य वकारस्य 'च्छवोः शुडनुनासिके च' सूत्रेण 'ऊर्' प्रवृत्तो भविष्यति। अत एव क्विप् प्रत्ययं न विधाय विच् प्रत्ययः क्रियते।

विच् प्रत्ययपक्षे शङ्कयमुदेति यत् वृक्षव्+व् इति स्थितौ 'लोपो व्योर्वलि' इति सूत्रेण वकारस्य लोपः कथन्न भवति? एनामेव शङ्का समाधातुं शेखरकारः कथयति यत् वकारलोपे कर्तव्ये टिलोपस्य (धातोः ईकारस्य आकारस्य च लोपः) स्थानिवद्भावो भविष्यति। अत्रेदमपि शङ्कितुं शक्यते यथा विच्निमित्तकवकारस्य लोपे कर्त्तव्ये टिलोपस्य णिलोपस्य वा स्थानिवद्भावचर्चा क्रियते तथैव वृक्षव्+करोति इति। स्थितौ 'लोपः शाकल्यस्य' इति सूत्रेण लोपस्थितौ अपि स्थानिवद्भावो भविष्यति। परिणामतो वकारस्य लोप एव न भविष्यति तदा अस्मिन् सूत्रे 'अशि' पदानुवृत्तेः का आवश्यकता? अस्याः शङ्कायाः समाधानमिदमस्ति 'लोपः शाकल्यस्य' इति सूत्रस्य लोपकार्यं त्रैपादिकम्, त्रैपादिके कार्ये कर्त्तव्ये स्थानिवद्भावो न भवति। यतो हि 'पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्' इति नियमेन तत्र निषेधो भवति। लोपोव्योर्वलि' इति

सापादिकसूत्रमस्ति, अतः स्थानिवद्भावो न भवति। इत्थं विच्-निमित्तकवकारस्य लोपो नैव भवतीति स्पष्टम्।

यदि पुनरपि शङ्क्यते यत् 'न पदान्तः' इति सूत्रेण स्थानिवद्भावस्य निषेधे सति विच् निमित्तक 'लोपो व्योर्वलि' इति सूत्रेण वलोपापत्तिर्दुवारेति। तदा श्रीनागेशभट्टः समादधति अत्र 'न पदान्तः' इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भविष्यति प्रथमं कारणं तावत् णिच् प्रत्ययस्य प्रातिपदिकतो विधानात्। स्थानिवद्भावस्य निषेधस्तत्र भवति यत्र पदस्य चरमावयो विधेयः। एतादृशी स्थितिस्त्वत्र नास्ति।

द्वितीयं कारणम् 'न पदान्त' सूत्रे पदान्तपदे पदेऽन्तः इति सप्तमीसमासः कृत इत्येकं पक्षम्। पक्षेऽस्मिन् स्थानिवद्भावस्य निषेधः तत्रैव भवति यत्र पदे परे परपदस्थोऽजादेशः स्यात्तत्रैव निषेधो भवति।

अत्र तु यं विच्प्रत्ययं मत्वा वकारलोपस्य प्राप्तिः सम्भाव्यते तत् 'विच्' (व) पदमेव नास्ति। अन्यच्चात्र यस्य अजादेशस्य स्थानिवद्भावनिषेधचर्चा क्रियते स अजादेशः परपदस्थोऽपि नास्ति। अत एव श्रीनागेशेन स्पष्टतया प्रोक्तम् "एतेन कनिमित्तको वलोपोऽत्र दुर्वार इत्यपास्तम्। किञ्च स्थानिवत्त्वनिषेधं विनाऽस्य पदान्तत्वा-सिद्ध्यात्र निषेधाप्रवृत्तिः" इति।

हरदत्तमतानुसारेण णिच्प्रत्ययः सुबन्ताद् भवति। विधिशब्दे च विधीयते योऽसौ विधिरिति कर्मसाधनपक्षः। णिलोपे कृते 'वृक्षव्' इत्यंशस्तु स्थानिवत्त्वेन पदमस्त्येव। कर्मसाधनपक्षे स्थानपदस्य अध्याहारं विधाय पदान्तस्य विधिः पदान्तविधिः इत्येतत्प्रकारकसमासः 'न पदान्तः' सूत्रे क्रियते। निष्कर्षतः पदचरमावयव-सम्बन्धिविधौ कर्त्तव्ये स्थानिवद्भावो न भवति। इत्थं कर्मसाधनपक्षे वकारलोपरूप-कार्यं पदचरमावयवस्थानिकम् तत्कर्त्तव्ये स्थानिवद्भावनिषेधाद् वकारलोपः प्रसज्येत।

**श्रीनागेशभट्टः** समाधत्ते यद् यावद् णिलोपस्य स्थानिवद्भावनिषेधो न भविष्यति तावद् वकारे पदान्तत्वं नायास्यति। पुनश्च यावद् पदान्तत्वं नायास्यति तावद् निषेधप्रवृत्तिर्नैव भविष्यति। यतः पदचरमावयवसम्बन्धिविधौ कर्त्तव्ये एव स्थानिवद्भाव निषेधो भवति। अतः निषेधात् पूर्वं वकारे पदान्तत्वज्ञानमावश्यकम्। इत्थं स्थानिवत्त्वनिषेधज्ञाने पदान्तत्वज्ञान-मावश्यकम्। इत्थं स्थानिवत्त्वनिषेधज्ञाने पदान्तत्वज्ञानस्य कारणत्वात् तथा पदान्तत्वज्ञाननिर्णयार्थं स्थानिवत्त्वनिषेध-स्यावश्यकत्वात् अथवा स्थानिवत्त्वनिषेधे सति वकारे पदान्तत्वज्ञानं भविष्यति तथा वकारे पदान्तत्वज्ञाने सति स्थानिवत्त्वस्य अभावात्मकज्ञानत्वात् स्थानिवद्भावनिषेधो भविष्यति।

इत्थम् अन्योन्याश्रयत्वात्<sup>8</sup> तत्र 'वृक्षव् करोति' इत्यत्र 'न पदान्त' सूत्र प्रवृत्तिरेव न भविष्यति। परिणामतः स्थानिवद्भावो भविष्यति येन कर्मसाधनपक्षेऽपि वकारलोपापत्तिर्नैव भविष्यति। इति सर्वं नपदान्तसूत्रभाष्ये स्पष्टम्।

समीक्षणानेन स्पष्टं भवति वृक्षव्+करोति इति प्रयोगे स्थानिवद्भाव-निषेधार्थं 'न पदान्तः' सूत्रस्य प्रवृत्तिर्नैव भवति। अस्यां स्थितौ 'वृक्षव्' इति पदसंज्ञाविधौ यदा टिलोपस्य स्थानिवद्भावो भविष्यति तदा 'वृक्षव्' इत्यंशः पदसंज्ञकं न भविष्यति तथा वकारस्य पदान्तत्वमपि नैव, यदा वकारे पदान्तत्वं नैव भविष्यति तदा 'लोपः शाकल्यस्य' इति सूत्रेण लोपस्य प्राप्तिरेव न भविष्यति। एवं सति सूत्रेऽस्मिन् 'अशि' पदानुवृत्तेः किं प्रयोजनम्? अस्यैवोत्तरं ददाति श्रीनागेशभट्टः 'पूर्वत्रासिद्धीये न स्थानिवत्।' अर्थात् त्रैपादिके कार्ये कर्त्तव्ये सति स्थानिवद्भावो न भवति इति नियमेनात्र स्थानिवद्भाव-निषेधो भविष्यति। परिणामतो-बहिर्भूतवि-भक्तिनिमित्तकपदत्वं 'वृक्षव्' इत्यस्य

भविष्यति। तत्फलस्वरूपेण वकारलोपस्य प्राप्तिर्भवति। इत्थं वकारलोपवारणाय अत्र सूत्रे 'अशि' पदानुवृत्तेर्महती आवश्यकता जागर्ति।

यदि कथ्यते यत् पदसंज्ञा तु त्रैपादिकी। यतो हि सा सपादसप्ताध्यायीस्थेन 'सुमिडन्तं पदम्'<sup>9</sup> इति सूत्रेण विधेयमस्ति। अतः पूर्वोक्तनिषेधप्रवृत्तिर्न भविष्यतीति चेद् उच्यते 'पूर्वत्रासिद्धीये न स्थानिवत्' इत्यनेन चतुर्धा स्थानिवद्भावनिषेधः क्रियते

1. साक्षात्पूर्वत्रासिद्धीयसाधकत्वात्।
2. पदत्वादिना परम्परया पूर्वत्रासिद्धीयस्य प्रतिबन्धकत्वात्।
3. साक्षात् पूर्वत्रासिद्धीयस्य प्रतिबन्धकत्वात्।
4. परम्परया पूर्वत्रासिद्धीयस्य प्रतिबन्धकत्वात्।

चतुर्धापि स्थानिवद्भावनिषेधः पूर्वोक्तनियमेन भवति। एतेषु चतुर्ष्वत्र

परम्परया पूर्वत्रासिद्धीयस्य प्रतिबन्धकः स्थानिवद्भावोऽस्ति। यतो यदा 'अचः परस्मिन्.' इति सूत्रेण टिलोपस्य स्थानिवद्भावो भवति तदा 'वृक्षव्' इत्यस्य पदसंज्ञा नैव भविष्यति तथा वकारस्य पदान्तत्वं न भविष्यति। फलतः तस्य लोपार्थं 'लोपः शाकल्यस्य'<sup>10</sup> इति सूत्रस्य प्राप्तिरपि न भविष्यति। इत्थं स्थानिवद्भाव-पदसंज्ञाप्रतिबन्धनेन त्रैपादिकस्य 'लोपः शाकल्यस्य' इति सूत्रस्य प्रतिबन्धको भवति। अतएव परम्परया पूर्वत्रासिद्धीयस्य प्रतिबन्धकत्वात् अस्यापि निषेधः पूर्वोक्तनियमेन जायते, येन 'वृक्षव्' इत्यस्य पदसंज्ञां विधाय वकारलोपस्य प्राप्तिर्भवति। तद्वारणायत्र (सूत्रे) 'अशि' पदानुवृत्तिः।

'परे तु' इति शब्देन श्रीनागेशभट्टः स्वकीयमतं प्रकाशयति यत् 'न पदान्ता हलोऽणः सन्ति। अर्थात् हलरूपिणोऽणः पदान्ते न भवन्ति। 'वृक्षव्' इत्यस्य वकारः हलस्वरूपकः अण् अस्ति, अनेन पदान्तेन न भाव्यम् अर्थात् 'वृक्षव्' अयं प्रयोग एव

भवति। अन्यच्च 'भो भगो.' सूत्रस्य 'अश्ग्रहणमनर्थकमन्यत्राभावात्' इति वार्तिकाधारेऽपि इदमेव सिद्ध्यति यत् 'वृक्षव्' इति प्रयोगस्य अनभिधानम् अशोऽन्यत्रतन्निमित्तकार्यकारिणोऽभावादिति तदर्थः। लण् सूत्रस्थभाष्यं, हलि सर्वेषाम् इति सूत्रभाष्यम् एकदेशित्वघटितम्।

## संदर्भ सूची

1. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, पृ. 42
2. लघुशब्देन्दुशेखरे, पृ. 324-329
3. अष्टाध्यायी, 8.3.18
4. अष्टाध्यायी, 8.3.22
5. अष्टाध्यायी, 8.3.8
6. अष्टाध्यायी, 8.3.16
7. लघुशब्देन्दुशेखरे, पृ. 272
8. स्थानिवत्त्वनिषेधज्ञाने पदान्तत्वज्ञानं तन्निर्णये च स्थानिवत्त्वाभावज्ञानमित्यन्योन्याश्रयस्तत्राप्रवृत्तौ मानम्। लघुशब्देन्दुशेखरे, पृ. 272
9. अष्टाध्यायी, 1.4.14
10. अष्टाध्यायी, 8.3.19



# वैदिकवाङ्मये औषधिचिन्तनम्

डॉ. राणा प्रताप सिंह

वैदिक चिन्तन समग्र मानवता का वह आध्यात्मिक ज्ञान है, जो प्रत्येक मानवीय सीमा से परे अखण्ड सृष्टि के कल्याण का संकल्प लेता है। जब सृष्टि के प्रारंभ में जगत् स्रष्टा ने पंचमहाभूत तथा उनसे उत्पन्न पदार्थों का निर्माण किया, तभी से प्राणियों के दीर्घायुष्य के साधनों का भी ज्ञान कराया। सूर्य की ऊर्जा, चन्द्रमा की भेषजाधायक गुणवत्ता, वायु का संचरण तथा जल की आप्यायनता ने चिकित्सा-शास्त्र के मौलिक सिद्धान्तों की नींव डाली। समग्र संवत्सर में होने वाली ऋतु की विविधता ने वातिक, पैत्तिक एवं श्लैष्मिक विकारों की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की और उनके नियंत्रण के लिए वस्ति, विरेचन एवं वमन के उपचार का सूत्रपात किया गया। व्यक्ति जब तक दुग्धाहार पर रहा उसे विकार अतिन्यून मात्र में आक्रान्त कर सके। अन्न के प्रयोग एवंजनसंख्या की वृद्धि ने शारीरिक एवं मानसिक रागों की वृद्धि प्रारम्भ कर दी। परिणामवश तत्कालीन ऋषियों को इनके नियंत्रण एवं उपशमन के लिए एक प्रक्रिया विकसित करनी पड़ी और वही कालान्तर में चिकित्सा-पद्धति कहलायी।

औषधिशास्त्र के क्षेत्र में आयुर्वेद भारतीय योगदान है। अथर्ववेद संभवतः मानव सभ्यता के इतिहास में चिकित्सा - सिद्धान्तों के उल्लेख से युक्त प्राचीनतम ग्रन्थ है। इसमें लगभग सात सौ मन्त्र आयुर्वेद से संबंधित हैं।

आयुर्वेद का अर्थ है-आयुरस्मिन् विधते। आयुर्वेदयति। अर्थात् आयुर्वेद आयु का ज्ञान कराती है। आयु को बढ़ाती है। निरूक्त में औषधि को परिभाषित करते हुए कहा गया है-ओषध्य

ओषद्धयन्तीति वा। ओषत्येना धयन्तीति वा। दोषं धयन्तीति वा तासान्मेषा भवति (निरूक्त, दैवतकाण्डम्, 9/27) चरकसंहिता में उल्लेख है -फलैर्वनस्पतिः पुष्पैर्वानस्पत्य फलैरपि। ओषध्यः

असिस्टेंट प्रोफेसर, मधुपुर महाविद्यालय, मधुपुर,  
एस. के. एम. विश्वविद्यालय, दुमका (झारखण्ड)

फलपाकान्ताः प्रतानैर्वीरूधः स्मृताः॥” (चरक संहिता- 1/72)

अर्थात् जिनमें केवल फल दृष्टिगोचर हों उन्हें वनस्पति जिनमें फूल और फल दोनों हों उन्हें वानस्पत्य, जिनका फल पक जाने पर अन्त हो जाये उन्हें औषधि और जो लता के रूप में फैले उन्हें वीरूध कहा जाता है।

वेदों में दीर्घायु-प्राप्ति के लिए प्रार्थना है। ऋग्वेद के शान्त्यध्याय में कहा गया है-

‘देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे’

(1/89/2)

अर्थात् देवता दीर्घकाल तक जीवन के लिए हमारी आयु को बढ़ावें।

‘‘शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा, यत्र नृचक्रा जरसं तनुनाम्।  
पुत्रसो यत्र पितरो भवन्ति, मा नो मधया रीरिषतायुर्गन्तोः॥’’

(1/89/9)

अर्थात् हे देवताओं! आप निश्चय ही सौ वर्षों तक हमारे समीप रहें, क्योंकि इन सौ वर्षों में हमारे शरीर वृद्ध हो जाएंगे। अतः हमारे पुत्र (अपने पुत्र के) पिता हो जाएं या मुझे पौत्र की प्राप्ति हो जाये। बीच में हमारे जीवन नष्ट न होवे। हम पूर्ण आयु और पुत्र पौत्रों का सुख भोगें। और फिर इन सबके लिए औषधि-प्रदान करने की प्रार्थना की गई-

‘‘तन्नो वातो मयोभु वातु भेषजं, तन्माता पृथिवी  
तत्पिता द्यौः।

तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयोभुव - स्तदश्विना शृणुतं  
धिष्ण्या युवम्॥’’

(1/89/4)

अर्थात् वायु हमारे लिए सुखकारक औषधियों को प्रदान करें। सब जगत् की निर्मात्री पृथिवी और वर्षा द्वारा सबका पालन करने वाला द्युलोक भी उन औषधियों को हमें प्रदान करे। सोम रस को निचोड़ने वाले सुखद पत्थर भी हमें औषधि दें। इन औषधियों को धारण करने वाले हे अश्विनी कुमारों! तुम दोनों हमारी प्रार्थना को सुनो।

आयुर्वेदीय चिकित्सा शास्त्र के दृष्टिकोण से अश्विनी कुमारों के चमत्कारी गुणों का वेदों में विस्तृत वर्णन है। इनकी

ख्याति देवताओं के वैद्य के रूप में है। ऋग्वेद के लगभग पचास सूक्तों में इनका वर्णन है। अश्विनी कुमारों के चिकित्सा -कार्य का वर्णन करते हुए ऋग्वेद का कथन है कि -“अश्विनी कुमारों ने वृद्धावस्था से जीर्ण हुए च्यवन तथा वन्दन ऋषि को रसायन का प्रयोग करा कर पुनः युवा बना दिया ।”  
-(1/116/ 10, 1/117/13, 1/119/7)

रुद्र को पहला दैवीय चिकित्सक कहा गया है। अग्नि, वरुण, इन्द्र, मरुत् आदि दैव्य भिषक् कहे गये हैं। परन्तु अश्विनी कुमारों को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए 'देवानां भिषजौ' के रूप में स्वीकृत किया है। इन्द्र द्वारा अपाला के चर्मरोग तथा उसके पिता के खालित्वा रोग का निवारण, अंध परावृज को दृष्टिदान, पंगु श्रोण को गतिदान आदि का वर्णन ऋग्वेद में है। इसमें सूर्य चिकित्सा, जल चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा तथा वायु चिकित्सा के उल्लेख के साथ ही आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धान्त त्रिदोषवाद का भी संकेत प्राप्त है-

*'त्रिधातु शर्म वहतं शुभस्पती'*  
(ऋ. 1/34/6)

*'इन्द्र त्रिधातु शरण'*  
(ऋ. 4/7/28)

शकलयजुर्वेदसंहिता के बारहवें अध्याय के दो मन्त्रों (12/75/89) तथा (12/90/101) में औषधियों का रोगनाशकत्व, औषधियों को खोदने वाले तथा जिनके जिनके लिए औषधियां खोदी गई हैं उन दोनों के लिए उपकारी होना, श्लेष्मा रोग, यक्ष्मा, मुखपाक, क्षत आदि रोगों का नाश करना, स्थान-स्थान पर घोड़े तथा मनुष्यों के शरीर के अंगों, का उल्लेख, कफ रोग, चर्मरोग, कुष्ठ रोग, अंग, भेद आदि रोगों का उल्लेख मिलता है।

तैत्तिरीय संहिता में दृष्टिपात तथा यक्ष्मा, उन्माद के निवारण के मन्त्र आये

हैं। आयुर्वेद का सीधा सम्बन्ध अथर्ववेद से है। सश्रुत ने लिखा है कि-“इह खल्वायुर्वेदमष्टाड्मुपाड्मथर्ववेदस्य।” (सुश्रुतसंहिता)

चरकसंहिता में आयुर्वेद का सम्बन्ध चारो वेदों के साथ वर्णित है परन्तु “अथर्ववेद भद्रिरादेशया” अर्थात् भक्ति शब्द से अथर्ववेद के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होना सिद्ध होता है अथर्ववेद में तो स्थान-स्थान पर रोग, रोग अवयव, रोग प्रतीकार, अमुक-अमुक औषधियों का अमुक-अमुक रोग में उपयोग आदि बहुत से विषय भरे पड़े हैं। जैसे-रोग के विषय में तक्म (ज्वर) का वर्णन तथा उसके भेदों (6-21-1-3) सतत, शारद ग्रैष्म, शीत, वार्षिक, तृतीयक आदि का निदेश (1,25,4/5,2,1-4) सन्धि-स्थान तथा हृदय की पीडादेना (6-14,1-3) ग्रीवा की गण्डमाला (ठवपजतम) के 77 भेद (6-25), परिंश (कटि या जधन प्रदेश) उनूक (रीढ की हड्डी), उष्णिहा (ग्रीवानाडी) तथा शीर्षवेदना अनेक रोगों का वर्णन है। रोग के साथ शारीरिक अवयवों का वर्णन (2,33,1,-7) जैसे-अस्थि, मज्जा, उरू, जिह्वा, कीकस (लोम) आदि। अस्थियों की संख्या 360 बताई गई है।

चरकसंहिता आयुर्वेद का एक प्राचीन ग्रन्थ है। इसके रचनाकार अग्निवेश हैं, जिनका अपर नाम चरक है। इस ग्रन्थ के प्रवक्ता पुनर्वसु आत्रेय हैं। आयुर्वेद के अनुसार 'रोगस्तु दोषवैषम्यम्' अर्थात् वात,पित्त एवं कफ की मात्रा का शरीर में वैषम्य ही रोगों की उत्पत्ति का कारण है। इन दोषों में कुछ लोगों ने 'रक्त' एक चौथा दोष और सम्मिलित कर दिया। तीन प्रारम्भिक दोष त्रिगुण व्यवस्था से गुड़े हुए थे और सदाचार, वासना तथा जडय से उनका सम्बन्ध था। त्रिदोष में सर्वप्रथम वायु पर विचार हुआ। उसमें

भी प्राणवायु, जो जीवन से साक्षात् संबद्ध है, मनीषियों का ध्यान जाना स्वाभाविक था। उसके बाद अपान और व्यान का निर्धारण हुआ-

*“अयं प्राणत्रेधा विहितः  
प्राणोश्चानो व्यान इति।*  
(ऐ. ब्रा. -2/4/29)

बाद में क्रमशः समान और उदान को सम्मिलित किया गया।

इस प्रकार भारतीय चिकित्सा शास्त्र में शारीरिक क्रियाओं की व्यवस्था पंचवायु द्वारा होती थी-

- (1) प्राण - यह हृदय में था। श्वास क्रिया तथा भोजन ग्रहण करना इसका कार्य था।
- (2) अपान -जिसका निवास उदर में था और यह मल सृजन तथा स्खलन का कारण था।
- (3) व्यान -यह एक विच्छिन्न वायु थी जो रक्त एवं सारे शरीर को गति प्रदान करती थी।
- (4) समान-यह पेट की अग्नि को तीव्र करती जिससे भोजन पकता और पचता तथा पचनीय और अपचनीय भागों में उसका विभाजन होता था।
- (5) उदान - जिसका उद्गम कण्ठ से होता और जो वाक् शक्ति को जन्म देती थी।

समान वायु द्वारा पचाया हुआ भोजन रस रूप ग्रहण करता था। वह हृदय तक जाता, वहाँ से यकृत तक पहुँचता, जो उसका सार पदार्थ रक्त बन जाता था। क्रम से रक्त आंशिक रूप में मांस में परिवर्तित होता और यह प्रक्रिया वसा, अस्थि, मज्जा और वीर्य की क्रम शृंखलाओं द्वारा निरन्तर चलती रहती थी। वीर्य यदि उसका स्खलन न किया जाये तो ओज की सृष्टि करता था, जो

हृदय में प्रत्यावर्तित होकर सम्पूर्ण शरीर में वितरित होता था। भोजन से रक्त, वीर्यादि बनने की यह प्रक्रिया तीस दिनों में पूर्ण होती थी, ऐसा विश्वास किया जाता था।

संस्कृत भाषा में जो वनस्पतियों के नाम होते हैं वे उनकी रोगनाशक शक्तियों की भी सूचना देते हैं। 'लिसोड़ा' का नाम है 'कफध्नः'। अर्थात् लिसोड़ा कफ का नाश करता है। 'चक्रबड' का संस्कृत नाम है - 'चक्रमर्दकः'। अर्थात् इसके उपयोग से चक्र या गोल-गोल दाद का नाश होता है। सम्प्रति मधुमेह रोग असाध्य माना जा रहा है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वैदिक मन्त्रों के पाठ और श्रवण से इन्सुलिन नियंत्रित होता है। इसकी औषध भी भारत में मौजूद है जिसका नाम है- 'जलजमनी'। इसकी विशेषता है कि इस लता के पत्तों का रस जल में डालने पर घी की तरह जम जाता है। इसके सेवन से मधुमेह निर्मूल हो जाता है।

ऋग्वेद 4/40/5 में सूर्य के विभिन्न नाम कहे गये हैं। अथर्ववेद में सूर्य के दो अन्य नाम हैं-रोहित और काल। रोहित का अर्थ है प्रातः कालीन उदित सूर्य। इसी के माध्यम से सूर्यचिकित्सा (Sun Therapy) होती है जो चर्मरोग और अर्धसिरोवेदना (Migrain) में विशेष

रूप से लाभदायी है। ऋषि लोग नदी में डुबकी लगाने के बाद शरीर को बिना पोछे सूर्य को जल देते थे। इसका क्या प्रभाव होता है?

The ray of the sun radiates the pore of human body and activates the nervous system. इसीलिए सूर्य को बुद्धि का प्रेरक देवता माना गया है।

आयुर्वेदीय चिकित्सा-पद्धति पर हमारे ऋषियों और आचार्यों ने अपने अनुभव-प्रयोगों के आधार पर विविध ग्रन्थों की रचना की थी। दुर्देवात् अनेक ग्रन्थ या तो काल के थपेड़ों ने नष्ट कर दिये अथवा अज्ञात स्थानों में और पुस्तकालयों के पेष्टनों में बँधे पड़े हैं। ऐसे ग्रन्थों के अस्तित्व का परिचय हमें उपलब्ध-ग्रन्थों या उनकी व्याख्याओं में उनके नामोल्लेख अथवा उद्धरणों से मिलता है। ऐसे दुर्लभ ग्रन्थों के हस्तलेखों का अन्वेषण करके आधुनिक सम्पादन-प्रक्रिया का आश्रय लेकर प्रकाशन करना इस दिशा का प्रथम कार्य होगा। पूर्ववर्ती ग्रन्थों में अप्राप्त उन द्रव्यगुणों, चिकित्सा-विधियों एवं रोगनिदानों पर प्रयोग कराने होंगे, जिनका उल्लेख इन ग्रन्थों में हुआ है। दीर्घायुष्य एवं उत्तम जीवन के लिए शारीरिक

दुःखो एवं ऐहिक दुःखों को दूर किया जाना आवश्यक है। क्योंकि-

“धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलसाधनम्।”

(चरक-सूत्रस्थान, प्रथम अध्याय)

कालिदास भी कहते हैं-“ शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् ।” (कुमारसम्भवम्) अतः हमारे ऋषियों ने उद्गार व्यक्त किये-

“सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत्॥” पुराण, महाभारततात्पर्यनिर्णय, 1, 69. 70

## सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची

1. अथर्ववेद संहिता-अजमेर
2. ऋक् संहिता-सायणभाष्य, पूना
3. चरक संहिता-विद्योतनी टीका, पं. काशीनाथ शास्त्री, वाराणसी
4. The wonder that was India - A.L. Basham
5. आयुर्वेद का प्रामाणिक इतिहास - डॉ. भागवतराम गुप्त, वाराणसी
6. आयुर्वेद का परिचयात्मक इतिहास - वैद्य ताराचन्द्र शर्मा
7. भारत में संस्कृत की अनिवार्यता क्यों?-डॉ. भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी



# कलाओं में सृजनात्मक चिन्तन का अनुशीलन

डॉ. अजय कुमार जैतली

## शोध-सार

सृजन मानवीय प्रवृत्तियों की ऐसी प्रतिक्रिया है, जो प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक, ऐतिहासिक एवं समकालीन परिवेश में हमें विभिन्न रूपों में प्राप्त होती रही हैं। सृजनात्मक चिन्तन पर मनोवैज्ञानिक शोधकार्य पर्याप्त मात्रा में अव्यवस्थित रूप से विद्यमान हैं। इसमें कुछ अत्यधिक सैद्धान्तिक हैं, तथा आनुभविक आँकड़ों से पूर्णतया पृथक होने के कारण बहुत कम सहायक हैं। विज्ञान तर्क विधि के तरीकों का वर्णन करता है, किन्तु वह यह नहीं बताता कि उन मूल संदर्भों को कैसे प्राप्त किया जाय, जो एक प्रदत्त स्थापना को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यह अनुमान की विधियों का वर्णन करता है, किन्तु इसमें मात्र उन प्रयोगों का चयन करने वाले नियम नहीं हैं, जो किसी वैज्ञानिक खोज को प्रदान कर सकते हैं। दरअसल यह सब विज्ञान रूपी तर्कशास्त्र से नहीं, अपितु कला रूपी तर्कशास्त्र से सम्बन्धित हैं। प्रस्तुत शोध पत्र, कला में सृजनात्मक चिन्तन की प्राचीन एवं आधुनिक प्राकल्पनाओं पर एक अनुशीलन है, जिसमें कला-चेतना, निरूपण, स्थितियां तथा प्रक्रिया आदि का अध्ययन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है कि क्या कला, सिद्धान्त एवं विधियों से युक्त रचना से सम्पृक्त होती है, अथवा रचनाकार की आनुभाविक प्रवृत्तियां भाव विशेष जगाने में सहायक होती हैं। क्या कला को विचारों, तथ्यों और प्रतीकों की दृष्टांत सामग्री के रूप में देखा जाए अथवा रचनाकार की स्वायत्त क्रिया के रूप में। दृश्य कलाओं 'रूप' की धारणा का अस्तित्व क्या है? क्या वर्तमान परिदृश्य रचना के गहन में रचनाकारों को प्रभावित कर रहा है? इसमें सृजनात्मक चिन्तन की धारणा, अभिप्राय के अनुशीलन का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है।

रीडर, दृश्य कला विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

## कला में सृजनात्मक चिन्तन : एक अनुशीलन

जीवन की प्रत्येक व्यवस्था, संस्था अथवा संगठन में 'रूप' रहता है, और रूप के साथ, रूप के विधान भी रहते हैं, अर्थात् लय-लोच, सामन्जस्य-संगति-सन्तुलन-संवाद, प्रधान-गुण विधान आदि। 'रूप' में अनुशासन का सार निहित है। कला 'रूप' की सर्जना करती है, अरूप को रूप देती है, अव्यक्त को व्यक्त करती है, और 'रूप' सुन्दर होता है, क्योंकि स्वरों, शब्दों, गतियों, शिलाओं और स्थूल माध्यमों को आत्मसात् करने, पकड़ने में हमारा तन-मन लय-लोच एवं संगति और संतुलन से भर उठता है। यही सुन्दर की अनुभूति है, जिसे कला दर्शन में 'रस' अथवा 'आनन्द' कहा गया है। यह सर्वविदित है कि कला की सभी कृतियाँ 'संयोजन' से सौष्ठव प्राप्त करती हैं। विविध कलाओं में समानरूपेण समादृत इस संयोजन-तत्व को सिद्ध करने वाले साधन 'अनुपात', 'सन्तुलन' एवं 'छंदगति' हैं। स्थापत्य कला और मूर्तिकला को छोड़कर शेष कलाओं में यह 'संतुलन' भौतिक पदार्थों का न होकर प्रधानतः भावनाओं का होता है।<sup>1</sup> आनन्दवर्द्धन की मान्यता थी कि कला का तत्व संयत कौशल या प्रस्तुतिकरण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता में निहित नहीं है और न विधियुक्त रचना में ही है, बल्कि उसकी ध्वनि में अर्थात् हृदय में भाव विशेष जगाने की उसकी क्षमता में निहित है। अभिनव गुप्त के अनुसार-कौशल और छंद किसी कलावस्तु के तर्कसंगत और विधियुक्त यानी बाह्य गुण अर्थात् शरीर है, और उसमें आत्मा का संचार कलाकार की प्रतिभा, सर्जनात्मक शक्ति, दृष्टिकोण और कल्पना से होता है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार-किसी कलाकृति के लिए दो शर्तें अनिवार्य थीं, पहली-कला अवश्य ही कौशल से युक्त हो, दूसरी-कला अवश्य ही छंद से युक्त हो, अर्थात् 'छंदोमय' हो। 'ऐतरेय ब्राह्मण का यह अंश कला को परिभाषित करने वाला सबसे प्रारंभिक प्रयास प्रतीत होता है, जिससे जिसमें 'छंद' का तात्पर्य भारतीय अर्थ में लय, संतुलन, अनुपात और सुसंगति आदि से है। मनुष्य के हाथों से बनी जिन समस्त चीजों में कौशल का उपयोग हुआ वे 'कला' या 'शिल्प' कही जाती थी।

सृजनात्मक चिन्तन के तात्त्विक आधार को समझने के लिए हमें धरोहरों पर चिन्तन करना आवश्यक है। पुरातत्व शास्त्र हमें जो सामग्री उपलब्ध कराता है उनसे एक बात स्वतः स्पष्ट होती है कि देश के लोगों के जीवन में कला की महत्वपूर्ण

भूमिका थी। प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक आदि प्रमाणों में हमें प्रचुरमात्रा में कलात्मक अभिप्राय देखने को मिलते हैं। इसके उद्देश्य परोक्ष या अपरोक्ष जो भी रहे हों, ऐसा लगता है कि लोगों को कला सृजन में एक ऐसी क्रियाशीलता प्राप्त हुई जिससे ऐसी उत्पादक वस्तुएं सामने आईं जो 'रूप' की आवश्यकता पूरी करने का सामर्थ्य रखती थीं। एक ऐसा अनुभव जो व्यक्तिगत या सामूहिक क्रियाकलाप में अनुभूत नहीं था। कला के प्राप्त उपादानों की प्रकृति, स्वरूप तथा प्रेरणाएं अपने मूल रूप में नहीं हैं। इनमें महत्वपूर्ण अन्तर है और यह अंतर उनकी दृश्य अभिव्यक्ति तथा उनके सांस्कृतिक महत्व में भी है। हड़प्पा में प्राप्त सिंधु घाटी की नृत्य मुद्रा में, पुरूष धड़, मोहन जोदड़ों में प्राप्त नृत्य मुद्रा में युवती से रूप और संस्कृति दोनों स्तरों पर भिन्न है। दोनों नारी लघुमूर्तियों और खिलौनों की दृष्टि से उतने ही भिन्न हैं जितने दाढ़ी वाले पुरोहित जैसे पुरूष की पारंपरिक आकृति। किसी भी क्षेत्र में किसी काल की भारतीय कला के सन्दर्भ में यह बात सत्य है क्योंकि उस समय आवश्यकता या उद्देश्य दोनों भिन्न थे, और तत्सम्बन्धी उत्पादन के लिए उत्तरदायी थे।<sup>3</sup>

यह सच है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के कला उत्पादनों की विस्तृत व्याख्या अब तक नहीं हो सकी है, मौर्य पूर्व काल की कलाओं एवं शिल्पों के ठोस प्रमाण हमारे समक्ष नहीं हैं, जिसके आधार पर यह निर्धारित किया जा सके कि कला का स्वरूपगत आधार क्या था। समाज के उच्च एवं निम्न स्तरों पर कला के विविध रूपों के अस्तित्व का वर्णन वैदिक साहित्य तथा प्राचीन ग्रंथों में अवश्य मिलता है। जिस काल में उपनिषद् और वैदिक ऋचाएं लिखी गईं

थी उस समय काव्य, नाट्य और नृत्य कलाओं के विभिन्न रूप प्रचलित थे। भरहुत, सांची, भाजा, काला, अमरावती तथा अन्य स्थानों पर ईसा पूर्व काल के जो भी अवशेष मिले हैं, उनसे यह बात सिद्ध होती है कि मूर्ति, संगीत और नृत्य की कलाएं अत्यन्त लोकप्रिय व प्रचलित रहीं, विशेषकर नृत्य, नाट्य और संगीत की कलाएं रूप और अभिव्यक्ति की दृष्टि से उत्कृष्टता और बहुरूपता के ऐसे उंचे स्तर पर पहुंच चुकी थी, कि उनके उद्देश्यों और प्रयोजनों, रूपों और विधाओं तथा मानव विचारों और भावों पर उनके प्रभाव के सम्बन्ध में विस्तृत विश्लेषण, वर्गीकरण और संहिताकरण किया जाने लगा। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में इसके इन तथ्यों के प्रमाण देखे जा सकते हैं।<sup>4</sup>

ईसवी सन् के प्रारंभ के आसपास काव्य और नाट्य, नृत्य और संगीत, मूर्तिकला और चित्रकला को मात्र कौशल तथा छंद से सृजित रचनाओं से उच्चतर और अधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा। कलाकृतियां हृदय में सुखद भाव और अर्थपूर्ण अनुभूतियां उत्पन्न करती हैं। चिंतनशील, और खोजपरक चिंतन मनोभावों पर असर डालते हैं, यह प्रतिक्रिया केवल शिल्प कौशल एवं छंदयुक्त अभिव्यक्ति से सम्भव नहीं है, इसमें बुद्धि का योग अतिआवश्यक तत्व है। कला कहलाने की अधिकारी किसी कृति के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं कि वह कुशलता पूर्वक और छंदों के नियमों के अनुसार सम्पन्न की गई हो बल्कि उसके लिए यह भी आवश्यक है कि उसमें बुद्धि और विवेक भी शामिल हो, वह संवेदनाओं और मनोभावों को आनंद पहुंचाए और हृदय में कोई भाव एवं अनुपम अनुभूति उत्पन्न करे। प्राकल्पनाएं अनायास प्रस्तुत होती हैं। कभी सहज

रूप में तथा कभी अत्यधिक श्रमसाध्य प्रयत्नों के पश्चात् कोई भी रचनाकार प्रतिक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण नहीं कर सकता मात्र पृष्ठभूमि की विन्यासात्मक प्रवृत्ति हो सकती है।

कलाकार का व्यक्तित्व, जीवन के घटनाक्रम का सूक्ष्म दर्शन होता है। इसी घटनाक्रम में वह कला-बिम्बों का सजीव तत्व प्राप्त करता है। वह तत्वान्वेषी है। कला का एक मात्र उद्देश्य है, अभिव्यक्ति, जिसे कलाकार निश्चित आयाम देता है और अपने तत्वान्वेषी चित्र द्वारा उसके स्वरूप को गढ़ता, संवारता है कलाकार का मूल उद्देश्य है, कलात्मक मौलिक प्रतिभाषा निर्मित करना। यथार्थ विम्ब को ग्रहण कर उसे इस रूप में विकसित करना, कि दर्शक या प्रेक्षक उसके भाव व्यंजित प्रतिभाषित स्वरूप में आत्म विस्मृत हो जाये।<sup>5</sup> रूप और अर्थवत्ता दोनों का सृजन स्थल, कलाकार का मन है। कलाकार की मनः स्थिति को अनुरूप, रूप और अर्थसार (फार्म एण्ड कन्टेन्ट) का भी गठन होता रहता है। सृजन में माध्यम एवं तकनीकी उपकरणों का भी योगदान है। इस प्रकार सर्जक का सम्बन्ध एक ओर रूप और अर्थसार से होता है, दूसरी ओर कला माध्यम और तकनीकी उपकरणों से भी जुड़ा है।<sup>6</sup>

काव्यशास्त्र के प्रणेताओं, विशेषकर आनंदवर्द्धन और अभिनव गुप्त ने, और उनके बाद 'साहित्यदर्पण' और 'उज्ज्वनील मणि' के प्रणेताओं, क्रमशः विश्वनाथ और रूप गोस्वामी ने कला और कलानुभूति को उठाकर दार्शनिक अनुशासन के स्तर तक पहुंचा दिया। आनंदवर्द्धन एवं अभिनव गुप्त का दृष्टिकोण कल्पनाप्रवज और मानवतावादी था। ऐसा इस अर्थ में कि उन्होंने कला या कलानुभूति की प्रकृति को तर्क और

प्रयोग की श्रेणी में रखकर परखने का प्रयास नहीं किया था, और न भट्टलोल्लट और शंकुक या उनके और भी पहले के अपने पूर्ववर्तियों की तरह उनकी यह दलील थी कि कला के गुण या अनुभूति को बुद्धि से जाना जा सकता है।

किंतु जब भट्टनायक और विशेषकर अनंदवर्द्धन एवं अभिनव गुप्त जैसे लेखकों ने काव्य और नाटक की कला पर अपने सुचिंतित विचार स्थापित किए, तो उनके मूल में सर्वश्रेष्ठ संस्कृत काव्य और नाटक की समस्त शास्त्रीय रचना परम्परा के सम्बंध में उनकी कलानुभूति थी। चाहे 'अभिज्ञान शाकुंतलम्' रहा हो या 'मेघदूतम्' उन लेखकों ने अपने अनुभव से पाया कि मात्र रचना कौशल और रूपगत रचना के गुणों के विश्लेषण से ही उन्हें यह कलानुभूति नहीं मिली है, बल्कि किसी और चीज से ही मिली है, वह चीज थी कौशल और विधिसम्मत रचना द्वारा जाग्रत भावात्मक स्थिति। यशोधर का निष्कर्ष भी लगभग ऐसा ही था। यशोधर ने चित्रकला के जिन छः अंगों (नियमों) का चित्रकला के सन्दर्भ में वर्णन किया है उनमें से चार का सम्बद्ध विशुद्ध रूप से विधि विषयक विशेषताओं से अर्थात् कला के शरीर से है; किंतु भाव और लावण्य, इन दो का सम्बन्ध कला की आत्मा से है। यशोधर का जिन कलाओं के बारे में उनका अनुभव था वे थीं सारनाथ एवं मथुरा की मूर्तियां, बाघ और अजंता की चित्रकलाएं, एलोरा और एलिफैंटा की गहरी नक्काशियां। यदि प्राचीन कला 'रूपभेद' (रूपों में अन्तर), 'प्रमाणानि' (अनुपात, संतुलन, लय आदि) 'साद्दृश्यम्' (शब्दिक अर्थ में, रंगों की तरंगे अर्थात् ऊंची और नीची, सतह और गहराई, स्वरक्रम, वर्णक्रम) के आधार पर समझी जा सकती हैं तो

शास्त्रीय कला भी इनके आधार पर समझी जा सकती थी, किन्तु 'अनुभूति', भाव और लावण्य के ही आधार पर हो सकती थी।<sup>7</sup>

भारतीय रस सिद्धान्त के प्रतिपादक आचार्यों के मत के अनुसार कवि, अभिनेता तथा दर्शक का अनुभव समान रूप में होता है (समानानुभव)। रसास्वादन में सहृदय की शारीरिक, मानसिक दशा अभिनेता के समान ही होती है। अभिनेता स्वयं दर्शक में विभावों तथा अपने अनुभावों द्वारा रस का बोध कराता है। इस स्थिति में प्रमाता के हृदय में 'सहृदय तत्व' उत्पन्न होता है, और उसकी मनोगत भावना पूर्णता प्राप्त करती है। इस पूर्णता के पश्चात् सहृदय के चित्र में, प्रतिक्रियाजन्य उदात्त भाव दशा उद्भूत होती है। यही रसानुभव की पूर्णावस्था है। अभिनवगुप्त ने 'अभिनव भारती' में 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' के श्लोक का उदाहरण देकर इस बात का उल्लेख किया है कि, प्रदर्शित विभाव, नायक और सात्विक भाव अर्थात् अनुभव परस्पर मिलकर 'अर्थ' को पूर्ण 'रस-दशा' पहुंचते हैं।<sup>8</sup>

किसी जाति या देश के कलाकार किन या किस प्रकार के विशेष सम्बंधों को सामने लाते हैं, यह उनकी 'दिक्' और 'काल' की धारणाओं और समझ पर बहुत कुछ निर्भर होगा। यदि इनके बारे में उसकी धारणाएं सीधी-सादी और सरल हैं, तो चाहे जैसा गहन (लगनेवाला) अनुभव हो, और चाहे जैसी कुशलता उसके रंग विधान में हो, अभिव्यक्ति, सतही बचकानी और एकरसता से परिपूर्ण होगी। कैनवास पर रंगों, आकारों और रेखाओं के बीच इतने अधिक जटिल और अर्थमय सम्बंध मूर्त किये जा सकते हैं, कि उनकी सम्भावनाओं से दर्शक को कोई भूल, नासमझी, या साधारण

ढंग अपनाने की जल्दी, उबा देने वाली लगेगी। चित्रों के बनाने में और उसका रसास्वादन करने में सम्भावनाएं, देखने के ढंग पर निर्भर करती हैं। हमारा देखने का ढंग दिक् और काल की धारणाओं से बनता है।<sup>9</sup>

यह ठीक है कि विश्लेषण की दृष्टि से पदार्थ और रूप में अंतर देखा जा सकता है, और पदार्थ से रूप ग्रहण तक की रूपांतर प्रक्रिया में विविध परिवर्तनों को देखा जा सकता है, किन्तु रचनात्मक उद्देश्यों के लिए कलाकार के मानस में पदार्थ और रूप को लेकर किसी द्वैत भावना की चेतना लक्षित नहीं होती। किसी कलाकृति, किसी शिल्पकृति का संदर्भ में, जिसमें मूर्तिकार के मस्तिष्क में विचार अथवा रूप है। मूर्तिकार के कल्पनालोक में उसे आकार और रूप देने की आंतरिक प्रेरणा अनुभव करता है क्योंकि वे श्वास की तरह अभी तक अव्यक्त स्थिति में है। फलतः वह किसी अनुकूल सामग्री की तलाश करता है। इस क्रम में उसकी पसंद उसके मस्तिष्क में पहले से मौजूद विचार या दृष्टि की प्रकृति और स्वरूप से निरूपित थी। प्रत्येक सामग्री की अपनी विशेष प्रकृति और स्वभाव होता है, जैसे तंतु, रेखा, कटाव, रचना, तापमान, स्वभाव आदि। वस्तुतः इसका निजी जीवन होता है। यह उस विशेष विचार या दृष्टि की प्रकृति के अनुकूल या उससे सहमत हो भी सकता है और नहीं भी।<sup>10</sup> जैसे ही मूर्तिकार को अनुकूल सामग्री उपलब्ध होती है, वह सामग्री उससे मूक भाषा में मानों कुछ कहने लगती है, इस पारस्परिक संप्रेषण की प्रक्रिया की प्रारम्भिक स्थिति में ही मूर्तिकार समझ जाता है कि जो प्रस्तरखण्ड, सामग्री अथवा शिलाखण्ड उसने चुना है, उस पर काम किया जाए अथवा उसें फेंक

दिया जाये। जब तक विचार या दृष्टि पूर्णतः अनुभूत नहीं हो जाती तब तक पारस्परिक सम्प्रेषण की प्रक्रिया चलती रहती है, और जैसा कि बहुधा होता है कि सामग्री रचनाकार के मूल विचार या दृष्टि को किसी भी स्तर पर परिवर्तित भी करती रहती है, सामग्री और विचार दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, और सामग्री के साथ निरंतर सम्प्रेषण की प्रक्रिया के दौरान ही विचार और दृष्टि परिपक्व होते हैं और आकार एवं रूप ग्रहण करते हैं।<sup>11</sup>

### निष्कर्ष

*रचनाकार का दृष्टिकोण परंपरावादी हो सकता है और स्वच्छंदतावादी भी, चूँकि रचना का उद्देश्य नवीन सामाजिक चेतना, नई चेतना, नई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का चित्रण है। अतः यह अपनी नवीन बोध-भूमि के कारण ही श्रेष्ठता पा सकती है।*

कला सृजन से पूर्व कलाकार अपने अन्तःकरण में ध्यान योग से एक

परिकल्पित विम्ब को प्रतिष्ठित करता है, उसका रसास्वादन कर कलाकार आंशिक निवृत्ति प्राप्त कर लेता है, पुनः अभिव्यक्ति की आतुरता उसे सृजन के लिए उत्प्रेरित करती है। जब तक कलाकार अनुभूति को रूपायित नहीं कर लेता, उसे पूर्ण विश्रान्ति प्राप्त नहीं होती। अतएव सृजनात्मक चिन्तन में बोध-भूमि' एक अनिवार्य तत्व के रूप में समकालीन प्रवृत्तियों में देखा जाना समीचीन होगा।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, हरद्वारी लाल, दर्शन-पृष्ठ संख्या 7 प्रकाशक: साहित्य संगम, इलाहाबाद संस्करण प्रथम-1988
2. कुमार विमल, सौन्दर्य शास्त्र के तत्व, पृष्ठ संख्या 66, प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन दिल्ली, संस्करण-1993
3. राय, निहार रंजन, भारतीय कला का अध्ययन, पृष्ठ संख्या 27, प्रकाशक: दि मैकमिलन, इंडिया, दिल्ली, संस्करण 1978
4. पाल हान्ले हर्फे समाजशास्त्र का क्षेत्र एवं पद्धति पृष्ठ सं. 149 प्रकाशक: राज. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, संस्करण 1973
5. वाचस्पति गैरोला भारतीय चित्रकला, पृष्ठ संख्या 30, प्रकाशक: लोकभारतीय, इलाहाबाद संस्करण तृतीय 1985
6. जोसफ़ क्रसे भारतीय सौन्दर्य शास्त्र एवं ललित कलाएं पृष्ठ सं.-38 (डा. प्रेमा मिश्रा) प्रकाशक: परा प्रकाशन, कानपुर 2010
7. राय, निहार रंजन, भारतीय कला का अध्ययन, पृष्ठ संख्या 38, प्रकाशक: दि मैकमिलन, इंडिया दिल्ली संस्करण 1978
8. मिश्रा प्रेमा, भारतीय सौन्दर्यशास्त्र एवं ललित कलाएं, पृष्ठ संख्या 103, प्रकाशक- परा प्रकाशन, कानपुर, संस्करण 2010
9. अग्रवाल, विपिन कुमार विपिन कुमार अग्रवाल रचनावली, पृष्ठ संख्या 103 प्रकाशक- लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण 2010
10. राय, निहार रंजन भारतीय कला का अध्ययन पृष्ठ संख्या 45, प्रकाशक- दि मैकमिलन इंडिया, दिल्ली संस्करण 1978
11. विश्वनाथ प्रसाद कला एवं साहित्य : प्रवृत्ति एवं परम्परा पृ. सं. 154, प्रकाशक: बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना, सं. 1973।



# हरित क्रांति के कारण उत्पन्न समस्या-एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

जफीर अहमद अंसारी

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है। जिसका प्रमुख पेशा कृषि है। कृषि उपज से होने वाली आय भारत की सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 18 प्रतिशत है। स्वतंत्रता के उपरान्त भारतवर्ष में जहाँ अकृषित क्षेत्रों को कृषित क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया आरंभ हुई वहीं प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी के प्रयास किये गये। इस दिशा में सतत प्रयोग प्रारंभ किये गये जिसमें सर्वप्रथम सघन कृषि जिला कार्यक्रम-1960-61 क्रियान्वित किया गया जिसके अधीन एक क्षेत्र का चयन करके वहाँ कृषि उपज बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसमें जब सफलता मिली तो सघन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम-1965 के नाम से दूसरी योजना की शुरुआत की गयी।

1960-70 के दशक को हरित क्रांति का दशक कहा जाता है क्योंकि इस कालावधि में खाद्यान्न के उत्पादन में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हुई। इस क्रांति के माध्यम से जहाँ एक ओर सामाजिक, आर्थिक और जैव तत्वों के विकास में साकारात्मक प्रभाव पड़ा वहीं कालान्तर में इसके कई नाकारात्मक प्रभाव भी दृष्टिगोचर हुए।

## उद्देश्य

इस आलेख का उद्देश्य हरित क्रांति से जनित आर्थिक, सामाजिक एवं जैव मंडलीय समस्या का अध्ययन करना है।

## विश्लेषण

हरित क्रांति वस्तुतः नयी कृषि पद्धति में सिंचाई, उन्नत बीज एवं उर्वरकों के प्रयोग द्वारा आर्थिक विकास से आबद्ध थी परन्तु इस क्रांति की सफलता हेतु सार्वजनिक नीतियाँ तथा संस्थागत सुविधाओं की विशेष महत्ता ही इन विकासात्मक कार्यक्रमों में प्रादेशिक अन्तर और अन्तर्देशीय आर्थिक विषमता का कारण बना। अन्तर्देशीय आधारों पर हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्रों के कृषकों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें अपेक्षाकृत शिक्षित एवं साधन सम्पन्न कृषक प्रथम समूह में थे जिन्होंने आरंभ से इस नीति का अनुसरण किया। परिणामस्वरूप उन्हें एक साथ तीन विशिष्ट लाभ प्राप्त हुए। प्रथम समूह के इन किसानों को मृदा की उर्वरकता का वास्तविक लाभ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार वैज्ञानिक कृषि से इनका अनुकूलन अन्य कृषक समूह की अपेक्षा तेजी से हुआ और बाजार आधारित कृषि का प्रथम लाभ इन्हें उपलब्ध हो सका। उपरोक्त लाभ के कारण यह वर्ग हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित हुआ जबकि इस क्रांति में कुछ समय के बाद सम्मिलित होने वाले द्वितीय वर्ग के किसानों को उपरोक्त लाभों की मध्यम प्राप्ति हो सकी और तीसरे वर्ग के विलंब से इस क्रांति में सम्मिलित होने वाले कृषकों को इन लाभों की प्राप्ति नहीं हो सकी जिसकी वजह से हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्र में ही आर्थिक असमानता की स्थिति उत्पन्न हुई।

हरित क्रांति पूर्णतः बाजार आधारित थी जहाँ किसानों की आय का निर्धारण उत्पादन से अधिक बाजारी आय से होता था। राजनीतिक, आर्थिक अथवा कृषि कारकों के कारण यदि फसल की बाजारी पहुँच बाधित हो तो यह समस्त क्षेत्र में आर्थिक मंदी का कारण बन जाती है। बड़े तथा सम्पन्न किसान अपनी क्षमता के कारण इस समस्या के बावजूद यथावत रह सकते हैं परन्तु छोटे और निर्धन किसानों को आर्थिक समस्या के समाधान हेतु अपने खेतों को बेचना ही एक मात्र विकल्प होता है। फलस्वरूप इस क्षेत्र के छोटे किसान भूमिहीन कृषि श्रमिकों में बदल गये।

अन्तर्देशीय आर्थिक असमानताओं की व्याख्या दो प्रमुख आधारों पर की गयी है। जिसके अध्यधीन वैज्ञानिक कृषि से संबंधित सुविधाओं की असमान उपलब्धता तथा बाजारी स्पर्धा

की असमान स्थिति को सम्मिलित किया जाता है। हरित क्रान्ति के विकास के साथ ही पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारत के कृषि क्षेत्रों के समान विकसित हुए जिसके परिणामस्वरूप सरकारी नीतियों द्वारा वैज्ञानिक कृषि पद्धति और संरचनात्मक तथा संस्थागत विकास हेतु इस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया। इस स्थिति में हरित क्रान्ति से अप्रभावित किसान सेवाओं तथा सुविधाओं से वंचित रहे जिससे उनका कृषि विकास का कार्य बाधित हुआ। इस प्रकार हरित क्रान्ति ने सम्पूर्ण देश को वैज्ञानिक और पारम्परिक कृषि के दो भागों में विभाजित कर दिया। वैज्ञानिक कृषि का उत्पादन और उसकी उत्पादकता पारम्परिक कृषि से अधिक थी जिससे अन्तर्देशीय आर्थिक असमानताएँ दृष्टिगोचर हुईं।

हरित क्रान्ति के द्वारा भारत में बाजार आधारित कृषि की नयी पद्धति आरंभ हुई जिसमें कृषि की आय का शुद्ध बाजारी मूल्यों पर आकलन किया गया। इस परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में हरित क्रान्ति के प्रभावित क्षेत्रों में उत्पन्न खाद्यान्नों को बाजार की यथा समय पहुँच उपलब्ध थी। बाजारी आधारों से जुड़े होने की वजह से इस क्षेत्र के कृषकों को राष्ट्रव्यापी बाजारण का प्रत्यक्ष लाभ मिला। इसके विपरीत अन्य क्षेत्रों के किसान वितरण और बाजारी सुविधाओं के अभाव के कारण वास्तविक मूल्यों से वंचित रहे। उक्त पद्धति के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और एक फसल से दूसरी फसल की आय में अन्तर हुआ जो असमानता के सृजन का कारण बना।

हरित क्रान्ति ने कृषि को व्यावसायिक आधारों पर विकसित किया। परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में भी धन

की अहमियत अन्य किसी तत्व से बढ़ गयी। कृषि से संबंधित वैचारिक परिवर्तन के साथ ही गाँव की पारम्परिक, सामाजिक एवं समाज संचालित न्यायिक व्यवस्था लुप्त हो गयी। आरम्भिक काल से भारतीय ग्रामीण समुदाय जजमानी व्यवस्था के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा था जो कालान्तर में अंग्रेजी शासन द्वारा समाप्त कर दी गयी। तदोपरान्त विपत्ति के समय एक दूसरे की सहायता की संकल्पना ग्रामीण समाज में प्रचलित थी। नयी कृषि व्यवस्था के कारण यह व्यवस्था भी प्रभावित हुई और इस प्रकार ग्रामीण समाज आर्थिक आधार पर विभाजित हो गया।

वैसे क्षेत्र जो हरित क्रान्ति से प्रत्यक्षतः प्रभावित थे उन क्षेत्रों की भूमि को बाजार निर्यातित वस्तु का स्थान प्राप्त हुआ जिसके कारण संयुक्त परिवार का प्रत्येक सदस्य भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की प्राप्ति के निमित्त प्रयासरत रहा। अस्तु पुराने संयुक्त परिवार का विघटन प्रारम्भ हुआ। साथ ही भूमि विवादों की संख्या वृद्धित हुई।

दूसरी और वैसे क्षेत्र जो हरित क्रान्ति से प्रत्यक्षतः प्रभावित नहीं थे वहाँ इसके कुपरिणाम अत्यधिक परिलक्षित दिखे। भूगोलवेत्ता डा. माजिद हुसैन के अनुसार विगत दशक में जातीय आधारित उग्रवादी समूह का गठन भी हरित क्रान्ति का कुपरिणाम है। हरित क्रान्ति के प्रभाव से बाजार से संबंधित भूमि मूल्यों की तीव्र वृद्धि हुई जिससे ग्रामीण समाज के प्रत्येक समूह का उद्देश्य अधिक बाजारी लाभ से प्रभावित भूमि पर अधिकार करना हो गया। परिवर्तित मानसिकता के परिणामस्वरूप भूमि सेना, लौरिक सेना, सनलाइट सेना और अली सेना जैसे विशिष्ट समूह आधारित उग्रवादी दस्तों का गठन हुआ जो वर्तमान समय में

कृषि के हास के साथ-साथ सामाजिक और प्रशासनिक समस्या के समान विकसित हुये हैं।

उत्पादन और उत्पादकता के हास के साथ ही हरित क्रान्ति के क्षेत्र में अधिक वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता महसूस की गयी जिसमें पहले की अपेक्षा अधिक निवेश अपेक्षित था। अधिक निवेश के कारण इस क्षेत्र के उत्पादों की कीमत दूसरे केन्द्रों के उत्पादों से बढ़ने लगी जो मांग के हास का कारण बनी। छोटे कृषक बाजार की इस परिवर्तित स्थिति में अदक्ष साबित हुए और उन्होंने गैर कृषि कार्यों में पलायन करना शुरू किया।

पारिस्थिकी तंत्र जैव मंडल का वैसा भाग है जहाँ तापमान, आद्रता एवं अन्य प्राकृतिक दशाओं के अनुकूल जैव विविधता विकसित होती है। पारिस्थिकी तंत्र का विकास प्राथमिक द्वितीय और तृतीय स्तर पर उत्पादन एवं उपभोग में सांसत से होता है। मनुष्य ने निजी विकास हेतु पारिस्थिकी को सदैव बाधित किया है जिसके कारण स्वसंचालित प्रकृति पारिस्थिकी अंततः ऊर्जा संचालित पारिस्थिकी में बदल जाती है। मनुष्य के तात्कालिक भौतिक विकास में यह परिवर्तन निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होता है लेकिन पारिस्थिकी के निरन्तर विदोहन से कालान्तर में पर्यावरण सम्बंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। हरित क्रान्ति भी कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु देश में आरंभ की गयी परन्तु पर्यावरण के असंतुलित विदोहन के कारण विगत दशक में इसके कुप्रभाव दृष्टिगोचर हुए हैं।

हरित क्रान्ति के आरंभ के साथ ही प्राथमिक स्तर पर कृषि विकास हेतु एकलीकरण प्रारंभ हुआ। एकलीकरण की यह पद्धति विशिष्ट फसलों तक

सीमित थी। इसके लिए रासायनिक उर्वरकों एवं उन्नत बीजों का उपयोग दक्ष सिंचाई के अन्तर्गत किया गया। इस नयी कृषि तकनीक ने भूमि की आन्तरिक उत्पादकता के अविधिवत विदोहन को प्रश्रय दिया जबकि उत्पादकता के पुनर्निर्माण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं किये गये। कालान्तर में नये क्षेत्रों को भी इस कृषि तकनीक में शामिल किया गया। फलस्वरूप उत्तरी-पश्चिमी भारत की अर्द्ध शुष्क पारिस्थिकी तंत्र का एकलीकरण भूमि की उत्पादकता के हास का कारण बना।

हरित क्रान्ति का उद्देश्य खाद्यान्नों के अधिक उत्पादन से संबंधित था। फलतः कीटनाशक, घासनाशक, कवकनाशक औषधियों के प्रयोग से यद्यपि कुछ विशेष फसलों को संरक्षित विकास का आधार निश्चित किया परन्तु इनके द्वारा मृदा की संरचना नमी और मृदा वायु की स्थिति के साथ-साथ उस क्षेत्र के जीवाणु विविधता भी विनष्ट हुई। इस परिस्थिति में फसलों पर गैर-क्षेत्रीय कीटों के प्रभाव में वृद्धि हुई जिससे कुल उत्पादन पर प्रभाव पड़ा।

विगत दो दशकों में कृषि क्षेत्र में उर्जा की खपत में वृद्धि हुई है। कृषि संयंत्रों, मिट्टी तेल और डीजल के बढ़ते उपयोग के कारण कृषि क्षेत्र भी पर्यावरण प्रदूषकों में सम्मिलित हुआ है। इन संयंत्रों से उत्सर्जित गैस तथा एस.पी. एम. के साथ ही वाष्पीभवन के कारण

मिट्टी में संरक्षित तीक्ष्ण अमलों का वायुमंडल में संचार होता है जो वर्षा द्वारा भूमि पर वितरित होते ही जैव विविधता के हास का कारण बनते हैं। इन प्रदूषकों द्वारा पृथ्वी से उत्सर्जित ताप का अधिक अवशोषण किया जाता है जिससे कृषि क्षेत्र भी वायुमंडलीय ताप वृद्धि के कारक के समान विकसित हुए हैं।

वैज्ञानिक कृषि के विकास हेतु प्रयुक्त उर्वरकों तथा कीटनाशकों से सम्पर्क के बाद जल के भूमिगत रिसाव से भूमिगत जल का तल प्रदूषित होता है। इसी प्रकार इन रसायनों से सम्पर्क के उपरान्त सतही प्रवाह के जल की नदियों अथवा खाड़ियों में गिरने से नये जीवाणु की मात्रा में एकाएक वृद्धि होती है जो जैव ऑक्सीजन मांग की वृद्धि का कारण बनता है जिससे जल जैव चक्र का विकास कुप्रभावित होता है। भूमिगत अथवा सतही प्रदूषित जल की सिंचाई अथवा पेय उपयोग का सीधा कुप्रभाव कृषि तथा मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है।

### निष्कर्ष

उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों के अवलोकनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि हरित क्रान्ति से जहाँ एक ओर लाभ हुआ है वहीं दूसरी ओर हानि भी हुई है। सरकार द्वारा वर्णित स्थिति के मद्देनजर नयी चिर-हरित क्रान्ति की शुरुआत की गयी है जिसका उद्देश्य

देश के शुष्क क्षेत्रों को कृषि जलवायिक क्षेत्रीय आयोजन के अनुकूल स्थानीय संसाधनों के उपयोग के द्वारा उर्वर क्षेत्र में तबदील करना है। इसके अलावा सरकार ने मोटे अनाज के उत्पादन एवं अन्य प्रकार के अनाज के उत्पादन पर भी जिसकी उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है, को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। इससे जहाँ हरित क्रान्ति से अप्रभावित क्षेत्र में कृषि का विकास कारित होगा वहीं इससे उत्पन्न क्षेत्रीय भेदभाव एवं आर्थिक विषमता की समाप्ति भी हो सकेगी।

ऐसी आशा की जाती है कि यदि सरकार की योजना अपने संचालन एवं मिशन में सफल हो जाती है तो निश्चय ही भारत विश्व के अग्रणी कृषि उत्पादक राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो सकता है।

### संदर्भ ग्रंथ सूची

1. रूद्रदत्त एवं सुन्दरम : भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चान्द कम्पनी, पृष्ठ संख्या- 413 से 422
2. शर्मा और कौनटिनो : इकोनॉमिक एण्ड कॉमर्शियल ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया, विकास पब्लिशिंग हॉउस, पृष्ठ संख्या- 150 से 157
3. डॉ. अलका गौतम : भारत का भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, पृष्ठ संख्या- 272 से 301
4. विश्वनाथ तिवारी : भारत का भौगोलिक स्वरूप, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, पृष्ठ संख्या- 166 से 229

# पर्यावरण: भारत के सन्दर्भ में एक विश्लेषण

डॉ. गोखुला प्रसाद सिंह

विश्व की तीन प्रमुख समस्याएं हैं जिन्हें Three-p के नाम से सम्बोधित किया जाता है। Population, Poverty, Pollution. इनमें Pollution वर्तमान युग की सबसे विकट समस्या है जो मानव अस्तित्व को ही खतरे में डाल सकती है।

‘मनुष्य जिस देश, काल तथा परिस्थिति में जन्म लेता है और जीवनयापन करता है, वह पर्यावरण कहलाता है।’ प्रकृति में हमें जो कुछ दृष्टिगोचर होता है—वायु, जल, मिट्टी, पादप तथा प्राणी सभी सम्मिलित रूप में पर्यावरण की रचना करते हैं।

पारिभाषिक रूप में पर्यावरण शब्द जीवों की अनुक्रियाओं को प्रभावित करनेवाली समस्त भौतिक (physical) तथा जैविक (biotic) परिस्थितियों का योग है। संक्षेप में, जीवों को हमेशा घेरे रखनेवाली परिस्थितियां पर्यावरण कहलाती हैं।

वेबस्टर शब्दकोष के अनुसार, ‘पर्यावरण से आशय उन परिवर्ती परिस्थितियों, प्रभावों तथा शक्तियों से है जो सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशाओं के समूहों के रूप में जैसे, रीति-रिवाजों, भाषा, कानून, धर्म तथा आर्थिक व राजनीतिक संगठन किसी व्यक्ति या समुदाय के जीवन को प्रभावित करती हैं।’

आर. एफ. डाबननायर के अनुसार, ‘पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ निकटवर्ती दशाओं से है। वातावरण का विश्लेषण अनेक तत्वों में हो सकता है, जैसे— मिट्टी, आद्रता, वायु और तापक्रम। वास्तव में, कोई भी बाहरी शक्ति, तत्व या दशा जो जीवधारी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करती है, उनके पर्यावरण का एक तत्व बन जाती है। ऐसे सभी तत्वों का योग पर्यावरण कहलाता है।’

सारांश में, हम कह सकते हैं कि मानव के चारों ओर पाया जानेवाला पारिस्थितिक तंत्र (ecology) ही पर्यावरण है जिसमें उन सभी परिस्थितियों, प्रभावों एवं शक्तियों को

सम्मिलित किया जाता है जो भौतिक अथवा रासायनिक रूप में जीवन को प्रभावित करती है।

‘‘भूमि, जल, वायु, आदि जैवियमण्डल के गुणों में मानव जीवन और संस्कृति के लिए उत्पन्न हानिकारक परिवर्तनों को प्रदूषण कहा जाता है।’’ पर्यावरण में संतुलन स्वतः होता रहता है। पृथ्वी सतह के ताप, वायुमण्डलीय गैसीय तत्वों, सूर्य विकिरण आदि जलवायु को प्रभावित करनेवाले विभिन्न तत्वों को प्रकृति अपने आप ही संतुलित करती है किन्तु इस संतुलन की भी एक सीमा होती है। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषित होना शुरू हो जाता है। औद्योगिकरण, शहरीकरण व परमाणु उर्जा आदि के द्वारा हम लाभान्वित अवश्य हुए हैं परन्तु इससे पर्यावरण संतुलन असंतुलित हो गया है। इस असंतुलन से इसके विभिन्न अवयवों यथा जल, वायु, ध्वनि, धूल आदि से प्रदूषण की समस्या गम्भीर होती जा रही है।

वैसे तो वायु प्रदूषण से प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुआ है परन्तु शहरो में वायु प्रदूषण एक गम्भीर समस्या बनता जा रहा है। औद्योगिक विकास के कारण उद्योगों के चिमनीयों से निकलनेवाली जहरीली गैसों, प्रदूषित जल एवं औद्योगिक कचरों (Industrial wastes) से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। परमाणु विज्ञान की प्रगति के कारण वातावरण में रेडियोएक्टिव पदार्थों की अधिकता से वातावरण अधिक दूषित हो रहा है। स्वस्थ वातावरण इतनी जटिल होती जा रही है कि आजकल पर्यावरण की स्वच्छता का नाम बदलकर ‘पर्यावरण का स्वास्थ्य’ रख दिया गया है।

एक गणना के अनुसार विश्व की औद्योगिक प्रतिष्ठानों की दहन भट्टियां 11,300 लाख टन आक्सीजन भस्म कर देती हैं जिसके फलस्वरूप 11,400 कार्बनडाइआक्साइड विमुक्त हो रही हैं। प्रतिशत के हिसाब से आक्सीजन की खपत और कार्बनडाइआक्साइड की नियुक्ति 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। इसके साथ 85 प्रतिशत जिवाश्म इंधन से उर्जा प्राप्त होती है जिसके दहन से बड़ी मात्रा में कार्बनडाइआक्साइड निकलती है। कार्बनडाइआक्साइड की अधिकता से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। 1993 के एक सर्वेक्षण के अनुसार अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 करोड़ 70 लाख टन कार्बन मोनोक्साइड, 3 करोड़ 50 लाख टन धूलीकरण, 5 करोड़ 40 लाख टन सल्फरडाइआक्साइड, 3 करोड़ 30 लाख टन नाइट्रोजन के कारण ‘प्रदूषण गुंबद’ (Pollution Tower)

स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग, एम. जे. के. कॉलेज, बेतिया

दिखाई देता है। पिट्सवर्ग को 'Black City' कहा जाता है। भारत के भिलाई में 'उच्च तापमान दीप' बन जाते हैं।

भारतीय उपमहाद्वीप में व्याप्त प्रदूषण के स्तर की जांच करनेवाले नासा अनुसंधान दल ने बिहार के उपर प्रदूषण की मात्रा लौस एंजिल की तुलना में करीब पाच गुण अधिक पायी है जिसका बुरा असर स्थानीय पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। वर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार, "पर्यावरण सुरक्षा विकास का एक आवश्यक अंग है। बिना पर्यावरण सुरक्षा के विकास असम्भव है, पर्यावरण संरक्षण के बिना विकास की महत्ता कम हो जाती है।"

भारत में वायु प्रदूषण, मृदा अवनति, वन कटाई, सिक्कुड़ती जल-भूमि, अप्रयोज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य व सफाई, ग्रामीण क्षेत्रों में अंतरंग प्रदूषण, बढ़ता जल अभाव, नदियों में न्यूनतम प्रवाह का अभाव आदि पर्यावरणीय समस्याएं हैं।

## पर्यावरण संरक्षण के सरकारी प्रयास

भारत में पर्यावरण की रक्षा एवं पर्यावरण-संतुलन बनाये रखने के लिए निम्न प्रयास किये गये हैं:

1. *पर्यावरण संरक्षण विभाग का गठन:* भारत में 1980 में एक पर्यावरण संरक्षण विभाग गठित किया गया जो केन्द्रीय सरकार का विभाग है तथा राज्य सरकारों को भी कहा गया कि वे पर्यावरण विभाग स्थापित करें। इन विभागों का कार्य पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी नीतियां बनाना और उन्हें लागू करना है।
2. *पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी नीतियां:* राष्ट्रीय वन नीति 1988, प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रारूप नीति निवारण दास्तवेज 1991, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1977, वायु रोकथाम तथा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, 1987, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना आदि प्रमुख हैं।
3. *व्यापक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986:* सन् 1986 में एक व्यापक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूर्व कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत अनेक केन्द्रीय और राज्य के अधिकारियों को अधिकार सौंपे गये। इसके अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति, अधिकारी अथवा प्राधिकारी को अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी करने के लिए अधिकार दिए गये थे।
4. *केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड:* केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल तथा वायु प्रदूषण के आकलन, निगरानी और नियंत्रण की शीर्ष राष्ट्रीय संस्था है। बोर्ड पर

जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 1974, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 1981 तथा जल उपष्कर अधिनियम 1977 को लागू करने का कार्यकारी दायित्व है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केन्द्र को सलाह देता है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों को लागू करने के लिए मन्त्रालय को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के उद्योगों के निस्सरण और उत्सर्जन के मानक अधिसूचित किये गये हैं।

5. *नीतिगत बयान एवं कार्यक्रम:* प्रदूषण में कमी लाने के लिए सन् 1992 में जारी नीतिगत बयान में भूमि, जल और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और कमी लाने के लिए नियमन, वितीय प्रोत्साहनों, स्वैच्छिक अनुबन्धों और शिक्षा कार्यक्रमों और सूचना अभियानों का प्रावधान है। नीतिगत बयान की घोषणा के बाद गतिविधियों का मुख्य केन्द्र निम्नलिखित मुद्दे हैं, जैसे-साफ और कम कचरा पैदा करनेवाली प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन, मल-जल को फिर से इस्तेमाल/रिसाइक्लींग करना, जल की गुणवत्ता में सुधार, पर्यावरण समीक्षा, प्राकृतिक सम्पदा का लेखा-जोखा, जन आधारित मानदण्डों का विकास, संस्थागत और मानव संसाधन विकास आदि। प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के सभी मामलों को निर्देश और नियंत्रण विधि से हल किया जाता है।
6. *राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय:* गंगा कार्य योजना चरण: 1 के कार्य 1985 में शुरू किये गये थे जिन्हें 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की संचालन समीति ने कार्य योजना और नदियों की सफाई सम्बन्धी चल रही अन्य योजनाओं के कार्य की प्रगति की समीक्षा की। गंगा कार्य चरण योजना-1 के तहत प्रदूषण कम करने से सम्बन्धित 261 योजनाओं में से 258 योजनाओं को पूरा किया जा चुका है तथा शेष योजनाएं 2001 तक पूरी होनी थी। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण का राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्य योजना के साथ विलय कर दिया गया है। इस विस्तृत कार्य योजना के अन्तर्गत अब तक 69 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
7. *ओजोन प्रकोष्ठ:* ओजोन परत को सुरक्षित रखने के लिए सत्तर के दशक के आरंभ में विश्वव्यापी प्रयास

किए गये थे जिनके चलते 1985 में ओजोन नष्ट करनेवाले पदार्थों ओ. डी. एस. पर वियना समझौता हुआ और 1987 में मांट्रियल संधि प्रस्ताव पारित हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, दक्षिण एशिया सहयोग पर्यावरण कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रीय समेकित पर्वत विकास केन्द्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सीयों, प्रादेशिक संगठनों तथा बहुपक्षीय संस्थानों के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

### पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी सुझाव

प्राकृतिक पर्यावरण पर मुख्यतया तीन प्रकार के संकट होते हैं--दूषित वातावरण, अधि-उपयोग तथा विनाश। प्राकृतिक के इन संकटों का सामना करने के लिए आवश्यक कार्य नीति के दो पहलू हो सकते हैं--विनियामक तथा सुरक्षात्मक।

**अ. विनियामक नीति:** विनियम की कार्य नीति या परियोजनाएं जहां प्रारंभ हो गयी हो, उनसे यह अपेक्षा है कि:

1. पर्यावरणीय क्षति के निर्धारण हेतु कायविधियां और मानक तैयार किये जाने चाहिए तथा पर्यावरण प्रदूषण के लिए व्यापक तथा वास्तविक मानक भी तैयार किये जाने चाहिए।
2. केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण मण्डलों को अधिक मजबूत और उदार बनाया जाना चाहिए।
3. घरेलू और कृषि प्रदूषण विशेषकर कीटनाशकों से उत्पन्न प्रदूषणकों के स्रोतों का पता लगाने तथा सुधारात्मक उपाय करने के लिए एक प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए।

4. परियोजना द्वारा प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने तथा वास्तविक रूप में और समयबद्ध तरीके से किये जानेवाले उपायों को सुधार सके, इसके लिए एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए।
5. उद्योगपतियों को सरकार के साथ बातचीत करके यदि आवश्यक हो तो इस बात के लिए राजी किया जाना चाहिए कि पर्यावरण के प्रभाव से उत्पादन लागत प्रभावित होती है। इसलिए विभिन्न उपायों के जरिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए उन्हें अधिक जिम्मेदारी और नेतृत्व करने की आवश्यकता है।
6. प्रदूषण, वन, वन्यजीवन तथा अन्य पर्यावरणीय मुद्दों के सम्बन्ध में कानूनों की अवहेलना के मामलों की सूचना देने पर सार्वजनिक सर्तकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
7. प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरणीय क्षति को रोकने में जनता की भागीदारी और सरकारी संगठनों को शामिल करके एवं अच्छी संस्थाओं के माध्यम से आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर जो की इस प्रकार की जानकारी और तकनीकी सलाह देने के लिए जिम्मेदार है, सरल बनाया जाना चाहिए तथा केन्द्रिय और राज्यसरकारों द्वारा समूचित तंत्र स्थापित करके सार्वजनिक शिकायतों की सुनवाई को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

### ब. सुधारात्मक नीति

1. सुरक्षा की नीति में लोगों को जागरूक करना, कानूनों को कड़ाई से लागू करना, परियोजनाओं पर परिवेशीय प्रभाव का मूल्यांकन करना तथा परिस्थिकीय तन्त्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयास करना शामिल है।
2. जनता की जागरूकता को बढ़ाना लाभकारी सिद्ध हो सकता है यदि उन्हें खतरों से सचेत कर दिया जाय तथा इसमें कड़े दण्डात्मक उपाय, वित्तीय उपाय और अपराधी के प्रति अवाञ्छित कार्यवाही के लिए कड़ी कार्रवाई शामिल है।
3. सभी परियोजनरों और कार्यकलापो का उनके क्रियान्वयन से पूर्व संगतियुक्त पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन से निष्पादित करनेवाली एजेन्सियों द्वारा किए जाने वाले उपायों के जरिये प्रकृति के आकर्षण को रोका जा सकता है।
4. प्रकृति के पुर्नसृजन तथा पारिस्थिकीय तन्त्र की आवश्यकता में बढ़ोतरी करके विनाश को रोका जा सकता है।

### सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. पर्यावरणीय अध्ययन- डा. एस.एन.अवस्थी
2. स्मृति अर्थशास्त्र- वी.सी.सिन्हा
3. Ecology and Environment- Dr. P.D. Sharma
4. Industrial Chemistry(1999)- V.K.Sharma
5. Central Pollution Control Board (Delhi)

# नवीन चित्रण शैली “काशी शैली”

गीता विश्वकर्मा

काशी शैली वाराणसी के काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग के कलाकारों के नये प्रयोग से प्रकट पचासवें दशक की कला है। इसमें प्रमुख रूप से वहाँ के अध्यापक और छात्र शामिल थे। उस समय प्रो० रामचन्द्र शुक्ल चित्रकला विभाग के प्रमुख थे। तत्समय बंगाल शैली परम्परा में चित्रण कार्य हो रहा था। इसके साथ—साथ पाश्चात्य आधुनिक कला का प्रभाव भी दिखाई देने लगा था। जिसके कारण पिकासो और अमृता शेरगिल की कला का प्रभाव भारतीय कला पर स्पष्टतः दिखाई दे रहा था। भारत में विदेशी सभ्यता, संस्कृति, विचार—धारा और ज्ञान—विज्ञान का प्रसार होने लगा था। ऐसे समय में पाश्चात्य जीवन पद्धति को लोगों ने सहजता से अपनाकर प्रारम्भ कर दिया था। जिसका प्रभाव कला पर भी देखने को मिला।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के छात्रों एवं अध्यापकों ने इसी वातावरण में अपनी प्राचीन संस्कृति तथा विकसित कला शैलियों का अध्ययन किया। काशी की लोक कला एवं लोक संस्कृति का सूक्ष्मता और सघनता से अध्ययन करने के लिए बनारस नगर की पुरानी बस्तियों में घूमें, वहाँ के भवनों और दीवारों को देखा, जिनपर बड़े—बड़े भित्ति—चित्र देखने को मिला। ऐसे चित्र लगभग हर एक भवनों के द्वार पर अंकित थे। ये चित्र वहाँ के लोक कलाकारों द्वारा बनाये गये थे। ये चित्र शुक्ल जी एवं उनके शिष्यों को आकर्षित करने में कामयाब हो गये। उन्हें ऐसा लगा कि यही काशी की नई चित्रकला का

आधार बन सकती है। इन्होंने तथा इनके शिष्यों ने घूम—घूम कर इन चित्रों को देखा व परखा और उनके बारे में जानकारी ली। उनके द्वारा इसका विशेष रूप से अध्ययन, अनुशीलन तथा प्रयोग किया गया।

काशी की लोक कला का अच्छी तरह निरीक्षण—परीक्षण करके उसकी विशेषताओं को आत्मसात् करके भारतीय प्राचीन कला शैलियों से शोधित करके, आधुनिक प्रगतियों को ध्यान में रखते हुए एक नवीन विकसित शैली का शुभारम्भ किया, जिसे उन्होंने काशी शैली का नाम दिया।

काशी शैली की प्रथम विराट प्रदर्शिनी 1957 में वाराणसी के अस्सी भदौनी क्षेत्र में स्थित तुलसी पुस्तकालय के भवन में आयोजित की गई थी। जिसका उद्घाटन प्रसिद्ध पुरातत्व तथा संस्कृति के विद्वान स्व० पं० राजबली पाण्डेय ने किया था। इसके बाद बराबर इनके चित्रों की प्रदर्शिनी बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, बलिया आदि स्थानों में आयोजित की गई थी। इनके बारे में देश के तमाम पत्र—पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित हुए। नवीन काशी शैली का कैटलॉग प्रकाशित किया गया। इनकी खूब चर्चा हुई और व्यापक प्रचार—प्रसार किया गया। प्रमुख कलाकारों में रामचन्द्र शुक्ल, महेन्द्र नाथ सिंह, उमा शंकर पाण्डेय, धर्मशील चतुर्वेदी आदि थे।

इसके पूर्व हमारे देश में बंगाल शैली की वाश तकनीक की चित्रकला का प्रचलन था। जबकि काशी शैली के इन कलाकारों ने बंगाल शैली से ही चित्रण कार्य आरम्भ किया था, लेकिन ये पूरी तरह बंगाल शैली से सन्तुष्ट नहीं हो सके थे। उसका सबसे प्रमुख कारण यह था कि उन्हें बंगाल की जल चित्रण पद्धति उपयुक्त नहीं लग रही थी क्योंकि उसमें वाश के कारण शुद्ध रंगों का प्रयोग नहीं होता था और चित्र धुँधले—धुँधले दिखाई पड़ते थे। जबकि शुक्ल जी और उनके शिष्यों का मानना था कि “जिस प्रकार राजस्थानी चित्रशैली में शुद्ध रंगों का प्रयोग चित्रों को प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाता था, वैसा वाश शैली में नहीं हो पाता था।” इसलिए काशी शैली के चित्रकारों ने शुद्ध रंगों से टेम्परा पद्धति में चित्र बनाने प्रारम्भ किये। इस

प्रकार भारतीय कला को एक नया मोड़ मिला।

काशी शैली को काशी की लोक चित्रकला से ही प्रेरणा प्राप्त होने के साथ-साथ प्राचीन भारतीय चित्रकला, भारतीय सामाजिक रुचि, धर्म-साहित्य एवं संस्कृति आदि को भी अपना आदर्श मानकर कलाकारों ने शुद्ध मन से चित्रण कार्य किया। किसी भी कला का विकास तभी होता है, जब समाज

अपनी संस्कृति तथा परम्पराओं के आधार पर नव निर्माण करता है। इसलिए काशी शैली के कलाकारों ने अपनी इस शैली का निर्माण करने के लिए आधुनिक कला प्रवृत्तियों का अध्ययन पूर्ण मनोयोग से किया। काशी शैली के कलाकारों ने भारतीय चित्रकला को सुव्यवस्थित तथा प्रगतिशील दिशा की ओर प्रवृत्त किया।

### सन्दर्भ:-

1. प्रो० रामचन्द्र शुक्ल से साक्षात्कार।
2. पत्रिका 'रूप रंग'।
3. पत्रिका 'भारती'।
4. पत्रिका 'परिवार' मार्च-1957, वाराणसी।
5. पत्रिका 'हिन्दी प्रचारक' मार्च-1957, वाराणसी।
6. दैनिक समाचार पत्र 'आज' 5 मई, 1957, वाराणसी।



# संचार क्रांति के युग में गृहविज्ञान

डॉ० कुमारी पुष्पा

आज के वैश्विक परिदृश्य में महानगर से लेकर गाँव के चैपाल तक संचार के विभिन्न माध्यमों के प्रयोग ने हमारे समाज के दिनचर्या को ही बदल डाला है।

गृहविज्ञान में “संचार” एक प्रकार की शिक्षा है जिसका उद्देश्य मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना है। यह ग्रामीण लोगों के राष्ट्रीय साधनों को अपने उचित प्रयोग द्वारा अपने प्रयासों में रहन-सहन के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रेरणा देती है। संचार का सीधा संबंध शिक्षा से है। शिक्षा से मनुष्य के व्यवहार सोचने का ढंग एवं उपक्रम में परिवर्तन आता है।

“संचार” की उत्पत्ति 1908 ई० में राष्ट्रीय आयोग की स्थापना द्वारा सर्वप्रथम अमेरिका के “राष्ट्रपति रूजवेल्ट” ने ग्रामीण जनमत को शहरों में जाने से रोकने तथा ग्रामीण जनता को कृषि एवं ग्रामीण विकास के कार्यों में लगाने में उपाय सुलझाने के लिए किया था। आयोग ने यह महसूस किया कि गाँव के लोगों को गाँव में ही रहना चाहिए यह अनिवार्य है जिससे कि कृषि का विकास हो सके।

आयोग के सिफारिस के अनुसार 1914 ई० में समिति लिवर ऐक्ट पास हुआ जिसके अनुसार स्कूलों में बाहर की शिक्षा प्रारम्भ की गई जिसमें कि गाँव के लोग खेतों तथा घर का विकास विकसित ढंग से कर सके। संचार कार्य का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके लक्ष्य तक प्रोत्साहित करना है।

“संचार” गृहविज्ञान विस्तार शिक्षा का सिद्धान्त है। प्रसार शिक्षा की सफलता एवं अधिकाधिक ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता के लिए गृहविज्ञान प्रसार कार्य को निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए।

(1) **प्राथमिक आवश्यकता का सिद्धान्त**—प्राथमिक आवश्यकता के सिद्धान्त में विभिन्न अनुसंधानों द्वारा प्रसार

कार्यकर्मियों को चाहिए कि कार्य आरम्भ करने से पूर्व ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को समझ ले। यदि ग्रामीण बच्चे दस्त से पीड़ित हैं और उस क्षेत्र में मलेरिया, टायफाइड, पीलिया जैसा रोग फैला है तो पहले उसके निवारण के उपाय बतायें।

(2) **ग्रामीण महिलाओं के अनुभव जानने के सिद्धान्त**—संचार द्वारा प्रसार कार्य-कर्ताओं को ग्रामीण महिलाओं पर केवल अपने विचार ही नहीं थोपने चाहिए, बल्कि उनसे आत्मीयता बढ़ाकर उनसे अनुभव जानने का प्रयत्न भी करना चाहिए। कई बातें ऐसी होती हैं। जिन्हें ग्रामीण वातावरण में रहकर वे भली-भाँति जानती हैं। गाँवों में जहाँ शहरी दवाई उपलब्ध नहीं होती, कई व्यक्तियों के घरेलु ग्रामीण, शीघ्र प्रभावकारी इलाज ग्रामीण स्त्रियों अधिक जानती हैं।

(3) **आत्म निर्भरता का सिद्धान्त**—संचार का उद्देश्य ही होता है कि मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाकर आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रधान करें। जैसे-आरम्भ में आर्थिक सहायता देकर तथा कच्चा माल देकर लघु उद्योग शुरू कराने का उपाय बताया जाता है। तथा लोगों को प्रेरित किया जाता है कि छोटे-छोटे लघु उद्योग से पुरुष तथा महिला अपने को आगे बढ़ाकर एक मुकाम पर ले जायें।

(4) **जाति धर्म निरपेक्षता का सिद्धान्त**—गृहविज्ञान में संचार कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे ग्रामीण समाज में वर्ग, जाति, धर्म के भेद भुलाकर सभी के कल्याण हेतु निष्पक्षता के साथ करें। जिन्हे सहायता की उत्थान की आवश्यकता हो उन सभी के लिए कार्य करें।

(5) **यथास्थिति समायोजन का सिद्धान्त**—गृहविज्ञान प्रसार कार्यकर्ता को यह सर्वप्रथम कार्यक्षेत्र में सम्पूर्ण वातावरण एवं परिस्थितियों का अध्ययन कर लेना आवश्यक होता है। उनकी योग्यता, क्षमता एवं मानसिक स्तर जान लेना चाहिए, जैसे- यदि किसी गाँव के लोग साक्षर हैं तो वहाँ चार्ट पोस्टर, ग्राफ, नक्शों या ब्लैकबोर्ड का उपयोग भी शिक्षण हेतु किया जा सकता है। किन्तु यदि के आशिक्षित हैं तब कठपुतली फिल्में नृत्य, गीत, लोकगीत शिक्षण में अधिक प्रभावकारी माध्यम होंगे।

(6) **सहभागीदारी का सिद्धान्त**—“संचार” द्वारा कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे ग्रामीण महिलाओं, महिला

नेताओं के साथ मिलकर उनकी राय लेकर ही कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएँ। ऐसा करने से ग्रामीण महिलाएँ स्वयं की महत्ता का अनुभव करेगी। कार्यक्रम में रुचि लेनी तथा अधिकतम सहयोग देगी। महिलाओं की भागीदारी की प्रशंसा करने से भी उनसे आत्मविश्वास पैदा होगा और 'भविष्य में वे सदा सहयोग देने के लिए तत्पर रहेगी।

**(7) प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धान्त—“संचार”** प्रसार कार्यक्रमों के प्रभावकारी आयोजन के लिए आवश्यक है कि गृहविज्ञान विशेषज्ञों कृषि विशेषज्ञों, डॉक्टरों अथवा विषय-विशेषज्ञों को समय-समय पर बुलाकर ग्रामीणों से उनकी भेंट करवायी जायें। विशेषज्ञों द्वारा वे अधिक लाभान्वित होंगे।

**(8) स्थानीय संसाधनों का सिद्धान्त—**ग्रामीण क्षेत्र में प्रसार कार्य करते समय गृहविज्ञान विशेषज्ञों को यथा स्थानीय संसाधनों का उपयोग ही करना चाहिए केवल अनिवार्य सहायता बाहर से ली जाए जैसे-फलों के बगीचे या साग सब्जियों की वाटिका लगाने के लिए ऐसी भूमि चुने जहाँ पानी के सिंचाई के प्रबंध भी पास में ही हो तथा लोग भी आसपास ही रहते थे उसी प्रकार जहाँ बेकार पड़ा पोरवर हो निरर्थक घुमते किशोर हो वहाँ सफाई करके किशोरों के सहयोग से मत्स्य पालन कराया जा सकता है। उसी प्रकार ग्रामीण महिलाओं को पौष्टिक आहार बनाना सिखाते समय स्थानीय उपलब्ध अनाज, दालों, फल-सब्जियों का उपयोग भी बताना चाहिए। मानवीय अथवा मानवेतर जहाँ तक हो, स्थानीय संसाधनों का ही प्रयोग अधिक करना चाहिए।

**(9) परिवार तक पहुँच का सिद्धान्त—“संचार”** द्वारा प्रसार शिक्षा कार्यक्रम की योजना इस प्रकार बनायी जाये कि परिवार के सम्पूर्ण लोग लाभान्वित हो सकें। तभी कार्यक्रम सफल होगा। जैसे शाम के समय ग्रामीण महिलाओं के प्रशिक्षण का कोई कार्यक्रम आयोजित हो तो उसी समय उनके परिवार के बच्चों के लिए भी कोई आयोजन होना चाहिए ताकि बच्चे इधर-उधर भटके नहीं और गृहणियाँ भी निश्चिन्त होकर गोष्ठिया में भाग ले सकें। महिलाओं में यह स्वभाव भगवान का दिया हुआ वरदान है कि अगर महिलायें एक जगह जमा होगी तो वो आपस में बातचीत किये बर्गर रह ही नहीं सकती है उस स्थिति में बातचीत के माध्यम से संवाद एक दूसरे के बीच संचालित होता है। तथा आपस में जानकारी प्राप्त होती है।

**(10) स्वयं करके सीखने का सिद्धान्त—**प्रसार कार्यों में स्वयं आये सीखने का सिद्धान्त अधिक प्रभावशाली होता है। ग्रामीण महिलाओं को पहले प्रदर्शन द्वारा कोई चीज बताएं जैसे अमरूद की जैली बनाना, तत्पश्चात् उनसे कहे कि वे अपने-अपने घरों में स्वयं बनाकर अथवा अगली बार सारी आवश्यक सामग्री उनके समक्ष रखकर अपने निर्देशन में उनसे बनवाएं। स्वयं करके वे अधिक अच्छी तरह सीख सकेंगी तथा उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा।

किसी भी राष्ट्र के विकास का अनुमान वहाँ के जनसमुदाय की सर्वांगीण प्रगति सामाजिक, आर्थिक स्तर स्वास्थ्य इत्यादि को देखकर लगाया जा सकता है। जिस प्रकार रूस के तकनीकी विकास

के पीछे वहाँ कि तकनीकी संस्थाओं एवं जापान के औद्योगिक विकास के पीछे वहाँ के उद्योगों का योगदान है उसी प्रकार भारत के विकास में कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से उनकी शिक्षण संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है।

यदि भारत के जनजीवन का पारिवारिक स्तर सुधरा है, ऊँचा उठा है तो इसका दोष कुछ सीमा तक गृह विज्ञान शिक्षण को भी जाता है। जो अन्ततः राष्ट्रीय विकास को प्रगति करता है।

विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वप्रथम योगदान तथा महत्वपूर्ण योगदान गृहविज्ञान का ही होता है। संस्थागत शिक्षण का ढांचा अत्यन्त ही सैद्धान्तिक होता है। संचार नवीनतम जानकारियों से परिपूर्ण होने के कारण इनका उद्देश्य व्यक्ति को तुरंत इनसे परीचित करा देना है। उदाहरणार्थ उर्वरक, खाद, बीज, कीटनाशाक आदि के जैसी ही कोई नवीन किस्म का आविष्कार होता है, उनकी जानकारी शीघ्र-अतिशीघ्र कृषकों तक पहुँचाने का। इसी प्रकार लघु उद्योग से जुड़े लोगों को व्यवसाय संबंधी जानकारी ऋण सुविधाओं की उपलब्धता बिक्री व्यवस्था की जानकारी देना।

संचार कार्य की सफलता अनेक तत्वों पर निर्भर करता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके लक्ष्य तक सफलतापूर्वक पहुँचाने के लिए मन की भावनाओं को प्रेरित करना होता है। संचार ही शिक्षा है तथा मानवीय व्यवहार में अधिकतम परिवर्तन करने की विधि ही शिक्षा है।



## **Arbiters for Social Justice in India**

**Dr. Ritesh Kumar**

Social Justice means the idea of an awakened social conscience. It is not possible to achieve the idea of social justice without adequate support and co-operation of the awakened social conscience. The term Social Justice in course of its evolution has come to acquire multifarious connotations. Some regarded it as synonymous with egalitarian society, yet others as socialism, other with welfare state. The Gandhians equate it with social sarvodaya, Ambedkarites with social democracy. Implicit in the concept of social justice is the necessity of safeguarding the rights and amenities of the minorities and uplifting of the socially backward classes or the dalit by the ways of socio-economic services of them or by way of democratic politics.

The Buddha was the first great social justice seeker and reformer of the old Indian Brahman dominated social system. He was first Indian who raised his voice against caste distinctions, social injustice and intellectual slavery. It is no wonder, that people from different walks of life were attracted to the "New Dhamma". Both Hinayana and Mahayana criticize the hindu caste system.<sup>1</sup> A Buddhist has no caste and he is free from the social restriction imposed by the hindu law of Manu and others. Buddhism has a place for everyone without any distinction of race or colour. This feature of Buddhism containing elements of social justice was responsible for its spread in countries of Asia in olden days. Pre-Buddhist period, The period was one of the spiritual dryness<sup>2</sup> where truth hardened into tradition and morality stiffened into routine life

became a series of observances the mind of man moved within the iron circle of prescribed ceremonialism.

The brahmanical religion, as it developed in its distorted form made India a land of special privileges for the few by virtue of their birth.<sup>3</sup> The caste system, whatever be its origin, has been their support and stronghold. The existence of the untouchable was the curse thereof. Manu laid down the law that women could have no liberty and classed them among the Shudras. Shutting both out from knowledge and thus reducing them to sub-human status. We have many voices of dissent and protest in the Indian society since later vedic ages. <sup>4</sup>The Lokayatas, Ajivikas and Charvaks representing skepticism and materialism were among the earliest rebels and dissenters. Later on social justice codes of life of Buddha was adopted by Emperor Ashoka. He consciously sought to follow rational spirit of Dhamma and even made it more broad-based for the governance of his vast empire comprised of multiple groups.

The question of social justice was adopted by Shrikrishna too.<sup>5</sup> Krishna has given us the highest philosophy of both our individual and composite social life. In his teaching India has found the secrets of her nation building and a synthesis of all our outer difference and conflicts of diverse races and communities and confusions of her numerous cults, culture, religion, philosophy.

Medieval Indian saints quest for the social justice is clearly discernible in their teachings who came from different parts of the country and from all strata of society in medieval India.<sup>6</sup> The saints-Guru Nanak, Chaitanya, Kabir, Janeshwar, Namdev, Tukaram were prophets and pioneers of social and religious freedom. With bhakti Saints, the Bhakti movements did not remain merely a religious movement, it became movement for social changes: it revolted against all social evils, caste system, untouchability and all other invidious distinctions between man and man and women. Kabir preached to foster harmony between man and man, between Hinduism and

Islam, he was extremely critical of gross inequalities and social injustice practiced by both Hindu and Muslim.<sup>7</sup> Akbar is the greatest gift of medieval India who strove for social justice at his best, he desired to see various socio religious communities in his empire co-exist peacefully and bring the common folks into purposive union with one another.<sup>8</sup> Amartya Sen hails Akbar as the real originator for secular social justice.<sup>9</sup> The question of social justice was similarly evident in the state policy of Shivaji, never allowed religious consideration to affect his state policy ensuring his secular outlook as did by Maharaja Ranjit Singh later.

Modern Indian reformers were all seekers of social justice, their whole effort is popularly known as Indian Renaissance. They based their reforms on old Indian way of life with a new meaning in the light of Western cultural movements. The philosophical of all reform movement in the 19<sup>th</sup> century India, be it the Brahma Samaj of Rajarammohan Roy, the Arya Samaj of Swami Dayanand Saraswati, the Theosophical movement of India headed by Annie Besant or the Ramakrishna Mission of Swami Vivekanand are to be found in the ancient

Indian Scriptures. Even the Satyashodhak Samaj of Mahatama Jotirao Phule, though it rejected the entire Aryan heritage, invoked ancient Indian myth of Baliraja in support of the low caste protest movement.<sup>10</sup> Rammohan Roy faith rightly remarked, He was totally against any useless religious restraints coming in the way of worldly affairs and ridiculed all the religious taboos concerning caste, food, marriage and worship. He wanted that Shudras to be permitted to read Vedanta in translation too argued a Brahmans should not be considered a Brahmans simply because of his jati or verna ; he must also be a brahmanistha did great advocacy for inter-caste-marriage and inter-communal-marriage. The time-honoured practice of sati finally succeeded in securing its abolition has been of great contribution of Rammohan Roy.

Mahatma Gandhi in recent time advocated and practiced non-violence on a national scale and showed its capacity to solve world problem based on social justice.<sup>11</sup> Mahatma Gandhi held that true law is Shatam Pratyapi Satyam (Truth even up to wicked).<sup>12</sup> For Dr.B.R.Ambedkar, The Dhamma is fundamentally

and essentially social justice, Dr.B.R.Ambedkar's sense of Indian Independence were actually involved in formulating the principles of state policy with a view to securing social justice to all of their countrymen. Social Justice still awaits to be analyzed in more details to give an appropriate answer to many of present problems of social justice.

### References

1. Ibid..p.52.
2. S.Radhakrishnan, *Indian Philosophy*.vol.I.P.265.
3. The law of Manu, F.Max Muller vol.25 PP195-199.
4. Romila Thapar - *Cultural Past* PP-222-223.
5. Bipin Chandra Pal's *ShriKrishna : The project of race fusion and spiritual harmony* PP128-129.
6. Buta Singh, *The Dalits and Dalit Awakening in India* PP-51-55-59.
7. R.C.Majumdar, *An advanced history of india*, 4th ed, Madras. 1978 PP-455.
8. Amartya Sen, *The Argumentative India-2005*, PP-18-19.
9. Elliot & Dowson, *The history of India as told by its own historians*,P-260, Cited in J.V Naik.p.22.
10. S.N. Mukherjee, *The social implications of political thoughts of Rammohan Roy*, Sponsored by ICHR ,PPH.PP-356-389.
11. Raghvan Iyer-Young India, *The essential writing of Mahatma Gandhi*.PP.113.
12. The essential Writings of B.R.Ambedkar-2002,p.57.



## Changing Role of Museums

Nazmeen A.H. Anam

Museum is a cultural data bank which comprises of material remains of the past. According to the various definitions, it is a non-profit making permanent organization. It is essentially a cultural interpretation centre, which provides scope for spread of knowledge. Artefacts in the showcases which do not know the boundaries of language can provide ample information about culture.

Although Museum was considered as the citadel of learning from the beginning of its inception, it was open only for the people of the royal house and scholars. The common people did not have access to it. The potentiality of the artefacts behind the glass cases has only been realised gradually. Earlier a class of people thronged to the museum to satisfy their curiosity, where aesthetic value was the prime concern. But, today the role of museum has changed; emphasis is laid to gather information on historical connection of the artefacts, which may lead to new discoveries. An object or an image in a museum gallery remind us the period of its creation, the artist who created it and the environment; but it is not so, when we observe it outside the four walls of a museum. Our approach towards the object makes all the difference.

The function of Museums as treasure troves of the past for providing aesthetic values has been extended. The static nature of exhibits is being replaced by dynamic functions. In a museum, the simplicity of an object is lost as soon as it is labelled and digitised. When a visitor visualise an exhibit, a kind of learning environment is created, which enables him or her to react with the object through the media of seeing and

hearing. The consequence of such a series of reactions gives birth to a situation, where one can fill up the missing links. The adoption of digital technology in exhibits, transforms onlookers to participant visitors.

Display in museum is now considered a very important part. Comprehensive and distinct labels with proper lighting and the immediate environment in the showcase of a museum, attracts the visitors or learners. It is expected that the museums exhibits to have error-free labels. Because, no teaching - learning material accompanies the exhibits, nor there is any compulsory curriculum. Display should be such that, it motivates the learner. Education in a museum is a spontaneous process between the objects and the visitors. There is tremendous change in the role of museums. Earlier the artefacts remained unfocused within the glass shelves in a museum.

Role of museum have changed. The watchword "Look but do not touch" is over now. Great impetus is given in the educational role of museum. The static exhibits are turned into potential information items, provided there is interaction between the visitors and exhibits. Museum education is non formal education. Museums provides a learning situation, in which the visitors imbibe knowledge.

Museums serve as stimulation of brain and at the same time it provides a joyful experience. The most important part of museum is the exhibition which should be appealing to the visitors. Displaying the objects in proper heights and lights with distinct labels and specific information is essential to attract visitors and motivate them in the process of learning. Museum exhibition is favoured when the scale of objects and display spaces have a proper relationship. Some objects are best viewed at eye levels or when hung high. Again, small objects in a large show case get lost. If large and tall objects are displayed in narrow corridor or crowded gallery, it will cause strain to the visitors. That is why the scale and size of artefacts and the distance of viewing should be well co-ordinated. Pleasing colour combination is very important in museum

---

M.Sc. , B.Ed., Museum Curator Assam Institute of Research for Tribals and Scheduled Castes Jawaharnagar, Guwahati -22

display, because it is required to accentuate the objects not the background. Therefore, the pleasant colour combination is welcomed, not the loud ones. The arrangement of objects should be such that, it is in harmony with the size and type of showcases. Textiles can be displayed in horizontal rods in show cases. The purpose of motivating viewers can be well be done by proper display. A gallery full of dioramas is an unpleasant arrangement. A few exhibits in solitary pedestals, some objects in rectangular or square blocks in a showcase, a few dioramas and some cabinets (less height) for displaying coins and jewellery are considered ideal type of display. Informative materials like maps, photographs, charts, folder etc. can be displayed in the corner to give a proper orientation. Techniques of exhibition keep on changing to be at par with the changing roles of museums.

The concept of interactive museum has been adopted in many advanced museums. The static objects are now digitized with the push of a button, where one can know volumes about the exhibits. Lots of information of the artefacts, like the socio-cultural environment, its origin etc. can be derived. In the galleries of science and natural history, the modern museum uses replicas, graphics, animated sound etc. for proper representation of the theme. To meet the actual purpose of museums, it has certain roles to perform. For educational exhibition, a theme may be selected like traditional musical instrument of an ethnic group

or weaving. The interpretation of the exhibition may be enhanced by engaging artisans or weavers to weave in their looms. The theme can be more accentuated by depicting the different stages of making yarns, dyeing and its various uses. Such exhibitions are very much effective in dissemination of knowledge and at the same time providing some amusement.

Cultural diversity, cultural identity, human rights, reconciliation, environmental awareness have all become important aspect of the museums focus. These changes call to be constantly engaged in consultation with communities. Museum exhibition must become vehicles for dialogue rather than narrow narrations by museum experts (Simpson, Moira).

Bringing museums to the community has become an important agenda at present. Publicity of museum programmes through museum calendars should reach the educational institutions and the media in advance to ensure participation of visitors. A very effective mode of museum education programme is the guided tour assisted by a museum staff. Prior to visitors interaction with the exhibits, an experienced guide should brief the visitors with a introductory note of the programme. Digitisation of museum artefacts has brought a tremendous change in the whole scenario. Visitors can collect information in depth through this technology. But most of the museums are still lagging behind. They are yet to develop these new technologies.

In the past as well as in the present, museums are serving to preserve and conserve a community's natural heritage. They are also playing a key role in developing a sense of identity for the area in which they are located. In some communities, where tourism is an integral part of the local economy, museums can act as magnets to attract tourist.

The museums of yore, where only royal and selected people had access to it, had been now replaced by museums where community participation is of utmost importance. The new role of museums have helped to foster a sense of local pride and belonging which have traditional cultural values. Now, people can find the change and continuity within the local area and can explore their community's roots. Museums are cultural interpretation centre, which should lay emphasis on cultural development, and thereby educating the mass. Proper co-ordination between museum educational institutions and communities should be such that, it imparts a sense of understanding a nation, its history, resources and cultures.

### Reference

- Anam, N.: *Educational Dimension in Museums, in Higher Education*, (ed) Choudhury, Choudhury & Dutta, Vol-1, APPOCUS, Cotton College, Guwahati, 2011.
- Dwivedi V.P and Pant G.N.: *Museums and Museology*, New Horizons, Agam Kala Prakashan, Delhi, 1980.
- Jeelani, S.: *The Sentinel – Relevance of Museums to Society*, 2010.



# **A Discussion of Professor Lord Colin Renfrew's Lectures held on the Occasion of Archaeological Survey of India's 150<sup>th</sup> Anniversary Celebrations**

**Ajay Pratap**

I was privileged to be invited to the above lectures by the Archaeological Survey of India which in 2012 is celebrating its 150th year of founding. In this article I have tried to discuss and give a summary of the main points raised in the lectures<sup>1</sup>. Professor Lord Colin Renfrew is Emeritus Disney Professor of Archaeology, Department of Archaeology, University of Cambridge, and the Founder and Senior Fellow of the McDonald Institute of Archaeology, University of Cambridge, United Kingdom.

*Public Lecture I - Towards a World Prehistory - Delivered on 15th December 2011*

The subtitle of this first of the series of public lectures delivered by Lord Colin Renfrew, as curtain-raiser for the aforesaid 150th anniversary (1861-2011) of the Archaeological Survey of India

was: What Have We learnt in 150 years? We learn first that in December 1861, the Archaeological Survey of India (henceforth the ASI, the preferred acronym for it given by Indian archaeologists and the interested public), that it was founded by Sir Alexander Cunningham, which explains the timing of this series of lectures. Lord Renfrew suggested, as an introduction that the plan for the two lectures, was to address centrally three issues: Cognition, Archaeology and Language.

He suggested that in his view the role of the ASI in conserving archaeological sites and monuments has been very good. However, he also suggested that as much of the Indian past is indeed prehistoric, that further effort in its conservation was necessary. However, as the ASI was founded in 1861, and has been working at its job of conserving the Indian Heritage very well, we must also remember that indeed such an agency was founded in Britain only much later than the date of the ASI being founded in India. To substantiate this point relevant slides of Sir Alexander Cunningham (The First Surveyor General) and Sir John Marshall (the First Director-General), were shown by him accompanied by peals of laughter where appropriate from the public as Professor Renfrew went about showing their own evolution from childhood, maturity, to the old age.

Speaking then about the very last British Director-General of the ASI, Sir Mortimer Wheeler, and his very famous work *Archaeology from the Earth*, Lord Renfrew suggested, that in this book of his Sir Wheeler has spelled out very precisely his approaches to chronology, stratigraphy and layout of excavations. That is his very famous Grid Square Method of excavation which he himself learnt from General Sir Pitt-Rivers was and is still used widely in India, as well as, was used by Lord Renfrew himself, in his excavations on the Island of Keros, Greece.

However, and speaking of the origin and the evolution of archaeology, more generally, he commented that before the rise of archaeology as a modern scientific discipline, there was a time

---

Associate Professor, Department of History, Faculty of Social Sciences,  
Banaras Hindu University, Varanasi - 221 005

preceding it, when absolutely nobody believed in anything but a divine origin of this earth. The British Archbishop Ussher had calculated that according to the Book of Genesis the earth was created on the 23rd of October, in 4004 B.C. This idea was firmly believed in by the public until the writing of Charles Darwin's *The Origin of Species* in 1859, and its much later publication, in 1871. The nail in the coffin to the divine origin theory of the earth was provided by Charles Darwin's next work *The Descent of Man*.

It was through such a process that the theory of the evolution of humans on this planet was first outlined. The current understanding of human evolution is the earliest of human ancestors, are now broadly called *hominins* (emphasis mine). In my view this was a point of significant departure in this lecture. The lecture then moved to a brief discussion by Lord Renfrew of the status of human origins research in world prehistory. *Homo australopithecus zinjanthropus* (also fondly called as the *Zinj*), *Homo habilis*, *Homo erectus*, *Homo neanderthalensis* and the Cro magnon man were human ancestors, who preceded the *Homo sapien sapiens*, the modern man in the evolutionary ladder. Professor Lord Renfrew then explained that except for the modern humans, all the other human ancestors, have been together technically named as Hominins: the earlier ones more monkey-like are hominoids, the later ones more human-like are called hominids.

This brought Lord Renfrew's first lecture to the very historical turn, where the colonial period geologist Mr. Robert Bruce-Foote found the very first Acheulean (or Lower Palaeolithic) Tools in India, some hand-axes, at Pallavaram, Madras which squarely pushed back the antiquity of humans on the Indian subcontinent by several Lakhs of years. It was left to a very much later Yale-Cambridge Expedition in which elsewhere in India were found very much cruder tools of the lower Palaeolithic, called chopper-chopping tools, such as the very famous Soanian Chopper-Chopping Tool Complex, which although also of the Lower Palaeolithic, are different from the Pallavaram Industry since the Soanian Industry have parts of the parent rock called the cortex or core still attached with them, whereas the Lower Palaeolithic hand-axes of Pallavaram Tradition are sans such crudery and are very elegant to behold, with little or no core or cortex present on them.

Discussing contemporary prehistoric research of significance in India, Lord Renfrew, here, turned to discussing the recent researches of Dr. Shanti Pappu, an Indian Archaeologist, who has, through her recent excavations at the site of Attirampakkam (in Tamil Nadu), has discovered Acheulean Tools, of the hand-axe tradition, which have been dated to 1.5 MYA (Pappu et al. 2011). To explain the significance of her discoveries he prefaced his discussion of her findings by giving the

broader canvas of human origins research in the global context. He suggested that archaeologists researching world prehistory have shown

To indicate the significance of her excavations of a Palaeolithic floor at the Attirampakkam site, which has yielded Acheulean tools dated to 1.5 MYA, he prefaced the discussion of her findings, by pointing to the broader canvas of human origins research in the global context.

He suggested that archaeologists researching world prehistory have shown that it was the *Homo erectus* ancestor, who migrated out of Africa, to populate the rest of the world. The timeline for his existence is 1.3 to 1.8 MYA<sup>2</sup>. The date for the Acheulean strata at Attirampakkam has been set at 1.5 MYA, using the cosmic-ray exposure dating method (Pappu et al. 2011). It is, therefore, indeed true that it was the *Homo erectus* hominin who lived at the Attirampakkam.

At this juncture, Lord Renfrew showed us some slides of the footprints of *Homo australopithecus zinjanthropus*, the first hominin, which was first discovered by Mary Leakey at Laetoli, in Tanzania, and which appeared to be the footprints of a bi-pedal gaited hominin. These as they appeared in this slide were the foot-prints, some ten such marks in all, of one individual hominoid, which were sort of crunched into the ground onto a slatish coloured substance which is Volcanic-Ash: by archaeological standards surely a most freakish, but a most marvellous discovery<sup>3</sup>.

As until this point the Zinjanthropus ancestor and the Erectus ancestor had been discussed, and Habilis the intervening hominoid had been skipped-over completely as if this intervening ancestor was of no consequence in human evolutionary sequence, to my mind that omission begged the question: where does Homo habilis come in? But that is another story. And why indeed did Professor Lord Renfrew just gloss-over the Homo habilis ancestor?

As almost two months have elapsed since this lectures and indeed I have had some time to think over this issue and here therefore are my thoughts on this issue. According to the Wikipedia<sup>4</sup> this Homo habilis ancestor intervening between the Zinj and the Erectus, is said to have existed between the dates 2.3 to 1.4 MYA. In the light of this overlap of a 100, 000 years between the habilis and the erectus ancestors' existence on this earth is it thus not possible that the Homo habilis and the Homo erectus ancestors inter-bred, just like the Homo neanderthalensis and Archaic Homo sapiens did? And, further besides inter-breeding the erectus ancestor also competed with the habilis for the same resources and then subsequently competed them out, just like the Archaic Homo sapiens did the Homo neanderthalensis? Thus and having seen ample slides shown by Lord Renfrew of the Attirampakkam's excavated depths and layers (see also Pappu et al, 2011, pp. 1596-7), and of its Acheulean Tools,

which are of various and very delightful colours, and very symmetrical too, and mainly of the Hand-Axe tradition similar to those which earlier were located by R.B. Foote (also shown by Professor Renfrew), one begins to wonder if the Attirampakkam Site was populated by the Homo habilis or the Homo erectus hominid? Or both? This hypothesis needs to be tested.

Here in the interest of the general readership it is worth mentioning that the dates (according to various pages of the Wikipedia relevant to early hominins) of Zinj, Habilis, Erectus, Neanderthal, Cro-magnon, Archaic Homo sapiens, and Homo sapiens sapiens, all overlap to varying degrees: Zinjanthropus (2.6 to 1.2 MYA), Homo habilis (2.3 to 1.4 MYA), Homo erectus (1.8 to 1.3 MYA), Neanderthal (800, 00 to 50,000 years ago), Cro-magnon (35,000 BP), and Archaic Homo sapiens 200, 000 years ago). In the opinion of this reviewer then the human evolutionary sequence in India then is in need of further research based on fossil evidence.

However, that as it was, was after his narrative, in this lecture, had already moved onto Vere Gordon Childe and his idea of the Neolithic Revolution, or the Urban Revolution, which brought with it, the rise of agriculture, the first permanent villages, and homesteads, the domesticated species of plants like emmer, *Triticum dicoccum*, flax (teesi) *Linum usitatissimum*, and einkorn, *Triticum boeoticum*, and the domesticated species of animals like Buffalos, Cows,

Horses, Sheep, Goat and other animals (Ucko and Dimbleby, 1971), leading to the founding of the first cities of the world, which as it were, were mainly to be found in and around what Vere Gordon Childe called the 'Fertile Crescent', a crescent-shaped range of mountains, running across a few countries, of which Turkey is the chief one, in the West Asian territory.

Speaking further about Childe's concept of the Neolithic Revolution in food producing strategies, which really refers to a time when people or prehistoric societies very gradually changed-over from gathering food for subsistence through hunting to full-scale animal domestication and agriculture, and from an itinerant sort of settlement to more permanent sort of settlement-behaviour, and leading consequently to the rise of the first cities from the accumulation of the surplus production through agriculture, the so-called urban revolution. Professor Lord Renfrew then argued that Vere Gordon Childe had been entirely correct in all respects in his explanation of this worldwide phenomenon, as having taken place after the emergence of agriculture during the Holocene, the contemporary climatic regime', that is, and which follows from the last ice-age, the Pleistocene, ending closer to 10,000 BCE (or Before Common Era).

Taking further this cue, Professor Lord Renfrew also suggested that the emergence of writing, evidenced in the Indian context by the rise of Brahmi and Kharosthi scripts, in the

Maurayan Period, as well as the Cuneiform script of Uruk, one of the first cities, of the West Asian territories, neighbouring the Fertile Crescent; is all evidenced there as a consequence of agricultural intensification, accumulation of surplus, division of society into producing and consuming classes, which is the appearance of ranked society (Renfrew and Shennan, 1982) from its predecessor, the much bandied egalitarian society; a term now attracting some further reconsideration (Panter-Brick et al, 2001); and most urgently the appearance of writing as a consequence of urbanization. What preceded writing? This most interesting question was left by Professor Renfrew, as a subject to be discussed, in his second lecture.

Speaking now of the cities of the Indus Valley civilization, Lord Renfrew was of the view that this civilization arose as a consequence of post-Pleistocene environmental change which facilitated agriculture and animal domestication and therefore led to more complex settlement patterns, such as urban ones and ranked societies as are evident in the plethora of the urban phase of the Indus Valley Civilization.

Explaining then what constitutes a cognitive approach to archaeology (Renfrew 2010), he explained how we may be able to recover ancient systems of thought from archaeological material culture. He used the example here of such objects as the weights and measures of the Harappan civilization. He explained that these weights

and measures which are often highly regarded by the public on account of their perfect symmetry and very aesthetic colours are in terms of their shapes and sizes, from the smallest to the largest most about an inch across, in fact in a fixed ratio and progression (see Renfrew 1994). Thus leading to the undeniable conclusion that the cognitive ability to arrange things according to their sizes in relation to one another was definitely present with the Harappans. This is as I would summarize this point<sup>5</sup>.

He then explained that doing cognitive archaeology in such a situation implies asking this question most centrally - What were they thinking? Thus discussing again the Harappan system of weights and measures, he explained that since units of measure were used, this gives us a view of an aspect of the Harappan cognitive system which is that issues of 'how much?' did characterize Harappan thinking. This example of standardized Harappan system of weights and measures then also suggests the existence of a system of exchange of goods leading to the conclusion that ideas of numeration and quantification underlie Harappan economy, indicating that the Harappan system of trade and exchange were fully modern.

While showing slides of Mohenjo Daro and its first excavator Sir John Marshall, Professor Colin Renfrew implied that the issue of social structures underlying Harappan

society could be researched better. This, he emphasized by showing slides of the priest king statuette, the dancing girl bronze statuette, the seated yogi and so on. This in turn suggested a dearth of iconic materials signifying rank, such as from Egyptian and Mesopotamian sites, which would have helped us, characterize Harappan society and its cleavages better. The iconic material from the Indus valley Civilization sites excavated thus far do not *sensu stricto* depict rank (Renfrew and Shennan, 1982).

Professor Lord Renfrew then raised the evening's moot point - the explanation of culture change which is - why did human civilizations change when they did? This is a question Indian historians not stressed amply pointing out discontinuities and continuities in culture in the context of explaining culture changes from the age of Sadasamahajanapadas to the rise and decline of the successive empires of the Mauryas, Sunga, Kanva, Kushana and the Guptas.

Moving towards concluding this lecture then, and to fulfilling its remit, to discuss Cognition, Archaeology and Language - Professor Renfrew pointed to the importance of the recovery of prehistoric languages as a worthwhile enterprise. For clearly material culture in its widest sense including prehistoric paintings exist within the matrix of prehistoric languages now considered lost irretrievably. However, if these languages are by some means

recovered then the material cultures of prehistory, including prehistoric art, would make much better sense (Malafouris and Renfrew 2010). In the view of this reviewer this point breathed fresh-life into Indian Prehistory.

Speaking, then, of the origin of Indo-Aryan languages, Professor Renfrew raised the problem of what languages preceded the Indo-European family of languages. Here the PIE (the Proto-Indo-European) Languages were introduced into this debate. Here Professor Lord Renfrew really stated rather too vaguely the main points of his conclusion regarding the origin of the Indo-Aryan Family of languages.

It is also the opinion of this reviewer that Professor Renfrew's maps and charts showing the homeland of the PIE family Languages as having their postulated 'homeland', in Anatolia (i.e. Turkey), and its dispersal in various directions from this postulated homeland, fits in rather too conveniently with the basic idea that if the Neolithic Revolution took place in Anatolia then this must also have been the centre of the development of the PIE. This is simplistic. Basing as he did this conclusion of his on his theory of the genetic relatedness of

various languages, which is a method in linguistics, which is a modern-day avatar of the now well-outdated Glottochronology Method. The emerging picture varied only marginally from the one which equally Sir William Jones (Singh, 2004) and present-day Indian historians (Jha, 2008) regard as the homeland of the PIE and the IE languages as, the region of the Russian steppes.

### *Bibliography*

- Jha, D.N. 2008. *Ancient India in Outline*. Manohar Publishers. Delhi.
- Panther-Brick, C., Layton, R. and Rowley-Conwy, P. 2001. *Hunter-Gatherers. An Interdisciplinary Perspective*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Pappu, S., Gunnell, Y., Kumar, A., Braucher, R., Taleb., Demory, F., and Thouveny, N. 2011. Early Pleistocene Presence of Acheulian Hominins in South India. In *Science* 331, 1596-99: DOI: 10.1126/science. 1200183.
- Possehl, G. L. 2002. *The Indus Civilization: a contemporary perspective*. Vistaar. Delhi.
- Renfrew, A.C. Stephen S. (Eds.) 1982. *Ranking resource and exchange. Aspects of the Archaeology of Early European Society*. New Directions in Archaeology Series. Cambridge University Press. Cambridge.
- Renfrew, C. and Zubrow, E. (eds.) 1994. *The Ancient Mind. Elements of a Cognitive Archaeology*. New Directions in Archaeology Series. Cambridge University Press. Cambridge.
- Malafouris, L., Renfrew, C. (Eds.) 2010. *The Cognitive life of things*. McDonald Institute of Archaeological Research. Cambridge.
- Singh, U. 2004. *The Discovery of Ancient India*. Oxford India Paperbacks. Delhi.
- Ucko, P.J. and Dimbleby, G.W. (Eds.) 1971. *The Domestication and Exploitation of Plants and Animals*. Beresford Books. London.

### *(Footnotes)*

- <sup>1</sup> I should add here that necessarily the text presented here constitutes my impressions of Professor A.C. Renfrew's lectures, and hence, and also necessarily such issues of debate arise as have here been included.
- <sup>2</sup> See Wiki Pages: see [http://en.m.wikipedia.org/wiki/Homo\\_erectus](http://en.m.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus). Consulted on 1.3.2012
- <sup>3</sup> See Mary Leakey Foundation website: <http://leakeyfoundation.org/about-us/leakey-family/mary-leakey/>. Consulted 19th January 2012.
- <sup>4</sup> See Wiki Pages: [http://en.m.wikipedia.org/wiki/Homo\\_habilis](http://en.m.wikipedia.org/wiki/Homo_habilis). consulted 1.3.2012
- <sup>5</sup> However see Renfrew, C and Zubrow, E (eds.) 1994. *Archaeology of the Mind. Elements of a Cognitive Archaeology*. New Directions in Archaeology Series. Cambridge University Press, Cambridge, for a discussion of this issue.



## **The Relevance of Gandhi's Educational Philosophy For the 21<sup>st</sup> Centaury**

**Ranvijay Kumar**

### *Educational Philosophy of Gandhi*

Education was one of the major concern of India nationalism and had engaged the finest minds of the country. The Congress took up the cause of national education in its annual session of 1906 and in 1910, passed a resolution making free and compulsory primary education one of the national goals. In 1937, soon after the congress accepted office in the provinces, Gandhi took the initiative in elaborating a concrete educational programme which could be implemented by the Congress ministries.

Through his writings in the Harijan he developed his educational ideas around the pedagogical possibilities of handicrafts and manual labour at the primary level, particularly for rural India and of making such a system self-supporting. Self-supporting feature was important because of the paucity of funds the Congress ministries were likely feature was important because of the paucity of funds the Congress ministries were likely to face especially if they were to implement their Gandhian programme of 'Prohibition' (Higher Education for meeting 'national requirement whether in the various industries, technical arts, belles-letters or fire arts', was in his view to 'be left to private enterprise'. 'Question before Educational Conference', Harijan 2 October 1937.

---

Research Scholar

### **Basic Writings**

Most of Gandhi's important writings on education have been compiled and edited by Bharatan Kumarappa in two slim books, Basic Education (1951) and Towards New Education (1953). These writings are mostly miscellaneous, consisting of letters, speeches, extracts from books, and so on, but together they may be taken to constitute a coherent philosophy of education. The most significant single document in all of Gandhi's writings on education is probably the Inaugural Address that he delivered at the Wardha Conference of 1937.

### *The Agenda of Educational Philosophy of Gandhi*

The Agenda, formulated by Gandhi, contained four propositions, which may be summarized as follows: 1. "The present system of education does not meet the requirements of the country..." 2. "The course of primary education should be extended at least to seven years and should include the general knowledge gained up to the matriculation standard, less English and plus a substantial vocation." 3. "For the all-round development of boys and girls all training should as far as possible be given through a profit-yielding vocation." 4. "Higher education should be left to private enterprise and should be to meet national requirements whether in the various industries, technical arts, belles-letters or fine arts" (Varkay 3-4).

At the conclusion of the conference, four Resolutions were adopted. These had been proposed by a committee, which worked through the night, under the Chairmanship of Zakir Hussain. The resolutions were: 1. "That...free and compulsory education be provided for seven years on a nation-wide scale." 2 "That the medium of instruction be the mother-tongue." 3. "That ... the process of education ... should centre around some form of manual and productive work.... 4. "That...this system of education ... be gradually able to cover the remuneration of the teachers" (ibid 5-6). Afterwards a committee was formed to design a suitable syllabus and to submit

its report to Gandhi. This report was submitted in December 1937. Thereafter, a second Report was published in 1938, with detailed clarifications and replies to objections raised against the first Report. This second Report contained detailed syllabi for three subjects, or crafts as Gandhi would have preferred to call them: agriculture, spinning, and weaving.

So, all these documents – Gandhi's Inaugural Speech, the Agenda, the Resolutions, and the two Reports that followed, make up the kernel of Nai Talim or the New Education, that later became famous all over India.

### **Propose of Study**

What I propose to do here is not to examine these texts in great detail, but focus instead on Gandhi's underlying principles of education upon which they were based. This will enable us to escape from an engagement with the nitty-gritty of the syllabus or of several other practical aspects of the scheme such as funding. In fact, most the objections and criticisms were aimed at these aspects while very few questioned the basic philosophy behind them. The latter is clearly voiced by Gandhi in his aforementioned Inaugural Address, to which we can now turn for a more detailed look.

Gandhi begins by explaining that his educational agenda includes both primary as well as higher or college education, but his emphasis is clearly on the former. Also that his ideas are an outcome of his extensive travels through

Indian villages and his experience of rural life in South Africa (see Varkey 19-20). In other words, Gandhi's educational philosophy was born out of his intense need to better the condition of rural India. As Kumarappa puts it, "Gandhiji saw that the only way of saving the nation at that juncture was to revive village economic life and to relate education to it. Education ... was to be based on village occupations. The child was to be trained to be a producer" ("Editor's Note" to Basic Education: iii).

According to Gandhi, but as a nation we are so backward in education that we cannot hope to fulfil our obligation to the nation in this respect in a given time during this generation, if the programme is to depend on money. I have therefore made bold, even at the risk of losing a reputation for constructive ability, to suggest that education should be self-supporting. (Gandhi's Educational Programme, Harijan, 31 July 1937, CWMG 65, pp 447-53.) By education I mean all-round drawing out of the best in child and man – body, mind and spirit. Literacy is not the end of education nor even the beginning. It is only one of the means whereby man and woman can be educated. Literacy in itself is no education. To a charge by a correspondent that his scheme neglected literacy Gandhi wrote: "There is nothing in what I have written to warrant such a belief. For, have I not contended that the children in the schools of my conception will receive every instruction through the handicrafts they may be

taught? That includes literacy. In my scheme of thing, the hand will handle tools before it draws or traces the writings, the eyes will read the picture of letters and words as they will know other things in life, the ears will catch the names and meanings of things and sentences. The whole training will be natural, responsive, and therefore the quickest and the cheapest in the end .... If the school of my conception ever come into being, I make bold to say that they will vie with the most advanced schools in quickness, so far as reading is concerned and even writing, if it is common ground that the writing must be correct and not incorrect as it now in the vast majority of cases', [Harijan 28 August 1937, CWMG, 66, PP 80-81.]

In October he restated his ideas in the form of two propositions: 1, 'Primary education extending over a period of 7 years or longer, and covering all the subjects up to the matriculation standard, except English, plus a vocation used as the vehicle for drawing out the minds of boys and girls in all departments of knowledge, should take the place of what passes today under the name of Primary, Middle and High School education.'

2. 'Such education, taken as a whole can and must be, self-supporting, in fact self-support is the acid test of its reality'. Gandhi asked 'the educationists of the country, who have no axes to grind, and who have an open mind,' to study his propositions 'without allowing their pre-conceived and settled notions about ... education to interfere with the free flow of

reason.' He urged them not to allow his 'utter ignorance of education in its technical and orthodox sense, to prejudice them' against his ideas. 'Wisdom, it is said, often comes from the mouths of babes and suckling.' (doing not Idle Thinking' Harijan 2 October 1937.)

Gandhi's ideas generated a national debate and attracted international interest. An all India national education Conference was held on 22 and 23 October 1937, at Wardha, to discuss the agenda set by Gandhi. Even Gandhi said in his inaugural speech, 'here I am place before you frankly all my ideas on national education which I have been adumbrating through the columns of the harijan. I am open to free and frand criticism, so that I may clarify some misunderstandings in connection with my scheme, ' [Extract from proceeding of the Conference held at Wardha, 22 and 23 October 1937, in Educational Reconstruction (published by E.W. Aryanayakam. Secretary, Hindustani Tamil Sangh, Ahmadabad, 1938, containing Gandhi's writings on education, proceeding of the Wardha Conference and Zakir Husain Committee reports.)]

Gandhi also insisted that his scheme for primary education would include "the elementary principles of sanitation, hygiene, nutrition," besides "compulsory physical training through musical drill" (Varkey 22). Gandhi refutes the charge that he is opposed to "literary training," and rejects the accusation that his scheme would result in the exploitation

of children. "Is it burdening the child to save him from disaster?" he asks. Besides, he argues, the takli is an effective toy, not just the source of livelihood (ibid). Unlike the present system which is wasteful, unaffordable, and alienating, Gandhi argues that his scheme would make students strong, confident, and useful to their parents and their country. Gandhi adds that his system would lead to communal harmony because it would be the same for all; it would this be 'Practical religion the religion of self help (Varkey 23), Gandhi believes that his "plan springs out of non-violence" (ibid 23). It has the capacity to make students "true-representatives of our civilization, of the true genius of our nation" (Varkey 23-24). We are not to follow Europe, Rusia. Or America. Gandhi says, because their systems are founded on violence and exploitation (Varkey 24).

When we examine the main ideas in this Inaugural Address, we find that they were in Gandhi's mind for several decades. Though Nai Talim itself was launched in 1937 as we've just seen, Gandhi's experiments with education, which began on the Tolstoy farm, were at least 30 years old. Similarly, the basis of many of his later ideas can be found in Chapter XVIII of Hind Swaraj (1909), that the bible of non-violent revolution, which also contains most of the essential elements of the entire Gandhian violent arsenal. In this chapter, Gandhi clearly defines what he means by education. It is not

merely "a knowledge of letters" (87). He is totally against the widespread use of English as the medium of instruction: "To give millions of knowledge of English is to enslave them .... It is not a sad commentary that we should have to speak of Home Rule in a foreign tongue?" (90). Gandhi later reserved a more limited place for English as a language of international communication. Gandhi also disapproved of "the pretension of learning" (92). In brief, in Hind Swaraj, Gandhi considers "character-building."

What is today known as value - education, as the "foundation" of his idea of education. And this foundation had to be built in primary education itself ought to be compulsory.

The conference appointed a committee under Dr. Zakir Husain. Principal, Jamia Millia Islamia, Delhi, to prepare a detailed school of primary education for rural areas the two basic proposition of Gandhi. The committee presented such a scheme in early December 1937 and by March 1938 it had prepared a syllabus. This came to be known as Wardha Scheme.

Earlier, the Central Advisory Board of Education, set up in 1921 by the Casement of India. Had appointed two committees to report on Vernacular Primary Education and Vocational Education in India. The Vocational Education Committee (headed by A. Abbott, former Chief Inspector of Schools, England and S.H. Wood. Director of Intelligence, Board of education.

England, reported in mid-July 1937. Its main thrust was or 'learning by doing'. The Vernacular Education Committee. Which reported in February 1938 recommended that the medium of instruction at the primary level should be the mother tongue, and that school should be managed by the local governments. Gandhi's educational scheme, however, differed from these reports in important ways.

### *Problems in the Proposed Area*

Of course, we need to remember that Gandhi's views were grounded in a larger perspective which might be termed anti-industrial, if not anti-modern. As Kumarappa puts it, Gandhi "was convinced that machine civilization ... brought about enslavement and exploitation of vast sections of a nation and of industrially backward peoples" (Basic Education iv). So education was one of the several planks of his larger civilizational agenda, in which the independence of Indians were thus meant to transform backward, illiterate, exploited, desperately poor peasants into self-confident and self-respecting citizens of a new community and nation. In that sense, Gandhi was the least elitist and most practical of our major educational thinkers of this century. Gandhi's idea of culture can be summed up in his reply of to Rabindranath Tagore. "I do not want my house to be walled in on all sides and my windows to be stuffed. I want the cultures of all the lands to be blown about my house as freely as possible.

I refuse to live in other people's houses as an interloper, a beggar or a slave," Young India 1-6-21 (quoted in Towards New Education 9-10).

One thing I would be useful to restate briefly the various facets of Gandhi's educational philosophy as outlined above, them to the following cardinal postulates: 1) Education means all round development; it is best obtained through action. 2) Education has to be through a craft, not merely through books and abstractions. 3) The basis of true education is character building; and educated person should become an ideal citizen. 4) Education should be self-supporting as far as possible and also equip the pupil to better his own economic conditions. 5) Education should be based on non-violence and should work for communal harmony. 6) The medium of instruction should be the mother-tongue, not English. 7) Primary education should be free and compulsory for all children and should last for at least seven years. 8) All educational planning should be undertaken with the rural Indian masses in mind; in other words, education should not be elitist, but popular in its character.

### *Relevance of Gandhi's Educational Philosophy in 21<sup>st</sup> Century*

From the foregoing discussion, it will be clear that certain fundamental principles are intrinsic to Gandhi's educational philosophy. These principles include equity, social justice, non-violence, human dignity, economic well being,

and cultural self-respect, all of these can be subsumed into the broader, umbrella term of Swaraj. If we think of the coming decades from the point of view of Swaraj, we'll see that there is much work to be done. In our country, especially, it is obvious that we are very far from achieving the ideal of Swaraj. There is also an unconscionable gap between the rich and the poor. Coming to education, each of classes and subclasses are marked by their own brand and type. Of course, the vast underclass of over 400 million souls has no access to any sort of amount of capital outlay made. What I have been suggesting is that when we regard the onset of the new Millennium, we are confronted with at least two contrasting possibilities, on the one hand the world order struggling to be born will be as bad as or worse than the one which controls our lives today. On the other hand, we might be more hopeful and optimistic, praying for a healthier, happier, and more prosperous tomorrow, with less inequality and human misery, a world without wars and disease, without starvation and suffering.

Gandhian educational ideas, founded as they are on certain eternal principles. Will not lose their fundamental relevance in the years to come. Our planners will have to think of a self-supporting primary education, which will improve the lot of the poorest of the poor. That such an education would be based on action, problem-solving, and practical activity, rather than mere book learning

is also perfectly valid. An integral education, which allows the whole being of a person to grow, and educational which emphasises character-building and cultural identity, is one again, obviously desirable. It is equally clear that we have failed miserably in our state-sponsored schemes to provide free, compulsory primary education to all. The Gandhian model, therefore, remains its relevance and attractiveness. Finally, the Gandhian model needs, in my opinion, a built in mechanism of absorbing or confronting the newer and newer technologies that are emerging each day. As it stands, it seems to be somewhat backward looking, or at any rate, designed for a static society in which stable ancestral occupations persists from generation to generation. I think that the coming age will be one of phenomenal and unprecedented change. But this does not mean that the perennial value that Gandhi lived by and

advocated will lose their influence. What this does mean is that we shall have to find newer ways to interpret, understand, impart, and live them out.

### *Selected Bibliography*

- Gandhi, M.K. Basic Education. Bharatan Kumarappa, ed. Ahmedabad: Navjivan, 1951.
- ..... Hind Swaraj or Indian Home Rule 1909; Ahmedabad: Navjivan, 1984.
- ..... towards News Education, Bharatan Kumarappa, ed. Ahmedabad: Navjivan, 1953
- Varkey, C.J. the Wardha Scheme of Education: An exposition and Examination. Madras: Oxford University Press, 1940
- Abbott, A. & Wood, S.H.: Report on the vocational Education in India. Delhi, Manager of Publications
- Adams, Sir John: The evolution of Education Theory. London, Macmillan.
- Nurullah, S & Naik, J.P.: History of Education in India. Bombay, Macmillan.
- Prabhu R.K. & Rao, R.V.: The Mind of Mahatma Gandhi. Bombay, Oxford University Press.

Radhakirshnan, S. : Education, Politics and War. Poona, International Book Service.

Ranga, N.G.: Adult Education Movement. Kvr, The Andhradesh Adult Education Committee.

Rust: The Philosophical base of Education, London, University of London.

Sandiford, P.: Educational Psychology. London, Longmans.

Thomas, F.W. & Lang, A : Principles of Modern Education Boston. Houghton Mifflin.

### *Journals, Periodicals*

- Young India Ahmedabad.
- Harijan, Ahmedabad
- Harijanbhadu, Ahmedabad
- Journal of Education and Philosophy Baroda,
- New Review, Calcutta
- Times of India, Bombay
- National Standard, madras
- Teacher's World, Bombay
- Psycho. Bombay.
- Indian Annual Register, Calcutta
- Indian Listener, New Delhi
- Year Book of Education (1940), London, Evans Bros. For the University of London.



# ***East India Company and its Approach Towards Natives Cultural & Religious Beliefs***

**Dr. Birju Kumar Singh**

The East India Company was different in another way from other conquerors of India. Since its inception in India many of its officials took deep interest in cultural and religious beliefs of the native land. In fact, the company emancipated many social evils and conservative practices. The approach of company was different from its predecessors i.e, Mughal. In a sharp contrast to the Mughals who were least bothered about social and religious enlightenments of the pupil, the East India Company was too a large extent can be called an emancipator of the evil traditions of native land.

A firm initiative in this direction was taken by Lord William Bentick who was the first Governor General of India and abolished Sati (burning of widow in a funeral pyre after the death of her husband) in 1829 A.D. through a regulation vide No.XVII of 4<sup>th</sup> December 1829. It declared that that the practice of Sati or burning of widows at her husband's funeral pyre, burning alive of widows illegal and punishable by the Criminal Courts as culpable homicide. The Regulation of 1829 A.D. was applicable in the first place to Bengal Presidency alone, but in 1830 it was extended in different forms to Madras and

Bombay Presidencies. A few orthodox Bengalis vainly made an appeal to the Privy Council against Government's interference in their religious customs. Counter petitions were sent to the King by Raja Ram Mohan Roy and Devendra Nath Tagore and William Bentick was thanked for what he had done.<sup>1</sup>

The practice of killing infant girls prevailed among some Rajput clans. Many dubious methods were used to reduce female children; some neglected to suckle the child, others administered poisonous drugs (mostly opium) through the nipple of mother's breast, still some dare-devils put the girl in a sack and threw it into a river. Infanticide was found to be prevalent among some Rajput tribes in the province of Benaras, among the Jharia Rajputs of Cutch and Gujarat and cases were also reported from the Rathors of Jaipur and Jodhpur and even the Jats and Mewatis were non immune from this evil practice. Although infanticide had been declared illegal by Bengal Regulation XXI of 1795 and Regulation III of 1804, the inhuman practice still continued William Bentick took vigorous steps to suppress this immoral and inhuman practice.<sup>2</sup>

Another great reform to the credit of William Bentick is the suppression of thugs. The thugs, i.e, cheats were a sect of hereditary assassins and robbers who lived by praying upon innocent and defenceless travellers. A more appropriate name for them was Pansigar, derived from the scarf and noose used by thugs to strangle their victims.

However remote the origin of thugi the organization found a very congenial atmosphere for growth during the period of decay and downfall of Mughal Empire when all police arrangements broke down and public roads became insecure. Petty officials of small states in central India, unable to effectively deal with thugs, made common cause with them and gave them protection in return for a share in the spoils. The thugs were particularly active in the entire area from Oudh to Hyderabad and in Rajputana and Bundelkhand.

The thugs belonged to both the Hindu and Muslim religions and worshipped the Hindu

---

Shekhpur, Akharaghat, Muzaffarpur, Bihar

goddesses like Kali, Durga and Bhawani, to whom they offered the heads of their victims as sacrifices. The thugs were hardened criminals who subordinated their conscience by their perverse reasoning. They believed that thugi was a preordained means of livelihood for them and their victim's were ordained to die at their hands. They had a very disciplined organization while there could be some differences of opinion about the abolition of sati, the public opinion solidly supported the Government measures to suppress thugi in 1830. The operations against the thugs were put in charge of Colonel William Sleeman. The rulers of the Indian States were invited to co-operate in this task. Colonel Sleeman arrested as many as 1500 thugs and sentenced to death or imprisonment for life. Thugi on an organized scale ceased to exist after 1837, although individual bad characters continued their nefarious activities.<sup>3</sup>

The Religious Disabilities Act of 1856 gave protection to Hindus all over India who had converted to Christianity. In the year 1832 a similar law was passed giving protection to Christian converts in inheriting property, but this law was confined only to Bengal presidency, notably in case of inheriting property. Some Baptist missionaries in a pamphlet entitled, "addressed to Hindus and Mohamedans" referred to Mohammad as a false prophet and denounced Hinduism as 'a mass of

idolatory' superstition and ignorance. The thrust of the missionary activities was to convert Hindus and Muslims in the Christianity. The foreign funded institutions tried to allure the backward and weaker sections of the Indian Society by opening charity centres like dispensaries, orphan houses and even schools which provided free food, clothes and free education to Indian children. In 1855 Mr. Edward Christian Missionary of Calcutta published a pamphlet distributed all over India in which he urged all Indians to convert to Christianity. The government schools held Bible classes, which were perceived by the natives as an attack on their religious beliefs and practices.<sup>4</sup>

The Hindu Remarriage Act of 1856 was another radical piece of legislation, which allowed Hindu widows to remarry, something which in previous history of India they could never do as women in Hindu patriarchal set up was considered as a commodity or as an object. The legislation got its support from Tattvabodhini Sabha founded in 1839 by Devendra Nath Tagore and Adi Brahma Samaj of Keshav Chandra Sen.<sup>5</sup>

Legislative action in prohibiting child marriage came in 1872 when by the Native Marriage Act (popularly known as Civil Marriage Act) marriage of girls below the age of 14 and boys below 18 years of age were forbidden. However, this act was not applicable to Hindus, Muslims and other recognized faiths and

as such had very limited impact of Indian society. B.M. Malabari, a Parsi reformer of the 19<sup>th</sup> century, started a crusade against child marriage and his efforts were crowned by the enactments of the Age of Consent Act, 1891 which forbade the marriage of girls below the age of 12 years. The Sharda Act (1930) further pushed up the marriage age and provided for Penal action in marriages of boys under 18 years and girls under 14 years of age.<sup>6</sup>

Hindu society in the 19<sup>th</sup> century suffered from false religious illusion that Hindu scriptures did not sanction female education that education of girls wrought wrath of Gods leading to their widowhood. The Christian missionaries, whatever their motives were first to setup Calcutta Female Juvenile Society in 1819 A.D. However, the celebrated name of J.E.D. Bathune, President of the Council of Education will always be remembered with respect. In 1849, he established the first Girl School in Calcutta. In Bombay the Elphinstone Institute became the spearhead of women education and founded the Student's Literary and Scientific Society. Charles Wood (1854) dispatch laid great stress on need of female education. In the broader perspective, women education became a part of the general campaign for amelioration of the plight of women in society.<sup>7</sup>

Slavery in India was more akin to what may be termed as bounded servant or bounded labour. Slavery was abolished

in British Empire in 1833 and a clause was inserted in the Charter Act of 1833 requiring the Governor General in council to abolish slavery in India as soon as it declared slavery illegal and all existing slaves were emancipated. The Penal Code of 1860 declared trade in slavery illegal.<sup>8</sup>

#### *References:*

1. Charles H. Heimsath, *Indian Nationalism and Hindu Social Reform* (Princeton New Jersey, U.S.A., 1964), PP. 312-313; Joshi, Vic, 'Ram Mohan Roy and the process of Modernization in India' (Vikas, Delhi, 1975).
2. Heimsath H. Charles, "Indian Nationalism and Hindu Social Reform" (Princeton New Jersey, Princeton, 1964), PP. 104-105, Chandra Bipin, *Modern India* (N.C.E.R.T.)
3. Papers presented by Ashok Sen, Barun Dey, Sumit Sarkar and Pradyumn Bhattacharya in Nehru Memorial Museum & Library, N. Delhi, Oct. 1972, Baary, Theodore de, 'Sources of Indian Tradition'.
4. Spear P., "The Oxford History of Modern India", P. 170-175; Mazumdar, R.C. 'History and Culture of Indian People'
5. Shri Nivas, M.N. 'Social Change in Modern India' (California, 1965), Mazumdar, R.C. (ed) *British Paramountay and Indian Renaissance* (Bombay, 1974), Heismath, C.H., *Indian Nationalism and Hindu Social Reform* (Princeton, 1964)
6. Banerjee, A.C. (ed) *Indian Constitutional Documents, 1757-1947*, 4 vols. (Calcutta-1961)
7. Jones Kenneth, 'Socio-Religious Reform Movement in British India' (New Cambridge History of India, 1994), 'Ranade M.G.,' *Religious and Social Reform'* Sarkar Sumit, *Bibliographical survey of Social Reform Movements in the 18<sup>th</sup> and 19<sup>th</sup> centuries* (I.C.H.R.)
8. Natrajan S., *A Century of Social Reform in India*, Jones Keneth, *Arya Dharma: Hindu Consciousness in 19<sup>th</sup> century.*



# **Reappraisal of Centre-State Relations**

**Ritesh Bhardwaj**

## *Introduction*

The Constitution of India is federal in form but is more unitary in character. Strengthening the federal system is necessary for meeting the aspirations of the people who are governed through State Governments and for preserving the unity of India. Therefore, Centre-State relations, i.e. the arrangements between the Union Government and the States in regard to their powers, functions and responsibilities, have always been a crucial issue. The basic structure remains to be one where legislative, administrative and financial powers are disproportionately concentrated in the Union Government with the States having a large number of responsibilities without sufficient autonomy. Along with significant socio-economic and political changes occurring in the post-independence period, Centre-State relations have also undergone some changes. The period since 1991, which witnessed a paradigm shift in the economic strategy from planned development to a market-oriented one, has also thrown up new issues and challenges for the federal set-up. These have an important bearing on the functioning of our democracy as well as the well-being of our people. The need for a thorough restructuring of Centre-State relations, in order to correct existing imbalances and strengthen the federal system by empowering the States with genuine autonomy, is therefore being felt strongly.

The first Left Front Government in West Bengal had adopted a 15-point memorandum in 1977 seeking a realignment of Centre-State relations. Several other political parties in India, since their inception, have also stood for a

restructuring of Centre-State relations and greater federal autonomy. The Srinagar Conclave in 1983 brought together parties like the DMK, TDP, Akali Dal, the Republican Party of India, the Assom Jatiyabadi Dal and the J&K National Conference along with the Left Parties. In his note submitted at the Conclave, Chief Minister of West Bengal Jyoti Basu said, "Contrary to what is generally argued, the devolution of economic powers, resources and decision-making, instead of weakening the Centre, would actually strengthen its base".

The major areas identified at the Srinagar Conclave, which have been repeatedly endorsed by subsequent conferences of the Chief Ministers, related to the administrative, legislative and financial spheres. In the administrative sphere, the major issues were the abuse of Article 356, the sending of Central forces to the States without their concurrence and the role of Governors. The major issues in the legislative sphere related to intrusions by the Centre into State-list subjects and delays in obtaining assents for important Bills passed by the State Assemblies. In the financial sphere, the major issues related to increasing centralisation of powers in the Union Government in matters like resource mobilisation and allocation and other key areas of economic decision-making like Planning.

With the demand for restructuring Centre-State relations gathering momentum, the Union Government had also set up the Sarkaria Commission in 1983. While this Commission took about five years to submit its report, its recommendations failed to resolve most of the basic issues mentioned above, except for some minor improvements in the financial sphere, such as giving powers to the municipalities to issue tax-free bonds, endorsing the Chief Ministers' decisions on consignment tax, extending slightly the time frame for over draft loans etc. It is unfortunate that even these recommendations of the Sarkaria Commission have not been implemented by the Union Government after nearly two decades.

---

Assistant Professor Department of Political Science Shyam Lal College (Eve.),  
University of Delhi, G.T.Road, Shahdra, Delhi.

The constitution of the Inter-State Council under Article 263 of the Constitution by the National Front Government in 1990 was a long overdue step taken with the hope of resolving the major issues in Centre-State relations. Since then, ten meetings of the Inter-State Council have been held (the last meeting was held in December 2006) and an equal number of meetings of the Standing Committee of the Council have taken place. But even then, not only have the major problems not been resolved, but new problems have also emerged. Recently, the UPA Government set up a Commission on Centre-State relations in April 2007. However, the States were not consulted prior to the formation of this Commission. Therefore neither the terms of reference nor the composition of the Commission reflect the pressing needs and aspirations of the States. It is in this context that the need has arisen to once again bring the unresolved issues of Centre-State relations to the centre-stage as well as to identify and resolve the new issues that have emerged in the post-liberalization period.

The UPA Government set up a Commission on Centre-State Relations in April 2007 with former Chief Justice MM Punchhi as the Chairperson. The terms of reference of the Commission, however, did not reflect the long-standing demands of the States for greater devolution of financial powers, especially regarding the increase of the States' share in tax revenue, transfer of Centrally Sponsored Schemes to the States and alleviation of the debt burden of the States.

On the other hand the terms of reference included the issue of suo moto interference on law and order and deployment of Central forces, which is an intrusion into the jurisdiction of the States.

### **ADMINISTRATIVE AND LEGISLATIVE ISSUES**

#### **Article 356 and 355**

The repeated misuse by the Centre of the provisions of Article 356 of the Constitution to dismiss State Governments and dissolve State Assemblies has been subverting the federal principle and the rights of the States. The demand to restrict the use of Article 356 only to cases where there is a serious threat to national unity or the secular fabric of the country has been raised from various quarters in successive meetings of the Inter-State Council. In view of the Supreme Court judgement on the S. R. Bommai case, there is an urgent need to build in strong safeguards in Articles 356 and 365 through appropriate amendments of the Constitution. However, no decision has been taken by the Union Government in this regard.

There is also a new and alarming proposal for Central deployment of paramilitary forces in the States unilaterally in a situation which the Centre would consider as an 'internal disturbance'. The provenance of Article 355 needs to be clarified. As has been repeatedly stressed by several constituents of the Inter-State Council, the term 'internal disturbance' in Article 355 is related to 'public order', which is the first entry in the State List.

The proposal for Central deployment of paramilitary forces in a State in a situation which the Centre would consider as "internal disturbance" without the State's concurrence is unacceptable. Article 355 should be amended on the lines suggested above for Article 356. Apart from external aggression, only a serious threat to national unity or an assault on the secular principle can be taken cognizance of.

#### **Governors: Appointment and Role**

The provision for centrally appointed Governors for the States has remained as an anachronism, which is not in keeping with a federal democratic polity. If the post of Governor has to be retained, then the Governor should be appointed by the President from a list of three eminent persons suggested by the Chief Minister, satisfying the criteria mentioned by the Sarkaria Commission. This has also been repeatedly discussed in the Inter-State Council.

None of the major countries of the world with a federal constitution have any provision for a post of the Governor in a State to be appointed by the Centre. There should also be a time limit with regard to Governor's assent to Bills passed by the State Assemblies. Moreover, the requirement of an explicit norm debarring Governors from publicly expressing disagreements or differences with the State Government, also need to be debated. There is also a need to review whether Governors should continue to be ex-officio Chancellors of State Universities.

### **Central Interference into to State List**

Not only have the earlier transfer of State subjects, such as education, to the Concurrent List been left unreversed, but further intrusions have also been made into the State List in terms of proliferation of the so-called Centrally Sponsored Schemes. These Central schemes on the State subjects, which contain rigid guidelines imposed by the Centre, besides having implications in the financial sphere, also impair the autonomy of the States and affect their development priorities. There is an urgent need to review the impact of the transfer of legislative items from the State to the Union/ Concurrent List.

### **Treaty-making Powers**

The present Constitutional scheme with regard to treaty making power being exclusively in the domain of the Union Executive needs to be urgently reviewed. The Constitution should be amended to make legislative sanction mandatory for any international treaty. Besides, several international treaties like the WTO agreement have serious implications for the States, especially with respect to State subjects like agriculture. In all such cases, consultation with the States and concurrence of the Inter-State Council must also be made mandatory.

### **All-India Services**

The All India Services are under the exclusive domain of the Centre. Some of the powers can be shared with the States. The State Governments should especially have a greater role in

the administration of the Rules and Regulations of All India Services.

### **UNRESOLVED ISSUES: IN FINANCIAL SPHERE**

Fiscal federalism in India has always been deeply problematic, with vertical and horizontal imbalances not only persisting till date but also getting aggravated in many cases. Resources have always remained centralised in the hands of the Union Government with the States suffering from gross inadequacy of resources in relation to their development needs. The already limited financial and economic decision making powers of the States have got further constrained in the post-liberalization period.

### **Vertical Imbalance**

The basic imbalance in the Indian Constitution in regard to Centre-State relations arises out of the fact that, while the major responsibilities in the sphere of development expenditure (irrigation, roads, power, education, health etc.) and administrative expenditure (law and order, general administration etc.) have been given to the States, the more important powers of revenue-raising have been given to the Centre. In the year 2004-05 for instance, annual development expenditure borne by the States taken together was Rs. 3.62 lakh crore, which was more than one-and-a half times of what was borne by the Centre - Rs. 2.33 lakh crore. (RBI Handbook of Statistics on Indian Economy, 2005-06). This also implies that the States undertook around 60.8% of the total development expenditure incurred in 2004-05. It also needs to be noted here that this expenditure was incurred by the States under serious financial constraints, and the actual expenditure that is required to fulfil their responsibilities adequately would be at least twice the amount that was spent. In contrast, the share of the States in total Revenue receipts was merely 38%, with around 62% per going to the Central Government (See Table 1). This vertical imbalance remains the basic problem in Centre-State financial relations.

*Table 1: Shares of Central Government and State Governments in Total Revenue Receipts of the Country*

<i>Year</i>	<i>Total Revenue Receipts (Rs. Crore)</i>	<i>Share of Centre (%)</i>	<i>Share of States (%)</i>
2004-05	6,21,231	61.90	38.10
2005-06	7,12,552	61.92	38.08

**Source:** Reserve Bank of India, Handbook of Statistics on Indian Economy, 20020005-06.

### **Inadequate Central Transfers**

This mismatch between the greater responsibilities for undertaking development expenditure lying with the States on the one hand, with greater powers of revenue mobilisation lying with the Centre on the other, has not been met through commensurate resource transfers from the Centre to the States. The devolution of Central taxes and grants as was envisaged in Chapter-I of Part XII

and Article 275 of the Constitution have remained grossly inadequate. In fact, the share of net Central transfer in terms of devolution of Central taxes and grants (net of interest payment by the States on Centrally imposed loans) as a proportion of total revenue receipts of the Centre has fallen from 32.7% in 1990-91 to 29.5% in 2004-05 (See Table 2).

**Table 2: Share of Net Central Transfer as a Proportion of Total Revenue Receipts of the Centre**

Year	Total Revenue Receipts of the Centre (Rs. crore)	Net Central Transfer to the States as a proportion of the total Revenue Receipts of the Centre (%)
1990-91	69,196	32.7
2004-05	3,84,564	29.5

**Sources:** State Finances, Reserve Bank of India, Nov., 2006; Handbook of Statistics on Indian Economy, Reserve Bank of India, 2005-06; Handbook of Statistics on State Government Finances, Reserve Bank of India, 2004

### **Devolution of Central Taxes to States**

It is essential to work out a fair principle for sharing of Central taxes with the States. The Central taxes net of transfer to the States and the State taxes including States' share in Central taxes should be in proportion to the development expenditures incurred by the Centre and the States respectively. On the basis of this principle and the available data on the trend of existing as well as the required development expenditure of the States, it had been worked out that the State's share of Central tax revenue should be at least 50%. The States, over a long period, have therefore been demanding that 50% of the total pool of collection of Central taxes be devolved to the States. However, this demand has been ignored so far and the States' share of Central taxes currently stands at 30.5% only. This needs to be increased to 50% on an urgent basis.

### **Restrictions on Borrowing by States**

The share of total market borrowing to which the States may be entitled is also dictated by the Centre. While in the 1950s, the shares of market borrowing of the States and the Centre in the total market borrowing by the Government were approximately equal in proportion, the share of market borrowing of the States has now fallen

sharply to around 15%, with more than 85% of the market borrowing being cornered by the Centre. Consistent with the development responsibilities of the States, the share of market borrowing of the States should be increased from the absurdly low proportion of about 15% per cent currently to 50%. Moreover, Article 293 of the Constitution should be amended to provide more flexibility and autonomy to the States in regard to market borrowing.

### **New Issues in Centre-state Financial Relations: Post Reform Period**

#### **Declining Tax Revenue**

The post-liberalization period witnessed a fall in revenue mobilisation of the Centre, mainly on account of reductions in direct and indirect taxes and the overall weakening of the resource mobilisation effort. Revenue mobilisation by the Central Government declined from 12.17% of GDP in 1990-91 to 10.74% of GDP in 1998-99. States' own revenues, however, remained fairly stable at around 7% during this period. Central transfers to the States also declined from 4.73% of GDP in 1990-91 to 3.79% of GDP in 1999-00. During the reference period of the

Eleventh Finance Commission (2000-05), the actual collection of Central taxes fell significantly short of the projected amount. As a result, the actual amount received by the States has also been substantially less, by nearly 19%, from what was recommended by the Commission (See Table 3).

**Table 3: States' Share in Central Taxes: 2000-01 to 2004-05**

Year	Amount Recommended by the 11th Finance Commission (Rs. crore)	Actual Amount Received by the States (Rs. crore)	Column (3) as % of Column (2)
[1]	[2]	[3]	[4]
2000-01	54,059	50,734	93.85
2001-02	63,026	52,215	82.85
2002-03	73,493	56,655	77.09
2003-04	85,724	67,079	78.25
2004-05	1,00,013	78,551	78.54
Total	3,76,315	3,05,234	81.11

**Sources:** Handbook of Statistics on Indian Economy, Reserve Bank of India, 2005-06; Report of the 11<sup>th</sup> Finance Commission, June 2000.

### **Fiscal Crisis of the State**

The post-liberalization period witnessed a sharp deterioration in the fiscal health of the State Governments, with most States facing fiscal crises. An important factor behind the fiscal strain was the Union Government's policy of charging unfairly high rate of interest on the Central loans to the States, particularly for the loans related to small savings (with interest rate exceeding 16%). This compounded the debt burden of the States, as reflected in the sharp increase in the ratio of interest payment to the revenue receipts. The impact of the pay revision on the basis of the Centre's decision on the recommendations of the Fifth Central Pay Commission was also quite severe on the States' finances. Confronted with serious fiscal crises, the Chief Ministers and Finance Ministers of all the States had unanimously demanded in the meeting of the National Development Council (February 19, 1999) that the Union Government should bear at least 50% of the additional financial burden of the States on account of pay revision. Following an unprecedented walkout in the NDC meeting, the Centre had agreed to provide that assistance to the States. However, that assurance was never honoured. With the Sixth Pay Commission already making its recommendations and the Centre initiating the process of implementation, Central assistance to the States for the forthcoming round of pay revision need to be ensured.

### **Imposition of Conditionalities through Finance Commission**

The Eleventh Finance Commission had failed to recommend any increase in the States' share of Central taxes beyond 29.5% or provide debt relief to the States. Rather, the Commission recommended that the revenue-deficit grants for the States be linked up with the condition that 15% of the States' entitlement of revenue deficit grant would be withheld unless the States had complied with a progressive reduction of the revenue deficit over the period 2000-2005. There were strong protests from the States, and a dissent note was also submitted by a member of the Eleventh Finance Commission (Dr. Amaresh Bagchi) who wrote that the Centre had no business "to withhold even a single paisa of the grants arising out of the needs assessed by the Commission". However, this conditionality was imposed by the Union Government, thereby forcing the States to impose a virtual ban on recruitment that created genuine problems in the delivery of welfare services and development activities of the States.

The Twelfth Finance Commission had also imposed several Conditionalities on States, one of them being enacting Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act in order to avail of debt relief and restructuring from the Centre. This implied annual reduction targets of revenue and fiscal deficit with the total elimination of revenue deficit by 2008-09. This restrictive conditionality for revenue deficit reduction,

which has been imposed without any regard to the initial conditions of the States, suffers from a mechanical and inadequate understanding of the components of revenue expenditure. Grants to the local bodies (panchayats, municipalities etc.) aided schools and colleges, expenditure on account of salaries of doctors, medicines etc., come under revenue expenditure. Efforts to achieve the deficit reduction targets of the FRBM Act would therefore severely constrain the fiscal space for the States and adversely affect development expenditure. Moreover, the restriction of fiscal deficit to 3% of the GSDP will also impinge upon the capital expenditure of the States.

In keeping with a World Bank recommendation, the Twelfth Finance Commission also suggested the abdication of the Central Government's responsibility in borrowings by the State Governments. Accordingly, the loan component of the Central Assistance to State Plans has been done away with, resulting in a huge disadvantage for backward states. The States are therefore being pushed into negotiating high interest and/or conditionality-linked loans from external agencies like the ADB and the World Bank. Moreover, the Twelfth Finance Commission had also echoed the Conditionalities suggested by the RBI, of creating a Guarantee Redemption Fund and a Sinking Fund for amortization of loans outside the consolidated fund of the States and Centre, to avail debt relief. These Conditionalities

being imposed by the Finance Commission are volatile of the principles of fiscal federalism and severely impinge upon the financial autonomy of the States.

### **Problems with Centrally Sponsored Schemes (CSS)**

The proliferation of Centrally Sponsored Schemes, whose design and implementation are totally determined by the Centre without adequate consultation with the State Governments, is another serious problem. These excessively centralised and rigid formats of these schemes often make them ill-suited for the specific needs of the States. Since the State Governments have to bear a part of the expenditure behind such schemes in most cases, the States find it difficult to make proper allocation of their own resources keeping their own priorities in view. Moreover, Conditionalities are often imposed through these schemes, which impinge upon the autonomy of the States.

For instance, the centrally sponsored JNNURM requires the State Governments to bring down the stamp duty rate within five years to a level not exceeding 5% and also impose user charges for various utilities and necessary services. This is a direct intrusion into the power of the States, since with respect to taxes in the State list like the stamp duty; the Legislative Assembly has full powers to prescribe rates. Recently, the Union Government has accepted the recommendations of the Vaidyanathan Committee on revival of the co-operative credit structure. In this case too, the power of the States in regard to the co-operatives has been curtailed and the flow of funds linked up with the acceptance of the attached Conditionalities.

At the Conference of the Chief Ministers convened by the then Prime Minister on May 4, 1996, it was resolved that all Centrally Sponsored Schemes pertaining to the State subjects would be transferred to the States with funds. Since then, although several exercises have been carried out in this regard from time to time, there has been no effective resolution of the issue. Rather, more and more Centrally Sponsored Schemes, with attached Conditionalities, have been introduced by the Central Government. While Central transfers to the States as a proportion of the

Centre's revenue receipt have fallen over the years, the proportion of transfer of funds with Conditionalities in the form of Grants-in-Aid has increased from 40.9% in 1980-81 to 49.3% in 2005-06 (Table 4).

*Table 4: Gross Central Transfer in Grants-in-Aid involving Conditionalities as proportion of the Total Revenue Receipts of the Centre*

<i>Year</i>	<i>Gross Central Transfer in Grants-in-Aid involving Conditionalities as proportion of the Total Revenue Receipts of the Centre</i>
1980-81	40.9%
2005-06	49.3%

**Source:** Handbook of Statistics on Indian Economy, Reserve Bank of India, 2005-06.

### **Special Category States (Article 370)**

In view of their relative backwardness, the problems faced by the Special Category States, especially the North Eastern States and Jammu & Kashmir should be accorded priority. The differential benefits given to these States in terms of the non-Plan Gap Grant and Normal Central Assistance should continue and adequate resources allocated to these States to meet their development needs. The debt of these State Governments should be settled in a onetime manner without any conditionality. The release of funds to the Special Category States under the Centrally Sponsored Schemes should be done in a timely manner without stringent conditions on fund utilization.

### **Other Issues**

There are several other national and inter-State issues, which are important for Centre-State relations. These include major irrigation projects, erosion of major rivers, central investment in CPSUs, railways, national highways, ports, airports, etc. In each of these issues, the interests of the Centre and States are involved, and it is necessary to ensure inter-State balance in taking decisions. There are also issues like strengthening the PDS, BPL identification and administration of the Essential Commodities Act, which have become very relevant in the backdrop of inflation. The present scheme of the National Calamity Relief Fund needs to be changed in order to increase the corpus of funds for the States. In view of the inter-State competition over

mineral resources, there is a need to set some common norms regarding extraction of minerals. The royalty rates on coal and other minerals should be revised more frequently and charged on an ad valorem basis. It is also important to involve the State Governments in the policies of credit disbursement by the banks and financial institutions, particularly to ensure proper allocation of priority sector lending and an inter-State balance in the sphere of the loan disbursement. Effective resolution of these and other issues requires robust institutional arrangements within which Centre-State and inter-State consultations can take place on a regular basis and decisions reached.

### ***Finance Commission***

A basic problem with the Finance Commission is that the views expressed by the States are never taken into account seriously, while determining the terms of reference of the Commission. All the members of the Finance Commission are nominated by the Centre and representatives of the States are never included. These practices need to be changed. In determining the terms of reference, the views of the States should be taken into account seriously, and if there is any difference of views on the terms of reference, the same should be settled in the Inter-State Council. In the choice of members of the Commission, unlike the present practice, there should be adequate

representation of the State Governments.

In the light of the above discussion a set of demands for restructuring of Centre-State relations have been formulated on the basis of legal, administrative, financial, institutional and other matters. Many of the demands were initially raised by the Srinagar Conference and have not been resolved yet. Some of the demands are new and are being raised on the basis of the experience of the States in the post-liberalization period (after 1991). I hope that this would initiate a discussion among political parties and organisations and help in the emergence of a common platform to bring about a restructuring of Centre-State relations.



## **A Study of Attitude of Hindi School Students in Some Psycho-social Problems**

**Sandhya Kumari**

The main aim of the present study is to investigate the attitude of Government Hindi School students in comparison with the attitudes of Sanskrit School students and Urdu School (Madarsa) students of high school level towards some psycho-social problems and further the principal objective of the research work is to see the impact of attitude towards some psycho-social changes as social change, social revolution, social distance, liberalism, nationalism, untouchability and family planning by comparing Urdu School, Sanskrit school and Government Hindi School students. In addition to this, the effects of residential area, size of the family and sex are also be sought on attitude towards social change, social revolution, social distance, liberalism, nationalism, untouchability and family planning.

### *Hypothesis*

Total seven hypothesis and twenty one sub-hypothesis were framed in this research work. The main hypothesis is furnished below:-

The Government Hindi School students will be differ significantly than the Urdu and Sanskrit School students in attitudes towards -

- (a) Social change,
- (b) Social distance,
- (c) Liberalism,
- (d) Nationalism,

- (e) Social revolution,
- (f) Untouchability,
- (g) Family planning etc.

### *Methodology*

1. The present investigation conducted on 300 samples (students). The samples consisted of 100 students of Government Hindi Schools, 100 students of Urdu Schools (Madarsa) and 100 students of Sanskrit Schools of X class level in different schools of Siwan, Chapra and Gopalganj Districts. The samples comprised of urban/rural, male/female and Large Family Size/ Medium Family Size/small Family Size in Government Hindi Schools, Urdu Schools and Sanskrit Schools. The age range of subjects were 14-17 years old.
2. Measuring Tools:- The following instruments or tools were used to measure the attitudes towards social change, social distance, liberalism, nationalism, social revolution, untouchability and family planning. The classification of subjects on the basis of school, residential area, size of the family and sex.
  - (i) "Attitude Scale" developed by Chauhan et al (1982) has been used. It has 150 items consisting of 25 items for each attitude area for measuring the attitude towards social change, social distance, liberalism, nationalism, social revolution and untouchability.
  - (ii) "The Family Planning Attitude Inventory" developed by Paliwal (1979) has been used. This is a five point scale consisting of 25 items for measuring the attitude towards family planning.
  - (iii) A Self-made Questionnaire named "Vyaktigat Suchna Awiskarika" was used for classification of samples on the basis of school, residential area, size of the family and sex. It sought information related to types of school, class, residential area, size of the family, sex and other background factors.

Research Scholar, Jai Prakash University, Chapra (Bihar)

### *Procedure and Design*

In respect of the objectives of investigation into the effects of independent variables e.g. residential area, size of the family and sex on attitudes towards some psycho-social problems e.g. social change, social revolution, untouchability and family planning, two inventories and one self-made questionnaire were applied on 300 samples of Xth class level in which 100 students were from Government Hindi Schools, 100 students from Urdu Schools and 100 students from Sanskrit Schools. For good convenience of administration, tests were applied in small groups of 5 to 10 subjects each.

First of all rapport was established with the subjects. After that self made questionnaire was given to them to fill up their personal information. After completion of this questionnaire, subjects were given two inventories and were asked to fill up their bio-data on each inventory. After this, they were asked to read instructions and thereafter to respond to the respective items of each inventory.

Thus in order to be able to arrive at necessary conclusions in the directions of objectives, the method of three independent samples comparison design was used. Accordingly seven hypothesis and twenty one sub-hypothesis were framed. If residential area, size of the family and sex are critical determinants of attitude towards social change, social distance, liberalism, nationalism, social revolution,

untouchability and family planning, then they shall find reflections in the attitude scores of these areas.

After that for classification of the attitude scores in these areas of Government Hindi School Students, Urdu School Students and Sanskrit School students, groups of students were calculated separately. Further the attitude scores of different sub-groups of these three main groups in these different areas were classified. Means and S.Ds. of attitude scores of three main groups and their different areas were calculated separately. After that t-ratio or t-test was applied to test the significance among the mean attitude scores of three main groups and their different subgroups.

### *Conclusion*

1. Government Hindi School students showed more favourable attitude towards social change, liberalism, nationalism, social revolution, untouchability and family planning but Urdu School (Madarsa) students showed less favourable attitude towards social distance than Government Hindi School students.
2. Results indicate that Government Hindi School students showed more favourable attitude towards social change, social revolution and family planning whereas less favourable attitude towards social distance and untouchability than Sanskrit School students.

3. Our finding indicates that Urdu School (Madarsa) students hold more favourable attitude towards social revolution but less favourable attitude towards social change, social distance, liberalism, nationalism, untouchability and family planning than Sanskrit School students.
4. Attitude towards social distance, liberalism and family planning influenced by the environment of residential area of Government Hindi School students, Urdu School students and Sanskrit School students.
5. Rural school students showed more favourable attitude towards social distance, liberalism and nationalism whereas less favourable attitude towards social change, social revolution and family planning than students of urban Government Hindi School environment.
6. Rural School students showed significantly more favourable attitude towards social distance, liberalism, nationalism, social revolution and untouchability but less favourable attitude towards family planning than urban school students at Madarsa environment.
7. Rural school students hold more favourable attitude towards social distance, liberalism,

- nationalism and untouchability whereas less favourable attitude towards social change and family planning than urban Sanskrit school students.
8. Out statistical findings proved that size of the family partially influences attitude towards social change, social distance, liberalism, nationalism, social revolution, untouchability and family planning in all groups.
  9. Government Hindi School students who belonging to large family size of the family showed more favourable attitude towards social change and untouchability whereas less favourable attitude towards family planning than medium size of the government Hindi School students.
  10. Government Hindi School students who belonging to large size of the family showed significantly more favourable attitude towards social change but less favourable attitude towards social distance showed that small family size of Government Hindi School students.
  11. Government Hindi School students belonging to medium size of the family hold more favourable attitude towards liberalism, nationalism and social revolution whereas less favourable attitude towards social distance and untouchability than small size of the family of Government Hindi School students.
  12. Urdu School students who belonging to large family size showed more favourable attitude towards social distance and untouchability but less favourable attitude towards liberalism, social revolution and family planning than Urdu School students who belonging to medium size of the family.
  13. Urdu School students who belonging to large size of the family hold more favourable attitude towards social distance and untouchability whereas significantly less favourable attitude towards family planning than the Urdu School students belonging to small size of the family.
  14. Urdu School students who belonging to medium size of the family showed more favourable attitude towards liberalism, nationalism and social revolution but less favourable attitude towards family planning than the same one students belonging to small size of the family.
  15. Sanskrit School students belonging to large size of the family showed more favourable attitude towards social change and untouchability whereas less favourable attitude towards family planning than the same one students belonging to medium size of the family.
  16. Sanskrit School students belonging to large size of the family showed more favourable attitude towards social distance than Sanskrit School students belonging to small size of the family.
  17. Sanskrit School students belonging to medium size of the family hold more favourable attitude towards liberalism and nationalism than the Sanskrit School students belonging to small size of the family.
  18. Findings showed that attitude towards social distance, liberalism and social revolution have been partially influenced by sex but do not caste its significant impact on attitude towards social change, nationalism, untouchability and family planning.
  19. Results indicate that male Government Hindi School students showed more favourable attitude towards social revolution whereas less favourable attitudes towards social distance and liberalism than female Government Hindi School students.
  20. Male Urdu School (Madarsa) students showed significantly more favourable attitude towards social revolution than female Urdu School students.
  21. Male Sanskrit School students showed more favourable attitude towards social revolution whereas less favourable attitude towards social

distance than female Sanskrit School students.

Thus the main findings to the fact that educational environment influences the attitude towards some psychosocial problems of Government Hindi School, Urdu School (Madarsa) and Sanskrit School students. The other variables such as residential area, size of the family and sex affect their attitudes towards some psychosocial problems.

### References

1. Abrami, P.C.; Perry, R.P. and Leventhal, L. (1982):- 'The Relationship among Student Personality Characteristics, Teacher Ratings and Student Achievement', Journal of Psychology, 74(1), PP.111-125.
2. Ahmad, A.(2010):- 'Attitude of Muslim girl Students towards Social Distance and Liberalism', Magadh Journal of Social Research, Vol. XII, No. 2.
3. Yando, R.M and Kagan., J.(1968):- 'The Effect of Teacher Tempo on the Child', Child Development, 39,27-34.
4. Adinarayan, S.P.(1953):- 'Before and After Independence : A Study of Racial and Communal Attitudes in India', Brit. J. Psychol. 44, 108-115.
5. Akhlaque, A. (2009):- 'Attitude of Indian Housewives towards Family Planning: Journal of Perspective in Psychological Researches, Vol. 32(2),PP93-95.
6. Wolman, B.B.(1973):- 'Dictionary of Behavioural Science', N.Y.:D. Van Nostrand.
7. S.M. and Murthy, N.S.(1972):- 'Hindu University on Family Size', the Journal of Family Welfare, 18(3), 72-77.
8. Anant, S.S.(1974):- 'Inter-caste Attitudes in India :North-South Differences', Indian Journal of Psychology, Vol. 49(i),21-32.
9. Ali, M.R.(1981):- 'Personal Values Affecting Decisions to Adopt Family Planning', The Journal of Family Welfare, 27(4), 72-83.
10. Wirth, L. (1945):- 'The Problem of Minority Groups'. In R.Linton(Ed.) 'The Science of Man in the World Crisis', New York, Columbia University Press, PP. 354-364.



## Concept of Prejudice and Caste Prejudice

Sabita Kumari &  
Dr. Kamta Prasad Yadav

Prejudice is constellation a attitudes that cause support or justify discrimination. Caste prejudices, as such, is constellation of caste attitude that cause, support or justify discrimination on the basis of caste. Caste prejudice is a form of prejudgment in Which any one who is identified with a caste against which there are unfavourable social attitudes, is looked upon with disfavour and distrust and is regarded as inferior it is not based on what kind of person he is or what he does or what he does or say, but on his identification with a caste- group. In sorts of prejudices- caste, religious, race, gender etc. a person in judged in terms of already existing altitudes or prejudged in the sense that a judgment of him is made before he is assessed as an individual (Gardner, 1986, Ames and Sakuma, 1969, Swim et al, 1995, Dovidio et al, 2002).

In the constellation of attitude that constitute prejudice, three elements stand out, First, there are widely accepted belief concerning the people against whom prejudice is directed. These beliefs are rarely based on personal experience but on stereotypes concerning the appearance, the behaviour, and the personal qualities of all people who belong to a specific group. Like most stereotypes, these are passed down from one generation to another in a cultural group and are learned by each successive generation as part of the social learning.

Second, the stereotyped beliefs are accompanied by emotions. This emotional

accompaniment ranges from cold indifference or distaste to bitter and violent hostility. In many instances, prejudice is a form of displaced hostility or of repressed aggression directed against a scapegoat group in order to resolve or avoid one's own grievances.

The third element in the constellation of attitudes that constitute prejudice is the belief that one should treat those against whom there is prejudice in some particular way.

The kind of treatment that is endorsed varies from person to person and ranges from indifference to avoidance, from the exclusion of the members of a group against whom there is prejudice from some or all of the larger group's activities to active persecution (Allport, 1964: Cooper, 1959).

It is important to recognize the difference between prejudice and preference. A person may preference. A person may prefer being with people who have interests and values in common with his and with whom he feels "at home" to being with people whose interests and values are different from his. This does not means that he dislikes those who are different or feels superior to them. It merely means that given a choice, he will associate with people whom he finds congenial.

### *Objectives and Hypotheses*

#### **A. Objectives**

The aim of the present investigation is to study of backward caste and forward caste college level students towards each other and to make a comparative study of their self-concept, extraversion, security feeling and frustration. In addition to this, the study proceeds to seek the effect of residential area, self-concept, extraversion, security feeling and frustration on caste-prejudice of backward caste and forward caste students.

- Hypothesis:-I : There will be significant difference between forward caste and backward caste groups on caste-prejudices towards each other.

---

Research scholar J.P.University Chapra (Bihar)

Reader in Psychology, R.L.S.Y. College, Bettiah B. R. A. B. U. Muzaffarpur

- Hypothesis:-II: There will be significant impact of residential area on caste prejudices of backward caste and forward caste groups.
- Hypothesis:- III: There will be significant difference between forward caste and backward caste groups on self concept.

**(B) Sample**

The study was conducted on a sample of 200 students of degree classes. Out of this 200 subjects 100 subjects were from backward castes and 100 subjects were from forward castes. In the sample of 100 backward caste students 50 students were from rural areas and 50 students were from urban areas. In the sample of 100 forward caste students 50 students were from rural areas and 50 students were from urban areas. The sample comprised both male and female students and all important sub-castes of backward castes and forward castes. The age range of students was from 19 to 23 years. The sample was drawn randomly from constituent colleges of rural and urban areas of Saran district under J.P. University Chapra.

**(c) Procedure and Design**

In the research caste level, residential area, self-concept, extraversion, security-feeling, and frustration have served as independent variables. Prejudice of backward castes and forward castes towards each other caste-group has been treated as dependent variable. With the objective of investigating into the effects of

different independent variables on caste-prejudice five inventories and one self-made questionnaire were administered on a sample of 200 subjects of which 100 were Backward caste students and 100 were Forward caste students; and, 100 were rural students and 100 were urban students of college level. For convenience the test were applied to the subjects in small groups of 10 to 20 subjects each.

**(a) Instrument used for Measuring Caste-prejudice**

For measuring caste-prejudice Hindi version of “prejudice Scale” constructed and standardized by Bhardwaj, R.L. and Sharma, H. (1990) has been used. The scale consists of 36 items. This is a five point Likert type scale comprising only positive items. A score of 5,4,3,2 or 1 is awarded for strongly agree, agree, undecided, disagree and strongly disagree responses respectively. Higher score on the scale denotes higher religious, caste or communal prejudice and lower score denotes lower religious, caste or communal prejudice depending upon the response set of respondent in the light of instructions given by the tester or investigator. The test-retest and split-half reliabilities of the scale have been reported to be 68 and 94 respectively. Theoretical validity of the scale has been reported to be 83 and construct validity of the scale has been estimated against prejudice scale of Jahan Q. et al (1988) and it has been found to be 66 where have been given caste, Religious and percentile from in the manual of scale.

**Table-1: Showing Distributions of Caste Prejudice Scores (F.C. AND B.C. GROUPS)**

<i>Distribution of caste-prejudice Scores of Forward Caste students</i>		<i>Distribution of caste-prejudice Scores of Backward Caste students</i>	
Class-interval	f	Class-interval	f
131-140	03	141-150	06
121-130	10	131-140	12
111-120	11	121-130	14
101-120	15	111-120	21
91-100	14	101-110	16
81-90	16	91-100	11
71-80	15	81-90	10
61-70	10	71-80	07
51-60	06	61-70	03
	N=100		N=100
Mean	93.40	Mean	110.00
S.D.	= 21.32116	S.D.	= 20.560885

**Table-2: Showing Means, S. DS. and 'T' Ratio of Caste-prejudice Scores**

**(F.C. AND B.C. GROUPS)**

Group	Mean	S.Ds.	N	df	't' ratio	Level of Significance
F.C.B.C	93.40/110.00	21.3211/20.560885	100/100	198	5.6043355	01

The mean caste-prejudice score of Forward Caste students is 93.40 while that of Backward Caste students is 110.00 (Table-2) The obtained 't' ration is 5.6043355 which is higher than the required value for significance at .01 Level. So, the obtained 't' ratio is highly significant.

Backward-Caste students hold significantly higher level of caste- prejudice towards forward castes than what forward caste students hold towards backward castes: because the caste-prejudice score of B.C. group is significantly higher. Thus the hypothesis that there will be significance difference between forward caste and backward caste groups on caste prejudice towards each other stands verified.

Discussion and conclusion Effects of Caste-belongingness and Residential Area on Caste-prejudice:

Caste-belongingness has been found significantly influencing caste-Prejudice of Backward caste and forward caste groups towards each other group. F.C. group has obtained significantly lower mean score than B.C. group on caste-Prejudice. This denotes that forward caste students are significantly less Prejudiced towards backward caste students than what backward cast students are Prejudiced towards forward caste students. It also denotes that backward caste belongingness increases Prejudices towards forward

castes whereas forward caste belongingness reduces Prejudices towards backward castes. Our findings do not support the findings of Prasad (1972), Hassan and Sarkar (1975) and Khan (2006).

Who reported caste-Prejudices higher in upper castes in comparison to backward castes and scheduled-castes.

On analysing the impact of residential area on caste-Prejudice we find that there is differential trend of effect of residential area on caste-Prejudice of forward caste and backward caste groups towards each other group. Urban subjects have displayed significantly lower level of casts-Prejudice in F.C. group whereas this group has displayed significantly higher level of caste-Prejudice in B.C. group in comparison to rural subjects. It is revealed by the investigation that urbanization lowers caste-Prejudice of forward castes towards backward castes but this variable increases caste-Prejudices of backward castes towards forward castes. Our finding related to forward castes support the finding of Kuppuswamy (1956), Singh et al (1960), Hassan et al (1976-1977), Anant (1974); and Singh and Kumar (1975). Our findings related to backward castes support the finding of Chatterjee et al (1972).

#### Reference

- Inter-caste and Urban - Rural Differences' *Psychologia*, 13,42-56.

- Anant, S.S. (1970 b) : ' Caste Prejudice and its Perception by Harijans's J Soc. Psychol., 82,165-172.
- Anant, S.S. (1970 c) : 'Self and Mutual Perception of salient personality
- Traits of Different Caste Groups.J.Cross Cult Psychol.,1,41-56
- Bell, H.M. (1960) : ' Ego-involvement in Vocational Decisions' *Personnel Guidance Journal*, 38, 732-736.
- Bharadwaj, R.L. and Sharma, H. (1990): ' Prejudice Scale' Bal Niwas, Taj Basai, Agra.
- Bower, G.H. (1962): ' The Influence of Graded Reductions in Reward and Prior Frustrating Events upon the Magnitude of the Frustration Effect'. *J. Comp. Physiol. Psychol.* 55,582-587.
- Breckenridge, E.M. and Vincent, E.L. (1965): ' Child Development': 5<sup>th</sup> edition, Philadelphia, Saunders.
- Brown J.S. and Farber, I.E. (1951): ' Emotions Conceptualised as intervening Variables-With Suggestions to ward a Theory of Frustration' *Psychol. Bull.* 48,465-480.
- Cattell, R.B. (1957): ' Personality and Motivation : Structure and Measurement' Tarrytown-on-Hudson, N.Y. World.
- Chattejee, S., Mukherjee, M., Chakravarty S.N. & Hassan, M.K. (1972) : Compaison of Social Prejudice and their Correlates for Male and Female College Students'. Technical Report No. Psychology 3/72, Calcutta: Indian statistical Institute.
- Chauhan, N.S. and Tiwari, G.(1972): 'Frustration Test' Agra Psychological Research Cell, Agra.
- Chauhan and Tiwari (1968): As quoted by Moheballi, A.G. in ' Socio Psychological Study of Mental Health in India and Iran' *Agr Psyl. Res. Cell*, Agra.



## **A Study of Working Pattern and Socio-economic Status of Female Workers” (with special reference to Sitamarhi District)**

Jayati

### *Introduction*

One major problem of the present time is to investigate into the differential traits of working females. It is more pertinent and significant in context of Indian culture where the number of working females is increasing very rapidly and since it is being viewed as a new phenomenon it poses serious problems relating role conflict and role strain resulting into unsatisfactory family life in most of the cases. So, it remains a problem to investigate into those psychological traits including cognitive style and conservatism which might be helpful in reducing role conflict and role strain of working women in Indian context.

It is almost universally accepted that the woman's primary role is that of a name-maker and that of the man to provide subsistence to his family. Under certain conditions, in addition to the role of a housekeeper women also participate sometimes in the gainful activity of the community. Thus we find that some women like to be working while some do not, the question why does man work? Is not significant as he is regarded as the natural bread earner and therefore he is expected to provide subsistence to his family. But why does a woman become a

working lady? Assumes special significance as the whole range of her activities is expected to centre around household affairs. Hence it is intended to seek answer to the question of working women have different personality characteristics including cognitive style and conservatism.

### *Role expectations and conflict of working women:-*

An overall majority of the employed women feels that as a consequence of their employment there is no conflict of Authority between husband and wife. In response to a question whether they feel that if wives work there is conflict of authority between them, nearly 70% of the working women expressed disagreement with it. The reason why such a large proportion of the working wives do not feel any problem of adjustment in their interpersonal relationship with their husbands may be in the fact that they have not experienced such difficulties. Husbands of working women may be sharing the responsibility more in a sense of helping their wives rather than taking it as domination by them it has been suggested that in so intimate a relationship as marriage what is more important for a working partner of getting the necessary task done is that whoever is available do it without either partner feeling superior or inferior about it. It seems that it is exactly this that is happening in the families of the employed women.

It is being increasingly argued that for emancipation of Indian women and for their full integration in economic development. They should be encouraged to participate in economic/remunerative activities. Kapur (1969) Chakrabarty 1974, Devi and Ravindra 1965, Murphy 1950, Winter, 1969, Huston 1961, Kiran Bedi 1972, Mother Teresa 1979, Karnam Malleswami 2000, Purnita Arora 2004, Pratibha Patil 2007, Meira Kumar 2009, Sangita 1993 conducted her study on a sample of 480 women-240 working women and 240 Non-working women belonging to both urban and rural areas. Mohsin conservatism of both working and non-working females. The parametric Statistical device namely t. test used for

---

Research Scholar B.R.A.B.U., Muzaffarpur

the analysis and treatment of the obtained data. The findings were as predicted. Non-working women were found significantly More conservation than their working counterparts in case of both urban and rural areas.

The foregoing reformers indicate that same studies have been made in Indian and abroad relating to various aspects of working women in Indian context.

### Hypothesis

Hypothesis is ment a hypothetical statement showing the relation between two or more variables (chaplin 1975) defined hypothesis as an assumption which serves a tentatine explanation looked from another point of view, a hypothesis may be answered by an experiment of series of observation similarly (Reber 1997) define hypothesis as "Any statement Proposition or assumption that serves as a tentatine explanation of certain factors" Kerlinger (1986) defined hypothesis as a conjectural statement of the relation between two or more variables.

A scientific hypothesis mentioned above were kept in view:-

- (1) working urban women would differ significantly from their rural working women counter pay in their social pattern.
- (2) There would be significant relationship between urban and rural women in respect of economical status.

### Methodology

Test and scale:- In the present study some standard tests and scales were used for the collection of relevant data. They were as under:-

#### 1. Socio-economic Status Scales

Two types of SES scales were used to determine the socio-economic status of the subject. Sharma SES scale 1975 was used to determine the SES of urban and rural subjects. This scale consists of twenty (20) items pertaining to educational professional, income, future, savings, housing and other facilities which the family has each items has different alternative choices from which the respondent has to select on alternative choice. The reliability coefficient or this scale is 0.91 and 0.94 by test retest method and split half method (add-even method) respectively the validity of this scale in also very high (0.94).

### Result and Discussion

Comparison between working urban and rural women in social pattern.

Attempt was made examine the impact of social pattern of the women whether working urban and rural on their social aspect. On the basis of the scores on socio-economic status scale the responded were divided into urban and rural groups. The result were recorded in table I chisquare showing the significant of the effect of social affiliation on working urban and rural women's scores.

Table-I

Subject	N	Urban	Rural	U2	Df	P
Urban working women	200	119 60%	81 40%	3.45	1	.05
Rural working women	200	93 47%	107 53%	3.45	1	0.05

The statistical recorded in table I showed in the significant effect of social pattern affiliation on working urban and working rural women, the responded did not differ significant by in their socio-economic score. The score obtained on socio- economic scale by the sharma N=200 and the rural respondent (N=200) were analysed and treated with the T ratio test and the results were recorded in Table II given below.

Table-II

MEAN, SD VE T showing the impact of social affiliation on working urban and working rural women.

Subject	N	Mean	S.D	SE	T	df	P
Social pattern urban working	200	116.33	26.41	1.95	1.26	398	0.05
Social pattern of rural working	200	113.55	28.21	2.08	1.26	398	0.05

This statistical mentioned in table II showing significant effect of social affiliation on working urban and rural women's. The urban and rural respondent did not differ significantly from each other in terms of their sonio scores.

The difference between the mean scores of the urban subjects 166.33 and that of the rural subject 113.55 was not found significant even at .05 level of confidence  $T = 1.26$  df, 398  $P > .05$ . This hypotheses of the present study was rejected.

Effect of socio-economic status on urban and rural working women.

It was attempted to examine the effect of socio-economic status both working urban and rural women's. The chi-square test a non parametric statistic used for the analysis and treatment of the data and results thus obtained were recorded in Table III.

**Table-III**

*Chi-square showing the impact of socio-economic status on urban working women and rural working women.*

Subject	Urban working socio-economic Status Group	Rural working socio-economic Status Group	Df	P
Urban working	55.39%	87.61%	9.28	.01
Rural working	163.62%	98.38%		

It was hypothesized that significant of rural SES group would show less and as those of low SES group which was confirmed.

However it was thought proper to verify the results chi-square test using T test which is more reliable parameter test mean S.D an SE of the score obtained socio-economic scale (1980) were calculated and "T" test was used to verify significant of the difference between mean scores of the those groups and the results were recorded in Table IV, Mean S.D SE and "T" showing the significant of the impact of socio-economic status on urban working women and rural working women.

**Table-IV**

Subject	N	Mean	S.D	S.E	T	Df	I
Urban working women	200	116.31	29.26	2.47	3.99	398	.01
Rural working women	200	128.68	30.78	1.91			

The result contained in table no IV showed a significant impact of socio-economic status on urban & rural of both the working women. The subjects of low SES group were found more high SES groups. The difference between the mean score of the rural SES group (M=128.68) and that of the urban SES group (M=116.31) were found significant beyond .01 level of confidence ( $T = 3.99$  df 398  $P = .01$ ), so the hypotheses was supported the findings might interpreted in term of lesser education more mindedness and supertions on the part of the women of SES group as compared to those of high SES group. The finding in agreement with those of certain preions studies.

Thus hypothesis were formulated by the present study being which one tailed hypothesis. With the help of suitable statistical Technique such as ehi-squire test and T Test. In the light of the obtained result.

**Reference**

1. Reber, A.S. 1987- Dictionary of Psychology penguin reference. Penguin books published by the penguin, 7 wrights land, London.
2. Chaplin J.P, 1975: Dictionary of psychology alauel original.
3. Kerlinger, F.N. 1986: Foundations of Behavioural Research N.Y. Holt, Rinehart and Winston, Inc.
4. Houston, L.N. 1984: Self esteem locus of control and conservatism, psychological report JS. Pg. 851-854.
5. Sangita. S. 1993: A study of Adjustment and conservatism of working and nonworking females in relation to dependance proneness, and egostrength, Unpublished Ph.D. Thesis. I.U.
6. Sharma, S. 1975: Socio-Economic status urban, Research report, M. U.
7. Singh S. T Hoze (2010) Debating out comes for working women illustration from India the Journal of poverty, 14,(2) 197-215.
8. Shweta singh (2009) Examing the Dharma Driven identity of women. Mahasharatas Kunti in the women question in the contemporary Indian English women writings Ed. INDU Swami, sarup, Delhi.
9. Singh, S. 2007. Scoling girls and the gender and Development paradigm quest for an appropriate Frame work for women's education Journal of international interdisciplinary social science 2(3) 1-12.



## Attitudes of Adolescents and Adults Towards Contemporary Issues

Dr. Shashi Kala Singh

### Abstract

The present study attempts to explore the attitudes of adolescents and their mothers towards contemporary issues. The sample of the study constituted of 120. 60 boys and 60 mothers, who belonged to the high, middle and low Socio-economic status (SES). The selection was made from final year graduation students of the colleges in Ranchi town. The age of the students ranged from 19 to 25 years and mothers 36 to 56 years. Among different sections of the population college students are expected to be exposed to the highest rate of attitudinal change towards contemporary issues. Attitudinal modernity scale was used for the study. Result indicated that the level of modernity is high in sons as compared to their mothers in low SES, because the mothers are illiterates or very low literates and their sons are educated and have above three years college education. The exposure of modernity is greater in sons as compared to their mothers in low SES groups. Education was the most powerful factor influencing the attitudinal modernity.

**Key words:** Socio- Economic Status and attitudinal change

### Introduction

In Social Science Literature the term 'modernity' has been used in relation to social, economic and political developments. Weber (1958) in his essay, 'The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism' argued that Psychological attitudes and motivations are the mainspring of economic development. A vast amount of literature has accumulated on this theme in western social science (Almond and Verba, 1965; Apter, 1965; Black, 1967; Dewan, 2008; Gogoi, 2010; Eisenstaedt, 1968, 1973; Geertz, 1963; Inkeles, 1983; Inkeles and Smith, 1974; Kahl, 1968; Lerner, 1958; Marrion, 1966; Mehta, 2010; Myrdal, 1968; Sharma, 2010; Singh, 2005, 2010; Singh, et.al., 2009; Smith, 1965; Weiner, 1966).

Modernization is actually a process of change in ways of perceiving, expressing and behaving. Inkeles and Smith (1974) have written "The modern is defined as a mode of individual functioning, a set of dispositions to act in a certain way."

Modernity denotes to positive changes in attitudes, beliefs and values. It incorporates rational ideas, secular attitudes, belief in human efficacy, and expression of personal opinion on public issues, acceptance, of democratic norms, political participation and exposure to new experiences.

Modernity is not a consequence of more difference of age between the two generations. It is an impact of urban industrial exposure, mass media exposure and more importantly education. If the two generation will have significantly different exposure to these forces the phenomenon of modernity will occur.

The term 'modernity' has several usages. It is widely employed to describe the characteristics in technological, political, economic and social development. Modernity is actually a personality-cum-attitudinal characteristic of the individual It is a 'broad multifaceted phenomena' (Inkles and Smith, 1974, P. 105).

Singh (1984) describes modernity as a purely psychological concept. He holds that it is a

mentality, an inner quality lying within the individual as an inseparable part of his personality. He has defined modernity as "an aggregate of certain personality-cum-attitudinal traits which facilitate individual growth and development with social responsibility and make the individual an effective agent of socio-economic and political development."

The generation gap is particularly a phenomenon of adolescence. Hall (1911) who wrote the first text book on 'Adolescence of Psychology' considered the period of adolescence as a dividing point between the two generations. The adolescence has been described in past by some researchers as the second birth. The western Christian society was found to be incorrect in the Samoa tribe studied by Mead (1947) mainly because of the differences in sexual values of the western and tribal societies.

Generational differences between students and their parents were investigated by Friedman, Gold and Christie (1972). They reported that major differences between the younger and the older generations existed with regard to attitudes to students unrest, drug intake and sex behavior.

Socio-economic status (SES) is one of the most powerful determinants of modernity. One's position in the social hierarchy is correlated with attitudes, values, school achievement, and child rearing practices, emotional stability, aggressiveness and dominance,

verbal behavior and many other phenomena (Gordon, 1952; Kohn, 1959)

Socio-economic status is an important factor influencing modernity. High positive correlation between degree of modernity and SES has been demonstrated in many Indian studies. Jawaid , (1990) compared the attitudinal modernity of Hindu and Muslim college students belonging to high , middle and low SES levels with their parents. He found that generation gap is the highest in low SES group, both in Hindu and Muslim religion. Several studies have examined the influence of SES on modernity. The SES scale used is a combination of Parental occupation, income, education, and caste status. The modernity scale covers four dimensions, namely Personality, Socio-Cultural, Political and Health modernity. Singh (1984) found that SES to be the most powerful influence on overall Modernity compared to the religion (Hinduism, Islam and Christianity), residence (rural and urban) and Sex. The SES was found to be the most powerful influence on modernity in all the four ethnic religions namely Hindus, Muslims, Tribal Sarna and Tribal Christians. This was true for total as well as for all the dimensions of modernity. Ashan (1982) has also found the SES to be more powerful influence than rural urban residence, sex and age in the Tribal Christian. The influence of the SES on modernity has also been reported by other

researchers (Alan France Brown, 2005; Chaplin, 1991; choo, 2010; Gangrade; 1978, Hassan; 1993, Ishrat; 1993, John, and Catherine, 2008, Mc Brien, Julie 2009; Patel-Amin N 2002 Patel; et.al., 1992 Singh; 1993, Waris; 1992).

Socio-economic status as a determinant of generation gap has been investigated in a number of studies (Clark and Seligman, 1968; Centers, 1949; Cunningham, 1973; Gallagher, 1979; Gangrade, 1975; Halyal, and Mallapa, 1986; Holsinger, 1973; Sack, 1973; Sen, 1962). High positive correlation between degree of modernity and socio-economic status has been revealed in many studies (Inkeles, 1975; Kahl, 1968; Raghubansi, 1978; Singh, 1984). There is evidence to show some of the variance in the personality and attitudes of children according to the social class position of the child's family (Sewell, 1961).

Singh (1984) studied the influence of SES, sex, religion and residence on modernity. The finding revealed clearly that socio-economic status had its influence on all the dimensions of modernity (personality, socio-cultural, political and health) as well as on the total modernity.

Sahay and Singh (1989) also found socio-economic status to be one of the most significant determinants of modernity. Their results indicated that low SES groups had a low level of modernity while the high SES groups had high level of modernity in all the dimensions.

## Materials and Methods

### Sample

We have selected 60 college students (boys) from Ranchi town. And 60 mothers of these students. Among different section of the population college students are expected to be exposed to the highest rate of social change and modernity.

The selection of sample has been done in two stages. In the first stage, a sampling information questionnaire along with SES scale was administered to large number of college final year students (boys) of all the degree colleges located in Ranchi city.

The information questionnaires were distributed to all the B.Sc/B.A./B.Com. Final year students (boys) present in their respective classes and were collected back soon after they filled them up.

1. Personal data included the information about each student's name, age, sex, course of study (Roll No., class and name of the college), religion, caste, marital status, parental domicile and present address.
2. Familial data included the information of student's family size, parental caste, education, occupation and income.

Thus 60 students and 60 mothers were finally retabulated with 20 for each SES group. In each SES group male students were 60 and 60 mothers.

*Table 1: Distribution of sample of students & their mothers retained for the study.*

SES	No. of Students			
	High	Middle	Low	Total
Mothers	20	20	20	60
Sons	20	20	20	60
Total	40	40	40	120

### Tools

**Personal Data Questionnaire:** The questionnaire obtained personal data of the students to identify their socio-economic status. On the basis of analysis of these questionnaires the students were selected to represent three SES group i.e., high, middle and low.

**The Socio Economic Status (SES) Scale:** This scale has been developed by Post-Graduate Department of Psychology, Ranchi University, Ranchi, under the supervision of Prof. Amar Kumar Singh. The SES scale is a combination of parental caste, education, occupation and income. It is supplemented by an inventory of material possessions (consumer goods) which has positive significant correlation with SES. The sampling information questionnaire was supplemented by SES scale. The SES scale combined four variables, caste, income, occupation and education.

**The Attitudinal Modernity Scale:** The Attitudinal Modernity Scale was first developed in the six-country Harvard University Project on Modernization. It was later revised by the Post-Graduate Department of psychology, Ranchi University to add certain themes unique to the Indian society, such as the joint family, the caste system, social customs etc. Recently, a dimension of health modernity has been added to it.

These four dimensions of the scale have statistically significant positive inter-correlations and therefore they were combined to make a total attitudinal modernity scale. Each dimension has five themes and each theme measured by 5 Likert type items. Thus, each dimensional scale consisted of 25 items and the Total Attitudinal Modernity Scale consisted of 100 items. The range of the score was 100-500 for the total scale and 25-125 for each dimensional scale.

### Coding

The responses on the attitudinal items were coded in such a way that higher scores 4-5 indicated more modern attitudes than the lower scores of 1, 2 and 3. For each number of sons & mothers.

### Result & Discussion

We have made comparisons of son-mother and calculated generation gap scores for each dimension of modernity as well as total modernity. The mean scores of sons and mothers and their generation gap scores are given in table-3. Here it has been marked that sons are more modern than their mothers.


Further we have also compared the modernity scores of sons with their mothers

through t values. The mean scores, SDs and t values have been reported in table 4: In three dimensions of modernity as well as total modernity the t values of son - mother are statistically not significant only in relation to health modernity. The t values in relation to other dimensions of modernity as well as total modernity are statistically significant. This has given an idea that the effect of modernizing factor is greater in the sons as compared to their mothers. This has supported our earlier findings in this respect.


**Table 2: Modernity scores of Sons & Mothers**

		Modernity (Means Scores)				
SES Levels		Personality	Socio-Cultural	Political	Health	Total
Mothers	H	88.4	85.1	88.8	87.2	349.2
	M	82.2	79.3	85.4	82.7	329.6
	L	75.4	68.1	72.7	71.7	287.8
Sons	H	90.5	96.9	98.0	91.5	376.8
	M	84.7	83.8	84.8	85.4	338.7
	L	82.9	77.0	79.6	81.6	321.1


**Figure 2.1**



**Figure 2.2**



**Figure 2.3**




Here it is marked that all the three SES groups' sons have obtained higher scores than mothers invariable in all the four dimensions of modernity as well as total modernity.

**Table 3: Generational Gap on Modernity Between Sons & Mothers**

	Personality Modernity	Socio-cultural Modernity	Political Modernity	Health Modernity	Total Modernity
Sons (N= 60)	86.03	85.88	87.42	86.17	345.50
Mothers (N=60)	82.00	77.50	82.30	80.53	322.20
D: M	4.03	8.38	5.12	5.64	23.30

**Figure 3.1**



**Table 4: Comparison of Mothers and Sons on Modernity**

	Mothers (N=60) Mean	S.D.	Sons (N= 60) Mean	S.D.	t
Personality Modernity	82.00	11.38	86.03	11.34	1.94 x
Socio-Cultural Modernity	77.50	16.11	85.88	14.97	2.95 *
Political Modernity	82.30	14.11	87.42	15.95	1.86 x
Health Modernity	80.53	13.23	86.17	12.37	2.42 **
Total Modernity	322.20	47.88	345.50	48.20	2.66 *

N.B. \* Significant at 0.01 level.

\*\* Significant at 0.05 level.

X Significant at 0.10 level.

### Variation in Generation Gap

The generations differ with each other in their attitudes, beliefs, values, likes and dislikes. Ultimately there are variations in the attitudinal modernity of different generations. The variations may also be different for one dimension or other dimension of modernity. One of the aims of the present study is also to examine the variations in generation gap. To examine the variations in generation gap in relation to the different

dimensions of modernity as well as total modernity we are presenting the generation gap scores of son - mother comparisons in (table- 5).

**Table 5: Son - Mother Differences On Modernity**

	Personality Modernity	Socio- cultural Modernity	Political Modernity	Health Modernity	Total Modernity
S-M	4.03	8.38	5.12	5.64	23.30

**Means statistically non-significant**

Here it is noted that generation gap varying in four dimension of modernity. The generation gap is the lowest in relation to personality modernity (4.03) and highest in relation to socio-cultural modernity (8.38). The generation gap with regard to personality modernity is (5.12) and for political modernity the value is (5.47). When total modernity is concerned the generation gap score is (23.30).

We have marked generation gap in relation to each dimension of modernity through son & mother. Further we have also ranked each dimension separately for low, middle and high SES categories. Their ranking is shown in

**Table 6: SES and Ranking of Dimensions of Modernity on Generation Gap**

	Personality Modernity	Socio- cultural Modernity	Political Modernity	Health Modernity	Total Modernity
High SES					
S - M	2.1	11.8	9.2	4.3	27.4
Middle SES					
S - M	2.5	4.5	-0.6	2.7	9.1
Low SES					
S - M	7.5	8.9	6.9	9.9	33.3
Total	12.1	25.2	16.7	16.9	69.8
Ranking	1	4	2	3	

As for as the socio - cultural modernity is concerned the generation gap is the highest in this dimension for all SES groups. Not only is this but in almost comparisons the generation gap in relation to the socio- cultural modernity highest. The lowest generation gap shown by middle SES group. Further from the table 6, it is also evident that the highest generation gap (33.3) has been show by low SES group. As discussed in earlier, we expected highest generation gap in low SES groups. The mothers of low SES groups are educationally and occupationally poor and lower

by caste. The degree of exposure of modernization factors are also lesser for them. Most of the respondent's belonging to low SES groups are illiterates or low literates. Hence they are not very modern. On the contrary the sons of low SES parents are students of college final years. They have an exposure of four year college education which is major factor behind their modernity. Thus, the gap between the sons and their mothers belonging to low SES groups is very sharp and greater degree.

**References**

- Alan France Brown (2005): A Book on Understanding Youth in Late Modernity.
- Almond, G.A. & Verba, O. (1965): The Civic Culture. Boston, Little Brown and Co.
- Aptex, D.E.(1965): The Politics of modernization. Chicago, University of Chicago Press.
- Ashan, S. K. (1988): Socio-Economic Status and modernity in Tribal Unpublished Ph.D thesis, Ranchi: Ranchi University
- Black, C.E. (1966): The dynamics of modernization: A study in comparative history. New York. Harper and Row.
- Centers, R. (1949): The Psychology of Social Class. London. Russell Sage Foundations.
- Chaplin, W. F. (1991): The next generation of moderate research in personality Psychology. Journal of Personality, 50, 143-78.
- Choo, O. A. (2010): Parenting Behaviors' and Adolescents. Psycho - Social Adjustment. Social Modernity, Asian Journal of Social Science. 1, No. 1-2 35-44.
- Clark, M & Seligman, J. (1968): Bringing up baby? Is Dr. Spock to blame? News week. 23 Sept .68-72 S.
- Cunningham, I. (1973): The relationship between modernity of students In Puerto- Rican High School and their Academic Performance Peers and parents. International Journal of comparative sociology, 14, 203-220.
- Dewan, R.(2008):"Women Empowerment and Health Modernity: A Socio- Psychological Study of Tribal and Non-Tribal in Jharkhand". Journal of Economic and Social Development, IV (1&2), 93 - 106
- Eisenstadt,S.N.(1956): The Protestant ethic and modernization, New York, Basic Books.
- Friedman, L.N. Gold, A.R. & Christie, R. (1972); dissecting the generation gap: Inter- generational and intrafamilial similarities and differences, Public opinion quarterly 36, 334 -346.
- Gallagher, B.J. (1979): Attitude differences across three generations: Class and sex components. Adolescence.15 (53), 503-516.
- Gangrade, K.D. (1978): Intergeneration conflict; A study in generation gap Social change (1) 18-27.

- Geertz, C. (1963): *Old Societies and new states: The quest for modernity in Asia and Africa*. London. The Free Press of Glencoe.
- Gordon, M.M. (1952): *The Logic of Socio economic status scales: Socio metric*, 15,342-353.
- Gogoi, B. (2010): *Role of Man Tai Women: A Socio Economic Study of Karbianglong District in Assam*. *Social Modernity, Asian Journal of Social Science*, 1, No. 1-2, 90 - 95.
- Hall, G.S. (1904): *Adolescence*. 2 vols. New York. Appleton.
- Halyal, P.S. & Mallapa, K.R. (1986) *Generation gap: Differences in attitudinal modernity*. *Journal of the Indian Academy of Applied Psychology*. Jan...1986 Vol.12 (i).
- Hassan, P. (1993) *Generation Gap: Attitudinal Modernity of Muslim Students and their parents*. Unpublished Ph.D Thesis, Ranchi University
- Holsinger, B.B. (1973): *The elementary school as a modernizer: A Brazilian study*. *International Journal of comparative sociology*. 14 180-202.
- Inkeles, A. and Smith, D. H. (1974): *Becoming modern. Individual change in six developing countries*. *Ethos*, 3 323-342.
- Inkeles, A. (1975): *Becoming modern. Individual change in six developing countries*. Cambridge, Harvard University Press.
- Inkeles A. (1983): *Exploring individual modernity*, New York, Columbia University press.
- Israt, (1993): *Generation gap: Attitudinal modernity of tribal female students and their parents* Unpublished Ph.D Thesis, Ranchi University, Ranchi.
- Jawaid, A. (1990): *Attitudinal modernity of college students and their parents. A study of Generation Gap*. Unpublished, Ph.D thesis Bihar University, Muzaffarpur.
- John, D. and Catherine, T. Mac Arthur (2008): *Research Network on Socioeconomic Status and Health from the University of California*, San Francisco. Measurement, retrieved, 02-25
- Kahl, J.A. (1968): *The measurement of modernism. A study of values in Brazil and Mexico* Austin University of Texas Press.
- Kohn, M.L. ((1959): *Social class and parental values; American Journal of Sociology*, 64, 337-35
- Lerner, D. (1958): *The passing of traditional society*. Glencoe. The Free Press.
- Marrison, J. (Jr.) (1966): *Modernization and the structure of societies*, New Jersey, Princeton University Press.
- McBrien, Julie (2009): *Mukadas' Struggle; Veils and Modernity in Kyrgyzstan* n *Journal of the Royal Anthropological Institute*, Volume15, Pp.5127-5144 (1)
- Meed, M. (1947); *Coming of Age in Samoa*. New York Mentor Book
- Mehta, A. (2010): *Political Empowerment and Education of Indian Women*. *Social Modernity, Asian Journal of Social Science*. 1, No. 1-2, 90 - 95.
- Myrdal. (1968): *Asian Drama; An enquiry into Poverty of nations*, London, The Penguin Press.
- Patel- Amin N (2002) *Modernity and Childrearing in Families of Gujarati Indian Adolescents* *International Journal of Psychology*. Volume 37, Pp, 239-2459 (7)
- Raghuvanshi, M.S. (1978) *Education and Modernity*. Ph.D. Thesis. Meerut University. Meerut.
- *Comparative Sociology*. 14. 245-272.
- Sahay M. (1989): *Modernity in Tribal Hindus*. Unpublished Ph.D. thesis, Ranchi University, Ranchi
- Sen, L.K. (1962): *Social dimensions of modernization in four Indian villages*. Unpublished Ph.D Thesis Sack, R. (1973): *The impact of education on individual modernity in Tunisia*. *International Journal of University of Wisconsin*.
- Sewell, W.H. (1961): *Social class and childhood personality*. *Sociometry*. 24. 340-356.
- Sharma, V.P. (2010): *Health Status of Tribal Women in Jharkhand*. , *Social Modernity, Asian Journal of Social Science*. 1, No. 1-2, 90 -
- Singh, A.K. (1984): *Health Modernity and its correlates in South Bihar* Report of ICMR Project, P.G. Department of psychology, Ranchi University pp 117, 123 - 126. .
- Singh, S.K (1993): *Generation Gap: Comparison of Modernity of Urban Backward Caste College Students and their Parents*. Unpublished Ph.D thesis Ranchi University.
- Singh, S. K. (2005): *A Study on Generation Gap*. *Magadh Journal of Social Research*. XI, 2. 75 - 77.
- Singh, S. K. & Ara, R. (2009): *Modernity of College Students and their parents*. *Journal for Social Development*. 1. 2.. 20-29.
- Singh, S. K. (2010): *Attitudes of College Students and their Parents towards Modernity*. *Social Modernity, Asian Journal of Social Science*. 1, No. 1 - 2. 108 - 114.
- Singh, S. K. (2010): *Changing Social Values and Modernity Level of College Students in Jharkhand*. *Anusandhanika, Research Journal of Social Sciences & Humanities*. VIII, 11. 214 - 222.
- Smith, W.C. (1965): *Modernization and Traditional Society*, Bombay, Asia Publishing House.
- Waris, H. (1992) *Socio Economic Status and Modernity in Muslims* Unpublished Ph.D thesis Ranch University - Ranchi.



## **Impact of Socio-psychological Factors on Religious Participation Among Hindu and Muslim Students**

**Kanchan Kumar**

### *Introduction and Objectives*

The main aim of the present research work is to study with a view to exploring the role of some of the personal, situational and personality variables on religious participation and religious activities among Hindu and Muslim college students. In addition to this present investigation proceeded to seek the impact of residential area, attitude, marital status, caste and personality character e.g. anxiety, neuroticism, extraversion and security-insecurity.

The main burning problems to studies the religious participation and religious activities towards some socio-psychological factors. These socio-psychological factors have their immense and deep effect on religious participation, religious activities and social making of the students.

In the recent past psychologists, sociologists and educationalists showed a keen interest in carrying out researches relating to different aspects for the differences in religious participation towards socio-psychological factors mentioned above. Hindu and Muslim college

students who are the central point in the present research work. It is so difficult to give accurate definition of religion. There are many definitions of religion, in which some definitions are mentioned below:-

Oxford advanced dictionary stated that "Religion is one of the various system of faith and worship, based on such belief."

According to the chambers of the dictionary, "Religion is the performance of our duties of love and obedience towards God."

In psychological terms - "Religion is a power which simply controls human behavior and physiological process."

In this research work personality character e.g. anxiety, neuroticism, extraversion, attitude etc. did play important role on religious participation and religious activities among Hindu and Muslim college students. A brief introduction of these personality characters are given below:-

- 1- *Anxiety*:- Anxiety is a state of mental uneasiness resulting from conflict in which fear is aroused. Anxiety is a generalized emotional state while worry is related to specific situations, such as examinations, parties, religious places etc. Worry comes from an objective problems while anxiety comes from subjective problems.
- 2- *Neuroticism*:- A neurotic is only a person with an excess of the external and internal difficulties and inadequacies from which every one suffers in some degree. Neuroticism is a personality feature characterized by neurotic or psychoneurotic symptoms. Neurotics are mentally ill. They are unhappy, anxious, inadequacy and low stress tolerance, fearfulness and anxiety, tension or irritability, egocentricity and disturbed interpersonal relationships, persistent non-integrative behavior, dissatisfaction and unhappiness, psychological and somatic symptoms. He seems medically fit. Most common symptoms are fatigue. He faces sleep disturbances. Fatigue is clearly psychological based. He refuses help from every one.

He always shows defensive action. They are rigid and emotional. He faces his life such a heavy burden. He feels that he is fighting for his very life and he becomes self centered. Neurotics are prone to be tense, confused mind, pessimistic, dissatisfied with his life. He is unable to express his problem. He avoids the challenges and struggles.

3. *Extraversion*:- The extrovert is a person who values the outer world, seeks for social approval and tends to conform to the moral of his society. He is social and optimistic. He is fond of practical jokes, always has a readymade answer and generally likes changes. He is extensive rather than intensive, experimental rather than theoretical, materialistic rather than mentalist. Extrovert has a more objective outlook and lack of self control.

In the other hand introvert has a more subjective outlook and he is a self control person.

4. *Attitude*- Attitude involve lasting likes and dislike towards himself, other persons, objects or issues. Attitude involve more than positive and negative feelings.

### **Hypothesis**

The Main *hypothesis* of this investigation are –

- (i) There shall be significant difference among Hindu

and Muslim college students belonging to Forward and Backward class in their religious participation and activities.

- (ii) Hindu and Muslim college students belonging to urban and rural areas shall significantly differ in their attitude towards religious participation and activities.
- (iii) Hindu and Muslim college students shall significantly differ in marital status in their religious participation and activities.
- (iv) Hindu and Muslim college students shall differ significantly in anxiety, neuroticism, extraversion and security-insecurity scale.
- (v) Hindu and Muslim college students shall differ significantly in their attitude towards following religious questions:-
- (a) "Worship Helps in success".
- (b) "The faith in God increases during examination period".
- (c) "Do religious activities improve memory".
- (d) "The responses, if the religious people are hypocrites, respectable, idealist and superstitious".
- (e) "The responses towards need of I am Pandit in religious activities"

### **Method of Study**

- (i) *Samples*:- The investigation has been conducted on 100 Hindu and 100 Muslim college students of degree level to be taken randomly from both urban and rural areas as per their availability under Chapra and Siwan districts of Bihar, under the jurisdiction of Jai Prakash University, Chapra. Their age range 17-20 years.
- (ii) *Measuring Instruments*:- To measure the different objective the following tests or inventories have been used:-
- (a) Personal data blank for eliciting information with regard to back ground variables- caste, marital status etc.
- (b) Comprehensive test of anxiety(CTA).
- (c) Eysenck Personality Inventory(EPI).
- (d) Security and Insecurity Inventory (SI).
- (e) A questionnaire for attitude measurement.
- (iii) *Procedure*:- In the present research residential area and socio-psychological variables e.g. anxiety, neuroticism, extraversion, security-insecurity and attitude have served as independent variables. The effect of residential area have been investigated on socio-psychological factors as whole, as well as, religious

participation and religious activities. Five inventories and scales were applied to a sample of 200 subjects in which 100 Hindu and 100 Muslim students were selected. The collection of data extended over a period of five sessions. Different tests of personality, personal data blank and a questionnaire eliciting the information were administered accordingly.

(iv) Statistical Analysis:- In the present investigation, the choice of statistical technique was applied for the treatment of collected data by following considerations:-

- (a) Before employing any parametric statistics, the frequency distribution of score and different personality variables were tested.
- (b) Chi-Square technique was employed in order to compare the frequency amongst Hindu and Muslim college students.
- (c) 't' ratio was employed in order to compare high and low scores on different frequencies of visits, religious places and religious activities and in respect of different personality variables.
- (d) Two ways ANOVA was employed in order to compare different personality variables.

### **Discussion**

The present investigation devoted to highlighting the present findings. The two aspects namely methodology and the findings of any research are interlocked. It may be recalled that the variables covered in the study are attitudinal. Personal and different personality factors were caste, socio-economic status, residential area, anxiety, neuroticism, extraversion and security -insecurity. These variables have been studied in relation to religious participation and religious activities, the independent variables. In general parametric tests have been preferred, because the distribution of scores for all the variables do not depart for normality. Hence, 't'-like test, Chi-square test, two way analysis of variance (ANOVA) have been employed. The assumption of normality has been accepted in the present research and all the distributions of scores on all the variables for the purpose of statistical treatment have been found to be normal. For the present research two groups of subjects e.g. Hindu and Muslim college students, urban male & female, rural male & female, which drawn randomly from population comparing undergraduate students reading in different colleges located at Chapra and Siwan districts of Bihar.

The finding may be pointed out to the fact and overall picture emerging out of analysis and discussion can be briefly summarized as that the Hindu and Muslim samples

showed the need of religious participation and religious activities.

Thus, finding indicated that the various situational personal and other personality variables did play important role in motivating them in relation to religious participation and religious activities.

### **Conclusion**

The main conclusions is furnished below:-

- (i) The Hindu Forward Castes significantly differ from Hindu Backward castes in relation to their religious participation as visit to place of worship (Temple).
- (ii) The Hindu Forward Castes significantly differ from Muslim Forward Castes in terms of their visit to place of worship in relation to their attitude of religious participation.
- (iii) The Hindu Backward Castes did not significantly differ from Muslim Backward Castes in terms of their visit to place of worship in relation to their attitude of religious participation.
- (iv) The Hindu samples belonging to urban and rural areas significantly differ in attitude towards religious participation as visit to their temple on daily, weekly and occasionally.
- (v) The Muslim samples belonging to urban and rural areas did not significantly differ in their attitude towards visit the mosque on daily, weekly and occasionally.

(vi) The Hindu and Muslim married samples did not significantly differ in their attitude towards religious participation as visit to temple and mosque, while on Hindu and Muslim unmarried samples significantly differ in their attitude towards visit to temple and mosque.

(vii) The Hindu and Muslim samples differ significantly in their attitude towards religious participation and religious activities on anxiety, neuroticism, extraversion score, while that the Hindu and Muslim samples did not significantly differ in their attitude towards religious participation and religious activities on security-insecurity scores.

(viii) The Hindu and Muslim samples significantly differ in their attitude in relation to religious participation and religious activities towards the question, "Worship helps in success," "The faith in God increases during examination period", "Do religious activities improve memory", "the responses towards need of I am Pandit, and " the responses, if religious people are hypocrites, respectable, idealist and superstitious". etc.

In view of the broad national policy in the direction

of religious changes, the study is of great importance since these religious problems and social attitude determine to an extent how an individual received and responds to the measures aimed at his/her religious elevations. Present work is an effect to explore some of the socio-psychological factors behind the religious participation in both Hindu and Muslim college students.

### References

1. Ahmed, B.(1981):-Questions and answers on Mohamedan Law, Allahabad Law Library, Allahabad, 1-22.
2. Marcon, Revnaldo(1978):- Attitude towards religion in a group of university student in Peru, Revista Latinoamo Ricanade Psicologia, vik, 10(2), 193-209.
3. Baither, Richard and saltzbe, Laster(1978):- Relationship between religious attitude and rational thinking, Psychological report, Vol. 43(3), 853-854.
4. Bhushan, L.I. and Sinha, N.P.(1975):- Political-economic conservatism and ethnic prejudice in religious and non-religious caste Hindu, Journal of Psychological Researches, Vol. 20(2), 60-64.
5. Durkheim(1961):- The elementary forms of the religious life, Colliar Book, N.4..
6. Ellwood(1922), Verma, S.P.(1981):- A dynamic psychology of Hindu religion, Associated Book Agency, Patna.
7. Freud, Sigmand(1904):- Psychopathology of everyday life.
8. Goyal, Malini(2004):- Numbers Games, India Today, Weekly, Sept. 14-20, pp.14-16.
9. Goyandaka, J. (1959):- What is God?, Gita Press, Gorakhpur, 1-3.

10. Hasan, M.K.(1976):- A study of caste image, caste attitude and religiosity in high caste and scheduled caste college students, J. Soc. Researches, 19, PP. 56-63.
11. Hasan, M.K. & Khalique, A.(1981):- Religiosity and its correlates in college students, Journal of Psychological Researches, Vol. 25(3), 129-136.
12. Tiwari, Govind, Mathur, Bhanu and Morbhat Kiran (1980):- Religiosity as function of age and sex.
13. Bose, G.(1930):- The psychological outlook in Hindu philosophy, Indian Journal of Psychology, 5.
14. Bohra, K.A.(1979):- Social perception of in-group and out-group members in India, Journal of Social Psychology, 108, 9-12.
15. Conroy, Maureen (1985):- Images and our experience of God, Studies informative Spirituality, Vol. 6(1),11-27.
16. Gitz, Irena (1984):- Moral judgement and religion: A review of the literature, Counselling & Values, vol. 28(3), 94-116.
17. Hasnain, N. and Ria, Shehla (2006):- Religious dominance and prejudice, Indian Psychological Review, 56(1), 18-24.
18. Khalique(1982):- Effect of religious prejudice on religious images and religious caste stereo types of Muslim school students, Indian Psychological Review, vol. 22(4),9-15.
19. Krishna, Lila (1991):- Religious attitude feelings of security and sex differences: A non conbismation, Italian Journal of Psychology, 8(3), 209-218.
20. Mishra, S.L.(1970):- A comparative study of religion caste differences in concept formation ability of young adults, Psychology Annual, 4, 10-12.



## **A Comparative Study on Depression of Male and Female Adolescents**

**Smritikana Mitra Ghosh**

### **Abstract**

The aim of the present investigation was to study the effect of gender on depression level of adolescents. Sample consisted of 80 school students. Out of these 40 were male and 40 were female adolescents selected from Ranchi and Bokaro town. Their age ranged from 14 to 16 years. All the participations were given the tools of Beck Depression Inventory. Data was analyzed by using Means, SDs and "t" values. Result showed significant influence of gender on depression. It was found that female adolescents exhibit higher level of depression than the male adolescents ( $t=10.53$ ;  $P<0.01$ ).

### **Introduction**

Depression is a serious and pervasive mood disorder. It causes feelings of sadness, hopelessness, helplessness, and worthlessness. Depression can be mild to moderate with symptoms of apathy, little appetite, difficulty sleeping, low self-esteem, and low-grade fatigue. Or it can be more severe.

Depression in children and adolescents can interfere with normal developmental tasks forming friendships, mastering social and academic skills, achieving independence. Almost everyone feels sad sometimes, but most often sad moods are transitory, reactive to negative experiences, separation, loss, failure, family conflict and do not necessarily portend depression. However, when sad feelings persist over time and color the way a person functions, he or she may be experiencing a clinical depression. In many cases there appears to be a genetic component to depression. Studies have found a higher percentage of depression and other mental disorders in the families of people diagnosed with depression than is found in the general population.

Depression in teens is often described as the invisible illness. Statistically in a school of 1000 students, as many as 100 may experience depression severe enough to warrant a psychiatric diagnosis. Adolescents are less likely to feel depressed or anxious if the peer group provides emotional support (Buhrmester, 1992).

During early adolescence, as males and females develop different explanatory styles, they also develop different styles of coping in stressful situations. Research has shown that rumination (thinking and talking about a problem, rather than seeking out a distracting activity or solution) is one of the risk factors associated with higher rates of depression among adolescent females. Males, in contrast, use more problem solving and distraction techniques. A number of studies show that individuals who ruminate when distressed show longer and more severe periods of depression symptoms and are more likely to develop.

Studies show that the higher incidence of depression in females' adolescence is because of roles and expectations change dramatically. The stresses of adolescence include forming an identity, confronting sexuality, separating from parents, and making decisions for the first time, along with other physical, intellectual, and

---

Research Scholar, P.G.Department of Psychology, Ranchi University, Ranchi

hormonal changes. These stresses are generally different for males and females, and may be associated more often with depression in females. Some researchers have suggested that men and female differ in their expression of emotional problems. In adolescence, males are more likely to develop behavioral and substance abuse problems, while females are more likely to become depressed. Kessler, et al (1994) reported in his findings that 21.3% of females and 12.7% of males suffer from depression at sometimes during their lives. The fact that females have traditionally had lower status, power and income than males, must worry more than males about their personal safety and are the victims of sexual harassment and assault much more often than males.

Past research has indicated higher levels of depression among adolescent females compared to adolescent males, and the explanations for this difference have been explored in depth (Allgood-Merton, Lewinsohn, & Hops, 1990; Katragadda & Tidwell, 1998; Obeidallah, McHale, & Silbereisen, 1996; Swanson, Linskey, Quintero-Salinas, Pumareiga, & Holzer, 1992; Vannatta, 1996).

In regard to the gender difference, some research suggests that during puberty, a combination of genetic factors and negative life events is more likely to result in depression for females than males. There is increasing evidence that female

adolescents and adults are more likely than their male peers to become depressed, both clinically and subclinically (Baron & Camphell, 1993; Kashani et al., 1987; Petersen, Sarigiani, & Kennedy, 1991; Weissman, 1987).

Before adolescence, the rate of depression is about the same in females and males. However, with the onset of puberty, a girl's risk of developing depression increases dramatically to twice that of males. Experts believe that the increased chance of depression in female may be related to changes in hormone levels that occur throughout a woman's life. These changes are evident during puberty, pregnancy, and menopause as well as after giving birth or experiencing a miscarriage. In addition, the hormone fluctuations that occur with each month's menstrual cycle probably contribute to premenstrual syndrome, or PMS, and premenstrual dysphoric disorder, or PMDD a severe syndrome marked especially by depression, anxiety, and mood swings that occurs the week before menstruation and interferes with normal functioning of daily life.

According to the National Institutes of Health, factors that increase the risk of depression in female include reproductive, genetic, or other biological factors; interpersonal factors; and certain psychological and personality characteristics. Female juggling work with raising kids and female who are

single parents suffer more stress that may trigger symptoms of depression. Other factors that could increase risk include:

- Family history of mood disorders
- History of mood disorders in early reproductive years
- Loss of a parent before age 10
- Loss of social support system or the threat of such a loss
- Ongoing psychological and social stress, such as loss of a job, relationship stress, separation or divorce
- Physical or sexual abuse as a child
- Use of certain medications

Female can also get postpartum depression after the birth of a baby. Some people get seasonal affective disorder in the winter. Depression is one part of bipolar disorder.

### ***Hypothesis***

There will be significant difference between male and female adolescents on Depression scale.

### ***Method***

#### ***Sample***

Eighty school students from different schools of Ranchi and Bokaro town participated in this study. They were selected using a stratified random sampling technique. There were 40 male and 40 female respondents ranging are-group 14 to 16 years.

## Instrument

### Beck Depression Inventory (BDI, 1961)

BDI is a self-report measure of depression, consisting 21 items that assess the severity of affective, behavioural, cognitive and somatic symptoms of depression. Each item is scored on a 3 – point scale. It comprised of 20 items as its one item having sexual connotation was dropped, so score range of BDI is 0.60 and construct validity is 0.84.

### Procedure

The BDI was administered to both groups with instructions to complete all questions honestly and not to discuss the questions with fellow students. Scoring was done according to the respective scoring keys. In order to fulfill the objective of the study the score obtained were analyzed with mean, SD's and t values.

## Result and Discussion

*Table -I: Number and Percentages of adolescents with depression indentified with Beck Depression Inventory.*

Level of Depression	Male		Female	
	N	Percentage	N	Percentage
Low depression	25	62.5	10	25
Mild depression	12	30	8	20
Moderate depression	3	7.5	22	55
Severe depression	0	0	0	0

It is evident from Table - I that the prevalence of depression is significantly higher among female adolescent. Fifty five percent of the female found to have Moderate depression, twenty percent were under the Mild depression and twenty five percent were having Low depression. In male group 62.5% were having low depression, 30% were under the mild level of depression and 7.5% were under the moderate level of depression. No case of severe depression was identified in both groups (Males and Females).

*Table - II: Means, SDs and comparative statistics of Male and Female on Beck Depression Inventory.*

Group	N	Mean	SD	t	df	P Value
Male	40	7.9	2.8	10.53	77	<0.01
Female	40	15.8	3.9			

The Table - II suggests that their exist a gender influence on depression. The mean of depressive behaviour of females (M= 15.8) is higher than the mean of depressive behaviour of males (M=7.9). So females have shown more depressive behaviour than males. Hence it can be said that the present findings goes with the hypothesis formulated. In order to see whether the mean difference

between the two variable is significant or not t-ratio was calculated the value of which is 10.53 (df = 77). The t- value at 0.05 level of confidence is 1.99 and at 0.01 level of confidence are 2.64. Thus the obtained t-value is more than the value at .01 level of significance. Hence it can be interpreted that difference between the two mean is actual and has not occurred by chance. So the hypothesis that females will show more depressive behaviour than males is supported by the current findings. This finding confirmed the earlier findings of Cyranowski, Frank, and Young et al 2000.

## Discussion

Female adolescent exhibit higher level of depression than the male adolescents. The possible explanations would probably have to be linked with environmental and cultural factor. Several investigations suggested that females already carry a heavier load of risk factors of depression from childhood (hormonal, genetic, biological) but it is not until those factors are activated by the special challenges of adolescence that they crystallize in to a greater vulnerability to depression (Nolen-Hoeksema, 1994, Kendler, Gardner, Neale et al., 1998). The higher incidence of depression in female begins in adolescence, when roles and expectations change dramatically, many factors unique to female are suspected to play a role in developing depression. Individuals with

certain characteristics- low self esteem, a sense of having little control over life events, and proneness to excessive worrying- are more likely, to develop depression.

### Conclusion

Female adolescents feel more depression than Male adolescents.

### References

- Allgood-Merten, B., Lewinsohn, P. M., & Hops, H. (1990). Sex differences and adolescent depression. *Journal of Abnormal Psychology, 99*, 55-63.
- Baron, P., & Campbell, T. L. (1993). Gender differences in the expression of depressive symptoms in middle adolescents: An extension of earlier findings. *ArfoZesce/ice, 28*, 903-911.
- Buhrmester, D. (1992). The developmental course of sibling and peer relationships. In F. Boer & J. Dunn (Eds.), *Children's sibling relationships: Developmental and clinical issues*, 19 - 40. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Cyranowski JM, Frank E, Young E, Shear MK Shear MK. (2000). Adolescent onset of the gender difference in lifetime rates of major depression: a theoretical model. *Archives of General Psychiatry, 57*(1):21-7.
- Kashani, J. H., Carlson, G. A., Beck, N. C, Hoepfer, E. W., Corcoran, C. M., McAllister, J. A., Fallahi, C, Rosenberg, T. K., & Reid, J. C. (1987). Depression, depressive symptoms, and depressed mood among a community sample of adolescents. *American Journal of Psychiatry, 144*, 931-934.
- Katragadda, C.P., & Tidwell, R. (1998). Rural Hispanic adolescents at risk for depressive symptoms. *Journal of Applied Social Psychology, 28*(20), 1916-1930.
- Kendler, K.S., & Gardner, C.O. (1998). Boundaries of major depression: An evaluation of DSM-IV criteria. *American Journal of Psychiatry, 155*, 172-177.
- Kessler, R.C., McGonagle, K.A., Nelson, C.B., Hughes, M., Swartz, M., Blazer, D.G. (1994). Sex and depression in the National Comorbidity Survey, II: cohort effects. *Journal of Affective Disorders 30*, 15-26.
- Nolen-Hoeksema, S. and Girgus, J. S. (1994). The emergence of gender differences in depression during adolescence. *Psychological Bulletin, 115*, 424-443.
- Obeidallah, D.A., McHale, S. M., & Silbereisen, R. K. (1996). Gender role socialization and adolescents' reports of depression: Why some girls and not others? *Journal of Youth and Adolescence, 25*(6), 775-785.
- Petersen, A. C, Sarigiani, P. A., & Kennedy, R. E. (1991). Adolescent depression: Why more girls? *Journal of Youth and Adolescence, 20*, 247-271.
- Swanson, J.W., Linskey, A.O., Quintero-Salinas, R., Pumareiga, A.J., & Holzer, III, C.E. (1992). A binational school survey of depressive symptoms, drug use, and suicidal ideation. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 31*(4), 669-678.
- Vannatta, R.A. (1996). Risk factors related to suicidal behavior among male and female adolescents. *Journal of Youth and Adolescence, 25*(2), 149-160.
- Weissman, M. (1987). Advances in psychiatric epidemiology: Rates and risks for major depression. *American Journal of Public Health, 77*, 445-451.



# Indian Society in the Novels of Manohar Malgonkar

Dr. Ganga Sagar Prasad Singh

“Every writer grows up as a member of a particular society; and the structure of his personality, his views of life, and his emotional conflicts and communication are conditioned by social factions.” – Henry Bamford Packes

Literature reflects not only the dreams and ideas, hopes and aspirations, failures and disappointments, motives and passions, experiences and observation, unity and division, and the spirit and the flesh of the Universe but also the social, cultural and spiritual substances of a race or a nation. Being the member of a society, a writer can never be free from the social, cultural and spiritual spirit of the society. In this context Manohar Malgonkar is not an exception of the assumptions.

In the whole spectrum of literature, Indo-Anglian fictions have established a mighty monarchy in the history of International cultural relations and cosmopolitan harmony. They embody their own settings, own characters, own ethos, own atmosphere, own myths, own symbols ; and reveal greater confidence and deeper sensibility not only for Indians but for the world.

Of all great soldiers of the monarchy, Malgonkar is one of them who attain a prominent position in the realm of literature. He is thoroughly an Indian in style, in the use of similes and metaphors; and he universalised Indian atmosphere and literary tradition all over the world. He has published four novels in the course

of five years. Their artistic maturity, plottings and expert method of telling stories exhibit his ability, Conscience, attitude, thoughts and feelings. His heroes seek happiness in their families and specially in the company of their wives. His attitude towards love, sex and marriage, his approach to the problem of Hindu-Muslim Unity, his sympathy towards the Anglo-Indians, his presentation of domestic affairs, his opinion opposite to Rudyard Kipling about the East and the West, and his technique and manner of handling the materials show that he is deeply rooted in Indian culture and is a nationalist to the core of his heart.

Indian culture and Civilization is famous for its spiritual bliss and comfort that it gets through the use of materialism. People from the abroad come in search of such bliss but they are not less astonished at the erotic sculptures of Khajuraho which illuminate the mystery and delight of sex. Dr. K.R.S. Iyenger speaks of national identity for India as “ A spiralling concept ranging from the material to the spiritual” ‘ Raja Rao considers India not as a country but as an idea or a metaphysic, Commenting on his view, Dr. Iyenger says, “ But the ‘metaphysic’ that is India does materialise itself, and the mother concept comprehends the material as well as the spiritual.”<sup>2</sup> The aspects of Indian life harmonise the image of spirituality as well as sensuality. Its rich cultural heritage, Common beliefs, habits, customs and common urge lead the novelists to exemplify and illustrate them in the world.

Indianness is a concept of nationality, flourishing of our culture, value of our experience and the constant intuition of the Unity of all lives. Malgonkar’s novels include almost all aspects of Indianness. His use of simities and metaphors enriched Indian atmosphere and literary tradition.

Malgonkar extracts his themes for his novels from Indian life, society, religions and political Consciousness of the people of India. In his first novel, “Distant Drum” there is a picture of social life in the army as well as in the civil area. The

---

Head. Deptt. of English S.N.S. College, Hajipur B.R.A.B.U., Muzaffarpur

principle - Unity in Diversity is well expressed and illustrated as the symbol of harmonious life of the people of various communities and their readiness to help each other in an hour of need and requirement. Arun Senwal leads a happy married life with his wife and his friends. He is also bold enough to face the joking attitude of his friends at his expense. Mr. Sonal and other high-ups represent the civilian life of the society. Like all other guardians of Indian families Mr. Sonal is anxious to marry off his daughter with a rich person even without her consent and Willingness. His sister-in-law suggests Arvind Nathur, a typical high-brow as prospective groom for his daughter-Bina. He starts negotiations on an auspicious day and advises Mrs. Kagal - the wife of a junior officer to arrange a party inviting Bina and Nathur to participate in it. Arvind Nathur and Bina are given an opportunity to look at and talk to each other. But Bina has her interests some where else. She loves Kiran Garud and ultimately marries him against the convention and wishes of her father. There is also a peep into the bureaucratic stratum of life. Mrs. Kagal arranges the party with almost all care to satisfy her husband's boss to win the grace from the bureaucratic leader.

In 'Combat of shadows' there is a proper reflection of the social life of Hindus, Anglo-Indian and the English. The method of leading lives of the Hindus and Anglo-Indian

Community is different from each other. The members of Anglo-Indian community form a close - a knit group but the Hindus community is not bound to each other in any organic relationship. The low class Indians, especially their women are treated with Contempt. These women are shown as living to gratify the sexual urge of their English masters like Cookburn. If they conceive in the process, their husbands agree to be the fathers of the babies just for a few 'chips'. Preponderance of wine, sex, jealousy and revenge in the lives of English Characters are nicely brought out in the novel.

In 'The Princes' Malgonkar portrays the lives of princes and the various aspects of society in Begwad in its totality. Through the 'quivering Poverty' of kanakchand, he suggests the miserable life of the people of low Castes live in Begwad. The prince - Abhay does not show much sympathy to those victims of social oppressions as they deserve. When kanakchand tells the Prince the miserable lot of his class, he replies, "But we did not create these conditions. They have come from the ages. If anything, we have always striven to eradicate them." <sup>3</sup> These words of the Prince provoke a sharp reaction from kanakchand who brings about the hollowness of his claim. "No, you did not make me an untouchable, Not you, you are untouchable yourself; you bedare; Killer, robber, ..... But your father happened to be Maharaja, a prince and you who should have hung around

dustbins with the rest of us, lived in a palace. To you, we were just a dirty word: untouchable."<sup>4</sup> These words 'show not only the agony and resentment of the people of depressed classes but also their courage to challenge the oppressors. Through Kanakchand the author shows the changed attitude of the down-trodden and the emergence of political force in them. The fact is that Indian Society is suffering from incorrigible conservative outlook on Caste-system. Though We denounce Casteism or Caste-system, it continues to be one of the vital parts of our life.

Rural and Urban lives in India are well portrayed in his - "A Bend in the Ganges." It presents "the moving multiplicity of the life lived in the vast spaces of India".<sup>5</sup> A glimpse of the tradition - bound-village life is succinctly pictured in the story of the ostracism of Gian's grand mother whom her husband had picked from outside his caste. The quarrel and litigation over a piece of land leading to murder and counter-murder present in the novel are a part of village life in the country. Dewan Bahadur Tekchand represents the aristocratic section of our society. The picture of social life without the characterisation of Lala Ramnath is incomplete. He is a leader who exploits people when they are hit by natural calamities like famine and is humiliated in the end. He resembles Mankchand in "The Devils Wind" and Major

General Behi in ' Bendicoot Run." They work against the country.

Malgonkar presents various aspects of the religious life - ranging from the matching of horoscopes before marriage to derivation of spiritual strength from the recitation of the Gayatri Mantra in moments of crisis. Religion is an indispensable part of people's life in India. A country without the religious practices of its people is impossible. In the context Swami Vivekanand speaks of the Hindus : "The Hindu man drinks religiously, sleeps religiously, walks religiously, marries religiously and robs religiously" <sup>6</sup> what he says about the Hindus is equally applicable to Muslims, Sikkhs, Christian and others. Religion plays a significant part in making the Indian sensibility. Without expressing the religious aspects of human beings, no novelists may succeed in presenting the whole aspects of a society. Malgonkar has keen interest in portraying the religious life of the people. Before the marriage negotiation of Bina and Arvind Nathur in the 'Distant Drum', there is a glimpse of a religious aspect in matching of horoscopes of them. Along with the religious beliefs and faiths in one particular field of life, he shows his critical awareness of the insincerity that hungs around.it. We also see the religious harmony in the friendship of Kiran Garud and Abdul Jamal ; and religious discord at its worst in the Communal riots at the time of

India's partition Maharaja in 'The Princes' worships the goddess Ambika in a very impressive manner.

"I went on looking at him as though spell-bound at my father who sat next to me and yet was somewhat far away, his palms held out rigidly to receive the blessings of Ambika, The head priest, ..... went on mumbling prayers in a soothing, sing-song voice, poruing a spoonful of water over the flowers heaped at the feet of the goddess..... The priest picked up some flowers from the goddess's feet and put them in my father's hands ..... After that the priest picked up the sword, anointed it with sandalwood paste and red ochre and placed it firmly into my father's hand ". But the Maharani's mode of worship is different from the Maharaja's. She comes before the goddess-Sati with- tearful eyes, perhaps, thinking over the unsati like deeds to run away with her Muslim lover. - Maharaja offers his prayer to get things to his hearts desire. When he feels disappointment, he derives solace from the 'Bhagwad Gita". He tells Abhay that "There is devine appropriateness about it all." <sup>8</sup> He satisfies himself from the following verse of 'Gita', "I am rich and well-born who else is equal to me ? I will sacrifice, I will give; in that I shall rejoice." <sup>9</sup> Like most of the Indians, Maharaja gets inspiration from such religious books. Nana Saheb in " Devil's Wind' sings the Gayatri Mantra to avoid or tide over the danger

surrounded round him. Fervent religious attitude plays a prominent role in 'A Bend in the Ganges." It is Hafis who persuades the nationalist shafi to be Muslim League-minded. It is only religious Orthodoxy that creates a rift between Hindus and Muslims. The Muslim--Nationalists who were struggling to get freedom for the whole of the country resolve to work for getting an independent Muslim Country Carved out of India. Superstitions go side by side with the religious beliefs of Indians and so it is no wonder they have found a way into his novels. For the starting of a new work, we, consider some certain days as auspicious and appropriate. We hesitate to begin some new work or expedition on some certain days, months or dates. In the 'Combat of Shadows' When Henery decides to go after a 'rogue elephant, his wife forbids him to go out for hunting on the propped day. Henry pays no heed to her advice and ultimately fails to hunt the elephant. The villagers do not assist him in finding out the track of the elephant. They are afraid of arousing the wrath of the god of elephant for imaginative reason. This Superstitious belief also reflects the fatalistic attitude of our life, How deeply rooted are the Superstations in the mind of Indians are fleshed out When Nana Saheb Writes "I would have turned in my tracks and waited for a less malignant hour. Something should have warned me - perhaps a cat

crossing my path as I stepped out of the house, or a Vulture perched on the gate-post" 10. at the failure of his meeting with Wheelers at Kanpur.

Political Consciousness is an integral part of Indian society just after the emergence of Mahatma Gandhi as a national leader. This spirit motivates Malgonkar but he suffers from the evil effect of prejudice. His novels are unable to include all its aspects. Even his principal characters lack sound political Consciousness and forget their destiny to drive out the Britishers from India. Lala Vishnu Saren in the 'Distant Drum', Jugal Kishore in 'Combat of Shadows' and Kanakchand in 'The Princes' fail to get the virtue of great leaders. Shafi is a member of a terrorist group in 'The Bend in the Ganges'. He wants to avenge his father's death in the Jalliah Wallah Bag massacre.

But he immunises himself from his aim under the influence of Jinnah's two nations theory and waits for the Creation of Pakistan pining his time in a brothel and hoping to marry Mumtaz. Devi Dayal never comes out from the range of personal revenge. Though Malgonkar's point of view. Concerning the flavours of national spirit in politicians is imbued with contempt, dislike prejudice, bias and bigotry yet he has nicely illustrated the political awareness of the people 'who challenge the Prince and later on the mighty British Empire.

In short Malgonkar in his novels delineate a vivid description of Indian society like an alive commentary upon each and every activity of our life. The matrix of religion, spirituality, politics, sense of observation and sound judgement attains matured

culmination through his care and artistic expression.

### References

1. Iyenger, K.R.S.: 'Two Cheers for the Common wealth' (Asia Publishing House, New York, 1970)
2. Iyenger : 'Indian writing in English and Retrospected by Ramesh Mohan (Orient Longman, New Delhi, 1978) P.10.
3. The Princes pp. 274-275
4. Ibid.P.275
5. Iyenger, K.R.S.: 'Indian writing in English-Prospect and Retrospect' in 'Indian Writing in English' ed. By Ramesh Mohan (Orient Longman, New Delhi, 1978) P.q.
6. Cited by Walsh, William: 'Indian Sensibility in English' in 'Awakened Conscience', ed. By Narosimheish (sterling publisher Pvt. Ltd., New Delhi, 1978) P.68
7. "The Princes", P.298. Ibid. P. 301
9. Idid
10. 'The Devil's wind'. P.71.



## Value of Forest : Tribals and Dwellers

Dr. Anamika Kumari

In India, many villages with a heavy population are located in the vicinity of forests. A vast majority of rural population especially tribals, thus depend on forests for meeting their basic needs of fuel, wood, fodder, small timber for agricultural implements and house construction, food and medicines. So the question of what is the value of the forest for tribals and dwellers. No doubt, it has a great importance for them but still they are deprived of certain rights like, right during the regular forest reservation / settlement processes, during irregularities in forest settlement / reservation processes and unsurveyed village, estate acquisition, shifting cultivation, encroachment, sacred groves, revenue forest boundary disputes.

Today more than 50 million of tribal people live in and around forests. There is a clear overlap between the forest and the tribal maps of the country, as well as an overlap with poverty.<sup>1</sup>

After India gained independence in 1947, most of the forest were nationalized. The issue of tribal people's rights in those forests has been fraught with contention and is central to political and development policy questions in India. Historically, tribals living within and on the fringe of forest areas have derived their livelihoods from forests. Forests in fact have influenced their collective imaginations, belief systems, and culture, thereby shaping their very identity. Even today, there is evidence of the coexistence of tribals and forests.<sup>2</sup> systems, and culture, thereby and forests.<sup>2</sup>

In India, about 170,000 villages with a total population of 147 million are located in the

vicinity of forests. A vast majority of rural Indians thus depend on forests for meeting their basic needs of fuel, wood, fodder, small timber for agricultural implements and house construction, and food and medicines. Resources from the "commons" provide the poorest of the poor with last-resort livelihoods as well as security of tenure in the form of a "place in the world."<sup>3</sup>

So, forest areas have been the most useful destination for the tribals and forest dwellers from the ancient times in India. Different states / UTs have their own geographical areas and protected forests.

The following tables shows the total forest area by the different states / UTs and forest covers in India focusing on the reserved forest and protected forests. (Table 1).<sup>4</sup>

Table - 1

Assessment Area	Year	Forest Cover Estimate	% of Total Geographical Area
First	1987	64.08	19.49
Second	1989	63.88	19.43
Third	1991	63.94	19.45
Fourth	1993	63.94	19.45
Fifth	1995	63.89	19.43
Sixth	1997	63.34	19.27
Seventh	1999	63.73	19.39
Eighth	2001	65.39	19.89
Ninth	2003	67.78	20.62
Tenth	2005	67.71	20.60
Eleventh	2007	69.09	21.02

The following table also compares the forest areas of India with other different countries in the world, to understand the clear, picture about the forest area which is quite less compare to its total population than other countries. (Table 2).<sup>5</sup>

Table - 2

Country	Population (Million)	Forest area (000ha)	Other Wooded Land (000ha)	Total Area Under Forest and Wooded Land (000ha)	Forest Wooded Land (ha 1000/Population)
India	1079	67701	4110	71811	66
China	1326	197290	87615	284905	215
Brazil	178	477698	0	477698	2673
Indonesia	217	88495	0	88495	406
Germany	82	11076	0	11076	134
UK	59	2845	20	2865	48
French	59	15554	1708	17262	287

Teacher, +2 Raj High School, Darbhanga Post- Lalbagh

Now question arises also that what is the value of forest for tribals and dwellers. The distinctions between stock (the forest and flow output) is one aspect of forest resource management that is often overlooked or misunderstood. The problem arises when we try to put a value to these. Valuation of the forest or the stock is quite different from valuation of forest output or the flow of benefits from this stock. While the functions that the forest performs are varied and to an extent still not absolutely clear to ecologists, the valuation of the flow of benefits is much simpler. The object is to manage the forest in such a way that maximizes the interest or revenue, and thus make the forest as remunerative as possible.<sup>6</sup>

In this context it seems essential to first know the objectives to which a given forest of species is to be put, such as heavy timber, fuel or poles, or protection against erosion, or preservation for climate; this is an aspect of 'forest utilization and is rarely understood properly. However, forests provide numerous benefits and in this method of valuing forests, many other benefits are completely ignored. Such a valuation ignores the value of biodiversity. It ignores the value of medicinal products in the forest, especially to the locals. It ignores the local livelihoods depends on the forest. It ignores the soils and waterheds that the forest stand protects. It ignores the benefits

that forests provide as wildlife habitats. It ignores the support that forests provide for wilderness recreation. It ignores a host of related benefits that are still not understood properly.<sup>7</sup> Valuation of forest is thus extremely difficult and complex. The longer-term social and environmental ramifications of current production and consumption decisions cannot be ignored. Economic rationality encompasses not only concerns of efficiency and equity, but also of ecological resilience and of intergenerational rights and obligations. The environmental services provided by forest uplands to the lowlands include water and soil conservation in purification, acid rain buffering, among other functions.<sup>8</sup> The value of these functions is generally much greater than any use value that could be derived from direct consumption. The flows of benefits from the forests are actually undervalued in India. The reason is the absence of the market in these products. With the property rights vested with the state, marketing of the products have been least in the priority list. Forest fruits, medicinal herbs, twigs and branches for fuel, fodder and small timber for building purposes are the major forest produce for the forest dependent communities but are called 'minor forest produce' by the forest department. Timber is called the major forest produce, whereas for the local people, it is the opposite.<sup>9</sup> The forest dependent community

seldom needs timber. Timber is essentially used by the modern urban-industrial system. The Government control over the forests has definitely meant a reallocation of forest resources away from the needs of local communities, and towards urban and industrial needs. This has resulted in both "increased social conflict and increased destruction of the ecological resource itself."<sup>10</sup>

The forest policies of colonial India continued into the postcolonial periods, as exemplified by the National Forest Policy of 1952, which further reinforced the right of the state of exclusive control over forest protection, production and management. Just as the fulfilment of imperial needs was the priority of colonial forest policy, the demands of commercial industrial became the cornerstone of postcolonial forest policy. The encroachment of the state on forests and customary tenure rights of tribals forest-dwelling communities did not go unchallenged during the colonial and postcolonial periods. Environmental history in India has directed a significant amount of attention not only to the fate of forests in the country and its effects on forest-dwelling tribal/ adivasi peoples and their subordination but also to their resistance to increasing commercial exploitation and state control.<sup>11</sup>

### *Conclusion*

Historically, the relationship between tribal

communities in India and forests was characterized by co-existence and these communities were considered integral to the survival and sustainability of the ecological system. This symbiotic relationship was acknowledged and crystallized as customary rights over forest produce. But these rights were not recognized and recorded by the government while consolidating state forests during the colonial period as well as in independent India. The resulting insecurity of tenure and the threat of eviction

led to the alienation of tribal communities from their ancestral forest lands. The Indian government efforts to give tribal forest management program indicates the governments realization that traditional regularity approach to forest management have not succeeded in abating forest degradation. In India, the dependence of large populations, tribal or not, on common property resources such as forests will continue to be huge owing to the limiting availability of alternative livelihoods in rural and remote

areas even in future. Therefore, the need is the conservation to achieving sustainable resource management as well as sustainable livelihoods.

### *Reference*

1. Poffenberger and McGean, 1996.
2. Ibid.
3. Elsworth, 2002.
4. South : Forest Survey of India (FSI), 2005, 2008, 2009.
5. Source : Current Science, Vol. 95, No. 2, 25 July 2008.
6. Agarwal, 1994.
7. Saigal, 2002.
8. Arnold, 2001.
9. Anon, 2007.
10. Roy Burman 2008.
11. Gadgil and Guha 1995.



# Entitle-Poverty, Vulnerability and Women Workers

Dr. Suresh Kumar

### Introduction

This paper examines the relationship between home-based work and persistent poverty in certain parts of south and south East Asia. The question of inter-generational poverty in the families of home based workers, and the possibility of using social protection and other related policies as a means of helping to alleviate poverty and vulnerability among home based workers.

It looks at those elements that causes some home based women workers and the children to remain in a situation of persistent poverty and vulnerability, and consider the contributing factors that allow others to attain some degree of security issues such as gender, social exclusion and economic trends are amongst the factors that can work against the well beings of home based workers. In terms of trying to create effective policies to deal with chronic poverty among informal workers, the paper explores some of the elements that make it possible to move from a condition of institutional neglect to one of institutional support.

In fact, as a primarily female workforce operating out of homes or small neighbourhood workshops, home based workers have generally not been recognised workers in spite of the fact that they are frequently the sole provider for their families. As women, they are usually classified as house wives in the census data or assumed to be making only supplemental income, which justifies their very low earnings and talk of support, even though they are often the men breadwinners or co-bread winners in the family.

In many cases, they receive non of the earnings and work simply as unpaid family labour (sometimes along with their children) and have no idea how much their products earn in the market or what they could possibly do to improve their working and living conditions.

### *An Analytical Study of Sociological Pesspective*

The cases represents two very different situation faced by home based workers in Asia. The first women lives in an environment of social institutions and policies that allow at least a certain, if low level, degree of security. In this case she describes her support for the provision of bark health security. The second women faces an environment devoid of such institutions and policies, creating a situation of continuing poverty that will most likely be passed down through the generations.

What elements cause some home based women workers and their children to live and die in such tragic circumstances and what contributing factors allow others to a thain some degree of security? Moreover, from the point of view of trying to create effective policies to deal with chronic poverty among informal workers, what are some elements that make it possible to move from a condition of institutional neglect to one of institutional support?

This paper examines the relationship between home based work and persistent poverty in certain parts of south and south East Asia. The question of inter-generational poverty in the families of home based workers and the possibility of using social protection and related policies as a means of helping to alleviate poverty and vulnerability among home based workers. This study will draw on recent analysis and case studies carried out by researchers associated with two closely tied networks of home based workers in south Asia and south east institute of social studies.

The home net south East Asia study focused on conditions faced by home based workers in

---

Adhoc- Lecturer, Deptt. Of Economics B.N. College, Patna

Thailand and the Philippines, with a consideration of the situation of home based workers in Indonesia as well. The study carried out by researchers from home net south Asia and the institute of social studies trust focused on similar questions of social protection and the problems faced by home based workers in five south Asia countries (Bangladesh, India, Nepal, Pakistan and Sri Lanka) The Home Net South Asia study defined home based workers strictly as those who work from their own home.

In this case their home is also the workplace. This category does not include those workers who gather at another person's to carry out some tasks. In of type of employment, home based workers are primarily of two types self-employed/own account workers, and piece rate / home workers / industrial workers. The study has incorporated both these categories of workers.

### **Explanation**

In the Home Net South East Asia study. The definition of home based workers was broadened slightly to include not only those working in their own homes but also working in very small scale neighbourhood village workshops (located in spaces near their homes) reflecting local practices. All are informal workers (without the benefit of contracts, or effective coverage under the labour and social protection laws that govern the working conditions of formal workers) and their

household members - if employed are usually informally employed as well.

Both the Home Net South Asia and South East Asia studies attempt to understand the current circumstances of different groups of home based workers in each country - their most acute problems, greatest risks and fears, working conditions, coping strategies and suggestions for social protection measure to decrease their risks and vulnerability in their respective environments, as well as addressing many other related concerns. The two studies highlighted the risks and vulnerabilities of women in particular as women make up the vast majority of home based workers. The studies also, examined, through a combination of surveys, case studies and life stories the availability (infact, non-availability is closer to the reality) of effective social protection mechanisms that could help address some of their problems.

### *Home based Women Workers in South Asia*

For low income women in developing countries, informal home based work may be one of the few options open to them. They may work either as subcontracted piece - rate workers (also known as industrial outworkers or home workers) as self employed workers (also known as account workers) or as individuals who try to piece together some combination of the two as with others working in the informal economy, in South and South

East Asia home based workers usually are not covered by laws regarding labour of social protection the laws either do not exist, or they are not implemented. Home based workers generally work in the background out of the public eye. Those who work as subcontracted labour are at the bottom of value chains, and all home - based workers have been largely invisible and uncounted part of the workforce.

In fact, as a primarily female work force operating out of homes or small neighbourhood work shops. Home based workers have generally not been recognised as workers in spite of the fact that they are frequently the sole providers for their family. As women, they are usually classified as housewives in census data or are assumed to be making only supplemental income which justifies their very low earning and lack of support, even though they are often the main bread winners or co-bread winners in the family. In many cases, they receive none of the earnings and work simply as unpaid family labour (sometimes along with their children), and have no idea how much their product earn in the market, or what they could possibly do to improve their working and living conditions.

### **The Hierarchy of Home based Workers**

When it happens that home based workers are discussed in policy circles, it is assumed that they have uniform

characteristics. The reality is that they live in conditions (Reflecting income, social status and other considerations) that are anything but uniform. They are great narrations across countries, and before we look into the relationship between home based work and poverty. It is important to be clear about the hierarchy of house based workers that exists in each country. To begin with, we may note that a hierarchy of informal workers can be found in every continent. In East Africa for example, there is a clear difference between informal workers who can sell only locally and those who are regularly involved in cross border trade, selling in distant markets. This hierarchy has many dimensions, but one important characteristic is that it is an income and social hierarchy those at the top are better off economically and usually have a higher social status while those at the bottom are often subject to chronic poverty and may be socially marginalized.

Within this income / social hierarchy of informal workers, home based workers are usually found on the lower end. However, it is important to keep in mind that even among home based workers there is a clear income / social hierarchy with wide disparities and important differences between those who are better off having more flexibility, options and security and those who are worse off. The latter are among the most vulnerable of all informal workers, for reasons to be discussed below.

On the upper end of hierarchy of home based workers, then, we tend to find :

- Men and some women, who have better access to resources.
- Those who can travel and do their own marketing, along with obtaining new market information, new designs and technologies, and other requirements.
- Younger (including middle aged) workers who are more educated.
- Workers with good relationships with contractors.
- Those who supply higher quality and more specialised products or services for formal economy organisations (eg. supplying inputs to or services for middle or high end companies / factories)
- Those who are able to change their products or services according to changing demand and can sell in different markets, including more distant markets: and
- Those who are organised into effective producer groups, networks, unions, and the like (among other characteristics)

On the low end, we tend to find

- Women and some men who have less access to resources.
- Those who may not be allowed to travel around and so may not be able to do their own

marketing, they may also encounter problems with middlemen, and have difficulties gaining access to market information, new designs, technology, and other requirements.

- Older workers who are less educated.
- Those with lower quality or more generic products.
- Those with fewer direct linkages to or good relationships with contractors.
- Those with fewer direct linkages to markets or informal sector companies and institutions.

### *Home based Work and Persistent Poverty in South East Asia*

The Home Net studies have included home based workers at various levels in this hierarchy, with some selected as relatively well off, and others representing the poorest of the poor. In South East Asia, for example the survey of 100 households in the Philippines and 933 in Thailand revealed that the some based workers interviewed ranged from very poor to relatively well off, using household and individual income data but that the great majority of home based workers are poor. For example, income figures for home based workers interviewed in Thailand are reported as follows.

The comparison on family income shows that three out of four families earned less than an average of 10,000 baht while some earned between 10,000 - 15,000 baht. The remaining

earned an income higher than 15,000 baht. There were only four families who had extraordinarily higher incomes. (Two families earned 100,000 baht per month, one earned 120,000 baht per month and the last one earned 360,000 baht per month). Based on the average income of those surveyed (not including the four unusually high income families) the respondents from the two groups (Those who were organized into informal workers groups and those who were not) earned incomes that were not very difficult from one another.

### **Social Exclusion**

Certain caste based ethnic, religious or other social divisions eg. in the case of certain social minorities that are subject to social exclusion many also particular social groups isolated from one another and / or respect direct access to resources and local or distant markets. For example as voted in the Home Net South Asia. Studies also suggest that many of the extremely poor households in nations such as Bangladesh are engaged in traditional such as pottery makers risers scavengers and a large variety of cottage industries 104 producer with significant caste ethnic identifier some declines of there occupations is in evil able to some extent in the process of modernization and attendant structural change.

### **Conclusion**

What then is the connection between home based work and

pert tent poverty? And under what circumstances can the children of poor home based workers rise out of poverty or what might produce ongoing, inter-generational poverty among the children of house based workers?

The Home Net studies indicates that the clearest connection between poverty and home based work arises from the fact that home based work is often the only option available to these workers and particularly to women who are required to remain within or close to the house hold due to gender designated responsibilities and other concesus and restrictions. For poor home based workers their lack of accers to such important factors as resources, information, and the meant to develop a wider range of skills (and, for some, an imposed isolation, silence, and lak of mobility) make them highly runesable to changer in the environment - they can not easily adapt. This is a problem particularly at the present time when their economic prospects are poor due to changing patterns of demand, the loss of markets (both local and for those who have inolned in longer value chains, international markets), problem of supply, rising costs of living and productions the continuing fallout from debt and financial in many countries, and other contributing factors.

### *General Methodology used in the Home Net South East Asia Study*

Data derived from questionnaires (1000 respon-

dents in the Philippines, 933 in Thailand) case studies, life stories, and other source were analysed separately for each country study. For example, in the Philippines six different sites (representing different parts of the country) and social protection 'themes' were studies, using the following methodology:

1. From the survey, general findings were derived for each question asked (averages and exceptional cases, i.e., those either much above or below the averages). More than 100 questions were asked in total, although not all were asked on the same day.
2. The focus was then on differences based on key variables (data disaggregated into groups), i.e.,
  - Women vs. men (gender)
  - 'poor' (ultra-poor) vs. fair/just getting by (income status)
  - unorgained vs. orgained (into home-based worker groups, community-based organisations, religious organisations, and others)
  - age groups (young/middle/older)
  - home-based workers vs. non home-based workers
  - subcontracted vs. self-employed
  - migrant vs. non-migrant

- rural vs. urban (to get at patterns of, for example, depth of informal/community ties)
- by industry (e.g., a sunrise vs. a sunset industry))
- by community (indigenous groups vs. non-indigenous, or other characteristics of the different sites)

Some of these variables appeared to be much more important than others in terms of bringing out differences in home-based workers attitudes, needs and circumstances.

3. Case studies were made of the six sites/themes that illustrate particular social protection needs (e.g., in indigenous or cultural communities) and schemes (health microinsurance schemes, deposit arrangements, housing initiatives, indigenous/local mutual aid associations, and others) that have had an impact on the lives of home-based workers.
4. Life stories of individual home-based workers were also used to illustrate the effects-positive or negative - of these attempts to provide social protection to informal workers.

5. The survey results were combined with the results of the case studies and life stories, and analysed in terms of the overall findings.
6. The experience of workers in relation to recent advocacy efforts in the country for the social protection of home-based workers and other workers in the informal economy were then discussed.
7. The country study was concluded by general recommendations and a discussion of ways forward.

The Thailand country study is similar, but focused on four main social protection initiatives (The Universal Health Coverage Policy, or Thirty Baht Health Care Scheme; The Village and Urban Community Fund Project, or One Million Baht programme; Credit Union Cooperative initiatives; and Funeral Funds initiatives) and drew findings from the four distinct regions of the country (North, Northeast, Central and South).

Overall the findings were intended to help illuminate the following among other considerations:

- risks faced (short-term, long-term, catastrophic)
- social protection needs and priorities
- current conditions and key issues (economic,

cultural, and others - the focus was thus broader than simply social protection in the narrow sense)

- responses/coping mechanisms, including:
  - access through family, friends, and others
  - access through networks or groups (including home-based worker groups and indigenous schemes), local or community organisations; cooperatives, religious organisations, others;
  - access through work-related ties (national social security and health care for the self-employed, others);
- respondents evaluations of existing schemes/coping mechanisms/initiatives (what is working what is not, and why - including personal, local/indigenous/informal, and national/formal practices); and
- respondents suggestions for improvements.

In the concluding chapter, comparisons were made with the findings of Home Net affiliates in Indonesia and Lao PDR regarding these issues. Finally, tentative comparisons were made with Home Net South Asia's findings, based on the HNSA/ISST five-country multi-sectoral study.



## ***New System of Fertiliser Subsidy***

*NBS – Step in Right Direction but Still Rationalization Needed*

**Sandip kumar**

Fertilizer is the most important armoury among all the quivers, that are available at the dispense of the farmers. In a similar tone, farmers are the backbone as far as the avenues for improvement in the social parameters of the nation is concerned. Since, India is not self sufficient in the fertilizer segment as far as demand is concerned; so, it is the State that regulates the pricing of fertilizer. This enables it to keep the pricing mechanism of all the horizontal and vertical shelf of fertilizers under administration, making the farmer input cost under control. Economically this strategy is plainly called subsidization. Here, the whole issue becomes more complicated as this subsidy involves the fertilizer producing/importing companies.

Government, since the past few years because of the growing concern about the subsidy bill and also corruption charges coupled with leakages was anxiously pondering to move out of this pricing policy of fertilizer that involved indirect subsidization. Rationally moving into this direction, the UPA government has announced that they will be moving to a new scheme of providing subsidy, called as nutrient based subsidy (NBS). Apart from ameliorating all the aforesaid. ills, this move will also turn out to be emphatically pertinent in making the farmers go for a judicious and sustainable use of it, rather than excessively using only that content which is most subsidized. This measure of the government will go a long way to dovetail its long term aspiration of making the agriculture an evergreen prospect.

---

Research Scholar, B.R.A.B.U.

The Subsidy rationalization, or rather, subsidy reduction in case of fertilizers, has been on agenda for about two decades. Despite a decade long discussion on rationalization of fertilizer no significant headway has been made.

The rationalization of fertilizer Subsidy again came for the discussion with a Group of Ministers giving the go-ahead for bringing urea under the nutrient-based subsidy regime, as a result of which farmers may soon have to pay more for this input as well. Last year, non-urea fertilizers such as potassic and phosphatic fertilizer were brought under the NBS. As a result of which the price of di-ammonium phosphate (DAP), Farm gate prices of muriate of potash (MOP) have gone up and consumption of cheaper urea, which are still controlled by the Government has increased.

### *Need for Subsidy*

The quintessential dilemmas of fear of international markets, promise of self-reliance, need for raising food production by the small farmers made subsidies necessary.

Subsidies are not needed to promote fertiliser use any more, but only to maintain the balance between farm output prices and input costs. The policy dilemma on whether to opt for higher food subsidies or higher fertiliser subsidies continues.

Higher food subsidy may indeed also mean higher fertiliser subsidy. The challenge is also in untangling the benefits or subsidies between fertiliser production, farm production and feedstock supplies.

The idea of nutrient-based subsidy (NBS, under implementation since since last year, is also based on the possibility of using subsidy to influence balanced application of fertiliser. It may have also sharpened the focus on price incentives in the fertiliser industry, rather than merely subsidies. However, the need for balance between input costs and output prices in agriculture will require subsidies in some form or the other to support farm income. In effect, the subsidies were also building industrial capacity.)

### *Previous Product Based Subsidy Regime*

The existing 'product-based' subsidy regime covers 19 fertilizers, whose maximum retail prices (MRP) were fixed by the Centre. For selling at these controlled rates manufacturers / importers are eligible to a subsidy that compensates for their higher production/ import costs (inclusive of a 'normative' return on investment). In the 'nutrient-based' system, the subsidy is to be linked not to specific fertilizer products, but to the underlying nutrient composition. That, in turn, opens up the possibility for companies to offer totally new products or combinations customized to different crops and soil-moisture environments.

*Table-I : Maximum Retail Prices*

	(Rs/tonne)
Urea (46%N)	
DAP 18 %N, 46% P).	4830
Mono-ammonium phosphate (11%N, 52% P)	9350
MoP (60% K)	9350
Single super phosphate (16% P, 11% S)	4455
Ammonium sulphate (20.6 %N, 23% S)	3400
Triple super phosphate (46% P)	10350
Complexes *	7460
16:20:0:13	
20:20:0:13	5875
20:20:0:0	6295
23:23:0:0	5343
28:28:0:0	6145
10:26:26:0	7481
12:32:16:0	7197
14:28:14:0	7637
14:35:14:0	7050
15:15:15:0	8185
17:17:17:0	5121
19:19:19:0	5804
* Expressed as N:P:K:S	6487

### *Change to NBS-what does it entail*

It is worthwhile to mention that, the much-talked-about nutrient-based subsidy (NBS) system for fertilizers which had taken off from April 1, had brought in many changes. To start with, the Centre, according to sources, is likely to decontrol prices of all fertilizers covered under the existing product-based subsidy (PBS) regime – barring urea, di-ammonium phosphate (DAP) and muriate of potash (MOP). Under the PBS system, companies are entitled to subsidy reimbursement on the difference between the lower MRP and higher cost of production (or import) incurred by them. That would mean freeing 16 of the 19 fertilizers, whose

maximum retail prices (MRP) are currently fixed by the Centre. Once decontrolled, the MRPs of the 16 fertilizers would be completely market-determined. Simplistically, speaking this means that NBS would mean each constituent element rather than the composition will become the basis of calculation for state positive intervention.

It would theoretically be feasible, then, to sell nitrogen (N) not just in the form of urea, but also as calcium ammonium nitrate, ammonium sulphate (AS) and any similar non-notified or far less subsidized fertilizer. AS, for example, has less N' relative to urea (20.6 versus 46 per cent), but unlike the latter, also contains 23 per cent sulphur. However, as its MRP is 2.14 times that of urea, farmers have no incentive to buy AS. This means that unviable use of urea like fertilizer that was in excessive use because of the 'darling of subsidy' that it used to be will end. Naturally this will make the Indian agricultural practices more sustainable. There will evolve a judicious attitude towards the use of fertilizer rather than by the financial impartial incentivisation that culminated into unbalanced use of chemicals without taking into point the long term sustainability.

### *New Decontrolled Regime of NBS*

That means in all the decontrolled fertilizers, the NBS would be given on a flat, per tonne basis. The subsidy on

each nutrient (as opposed to product) would, in turn, be benchmarked to the, import parity prices of urea, DAP and MoP, which are to be taken at \$350, \$450 and \$350 a tonne, respectively. At \$350 a tonne for urea (with 46 per cent nitrogen), the benchmark price of 'N' comes to around Ks 356 a unit (basis point). The corresponding unit sale rate for 'N' – against an MRP of Ks 4,830 a tonne for urea – would be Ks 105, which then translates into a subsidy of Ks 251. Likewise, at \$450 a tonne for DAP (containing 46 percent phosphorus) and \$350 a tonne for MoP (60, per cent potassium) and their corresponding MRPs of Ks 9,350 and Ks 4,455 a tonne, the unit subsidy on 'P' and 'K' will work out to Ks 255 and Ks 199 respectively.

Thus, in a layman's language it means that the subsidy on nitrogen would be fixed at Ks 23.22 a kg, while being Rs 2627 for phosphorous (P), Rs 24.48 for potash (K) and Ks 1.78 for sulphur (S).

### *NBS- Incentivizing the Right Nutrient Mix*

That the use of chemical fertilizers is one of the major drivers of farm production and productivity is well known; less-known is that non-judicious and inadequate fertilizer and other input use has resulted in nutrient deficiency and loss of soil health in many regions. Low addition of organic matter over the years is also a contributory factor. Admittedly, the deterioration is more pronounced in the intensively cultivated Indo Gangetic plains.

In agriculturally advanced frontline States such as Punjab, Haryana and Uttar Pradesh, imbalanced, and often excessive, fertilizer application pose a threat to soil/crop productivity. The current pricing mechanism encourages the excessive use of urea. The prevailing NPK ratios limit the full expression of other nutrients, lowering the overall fertilizer response and crop productivity.

Then there is the skew in fertilizer consumption across the country that needs to be corrected by encouraging growers, especially in non-irrigated areas to apply the right quantity of nutritionally-balanced fertilizers. The per hectare consumption of chemical fertilizers is around 115 kg, far less than in many other developing economies. Domestic fertilizer prices have not been raised despite high international prices and rising domestic production costs which, in turn, resulted in fertilizer subsidy reaching to an unprecedented level for 2009-10. The Government's commitment to move towards a nutrient-based subsidy regime instead of the present product based subsidy assumes that innovative products are available in the market at reasonable prices. There is also belief that unshackling the manufacturing sector would attract fresh investment.

Taking into consideration the heavy footprint that the chemical based agriculture has inculcated into the Indian soil necessitates immediate adoption

of soil-test based, site-specific integrated nutrient management. It envisages conjunctive use of both inorganic and organic sources of plant nutrients. Additionally, it calls for crop rotation in grain monocropping regions so that leguminous crops fix nitrogen to sustain soil health. Currently specifications and grades of mixed fertilizers are decided by the respective State governments. Thus, the situation is far more complex than made out to be, and it would be naive to believe that nutrient-based fertilizer pricing by itself will address the multifaceted issue of farm production and productivity. On the other hand, a direct transfer of subsidy to farmers, which is the government's stated goal, will put farmers at the centre of a nutrient strategy, letting them choose the fertilizers their land needs uninfluenced by artificial skews in prices. The challenge, of course, is to identify correctly all the beneficiaries and deliver the cash.

### *NBS-incentivizing Companies to Launch Customized Fertilizers*

NBS with all the inbuilt mechanism that it has as far as treatment of the individual element of fertilizer is concerned, it has also in away incentivized the companies to come out with niche market fertilizer. This will lead the differentiation approach of the farming community towards the use of these. The Ministry's guidelines for customised fertilizers, issued on March 11,

2008, allows manufacturers to use subsidized fertilizers (urea, di-ammonium phosphate, muriate of potash, etc) as raw material. The process basically involves mixing these fertilizers in desired proportions along with fortification with micronutrients, followed by granulation of the liquefied mixture.

In fact the provincial government can come up with special policies that subsidizes these customized fertilizer for the farmers depending upon the crops and pedology. Apart from increasing the yield it will also dovetail the sustainability factor in itself. It will also instigates the market to come up with more faculties of research and development in this area that had always been overlooked due to the faulty design of "product-subsidy" that the government used to employ. "Product-subsidy" basically stagnated market forces to come up with its benefits. But looking at the other scenario, this can also differentiate the- farming community more steeply - depending upon the paying capacity of the farmers. So it is rather important that all this also takes into account the State government with the panchayati institution closely involved to prevent any spillage.

In this regard of customized fertilizer TCL, for example, has been granted permission to sell four products containing different proportions of nitrogen (N), phosphorus (P), potash (K), sulphur (S) and

micro-nutrients such as zinc (Zn) - and boron (B). Each of these formulations is intended for a different crop, besides being region-specific. One such product, 8:24:16:6:0.5:0.18 (denoting individual levels of N, P, K, S, Zn and B), is targeted at potato grown in Agra and Farrukhabad districts of Uttar Pradesh (UP). Another formulation, 10:13:12:6:2:0, has been specially designed for sweet sorghum cultivated in Nanded, Maharashtra. Moreover, these customised fertilizers are to be given as a single basal application at the time of planting. After that, there is no need for any micronutrient and the farmer only has to apply urea at subsequent growth stages.

### Benchmarking to IPPs

Since, due to geographical reason India as a nation has to import a lot of fertilizer from the international market (See table no.2). Infact, India almost is a cent percent importer of MP, So, to calculate the subsidy amount it is but rather indispensable to calculate all the major fertilizer cost by benchmarking it to import parity prices (IPP). The subsidy on each nutrient will be benchmarked to the import parity prices (IPP) of urea, OAF and MoP.

At the prevailing landed price of \$260 a tonne for urea, 'the benchmark price of 'N' comes to roughly Rs.273 a unit (basis point): The corresponding unit sale rate for 'N' — against an MRP of Rs.4,830 a tonne of urea — is Rs.105 which translates into a subsidy of Rs.168. Likewise, at current! tonne landed prices of \$350 for OAF (containing 46 per cent phosphorous or 'P') and \$460 for MoP (60 per cent potassium- or 'K') and their corresponding MRPs of P.s. 9,350 and Rs.4,455 a tonne, the unit subsidy on 'F' and 'K' works out to Rs.165 and Rs 297 respectively.

Year (Apr-Mar)	UREA		DAP	
	Prod.	Import	Prod.	Imp.
2000-01	196.24	Nil	48.82	8.61
2001-02	190.03	220	50.91	933
2002-03	186.21	1.19	52.36	3.83
2003-04	190.38	1.43	47.09	7.34
2004-05	202.39	6.41	51.72	6.44
2005-06	200.85	20.57	45.54	24.3
2006-07	202.71	47.19	47.13	28.7
2007-08	198.39	69.28	42.11	27.2
2008-09	199.23	56.67	29.93	61.9
200910*	205.00	60.00	43.00	70.00
*Estimated		(in lacs)		

The above IPP-benchmarked subsidy rates for individual nutrients will be made applicable on all the 19 MRP-notified fertilizers. The only difference is that the Centre would continue to fix the MRPs in the case of urea, OAF and MoP, whereas

manufacturers can freely set prices in the remaining and claim a fixed subsidy against each nutrient. The IPPs used for benchmarking will be treated as constant, unless global prices fluctuate by 10 per cent or more either way. The Centre, would simultaneously effect graded increases in - the MRPs of urea, DAP and MoP, which will redress the excessive bias towards 'N' usage and' also bring down the overall/unit nutrient subsidy.

Only when this system stabilizes can the nutrient-based subsidy be extended to every other conceivable fertilizer product. And once that happens along, with total decontrol of fertilizer prices, one can think of the final stage of delivering the subsidy directly to the farmer instead of routing it through the industry. In his Budget speech, the Finance Minister, stated that the transition to the direct subsidy transfer regime would take place only "in due course". In other words, not very soon. So rather than the brouhaha that this has created in the market it is but this transition period that is most important. How the government manages this without any dearth of product in the market as well as the amount of compensation that the farmers used to enjoy on this is the most important issue.

### *Farmers and Fertilizers*

Now after having discussed the issues related to the NBS, we come to the utility prospect of the tillers-the real user of these. If ever there is a good

reason for, dumping the' present method of subsidizing farmers for their fertilizers 'it is the fact that the Government wrote out cheques for nearly two-thirds ,of the revenue of fertilizer companies in '2009-10 in the name of subsidy. In the case of some companies, the proportion is well over 80 per cent, The Rs.99,500 crore fertilizer subsidy bill for 2009-10, albeit a year of extraordinary commodity prices, translates to over Rs.5,000 crore per hectare of cultivated land in the country. Yet, on the ground, there is little to show in 'terms of output growth. Fertiliser is one of the key inputs for agriculture, but the industry is as complicated it can get. There are welcome signs of change though. When taken to its logical end, the Government's intention to unshackle the fertilizer industry is sure to attract fresh investment. A free-market for fertilisers with appropriate regulatory oversight to' ensure quality products and fair competition can be a potent instrument to transform our moribund agriculture into an energetic one.

### *Challenges*

The subsidy benefits have never been equitably distributed or enjoyed having favoured medium and large farms at the cost of small and marginal growers. Clearly there are political challenges in using subsidies as policy instruments.

In order to tackle fertilizer subsidy challenges Government formulated NBS policy on 1<sup>st</sup>

April, 2010. Despite its apparent conceptual simplicity, especially given the possibility of a UID-linked beneficiary account in the coming months, there are several important challenges that will need to be addressed before such direct cash transfers and price decontrol can be successfully implemented. Here are three problems that are certain to come in the way of any attempt to dispense off with the dual pricing system and transfer subsidies as direct cash support.

**Beneficiary Targeting.** The fundamental requirement in delivering fertilizer subsidies as direct cash transfers is the accurate identification of its target group. Since tenancy has been abolished across most parts of India, existing land regulations and records recognize only the land owner and does not acknowledge the right of the tenant. In the absence of any legally certified record that established the identity of the actual cultivator, it becomes impossible to administer a cash transfer scheme for fertilizer subsidies.

**Ensuring Availability** the success or otherwise of the fully decontrolled regime will critically depend on curbing speculative tendencies in the market and thereby ensuring adequate availability of stocks. This is more so in the case of DAP and Mop. Fertilizers prices are especially vulnerable to market manipulation given the limited number of manufacturers, large share of imports, and narrow consumption window.

Cushioning Against Price volatility- Decontrolled prices mean that the domestic farm gate fertilizer prices will now be substantially determined by international markets, especially since many of these fertilizers are predominantly imported, one way or the other.

### *New ways of rationalization of fertilizer*

New ways of rationalization of fertilizer subsidies are needed. A monograph. "The Political Economy of Agricultural Policy in India Fertilizer and Electricity for Irrigation brought out by the WashingtonDC Headquartered International Food Policy Research Institute makes recommendations worth exploring.

This includes reframing the reform debate with greater focus on problems of small and marginal farmers and landless

laborers, rather than farmers as a group. Rationalizing subsidies with greater emphasis on poverty and equity, in addition to macroeconomic and fiscal goals, may help overcome the hassles of fertilizer subsidy.

### *The Way Forward*

A simplified solution to the vexed issue of fertiliser pricing and delivery of subsidy would be to grant to the farmer a direct subsidy at a fixed rate per hectare of land cultivated. The gross area under major crops is 165 million hectares. If the farmer is granted Rs 5,000 as subsidy per hectare, the total subsidy burden would be Rs.82,500 crore and 'at' Rs.4,000 a hectare, it would be Rs.66,000 crore. The subsidy amount can be delivered to farmers directly and they will have freedom to source the most appropriate fertilizer or any other input for their use while the industry will

be market-driven, with freedom to innovate, Administrative hassles will be minimized, if not eliminated. This pre-supposes that the farmers know what they need and are in a position to source it. Will it work? There is nothing to suggest it would not. As is popularly said, the average Indian farmer may be illiterate, but is not a simpleton, for sure. This will certainly be authenticated by the move that the government has taken to move to NBS regime.

### *Bibliography*

1. Aggarawal A.N., Indian Economy 2005
2. Economy at a glance magazine.
3. Economy Titbits
4. India-2010
5. Mishra &Puri, Indian Economy 2011
6. Rudradutt& Sundaram, Indian Economy 2011
7. The Hindu Newspaper
8. The Indian Express



## A Study of FDI in Retail Market in Indian Economy

Dr. Gagandeo Pd. Yadava

### Introduction

Definition of Foreign Direct Investment (FDI):

1. FDI stands for Foreign Direct Investment, a component of a country's national financial accounts.
2. Foreign direct investment is investment of foreign assets into domestic structures, equipment, and organizations.
3. It does not include foreign investment into the stock markets.
4. FDI is thought to be more useful to a country than investments in the equity of its companies because equity investments are potentially "hot money" which can leave at the first sign of trouble, whereas FDI is durable and generally useful whether things go well or badly.


### Existing Supermarkets in India

Existing Indian retail firms such as Spencer's, Foodworld Supermarkets Ltd, Nilgiri's and ShopRite support retail reform and consider international competition as a blessing in disguise. They expect a flurry of joint ventures with global majors for expansion capital and opportunity to gain expertise in supply chain management. Spencer's Retail with 200 stores in India,

and with retail of fresh vegetables and fruits accounting for 55 per cent of its business claims retail reform to be a win-win situation, as they already procure the farm products directly from the growers without the involvement of middlemen or traders. Spencer's claims that there is scope for it to expand its footprint in terms of store location as well as procuring farm products. Foodworld, which operates over 60 stores, plans to ramp up its presence to more than 200 locations. It has already tied up with Hong Kong-based Dairy Farm International. With the relaxation in international investments in Indian retail, India's Foodworld expects its global relationship will only get stronger. Competition and investment in retail will provide more benefits to consumers through lower prices, wider availability and significant improvement in supply chain logistics.

### Development of FDI in retail market in India:

Foreign direct investment (FDI) in India and share of gross fixed capital formation (GFCF)



Source: Government of India, Ministry of Finance, Economic Survey.

### India's Hottest FDI Destinations

1. Maharashtra: Maharashtra received the lion's share of the FDI \$2.43 billion (Rs 11,154 crore), which is 35% of the total FDI inflows in to the country.
2. National Capital Region: NCR received \$1.85 billion (Rs 8,476 crore) in FDI during the period. The region accounted for 20% of the total FDI.
3. West Bengal, Sikkim, Andaman & Nicobar Islands

Reader, University Department of Economics B.R.A , Bihar University, Muzaffarpur

These states attracted the third highest FDI inflows worth \$1.416 billion (Rs 6,050 crore)

4. Karnataka - \$936 million (Rs 4,333 crore)
5. Punjab, Haryana, Himachal Pradesh - \$904 million (Rs 4,141 crore)

Foreign Direct Investment Policy:

- Objective - to encourage FDI to promote industrial & socio-economic development; supplement domestic capital/technology.
- Foreign investment in India is regulated by Government of India's FDI policy. The FDI guidelines administered by the Ministry of Commerce and Industry.
- Administrative and compliance aspects of FDI monitored by RBI.
- Since 1991, policy has been liberalized substantially to facilitate foreign investment.

What are the benefits of Foreign Direct Investment(FDI) in Retail to the Farmers of India?

India is a country of villages and farmers comprises with 70% of its population till today.

FDI in retail will be helpful to farmers, as it will establish producer groups and arrange for MOU between the farmers and retailers. The Government of India Agriculture Technology Management Agency Program (ATMA) has already established few million

Commodity (Producer) Interest Groups/CIGs. The existing CIGs as well as farmers Associations working under Commodity Boards, farmers Clubs, Co-operatives will establish long term Agreement with the retailers.

As the retailers require quality product in huge quantities he has to arrange for extension services, provide quality inputs and also arrange for packing at the farm gate in the village. The retailer will also need to establish cold chain or pre cooling units for perishables to avoid wastages. The contract farming will enable farmers to bargain for an assured Minimum price linked with quality and quantity. He will also be able to get traceability and group crop insurance. Direct procurement will eliminate 3-4 middlemen who are now taking away 40% -50% commissions without any value addition. In this way it is a win-win situation for farmers, retailers and consumers. It will also enable Indian speciality goods viz. Mango, Lichi, Chillies, Durum Wheat, BPT/Ponni Rice to be marketed as branded products in International markets. There is need to permit more retails in newly developing urban conglomerates. FDI will keep under check the highly exploitative Adthiya system.

Reforms in farm sector includes getting best technologies in the world to improve our productivity. Farmers must understand that technologies are available to control pests and diseases,

water stress, brining alkaline and saline soils under cultivation. Farmers should also demand for crop protection, vaccines for their cattle, seed for quality fodder etc.

Reforms must include removing controls, allowing exports and encourage Private Sector in Rural Development.

Let us demand GOI to establish a statutory Authority to take care to avoid unhealthy practices by the MNCs. Farmers across the country must immediately convene Grama Sabhas and pass resolutions and write to the Prime Minister & all other Political Leaders demanding implementing FDI in retail.

What would be the impact of FDI in Retail on the domestic retail sector?

The Indian retail sector is the second largest employer in India after agriculture, employing over 4 crore (40 million) persons as per the latest National Sample Survey (NSS) 2009-10. Most of these are small unorganised or self-employed retailers, who are unable to find gainful employment in other sectors of the economy. Despite the hype over the high GDP growth in India, NSS 2009-10 has confirmed the trend of jobless growth in the country.

Total employment growth has slowed down from an annual rate of around 2.7% during 2000-2005 to only 0.8% during 2005-2010. Growth in non-agricultural employment fell from 4.65% to 2.53%. Among all the workers at the national level, about 51% were

'self-employed', about 33.5% were 'casual labour' and only 15.6% were 'regular wage/salaried' employees. In this backdrop, the entry of MNC supermarket and hypermarket chains would cause severe displacement of the small and unorganised retailers. The total annual business of unorganised retail in India was estimated in the ICRIER report to be \$ 408.8 billion in 2006-07 and the total number of traditional retail outlets as 13 million (1.3 crore). The average total business per store per year for an Indian unorganised retail store therefore comes to around \$31446 (Rs. 15 lakh). The survey found an average retail outlet employing 2 to 3 persons. The average size of a Walmart supermarket in the US is 108000 sq.ft employing around 225 persons. In 2010, Walmart sold \$405 billion amount of goods through its 9800 odd outlets located across 28 countries, employing around 2.1 million (21 lakh) persons. This implies that one Walmart supermarket can displace over 1300 Indian small retail stores and thereby render around 3900 persons jobless. The employment created against this in that supermarket will be 214 (or maximum 225, which is the average in the US). Clearly, there will be severe job losses if giant MNC supermarkets are allowed entry into the Indian market.

Would the restrictions imposed by the government protect Indian retailers?

The restriction that MNC supermarkets will be initially

allowed in only 53 cities with over 10 lakh population is meaningless, since most small and unorganised retailers are concentrated in these urban areas. These 53 metropolitan areas and cities account for almost 17 crore (169.54 million) people. The number of persons employed in retail and wholesale trade in these 53 cities is over 2 crore. This is where the maximum displacement would occur. Moreover, MNC retailers are most interested in tapping the metropolitan and urban segment of the market, where people have higher purchasing power. They are hardly interested in catering to semi-urban or rural areas. The condition that the minimum foreign investment in retail should be \$100 million (i.e. around Rs. 500 crore) is also inconsequential, because the MNCs interested in entering the Indian retail market are global giants - the largest global retailer Walmart's annual revenue is currently over \$400 billion and others like Carrefour, Metro and Tesco also have annual revenues worth around \$100 billion. These MNCs are facing slow growth in their countries of origin, i.e. the US, France, Germany and UK etc., and desperately want to expand their operations abroad, especially in growing markets like India. They have sufficient financial resources as well as operational knowhow to simultaneously open a vast number of outlets of various sizes and nature to outcompete the domestic retailers. The

existing big private sector retailers in India can also be bought over by the MNCs. This is how the global retailers have expanded their operations in many developing countries in Latin America and Asia. For instance, the Walmart entered Mexico in 1991-92 with a 50-50 joint venture with local firm CIFRA. By 1997 it had acquired majority stake in the venture and increased its stake to 60% in 2000. By 2004, Walmart alone accounted for over 25% of all retail sales in Mexico and 43% of all sales by the big box retailers.

Would the Indian micro and small enterprises (MSEs) benefit from the entry of global retailers?

The mandatory 30% sourcing by the global retailers from the micro and small enterprises (MSEs) stipulated by the government has also created confusion. While the Commerce Minister insists that this is meant for Indian MSEs, the press note issued by the Commerce Ministry clearly states: "Thirty per cent sourcing is to be done from micro and small enterprises (MSEs) which can be done from anywhere in the world and is not India specific. However, in this case, it has been stipulated that 30% sourcing will be done from micro and small enterprises having plant and capital machinery worth \$1 million."

Article III of the GATT clearly mandates each contracting party to accord 'national treatment' to products of other contracting parties and

explicitly forbids regulations like a specific sourcing requirement from domestic industries. Having joined the WTO on these terms, the Indian government cannot implement a 30% sourcing requirement only from Indian MSEs without being challenged by other countries.

Moreover, India has signed Bilateral Investment Promotion and Protection Agreements (BIPAs) with 71 countries till date, which explicitly provides 'national treatment' for the investors of these countries. These 71 countries, which include most major countries of Western and Eastern Europe as well as South East Asia and some West Asian, Latin American and African countries, will demand sourcing from their MSEs. Therefore, the 30% sourcing requirement would in effect mean MNC retailers sourcing cheap products from MSEs across the world bypassing tariff protection and dumping them in the Indian market, hurting the interests of the Indian MSEs. The government does not have any monitoring mechanism to prevent this from happening.

Would the MNC retailers modernize our food supply chain?

The Commerce Ministry claims that at least 50% of the investment by the MNC retailers will go towards developing backend infrastructure, which will modernize the supply chain and help in increasing efficiency and reducing

wastage. If the global retailers are to sell fresh fruits, vegetables, milk products and meat in large quantities through their retail chains, they will naturally have to set up backend infrastructure in their own interest. But the handful of cold storages, refrigerated transport and other logistics introduced by them would be strictly meant for their own business operations and not for the farmers and consumers at large. The claim that MNCs would dramatically transform and modernize the food supply chain in India is nothing but propaganda. In the US, out of the 1578 refrigerated warehouses, 839 are in the public sector and 739 are private or semi-private. The public warehouses are much larger, accounting for 76% of the general storage capacity, with private and semi-private accounting for only 24%. India, by contrast, has 5381 cold storages (much smaller in size), with 4885 being in the private sector, 356 in the cooperative sector and only 140 in the public sector. Over 95% of India's cold storage capacity is in the private sector whereas only 0.44% is in the public sector. Moreover, 75% of the cold storage capacity is being used for potato only. As a result, the average capacity utilisation of the cold storages in India is only around 48%.

China, which produces over 500 million tons of foodgrains each year, has been able to build storage and warehousing capacity of 390 million tons, mainly under the state run Sinograin. This state run corporation has not only

driven the modernisation of China's grain and edible oil storage and transportation systems but has also expanded into food and oil processing. By contrast, India's foodgrains production is currently around 230 million tons and its total grain storage and warehousing capacity is only around 50 million tons. FCI and the Central Warehousing Corporation together has around 40 million tons capacity and the rest is provided by the state warehousing corporations.



This lack of inadequate storage infrastructure constrains public procurement and contributes to huge wastage of foodgrains. The upshot is that broad based modernisation of the food supply chain in a country of India's size cannot be brought about by MNC retailers, who are driven by their narrow business interests. There is a massive scope for expanding storage, warehousing and cold chain infrastructure in the public and cooperative sectors in India and improving their management. Allowing FDI in retail cannot be a substitute for proactive public intervention and undertaking the desired level of public investment in this crucial area.

### *Distortion of Urban Development and Culture*

The promotion of large retail stores with huge retail space also fosters a different kind of urban development than what we have followed in

India till date. Large shopping malls with all known retail chains with their showrooms as a part of urban development is familiar in the US where the consumer lives in suburbs, drives long distances for his/her shopping and lives in a community that hardly knows each other. Instead of this atomized existence and high transport costs, we have chosen a model of mixed land area where every small urban cluster has local markets and local facilities for their needs. It is this model of urban development that is sought to be changed in favour of a mall culture with huge retail chains and branded products. The problem with this model is that it neglects the simple Indian reality where most households do not have cars and need local markets. The malls that have already come up in our metropolitan cities are failing to attract consumers who find local shopping much more attractive. The myth of a huge and fast growing affluent middle class is counter to the reality that this section is still too small to support the remodeling of the urban landscape as is being planned with malls, large retail chains and branded products. Unfortunately, the failure of the mall-retail chain-brand culture does not only affect the real estate developers and the Wal-Mart. The East Asian crisis was triggered precisely by this kind of distorted urban development, which saw a real estate boom and then a collapse, dragging down developers and the banks that had funded that

process. The issue here is not only of FDI in retail alone. This entire model of 'branded' products sold through highpowered ads and dominant retail chains coupled with lopsided urban development would promote monopoly in the market, kill diversity and displace small producers on a large scale. This model of development would fail in India, as it has done over much of Asia, but not before it does enormous damage.



**Retailers are consolidating**

The 20 largest food retailers captured nearly 60 percent of total grocery store sales in 2001



Note: Sales based on North American Industry Classification System (NAICS). Sources: Monthly Retail Trade Survey, Census Bureau; company annual reports.

## *Growth in Retail Over 1997-2010*

India in 1997 allowed foreign direct investment (FDI) in cash and carry wholesale. Then, it required government approval. The approval requirement was relaxed, and automatic permission was granted in 2006. Between 2000 to 2010, Indian retail attracted about \$1.8 billion in foreign direct investment, representing a very small 1.5% of total investment flow into India.

Single brand retailing attracted 94 proposals between 2006 and 2010, of which 57 were approved and implemented. For a country of 1.2 billion people, this is a very small number. Some claim one of the primary restraints inhibiting better participation was that India required single brand retailers to limit their ownership in Indian outlets to 51%. China in contrast allows 100% ownership by foreign companies in both single brand and multi-brand retail presence.

Indian retail has experienced limited growth, and its spoilage of food harvest is amongst the highest in the world, because of very limited integrated cold-chain and other infrastructure. India has only 5386 stand-alone cold storages, having a total capacity of 23.6 million metric tons. However, 80 percent of this storage is used only for potatoes. The remaining infrastructure capacity is less than 1% of the annual farm output of India, and grossly inadequate during peak harvest seasons. This leads

to about 30% losses in certain perishable agricultural output in India, on average, every year.

Indian laws already allow foreign direct investment in cold-chain infrastructure to the extent of 100 percent. There has been no interest in foreign direct investment in cold storage infrastructure build out. Experts claim that cold storage infrastructure will become economically viable only when there is strong and contractually binding demand from organized retail. The risk of cold storing perishable food, without an assured way to move and sell it, puts the economic viability of expensive cold storage in doubt. In the absence of organized retail competition and with a ban on foreign direct investment in multi-brand retailers, foreign direct investments are unlikely to begin in cold storage and farm logistics infrastructure.

Until 2010, intermediaries and middlemen in India have dominated the value chain. Due to a number of intermediaries involved in the traditional Indian retail chain, norms are flouted and pricing lacks transparency. Small Indian farmers realize only 1/3rd of the total price paid by the final Indian consumer, as against 2/3rd by farmers in nations with a higher share of organized retail. The 60%+ margins for middlemen and traditional retail shops have limited growth and prevented innovation in Indian retail industry.

India has had years of debate and discussions on the

risks and prudence of allowing innovation and competition within its retail industry. Numerous economists repeatedly recommended to the Government of India that legal restrictions on organized retail must be removed, and the retail industry in India must be opened to competition. For example, in an invited address to the Indian parliament in December 2010, Jagdish Bhagwati, Professor of Economics and Law at the Columbia University analysed the relationship between growth and poverty reduction, then urged the Indian parliament to extend economic reforms by freeing up of the retail sector, further liberalisation of trade in all sectors, and introducing labor market reforms. Such reforms Professor Bhagwati argued will accelerate economic growth and make a sustainable difference in the life of India's poorest.

A 2007 report noted that an increasing number of people in India are turning to the services sector for employment due to the relative low compensation offered by the traditional agriculture and manufacturing sectors. The organized retail market is growing at 35 percent annually while growth of unorganized retail sector is pegged at 6 percent.

The Retail Business in India is currently at the point of inflection. As of 2008, rapid change with investments to the tune of US \$ 25 billion were being planned by several Indian and multinational companies in the next 5 years.

It is a huge industry in terms of size and according to India Brand Equity Foundation (IBEF), it is valued at about US\$ 395.96 billion. Organised retail is expected to garner about 16-18 percent of the total retail market (US \$ 65-75 billion) in the next 5 years.

India has topped the A.T. Kearney's annual Global Retail Development Index (GRDI) for the third consecutive year, maintaining its position as the most attractive market for retail investment. The Indian economy has registered a growth of 8% for 2007. The predictions for 2008 is 7.9%. The enormous growth of the retail industry has created a huge demand for real estate. Property developers are creating retail real estate at an aggressive pace and by 2010, 300 malls are estimated to be operational in the country.

### *Growth After 2011*

Before 2011, India had prevented innovation and organized competition in its consumer retail industry. Several studies claim that the lack of infrastructure and competitive retail industry is a key cause of India's persistently high inflation. Furthermore, because of unorganized retail, in a nation where malnutrition remains a serious problem, food waste is rife. Well over 30% of food staples and perishable goods produced in India spoils because poor infrastructure and small retail outlets prevent hygienic storage and movement of the goods from the farmer to the consumer.

One report estimates the 2011 Indian retail market as generating sales of about \$470 billion a year, of which a miniscule \$27 billion comes from organized retail such as supermarkets, chain stores with centralized operations and shops in malls. The opening of retail industry to free market competition, some claim will enable rapid growth in retail sector of Indian economy. Others believe the growth of Indian retail industry will take time, with organized retail possibly needing a decade to grow to a 25% share. A 25% market share, given the expected growth of Indian retail industry through 2021, is estimated to be over \$250 billion a year: a revenue equal to the 2009 revenue share from Japan for the world's 250 largest retailers.

The Economist forecasts that Indian retail will nearly double in economic value, expanding by about \$400 billion by 2020. The projected increase alone is equivalent to the current retail market size of France.

In 2011, food accounted for 70% of Indian retail, but was under-represented by organized retail. A.T. Kearney estimates India's organized retail had a 31% share in clothing and apparel, while the home supplies retail was growing between 20% to 30% per year. These data correspond to retail prospects prior to November announcement of the retail reform.

### *The Indian Retail Market*

Indian market has high complexities in terms of a wide geographic spread and distinct consumer preferences varying by each region necessitating a need for localization even within the geographic zones. India has highest number of outlets per person (7 per thousand) Indian retail space per capita at 2 sq ft (0.19 m<sup>2</sup>) / person is lowest in the world Indian retail density of 6 percent is highest in the world. 1.8 million households in India have an annual income of over Rs. 45 lakh (US\$89,775).

While India presents a large market opportunity given the number and increasing purchasing power of consumers, there are significant challenges as well given that over 90% of trade is conducted through independent local stores. Challenges include: Geographically dispersed population, small ticket sizes, complex distribution network, little use of IT systems, limitations of mass media and existence of counterfeit goods.

### *The Challenges before Indian Retail Market*

A study claims retail productivity in India is very low compared to international peer measures. For example, the labor productivity in Indian retail was just 6% of the labor productivity in United States in 2010. India's labor productivity in food retailing is about 5% compared to Brazil's 14%; while India's labor productivity in non-food retailing is about 8% compared to Poland's 25%.

Total retail employment in India, both organized and unorganized, account for about 6% of Indian labor work force currently - most of which is unorganized. This about a third of levels in United States and Europe; and about half of levels in other emerging economies. A complete expansion of retail sector to levels and productivity similar to other emerging economies and developed economies such as the United States would create over 50 million jobs in India. Training and development of labor and management for higher retail productivity is expected to be a challenge.

To become a truly flourishing industry, retailing in India needs to cross the following hurdles:

- Automatic approval is not allowed for foreign investment in retail.
- Regulations restricting real estate purchases, and cumbersome local laws.
- Taxation, which favours small retail businesses.
- Absence of developed supply chain and integrated IT management.
- Lack of trained work force.
- Low skill level for retailing management.
- Lack of Retailing Courses and study options
- Intrinsic complexity of retailing - rapid price changes, constant threat of product obsolescence and low margins.

In November 2011, the Indian government announced relaxation of some rules and the opening of retail market to competition.

### **India Retail Reforms: 2011**

Until 2011, Indian central government denied foreign direct investment (FDI) in multi-brand Indian retail, forbidding foreign groups from any ownership in supermarkets, convenience stores or any retail outlets, to sell multiple products from different brands directly to Indian consumers.

The government of Manmohan Singh, prime minister, announced on 24 November 2011 the following: India will allow foreign groups to own up to 51 per cent in "multi-brand retailers", as supermarkets are known in India, in the most radical pro-liberalisation reform passed by an Indian cabinet in years; single brand retailers, such as Apple and Ikea, can own 100 percent of their Indian stores, up from the previous cap of 51 percent; both multi-brand and single brand stores in India will have to source nearly a third of their goods from small and medium-sized Indian suppliers; all multi-brand and single brand stores in India must confine their operations to 53-odd cities with a population over one million, out of some 7935 towns and cities in India. It is expected that these stores will now have full access to over 200 million urban consumers in India; multi-brand retailers must have a minimum

investment of US\$100 million with at least half of the amount invested in back end infrastructure, including cold chains, refrigeration, transportation, packing, sorting and processing to considerably reduce the post harvest losses and bring remunerative prices to farmers; the opening of retail competition will be within India's federal structure of government. In other words, the policy is an enabling legal framework for India. The states of India have the prerogative to accept it and implement it, or they can decide to not implement it if they so choose. Actual implementation of policy will be within the parameters of state laws and regulations.

### *Conclusion*

The Indian Economy has clocked an impressive 8.6 per cent growth rate in the financial year 2010-11 and is expected to repeat this performance in 2012 as well. However, there are certain downside risks that must not be ignored. Pro and cons fighting on FDI in India and abroad is on and result is awaited. Over populated, less capitalized, cut throat competitions, LPG, fast technological growing conditions in the world, respectively fast economic growth rate, seeking foreign financial support - the retail market of India and Indian economy itself will have to imperative struggle for its favor. India has the following advantage situation for FDI:

- Stable democratic environment over 60 years of independence.
- Large and growing market.
- World class scientific, technical and managerial manpower.
- Cost-effective and skilled labour.
- Abundance of natural resources.
- Large English speaking population.
- Well-established legal system with independent judiciary.
- Developed banking system and vibrant capital market.
- Well developed accountancy, legal, actuarial and consultancy profession.

## References

1. "The Bird of Gold - The Rise of India's Consumer Market". McKinsey and Company. May 2007.
2. Anand Dikshit (August 12 2011). "The Uneasy Compromise - Indian Retail". The Wall Street Journal. "Winning the Indian consumer". McKinsey & Company. 2005. Majumder, Sanjoy (25 November 2011). "Changing the way Indians shop".
3. "Retailing in India Unshackling the chain stores". The Economist. 29 May 2008. Agarwal, Vibhuti; Bahree, Megha (7 December 2011). "India puts retails reforms on hold". The Wall Street Journal. Sharma, Amol; Sahu, Prasanta (11 January 2012). "India Lifts Some Limits on Foreign Retailers". The Wall Street Journal. "Ikea shelves Indian retail market move". The Financial Times. 22 January 2012. "ICRIER Begins Survey of Indian Retail Sector." 19 March 2007.
4. "Global Economy: China, India confront WalMarts". Asia Times. 31 January 2004.
5. "FDI IN MULTI-BRAND RETAIL TRADING". KPMG. 2010.
6. Mukherjee et al., Arpita (2006). *FDI in Retail Sector: INDIA, A Report by ICRIER*. Academic Foundation. Mehta and Chatterjee (June 2011). "Growth and Poverty - the great debate". CUTS International..
7. Jagdish Bhagwati (14 December 2010). "Hiren Mukerjee Memorial Parliamentary Lecture: Parliament of India". Columbia University, Parliament of India "India again tops global retail index." 22 /6/ 2007.
8. "Economic and financial indicators" 3 July 2008.



# Inequality and the Imperative for Inclusive Growth in Asia

Nishant Bhaskar and  
Raman Kumar Jha

One of the most outstanding achievements in the history of world economic development in the 20th century was that several of Asia's countries and regions were able to create economic miracles and catch up with western developed countries. Japan and the newly industrialized economies in East Asia, including Hong Kong, China; Republic of Korea (Korea); Singapore; and Taipei, China, whose initial conditions after World War II were not more favorable than other developing countries in other parts of the world (Maddison 2001), have become the only group of economies that have successfully reached the per capita income level of western developed countries or substantially narrowed their income gaps with developed countries. However, for Asia as a whole, like most other parts of the world, the gaps between their per capita income and that of the developed countries in effect have widened after World War II. In 2002, there were about 690 million people in Asia still in extreme poverty, living on less than US\$1 a day. If a more generous standard of \$2 a day was used, 1.9 billion Asians, or about half of the population in Asia, were poor in that year (ADB 2004). Those poor people have no guarantee for their basic daily nutrition needs, access to improved sanitation, and so on. How to eradicate poverty and how to close the income gaps between developing Asia and the developed countries are daunting challenges for the region.

Stellar growth rates leading to a spectacular decline in the incidence of poverty in developing Asia showcase the region's development success

over the last 10 years. As many developing Asian countries enter the next phase of their development stage, the emergence of two faces of Asia is a cause for economic, social, and political concern. Responding to the opportunities of globalization, technological change, economies of scale, and competition, a "shimmering" Asia is emerging where a small segment of the population is benefiting from an extraordinary boom. In sharp contrast, large segments of the population are stuck in a "shivering" Asia with low wages, little or no social services, and little opportunity for improved mobility. These two faces of Asia are both a beacon of hope and a symbol of despair. Merging these two faces toward a gleaming Asia is the development challenge over the near and medium term and is the focus of this paper.

The key messages of the paper are as follows. Rising income inequalities and the persistence of unacceptably high levels of no income inequalities pose a clear and present danger to Asia's sustained progress. Inclusive growth that focuses on both creating opportunities rapidly and making them accessible to all including the disadvantaged and the bypassed is a necessary but insufficient condition for reducing inequality outcomes. Inclusive growth that focuses on understanding and addressing the causal factors underpinning inequality outcomes is process-oriented and is primarily concerned with ex ante policy formulation. Ex post measurement of inclusive growth assesses the extent and degree of inclusiveness attained. Finally, inclusive growth needs to address economic, social, and political constraints in generating opportunities, as well as ensuring equal access to them.

### *Income and Nomincome Inequalities in Asia*

#### **A. Inequalities are Rising**

Figure 1 presents estimates of the Gini coefficient, a popular measure of relative inequality. Seven countries have Gini coefficients

---

Research Scholars, BRA Bihar University, Muzaffarpur.

of around 40 or more; the remaining countries have Gini coefficients of 30 to 40. These current levels of inequality represent increases over the last 10 years (see Figure 2). An increase in inequality is registered for a majority of economies. The increases in inequality in Bangladesh, Cambodia, People's Republic of China (PRC), Nepal, and Sri Lanka are noteworthy.

The picture that emerges is that in a majority of Asian countries, inequality has increased. However, this is not a story of the rich getting richer and the poor getting poorer. Rather, the rich are getting richer faster than the poor. This point is important because while economists focus on relative inequality, politically and socially, absolute inequalities can get considerable attention.

Inequalities in income and expenditure represent only one dimension of inequality. Inequalities in health, education, and economic assets such as land could be high even in countries where income inequality is not high. As an example, India and Pakistan, which do not have high income inequalities, have very unequal outcomes in terms of how severely underweight children are distributed across rich and poor households. In India, 5 percent of the children are severely underweight among the richest 20 percent of households. In the case of the poorest 20 percent of households, this share is 28 percent. Education outcomes show a similar pattern, with

Bangladesh, India, Nepal, and Pakistan having very unequal education attainments.

Low levels of income inequality can also coexist with high levels of inequality in asset ownership and access to infrastructure services. The distribution of land, one of the most important economic assets in developing Asia, is heavily concentrated. This is particularly true in the South Asian countries where income/expenditure inequalities are low. A similar phenomenon is seen in terms of access to public services like clean water, health facilities, sanitation, electricity, and schools. Banerjee, Iyer, and Somanathan (2007) show that a great proportion of the population in lagging subnational regions in Asian countries have little or no access to these public services. This is especially true for South Asian countries like India and Nepal.

The description of inequalities in developing Asia highlights three issues. First, income/expenditure inequalities are rising in many Asian countries. second, low levels of income/expenditure inequality can coexist with high levels of inequality in important dimensions of well-being that could circumscribe the capacity of people to participate in productive economic activities. Third, a concentration of assets implies that for the economically disadvantaged, potential economic opportunities may be difficult to seize.

### ***B. Drivers of Rising Inequalities***

The key factor responsible for increases in inequality

appears to be unevenness in growth. Three dimensions of uneven growth seem especially pertinent in accounting for increases in inequality in many parts of the region. First, growth has been uneven across subnational locations (i.e., across provinces, regions, or states). second, growth has been uneven across the rural and urban sectors. Finally, growth has been uneven across households, such that incomes at the top of the distribution have grown faster than those in the middle and/or the bottom. In particular, the growth of incomes has tended to be the highest for the best educated.

One can ask what policy factors are behind these patterns of uneven growth. The policy factors are complex. However, some broad themes emerge. First, there has been a relative neglect of the agriculture sector by policymakers. While economic development entails a move off the farm to industry and services, deficiencies in public investments in agriculture, and the rural economy more generally, has been problematic precisely because the productivity of agriculture determines the standards of living of so many people in Asia. Even today, a majority of the labor force of many Asian countries, especially its largest ones, is to be found engaged in agriculture. second, the interplay between market-oriented reforms, globalization, and technology has played a role in unequal growth. In several countries, for example, dismantling state-owned enterprises has been part and

parcel of market-oriented reforms. Typically, state-owned enterprises have had fairly compressed wage distributions. As the importance of the private sector has grown, it would be natural to find increases in wage inequality.

Similarly, globalization-or increased international integration-has tended to benefit certain subregions within countries over others. For example, in the PRC, there is a general consensus among analysts that sharpening income disparities between coastal and interior regions have been driven by the countries' increased openness. The costs of shipping goods from the coastal regions to major international trade centers is far lower than that of shipping goods from interior regions. The lowering of barriers to trade has probably also reduced the bargaining power of workers relative to capital. This has happened on account of the fact that capital and skilled workers are far more mobile across countries than relatively unskilled workers.

### **C. Inequality Matters**

An influential view in the development community is that greater inequality is inherent in the growth process (Lewis 1983). In the process of structural transformation and growth, certain regions in certain sectors can be expected to benefit first. This would cause some increase in inequality initially. As growth proceeds, more regions and sectors undergo beneficial transformation and inequality

declines. This view is consistent with the famous "Kuznets curve" where inequality first rises and then falls with economic growth.

There are two problems with this viewpoint. First, the empirical evidence for the "Kuznets curve" is weak. In the Asian context, Republic of Korea and Taipei, China clearly demonstrated in their rapid period of growth between the 1970s and 1990s that a rapid and sustained increase in inequality is not an inevitable result of high economic growth. Their income-based Gini coefficients never reached 40 during their period of rapid growth. In fact, they declined over some periods of high growth. Second, there are compelling reasons to believe that high levels of inequality may in fact hinder future growth. The specific mechanisms work through wealth effects and political economy channels.

People with little wealth or low incomes find it difficult to invest in wealth or income-augmenting activities. This is compounded by imperfections in financial markets that seriously constrain the ability of otherwise credit-worthy individuals to borrow to finance investments in education or business opportunities. Underinvestment by people with little wealth or low income impacts negatively on growth.

An alternative way of looking at the same problem has been recently enunciated (Banerjee 2007). Against the phenomenon of the rich getting

richer faster than the poor, it becomes harder for the poor to compete with the rich for limited resources including capital. With too much capital concentrated in the hands of the rich, allocative inefficiency in investment will impact negatively on growth.

### *Inclusive Growth: A conceptual Framework*

The discussion on the nature and drivers of inequalities points to three noteworthy issues. First rising inequalities could be an inherent by-product of the growth process, and knee-jerk reactions to eliminate increases in inequalities may stifle the growth process itself. Second, lack of access to basic public services, credit, and risk-mitigating instruments perpetuate the lack of capabilities and opportunities for large sections of society. Third, the marginalization and bypassing of significant sections of society could undermine the sustainability of growth.

Inequality is an outcome, and how it should be addressed must begin with identifying the drivers of inequality. Inequalities can be associated with efforts that respond to market incentives. Inequalities also arise from lack of access to social services, geography, and social exclusion that are related to circumstances. An individual's circumstances such as religious background, parental education, geographical location, and caste (in India) are exogenous to and outside the control of the individual, for which he or she should not be

held responsible. Inequalities due to differences in circumstances often reflect social exclusion arising from weaknesses of the existing systems of property and civil rights, and thus should be addressed through public policy interventions. On the other hand, an individual's efforts represent actions that are under the control of the individual, for which he or she should be held responsible. Inequalities due to differences in efforts reflect and reinforce market-based incentives needed to foster innovation, entrepreneurship, and growth. Incentives should not be disregarded.

The importance of equal access to opportunities for all lies in its intrinsic value as well as instrumental role. The intrinsic value is based on the belief that equal access to opportunity is a basic right of a human being and that it is unethical and immoral to treat individuals differently in access to opportunities. The instrumental role comes from the recognition that equal access to opportunities increases growth potential, while inequality in access to opportunities diminishes it and makes growth unsustainable, because it leads to inefficient utilization of human and physical resources, lowers the quality of institutions and policies, erodes social cohesion, and increases social conflict.

### *Inclusive Growth: A Strategy*

In terms of opportunities and access to them, labor market outcomes in Asian

countries tell a powerful story. Four features are noteworthy (Felipe and Hasan 2006). First, corresponding to rapid output growth, employment growth has been far lower in recent years. Second, in both relative and absolute terms, the differences in real wages between the bottom and top quintiles of the labor force in urban areas increased significantly over the last two decades. At the same time, rural-urban differentials in real wages have also widened. Third, employment in the informal sector where productivity levels and wages are low is either on the rise or persistently high. Last, the nature of employment in the formal sector, which has been historically associated with regular contracts and job security, is changing toward that which is more characteristic of the informal sector.

Equalizing opportunities means that the opportunities generated by growth are available to be shared across the entire spectrum of the population including by those who are less well-off. Equalizing access to economic opportunities is multidimensional, i.e., addressing the disadvantages of circumstances. In particular, strengthening human capabilities enable individuals to qualify for productive and decent employment. Ensuring equal access to economic opportunities is the second pillar of inclusive growth.

An inclusive growth strategy encompasses the key elements of an effective poverty

reduction strategy and, more importantly, expands the development agenda. A poverty reduction strategy based on a single and absolute income criterion ignores the issue of inequalities and the risks associated with them. In contrast, an inclusive growth strategy addresses circumstance-related inequalities and their attendant risks. Inclusive growth is not based on a redistributive approach to addressing inequality. Rather, it focuses on creating opportunities and ensuring equal access to them. Equality of access to opportunities will hinge on larger investments in augmenting human capacities, including those of the poor, whose main asset-labor-would then be productively employed.

Overall, inclusive growth with its focus on the process of expanding opportunities will result in more effective poverty reduction. In particular, with its focus on addressing inequalities, inclusive growth will address issues of poverty gaps and the severity of poverty, thereby enlarging the poverty reduction agenda. The more important point is that inclusive growth is concerned with the overall welfare of society, which includes the poor.

### *Conclusion*

Merging the "shimmering" and "shivering" faces of Asia into a progressively prosperous region, i.e., a gleaming Asia, is the development challenge over the next generation. While high and sustainable growth are absolute requirements, the fruits of growth must be shared

more equally. Asia's movement from low, to medium, to high levels of income and nonincome inequalities is worrisome as social and political tolerance to growing inequalities is getting lower. The sustainability of growth could thus be undermined. It is in this context that inclusive growth with its focus on rapidly expanding opportunities and ensuring equality of access to these opportunities is desirable on both intrinsic and instrumental considerations.

The thrust of inclusive growth is on the positive, emphasizing expanding opportunities and capability enhancement at the economywide and household levels. The directional change is from entitlement to empowerment. Circumstance-based disadvantages must be addressed by public policy interventions that guarantee an even playing field so that people can be empowered to lift themselves up by their bootstraps to exploit the opportunities generated by rapid and sustained growth.

While the adoption of an inclusive growth strategy is a natural evolution in Asia's development process, the

reform agenda required to effect it is complex and ambitious. Reforms relating to governance, institutions, and policies that address both economic and political inequality will need to be addressed simultaneously. An enlightened and an active state will be needed to partner with the private sector and civil society in the pursuit of shared prosperity.

### References

2005. *Poverty Trends in Nepal 1995-96 and 2003-04*. Kathmandu: National Planning Commission Secretariat.
2006. *Agriculture Monograph: Agricultural Census, Nepal 2001/02*. Kathmandu.
2008. Unpublished data.
- various years. *Nepal Living Standards Survey, Vol I and II*. Kathmandu, Nepal. Central Electricity Authority. 2005. Chapter 9: Electricity Consumers and Connected Load.
- General Review*. New Delhi. Ceylon Electricity Board. 2005. *Statistical Digest*.
- Colombo, Sri Lanka. Department for International Development (DFID).
2009. Industrial Relations and Business Environment in Nepal. Unpublished. Department of Education. 2007. Flash I 2007-08 Report. Kathmandu. Department of Roads. n.d. Road Statistics 2006/07. [www.dor.gov.np/road\\_statistic\\_2008/tables.php](http://www.dor.gov.np/road_statistic_2008/tables.php)
- Deraniyagala, S. 2005. The Political Economy of Civil Conflict in Nepal. *Oxford Development Studies* 33 (1):47-62.
- Fay, M., and T. Yepes. 2003. *Investing in Infrastructure: What is Needed from 2000 to 2010?* World Bank Policy Research Working Paper No. 3102. Washington DC. <http://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/3102.html>
- Federal Bureau of Statistics. *Census of Electricity Establishments 2005-2006*. Islamabad.
- Ferrari, A., G. Jaffrin, and S. R. Shrestha. 2007. *Access to Financial Services in Nepal*. Conference Edition: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 31 January-4 February 2000. Washington DC: World Bank.
- Foreign Policy. 2007. Failed States Index Scores 2007. [www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com\\_content&task=view&id=229&Itemid=366](http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=229&Itemid=366) (accessed February 2008).
- Ginting, E., 2007. *Is Inflation in India an Attractor of Inflation in Nepal?* IMF Working Paper, Asia Pacific Department. WP/07/269.
- Washington DC: IMF. Global Integrity. 2007 Global Integrity Report. Washington DC. <http://report.globalinteg->



## **The Lord Krishna: A Study of the Supreme Personality**

**Sumitra Kumari**

The Vedas say Krishna is the original person, but that He always appears young and attractive. He knows everything, He contains all of reality, and all other living beings are His inseparable parts. He is the all-powerful, supreme controller of all energies. He is known by different names in different cultures (such as God, Allah, and Jehovah, for example).



Sometimes Krishna sends His representatives — as saints, prophets, or His sons — to teach humankind about Him, and sometimes He comes Himself, as He did approximately 3000 B.C. He spoke the spiritual and philosophical teachings known as the Bhagavad-gita, which explains the essence of our spiritual identity and our relationship with God.

### *Who is Lord Krishna*

Krishna is God, the Supreme Personality of Godhead. This fact is stated and corroborated in the Vedic scriptures and by various authorities. Lord Brahma in Brahma Samhita says, “Krishna who is known as

Govinda is the Supreme Godhead. He has an eternal blissful spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin and He is the prime cause of all causes”. In the Bhagavata Purana Krishna becomes the chief object of devotion. After describing various incarnations of the Lord such as Rama, Balarama, Vamana, Nrsimha, and Vishnu, Srila Sukadeva Goswami states, “All of the above mentioned incarnations are either plenary portions or portions of the plenary portions of the Lord, but Lord Krishna is the original Personality of Godhead”.

Lord Shiva in Gita Mahatmya, states that “let there be only one God - Krishna, the son of Devaki” (Verse 7). In the Padma Purana it is stated, “By scrutinizingly reviewing all the revealed scriptures and judging them again and again, it is now concluded that Lord Narayana is the Supreme Absolute Truth, and thus He alone should be worshipped”. Similarly it is said in the Skanda Purana, “In the material world, which is full of darkness and dangers, combined with birth and death and full of different anxieties, the only way to get out of the great entanglement is to accept loving transcendental devotional service to Lord Vasudeva. This is accepted by all classes of philosophers”.

The position of Krishna as God is confirmed by great personalities like Narada, Asita, Devala, Vyasa, Parasara, Brahma and Shiva. Finally Krishna Himself confirms this fact in the Bhagavad Gita to His friend and devotee, Arjuna. He clearly says that He is “the Supreme Lord of all planets and demigods” (BG 5.29), that “there is no truth superior to Me” (BG 7.7) and - “I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from Me” (BG 10.8).

### *What is the Position of Krishna?*

As God, there is no one equal to or greater than Krishna. He is the original, unborn, eternal

---

Research Scholar in Philosophy, S.K.M University, Dumka

person, the most ancient, completely independent, and the cause of all causes. Parasara Muni, the father of Srila Vyasadeva and a great scholar who had himself held the position of Vyasa in a previous kalpa, very nicely defines the position of Bhagavana (God) as one Who is complete in six kinds of opulence namely - wisdom, beauty, fame, power, wealth and renunciation. While there are many great personalities who are very famous or very wealthy, only Krishna as God is replete in all six opulence.

The scriptures not only give us the unique position of Krishna but also give us a detailed description of all His aspects. They tell us that above this temporary material universe is an eternal spiritual world called Vaikuntha, and Krishna lives in the topmost planet of this universe called Goloka Vrindavana which is full of palaces made of touch-stone (cintamani), with trees that are capable of fulfilling all desires (kalpa-vraksha) and cows that are called Surabhi.

Here Krishna eternally resides, served by hundreds and thousands of goddesses of fortune. He sports with His most confidential and intimate devotees, headed by Srimati Radharani. He has a form just like us but His body is spiritual and thus eternal. His complexion is dark-blue, like that of a rain-filled cloud and His eyes are like lotus petals. He is ever youthful, full of bliss and His beauty excels that of thousands of cupids. He likes to play the flute, He sports a crown with a

peacock feather and He is adorned by the exquisite kastuba jewel.

### *What is Krishna Avatar?*

In Caitanya-caritamrita (2.20.263-264) it is stated that the "avatara, or incarnation of Godhead, descends from the kingdom of God for creating and maintaining the material manifestation. And the particular form of the Personality of Godhead who so descends is called an incarnation, or avatara. Such incarnations are situated in the spiritual world, the kingdom of God. When They descend to the material creation, They assume the name avatar." The SrimadBhagavatam states that there are countless incarnations just like the waves of the oceans. They fall in various categories like lila (pastime), yuga (period of yuga), manvantara (period of Manu), purusa (Vishnu expansions) and shaktivesa (empowered). These avatars perform various pastimes based on the time, place and circumstances, but their purpose is always the same - "to attract the conditioned souls back to their eternal spiritual abode".

The incarnations emanate from Vishnu. Maha-Vishnu is the original cause of all material creation and from Him Garbhodakashai-Vishnu expands and then Ksirodakasayi-Vishnu. Generally all incarnations appearing within the material world are plenary portions of Ksirodakasayi-Vishnu (also known as Hari).

However only once in a day of Lord Brahma (which lasts for 4.32 billion of our years), does

Krishna descend in His original form, as the avataree, the cause of all avatars. When Krishna appears all the incarnations join with Him. The Supreme Personality of Godhead is the complete whole and all the plenary portions and incarnations always live with Him. So when Krishna appeared, Lord Vishnu was always with Him, and while Krishna enjoyed His pastimes in Vrindavana, the killing of the demons was actually carried out by the His Vishnu portion. Since Krishna eternally resides in Vrindavana, when He left Vrindavana at the age of ten, it was His Vasudeva expansion that actually left.

### *Appearance of Krishna*

In the era of the Svayambhuva Manu, prajapati Sutapa and his wife Prsni were instructed by Lord Brahma to have progeny. They performed severe austerities for twelve thousand years of the demigods to have the Lord as their child. Pleased by their austerities the Lord appeared and granted them this benediction. Since He gave them this benediction three times, in Satya-yuga He first appeared as the son of Prsni and Sutapa and was called Prsnigarba. In Treta-yuga they were Aditi and Kasyapa Muni and the Lord appeared as Vamanadeva. Finally in the Dvaparayuga, Krishna in His original form, appeared as the child of Devaki and Vasudeva.

Krishna appeared specifically on the request of Bhudevi, the presiding deity of the Earth planet. Distressed by the burden of many demons who had appeared as powerful

Kshatriyas and were ruling the planet impiously, she assumed the form of a cow and pleaded to Lord Brahma for help. Lord Brahma with all the demigods prayed to Vishnu in Svetadvipa by chanting the Purusa-sukta prayers. At this time the Lord informed Brahma that in order to establish religiosity and destroy evil, He would soon appear as His original Self. In the meantime the various demigods were instructed to take birth in various families in the Yadu dynasty and prepare for the appearance of the Lord.

### *Lifeline of Krishna*

Historically, Lord Krishna appeared in the Dvaparayuga, on the midnight of the 8th day of the dark half of the month of Sravana. This corresponds to July 19th 3228 BC. He exhibited His pastimes for a little over 125 years and disappeared on February 18th 3102 BC on the new moon night of Phalgun. His departure marks the beginning of the current age of corruption known as Kali.

The great scholar Srila Vishvanatha Chakravarti neatly outlines Lord Krishna's activities in this way. He was born in Mathura in the prison cell of Kamsa and carried to Gokula. The first three years and four months were spent in Gokula, then equal lengths of time in Vrindavana and Nandagram. At the age of eleven He left Vrindavan for Mathura where He lived for eighteen years and four months, and finally ninety-six years and eight months in Dvaraka totaling about 126 years of manifest pastimes. At the time

of Mahabharata, when Krishna spoke the Bhagavad Gita, He was about ninety years of age.

### *Pastimes of Krishna*

The tenth canto of Srimad Bhagavatam describes the activities and transcendental pastimes of Sri Krishna. They are also described in the epic Mahabharata, specially in the Bhishmaparva which also contains the Bhagavad Gita. The pastimes of Krishna appeal to the liberated souls, those that are trying to get liberated and also to the gross materialists. The pastimes of Sri Krishna, known as Krishna-katha fall into two categories. Words spoken by Krishna, as the Bhagavad Gita, and words spoken about Krishna, as in the Srimad Bhagavatam. Souls in the liberated stage derive great pleasure in relishing anything and everything related to Krishna. For those that are trying to be liberated, Krishna-katha makes their path of liberation very clear. By studying the Gita one becomes fully conscious of the position of Sri Krishna; and when one is situated at the lotus feet of the Lord, he understands the narration's of Krishna as described in the Srimad Bhagavatam. Even the gross materialists are attracted by the pleasure pastimes of Krishna with the Gopis and His wives.

Even though the loving affairs of Krishna have nothing to do with the gross, mundane sex affairs, they attract the people engrossed in sense-gratification and gradually elevate them to higher levels of spirituality.

### *Causeless Mercy of Krishna*

Even though Krishna is completely self sufficient and self satisfied, He descends for the benefit of all the conditioned souls. His most endearing quality is that of "bhaktavatsala". His pure devotees are always trying to please Him, and He is always trying to please His devotees. Just as He lives in the heart of His devotees, His devotees constantly reside in Him.

Krishna is so merciful that He not only helps His devotees, but also those who are envious of Him. Krishna destroys evil by providing them with an opportunity to take up devotion.

All glories to the appearance day of Lord Krishna! All glories to Sri Krishna and His devotees!!

### *Life Through Krishna's Eyes*

Krishna is well known to be a master of all roles in which he simply created followers – be it as a child, a brother, a charioteer, a warrior, a friend, a statesman, a messenger, a philosopher, a disciple, a protector, a guru, a cowherd or the beloved of his devotees (gopis of Vrindavan).

Lord Krishna's life story has all the rigmaroles of daily living that we face today. Mata Amritanandamayi says, "Throughout his life, Lord Krishna had to face different crises that arose like waves, one after the other. Even then, not once was his countenance clouded by sorrow. He faced every difficulty under the sun, but there was no place for sorrow in Sri Krishna's presence. He was the embodiment of bliss. In his company everyone

rejoiced, forgetting all else. In his presence they tasted the bliss of the Self..."

About Krishna, Osho remarked "People like Krishna look at life with extraordinary eyes; their perception is rare. It penetrates the innermost depth of life, and it will be a great gift if for a while we can look at life through the eyes of Krishna. That will go a long way to change and deepen our own perception, our own perspective of life..."

Krishna is a central figure in Hinduism. His divinity and powers mesmerizes the minds of even the occasional bystander. Behind Krishna's divinity and Lordship is a philosophy that he advised to anybody seeking a counsel. Remember his authoritative words to the warrior Arjuna in his divine song - The Holy Gita: "I shall now in full explain to you this knowledge together with its wisdom, knowing which leaves one nothing further to be known in this world." (Chapter-7, verse 2)

Though Lord Krishna advised according to the ability of the person, there is a philosophy that one can make out from his advice. Many liberated masters, thinkers and scholars confirm that his advice as in the Holy Gita pretty much summarises his philosophy, which is not different to the vedantic declarations. The Vedanta teacher Swami Chinmayananda often said, "With the Gita, Shri Krishna took the knowledge of the Upanishads down from the Himalayas and into the marketplace."

About the Holy Gita Swami Shivananda remarks: "The Gita gives you practical lessons to regulate your daily life and conduct. It tells you how to overcome the above enemies, how to develop the divine virtues which will help you to attain God-consciousness. The message of the Gita is the message of sacrifice, love and duty. Love all. Share what you have with others. Do your duties well. Rise above petty likes and dislikes. Keep open the portals of your heart by removing selfishness, greed and lust, so that the Supreme Lord Himself may come and dwell therein. These are the lessons of the Gita."

Here is a sample of some timeless wisdom from the Gita:

*"Those who are wise grieve neither for the living nor for the dead"*

*"Without being attached to the fruits of activities, one should act as a matter of duty, for by working without attachment one attains the Supreme"*

*"You have a right to perform your prescribed action, but you are not entitled to the fruits of your action. Never consider yourself the cause of the results of your activities. Nor should you be attached to inaction."*

*"As a person abandons worn-out clothes and acquires new ones, so when the body is worn out a new one is acquired by the Self, who lives within"*

*"For him, who has conquered the mind, the mind is the best of friends; but for one who has failed to do so; his mind will remain the greatest enemy"*

*"As the blazing fire reduces wood to ashes, similarly, the fire of Self-knowledge reduces all Karma to ashes"*

*"Little by little, through patience and repeated effort, the mind will become stilled in the Self"*

*"The mind acts like an enemy for those who do not control it"*

*"Man is made by his belief. As he believes, so he is"*

*"Better indeed is knowledge than mechanical practice. Better than knowledge is meditation. But better still is surrender of attachment to results, because there follows immediate peace."*

*"The power of God is with you at all times; through the activities of mind, senses, breathing, and emotions; and is constantly doing all the work using you as a mere instrument"*

In its entirety, the Holy Gita with the commentaries written by many saints and teachers like Acharya Shankara, Shri Ramanuja, Shri Madhava and many others has the philosophy, which can dispel our ignorance. It is this very philosophy of the Gita that can help us to look at life differently.

No wonder Arjuna said at the end of the Gita discourse that "Destroyed is my delusion, as I have now gained my knowledge through your grace. I am firm; my doubts are gone."

## References

- Bhagavad-gita As It Is, Hardbound
- The Higher Taste - a Guide to Gourmet Vegetarian Cooking
- Bhagavad-gita As It Is, Deluxe
- Chant And Be Happy - the Power of Mantra Meditation
- Beyond Birth and Death
- Complete Bhagavad-gita As It Is audio book, MP3 CD
- Krsna, the Reservoir of Pleasure
- Sri Isopanisad - Knowledge of the Supreme Person
- Darsana - Krishna Deities around the World
- Coming Back - Reincarnation



# Child Development: Theoretical and Conceptual Issues

Dr. Shobha Kumari

The meaning of the word 'development' has become blurred because it has been substituted by popular speech. This term has been used by different people to denote various phenomena. Laymen, tribals, ruralites, westerns, orientals, rightists, leftists, politicians, all use it in different ways. When a scientific term is used in popular speech, it often loses its significance.

The concept has a cognitively-pluralistic connotation, as it has a multi disciplinary significance. Economics, political-science, psychology, anthropology, and sociology have used the term in different contexts. The single term has a diverse conceptual connotation. The term has political implications, and has been used as a political instrument for the obtaining of votes, 'under-development' has been replaced by 'developing countries,' which does not change the connotation but puts on a garb of respectability. Terms like 'newly developing countries', 'new emerging countries' have also been used to substitute the earlier term 'under-developed.'

Interestingly, the term has trapped the intelligentsia, who often focus on the development process, ignoring the roots of 'under-development.' The developed countries have exploited the resources of developing nations. The network of exploitation, the hidden structures of exploitation, have been largely neglected by social scientists. Sponsored researches, generally, are oriented to the evaluation and study of the impact of planned developmental schemes initiated by the government.

Lewis and Scalpino did not make any distinction between these terms an international

stratification system has been created through the coining of terms like MDC (more developed countries) and LDC (less developed countries). These concepts paved the way for the inculcation of western values and ideas concerning development. The ruling elite desired their countries to be modelled on the western paradigm of development. The indicators of development were defined by western societies. Sponsored researches by international organisations, and financial support given by them, institutionalized the western paradigm<sup>1</sup>.

This has several consequences of psychological, social and cultural dimensions. National pride and historicity of traditions were influenced negatively. The new development programmes changed the traditional social fabric to an extent and it was considered correct to replace it through creation of new institutions<sup>2</sup>.

'Sociology of Development' is a recent branch of sociology. The economists' view of development has been the dominant one for a long time. Decision makers have often turned to economists rather than sociologists<sup>3</sup>. Applied economics is a great deal more popular than applied sociology. Sociologists have been conspicuously missing from planning offices, committees and commissions.

The reason for this lies partly in the internal academic structure of sociology. For decades, our gaze was fixed intently upon functionality and system maintenance, and social change was kept tucked away in a corner of our consciousness.<sup>4</sup> The international context of development and under-development is a significant area at a micro-level in the analytical frame work. The neo-Marxist approach stresses the need to understand the world as a totality, as a single integrated unit.<sup>5</sup> The induced dependence tends to be total—economic, political, cultural, and social. There is enough money for population programmes, family planning, agriculture, health literacy and environment. The solutions and instrumentalities come from rich countries in the form of an aid or a loan. This is a mechanism to perpetuate economic dependence, cultural dominance, and political hegemony.

Whole hearted transplantation of western medical practice into countries, such as Zambia,

---

Lecturer, JLN College, Sursand, Sitamarhi

has been a disastrous mistake. New solutions, which make use of cheaper and less sophisticated technology, as well as personnel with skills more limited than those of fully qualified physicians, are badly needed. Yet, this has not become possible because the elite want the same treatment which westerners have access to.<sup>6</sup>

In China, success in the field of modern medicine is the result of the fact that it fits into the overall structure of the society.<sup>7</sup>

Some believe that 'population' is part of the richer world's scheme to maintain control over the rest. Hence, the notion of population explosion is related to imperialism. The western mode and model of development has created a network of subterranean exploitation, whereby underdeveloped countries are systematically sucked of their natural resources, cultural imperialism is imposed on them, and they are economically so trapped through loans, aids, debts that, politically, they are perennially slowed.

The notion of development is linked with dependence. There is certainly a need for change through revolution in the existing world system. In fact, the world is divided into nations at the centre and nations at the periphery. The nations at the centre are the developed western countries who systematically create conditions of dependence for nations at the periphery; which are the developing nations. The centre *within* the nations of periphery consists of the elite

who, for their development, support the ideology and instrumentality of the nations at the centre. Such a situation leads to perpetuation of underdevelopment, coupled with development of the elite of the nations at the periphery.

The micro-level programmes at village level have improved the quality of life, but the very targets need reconsidering. Planners ought to start with the social and 'human' dimensions, and work backwards to the necessary growth rate.<sup>8</sup>

Even if one were able to identify, quantify, and frame policies for the relief of poverty of the urban and rural deprived, they would be ineffective unless they took account of the reactions of interest groups of the elite.<sup>9</sup>

Even *news* has become a marketable commodity, and the news media in the Third World, even when they are in the hands of the government, operate as part of international corporate capitalism. The wholesale transplantation of western medical practices to developing nations has been a disastrous mistake and that new solutions which make use of cheaper and less sophisticated technology, as well as of personnel with more limited skills than those of full-blown physicians, are badly needed. Yet it has not been possible to break "medical imperialism." It is necessary to ask questions about education and literacy, and their social and cultural relevance for the developing nations.<sup>10</sup>

Rich countries are polluting the environment and react to the 'eco-threat' very strongly. This is a plot.

The theories of development are many. The functional, evolutionary, dialectical, psychological theories of development have been overshadowed in recent years by the advance of the 'Dependency' and the 'World-System' theories.

The concept of ethno-development has assumed great significance in the context of developing nations. Generally, the concept of development has been identified with the development of western nations, which emphasizes material, and mundane aspects of development along with formations of complex and large scale organisations for the accomplishment of economic growth. In such a notion of development, the person becomes the slave of technology, and there is emphasis on consumption for social conspicuousness. Obviously, in such a model of development, the individual and the social dimensions are relegated to the background. The plurality of cultures, as revealed in different societies, in the contemporary world, exemplify that human beings have developed different styles of life, customs, traditions, and institutions, which have emerged out of their cumulative experience. Thus, the institutions of social hierarchy, marriage, family, property, inheritance, etc., tend to differ from one society to another. Even systems of law, bureaucracy, justice, and polity are dependent upon indigenous situations and social experiences. A comparative study of different cultures reveals that each culture has its own mechanism to deal with problems, and hopes and aspirations.

The contemporary governmental programmes should be seen in the context of the structural and cultural peculiarities of our nation. These are of various types; some are intended for specific categories which have been deprived socially, politically, and economically for a long and continuous time. The programmes oriented towards SC/STs can be categorised as those which deal with specific categories. Similarly, programmes oriented towards women belong to the same category. The status of women in Indian society has several levels of understanding and analysis. These levels reveal ideology and difficulties of women in India glorified as goddess on one hand, and enslaved on the other. The actual process, customs and traditions reveals that women, for several centuries, have been put to severe discriminatory treatment by different social institutions. She has been kept in *Purdah* and involved in domestic work.

Her glorification is a device to prevent any attack on the

system which produces her factual subordination, exploitation, and discrimination. She is structurally deprived of fuller expression of her potentials. She is confined to household tasks, denied public self expression, and suffers familial neglect. Her education, health and well being are part of institutionalised neglect, non-care, and non-support.

There are several levels of this discrimination. The rural woman is deprived, first, because she is a woman; secondly, she is a rural woman; then, she is exploited by market forces-low wages; and lastly, if she belongs to a low caste, the caste hierarchy itself leads to further discrimination. Thus, women, as such, constitute a disadvantaged group, but certain categories suffer more from multiplicities of deprivation.

#### References

1. John Lewis, "The Social Limits of Politically Induced Change", in Chander Morse *et al.*, *Modernisation by*

*Design: Social Change in the Twentieth Century*, Scientific Book Agency, Calcutta pp. 1-33.

2. Robert A. Scalpino, "Environment and Foreign Contributions. Japan, in Robert E. Ward and Dankwart A. Rustow (Eds.) *Political Modernisation in Japan and Turkey*, Princeton University Press, Princeton, 1964, p. 65.
3. Emanuel De Kadt and Gavin Williams, *Sociology and Development*, Tavistock Publication, Cambridge, p.1.
4. *Ibid.*
5. *Ibid.*, p.3.
6. Ronald Frankenberger and Joyce Leeson, in Emanuel de Kadt and Gavin Williams, *op. cit.* pp. 255-278.
7. *Ibid.*, pp. 258-270.
8. Emanuel De Kadt and G. Williams, *op. cit.*, p. 14.
9. Eliot, *Income Distribution and Social Stratification: Some Notes on theory and practice*, *Journal of Development Studies*, 1972, p. 47.
10. Kadt and William, *op. cit.*, pp.6-9.

